बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुसार
30 जून 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति
एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2012-13

भारतीय रिज़र्व बैंक

बिक्री मूल्य

भारत में	-	₹ 270	(सामान्य)
	-	₹ 310	(डाक प्रभार सहित)
	-	₹ 200	(रियायती - काउंटर पर)
	-	₹ 240	(रियायती - डाक प्रभार सहित)
विदेश में	-	11	अमरीकी डॉलर (एयर मेल कूरियर प्रभार सहित)

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2013
सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है, बशर्ते स्रोत को दर्शाया

संजय कुमार हँसदा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई - 400 001 के लिए प्रकाशित और उनके द्वारा
जयंत प्रिंटरी, 352/54, गिरगांव रोड, चर्नी रोड (पूर्व), मुंबई - 400 002 में अभिकल्पित और मुद्रित।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण-पत्र

आनीअवि.बीआरडी.3159/13.01.01/2013-14 21 नवंबर 2013
30 कार्तिक 1935 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली-110 001

प्रिय श्री गुजराल,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के उपबंधों के अनुसरण में 30 जून 2013 को समाप्त वर्ष के लिए 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट' की दो प्रतियां इसके साथ प्रेषित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

भवदीय,
रघुराम जी राजन

केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुम्बई - 400 001, भारत
फोन: +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 फैक्स: +91 22 2266 1784 ई-मेल: governor@rbi.org.in
Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001, India
Tel: +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 Fax: +91 22 2266 1784 E-mail: governor@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

विषयवस्तु

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय I:	**भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में दृष्टिकोण**	
1.	परिचय	1
2.	बैंकों के लिए उभरता परिचालनात्मक परिवेश	1
3.	नीतिगत प्रतिक्रियाएं	4
4.	भावी दिशा	7
अध्याय II:	**वैश्विक बैंकिंग गतिविधियां**	
1.	परिचय	11
2.	वैश्विक बैंकिंग प्रवृत्ति	12
3.	चुनिंदा क्षेत्रों और देशों में बैंकिंग की प्रवृत्तियां	18
4.	शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों के निष्पादन का विश्लेषण	24
5.	वैश्विक नीतिगत सुधार	26
6.	समग्र आकलन	27
अध्याय III:	**नीतिगत परिवेश**	
1.	परिचय	29
2.	मौद्रिक नीति	29
3.	ऋण वितरण	31
4.	वित्तीय समावेशन	32
5.	विवेकपूर्ण विनियामक नीति	34
6.	पर्यवेक्षी नीति	40
7.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	44
8.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)	45
9.	वित्तीय संस्थाएं	46
10.	बैंकों में ग्राहक सेवा	47
11.	भुगतान और निपटान प्रणालियां	48
12.	बैंकिंग क्षेत्र विधान	50
13.	समग्र मूल्यांकन	52
अध्याय IV:	**वाणिज्यिक बैंकों के कार्य और निष्पादन**	
1.	परिचय	54
2.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का तुलन-पत्र परिचालन	55
3.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का वित्तीय कार्य - निष्पादन	60
4.	सुदृढ़ता संकेतक	65
5.	बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण	70
6.	पूंजी बाजार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का परिचालन	73
7.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के स्वामित्व का स्वरूप	74

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.

8. विदेशी बैंकों के भारत में परिचालन और भारतीय बैंकों के विदेश में परिचालन 76
9. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास 78
10. ग्राहक सेवा 82
11. वित्तीय समावेशन 83
12. स्थानीय क्षेत्र बैंक 88
13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 89
14. समग्र मूल्यांकन 90

अध्याय V: सहकारी बैंकिंग गतिविधियां

1. परिचय 92
2. शहरी सहकारी बैंक 93
3. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं 103
4. ग्रामीण सहकारी संस्थाओं (बैंकों) के लाइसेंसीकरण की स्थिति 116
5. समग्र आकलन 117

अध्याय VI: गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

1. परिचय 118
2. वित्तीय संस्थाएं 118
3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 123
4. प्राथमिक व्यापारी 137
5. समग्र मूल्यांकन 140

बॉक्सों की सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
I.1	भारतीय बैंकों (भारत में यूके के बैंकों सहित) के लिए विकर्स की सिफारिशों के निहितार्थ....................	3
I.2	भारत में बैंकिंग संघटन -भावी दिशा..	5
I.3	भुगतान और निपटान प्रणालियों के संबंध में विज़न डाक्युमैंट 2012-15 की मुख्य-मुख्य बातें	8
II.1	प्रमुख केंद्रीय बैंकों में अपारंपारिक मौद्रिक नीति संबंधी वित्तीय स्थिरता जोखिम	15
II.2	वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान बैंकों द्वारा चलनिधि की जमाखोरी..	17
II.3	साइप्रस में बैंकिंग संकट और वित्तीय स्थिरता पर इसका प्रभाव..	21
III.1	परिचालनगत जोखिम पूंजी गणना के लिए उन्नत नाप दृष्टिकोण लागू करने संबंधी चुनौतियां	39
III.2	बड़े एक्सपोज़रों के प्रति उभर रहे दृष्टिकोण	42
III.3	ग्राहकों के साथ यथोचित व्यवहार : ग्राहकों के प्रति बैंकों का दायित्व	47
IV.1	भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में दक्षता विश्लेषण- आनुपातिक दृष्टिकोण	62
IV.2	डेटा इन्वेलपमेंट तकनीक का प्रयोग कर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र दक्षता का विश्लेषण...........................	64
IV.3	भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति संकेंद्रण	75
IV.4	बैंकिंग प्रौद्योगिकी एवं लागत में कमी: एक दृष्टिकोण	81
IV.5	वित्तीय समावेशन का सर्वेक्षण-आधारित विश्लेषण...	85
V.1	संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम 2011 की प्रमुख बातें और शहरी सहकारी बैंकों के लिए उसके निहितार्थ	101
V.2	3 स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की जांच संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें...............	111
VI.1	भारत में शैडो बैंकिंग : कुछ मुद्दे..	124
VI.2	स्वर्ण की जमानत पर उधार देने वाली गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन	136

सारणियों की सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
II.1	चुनिंदा देशों के बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ	14
II.2	बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं में वृद्धि	18
II.3	चुनिंदा देशों के बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात	18
II.4	चीन की छाया बैंकिंग प्रणाली	23
IV.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलन पत्र में वृद्धि	55
IV.2	बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - प्रकारानुसार	57
IV.3	बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ - प्रकारानुसार	58
IV.4	बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का वर्गीकरण - परिपक्वता (अवशिष्ट) और क्षेत्रवार	58
IV.5	भारत को छोड़कर अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	59
IV.6	चुनिंदा देयताओं / आस्तियों की बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल (मार्च के अंत में)	59
IV.7	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय की प्रवृत्ति	60
IV.8	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिफल तथा इक्विटी पर प्रतिफल-बैंक समूह वार	61
IV.9	निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिफल - बैंक समूहवार	62
IV.10	बासेल I और II के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात - बैंक समूह वार (मार्च के अंत में)	65
IV.11	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की घटकवार पूंजी पर्याप्तता (मार्च के अंत में)	65
IV.12	सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण पर व्यय की गई राशि	65
IV.13	अनर्जक आस्तियों की प्रवृत्ति - बैंक समूहवार	66
IV.14	ऋण आस्तियों का वर्गीकरण - बैंक समूहवार (मार्च के अंत में)	66
IV.15	सीडीआर तंत्र के अंतर्गत पुनर्गठित ऋण की प्रवृत्ति	67
IV.16	देशी बैंकों का क्षेत्र-वार एनपीए	68
IV.17	विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूल किया गया अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एनपीए	69
IV.18	एससी/आरसी द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियों का विवरण	70
IV.19	सकल बैंक ऋण का सेक्टर-वार अभिनियोजन	71
IV.20	बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार)	72
IV.21	बैंकों का खुदरा पोर्टफोलियो	73
IV.22	बैंकिंग क्षेत्र के सार्वजनिक निर्गम	73
IV.23	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन	74
IV.24	जोखिम -प्रतिफल निष्पादन, टर्नओवर और बैंक स्टॉक्स का पूंजीकरण	75
IV.25	पब्लिक शेयरधारिता के प्रतिशत के अनुसार वर्गीकृत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या	76
IV.26	भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन (मार्च के अंत में)	77

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
IV.27	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम (मार्च 2012 के अंत में)	78
IV.28	चेक ट्रंकेशन प्रणाली के अंतर्गत प्रगति	79
IV.29	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड (मार्च के अंत में)	79
IV.30	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों की मात्रा और मूल्य	80
IV.31	इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भुगतान करने में हुई प्रगति	80
IV.32	बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों को क्षेत्र वार प्राप्त शिकायतें	82
IV.33	वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति, आरआरबी सहित सभी एससीबी	84
IV.34	खोली गईं नई बैंक शाखाओं का टियर-वार ब्यौरा	86
IV.35	विभिन्न केन्द्रों में स्थित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम की संख्या (मार्च 2012 के अंत में)	87
IV.36	माइक्रो फाइनैन्स कार्यक्रमों की प्रगति (मार्च के अंत में)	87
IV.37	स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय निष्पादन	88
IV.38	स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का प्रोफ़ाइल	89
IV.39	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन-पत्र	90
IV.40	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण का प्रयोजन-वार वितरण	90
IV.41	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय निष्पादन	90
V.1	शहरी सहकारी बैंकों का टियर-वार वितरण (मार्च 2013 के अंत में)	94
V.2	रेटिंग के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों का वितरण (मार्च 2013 के अंत की स्थिति)	95
V.3	जमा एवं अग्रिम के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण (मार्च 2013 के अंत में)	96
V.4	शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	97
V.5	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किए गए निवेश	98
V.6	अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन	99
V.7	शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाभप्रदता के चुनिंदा संकेतक	99
V.8	शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियां	100
V.9	शहरी सहकारी बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के अनुसार वर्गीकरण (मार्च 2013 के अंत में)	100
V.10	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋण की संरचना (मार्च 2013 के अंत में)	102
V.11	सभी क्षेत्रों में शहरी सहकारी बैंकों के जिलों और बैंकिंग व्यवसाय का विन्यास	103
V.12	ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का प्रोफाइल (मार्च 2012 के अंत में)	104
V.13	राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं एवं आस्तियां	105
V.14	अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चुनिंदा तुलन-पत्र संकेतकों की प्रवृत्तियां	105

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
V.15	राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन	106
V.16	राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक	106
V.17	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	107
V.18	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन	108
V.19	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक	108
V.20	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां -चयनित तुलन-पत्र संकेतक	110
V.21	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां	113
V.22	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन	113
V.23	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	114
V.24	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियाँ	115
V.25	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन	115
V.26	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	116
VI.1	वित्तीय संस्थाओं के स्वामित्व का स्वरूप (31मार्च 2012 के अंत में)	118
VI.2	वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता	119
VI.3	वित्तीय संस्थाओं की देयताएं और आस्तियां (मार्च के अंत में)	119
VI.4	वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन	120
VI.5	वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन (मार्च 2013 के अंत में)	120
VI.6	वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोतों और अभिनियोजन का स्वरूप (मार्च के अंत में)	120
VI.7	चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए रुपया संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता अवधि	121
VI.8	चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की दीर्घावधि मूल उधार दर (पीएलआर) की संरचना	121
VI.9	वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन	121
VI.10	वित्तीय संस्थाओं के चुनिंदा वित्तीय मानदंड (मार्च 2013 के अंत में)	122
VI.11	वित्तीय संस्थाओं की निवल अनर्जक आस्तियां (मार्च के अंत में)	122
VI.12	वित्तीय संस्थाओं की आस्ति का वर्गीकरण (मार्च के अंत में)	122
VI.13	वित्तीय संस्थाओं की जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (मार्च के अंत में)	123
VI.14	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के स्वामित्व का स्वरूप (मार्च 2013 के अंत में)	125
VI.15	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रूपरेखा	125
VI.16	जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का समेकित तुलन-पत्र	126
VI.17	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वर्गीकरण द्वारा जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की देयताओं के मुख्य घटक (मार्च के अंत में)	127
VI.18	जनता से जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमा राशि की सीमाएं	127
VI.19	जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जनता की जमा राशि- क्षेत्र-वार	127

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
VI.20	जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जनता की जमाराशि - जमा पर ब्याज दर दायरे के अनुसार	128
VI.21	जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जनता की जमाराशि की परिपक्वता की रूपरेखा	128
VI.22	जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उधारियों के श्रेणी-वार स्रोत	129
VI.23	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण के अनुसार जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों के मुख्य घटक	129
VI.24	आस्ति-आकार के दायरे के अनुसार जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियाँ (मार्च के अंत में)	130
VI.25	जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय निष्पादन	130
VI.26	जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के एनपीए अनुपात	131
VI.27	जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के एनपीए - श्रेणीवार	131
VI.28	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की श्रेणी के अनुसार जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों का वर्गीकरण	131
VI.29	जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात	132
VI.30	वर्गीकरण के अनुसार जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जनता की जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधियां	132
VI.31	जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जनता की जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा (मार्च के अंत में)	132
VI.32	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों का प्रोफाइल	133
VI.33	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - क्षेत्र-वार	133
VI.34	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के निवेश का स्वरूप (मार्च के अंत में)	133
VI.35	एनबीएफसी-एनडी-एसआई का समेकित तुलन-पत्र (मार्च के अंत में)	134
VI.36	एनबीएफसी-एनडी-एसआई की उधारियां - क्षेत्र-वार	134
VI.37	एनबीएफसी-एनडी-एसआई का वित्तीय निष्पादन	135
VI.38	एनबीएफसी-एनडी-एसआई के अनर्जक आस्ति अनुपात	135
VI.39	एनबीएफसी-एनडी-एसआई के पूंजी पर्याप्तता अनुपात - श्रेणी वार	135
VI.40	एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र का बैंक एक्सपोजर (मार्च 2013 के अंत में)	136
VI.41	प्राथमिक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन (मार्च के अंत में)	137
VI.42	सरकारी क्षेत्र के द्वितीयक बाजार में स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन	138
VI.43	स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उपयोग	139
VI.44	स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय निष्पादन	139
VI.45	स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय संकेतक	139
VI.46	स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का सीआरएआर	139

चार्ट की सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
II.1	वैश्विक समष्टि-आर्थिक प्रवृत्तियाँ	11
II.2	बैंक की ऋण वृद्धि का त्रैमासिक चल औसत (प्रतिशत में)	13
II.3	चुनिंदा देशों के सरकारी और बैंक सीडीएस स्प्रेड	14
II.4	चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं/ अर्थव्यवस्था समूहों में बैंक स्टॉक सूचकांक	16
II.5	चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं की बैंकिंग प्रणाली में लीवरेज	18
II.6	चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता	19
II.7	अमरीकी बैंकिंग प्रणाली की प्रगति	19
II.8	अमरीकी बैंकों के लाभ तथा अनर्जक ऋण	20
II.9	यूरो क्षेत्र में वित्तीय तथा चलनिधि स्थितियां	20
II.10	यूरो क्षेत्र के बैंकिंग प्रणाली के लिए लीवरेज और ऋण जमाराशि अनुपात	22
II.11	यूरोपीय बैंकों द्वारा विदेशी कार्यकलापों की डिलीवरेजिंग	22
II.12	यूरो क्षेत्र में ऋण तथा उधार दरें	22
II.13	यूके के लिए मूल बैंकिंग सूचकांक	23
II.14	चीनी बैंकिंग के संकेतक	23
II.15	वैश्विक बैंकिंग सांख्यिकी का स्थान	24
II.16	शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों की कुल आस्तियों में देशों का हिस्सा	24
II.17	आस्तियों पर प्रतिलाभ के आधार पर शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों का प्रतिशत वितरण	24
II.18	सीआरएआर के आधार पर शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों का प्रतिशत वितरण	25
II.19	पूंजी पर्याप्तता (लीवरेज) अनुपात के आधार पर शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों का प्रतिशत वितरण	25
II.20	अनर्जक ऋण अनुपात के आधार पर शीर्ष वैश्विक बैंकों का प्रतिशत वितरण	25
II.21	शीर्ष वैश्विक बैंकों के सुदृढ़ता संकेतकों में परिवर्तन	26
IV.1	बैंक ऋण में हुई वृद्धि की चुनिंदा आर्थिक और बैंकिंग एग्रिगेट के साथ तुलना	55
IV.2	विभिन्न बैंक समूहों के सकल अग्रिमों में वृद्धि	56
IV.3	कासा की प्रवृत्ति	56
IV.4	बैंक समूहवार कासा की प्रवृत्ति	56
IV.5	बैंक समूहवार बकाया सी-डी अनुपात की प्रवृत्ति	57
IV.6	वृद्धिशील सीडी और आईडी अनुपात की प्रवृत्ति	57
IV.7	विभिन्न परिपक्वता बकेट की देयताओं और आस्तियों के अनुपात के बीच अंतर	60
IV.8	तुलन पत्र और तुलन पत्रेतर लेनदेनों में वृद्धि	60
IV.9	एससीबी की जमा और उधार दरों की प्रवृत्ति	61
IV.10	आय और व्यय के चयनित मदों में वृद्धि	61
IV.11	बैंक समूहवार गिरावट अनुपात	67

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.

IV.12 सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में पुनर्संरचित अग्रिम 67
IV.13 प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की एनपीए की प्रवृत्ति 69
IV.14 चुनिंदा क्षेत्रों का सकल एनपीए अनुपात 69
IV.15 एससी/आरसी की कुल प्रतिभूतिकृत प्राप्तियों में संस्थाओं का हिस्सा 70
IV.16 प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात 70
IV.17 प्रमुख क्षेत्रों को दिए गए ऋणों में वृद्धि 71
IV.18 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋणों में वृद्धि 72
IV.19 जारी किए गए कुल केसीसी में संस्थाओं का हिस्सा 72
IV.20 2012-13 के बैंकेक्स और सेंसेक्स का तुलनात्मक निष्पादन 74
IV.21 बैंकों के स्टॉक मूल्यों में प्रतिशत घट-बढ़ 74
IV.22 बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में सरकारी, निजी और विदेशी बैंकों का हिस्सा 75
IV.23 विदेश स्थित भारतीय बैंकिंग केंद्रों और भारत स्थित विदेशी बैंकिंग केंद्रों के बीच तुलना 77
IV.24 विदेशी बैंकिंग केंद्रों की संरचना (शाखाएं + अनुषंगियां) 78
IV.25 एटीएम की वृद्धि और संरचना 78
IV.26 ऑफ-साइट और ऑन-साइट एटीएम के प्रतिशत का हिस्सा 79
IV.27 डेबिट और क्रेडिट कार्ड की प्रगति 79
IV.28 टियर I और II शहरों में शिकायतों की संख्या 82
IV.29 पांच प्रमुख प्रकार की शिकायतों का हिस्सा 82
IV.30 2012-13 के दौरान प्रत्येक बैंक शाखाओं/खातों की शिकायतों की संख्या 83
IV.31 जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत गांवों में बैंकिंग केंद्रों की प्रगति 84
IV.32 क्षेत्रवार, बैंक रहित केंद्रों में खोली गईं नई शाखाओं का हिस्सा 86
IV.33 बैंकिंग के फैलाव के संदर्भ में क्षेत्रीय अंतर 86
IV.34 क्षेत्रवार एटीएम की संख्या 87
V.1 भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं की संरचना (मार्च 2013 के अंत में) 93
V.2 शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या 93
V.3 शहरी सहकारी बैंकों के विलय की संचयी आधार पर राज्य-वार संख्या (मार्च 2013 के अंत में) 94
V.4 शहरी सहकारी बैंकों की टियर-वार संरचना 95
V.5 आस्ति के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण 96
V.6 शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों में वृद्धि 96
V.7 *शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की कुल आस्तियों में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी* 98

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
V.8	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण-जमा और निवेश-जमा अनुपात	98
V.9	शहरी सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों की कुल आय में ब्याज से इतर आय का हिस्सा	99
V.10	सकल अनर्जक आस्तियों की वृद्धि और अनुपात	100
V.11	शहरी सहकारी बैंकों का प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात	100
V.12	शहरी सहकारी बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के अनुसार वर्गीकरण	101
V.13	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा चुनिंदा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण वितरण का प्रतिशत	102
V.14	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कमजोर वर्ग को दिए गए ऋण का प्रतिशत	103
V.15	अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण सहकारी समितियों के अनुसार ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे की संरचना	104
V.16	ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की लाभप्रदता	105
V.17	राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के संकेतक	106
V.18	राज्य सहकारी बैंकों की क्षेत्रवार वित्तीय स्थिति	107
V.19	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ता के संकेतक	108
V.20	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की क्षेत्रवार वित्तीय स्थिति	109
V.21	राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता की तुलना	109
V.22	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के बकाया ऋण में वृद्धि	110
V.23	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) का सदस्य-उधारकर्ता अनुपात	110
V.24	लाभ तथा हानि में रहने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का प्रतिशत	111
V.25	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) की अनर्जक आस्ति की अन्य सहकारी बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थाओं के साथ तुलना	114
V.26	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की क्षेत्र-वार वित्तीय स्थिति	114
V.27	पीसीएआरडीबी के लाभप्रदता संकेतक	115
V.28	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) की तुलना में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) की वित्तीय स्थिति	116
VI.1	रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या (मार्च के अंत में)	125
VI.2	व्यापक चलनिधि (एल3) और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों की तुलना में एनबीएफसी में जनता की जमाराशियों का अनुपात	126
VI.3	एनबीएफसी-डी द्वारा धारित जनता की जमाराशियों का क्षेत्र-वार हिस्सा (मार्च के अंत में)	128
VI.4	एनबीएफसी-डी द्वारा धारित जनता की जमाराशियों का ब्याज दर के दायरे के अनुसार हिस्सा	128
VI.5	एनबीएफसी-डी द्वारा धारित जनता की जमाराशियों की परिपक्वता का स्वरूप (प्रतिशत)	129
VI.6	एनबीएफसी-डी का वित्तीय निष्पादन	130

परिशिष्ट सारणी की सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
IV.1	भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, एक नजर में	141
IV.2	भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर........	142
IV.3	किसान क्रेडिट कार्ड योजना: राज्य-वार प्रगति (मार्च 2013 के अंत में)........	143
IV.4	संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूह-वार उधार (मार्च 2013 के अंत में)	144
IV.5	बैंक स्टॉक के शेयर मूल्य तथा मूल्य/अर्जन अनुपात (मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति)	145
IV.6	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप (मार्च 2013 के अंत में)........	146
IV.7	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम (मार्च 2013 के अंत में)	148
IV.8	बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण (2012-13 की अवधि के लिए)	151
IV.9	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण-जमा अनुपात और निवेश तथा ऋण-जमा अनुपात - क्षेत्र-वार/ राज्य-वार........	154
V.1	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड (मार्च 2013 के अंत में)........	156
V.2	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक	157
V.3	शहरी सहकारी बैंकों का राज्यवार वितरण (मार्च 2013 के अंत में)........	159
V.4	राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति दर्शानेवाले प्रमुख सूचकांक - क्षेत्रवार और राज्यवार (मार्च के अंत में)........	160
V.5	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वित्तीय स्थिति दर्शानेवाले प्रमुख सूचकांक - क्षेत्रवार और राज्यवार (मार्च के अंत में)	161
V.6	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार (31 मार्च 2012 को)........	162
V.7	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के प्रमुख वित्तीय संकेतक-राज्यवार (मार्च के अंत में)	164
V.8	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतक - राज्यवार (मार्च के अंत में)........	166
VI.1	वित्तीय संस्थाओं द्वारा संस्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता	166
VI.2	प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन........	168
VI.3	प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक........	169

चुनिंदा संक्षेपाक्षर सूची

एएसीएस	सहकारी समितियों पर यथा लागू
एबीईपी	वार्षिक शाखा विस्तार कार्यक्रम
एडीएफ	स्वचालित डेटा प्रवाह
एडीआर	अमरीकी निक्षेपागार रसीद
एईएस	उन्नत अर्थव्यवस्थाएं
एएफए	अधिप्रमाणन के अतिरिक्त कारक
एएफसी	आस्ति वित्त कंपनियां
एएफआई	वार्षिक वित्तीय निरीक्षण
एआईएफआई	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं
एजीएम	वार्षिक आम बैठक
एएलडी	जमाकर्ताओं के प्रति सकल देयता
एएलएम	आस्ति-देयता प्रबंधन
एएमए	उन्नत मापन दृष्टिकोण
एएमएल	धन शोधन निवारण
एएनबीसी	समायोजित निवल बैंक ऋण
एआरडीबी	कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
बीबीए	ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन
बीसी	बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट
बीसीबीएस	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति
बीसीएसबीआई	भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड
बीएफएस	वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
बीआईए	बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण
बीआईएस	अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
बीओ	बैंकिंग लोकपाल
बीओई	बैंक ऑफ इंग्लैंड
बीओजे	बैंक ऑफ जापान
बीओएस	बैंकिंग लोकपाल योजना
बीएसई	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि.
सीएडी	चालू खाता घाटा
सीएजी	लेखा नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
सीएएमईएलएस	पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि और प्रणाली एवं नियंत्रण
सीएआर	पूंजी पर्याप्तता अनुपात
सीएएसए	चालू खाता और बचत खाता
सीबीआरसी	चीनी बैंकिंग विनियामक कमीशन
सीबीएस	कोर बैंकिंग समाधान
सीसीबी	मध्यवर्ती सहकारी बैंक
सीसीपी	केंद्रीय प्रतिपक्षकार
सीडी	जमा प्रमाणपत्र
सीडी रेशिओ	जमा-ऋण अनुपात
सीडीआर	कॉरपोरेट ऋण पुनर्गठन
सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीईटी I	सामान्य इक्विटी टियर I
सीआईसी	कोर निवेश कंपनियां
सीआईएस	संयुक्त निवेश योजनाएं
सीएमबी	नकदी प्रबंधन बिल
सीएमई	पूंजी बाजार एक्सपोज़र
सीओआर	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीपी	वाणिज्यिक पत्र
सीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली समिति
सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात
सीआरई-आरएच	वाणिज्यिक भू-संपदा -रिहाइशी आवास
सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
सीटीएस	चेक ट्रंकेशन प्रणाली
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
डीआईसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईएफ	निक्षेप बीमा निधि
डीआरटी	ऋण वसूली ट्रिब्यूनल
डी-एसआईबी	प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण देशी बैंक
डीटीएस	सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण
दिल्ली एनसीआर	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
ईबीए	यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण
ईबीटी	इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण
ईसीबी	यूरोपीय केंद्रीय बैंक
ईसीसीएस	एक्सप्रेस चेक समाशोधन प्रणाली
ईसीएस	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
ईएमडीई	उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईएमई	उभरती बाजार अर्थव्यवस्था
ईटीएफ	विनिमय कारोबार निधि
ईयू	यूरोपीय संघ
एक्ज़िम बैंक	भारतीय निर्यात-आयात बैंक
एफबी	विदेशी बैंक
एफसी	वित्तीय संगुट
एफसीए	वित्तीय आचरण प्राधिकारी
एफसीएनआर(बी)	विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफईडीएआई	भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ
एफआई	वित्तीय संस्था
एफआईआई	विदेशी संस्थागत निवेशक
एफआईपी	वित्तीय समावेशन योजना
एफएलसी	वित्तीय साक्षरता केंद्र
एफएमआई	वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर
एफएसए	वित्तीय सेवा प्राधिकारी
एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसएलआरसी	वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग
जी-एसआईबी	प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वैश्विक बैंक
जीसीसी	जनरल क्रेडिट कार्ड
जीडीपी	सकल देशी उत्पाद
जीडीआर	वैश्विक निक्षेपागार रसीद
जीएफएसआर	वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
जीआईसी	भारतीय सामान्य बीमा निगम
जी-सेक	सरकारी प्रतिभूतियां
जीओआई	भारत सरकार
एचएलएससी	उच्च-स्तरीय संचालन समिति
एचटीएम	परिपक्वता तक धारित
एचयूएफ	हिंदू अविभक्त परिवार
आईबीए	भारतीय बैंक संघ
आईबीएएन	अंतरराष्ट्रीय बैंक खाता संख्या
आईबीपीएस	भारतीय बिल भुगतान प्रणाली
आईसीबी	स्वतंत्र बैंकिंग आयोग
आईसीबीसी	चीनी औद्योगिक एवं वाणिज्य बैंक
आईसी	निवेश कंपनियां
आईसीडी	अंतर-कॉरपोरेट जमाराशि
आईसीआईसीआई	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम
आईडीबीआई	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आईडीएफ	बुनियादी ढांचा ऋण निधि
आईडीएफ-एनबीएफसी	बुनियादी ढांचा ऋण निधि - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
आईडी रेशिओ	जमा-निवेश अनुपात

आईएफसी	इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी
आईएफसीआई	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
आईवीसीएफ	आईएफसीआई वेंचर पूंजी निधि लि.
आईएफएससी	भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड
आईआईबीआई	भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईआरडीए	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
आईआरएफ	अंतर-विनियामक फोरम
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
जेएलजी	संयुक्त देयता समूह
केए	प्रमुख विशेषताएं
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानिए
एलएबी	स्थानीय क्षेत्र बैंक
एलएएफ	चलनिधि समायोजन सुविधा
एलसी	कर्ज कंपनियां
एलडीए	कर्ज संवितरण दृष्टिकोण
एलई	बड़ा एक्सपोज़र
एलईजी	बड़ा एक्सपोज़र समूह
एलआईसी	भारतीय जीवन बीमा निगम
एलपीजी	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एलटीआरओ	दीर्घकालिक पुनर्वित्त परिचालन
एलटीवी	मूल्य की तुलना में ऋण
एमएपी	निगरानी योग्य कार्य योजना
एमडीआर	मर्चेंट डिस्काउंट रेट
एमएफआई	माइक्रो वित्त संस्था
एमजीएनआरईजीए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमआईसीआर	मैगनेटिक इंक कैरक्टर रिकगनिशन
एमआईएस	प्रबंध सूचना प्रणाली
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसई	माइक्रो और लघु उद्यम
एमएसएफ	सीमांत स्थायी सुविधा
एमएसएमई	माइक्रो, लघु और मझोले उद्यम
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-डी	जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-एमएफआई	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - माइक्रो वित्त संस्था
एनबीएफसी-एनडी	जमाराशियां न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-एनडी-एसआई	जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफआई	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं
एनडीटीएल	निवल मांग और मीयादी देयता
एनईसीएस	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनआईए	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.
एनआईआई	निवल ब्याज आय
एनआईएम	निवल ब्याज मार्जिन
एनओएफ	निवल स्वाधिकृत निधि
एनओएफएचसी	निष्क्रिय वित्तीय होल्डिंग कंपनी
एनपीए	अनर्जक आस्तियां
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

एनपीएल	अनर्जक कर्ज
एनआरई	अनिवासी (बाह्य)
एनआरआई	अनिवासी भारतीय
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
ओबीएस	तुलनपत्रेतर
ओएफआई	अन्य वित्तीय बिचौलिया
ओआईसी	ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि.
ओएमटी	त्वरित मौद्रिक लेन-देन
ओआरएम	परिचालनगत जोखिम प्रबंधन
ऑस्मॉस	अप्रत्यक्ष निगरानी और चौकसी प्रणाली
ओटीसी	ओवर द काउंटर
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
पीएटी	कर पश्चात लाभ
पीबीटी	कर पूर्व लाभ
पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पीसीआर	कवरेज - प्रावधानीकरण अनुपात
पीडी	प्राथमिक व्यापारी
पीडीओ-एनडीएस	लोक ऋण कार्यालय - तयशुदा लेनदेन प्रणाली
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पीएलआर	मूल उधार दर
पीओएस	बिक्री स्थान
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र के बैंक
क्यूई	मात्रात्मक सुलभता
क्यूआईएस	मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन
आरबीएस	जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण
आरसीएस	सहकारी समिति के पंजीयक
आरडीडीबीएफआई	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय कर्जों की वसूली
आरजीजी	प्रतिलाभ गवर्नेन्स समूह
आरएनबीसी	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी
आरओए	आस्तियों पर प्रतिलाभ
आरओई	इक्विटी पर प्रतिलाभ
आरओएए	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ
आरओएनडब्ल्यू	निवल मालियत पर प्रतिलाभ
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीजीएस	तत्काल सकल निपटान प्रणाली
आरडब्ल्यूए	जोखिम-भारित आस्तियां
एसएआरएफएईएसआई	वित्तीय आस्ति प्रतिभूतीकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन
एसबीआई	भारतीय स्टेट बैंक
एससी	अनुसूचित जाति
एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
एससी/आरसी	प्रतिभूतीकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसजीएसवाई	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसआईएफआई	प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्था
एसएलबीसी	राज्य स्तरीय बैंकर समिति
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसएमई	लघु और मझोले उद्यम
एसआर	प्रतिभूति रसीद
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
एसटीसीसीएस	अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचा

टी-बिल	खजाना बिल
टीसीएफ	ग्राहकों से न्यायपूर्ण व्यवहार करना
टीएफसीआई	भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि.
टीआर	ट्रेड रिपोज़िटरी
टीएसए	मानकीकृत दृष्टिकोण
यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
यूआईआईसी	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.
यूटीआई	भारतीय यूनिट ट्रस्ट
वीएआर	जोखिम पर मूल्य
डब्ल्यूएसी	भारित औसत लागत
डब्ल्यूएएम	भारित औसत परिपक्वता
डब्ल्यूईओ	विश्व आर्थिक परिदृश्य
डब्ल्यूजी	कार्यकारी समूह
डब्ल्यूएलए	व्हाइट लेबल एटीएम
डब्ल्यूएमपी	धन प्रबंधन उत्पाद
डब्ल्यूओएस	पूर्णतः स्वाधिकृत सब्सिडियरी कंपनी
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
एक्सएमएल	एक्स्टेंसिबल मार्क-अप लैंग्वेज

अध्याय I

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में दृष्टिकोण

लगातार मंद संवृद्धि और उसके बढ़ते प्रभाव के जोखिमों के साथ कमजोर पड़ती समष्टिआर्थिक परिस्थितियों के चलते 2012-13 में बैंकिंग क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्ष के दौरान कई नीतिगत उपाय किए गए। विनियामक और पर्यवेक्षी नीति स्तर पर, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की ओर परिकल्पना के अनुसार अग्रसर होना, बेहतर सीमापार पर्यवेक्षण और सहयोग तथा वित्तीय संगुटों का और अधिक पर्यवेक्षण महत्वपूर्ण है। अल्पावधि में, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर तनाव एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है। बैंकिंग की मूलभूत सुविधाओं में विस्तार करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए कई नीतियां विचाराधीन हैं। बैंकों को इनका लाभ उठाना चाहिए और आर्थिक गतिविधि में सहायता देने और समाज के सभी तबकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।

I. परिचय

1.1 2012-13 में वैश्विक संवृद्धि मंद बनी रही। देशी अर्थव्यवस्था में वृद्धि में कमी होने के साथ-साथ, प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों के कारण 2012-13 में भारत में बैंकिंग क्षेत्र में चुनौतियां उत्पन्न हुईं। आस्ति-क्षति में वृद्धि के साथ-साथ लाभप्रदता में कमी हुई। मैक्रो तनाव परीक्षण यह दिखलाते हैं कि यदि वर्तमान समष्टिआर्थिक परिस्थितियां बनी रहती हैं, तो वाणिज्य बैंकों की ऋण गुणवत्ता में और कमी हो सकती है[1]। तथापि, समग्र रूप से सहज पूंजी-आधार अभी भी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को आघातसहनीयता प्रदान करता है।

1.2 अध्याय II में वैश्विक बैंकिंग गतिविधियों का विवरण दिया गया है और भविष्य में बैंकिंग परिवेश को प्रभावित करने वाले कुछ कारण तथा नीतिगत प्रतिक्रियाओं और बैंकों के लिए भावी दिशा का भी उल्लेख किया गया है।

2. बैंकों के लिए उभरता परिचालनात्मक परिवेश

1.3 भारतीय बैंकिंग प्रणाली जिस आर्थिक और वित्तीय परिवेश में काम करती है, वह निरंतर परिवर्तनशील है। वैश्विक बैंकिंग गतिविधियों पर वाणिज्य बैंकिंग गतिविधियों को दायराबद्ध करने (रिंग-फेन्सिंग) के उद्देश्य से प्रस्तावित विनियामक परिवर्तनों का प्रभाव पड़ेगा। एफएसएलआरसी ने वित्तीय क्षेत्र की रूपरेखा के बारे में कई परिवर्तनों का सुझाव दिया है। रिजर्व बैंक ने 'बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया-द वे फार्वर्ड' पर एक चर्चा पत्र भी पब्लिक डोमेन में रखा है जिसमें बैंकिंग संरचना के बारे में दूरगामी परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है ताकि वह वास्तविक अर्थव्यवस्था की बढ़ती आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। जब इन सुझावों/सिफारिशों पर कार्यान्वयन के लिए विचार किया जाएगा, तो बैंकों के लिए परिचालनगत स्थान निर्धारित होगा।

संरचनात्मक विनियामक सुधारों के लिए वैश्विक उपाय करना : वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधियों को दायराबद्ध करना (रिंग फेन्सिंग)

1.4 कई क्षेत्राधिकारों ने प्रणालीगत जोखिमों का सामना करने के लिए बासेल III के अधीन संरचनात्मक उपायों सहित विवेकपूर्ण विनियमों को सुदृढ़ बनाया है या बनाने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों में बहुत जटिल तथा जोखिमपूर्ण कारोबारों को स्टैंड अलोन इकाइयों में परिवर्तित करने से लेकर इन गतिविधियों से बैंकों को पूरी तरह वंचित करना शामिल है। इसका उद्देश्य यह है कि वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण या उपभोक्ता/जमाकर्ता की रक्षा के आधार पर उन कुछ प्रकार की वित्तीय गतिविधियों को उन जोखिमों से अलग रखा जाए जो कुछ

[1] *वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट*, भारतीय रिजर्व बैंक, जून 2013

अधिक जोखिमपूर्ण लेकिन कम महत्वपूर्ण गतिविधियों के कारण होते हैं।

1.5 संरचनात्मक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल में अमेरिका में डोड-फ्रैंक अधिनियम के अधीन वोलकर नियम, यूनाइटेड किंग्डम में विकर्स सुधार प्रस्ताव और यूरोपीय संघ में लिकानेन सुधार प्रस्ताव शामिल हैं। इन तीनों प्रस्तावों की मुख्य-मुख्य बातों का उद्देश्य - एक ओर तो जमाराशि लेने तथा कोर बैंकिंग गतिविधियों के बीच दायराबद्ध करना या सुरक्षा दीवार बनाना है और दूसरी ओर निवेश बैंकिंग/स्वामित्व व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, वे थोड़ी भिन्नता वाले अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

- वोलकर नियम जमाराशि स्वीकार करने वाले बैंकों पर स्वामित्व, व्यापारिक तथा अन्य जटिल गतिविधियाँ करने पर प्रतिबंध लगाता है। यह एक ही समूह में विभिन्न सहायक संस्थाओं में ऐसी व्यापारिक गतिविधियों तथा अन्य बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ रहने पर प्रतिबंध लगाता है। इसी प्रकार, यह उन संस्थाओं में निवेश करने या उन्हें प्रायोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है जिससे उन्हें हेज़ फंड या निजी इक्विटी फंड जैसा जोखिम हो सकता है।
- विकर्स सुधार प्रस्ताव ने यूके के बड़े बैंकों के खुदरा बैंकिंग परिचालनों को दायराबद्ध करके उन्हें अलग-अलग विधिक सहायक संस्था बनाने की सिफारिश की है। खुदरा बैंकिंग कारोबार के कुछ बहुत ही सीमित काम जैसे कि खुदरा जमाराशि स्वीकार करना, अलग-अलग व्यक्तियों को ओवरड्राफ्ट तथा लघु और मध्यामाकार वाले उद्यमों को ऋणों को सुरक्षित, अर्थात् दायराबद्ध संस्था में, होना चाहिए। दूसरी प्रकार की गतिविधि, उदाहरण के लिए, खुदरा तथा कारपोरेट बैंकिंग, जिसमें उनकी सहायता के लिए जोखिम से सुरक्षा संबंधी अनुषंगी परिचालन शामिल हैं के कुछ अन्य प्रकार भी एक ही सुरक्षित संस्था में किए जाने चाहिए। सुरक्षित गतिविधियां एक ही समूह में, अलग-अलग सहायक संस्थाओं में, अन्य गतिविधियों के साथ-साथ की जा सकती हैं लेकिन वे अंतरसमूह प्रतिबंधों तथा अन्य जोखिम प्रबंधन शर्तों के अधीन होंगी (बॉक्स 1.1)
- लिकानिन रिपोर्ट के प्रस्तावों के अनुसार जमाराशि लेने वाले बैंक से एक सीमा से अधिक स्वामित्व वाली व्यापारिक तथा बाजार-निर्माण गतिविधियों तथा बाजार-निर्माण गतिविधियों को अलग किया जाए, लेकिन यदि ये अलग-अलग सहायक संस्थाओं में की जाती हैं, तो एक ही समूह में अन्य बैंकिंग कारोबार के साथ-साथ की जा सकती हैं। इन प्रस्तावों में एक ही समूह में परस्पर प्रभाव को इस प्रकार से सीमित रखा जाएगा कि सहायक संस्थाएं पूंजी और चलनिधि के संदर्भ में तथा बाजार की शर्तों पर विधिक संस्थाओं के बीच किए गए लेन-देन के संदर्भ में आत्मनिर्भर होंगी।

1.6 संरचनात्मक बैंकिंग सुधारों का सुझाव देने वाले देश वैश्विक वित्तीय केंद्र तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं। इन देशों में वित्तीय स्थिरता बढ़ाकर ऐसी नीतियों का वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली[2] पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है।

1.7 कार्यान्वित हो जाने पर ये सुधार बैंकों के 'प्रबंधतंत्रों' को अत्यधिक जोखिम लेने से रोकेंगे और अन्य गतिविधियों को प्रभावित करने वाले अन्य विशेष प्रवृत्ति के आघातों से महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं को सुरक्षित रखेंगे। इस बात को मानना महत्वपूर्ण है कि कहीं और हो रहे विनियामक परिवर्तनों को भारतीय बैंकों द्वारा भी भली-भांति समझा जाए क्योंकि उन्हें अपने वैश्विक प्रतिपक्षी बैंकों के साथ लेनदेन करना पड़ता है।

वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) ने वित्तीय क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की

1.8 भारत सरकार ने एक वृद्धिशील, वैश्विक और आधुनिक बनती अर्थव्यवस्था के अनुरूप वित्तीय क्षेत्र को अभिशासित करने वाले कानून बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार आयोग गठित किया। आयोग ने वित्तीय क्षेत्र की रूपरेखा में परिवर्तनों

[2] ''क्रिएटिंग अ सेफर फाईनेन्शिअल सिस्टमः विल द वोलकर, विकर्स एण्ड द लिकानन स्ट्रक्चरल मैज़र्स हैल्प?'' स्टॉफ डिस्कशन नोट, इन्टरनैशनल मोनेटरी फंड, मई 2013

बॉक्स : I.1
भारतीय बैंकों (भारत में यूके के बैंकों सहित) के लिए विकर्स की सिफारिशों के संभाव्य निहितार्थ

सर जॉन विकर्स की अध्यक्षता में 'द इंडिपैंडैंट कमीशन आन बैंकिंग' (द कमीशन) का गठन यूके बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों और संबंधित गैर संरचनात्मक सुधारों पर विचार करने के लिए जून 2010 में गठित किया गया था ताकि वित्तीय स्थिरता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके। कमीशन की रिपोर्ट असफल होते बैंकों के समाधान को सहज और कम खर्चीला बनाने के लिए, बैंकों की हानि-सहने की क्षमता में सुधार लाने; अत्यधिक जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने; तथा यूके बैंकिंग प्रणाली में प्रतिकूल प्रभाव को फैलने से रोकने के लिए उपायों का पैकेज प्रस्तुत करती है।

यूके बैंकों को दायराबद्ध करना (रिंग-फेन्सिंग)

प्रस्ताव के अधीन, दायराबद्ध किए गए बैंकों को यूके में सीमित संख्या में ग्राहकों को केवल खुदरा तथा वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाएगी जिसमें अलग-अलग व्यक्ति तथा छोटे और मध्यमाकार उद्यम (एसएमई) शामिल होंगे। कमीशन ने तीन श्रेणियां बनाई हैं - मैंडेटिड, प्रोहिबिटिड तथा ऐन्सिलरी। यह निर्धारित करने के लिए कि किसी दायराबद्ध बैंक द्वारा सेवाएं दी जा सकती है या नहीं, इन दायराबद्ध संस्थाओं पर कुछ प्रतिबंध और नियंत्रण भी होंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे मार्क्ड टू मार्केट लेनदेनों के प्रति जोखिम नही लेते हैं और वे उसी समूह में अन्य संस्थाओं या किसी अन्य तृतीय पक्ष के साथ वाणिज्यिक तथा यथोचित दूरी बनाए रखते हुए संबंध बनाते हैं।

यूके बैंकों की हानि-सहने की क्षमता में सुधार तथा आंतरिक रूप से उबरने (बेल इन) के साधन

- यूके में बड़े दायराबद्ध बैंकों को जोखिम-भारित आस्तियों में इक्विटी का कम से कम 10 प्रतिशत अनुपात रखना होगा जिसे बढ़ा कर 13 प्रतिशत करने का प्रावधान होगा।
- यूके में अलग मुख्यालय वाले सभी बैंकों को कम से कम 3 प्रतिशत का टीयर - I लिवरेज अनुपात बनाए रखना होगा, जो बड़े दायराबद्ध बैंकों के लिए 4.06 प्रतिशत होगा।
- यूके में मुख्यालय वाले प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण और यूके के बड़े दायराबद्ध बैंकों के पास आरडब्ल्यूए के कम से कम 17 प्रतिशत की कोर इक्विटी और बेल-इन गौण ऋण होगा। तथापि, छोटे यूके बैंकों के लिए न्यूनतर अनुपात निर्धारित किया जाएगा।
- दिवालियापन में लेनदारों की प्राथमिकता संशोधित की जानी चाहिए ताकि यूके की फाईनेन्शिअल सर्विसेज कंपैनसेशन स्कीम के अधीन बैंकों में बीमाकृत जमाराशियों को तरजीही दर्जा मिले (फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स से ऊपर)

इन सिफारिशों के संभावित निहितार्थ

यूके में भारतीय बैंकों के परिचालन

यूके में भारतीय बैंकों का खुदरा आस्ति आकार इस समय विकर्स नियम लागू करने के लिए मैंडेटिड जमाराशियों के 25 बिलियन पौंड की 'न्यूनतम सीमा' से बहुत कम है। इस प्रकार, यूके में भारतीय बैंकों के लिए तुरंत दायराबद्ध करने के संबंध में विकर्स सिफारिशों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही, भारतीय बैंकों के कारोबारी मॉडल में कोई महत्वपूर्ण स्वामित्व व्यापार, निवेश बैंकिंग या हेज़ फंड में लेनदेन भी नहीं होते। तथापि, भविष्य में यूके में भारतीय बैंकों को अलग-अलग व्यक्तियों के संबंध में अपने खुदरा और वाणिज्यिक बैंकिंग परिचालन और एसएमई को निवेश बैंकिंग तथा थोक बैंकिंग गतिविधियों में अलग-अलग दायराबद्ध संस्थाओं में बदलना होगा। यह अनिवार्य/अनुमत दोनों क्षेत्रों में परिचालनों की मात्रा, अर्थात् अलग-अलग व्यक्तियों से जमाराशियों तथा उन्हें ऋण सेवाओं पर तथा प्रतिबंधित गतिविधियों जैसे कि निवेश बैंकिंग, डेरिवेटिव लेनदेन तथा स्वामित्व व्यापार में गतिविधि के स्तर पर निर्भर करेगा।

इसके अतिरिक्त जहां भी वांछित हो, परिचालनों को अलग-अलग करने में कारपोरेट संरचना, मूर्त आस्तियां, स्टाफ तथा श्रमशक्ति, पूंजी, निधीयन और चलनिधि व्यवस्थाओं के लिए अलग मूलभूत सुविधाएं बनाने और उधार देने के लिए स्थानीय बाजार से पर्याप्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता हो सकती है। पूंजी और उधार - दोनों की लागत बढ़ सकती है। इसके मौद्रिक, विधिक तथा लेखांकन संबंधी निहितार्थ भी हो सकते हैं।

भारत में यूके के बैंकों के परिचालन

जहां तक दायराबद्ध करने का संबंध है, यूके बैंकों के भारतीय परिचालनों के निहितार्थ मुख्यतया यूके में संबंधित मूल कंपनी/बैंक की कारपोरेट संरचना पर तथा उन परिवर्तनों और संशोधनों पर निर्भर करेंगे जो मूल कंपनी/बैंक दायराबद्ध करने की आवश्यकताओं के अधीन लाना चाहती है। भारतीय परिचालनों के निहितार्थ इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि भारतीय शाखाएं यूके में बैंकिंग संस्था की दायराबद्ध या गैर-दायराबद्ध संस्था का हिस्सा है या नहीं और कारोबारी स्थान परिवर्तन कैसे किया जाता है।

सामान्य रूप से, दायराबद्ध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनर्गठन प्रक्रिया जटिल हो सकती है तथा बैंकिंग समूहों के लिए उसकी प्रशासनिक लागत हो सकती है। दायराबद्ध बैंकों के ग्राहकों की सिफारिशों के निहितार्थ हो सकते हैं क्योंकि पुनर्गठन की लागत और उच्चतर हानि-सहने की पूंजी की आवश्यकताओं के कारण सेवा की लागत बढ सकती है।

का सुझाव दिया है। प्रस्तावों में उपभोक्ता संरक्षण, समाधान के लिए एक प्रतिबद्ध तथा एकीकृत प्राधिकरण, अंतर-विनियामक समन्वयन, विकासीय कार्य और जवाबदेही सहित विनियामकों/केंद्रीय बैंक को स्वतंत्रता प्रदान करना शामिल है। आयोग ने एक ऐसे विनियामक फ्रेमवर्क की कल्पना की है जहां विनियमित संस्थाओं के लिए अभिशासन मानदंड वित्तीय फर्म के संगठन के

रूप, जैसे कि, सहकारी संस्थाएं, निजी भारतीय फर्में, विदेशी फर्में तथा सरकारी क्षेत्र की फर्मों पर निर्भर नहीं करेंगे। जब ये सिफारिशें स्वीकार कर ली जाएंगी और कार्यान्वित कर दी जाएंगी तो बैंकिंग प्रणाली को इनमें से कुछ सिफारिशों के लिए तैयार रहना होगा।

भारत के लिए गतिशील तथा उदीयमान बैंकिंग संरचना पर चर्चा

1.9 चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर परिवर्तित हो रही है, उसका विस्तार हो रहा है और उसका विविधीकरण हो रहा है, इसलिए विविध प्रकार की ऋण तथा बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके आकार, क्षमता, योग्यता के संदर्भ में वर्तमान बैंकिंग संरचना की समीक्षा करने का समय आ गया है। वर्तमान बैंकिंग संरचना की समीक्षा करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2013-14 में यह घोषणा की गई थी कि रिज़र्व बैंक भारत में वर्तमान बैंकिंग संरचना की समीक्षा करेगा और अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति 1998 (अध्यक्षः श्री एम. नरसिंहम), वित्तीय क्षेत्र सुधार, समिति 2009 (अध्यक्षः श्री रघुराम राजन) की सिफारिशों तथा कुछ अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए एक नीतिगत चर्चा पत्र तैयार करेगा। एक नई सार्वजनिक बहस के लिए यह चर्चा पत्र अब जारी कर दिया गया है (बॉक्स I.2)

3. नीतिगत प्रतिक्रियाएं

1.10 बैंकिंग प्रणाली पर विभिन्न उभरते अंतरराष्ट्रीय और देशी कारकों के निहितार्थों को देखते हुए, वर्ष के दौरान विनियामक और पर्यवेक्षी नीतिगत प्रतिक्रियाओं का संबंध समावेशी वृद्धि प्राप्त करने के लिए बैंकों को तैयार करने के अलावा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण को कार्यान्वित करने वित्तीय संगुटों का और अधिक पर्यवेक्षण करने और विनियामकों के बीच बेहतर समन्वयन से था। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग प्रणाली में विस्तार, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, भुगतान और निपटान कार्यविधि को और अधिक मजबूत करने तथा पूंजी को सुदृढ़ करने के लिए कई सकारात्मक उपाय किए गए।

पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया की कुशलता को बढ़ाने के लिए जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण की ओर बढ़ना

1.11 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के विभिन्न प्रावधानों के अधीन रिज़र्व बैंक को भारतीय बैंकिंग प्रणाली के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व दिया गया है। हालांकि पिछले दो दशकों में बैंकिंग परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, लेकिन सीएएमईएलएस[3] फ्रेमवर्क पर आधारित रिज़र्व बैंक के भीतर पर्यवेक्षी संसाधनों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पर्यवेक्षी उत्तरदायित्वों तथा उपलब्ध संसाधनों के बीच एक विसंगति पैदा हो गई है जिसके कारण बैंक पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और संगठनात्मक ढांचे का युक्तिकरण करना आवश्यक हो गया है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, अब तक के सीएएमईएलएस से परे हटकर जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण की ओर झुकाव देखने में आया है। सीएएमईएलएस मुख्यतया एक स्कोरकार्ड पर आधारित दृष्टिकोण है जो एक प्रतीगामी कार्यविधि है और समय अंतराल के बाद लेनदेन की जांच करने वाला मॉडल है। दूसरी ओर, जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण एक अग्रगामी दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें बैंकों में जोखिम-निर्माण का आकलन किया जाता है। यह जोखिम के आधार पर कुछ अधिक कुशल आबंटन के द्वारा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण पर्यवेक्षी संसाधनों को भी बचाता है।

1.12 उच्च-स्तरीय संचालन समिति के सुझावों के आधार पर सिद्धांतों और दृष्टिकोण के आधार पर और भारतीय बैंकिंग प्रणाली की विशिष्टता को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के अधीन पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया है। चरण I के एक भाग के रूप में, 2013-14 से 29 बैंक जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के अधीन आ गए हैं जिनके पास भारतीय

[3] कैपिटल ऐडिक्वेसी, ऐसेट क्वालिटी, मैनेजमैंट, अर्निंग्स, लिक्विडिटी तथा सिस्टम्स एण्ड कंट्रोल (सीएएमईएलएस)

बॉक्स : I.2
भारत में बैंकिंग संरचना - भावी दिशा

यह माना जाता है कि भारत की वर्तमान बैंकिंग संरचना काफी व्यापक है और अर्थव्यवस्था की ऋण और बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करती रही है। तथापि, 1991 से, भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार और संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आर्थिक संरचना में काफी विविधता आई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने के लिए अर्थव्यवस्था खुल रही है। यदि वास्तविक अर्थव्यवस्था गतिशील है तो बैंकिंग प्रणाली को बदलते परिवेश में लचीला और प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से, विभिन्न उद्देश्यों तथा अर्थव्यवस्थाओं की विभिन्न संरचना की मांग पूरी करने के लिए वर्तमान बैंकिंग संरचना के आकार और शक्तियों में विस्तार की आवश्यकता और गुंजाइश है।

वर्तमान बैंकिंग संरचना को और अधिक गतिशील बैंकिंग संरचना में परिवर्तित करने की बात उठने के बहुत से कारण हैं। यह महसूस किया गया है कि बैंकिंग संरचना का आकार और क्षमता बढ़ाने के लिए संभावना है। बैंकिंग संरचना की आउटरीच को बढ़ाने की भी अत्यावश्यकता है। अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने के साथ बैंकों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने में कई कमियां हैं। इन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। वृद्धिशील और गतिशील अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी विशिष्टताप्राप्त और नई बैंकिंग संस्थाओं की भी आवश्यकता है। एक ऐसे गतिशील बैंकिंग संरचना की ओर अग्रसर होने के उद्देश्य से, जो इन बहुविध कार्यों को कर सके, चर्चा पत्र ने सुझाव दिए हैं:

- प्रणाली में प्रतियोगिता बढ़ाने, नए विचारों तथा विविधता लाने के लिए ब्लॉक लायसेंसिंग के स्थान पर 'मांग के अनुसार प्राप्य' (ऑन टैप) लायसेंसिंग दृष्टिकोण अपनाना।
- बड़े बैंकों के हानिकारक प्रभावों से निपटने के लिए प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण देशी बैंक ढांचा तैयार करना।
- देशी बैंकिंग क्षेत्र में प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए तथा जटिल संरचनाओं से बचने के लिए बड़े सरकारी और निजी बैंकों को समेकित करके (स्वेच्छा के आधार पर) तीन या चार वैश्विक स्वरूप वाले बैंकों की स्थापना करना।
- विभेदीकृत लायसेंसिंग के माध्यम से विशेषीकृत बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों को उच्च सेगमेंट की अनुमति प्रदान करना।
- निवेश बैंकों/निवेश बैंकिंग गतिविविधियों को प्रोत्साहित करना।
- बैंक रहित और बैंकों की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों तक पहुंचने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पाने के लिए स्तरबद्ध संरचना के निचले स्तर के छोटे बैंक उचित उपाय हो सकते हैं।
- प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए अधिक तीव्रता के साथ विनियामक और पर्यवेक्षी शासन पद्धति को मजबूत बनाना।
- स्तर-आधारित परिकल्पित संरचना को सहायता प्रदान करने के लिए ऋण बीमा और समाधान की दक्ष प्रणाली को प्रारंभ करना।
- आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों अथवा स्थानीय/छोटे बैंकों को वाणिज्य बैंकों में परिवर्तित करना।
- प्रतिस्पर्धा और वित्तीय स्थिरता के लिए उनके अनुषंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी बैंकों की संख्या में वृद्धि करना।
- बैंकिंग संरचना के आकार और क्षमता का विस्तार करना जिससे अनेक प्रकार के ग्राहकों द्वारा ऋण और विभिन्न सेवाओं की विविध मांगों से निपटने में बैंकिंग प्रणाली की योग्यता का विस्तार हो।

चर्चा पत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और प्रणाली में नए विचार और विविधता लाने के लिए ब्लाक लाइसेंसिंग दृष्टिकोण के बजाय आन टैप लाइसेंसिंग, बड़े बैंकों की नकारात्मक बाह्यताओं का सामना करने के लिए देशी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक फ्रेमवर्क कार्यान्वित करने का सुझाव दिया गया है।

बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों का लगभग 66 प्रतिशत भाग है। बैंकों को पर्यवेक्षकों द्वारा बैंकों से जोखिम लेने, बाजार से संबद्ध और कुशल अंतरण मूल्य कार्यविधि, प्रभावशाली कारोबार लाइन मैपिंग, जोखिम-आधारित मूल्यन और जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मूलभूत सुविधाओं जैसी न्यूनतम अपेक्षाओं के बारे में भी सूचित किया गया है। इस संदर्भ में, बैंकों को जोखिम आधारित पर्यवेक्षण सहजता से अपनाने के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी करनी चाहिए।

बेहतर सीमापारीय पर्यवेक्षण और सहयोग के लिए नीतिगत पहल

1.13 भारतीय बैंकों के सीमापारीय परिचालन तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए, सहमति ज्ञापन के जरिए ''होम'' तथा ''होस्ट'' के बीच संबंध को औपचारिक करना रिज़र्व बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल बन गया है। इस संदर्भ में, रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षी सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए विदेशी विनियामकों के सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

1.14 रिज़र्व बैंक ने 16 विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ सहमति ज्ञापन निष्पादित किए हैं। इसके अतिरिक्त, 28 अन्य विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ प्रस्ताव सहमति ज्ञापन के पारस्परिक रूप से सहमत फार्मेट के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज[4] स्थापित किए हैं। आशा है कि ये कॉलेज समेकित पर्यवेक्षण के प्रमुख साधन के रूप में, विशेषकर विदेशों में भारतीय बैंकों के बढ़ते पदचिह्नों को देखते हुए, सामने आएंगे

वित्तीय संगुटों का पर्यवेक्षण बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

1.15 एफएसडीसी को दिया गया एक अधिदेश - अर्थव्यवस्था का स्थूल-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण करना है जिसमें बड़े वित्तीय संगुटों का कामकाज भी शामिल है। इस संदर्भ में, वित्तीय संगुटों के पर्यवेक्षण और अंतर-विनियामक फोरम (आईआरएफ) निगरानी के लिए 'लीड रैग्युलेटर' सिद्धांत की भांति एक संस्थागत ढांचा स्थापित किया गया है।

1.16 पहचाने गए वित्तीय संगुटों के समेकित पर्यवेक्षण के लिए आवधिक समन्वयन के लिए एक संस्थागत कार्यविधि की स्थापना के लिए, एफएसडीसी की उप-समिति के तत्वावधान में डेटा/सूचना शेयर करने और अन्य सहयोग-व्यवस्थाएं जैसे कि समन्वित निरीक्षण और वसूली तथा समाधान की योजना की व्यवस्थाओं को औपचारिक रूप देने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए तथा पीएफआरडीए द्वारा हस्ताक्षर किए गए। वित्तीय संगुटों की पहचान करने के मानदंडों और 2012 के लिए उनके वित्तीय संकेतकों के आधार पर, आईआरएफ ने निगरानी के लिए 12 वित्तीय संगुटों की पहचान की है जिसमें प्रत्येक की बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार, पेंशन फंड तथा गैर-बैंकिंग वित्त क्षेत्रों में दो या अधिक बाजार खंडों में उल्लेखनीय उपस्थिति है। चिह्नित 12 वित्तीय संगुटों में से पांच वित्तीय संगुटों के लिए रिज़र्व बैंक प्रमुख विनियामक है। चार का विनियामक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) है तथा 3 वित्तीय संगुटों का विनियामक सेबी है।

वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए सुनियोजित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण

1.17 रिज़र्व बैंक कई प्रकार की रणनीतियां अपना कर वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाता रहा है जिसमें ग्राह्य और मापनीय वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए नए उत्पाद तथा अन्य सहायक उपाय शामिल हैं। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए एक बैंक - अग्रणी (बैंक-लेड) मॉडल अपनाया है जिसमें प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर दिया जाएगा। वित्तीय समावेशन के अधीन एक सुनियोजित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाया गया जिसमें सभी बैंकों को तीन वर्ष की अवधि के लिए (2010-2013) अपनी कारोबारी रणनीतियों और तुलनात्मक लाभ के अनुरूप अपने बोर्ड से अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजनाएं बनाने के लिए कहा गया। इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर रिज़र्व बैंक द्वारा सूक्ष्म निगरानी रखी गई। वित्तीय समावेशन को यूनिवर्सल एफआई के स्तर पर लाने के लिए, जिसमें सभी पात्र व्यक्तियों के पास लेनदेन वाले खाते होंगे, बैंकों को 2013-16 के लिए वित्तीय समावेशन योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया, जो अब बैंकों द्वारा प्रस्तुत कर दी गई हैं। बैंकों को सूचित किया गया है कि उनके द्वारा तैयार की गई वित्तीय समावेशन योजनाओं को अलग-अलग कर लिया जाए और शाखा स्तर तक लाया जाए ताकि एफआई प्रावधानों में स्थानीय स्तर के अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चत की जा सके और वित्तीय समावेशन योजना के अधीन रिपोर्टिंग संरचना में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नए बैंक लाइसेंस जारी करना

1.18 एक गतिशील वास्तविक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग प्रणाली के विकास की जरूरत होती है। बैंकों की संख्या बढ़ाने से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उससे लागत कम होगी और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 'निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस' देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उसे निजी क्षेत्र में नए बैंक लाइसेंसों के लिए

[4] ''पर्यवेक्षी कॉलेज'' का अभिप्राय उन संबंधित पर्यवेक्षकों से है जो किसी अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह के निरंतर आधार पर प्रभावी समेकित पर्यवेक्षण को बढ़ाने के सम्मिलित प्रयोजन के लिए गठित किए जाते हैं।

26 आवेदन प्राप्त हुए हैं। रिज़र्व बैंक पारदर्शिता और सावधानी के सर्वोच्च मानकों के अनुरूप शीघ्र ही नए बैंक लाइसेंस जारी करेगा।

एक सुनियोजित और कुशल भुगतान और निपटान प्रणाली की रूपरेखा

1.19 रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणालियों में सुधार के लिए व्यापक नीतियां तैयार करता है। इस संदर्भ में, 1 अक्तूबर 2012 को जारी 'भारत में भुगतान प्रणालियां-विज़न 2012-15' नामक विजन दस्तावेज में देश के लिए अगले तीन वर्ष में सुरक्षित, कुशल, उपलब्ध, समावेशी, परस्पर-परिचालनीय तथा प्राधिकृत भुगतान और निपटान प्रणालियाँ उपलब्ध कराने के लिए रणनीति की रूपरेखा दी गई है (बॉक्स I.3)

पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूंजी प्रदान करना

1.20 भारत में बासेल III पूंजी विनियमन चरणबद्ध रूप में 1 अप्रैल 2013 से कार्यान्वित किया गया और 31 मार्च 2018 को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाएगा। ये मानदंड पूंजी आधार की गुणवत्ता, समरूपता और पारदर्शिता पर अधिक ध्यान और महत्व देते हैं। रिज़र्व बैंक ने मार्च 2018 तक देशी बैंकों के लिए पूरे बासेल III कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है। ये अनुमान मोटे तौर पर दो धारणाओं पर आधारित हैं:

(i) जोखिम आधारित आस्तियों में प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि; और

(ii) जोखिम आधारित आस्तियों का 1 प्रतिशत आंतरिक उपचय।

1.21 अनुमानों से पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ₹4.15 ट्रिलियन की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी जिसमें से इक्विटी पूंजी ₹1.4-1.5 ट्रिलियन होगी, जबकि गैर-इक्विटी पूंजी ₹2.65-2.75 ट्रिलियन होगी। एक प्रमुख हिस्सेदार होने के नाते, सरकार इन बैंकों को पूंजी प्रदान करती रही है। पिछले पांच वर्ष में, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ₹477 बिलियन की राशि प्रदान की है। 2013-14 के दौरान सरकार सरकारी क्षेत्र के बेंकों को ₹140 बिलियन की पूंजी प्रदान करेगी। इन बैंकों में सरकार की वर्तमान शेयरधारिता 55 प्रतिशत से 82 प्रतिशत के बीच है। इस प्रकार, सरकारी क्षेत्र के कई बैंकों में सरकार अपना हिस्सा कम कर सकने की स्थिति में है।

बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता

1.22 2012-13 के दौरान सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए एनपीए अनुपात, (विशेषकर गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के लिए) कमजोर हुए। हालांकि आस्तियों की गिरती गुणवत्ता का प्रमुख कारण देशी आर्थिक मंदी होना था, लेकिन सांविधिक अनुमोदन तथा अन्य अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब तथा बैंकों द्वारा ऋण मूल्यांकन/निगरानी में शिथिलता भी काफी महत्वपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में ऋण का संकेन्द्रण तथा कंपनियों के बीच उच्चतर लीवरेज ने भी आस्ति गुणवत्ता पर दबाव बढ़ा दिया। हाल ही के वर्षों में कंपनी ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया के अधीन भी पुनर्गठित ऋण की राशि में तीव्र वृद्धि हुई है। आने वाले समय में बैंकों की पहले ही से दबाव गस्त आस्ति गुणवत्ता पर इसका असर पड़ेगा।

1.23 बैंकों की ऋण निगरानी प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने उन्हें सूचित किया कि वे संकट के संकेतों की समय रहते पहचान करने के लिए एक मजबूत कार्यविधि स्थापित करें और इन चेतावनी संकेतों का प्रयोग एक प्रभावकारी निवारक आस्ति गुणवत्ता प्रबंध फ्रेमवर्क बनाने के लिए करें। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया है कि उधारदाताओं के बीच सूचना शेयर करने की कार्यविधि को मजबूत करें। ऐसा ऋण मंजूर करने से पहले बैंकों के लिए उधार लेने वालों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना/शेयर करना अनिवार्य बनाया जाएगा। यह आशा है कि यदि जीडीपी संवृद्धि दर में वृद्धि के साथ-साथ सरकार की मंशा/प्रयत्नों के कारण तथा बैंकों के वसूली प्रयत्नों के कारण प्रोजेक्ट कार्यान्वयन में सुधार होकर स्थिति में सुधार आ सकता है।

4. भावी दिशा

1.24 आगामी वर्षों में यह आशा है कि बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक साधनों में एक और बड़ी भूमिका निभाएंगे। इस संदर्भ में कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नानुसार हैं:

एनपीए में प्रभावी कमी और ऋण वसूली प्रक्रिया में सुधार

1.25 बैंकों की आस्ति गुणवता उनकी वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, यह उनके ऋण जोखिम प्रबंधन और वसूली

बॉक्स I.3 : भुगतान और निपटान प्रणालियों के संबंध में विज़न डाक्यूमैंट 2012-15 की मुख्य-मुख्य बातें

हाल ही के वर्षों में इलैक्ट्रॉनिक भुगतानों की वृद्धि उल्लेखनीय रही है। तथापि, आधुनिक भुगतान प्रणालियों के लाभ समाज के सभी वर्गों के बीच और देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच समान रूप से वितरित नहीं हैं। भुगतान के अनेक इलैक्ट्रॉनिक तरीके उपलब्ध होने के बावजूद, देश के बहुत बड़े हिस्से में नकदी को अभी भी वरीयता दी जाती है और यह सबसे प्रमुख तरीका है। इस पृष्ठभूमि में, विज़न डाक्यूमैंट 2012-2015 का उद्देश्य है कम नकदी/कम कागज वाला समाज हो, जिसमें इलैक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों तथा सेवाओं पर अधिक बल दिया जाए, विशेषकर उन लोगों द्वारा जो इन उत्पादों का उपयोग नहीं करते। कम नकदी और समावेशन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक मजबूत भुगतान प्रणाली का होना आवश्यक है। इसलिए ''वर्तमान उद्देश्य के लिए उचित'' को बदल कर ''भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार'' भुगतान प्रणाली एवं मूलभूत सुविधा तैयार की जानी होंगी।

विज़न डाक्यूमैंट में निम्नलिखित उपायों के द्वारा भुगतान के इलैक्ट्रॉनिक साधनों और समाज द्वारा नकदी के उपयोग को कम करने का प्रस्ताव है:

(i) सक्रिय रूप से इलैक्ट्रॉनिक भुगतानों को बढ़ाना,

(ii) ऐसे नीतिगत दिशानिर्देश विकसित करना जो साम्यिक, एकसमान तथा जोखिम-आधारित हों,

(iii) प्रणालियों और मानव संसाधनों और *गीरो* भुगतानों के माध्यम से मानकीकरण और क्षमता निर्माण से भुगतानों की कुशलता बढ़ाना,

(iv) मानक स्थापित करने के लिए एक निकाय बनाना,

(v) हिस्सेदारों के साथ निरंतर बातचीत करके भुगतान प्रणालियों के जोखिमों पर कार्रवाई करना और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना,

(vi) भुगतान प्रणाली साक्षरता संबंधी पहल करके पहुंच तथा समावेशन को बढ़ाना,

(vii) सरकारी भुगतानों और प्राप्तियों को इलैक्ट्रॉनिक साधन से करने के लिए सुविधाजनक बनाना,

(viii) पूर्वप्रदत्त लिखतों, इलैक्ट्रॉनिक बैनिफिट ट्रांस्फर, उपदानों के प्रत्यक्ष अंतरण और ई-कामर्स को बढ़ाना,

(ix) ऑफ-साइट निगरानी के माध्यम से भुगतान प्रणालियों के सहज परिचालन सुनिश्चित करना, खुदरा भुगतानों का आवश्यकता पर आधारित निरीक्षण करना और वित्तीय बाजार मूलभूत सुविधाओं (एफएमआई) का वार्षिक निरीक्षण करना तथा

(x) नए अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

विज़न वक्तव्य में एक आधुनिक भुगतान तथा निपटान प्रणाली के लाभ सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें नवोन्मेषी उत्पाद, वर्तमान में लक्ष्यबद्ध समूहों से अधिक लोगों तक पहुंचना ताकि बेहतर वित्तीय समावेशन प्राप्त किया जा सके। एक ऐसी भुगतान प्रणाली तैयार करके इसे प्राप्त किया जा सकता है जो देश की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करती हो।

परिवेश के प्रभाव को भी दिखलाता है। वर्ष के दौरान बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट हुई और बैंकिंग प्रणाली की कुल दबावयुक्त आस्तियों में वृद्धि हुई (अर्थात् एनपीए+पुनर्गठित आस्तियां)। बैंकों को न केवल रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा खराब ऋणों के समाधान और वसूली के लिए किए गए विभिन्न उपायों को अपनाना है बल्कि अपनी सतर्कता, ऋण मूल्यांकन और ऋण मंजूरी के बाद की निगरानी प्रणालियों को भी सुदृढ़ करना है ताकि बढ़ते एनपीए को न्यूनतम रखने और उन्हें कम करने का काम किया जा सके। वसूली प्रणाली के प्रभाव में सुधार लाने की आवश्यकता है। वसूली का ध्यान कुशलता और निष्पक्षता पर होना चाहिए। अनर्थक्षम आस्तियों को नए उपयोगों के लिए नियोजित करते समय और कर्मचारियों को ठीक प्रकार से मुआवज़ा देते समय भी अन्तर्निहित आस्तियों और नौकरियों को जहां संभव हो बचाते हुए ऐसा किया जाना चाहिए लेकिन संविदागत प्राथमिकताओं को भी पूरा किया जाना चाहिए। इस संबंध में, ऋण वसूली प्राधिकरणों और आस्ति पुनर्गठन कंपनियों के काम को तेजी से आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। ऋण संबंधी आकड़ों को इकट्ठा करने और बैंकों के बडे साझे ऐक्सपोजर की जांच करने की आवश्यकता है। इससे बड़े ऋणों के संबंध में एक केंद्रीय निक्षेपागार बनेगा, जिसे बैंक साझा कर सकते हैं। बदले में इससे बैंक लीवरेज और साझे एक्सपोजर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह वित्तीय फर्मों के लिए एक उन्नत समाधान ढांचे की स्थापना करने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। यदि भविष्य की ओर देखें तो रिज़र्व बैंक इन मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देगा।

समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए बैंकों की भूमिका पर फिर से बल

1.26 निर्धन, ग्रामीण, छोटे तथा मध्यमाकार उद्योगों तथा छोटे और सीमांत व्यापारियों के लिए वित्त तक पहुंच अभी भी कठिन

है। बैंकों को एक त्वरित, व्यापक आधार वाली और समावेशी वृद्धि के लिए और अधिक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए जिससे गरीबी में तेजी से कमी आए। बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजनाओं के प्रारंभ होने के बाद से वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति का आकलन दिखलाता है कि हालांकि खोले गए खातों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है लेकिन प्रति खाता या प्रति कारोबारी-प्रतिनिधि लेनदेनों की वास्तविक संख्या लगातार निम्न बनी हुई है। लेनदेनों के निम्न स्तर मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों की अपर्याप्ताएं दिखलाते हैं। इस संदर्भ में, यह आशा है कि वित्तीय साक्षरता प्रयास जागरूकता बढ़ा कर वित्तीय प्रणाली तक पहुंच में वृद्धि करेंगे। बैंकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि लेनदेन तभी होंगे जब खाताधारकों का खाते में हित होगा और वह तभी होगा जब उद्यमी ऋण जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड/सामान्य क्रेडिट कार्ड, उपभोग आवश्यकताओं के लिए ओवरड्रॉफ्ट, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और अन्य विप्रेषण सुविधाओं जैसी बैंकिंग सेवाए उपलब्ध कराई जाएं। ये तथा अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कारोबार तथा अन्य डिलीवरी मॉडल तैयार किए जाने चाहिए और कार्यान्वित किए जाने चाहिए।

1.27 वित्तीय समावेशन के प्रयासों में प्रौद्योगिकी एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर सकती है। तथापि यह अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है कि केवल प्रौद्योगिकी पर आधारित नान फेस टू फेस चैनल एक समावेशी वित्तीय प्रणाली का निर्माण करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जहां भी संभव और अर्थक्षम हो वहां कारोबारी प्रतिनिधियों के लिए प्रक्रिया को नियंत्रित करने और जनसंख्या के वित्तीय रूप से वंचित लोगों का विश्वास और स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए बैंकों को डिलीवरी केंद्रों के रूप में अधिकाधिक पक्के आउटलेट खोलने पर विचार करना चाहिए।

बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और विकसित करने की आवश्यकता

1.28 वित्तीय सुधारों का एक प्रमुख उद्देश्य था - बैंकों को और अधिक परिचालनगत स्वतंत्रता प्रदान करके बेहतर कुशलता को बढ़ाना। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को बैंक शाखाओं को खोलने की अनुमति दे दी। नई शाखाएं खोलने का काम सभी अनुसूचित देशी वाणिज्य बैंकों के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन जिनका भलीभांति प्रबंध नहीं किया जा रहा, वे इसका अपवाद होंगे। निस्संदेह, ऐसी स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय बैंकों को शहरी क्षेत्रों में अपने विस्तार के अनुपात में कम शाखाओं वाले क्षेत्र में कुल समावेशन मानदंड का पालन करना होगा।

बैंकों के संसाधनों के पूर्वाधिकार (प्रीएम्पशन) को कम करने की निरंतर आवश्यकता

1.29 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार रिज़र्व बैंक के लिए एक अधिदेश अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रवाह सुनिश्चित कराना है। इस संदर्भ में, बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की आवश्यकता को योजनाबद्ध तरीके से कम करके केवल यह विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से आवश्यक सीमा तक कम की जानी चाहिए। यह माना जाता है कि ऐसी कमी करने से सरकार के वित्त में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, जैसे-जैसे पेंशन फंड तथा बीमा कंपनियों जैसी अन्य वित्तीय संस्थाओं की पहुँच बढ़ती जाएगी, वाणिज्य बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की आवश्यकता कम हो जाएगी।

कुशलता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का सघन प्रयोग

1.30 जनता की सुरक्षित निवेश साधनों तक बेहतर पहुंच होनी चाहिए, निधियों के अंतरण की सुविधा होनी चाहिए, खर्चीले मध्यस्थों के हस्तक्षेप के बिना सरकार से प्रत्यक्ष लाभ मिलने चाहिए और अर्थक्षम निवेश अवसरों के निधीयन की सुविधा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उपभोग आवश्यकताओं के लिए या संकटकालीन परिस्थितियों के लिए ऋण भी वांछनीय है, विशेषकर निम्न आय परिवारों के लिए। नीतिगत प्रयासों के द्वारा इन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनानी चाहिए।

1.31 राष्ट्रीय गीरो जैसी एक अखिल भारतीय बिल भुगतान प्रणाली बनाने और विकसित करने की आवश्यकता है ताकि परिवार एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के बिलों का भुगतान और निधियों का अंतरण करने के लिए बैंक खातों का प्रयोग कर सकें। 'कहीं भी कभी भी' भुगतान एक वास्तविकता बन जाना चाहिए। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में आधुनिक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध

कराने के लिए पूरे देश में बैंकेतर संस्थाओं द्वारा 'व्हाइट लेबल' विक्रय साधन और मिनि-एटीएम स्थापित करने को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

विदेशी बैंकों की संख्या बढ़ाना

1.32 भारत में विदेशी बैंकों की सहभागिता का उद्देश्य मुख्यतया प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, स्थानीय बैंकिंग प्रणाली की कुशलता में वृद्धि करना तथा उनकी परिष्कृत सेवाओं और उत्पादों को देशी बैंकों के अनुकूल बनाना है। इस समय विदेशी बैंक भारत में शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से, विदेशी बैंकों के अनुषंगीकरण का स्वागत किया जाना चाहिए। संवृद्धि की प्रक्रिया में अधिक सहभागिता के लिए भारत को विदेशी बैंकों की आवश्यकता है, लेकिन बदले में अपने स्थानीय परिचालनों पर कुछ और अधिक विनियामक और पर्यवेक्षी नियंत्रण होना महत्वपूर्ण है। पात्र विदेशी बैंकों को पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी के रूप में रूपांतरित होने, जहां उन्हें लगभग राष्ट्रीय व्यवहार मिलेगा, की नीति को प्रोत्साहित किया जाएगा।

वर्तमान बैंकिंग ढांचे का वस्तुपरक आकलन

1.33 भारत में वर्तमान बैंकिंग ढांचे के आकार और निष्पादन का वस्तुपरक आकलन आकार और बैंकों की संख्या के आधार पर वाणिज्यिक बैंकिंग में विस्तार की आवश्यकता को रेखांकित करता है और वर्तमान ढांचे में निर्णायक परिवर्तनों की आवश्यकता दिखलाता है ताकि उसके आकार,संसाधनों, कुशलता और समावेशन में संवृद्धि हो। वास्तविक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने देश में बैंकिंग ढांचे के पुनःउन्मुखीकरण के लिए चर्चा प्रारंभ की है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विस्तार होने के साथ, संवृद्धि प्रक्रिया में सहायता के लिए और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। 12 वीं पंचवर्षीय योजना की परिकल्पना के अनुसार, आर्थिक संवृद्धि की सहायता के लिए बैंकिंग कारोबार 2012[5] के लगभग ₹115 ट्रिलियन के स्तर से 2020 तक ₹288 ट्रिलियन हो जाने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में विस्तार के साथ जीडीपी की तुलना में ऋण अनुपात में संभावित वृद्धि के चलते भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में भी वृद्धि होनी चाहिए। इस का जोर जमाकर्ताओं के दृष्टिकोण से बैंकिंग ढांचे को सुरक्षित रखते हुए इसे और अधिक गतिशीलता प्रदान करने पर होना चाहिए।

लाइसेंस देने की नीतियों को उदार बनाने की आवश्यकता

1.34 विनियामकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विनियामक रुझान संस्थाओं के लिए प्रवेश संबंधी बाधाएं या उन्हें बंद करने संबंधी बाधाएं उत्पन्न न करें या अर्थव्यवस्था तथा उपभोगक्ताओं के लिए अनावश्यक लागत न हो। इसके बजाय, संस्थाओं पर विनियमन इस प्रकार से प्रतिबंध लगाए कि इससे नैतिक जोखिम उत्पन्न न हो। तदनुसार, रिज़र्व बैंक का चर्चा पत्र नए बैंकों को 'निरंतर प्राधिकार देने' के पक्ष में है और बैंकिंग प्रणाली को गतिशीलता प्रदान करने के लिए छोटे और व्यापक बैंकों के लिए विभेदीकृत लाइसेंस प्रारंभ करने की अधिक संभावना और बड़े शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्य बैंकों में परिवर्तित करने की संभावना का पता लगाता है। तथापि, यह संदेहास्पद मजबूती या सक्षमता वाले बैंकों के प्रवेश को रोकने के लिए कड़े प्रवेश मानदंड सुनिश्चित करने की आवश्यकता को कम नहीं करता क्योंकि उनके बड़े स्तर पर आ जाने से बैंकिंग प्रणाली की समग्र निष्ठा को आघात पहुंच सकता है।

1.35 संक्षेप में, उभरती विनियामक और पर्यवेक्षी संरचना का अनुपालन करने और अर्थव्यवस्था की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों के सामने कई प्रकार की चुनौतियां आएंगी। निकट भविष्य में, बैंकों को अपनी आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान देना होगा। मध्यावधि में प्रस्तावित नीतिगत परिवर्तनों से बैंकिंग प्रणाली की गतिशीलता को सुदृढ़ बनाने में और सहायता मिलेगी।

[5] बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया-द वे फार्वर्ड, डिस्कशन पेपर, भारतीय रिज़र्व बैंक, अगस्त 2013

अध्याय II

वैश्विक बैंकिंग गतिविधियां

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए मौद्रिक सुगमता के उपायों से वैश्विक बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ। अमरीका में बैंक अपने तुलनपत्रों में सुधार लाने की उन्नत अवस्था में हैं। किंतु यूरोपीय बैंकों की आस्ति गुणवत्ता संबंधी चिंता बनी हुई है। जहां उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग क्षेत्र के मूल तत्व तुलनात्मक रूप से सुदृढ़ थे, वहीं वृद्धि में गिरावट से चुनौती सामने आ सकती है। बासेल III, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (एसआईएफआई) और डेरिवेटिव सुधारों के संबंध में काफी प्रगति हुई है। आगे, वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के लिए जोखिम बना हुआ है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैश्विक ब्याज दर चक्र का ऊर्ध्वमुखी हो जाना है जब फेड ने अपना मात्रात्मक सुगमता कार्यक्रम छोड़ दिया जिससे ऋण जोखिम में वृद्धि हो गई। बैंकों द्वारा उनके तुलनपत्रों में सुधार का कार्य शीघ्र पूरा होना और विनियामक सुधारों को लागू करने से मध्यावधि में बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता मजबूत होगी।

1. परिचय

2.1 वर्ष 2012 में वैश्विक अर्थव्यवस्था मंद गति से बढ़ी जो कि यह दर्शाती है कि वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव पूर्णत: समाप्त नहीं हुआ था। वैश्विक वृद्धि 2012 में कम होकर 3.2 प्रतिशत रह गई जो कि 2011 में 3.9 प्रतिशत थी (चार्ट II.1)। 2013 का पूर्वानुमान दर्शाता है कि वैश्विक वृद्धि की मंद गति बनी रहेगी। आईएमएफ की वैश्विक आर्थिक संभावना के अनुसार 2013 में वैश्विक वृद्धि और कम होकर 2.9 प्रतिशत रह जाएगी।

चार्ट II.1 वैश्विक समष्टि-आर्थिक प्रवृत्तियाँ

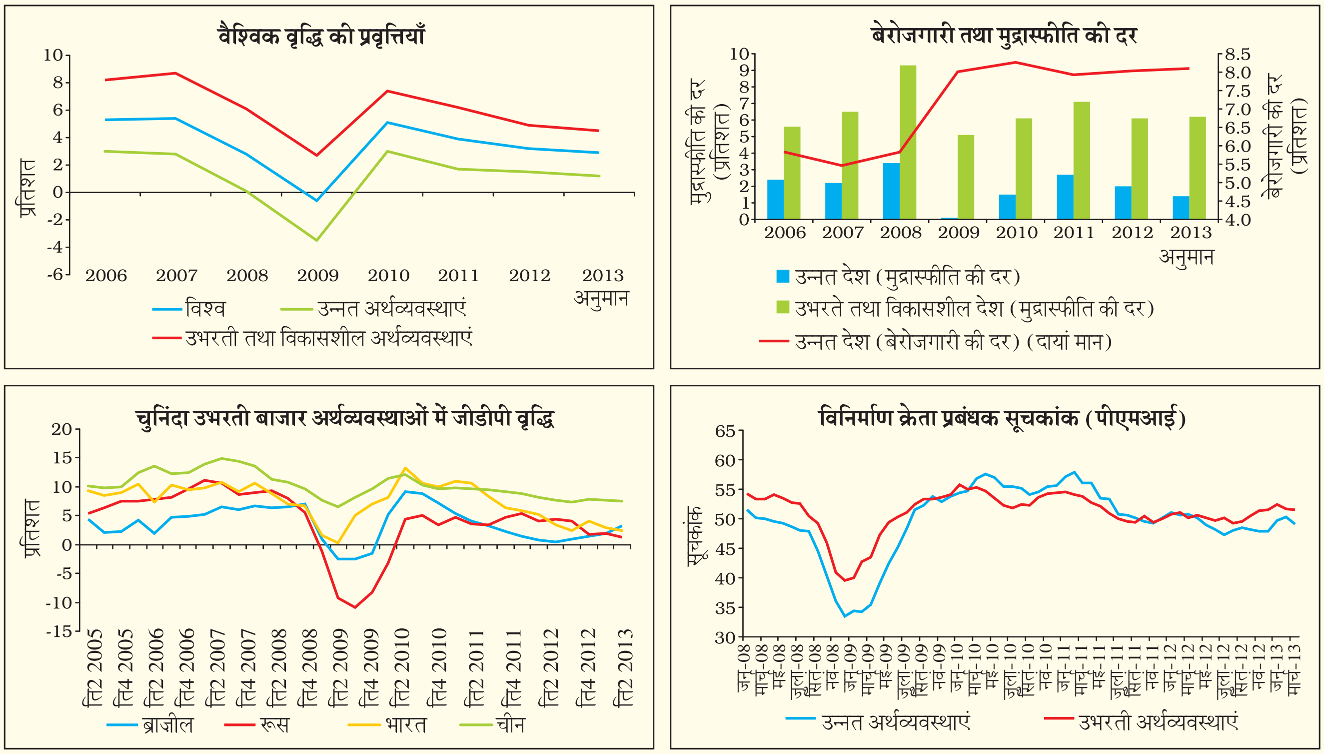

स्रोत: वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और थॉमसन रायटर्स डाटा स्ट्रीम।

यह मंद वैश्विक अनुमान काफी हद तक अनेक उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि और यूरो क्षेत्र में मंद सुधार से प्रभावित था।[1]

2.2 इस वैश्विक समष्टिआर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि में, अध्याय 2 में चुनिंदा उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बैंकिं ग कार्य और सुदृढ़ता के प्रमुख संकेतकों का उपयोग करके वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के कार्य निष्पादन का विश्लेषण किया गया है। अध्याय 3 में चुनिंदा उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग प्रणाली के कार्य निष्पादन का विश्लेषण किया गया है। अध्याय 4 में प्रमुख वैश्विक उपस्थिति वाले शीर्ष 100 बैंकों के निष्पादन का विश्लेषण किया गया है। अगले भाग में वर्ष के दौरान वैश्विक बैंकिंग प्रणाली संबंधी प्रमुख विनियामक और पर्यवेक्षी नीतिगत पहलों को दर्शाया गया है। अंतिम अध्याय में 2014 के लिए वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र का समग्र आकलन और संभावना प्रस्तुत की गई है।

2. वैश्विक बैंकिंग प्रवृत्ति

2.3 वैश्विक रूप से, बैंक अपनी स्थिति और पूंजी अनुपात सुधारने के प्रयास निरंतर करते रहे, हालांकि देशवार उनकी गति में अंतर था। 2012 के उत्तरार्ध और 2013 में अब तक वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की निधीयन लागत में सुधार हुआ जिसका आधार उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों द्वारा मात्रात्मक सुगमता के लिए किए गए प्रयास था। वैश्विक स्तर पर विनियामक सुधारों को लागू करने के लिए बैंकों को अपनी आस्ति गुणवत्ता में और अधिक सुधार करना आवश्यक होगा। कम-से-कम उन बैंकों , जो कि ठइतने विशाल हैं कि जो विफल नहीं हो सकतेड के लिए उनके कारोबार के मिश्रण को युक्तियुक्त बनाना अनिवार्य है क्योंकि विनियमन के अनुसार उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे अपनी मूल वाणिज्यिक बैंकिं सेवाओं को निवेश कार्यों से सुरक्षित रखें।

2.4 वैश्विक ऋण की वृद्धि बहुगतीय थी। अमरीका और कुछ उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के बैंकों के आस्ति पर प्रतिलाभ (आरओए) में सुधार हुआ किंतु यूरोपीयन देशों में यह कम हो गया। चुनिंदा क्षेत्रों और देशों में बैंकिंग की प्रवृत्ति के विश्लेषण से पता चलता है कि अमरीका के बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ किंतु यूरो क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति निरंतर दुर्बल बनी रही। यूरो क्षेत्र के देशों में बैंकों की वित्तीय स्थिति संबंधी चिंता भी बनी रही। यूके के बैंकों ने अपने पूंजी अनुपात में सुधार किया किंतु यूरो क्षेत्र के प्रति उनका जोखिम चिंता का मामला बना रहा।

2.5 शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों के निष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि वैश्विक बैंकिंग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का हिस्से में निरंतर वृद्धि हुई है जिसमें चीन के एक बैंक (इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना) ने वैश्विक बैंकिंग रेटिंग में शीर्ष स्थान दर्ज किया। वैश्विक नीतिगत सुधारों के संबंध में, बासेल III, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं (एसआईएफआई) और डेरिवेटिव बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में नियमों की संरचना में कुछ प्रगति हुई है।

क्षेत्रों के बीच ऋण वृद्धि में अंतर

2.6 अर्थव्यवस्थाओं के वृद्धि निष्पादन में भिन्नता दर्शाते हुए अर्थव्यवस्थाओं के बीच ऋण वृद्धि में भी असमानता दिखी (चार्ट II.2)।

आस्तियों पर प्रतिलाभ में संमिश्र प्रवृत्ति दिखी

2.7 आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए), जो कि बैंकिंग प्रणाली की लाभप्रदता का एक संकेतक है, में अर्थव्यवस्थाओं के बीच भिन्नता की प्रवृत्ति दिखी। सामान्यत: ईएमडीई ने 2012 में भी आरओए का उच्च स्तर बनाए रखा (सारणी II.1)।

मात्रात्मक सुगमता (क्यूई) के उपायों के चलते वित्तीय दबाव कम हो गया

2.8 स्पेन में बैंक संकट और ग्रीस में राजनैतिक अस्थिरता के कारण 2012-13 की दूसरी तिमाही में बदतर हो गई वित्तीय

[1] वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक, आईएमएफ, अक्तूबर 2013

चार्ट II.2: बैंक की ऋण वृद्धि का त्रैमासिक चल औसत (प्रतिशत में)

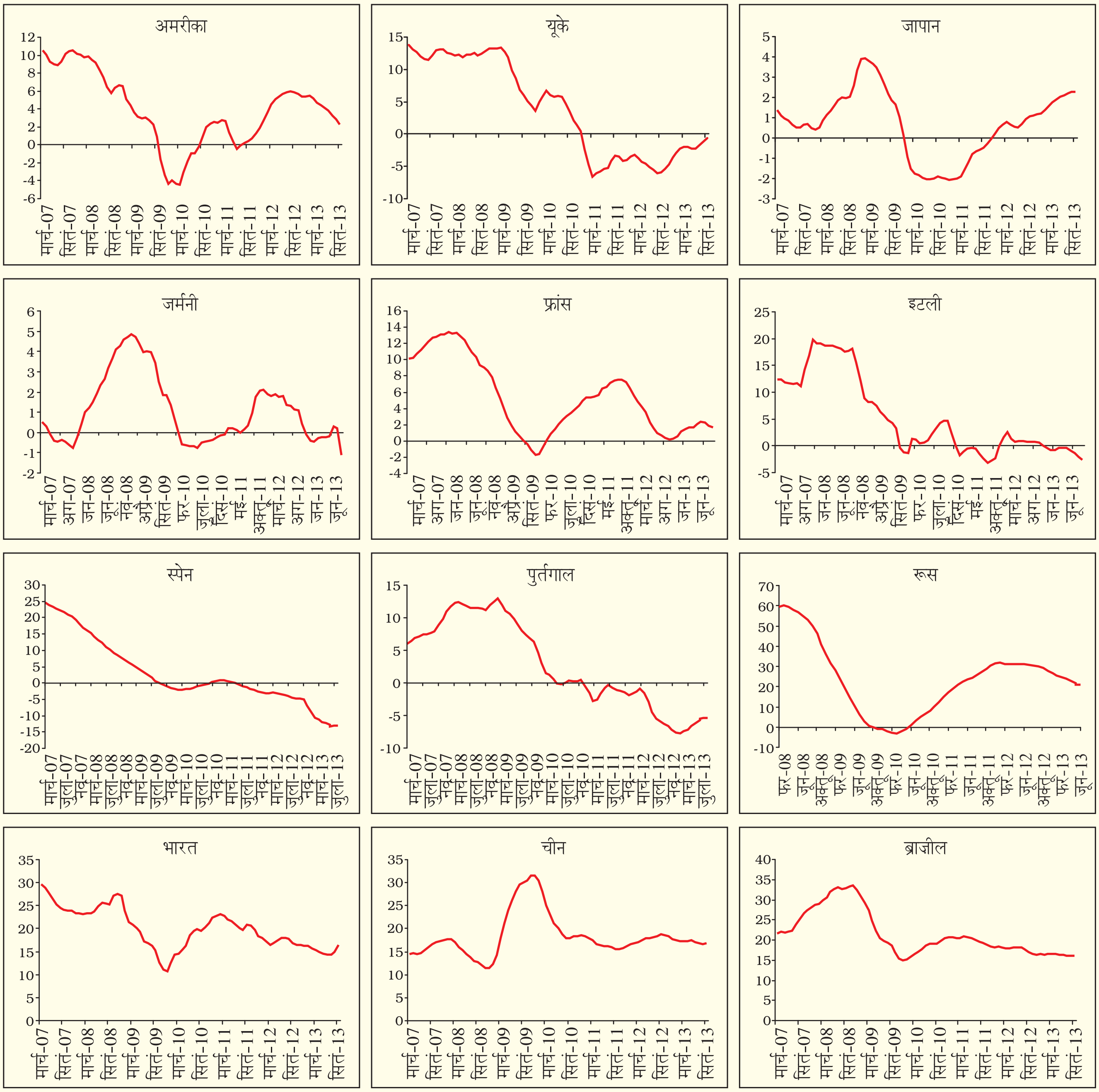

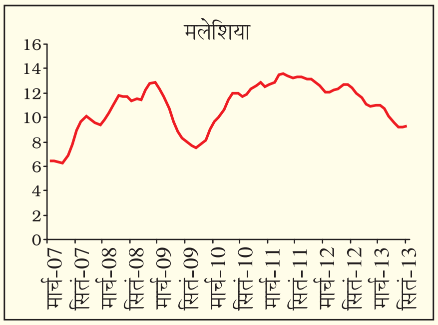

टिप्पणी: 1. सभी देशों की वृद्धि दरें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मासिक रूप में हैं जिन्हें त्रैमासिक चल औसत पद्धति का उपयोग करके सरल बनाया गया है।

2. जर्मनी, रूस, स्पेन, यूके, फ्रांस, इटली तथा पुर्तगाल के मामले में बैंक क्रेडिट का तात्पर्य निजी क्रेडिट से है। अन्य सभी देशों में इसका तात्पर्य कुल बैंक क्रेडिट से है।

3. वृद्धि के परिकलन के लिए उपयोग किये गये क्रेडिट के आंकड़े उन मुद्राओं में हैं जिस रूप में संबंधित देशों ने रिपोर्ट की है।

4. रूस के आंकड़े केवल दिसंबर 2006 से उपलब्ध हैं।

स्रोत: थॉमसन रायटर्स डेटास्ट्रीम से संकलित।

सारणी II.1: चुनिंदा देशों के बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ

(प्रतिशत)

देश	2007	2008	2009	2010	2011	2012
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं						
फ्रांस	...	0.1	0.3	0.6	0.4	0.3
जर्मनी	0.3	-0.1	0.2	0.4	0.5	0.4
ग्रीस	1.0	0.9	0.4	0.0	-9.5	-1.8
इटली	0.8	0.3	0.3	0.3	-0.9	0.1
जापान	0.5	0.3	-0.2	0.2	0.3	0.3
पुर्तगाल	1.2	0.3	0.4	0.5	-0.3	-0.3
स्पेन	1.1	0.8	0.6	0.5	0.1	-1.4
यूनाइटेड किंगडम	0.4	-0.1	0.0	0.3	0.3	0.3
अमरीका	1.2	-0.1	0.2	0.9	1.2	1.4
उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं						
रूस	3.0	2.1	0.7	2.0	2.5	2.4
चीन	0.9	1.0	0.9	1.1	1.3	1.3
भारत	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
मलेशिया	1.5	1.5	1.2	1.5	1.5	1.6
ब्राजील	3.5	2.1	1.7	1.9	1.7	1.4
मेक्सिको	2.3	1.4	1.5	1.8	1.5	1.8

टिप्पणी: .... उपलब्ध नहीं

2012 के आंकड़े इटली के लिए जून से संबंधित हैं।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों से संकलित।

स्थिति में बाद में काफी सुधार हुआ जिसका कारण उन्नत केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए मात्रात्मक सुगमता के उपाय थे (चार्ट II.3)। यूएस फेडरल रिज़र्व ने ''ओपन एंडेड'' मात्रात्मक सुगमता (क्यूई-3) कार्यक्रम शुरू किया जबकि यूरोपीयन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने तत्काल मौद्रिक लेनदेन (ओएमटी) कार्यक्रम शुरू किया। किंतु कम ब्याज दरों की दीर्घ अवधि और केंद्रीय बैंक आस्तिक्रय कार्यक्रम छोड़ने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जिससे वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम बढ़ सकता है (बाक्स II.1)।

बेहतर निधीयन स्थिति से बैंक स्टॉक में सुधार के संकेत मिले हैं

2.9 बैंक स्टॉक के संकेतकों में, विशेष रूप से 2012-13 की दूसरी छमाही में, वृद्धि हुई क्योंकि वित्तीय सुगमता से बैंकों के

चार्ट II.3: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं का सरकारी और बैंक सीडीएस स्प्रेड

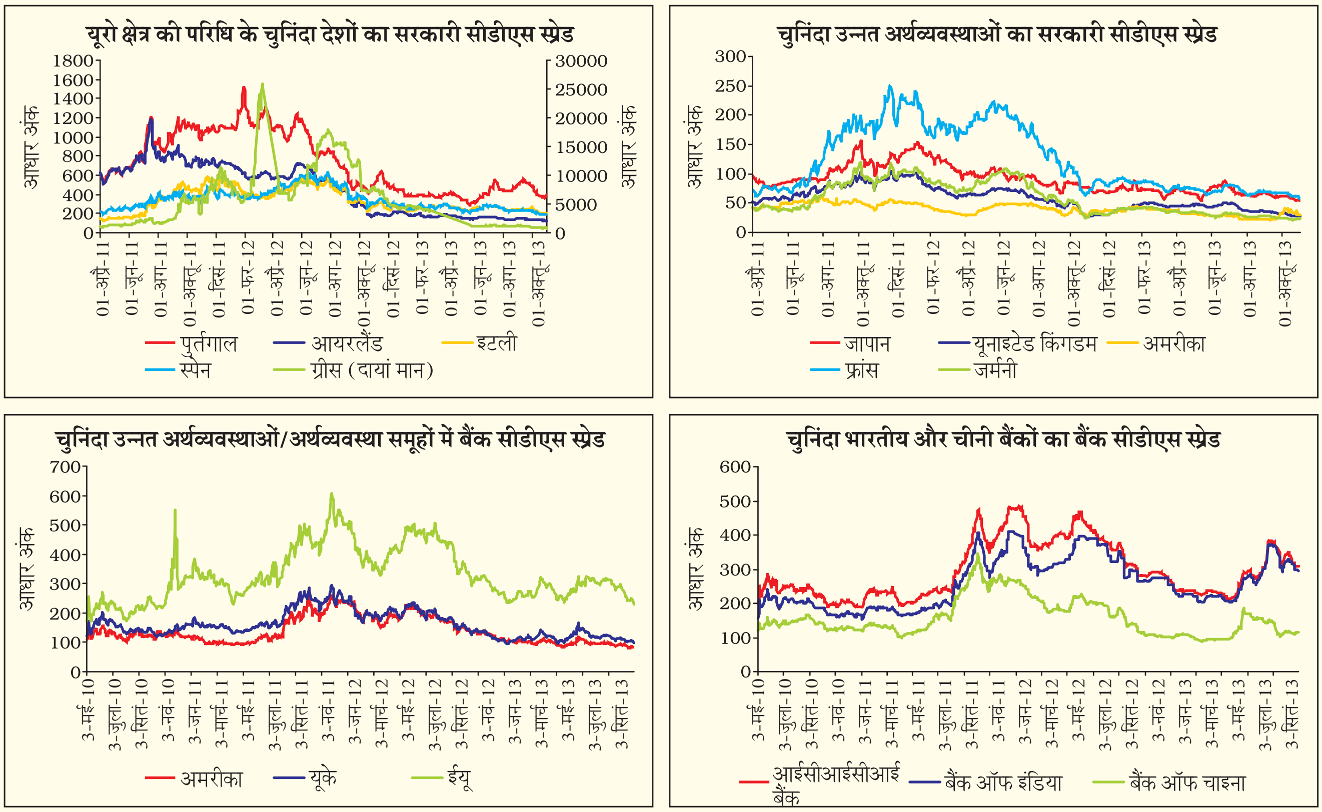

टिप्पणी: सरकारी स्प्रेड 5-वर्षीय सीनियर सीडीएस के लिए है जबकि बैंकों का स्प्रेड 5-वर्षीय सीडीएस के लिए है।

स्रोत: सरकारी स्प्रेड के लिए ब्लूमबर्ग और बैंकों के स्प्रेड के लिए थॉमसन रायटर्स, डेटास्ट्रीम।

बॉक्स II.1:
प्रमुख केंद्रीय बैंकों में अपारंपरिक मौद्रिक नीति संबंधी वित्तीय स्थिरता जोखिम

वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय बाजारों के कामकाज को बहाल करने के लिए बहुत कम ब्याज दरें, मात्रात्मक सुगमता (क्यूई), दीर्घावधि चलनिधि प्रावधान तथा निजी आस्ति खरीद जैसे बहुत से अपारंपरिक उपाय किए। इन नीतियों को व्यापक सफलता मिली तथा बाजारों में कामकाज चलने लगा और सामान्येत्तर जोखिम (टेल रिस्क) में काफी कमी आई। हालांकि, ऐसे उपायों के कारण इन केंद्रीय बैंकों के तुलन पत्रों का काफी विस्तार हुआ। आस्तियों की अवधि और विविधता में वृद्धि सहित इसके परिणामस्वरूप आस्ति गुणवत्ता में कमी आई (आईएमएफ जीएफएसआर 2013)। केंद्रीय बैंकों की आस्तियों में अपूर्व वृद्धि के कारण प्रणाली में वित्तीय जोखिम बढ़ सकता है जिसके उनकी वित्तीय मजबूती और स्वतंत्रता पर विपरीत असर पड़ सकता है (चार्ट 1)।

चार्ट 1: उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की केन्द्रीय बैंक आस्तियां

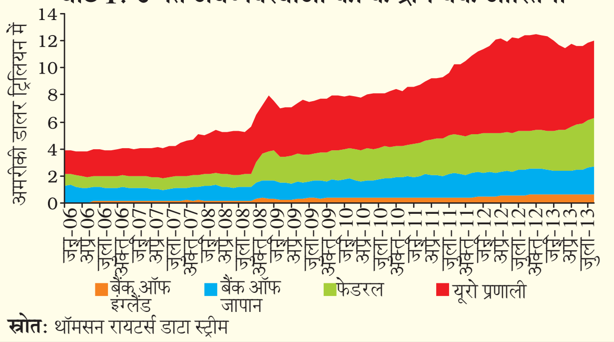

स्रोत: थॉमसन रायटर्स डाटा स्ट्रीम

केंद्रीय बैंकों के तुलन पत्र जोखिम ब्याज दरों में वृद्धि और प्रचालन आय में कमी के कारण मूल्यांकन क्षति का रूप धारण कर सकते हैं क्योंकि वे कम ब्याज दरों पर बहुत अधिक सरकारी बांड धारित करते हैं और जब वे अपारंपरिक नीतियों को छोड़ देंगे तब उन्हें ऋण जोखिम सहित आस्तियों की क्षति की संभावित हानि भी हो सकती है। अमरीकी फैडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा बैंक ऑफ जापान के समक्ष ब्याज दरों का जोखिम है क्योंकि वे बहुत बड़ी मात्र में सरकारी बांड धारित किए हुए हैं जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इस बैंक ने यूरो क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देशों में ऋण प्रदान करने में अपना निवेश बढ़ा दिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि ब्याज दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि होने से फैडरल रिजर्व की कुल आस्तियों का लगभग 4 प्रतिशत, बैंक ऑफ जापान की कुल आस्तियों का 1.75 प्रतिशत और बैंक ऑफ इंग्लैंड की 6.5 प्रतिशत पूंजी का नुकसान हो सकता है।

अपारंपरिक मौद्रिक नीतियों की अवधि अधिक लंबी होने के कारण भी संबंधित देशी अर्थव्यवस्थाओं में संभावित जोखिम बढ़ गया होगा। ब्याज दरों के कम होने के कारण वित्तीय संस्थाओं पर अधिक लाभ कमाने के लिए अत्यधिक जोखिम उठाने का दबाव बढ़ गया है जिसके कारण आस्तियों के मूल्यों में अस्थायी रूप से अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। हाल की अवधि में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का केंद्रीय बैंक के वित्तपोषण पर निर्भर होना बढ़ता जा रहा है जिसके कारण वित्तपोषण के निजी स्रोतों को बहाल होने में बाधा पड़ सकती है और इसका परिणाम ऋण मानकों में शिथिलता के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा, केंद्रीय बैंकों द्वारा वर्तमान अपारंपरिक मौद्रिक नीतियों को छोड़ने से आने वाले समय में ब्याज दर में वृद्धि हो सकती है जिससे बैंकों के लिए ब्याज दर जोखिम बढ़ सकता है। बैंकों को स्थायी-दर प्रतिभूतियों में भी पूंजी हानि हो सकती है। ब्याज दरों में वृद्धि होने से ऋण प्रदान करने में कमी आ सकती है जिससे ऋण जोखिम बढ़ सकता है। केंद्रीय बैंकों के बाजार से निकल जाने से बैंकों को निधीयन की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के बढ़ते एकीकरण को देखते हुए, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों की नीतिगत कार्रवाई का असर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा। अमरीकी फैडरल रिजर्व के अध्यक्ष द्वारा 22 मई 2013 को यह संकेत देना कि यदि आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हुआ तो फैडरल रिज़र्व अपने आस्ति खरीद कार्यक्रम में कमी ला सकता है; और उसके बाद फैडरल रिज़र्व के अध्यक्ष द्वारा 19 जून 2013 को इस वर्ष के दौरान बाद में आस्ति

चार्ट 2: अमरीकी फेडरल घोषणा के बाद उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में विक्रय

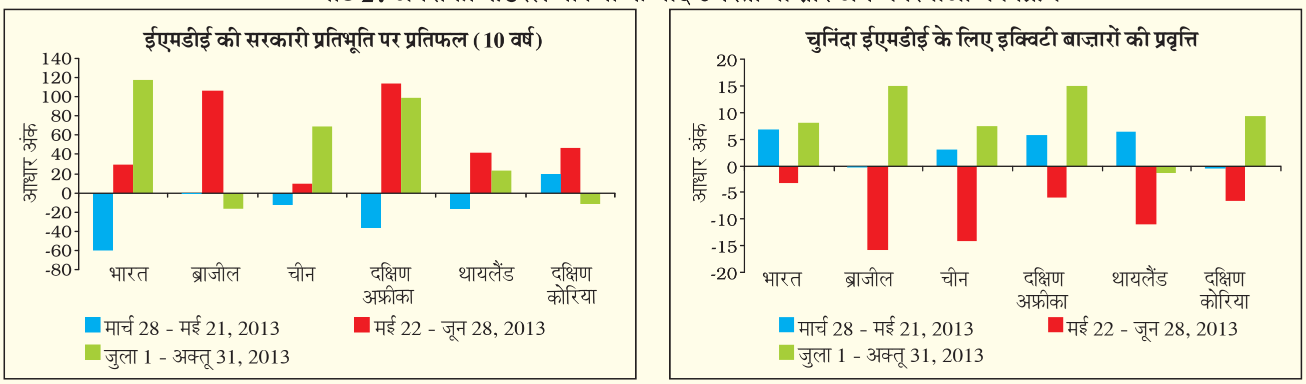

स्रोत: ब्लूमबर्ग

(जारी....)

(.... समाप्त.)

खरीद में नपेतुले कदम उठाते हुए 2014 के मध्य तक मात्रात्मक शिथिलता में कमी लाने के अधिक स्पष्ट रूप से दिशानिर्देश दिए जाने का उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बाजारों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वे अत्यधिक दबाव में आ गए क्योंकि उच्च ब्याज दरों के कारण बांड बिक्री से वर्तमान बांड धारिताओं पर काफी नुकसान होने की आशंका के साथ में पूंजी के वापस अमरीका में आने लगी। पोर्टफोलिया कैपिटल, विशेषरूप से बांड बाजार के संदर्भ में, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से बहिर्वाह देखा गया। जिससे बांड लाभ तथा इक्विटी बाजारों में बिक्री बढ़ी (चार्ट 2)। 18 सितंबर 2013 को अपने आस्ति क्रय को बनाए रखने के अमरीकी फेडरल रिज़र्व के निर्णय के पश्चात ईएमडीई के इक्विटी बाजार में पूंजी प्रवाह बढ़ गया। किंतु फेड के निर्णय के कारण सरकारी आय में समतुल्य कमी नहीं आई।

सामान्यतः, अपारंपरिक मौद्रिक नीति से बाहर निकलने के जोखिम की शुरुआत अन्य बातों के अलावा समय, अनुक्रम तथा बाहर निकलने की गति से होती है। एक अन्य चुनौती भौगोलिक परिस्थितियों के बीच और उनके अंतर्गत विभेदी आर्थिक परिस्थितियों की प्रत्याशा से निपटना है।

संदर्भः

आईएमएफ (2013): वित्तीय संकट वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम होने के संबंध में केंद्रीय बैंक की नीतियां, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, आईएमएफ, अप्रैल

लिए निधीयन की स्थिति में सुधार हुआ (चार्ट II.4)। यूरो क्षेत्र के बैंकों की भी बाजारों में पहुंच थी और वे संसाधन जुटा सकते थे। ईएमडीई में भी बैंकिंग स्टॉक में 2012-13 की दूसरी तिमाही में वृद्धि हुई। किंतु यूएस फेड द्वारा मई 2013 के मद्य में मात्रात्मक सुगमता में सभाव्य कमी आने की टिप्पणी के चलते ईएमडीई से निवेशों का बहिर्वाह बढ़ गया जिससे इन देशों में बैंक स्टॉक में गिरावट हो गई।

अंतर-बैंक भिन्नता काफी कम हो गया

2.10 अंतर-बैंक बाजार भिन्नता, जो कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान काफी बढ़ गई थी, में कमी आ गई जिसका कारण जोखिम की धारणा में कमी आना तथा केंद्रीय बैंकों द्वारा चलनिधि की आपूर्ति में वृद्धि करना था (बाक्स II.2)।

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार में गिरावट

2.11 अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार में संकुचन (सूचना देने वाले बेंकों के स्थान के अनुसार) 2012-13 के दौरान भी जारी रहा (सारणी II.2)। इस गिरावट की विशेषता यूरो क्षेत्र में सीमा-पारीय दावे थे।

बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता

पूंजी पर्याप्तता स्तरों में कुछ सुधार हुआ

2.12 बैंकों द्वारा अपनी पूंजी की स्थिति को मजबूत करने के लिए किए गए गहन प्रयासों से यूरो क्षेत्र की परिधि के देशों सहित अनेक अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी पर्याप्तता के स्तर में वृद्धि हुई। किंतु ग्रीस जैसे इस परिधि के देशों में पूंजी पर्याप्तता स्तर में और सुधार की आवश्यकता है (सारणी II.3)।

चार्ट II.4: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं/ अर्थव्यवस्था समूहों में बैंक स्टॉक सूचकांक

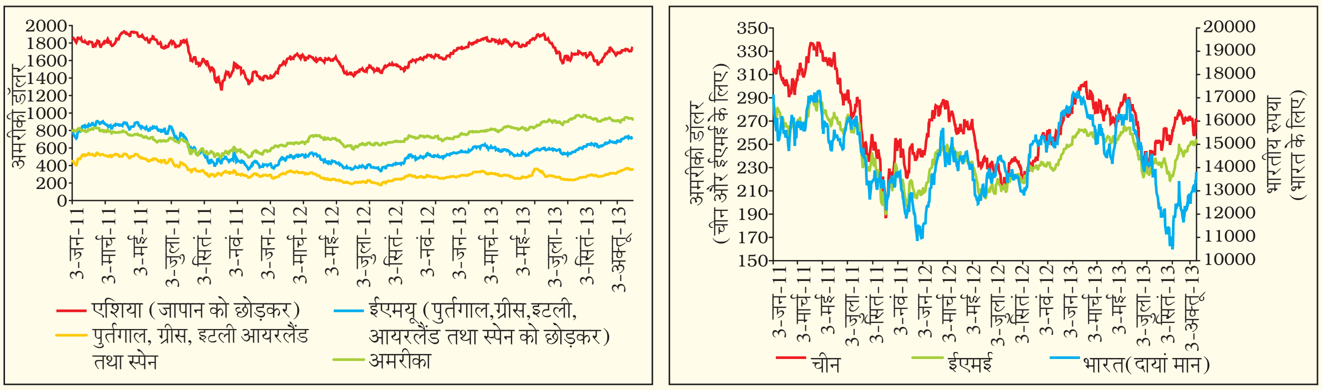

टिप्पणी: ईएमयू का तात्पर्य यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन से है।
स्रोत: थॉम्सन रायटर्स, डेटास्ट्रीम।

बॉक्स II.2 :
वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान बैंकों द्वारा चलनिधि की जमाखोरी

वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, विशेषरूप से अगस्त 2007 में और सितंबर 2008 में लीमैन ब्रदर्स तथा एआईजी की विफलता के बाद, अल्पावधि निधीयन बाजारों में बहुत से व्यवधान पैदा हुए। जहां आस्ति समर्थित बंधक स्थिर हो गए वहीं अंतरबैंक उधार दरें रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंच गईं (चार्ट 1)। विशेषरूप से बहुत अधिक चलनिधि वाले रिपो बाजार में नाटकीय ढंग से कमी आई और उधारकर्ताओं द्वारा ऋण समझौतों (गॉर्टोन एवं मेट्रिक, 2012) को आगे बढ़ाने से मना करने के माध्यम से उनकी निधियों को वापस लेने के कारण अप्रत्याशित 'हेयरकट्स' देखे गए। प्रतिपक्षी आहरणों तथा ऋण की मनाही जिससे चलनिधि में कमी आयी, अपर्याप्त पूंजी के रूप में परिणत हुई जिसके कारण चलनिधि का गंभीर संकट उत्पन्न हुआ और इसके कारण बहुत से बैंक समाप्त हो गए। बाद में बहुत से देशों में अंतर-बैंक बाजार में चलनिधि प्राप्त करने में कठिनाई हुई। केंद्रीय बैंकों की अपनी उधार प्रदान करने की सुविधा के माध्यम से बैंकों को ऋण दिए जाने के परिणामस्वरूप भी ऋण में वृद्धि के स्थान पर चलनिधि की जमाखोरी हुई (चार्ट 2)। अतः यह समझने के लिए कि किस प्रकार से चलनिधि की जमाखोरी की बैंकों की कार्रवाई के कारण अंतर-बैंक बाजार में चलनिधि की कमी होने और अंततः उनके प्रतिपक्षों की ओर से चूक होती है, संकट के दौरान बैंकों की उधार देने की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना महत्त्वपूर्ण है।

साहित्य में तनावपूर्ण आर्थिक स्थितियों में चलनिधि जमाखोरी के संबंध में बैंकों के उद्देश्यों का उल्लेख एहतियाती, रणनीतिपरक उद्देश्य और प्रमुख अनिश्चितताओं के रूप में किया गया है।

एहतियाती उद्देश्य: बैंकों द्वारा एहतियाती उद्देश्य से चलनिधि संग्रह का निर्णय लिया जा सकता है यदि बैंक को लगे कि वे चलनिधि कमी की समस्या आने पर अंतर-बैंक ऋण प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बाजार की विषम स्थिति से बैंक को आशंका होने लगती है कि इन्हें प्रतिपक्ष जोखिम के स्रोत के रूप में माना जा सकता है और बाजार में उनकी पहुँच प्रभावित हो सकती है। अमरीका के मामले में डेटा का विश्लेषण बताता है कि बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार में आई एक-चौथाई से अधिक गिरावट बैंकों के चलनिधि जमाखोरी संबंधी एहतियाती उद्देश्य के कारण है (बेर्रोस्पाइड 2013)।

रणनीतिपरक उद्देश्य: बैंक इस पूर्वानुमान से भी चलनिधि की जमाखोरी कर सकते हैं कि सख्त चलनिधि स्थिति अन्य बैंकों को उनकी आस्तियों को अत्यंत कम मूल्य पर बिक्री करने को बाध्य कर सकती है और इस मौके का लाभ उठाने के लिए उन्हें चलनिधि की जरूरत पड़ सकती है। यदि यह अपेक्षा की जाती है कि नकदी की भावी मांग अत्यधिक होगी तो आस्तियों का मूल्य कम होगा। यदि बैंक के सामने ऐसी परिस्थिति आती है तो वे अपनी पर्याप्त चलनिधि के सहारे अत्यंत कम मूल्य पर बेची जाने वाली गैर-चलनिधियुक्त आस्तियां खरीद कर लाभ उठा सकते हैं (डाइमंड और राजन 2009)। बैंक जोखिम के फैलने की दृष्टि से अंतर-बैंक बाजार में अपने प्रतिपक्षों के दिवालियेपन के पूर्वानुमान से भी चलनिधि की जमाखोरी कर सकते हैं।

प्रमुख अनिश्चितताएं: चूंकि बैंक बढ़ी हुई वर्धित अनिश्चितताओं में जटिल वित्तीय नेटवर्क संरचनाओं के तहत परिचालन करते हैं, इसलिए वे निकृष्टतम परिदृष्य में भी निर्णय ले सकते हैं। साथ ही घबराहट और अनिश्चितता के चलते गैर-चलनिधियुक्त बैंकों की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है जिससे वित्तीय तनाव और बढ़ता है। वित्तीय संकट के दौरान अमरीका में अत्यधिक अर्थसुलभ आस्ति वाले बैंकों की मूल जमाराशियों में अंतर्वाह के प्रमाण देखे गए हैं (बेर्रोस्पाइड 2013)।

केंद्रीय बैंक द्वारा अलग-अलग संस्थाओं में चलनिधि के प्रत्यक्ष अंतर्वेशन से अंतर-बैंक बाजार की कठिनाइयों को कम किया जा सकता है। फिर भी, जब अनिश्चितता बनी रहती है, बैंक चलनिधि जमाखोरी को प्राथमिकता देते हैं और एक-दूसरे को उधार देने में रोक लगाते हैं, जिससे चलनिधि सुविधाओं के लाभ घट जाते हैं। बेर्रोस्पाइड (2013) के अनुसार अमरीका में 2007 और 2008 में बैंकिंग उद्योग को 820 बिलियन अमरीकी डॉलर उपलब्ध कराने के बावजूद, बैंकों द्वारा निधि केंद्रीय बैंक की आरक्षित निधि में रखा गया जिससे आरक्षित निधियों में 2008 में 765 बिलियन अमरीकी डॉलर और 2009 में 318 बिलियन अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ।

अतः चलनिधि की जमाखोरी बढ़ी हुई अनिश्चितताओं के प्रति बैंकों की तर्कसंगत प्रतिक्रिया हो सकती है लेकिन यह अंतर-बैंक बाजार के कुशल परिचालन में एक और बड़ी बाधा बन सकती है और साथ ही प्रतिपक्ष जोखिम, जानकारी में भिन्नता और केंद्रीय बैंकों से उधार लेने संबंधी संभावित निंदा के चलते हो रही सामान्य कठिनाइयों के अतिरिक्त है (गेल और योरुलमजेर, 2011)।

चार्ट 1: असंपार्श्विक अंतर-बैंक दरों तथा एकदिवसीय सूचकांक स्वैप्स के बीच का स्प्रेड

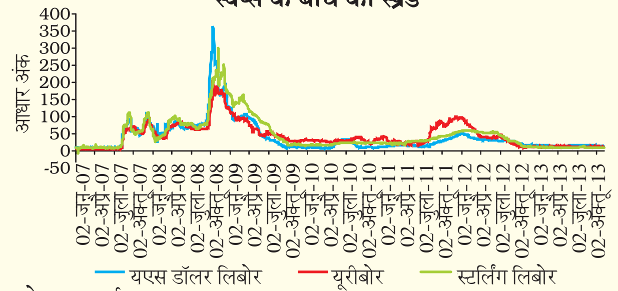

स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 2: केन्द्रीय बैंक तुलनपत्र में बैंक रिज़र्व

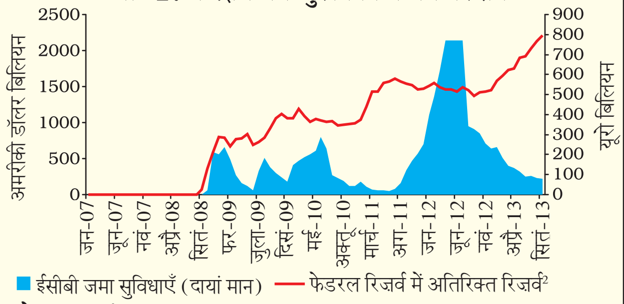

स्रोत: ब्लूमबर्ग

संदर्भ:

बेर्रोस्पाइड, जे.एम. (2013): ''बैंक लिक्विडिटी होर्डिंग ऐंड दी फाइनेंशियल क्राइसिसः ऐन एम्पिरिकल इवैल्युऐशन'', एफईडीएस वर्किंग पेपर नं. 2013-03, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ दी फेडरल रिज़र्व सिस्टम।

डाइमंड, डी.डब्ल्यू. ऐंड आर.जी. राजन (2009): ''दी क्रेडिट क्राइसिसः कन्जेक्चर्स अबाउट कॉज़स ऐंड रेमिडीस'', अमेरिकन इकानामिक रिव्यू, 99(2):606-10.

गेल, एम.डी. ऐंड टी.योरुलमजेर (2011): ''लिक्विडिटी होर्डिंग'', फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यू यार्क स्टाफ रिपोर्ट नं. 488, न्यू यार्क।

गोर्टन, जी. ऐंड ए. मेट्रिक (2012): ''सेक्यूटिराइज्ड बैंकिंग ऐंड दि रन ऑन रिपो'', जर्नल ऑफ फाइनेंशियल ईकनामिक्स, 104(3): 425-451.

[2] जुलाई 2013 से अतिरिक्त आरक्षित निधि की गणना ''बनाए रखी गयी कुल आरक्षित निधि'' से ''अपेक्षित आरक्षित निधि शेष'' घटाकर की जाती है।

सारणी II.2: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं में वृद्धि

(प्रतिशत)

मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल आस्तियां	**0.2**	**5.8**	**-1.8**	**-5.2**
1. बाह्य आस्तियां	0.2	6.1	-2.3	-5.5
ऋण और जमाराशियां	-0.8	6.9	-2.5	-7.7
धारित प्रतिभूतियां और अन्य आस्तियां	3.0	4.0	-1.8	0.4
2. विदेशी मुद्राओं में स्थानीय आस्तियां	0.7	6.9	1.5	-3.1
कुल देयताएं	**-0.6**	**7.3**	**-1.0**	**-5.8**
1. बाह्य देयताएं	-0.9	7.7	-1.4	-6.4
ऋण तथा जमाराशियां	-1.3	5.8	-2.3	-8.6
प्रतिभूतियों के स्वयं के निर्गम और अन्य देयताएं	4.3	29.1	7.0	12.5
2. विदेशी मुद्रा में स्थानीय देयताएं	-6.1	11.8	2.2	-4.2

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, स्थानिक बैंकिंग सांख्यिकी से संकलित।

सारणी II.3: चुनिंदा देशों के बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात

(प्रतिशत)

देश	2007	2008	2009	2010	2011	2012
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं						
फ्रांस	...	10.5	12.4	12.7	12.3	14.5
जर्मनी	12.9	13.6	14.8	16.1	16.4	17.9
ग्रीस	11.2	10.0	11.7	12.3	-1.7	9.6
इटली	10.1	10.4	11.7	12.1	12.7	13.3
जापान	13.3	11.3	11.2	13.3	13.8	14.2
पुर्तगाल	10.5	9.4	10.5	10.3	9.8	12.6
स्पेन	11.4	11.3	12.2	11.9	12.1	11.4
यूनाइटेड किंगडम	12.6	12.9	14.8	15.9	15.7	16.4
अमरीका	12.8	12.8	13.9	14.8	14.7	14.5
उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं						
रूस	15.5	16.8	20.9	18.1	14.7	13.7
चीन	8.4	12.0	11.4	12.2	12.7	13.3
भारत	12.3	13.0	14.3	15.2	13.1	13.1
मलेशिया	14.8	16.1	18.2	17.5	17.7	17.6
ब्राजील	18.8	17.7	18.7	16.9	16.3	16.4
मेक्सिको	15.9	15.3	16.5	16.9	15.7	15.9

टिप्पणी: .... उपलब्ध नहीं

इटली के 2012 के आंकड़े जून के हैं।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों से संकलित।

लीवरेज में असमान गिरावट

2.13 विभिन्न देशों के बीच कुल आस्ति कीतुलना में कुल पूंजी (और आरक्षित निधि) अनुपात के प्रतिशत से नापे गए लीवरेज अनुपात के विश्लेषण से स्थिति में भिन्नता का पता चलता है। अमरीका और फ्रांस के बैंकों में तेज डिलीवरेजिंग हुई थी (चार्ट II.5)।

यूरो क्षेत्र की परिधि के देशों की आस्ति गुणवत्ता बदतर हुई

2.14 वर्ष 2012 के दौरान, अमरीका और कोर यूरो क्षेत्र के देशों के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ था। किंतु यूरो क्षेत्र की परिधि के देशों की आस्ति गुणवत्ता में तेज गिरावट हुई (चार्ट II.6)। ईएमडीई के बीच, अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं में संकट के बाद के वर्षों में आस्ति गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ।

3. चुनिंदा क्षेत्रों और देशों में बैंकिंग की प्रवृत्तियां

अमरीकी बैंकिंग प्रणाली - तुलनपत्र में सुधार प्रगत अवस्था में है

2.15 अमरीकी बैंकिंग प्रणाली ने हाल के वित्तीय संकट के बाद से तुलनपत्र में सुधार करने और पूंजी निर्माण की दिशा में काफि प्रगति की है। बैंकों ने अपनी टियर - I पूंजी, आस्ति और इक्विटी आस्ति

चार्ट II.5: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं की बैंकिंग प्रणाली में लीवरेज

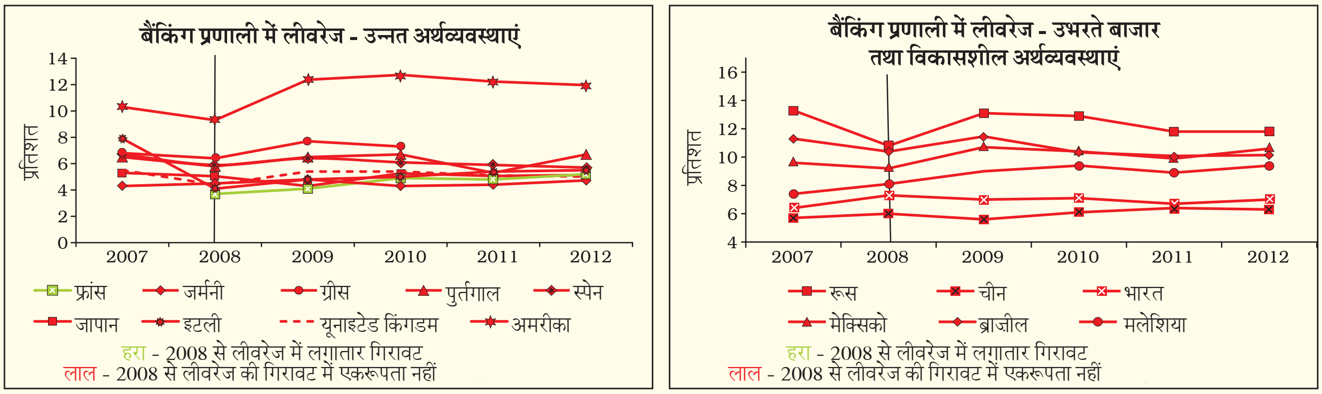

टिप्पणी: 2012 के आंकड़े इटली तथा चीन के लिए जून से संबंधित हैं।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों से संकलित।

चार्ट II.6: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता

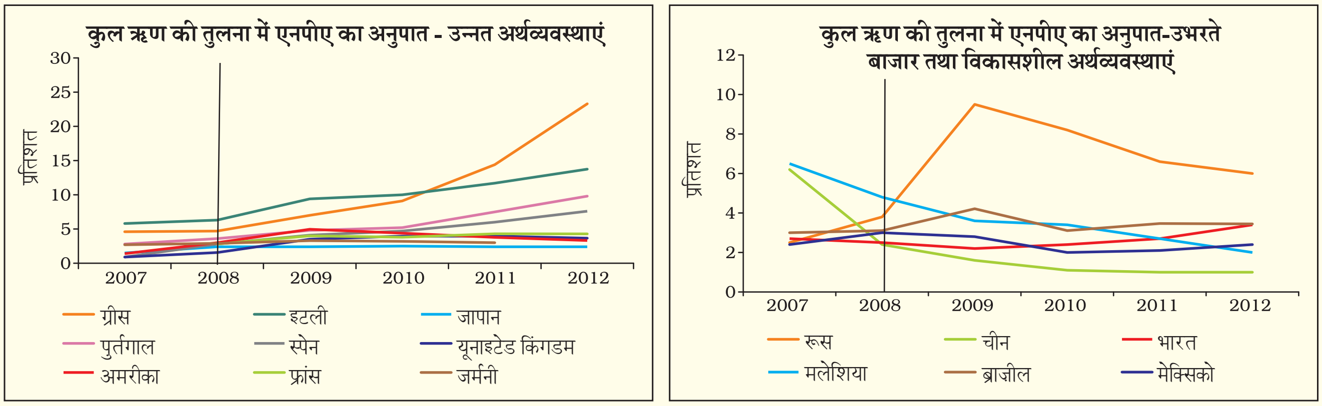

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों से संकलित।

अनुपात बढ़ाकर अपने तुलनपत्रों का जोखिम काफी कम कर लिया है (चार्ट II.7)। अमरीकी बैंकिंग प्रणाली के निष्पादन में सुधार को दर्शाते हुए, मूडीज नामक क्रेडिट रेटिंग संस्था ने अमरीका संबंधी अपनी बैंकिंग संभावना में मई 2013 में इसे नकारात्मक से परिवर्तित करके स्थिर दर्शाया है।

अमरीकी बैंकों की लाभप्रदता में सुधार

2.16 अमरीकी बैंकिंग प्रणाली की लाभप्रदता में सुधार हुआ। यह मुख्यत: ऋण हानि आरक्षित निधि में आई कमी से प्रेरित था (चार्ट II.8)।

यूरो क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली में निधीयन की स्थिति में सुधार हुआ

2.17 आउटराइट मोनेटरी ट्रानजैक्शन (ओएमटी) जैसे प्राधिकारियों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और ईसीबी द्वारा की गई मौद्रिक सुगमता के कारण यूरो क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में 2012 के मध्य से आगे सुधार हुआ। 2013 के प्रारंभ के साइप्रस संकट के बावजूद एकल बैंकिंग संघ के प्रस्ताव से भी अनुकूल प्रभाव पड़ा (चार्ट II.9क; बाक्स II.3)। यूरो क्षेत्र में सुगम

चार्ट II.7: अमरीकी बैंकिंग प्रणाली की प्रगति

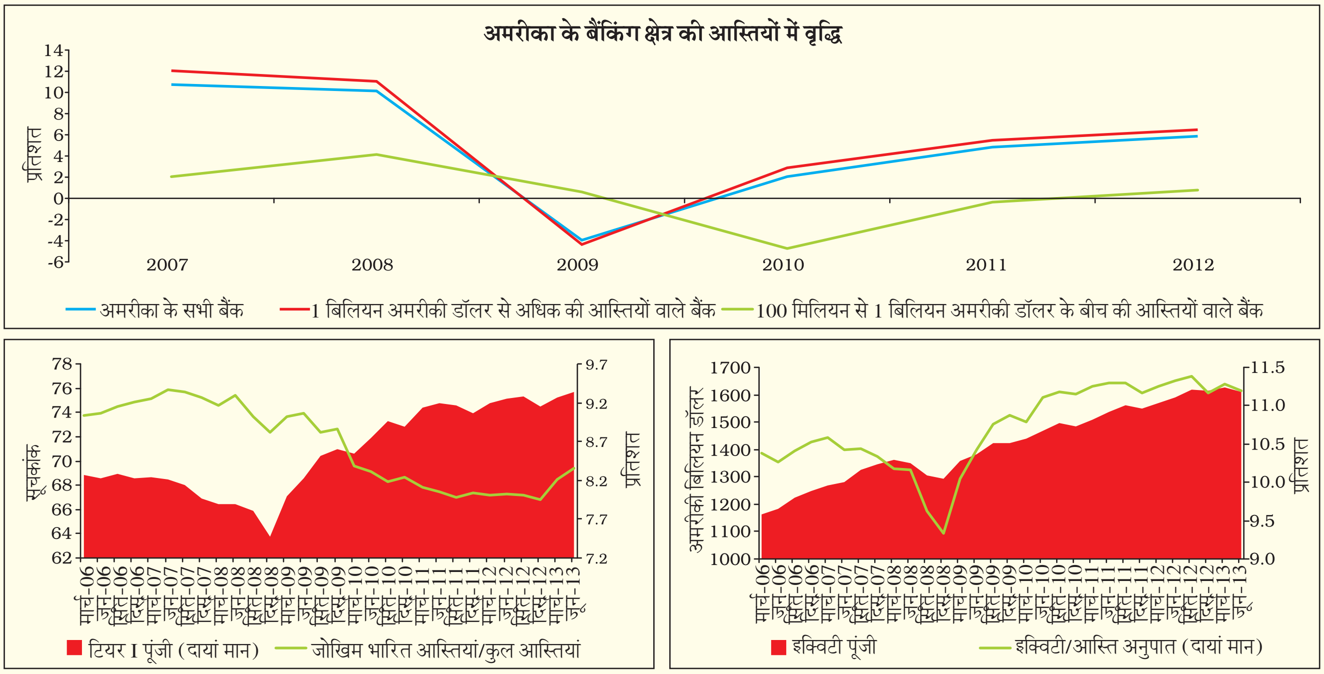

स्रोत: ब्लूमबर्ग और एफडीआईसी डाटाबेस पर आधारित।

चार्ट II.8: अमरीकी बैंकों के लाभ तथा अनर्जक ऋण

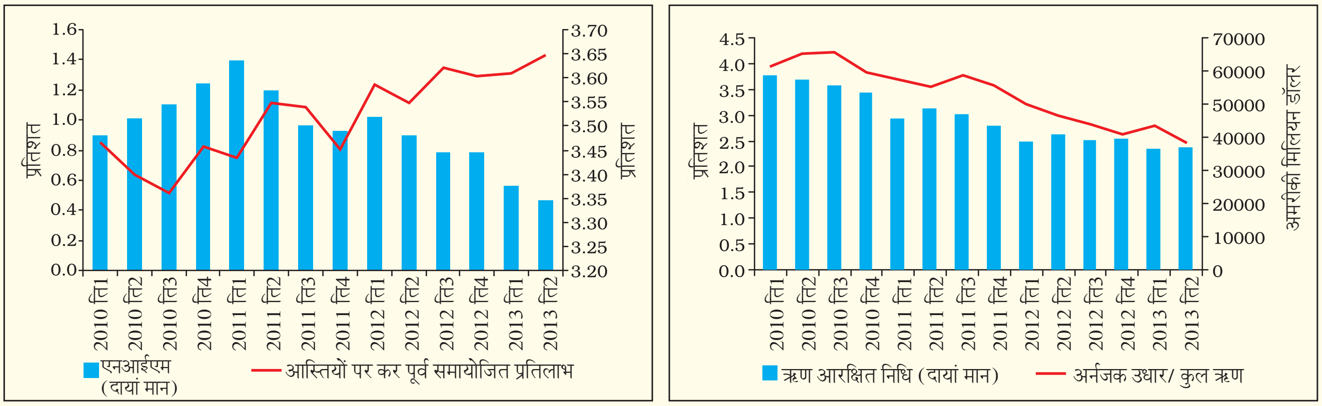

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

होती वित्तीय स्थिति से बैंकों की निधीयन की स्थिति में सुधार हुआ। इसके परिणामस्वरूप, बैंकों ने अपनी तीन-वर्षीय दीर्घावधि पुनर्वित्त परिचालन (एलटीआरओ) निधि की 23 जनवरी 2013 से चुकौती शुरू की (चार्ट II.9ख)। एलटीआरओ निधि की चुकौती यह दर्शाती है कि अनेक यूरोपीयन बैंकों ने फरवरी 2012 में शुरू हुई द्वितीय एलटीआरओ के स्थान पर दिसंबर 2011 में शुरू हुई प्रथम तीन वर्षीय एलटीआरओ की चुकौती को तरजीह दी जो कि इस बात को दर्शाता है कि बैंकों ने दीर्घकालिक परिपक्वता वाली निधि को अपने पास रखने को तरजीह दी।

यूरोपीयन बैंकों का डिलीवरेज जारी रहा

2.18 मंद वृद्धि, कड़ी विनियामक अपेक्षाओं और वित्तीय विखंडन की पृष्ठभूमि में यूरोपीयन बैंकों ने 2012 में अपने तुलनपत्रों में सुधार करना जारी रखा। लीवरेज अनुपात और ऋण-जमा अनुपात में 2008 के के स्तर से काफी गिरावट आई (चार्ट II.10)। थोक निधीयन पर निर्भरता में भी काफी कमी आ गई।

2.19 यूरोपीयन बैंकों ने अपने कुल विदेशी दावों में 2008 के स्तर से 33 प्रतिशत से भी अधिक कमी की (चार्ट II.11)। किंतु बैंकों के ऋण संविभाग और लाभप्रदता - दोनों में निरंतर खराबी से भविष्य में कुछ यूरोपीयन बैंकों के सामने चुनौती आ सकती है।

वित्तीय विखंडन निरंतर बना रहेगा

2.20 यूरो क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार होने के बावजूद बैंक ऋण में तेजी नहीं आई जिससे उचित वसूली न हो

चार्ट II.9: यूरो क्षेत्र में वित्तीय तथा चलनिधि स्थिति

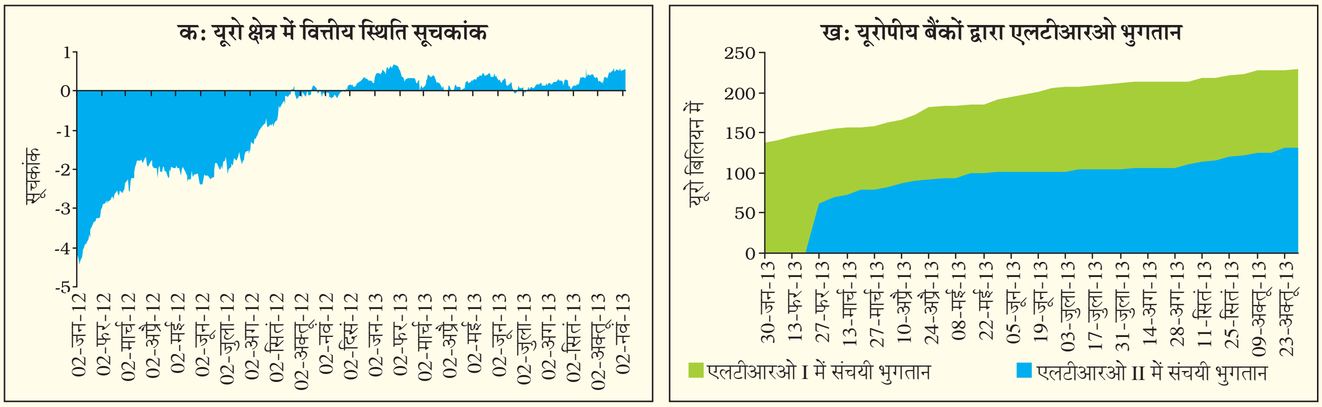

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

बॉक्स II.3:
साइप्रस में बैंकिंग संकट और वित्तीय स्थिरता पर इसका प्रभाव

यूरो क्षेत्र का हिस्सा, साइप्रस पर यूरोपीय ऋण संकट का प्रभाव जनवरी 2013 में पड़ा। साइप्रस में संकट का उदभव ग्रीस में 2012 में हुए सरकारी ऋण संकट में निहित है क्योंकि साइप्रस के बैंकों द्वारा ग्रीस के सरकारी बांडों में भारी निवेश किया गया था और साथ ही ग्रीस के निजी क्षेत्र को उधार दिया गया था। 2012 में ग्रीस के सरकारी ऋण के पुनर्निर्धारण का इन बैंकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। संकट के साथ-साथ साइप्रस की और बिगड़ती राजकोषीय स्थिति के कारण साइप्रस की ऋण-शोधन क्षमता चिंता का विषय बन गयी। इसके चलते साइप्रस के बड़े बैंकों की पूंजी संबंधी जरूरतों में भारी वृद्धि हुई जो करीब-करीब 9 बिलियन यूरो थी जो कि साइप्रस के जीडीपी के 50 प्रतिशत के समतुल्य है (ईसीबी, 2013)। 16 मार्च 2013 को साइप्रस सरकार ने देश के दूसरे बड़े बैंक, साइप्रस लैकी बैंक को बंद करने और 100,000 यूरो की जमाराशियों को बैंक ऑफ साइप्रस में अंतरित करने के लिए यूरो समूह के साथ करारनामा किया। इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया कि ट्रॉइका [यूरोपीय आयोग, यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)] से प्राप्त 10 बिलियन यूरो के बेलआउट के बदले में साइप्रस सरकार द्वारा अबीमाकृत जमाओं, जो बड़ी मात्रा में अनिवासियों द्वारा धारण किया गया है, पर व्यापक हेयरकट लगाया जाए। इस करारनामे के तहत, 100,000 यूरो के समतुल्य या उससे कम की बीमाकृत जमाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। देशी बैंकों से निधि के बहिर्गमन को रोकने के लिए साइप्रस प्राधिकारियों ने देशी एवं सीमा पार अंतरणों और भुगतान पर अस्थायी प्रतिबंध भी लगाया है।

साइप्रस अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव

बैंक ऑफ साइप्रस और लैकी, इन दो सबसे बड़े बैंकों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, वे खासकर साइप्रस के लिए विवादास्पद हैं क्योंकि इन योजनाओं के तहत जिन खाताधरकों का इन बैंक खातों में अत्यधिक शेष है उनको भारी घाटा सहना पड़ेगा। आईएमएफ, जो बेलआउट राशि का 10 प्रतिशत प्रदान कर रहा है, के अनुसार 95 प्रतिशत खाताधारकों को हानि नहीं पहुँचेगी क्योंकि अधिकांश खातों में 100,000 यूरो से कम राशि शेष है। फिर भी, इन बैंक खातों में 100,000 यूरो से अधिक शेष रखने वाले खाताधारकों को अपनी बचत की कुछ राशि की हानि उठानी पड़ेगी। यद्यपि सही राशि का निर्णय अब तक नहीं हो पाया है, प्राक्कलन के अनुसार उन्हें 60 प्रतिशत तक की राशि की हानि उठानी पड़ सकती है। प्रतिदिन खाते से कितनी राशि निकाली जा सकती है इस पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। सेंट्रल बैंक ऑफ साइप्रस के आंकड़े दर्शाते हैं कि साइप्रस बैंकों से जमाराशि के आहरण के संबंध में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। जनवरी के अंत से सितंबर 2013 के बीच जमाराशियों में संचित आधार पर लगभग 30.6 प्रतिशत की गिरावट आई है (सारणी 1)। जमाराशियों में आई अचानक गिरावट दर्शाती है कि विदेशियों ने काफी बड़ी मात्रा में अपना हिस्सा निकाल लिया है।

साइप्रस अर्थव्यवस्था की अल्पकालिक वृद्धि की संभावना अत्यंत निराशाजनक है क्योंकि यह अनुमान लगाया गया है कि 2013 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 7.7 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। ट्रॉइका यूरो ज़ोन और साइप्रस के बीच के समझौता ज्ञापन में स्वीकृत घाटे के लक्ष्य के अनुसार 2013-14 में अर्थव्यवस्था में संचित आधार पर करीब-करीब 12.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी और यह पूर्वानुमान है कि 2015 में वृद्धि होगी। दूसरा सबसे बड़ा बैंक, लैकी के बंद होने से जीडीपी पर पड़े प्रत्यक्ष प्रभाव और विदेश से धन के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए बैंकिंग मॉडल के विनाश के अलावा संबंधित उद्योगों, खासकर पर्यटन उद्योग, के आपसी प्रभावों के असर से अर्थव्यवस्था को हानि उठानी पड़ेगी। इसके साथ ही कुल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में साइप्रस की बैंक आस्तियां अन्य यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं से अधिक हैं (चार्ट 1)। उपभोक्ताओं और निवेशकों में निवेश को लेकर विश्वास संबंधी झटका महसूस किया गया है। इस प्रकार साइप्रस द्वारा सामना की जा रही वर्तमान समस्या यह है कि बैंकिंग प्रणाली में विश्वास किस प्रकार बहाल किया जाए। ट्रॉइका द्वारा 7 नवंबर 2013 को की गई साइप्रस अर्थव्यवस्था की समीक्षा में उल्लेख किया गया है कि सभी राजकोषीय लक्ष्यों को, प्रक्रियाधीन राजकोषीय समेकन संबंधी महत्त्वपूर्ण उपायों और विवेकपूर्ण बजट निष्पादित करने के जरिए, पूरा किया गया है। ट्रॉइका द्वारा नवंबर में की गई समीक्षा के बाद दिसंबर 2013 में यूरोसमूह और आईएमएफ के कार्यपालक मंडल द्वारा किए जाने वाले अनुमोदन से साइप्रस को ईएसएम से 100 मिलियन यूरो और आईएमएफ से लगभग 86 मिलियन यूरो का संवितरण होगा। इससे बीमार अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत पहुँचेगी। फिर भी साइप्रस क्राइसिस से वैश्विक वित्त बाजार में कोई विघ्न नहीं पड़ा है और यह बहुत हद तक देशी अर्थव्यवस्था तक ही सीमित है।

सारणी 1: सायप्रिओट बैंकों में शेष जमाराशि में परिवर्तन

(यूरो बिलियन में)

	घरेलू	अन्य यूरो क्षेत्र	बकाया विश्व	कुल
फर-मार्च 2013	-1.3	-0.5	-1.9	-3.8
अप्रैल-जून 2013	-0.6	-0.1	-0.7	-1.4
जुला-सितं 2013	-2.6	-0.6	-2.1	-5.3
संचयी (फर-सितं 2013)	-7.6	-1.2	-7.9	-16.8

स्रोत: सेन्ट्रल बैंक ऑफ सायप्रस।

चार्ट 1: जीडीपी के हिस्से के रूप में यूरो क्षेत्र के बैंकों की आस्तियां

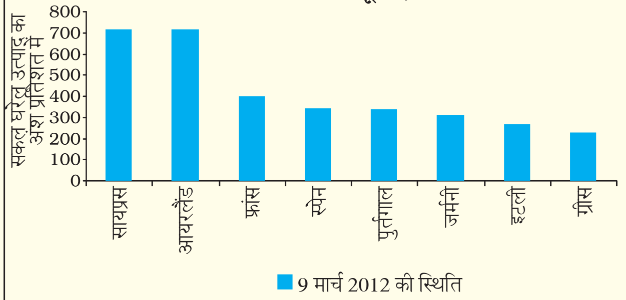

स्रोत: थॉमसन रायटर्स डाटा स्ट्रीम।

संदर्भः

ईसीबी: (2013): वित्तीय स्थिरता समीक्षा, मई 2013

चार्ट II.10: यूरो क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली के लिए लीवरेज और ऋण-जमाराशि अनुपात

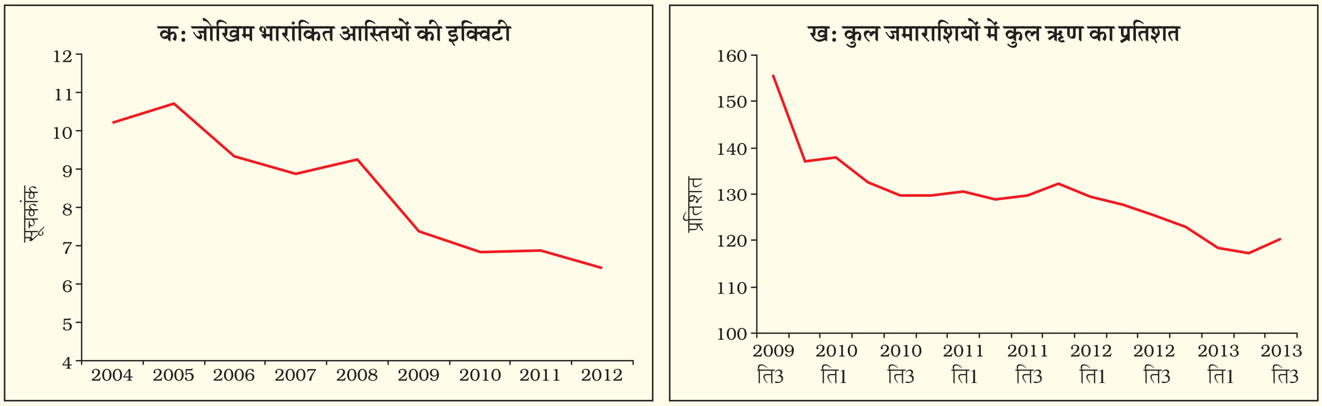

स्रोत: ब्लूमबर्ग

पाने का जोखिम उत्पन्न हो गया (चार्ट II.12क)। इसके अलावा, एलटीआरओ के माध्यम से निधि की आपूर्ति करने के बावजूद परिधीय तथा कोर देशों के बीच वित्तीय विखंडन निरंतर बना हुआ है। देशों और उधारकर्ताओं के बीच उधार दरों में काफी भिन्नता बनी रही जिससे निभावी मौद्रिक नीति से बैंक उधार की शर्तों में कम अंतरण का पता चलता है।

चार्ट II.11: यूरोपीय बैंकों द्वारा विदेशी कार्यकलापों का डिलीवरेजिंग

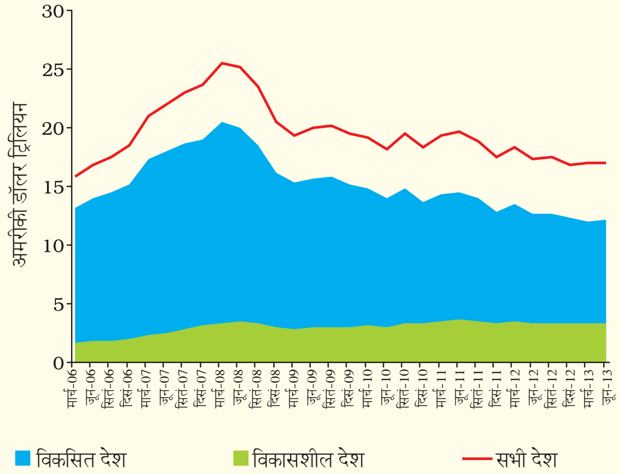

टिप्पणी: यूरोपीय बैंकों के कुल समेकित विदेशी दावे -तुरंत उधारकर्ता आधार।
स्रोत: बीआईएस डेटाबेस

यूके बैंकिंग प्रणाली - निधीयन की स्थितियों में सुधार हुआ

2.21 वैश्विक वित्तीय स्थिति में सुधार के चलते यूके के बैंकों की निधीयन स्थिति में भी सुधार हुआ। जहां बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से खुदरा ऋण के प्रवाह में हाल की अवधि में वृद्धि हुई है, वहीं कारपोरेट्स को दिए जाने वाले ऋण में तेजी नहीं आ पाई (चार्ट II.13)। यूके के बैंकों के सामने

चार्ट II.12: यूरो क्षेत्र में ऋण तथा उधार दरें

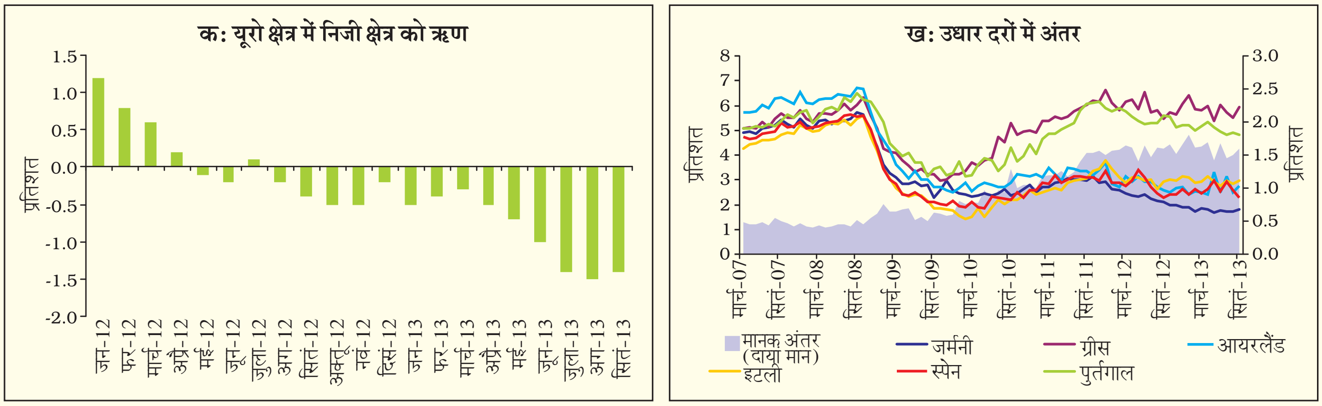

स्रोत: ईसीबी तथा थॉमसन रायटर्स डेटास्ट्रीम।

चार्ट II.13: यूके के लिए प्रमुख बैंकिंग सूचकांक

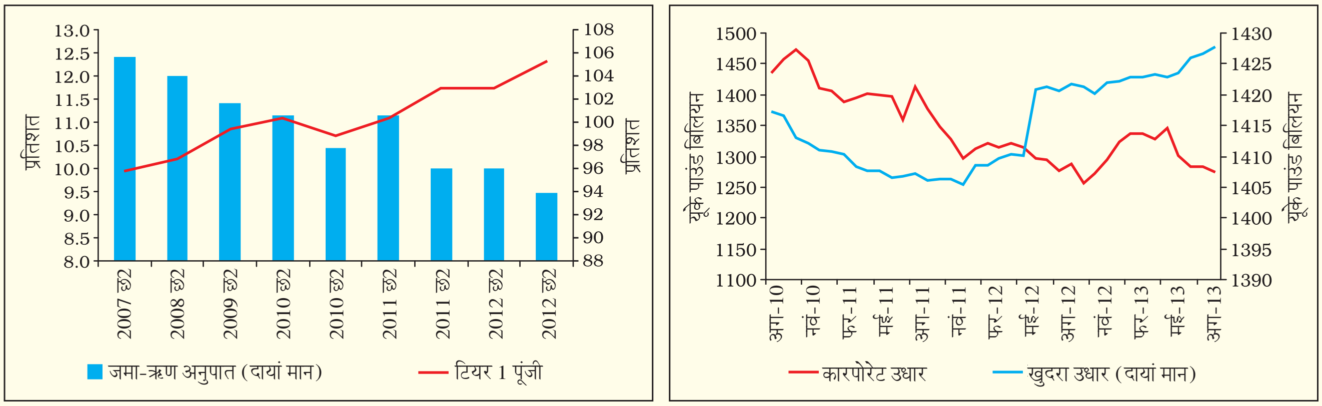

स्रोत: ब्लूमबर्ग

बहुत बड़ा जोखिम है क्योंकि यूरो क्षेत्र के परिधीय देशों के प्रती उनका कुल जोखिम काफी अधिक अर्थात लगभग 140 बिलियन यूके पौंड है जो कि 2012 के अंत में उनकी सूचित टियर 1 पूंजी का 65 प्रतिशत है।

चीन की बैंकिंग प्रणाली - निरंतर वृद्धि

2.22 चीन की बैंकिंग प्रणाली में 2012 में निरंतर वृद्धि होती रही जिसमें पूंजी पर्याप्तता अनुपात उच्च था और अनर्जक ऋणों (एनपीएल) का स्तर कम था (चार्ट II.14)। किंतु छाया बैंकिंग में वृद्धि चिंता का मामला है, हालांकि छाया बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्रवाह पूर्ववर्ती उच्च स्तर से कम हो गया है (सारण II.4)।

चार्ट II.14: चीनी बैंकिंग के संकेतक

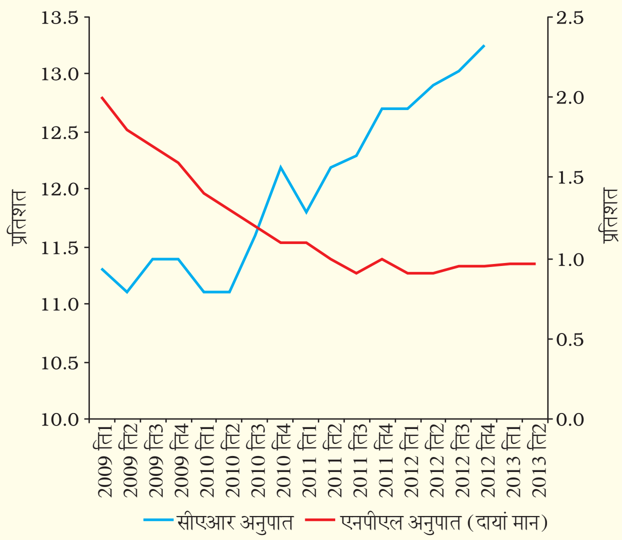

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

सारणी II.4: चीन की छाया बैंकिंग प्रणाली

(रेनमिनबी बिलियन में)

	दिसंबर-08	दिसंबर-09	दिसंबर-10	दिसंबर-11	दिसंबर-12	सितंबर-13
इनट्रस्टेड ऋण	25.5	34.7	154.9	117.3	207.9	221.7
न्यास ऋण	21.4	71	-28.8	38.9	259.8	111.6
छूट के बिना बैंकरों की स्वीकृति	-148.6	87.4	157.6	185.1	263.7	-8.2
गैर-वित्तीय बैंकिंग कंपनियों द्वारा वित्तपोषित इक्विटी	31.5	81.5	95.4	35	13.5	11.3
कुल	**-70.2**	**274.6**	**379.1**	**376.3**	**744.9**	**336.4**

स्रोत : ब्लूमबर्ग।

4. शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों के निष्पादन का विश्लेषण

वैश्विक बैंकिंग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का हिस्से में निरंतर वृद्धि हुई है

2.23 बैंकर डाटाबेस द्वारा शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों के निष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि वैश्विक बैंकिंग कारोबार में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से ईएमई में कुछ अंतरण की प्रवृत्ति 2012 में भी जारी रही जो कि शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों की संख्या और आस्तियों की संरचना से देखी जा सकती है (चार्ट II.15)। यह अंतरण ईएमडीई में निरंतर ऋण वृद्धि को और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंद ऋण वृद्धि को दर्शाता है। 2011 और 2012 के बीच उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के आस्तियों के हिस्से में गिरावट यूरोप, जापान और यूके के बैंकों में संकेंद्रित थी (चार्ट II.16)।ईएमडीई के बीच चीन के बैंकों ने शीर्ष 100 बैंकों के बीच काफी सुधार दर्शाया क्योंकि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना टियर 1 पूंजी के आधार पर पहली बार शीर्ष स्तर पर पहुंच गया।

चार्ट II.16: शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों की कुल आस्तियों में देशों का हिस्सा

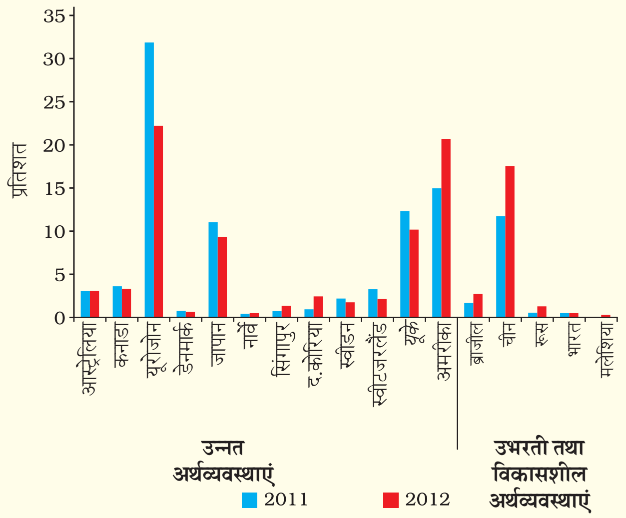

स्रोत: बैंकर डेटाबेस का उपयोग करके परिकलित किया गया।

वैश्विक बैंकों की लाभप्रदता मंद बनी रही

2.24 शीर्ष 100 बैंकों का लाभ लगभग 2012 जैसा ही बना रहा (चार्ट II.17)। इन बैंकों का कुल लाभ 2011 के 557

चार्ट II.15: वैश्विक बैंकिंग सांख्यिकी का स्थान

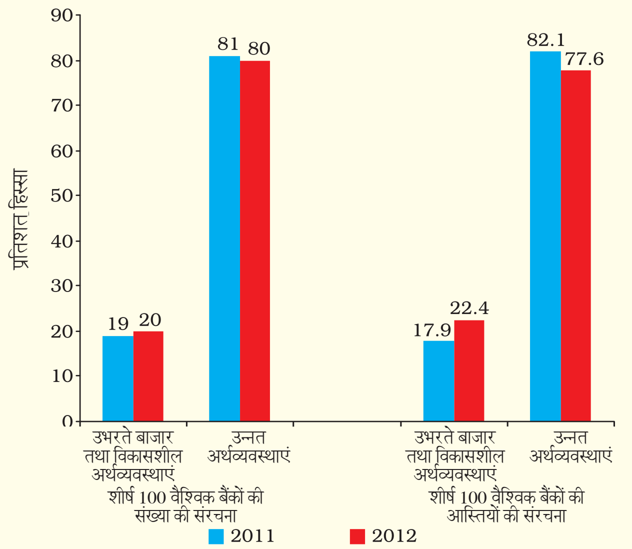

स्रोत: बैंकर डेटाबेस का उपयोग करके परिकलित किया गया।

चार्ट II.17: आस्तियों पर प्रतिलाभ के आधार पर शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों का प्रतिशत वितरण

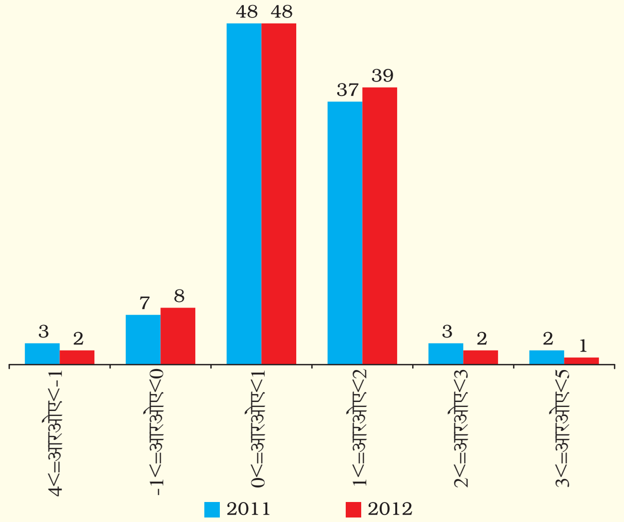

स्रोत: बैंकर डेटाबेस का उपयोग करके परिकलित

बिलियन अमरीका डालर से बढ़कर 2012 में 590 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो कि मुख्यतः एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के बैंकों से प्रभावित था।

वैश्विक बैंकों ने अपनी पूंजी पर्याप्तता स्थिति को सुदृढ़ किया

2.25 शीर्ष 100 बैंकों की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति से पता चलता है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात के उच्च दायरे अर्थात 17 प्रतिशत से अधिक के बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई जो कि बैंकों की पूंजी की स्थिति को मजबूत करने के वैश्विक प्रयासों को दर्शाती है (चार्ट II.18)। शीर्ष के सभी 100 बैंक बासेल II संरचना के अंतर्गत 8 प्रतिशत सीआरएआर के बीसीबीएस मानदंड की तुलना में अधिक पूंजी पर्याप्तता स्तर बनाए रख रहे हैं।

वैश्विक बैंकों की डिलीवरेजिंग की मंद प्रगति

2.26 सीआरएआर में सुधार के बावजूद वैश्विक बैंकों, विशेष रूप से यूरो क्षेत्र के परिधीय बैंकों की स्थिति दुर्बल बनी रही। किंतु 2012 के अंत में 4 प्रतिशत से कम पूंजी पर्याप्तता अनुपात - वित्तीय लीवरेज की नाप - की दृष्टि से सुस्थिति वाले बैंकों की संख्या में कमी आई (चार्ट II.19)।

चार्ट II.19: पूंजी पर्याप्तता (लीवरेज) अनुपात के आधार पर शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों का प्रतिशत वितरण

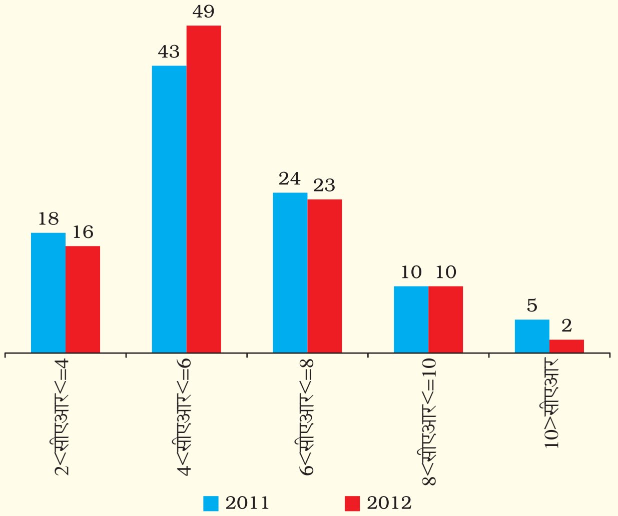

स्रोत: बैंकर डेटाबेस का उपयोग करके परिकलित किया गया।

वैश्विक बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में संमिश्र प्रवृत्ति देखी गई

2.27 अनिश्चित वित्तीय वातावरण के बीच, वैश्विक बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में संमिश्र प्रवृत्ति देखी गई (चार्ट II.20)। सीआरएआर, सीएआर और एनपीए अनुपात को कवर करते हुए

चार्ट II.18: सीआरएआर के आधार पर शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों का प्रतिशत वितरण

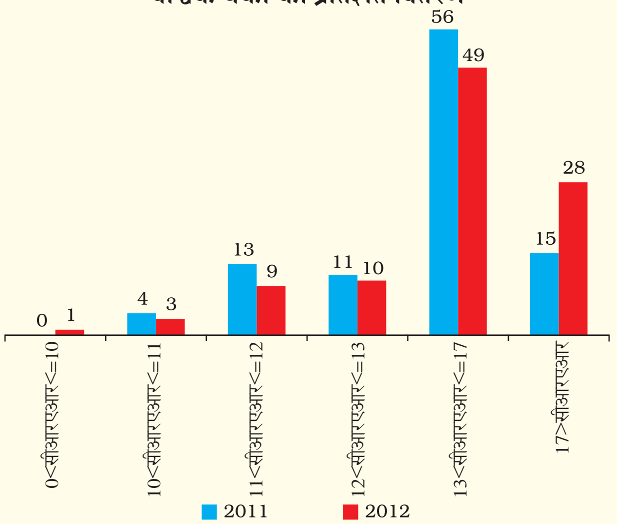

स्रोत: बैंकर डेटाबेस का उपयोग करके परिकलित किया गया।

चार्ट II.20: अनर्जक ऋण अनुपात के आधार पर शीर्ष वैश्विक बैंकों का प्रतिशत वितरण

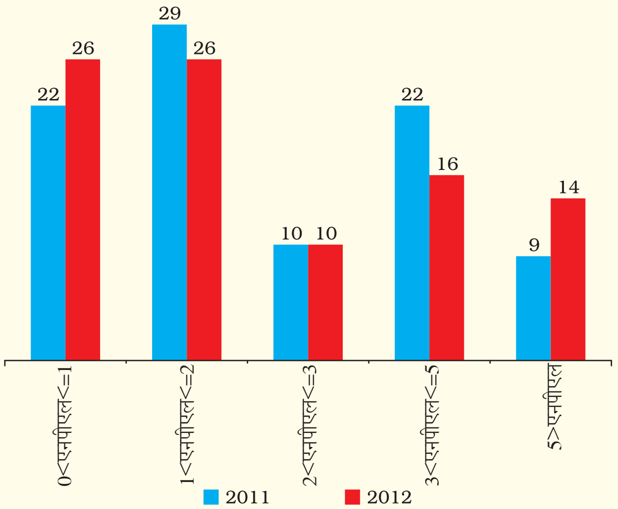

स्रोत: बैंकर डेटाबेस का उपयोग करके परिकलित किया गया।

चार्ट II.21: शीर्ष वैश्विक बैंकों के सुदृढ़ता संकेतकों में परिवर्तन

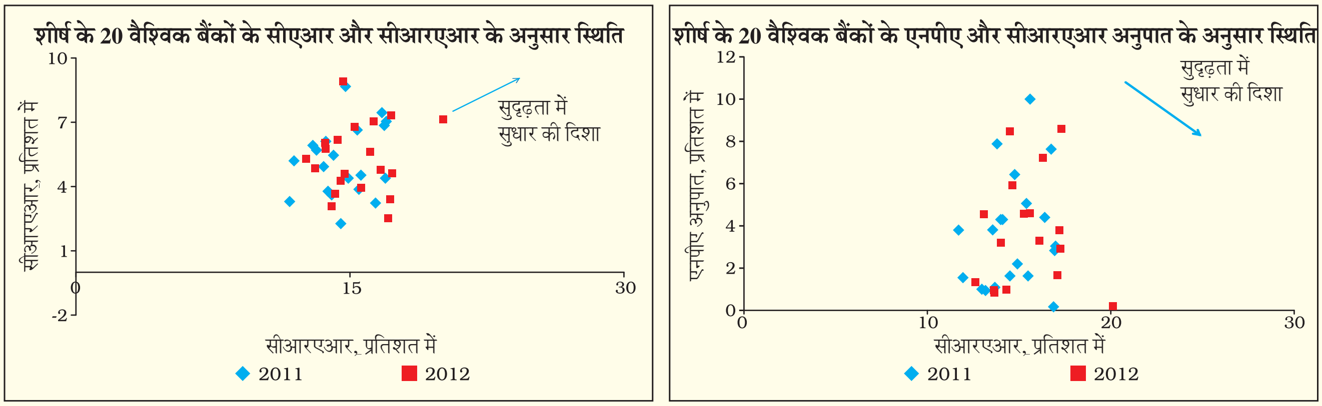

स्रोत: बैंकर डेटाबेस का उपयोग करके परिकलित किया गया।

शीर्ष 20 बैंकों की स्थिति से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि जहां बैंक 2011 और 2012 के दौरान अपना सीआरएआर बढ़ाने की प्रक्रिया में थे, वहीं 2012 के दौरान बैंकों के एनपीए अनुपातों में कोई खास सुधार नहीं दिखा (चार्ट II.21)।

5. वैश्विक नीतिगत सुधार

विनियामक सुधारों में प्रगति

2.28 भावी जोखिम को कम करके वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ करने और मजबूत आर्थिक वृद्धि की सहायता करने के लिए 2009 में शुरू किए गए वैश्विक विनियामक सुधारों में अनेक क्षेत्रों में प्रगति हुई है। बासेल III संरचना, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (एसआईएफआई) और वित्तीय बाजार की बुनियादी सुविधाओं के संबंध में नीति निर्माण में हाल की अवधि में काफी प्रगति हुई है।

बासेल III संरचना

2.29 बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा विकसित बासेल III संरचना बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के सुधारात्मक उपायों का सेट है। जनवरी 2013 में, बीसीबीएस ने चलनिधि कवरेज अनुपात पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जो कि बैंकों की आघात-सहनीयता को बढ़ाते हैं जिसके लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक निधीयन की स्थितियां विपरीत होने की स्थिति का सामना करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली चलनधि आस्तियों का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखें। बासेल III सुधारों के कार्यान्वयन के लिए जनवरी 2013 और दिसंबर 2018 के बीच की अवधि निर्धारित की गई है।

2.30 बासेल III कार्यान्वयन की बीसीबीएस की 9 अक्तूबर 2013 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार बासेल समिति के अंतर्गत के 27 क्षेत्राधिकारों में से 26 ने बासेल III आधारित पूंजी विनयमों का अंतिम सेट जारी किया है। इंडोनेशिया में नियमावली का प्रारूप बन गया है जिसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है।

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाएं (एसआईएफआई)

2.31 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंकों (जी-एसआईबी) के प्रति विनियामक गतिविधियों में मुख्यत: कड़े विनियमन लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि ऐसी बैंकिंग संस्थाओं में चूक की संभावना प्रणालीगत रूप से कम महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के चूक के स्तर से कम की जा सके और साथ ही किसी एसआईएफआई की विफलता की स्थिति में वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था को होने वाली हानि को कम किया जा सके।

2.32 जुलाई 2013 में बीसीबीएस ने जी-एसआईबी के आकलन और पहचान संबंधी और जी-एसआईबी की उच्च हानि अवशोषण अपेक्षा की अद्यतन कार्यप्रणाली लायी। अतिरिक्त हानि अवशोषण अपेक्षा का दायरा 1 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत

कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) होगा जोकि बैंक के प्रणालीगत महत्व पर निर्भर होगा जिसमें बैंकों को प्रणालीगत रूप से और अधिक महत्वपूर्ण बनने से रोकने के साधन के रूप में 3.5 प्रतशित सीईटी 1 की प्रारंभिक रिक्त बकेट होगी। वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने 2013 की अवधि के लिए जी-एसआईबी की सूची को अद्यतन किया है जिसमें 29 बैंकिंग संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है।

बाजार: ओवर द काऊंटर (ओटीसी) सुविधाएं

2.33 वैश्विक वित्तीय संकट ने डेरिवेटिव के व्यापार, सूचना और निपटान के साथ ही द्विपक्षीय व्यापार के लिए अपेक्षित पूंजी संबंधी प्रमुख कमियों को सामने ला दिया। सुधारों का प्रमुख बल इस बात पर रहा है कि अधिक ओटीसी द्विपक्षीय डेरिवेटिव संविदाओं को केंद्रीय प्रतिपक्षियों की ओर और जहां संभव हो वहां संगठित विनिमय व्यापार के प्लेटफार्म की ओर बढ़ाया जाए। इसके साथ ही, लेनदेनों की सूचना व्यापार भंडार को करने के माध्यम से बाजार की पारदर्शिता में संभाव्य वृद्धि की जाए।

2.34 वर्ष 2009 में जी-20 इस बात के लिए सहमत हुआ है कि मानकीकृत डेरिवेटिव लिखत का केंद्रीय निपटान और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार 2012 के अंत तक लागू किया जाए। ओटीसी डेरिवेटिव बाजार सुधार लागू करने पर एफएसबी द्वारा सितंबर 2013 में जारी की गई प्रगति रिपोर्ट के अनुसार बाजार के सहभागियों द्वारा व्यापार की सूचना देने, ओटीसी ब्याज दर के केंद्रीय समाशोधन और ऋण डेरिवेटिव के लिए केंद्रीकृत बुनियादी सुविध के वास्तविक उपयोग में प्रगति हुई है। वर्तमान में, आधे से अधिक एफएसबी सदस्य क्षेत्राधिकारों में सभी प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए विधायी संरचना लागू है।

बैंक संरचना विनियमन पर राष्ट्रीय पहल

2.35 अनेक उन्नत देश भी अपने-अपने देश में बैंक संरचना में संरचनात्मक सुधारों पर विचार कर रहे हैं और वे इन्हें लागू करने कि अलग-अलग अवस्थाओं में हैं। अमरीका में वॉल्कर रूल, यूके में विकर्स रिपोर्ट और यूरोपीयन संघ में लिकनन रिपोर्ट इस संबंध में की जा रही कुछ पहलें हैं। यद्यपि इन पहलों का लक्ष्य वाणिज्य बैंकों के प्रमुख कार्यों को निवेश बैंकिंग और प्रतिभूति बाजार के कार्यों से संबंधित हानियों से सुरक्षा प्रदान करके वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना है, फिर भी किए जाने के लिए प्रस्तावित उपायों में भिन्नता है। वॉल्कर रूल वाणिज्य बैंकों द्वारा मालिकाना व्यापार पर रोक लगाता है; लिकनन रिपोर्ट जोखिमयुक्त व्यापारी कार्यों को उसी होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत किसी विशिष्ट सब्सिडीयरी में रखने की सिफारिश करती है और विकर्स रिपोर्ट मूल बैंकिंग कार्यों पर प्रतिबंधित दायरे की और व्यापारी तथा हामीदारी कार्यों को उसी होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत किसी अलग संस्था में रखने की सिफारिश करती है।

6. समग्र आकलन

2.36 वर्ष 2012 के लिए वैश्विक बैंकिंग प्रणाली का विश्लेषण संमिश्र दृश्य प्रस्तुत करता है। जहां अमरीकी बैंकों के मूल तत्व आस्ति गुणवत्ता में सुधार के कारण बेहतर हैं, वहीं वित्तीय विखंडन के कारण यूरो क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली में चिंता बनी हुई है। अप्रैल 2013 की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि यूरो क्षेत्र की अनेक बैंकिंग प्रणालियां तुलनात्मक रूप से दुर्बल बनी हुई हैं क्योंकि सूचित बाधित ऋण की तुलना में पूंजी बफर कम हैं, आस्ति गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आई है और लाभप्रदता कम है। ईएमडीई के बैंकों ने सामान्यत: अपना विनियामक पूंजी अनुपात बनाए रखा है। वैश्विक बैंकिंग प्रणाली को आगामी वर्षों में अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनपर दुर्बल ऋण और आर्थिक वृद्धि के बीच लाभप्रदता, विनियामक अनुपालन की बढ़ती लागत और राजस्व वृद्धि की समस्याओं का दबाव है।

2.37 अमरीकी फेडरल रिज़र्व ने 18 सितंबर 2013 के अपने संप्रेषण में आश्चर्यजनक रूप से मासिक क्रय की 85 बिलियन अमरीकी डॉलर की गति को कम करना टाल दिया क्योंकि उसने निर्णय लिया था कि इस बात का इंतजार किया जाए कि उसके आस्ति क्रय की गति समायोजित होने से पहले प्रगति बनाए रखी जाएगी। अपारंपरिक मौद्रिक नीतियों की लंबी अवधि से अर्थव्यवस्था में वित्तीय जोखिम बढ़ सकता है क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थाएं अधिक प्रतिलाभ की खोज में अधिक जोखिम उठा सकती हैं। आर्थिक गतिविधियों की मंद गति और रोजगार

के स्तर में कुछ सुधार को देखते हुए अमरीकी फेडरल रिज़र्व निकट भविष्य में अपनी अपारंपरिक नीति को छोड़ सकता है। यदि यह अपने आस्ति-क्रय को कम करता है तो वैश्विक ब्याज दर चक्र में ऊर्ध्वमुखी बदलाव आयेगा जो कि बैंकों की व्यापार बही आस्तियों के मूल्य को सीधे ही प्रभावित करेगा क्योंकि बैंकों ने अपनी ऋण जोखिम को कम करने की दृष्टि से वैश्विक वित्तीय संकट के समय से सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक निवेश किया था। यदि कम आर्थिक वृद्धि के साथ उच्च ब्याज दर चक्र बना रहता है तो बैंकों को उच्च अनर्जक ऋणों का सामना करना पड़ेगा। ईएमडीई के बैंक बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर उनकी निधीयन की निर्भरता सीमित है किंतु वे भी आर्थिक वृद्धि में गिरावट, पूंजी बहिर्वाह और विदेशी मुद्रा बाजार की अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। विभिन्न देशों में बैंकिंग प्रणालियों ने अपने तुलपत्रों की स्थिति में सुधार करना जारी रखना चाहिए। विनियामक सुधारों की समय पर पूर्णता और कार्यान्वयन से बैंकिंग प्रणाली का जोखिम कम हो जाएगा, वह अधिक आघात-सहनीय बनेगी और प्रणाली की स्थिरता का भावी जोखिम कम हो जाएगा।

अध्याय III

नीतिगत परिवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली का सुदृढ़, लचीली और समावेशी बना रहना सुनिश्चित करने के लिए अपनी विवेकपूर्ण और पर्यवेक्षी नीतियों को बेहतर करना जारी रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई नीतिगत उपायों की शुरुआत की गई। इनमें शामिल हैं - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाए जाने हेतु नए बैंक लाइसेंसों के लिए दिशानिर्देश जारी करना, एक गतिशील प्रावधानीकरण ढांचे के निर्माण हेतु प्रयास करना और बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के पुनर्निधारण हेतु नीतिगत परिवर्तनों को प्रभावी बनाना। भारत में विदेशी बैंकों के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्थाओं की स्थापना के लिए नीतिगत ढांचा तैयार किया गया। बैंकिंग संरचना पर एक चर्चा पत्र भी जारी किया गया और बैंकों के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण दृष्टिकोण अपनाया गया। बैंकों द्वारा स्वर्ण की जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों तथा स्वर्ण की खरीद के लिए दिए जाने वाले बैंक ऋणों को युक्तिसंगत बनाने के लिए उपायों की शुरुआत की गई। वित्तीय समावेशन में सुधार लाने तथा भुगतान और निपटान प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने के लिए भी कई नए उपाय किए गए।

1. परिचय

3.1 घरेलू संरचनात्मक कारकों ने प्रतिकूल बाह्य आर्थिक परिवेश के साथ मिलकर 2012-13 के दौरान और 2013-14 में अभी तक आर्थिक संवृद्धि को मंद बनाए रखा। 2012-13 के दौरान मौद्रिक नीति का रुझान उभरती हुई संवृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलता में नपी-तुली सहजता के माध्यम से संतुलन बनाए रखने पर था। 2013-14 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा मई की शुरुआत में मौद्रिक नीति में और सहजता बरती गई परंतु चलनिधि में कमी लाने के लिए जुलाई से विशेष उपाय भी किए गए ताकि विनिमय दर अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले समष्टि वित्तीय जोखिमों का समाधान किया जा सके। सितंबर 2013 से, बाह्य वातावरण में सुधार के संकेतों के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा असाधारण चलनिधि कठोरता के उपायों को सुविचारित रूप से वापस लेना प्रारंभ करने के बावजूद बढ़ते स्फीतिकारी दबावों को देखते हुए 20 सितंबर 2013 और 29 अक्तूबर 2013 को सम्पन्न दूसरी तिमाही समीक्षा -दोनों में रेपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की गई।

3.2 यद्यपि, हाल ही के वैश्विक वित्तीय संकट के वातावरण में भारतीय बैंकिंग उद्योग काफी हद तक सुरक्षित बचा रहा किंतु आस्ति गुणवत्ता में हो रही गिरावट एक प्रमुख चिंता के रूप में उभर कर सामने आयी। वैश्विक वित्तीय संकट से यह बात प्रमुखता से सामने आयी है कि समष्टिगत पक्ष को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण नीतियों का पुनर्विन्यास किए जाने की जरूरत है। इस प्रकार उभरते हुए वैश्विक और घरेलू परिवेश में, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों की निरंतर समीक्षा करता रहा और इन्हें संतुलित बनाए रखा ताकि बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़, लचीली और समावेशी बनाया जाना सुनिश्चित किया जा सके और यह विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम हो सके। इसी क्रम में, 2012-13 के दौरान और 2013-14 में अभी तक बैंकिंग क्षेत्र में की गई विभिन्न नीतिगत कदमों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है जिसमें विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों के संबंध में विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है।

2. मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति में संवृद्धि के प्रति जोखिमों पर तथा मुद्रास्फीति पर निगरानी बनाए रखने पर ध्यान दिया गया है

3.3 2012-13 के दौरान मौद्रिक नीति का रुझान मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाए जाने के लक्ष्य को खतरे में डाले बिना संवृद्धि की तीव्र गिरावट का समाधान कर इसको गति प्रदान करने पर था। वर्ष के प्रारंभ में ही प्रमुख नीतिगत दरों में कमी की गई थी जो अप्रैल 2012 में रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती के रूप में रही। इससे पूर्व मौद्रिक नीति में बरती गई कड़ाई और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लाभकारी प्रभाव का परिणाम दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति दर में कुछ कमी के रूप में सामने आया। वर्ष की दूसरी छमाही में हैडलाइन थोक

मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) औसतन 7.0 प्रतिशत पर बनी रही जो कि पहली छमाही में 7.7 प्रतिशत थी। मार्च 2013 को डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति अंक- दर-अंक आधार पर घटकर 5.7 प्रतिशत रह गई।

3.4 2012-13 की दूसरी छमाही में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति से पैदा हुए नीतिगत अंतराल का प्रयोग करते हुए रिजर्व बैंक ने जनवरी 2013 और मार्च 2013 -दोनों में रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी की, जिससे 2012-13 में संचयी आधार पर 100 आधार अंकों की कटौती का मार्ग प्रशस्त हुआ। मई 2013 में रेपो दर में फिर से 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 7.25 प्रतिशत कर दिया गया ताकि संवृद्धि के प्रति बढ़ते हुए जोखिमों का समाधान किया जा सके। यद्यपि इस बात को ध्यान में रखा गया कि मुद्रास्फीति के बढ़ जाने के जोखिम अभी भी उल्लेखनीय रूप से बने हुए थे।

3.5 2013-14 की पहली तिमाही में कम होने के बाद थोकमूल्य सूचकांक में फिर से बढ़ोतरी होने लगी। खुदरा मुद्रास्फीति, जिसे ग्राहक मूल्यसूचकांक से मापा जाता है, निरंतर अधिक बनी रही। बढ़ते हुये मुद्रास्फीतिक दबाव को कम करने की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और स्फीतिकारी आशंकाओ पर अकंशु लगाकर संवृद्धि के आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए सितंबर की मध्यावधि तिमाही समीक्षा और अक्तूबर 2013 की दूसरी तिमाही समीक्षा-दोनों में रेपों रेट में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 7.75 प्रतिशत कर दिया गया।

चलनिधि की तनावपूर्ण स्थिति के समाधान हेतु किए गए उपाय

3.6 वर्ष 2012-13 को उल्लेखनीय रूप से चलनिधि की तनावपूर्ण स्थिति वाली अवधि के रूप में चिह्नित किया गया। ऐसा कई प्रमुख कारणों से हुआ जिनमें शामिल थे - सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के पास अत्यधिक नकदी शेष रखा जाना, मुद्रा की मजबूत मौसमी मांग, विदेशी मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक के किए गए हस्तक्षेप और बैंकों के जमा संग्रह और क्रेडिट उठाव के बीच का अंतर। रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि के प्रबंधन के लिए कई उपाय किए गए। 2012-13 में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में तीन चरणों में संचयी रूप से 75 आधार अंकों की कमी कर इसे बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 4.0 प्रतिशत कर दिया गया जो 1974 के बाद इसका न्यूनतम स्तर है। अगस्त 2012 में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में 100 आधार अंकों की कटौती कर इसे बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 23.0 प्रतिशत कर दिया गया। 2012-13 के दौरान दैनिक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) परिचालनों के माध्यम से चलनिधि का प्रवाह बढ़ाने के साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा खुले बाजार (ओएमओ) परिचालनों द्वारा ₹1.5 ट्रिलियन मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद भी की गई।

3.7 वर्ष 2013-14 के दौरान चलनिधि की स्थिति में सामान्य रूप से सुधार हुआ जिसके प्रमुख कारण सरकार द्वारा नकदी शेषों का अधिक आहरण और जमा और ऋण वृद्धि के बीच के अंतर का संकुचन था। घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में विनिमय दर अस्थिरता को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2013 के मध्य से कई उपाय किए। इन उपायों में शामिल थे - एमएसएफ दर और बैंक दर में 200 आधार अंकों की वृद्धि कर इसे 10.25 प्रतिशत करना, खुले बाजार में ₹120 बिलियन मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी की घोषणा, एलएएफ के तहत उधार लेने की सुविधा को प्रत्येक बैंक के लिए उसकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 0.5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा लगाना और सीआरआर के न्यूनतम दैनिक रखरखाव में वृद्धि कर उसे पाक्षिक आधार पर दैनिक औसत आवश्यकता के 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 99 प्रतिशत कर देना। इसके अलावा 8 अगस्त 2013 को रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार नकदी प्रबंधन बिलों (सीएमबी) की नीलामी की घोषणा की। तदनुसार, आगे के सप्ताहों में ₹960 बिलियन मूल्य के नकद प्रबंध बिलों (सीएमबी) की नीलामी हुई।

3.8 विदेशी मुद्रा बाजार की स्थिति में हुए सुधार के मद्देनजर रिज़र्व बैंक ने 20 सितंबर 2013 की अपनी मध्य-तिमाही समीक्षा में जुलाई मध्य के बाद से खास तौर पर उठाए गए कदमों की नपी-तुली वापसी शुरू कर दी। एमएसएफ दर में 75 आधार अंकों की कटौती कर इसे 9.5 प्रतिशत और सीआरआर के न्यूनतम दैनिक रखरखाव को घटाकर औसत पाक्षिक आवश्यकता का 95 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, चलनिधि स्थिति के मूल्यांकन और मौसमी ऋण की मांग में उठाव, त्योहार से संबंधित मुद्रा की मांग तथा 2013-14 की दूसरी छमाही में सरकार के उधारी कार्यक्रम की प्रत्याशा में चलनिधि दबाव को कम किए जाने को ध्यान में रखकर

रिज़र्व बैंक द्वारा 7 अक्तूबर 2013 को ओएमओ परिचालन द्वारा ₹99.74 बिलियन की खरीद की गई। इसके अतिरिक्त, धीरे-धीरे सामान्य स्थितियों की बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, एमएसएफ दर में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 9.5 प्रतिशत से 9.0 प्रतिशत किया गया और 7 अक्तूबर 2013 को एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त चलनिधि सुलभ कराए जाने हेतु आवधिक रेपो की घोषणा भी की गई। 7 दिवसीय सावधि रेपो का पहला दौर 11 अक्तूबर 2013 (₹190 मिलियन) को आयोजित किया गया और इसके बाद 14 दिवसीय सावधि रेपो 18 अक्तूबर 2013 (₹195 मिलियन) को आयोजित किया गया। इन उपायों के फलस्वरूप, अक्तूबर 2013 में चलनिधि की स्थिति सहज हो गई। रिज़र्व बैंक ने 2013-14 की मौद्रिक नीति की अपनी दूसरी तिमाही समीक्षा में एमएसएफ दर में 25 आधार अंकों की और कटौती कर इसे 8.75 प्रतिशत कर दिया और रेपो दर में 25 आधार अंकों से वृद्धि कर इसे 7.75 प्रतिशत कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप, ब्याज दर दायरे सामान्य मौद्रिक नीति परिचालनों से तालमेल बैठने की प्रक्रिया पूरी हो गई। उसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने 7 दिवसीय और 14 दिवसीय सावधि रेपो के जरिए चलनिधि तक पहुँच में वृद्धि की और इसे बैंकिंग प्रणाली के एनडीटीएस के 0.25 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत कर दिया।

3.9 इस प्रकार, मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और संवृद्धि को बढ़ावा देने के बीच संतुलन स्थापित करने जैसा कठिन कार्य करने के साथ ही बढ़े हुए चालू खाता घाटे से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का समाधान भी करना है।

3. ऋण वितरण

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की सीमाओं में वृद्धि की गई ताकि कतिपय क्षेत्रों को अधिक ऋण प्रवाह सुलभ कराया जा सके

3.10 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कुछ खंडों में ऋण प्रवाह बढ़ाये जाने को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2013 से ऋण सीमाओं का विस्तार किया गया। कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि, दोनों के तहत किसानों को कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी/दृष्टिबंधक रखकर दिए जानेवाले 12 माह से अनधिक अवधि के ऋणों की सीमा ₹2.5 मिलियन से बढाकर ₹5 मिलियन कर दी गई है जबकि उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों, बीजों, पशु खाद्य, कुक्कुट आहार, कृषि औजारों और अन्य निविष्टियों आदि के डीलरों/विक्रेताओं को दिए जानेवाले ऋणों की सीमा प्रति उधारकर्ता ₹10 मिलियन से बढ़ाकर ₹50 मिलियन कर दी गई है। इसी प्रकार सेवाएं उपलब्ध कराने या प्रदान करने में संलग्न सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को दी जानेवाली बैंक ऋण सीमाएं ₹20 मिलियन से बढाकर ₹50 मिलियन प्रति उधारकर्ता/इकाई कर दी गई हैं बशर्ते वे एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित किए अनुसार उपस्कर हेतु निवेश मानदंड को पूरा करते हों।

रुपया निर्यात ऋण - ब्याज सहायता योजना को बढ़ाया जाना

3.11 निर्यात को बढ़ावा दिए जाने की दृष्टि से सरकार ने 2013-14 के लिए कतिपय रोजगारोन्मुख क्षेत्रों, यथा- हस्तशिल्प, कालीन, हथकरघा, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों, रेडीमेड कपड़े, प्रसंस्कृत कृषि सामान, खेल का सामान एवं खिलौने। इसके अलावा, 2013-14 के लिए इंजीनियरिंग वस्तुओं की 235 टैरिफ लाइनों तथा आईटीसी(एचएस) तथा टैक्सटाइल सामानों की 6 टैरिफ लाइनों को ब्याज अनुदान भी प्रदान किए गए। साथ ही, सरकार ने 1 अगस्त 2013 से ब्याज अनुदान की दर 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

एमएसई के पुनर्वास हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए

3.12 एमएसई को आंतरिक/बाहरी कारकों से प्रेरित संरचनात्मक और अन्य बाधाओं के चलते रुग्णता का खतरा बना रहता है। चूंकि ये उद्यम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते इसलिए वे मामूली अवरोधों के प्रति भी अतिसंवेदनशील होते हैं और जल्द ही रुग्णता की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। यदि तनाव के शुरुआती लक्षणों का तुरंत समाधान नहीं किया जाए तो इसका उद्यम पर काफी गंभीर असर हो सकता है और ज्यादातर मामलों में यह इकाई को बंद करने की दिशा में ले जा सकता है। रुग्ण इकाई की पहचान की प्रक्रिया को तेज करने, शुरुआती रुग्णता का जल्दी पता लगाए जाने और किसी इकाई को अलाभकारी घोषित करने से पहले बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के निर्धारण हेतु रिज़र्व बैंक ने 1 नवंबर 2012 को एमएसई क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास हेतु संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।

एमएसई क्षेत्र को ऋण वृद्धि पर निगरानी हेतु संरचनात्मक प्रणाली का सुझाव दिया गया

3.13 एमएसई क्षेत्र को देय ऋण में वृद्धि में गिरावट से हो रही चिंताओं को देखते हुए इस क्षेत्र में ऋण संबंधी समस्त मुद्दों की निगरानी हेतु बैंकों के लिए एक संरचनात्मक प्रणाली के बारे में

सुझाव देने के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के नेतृत्व में एक उप समिति (अध्यक्षः श्री के.आर.कामथ) का गठन किया गया। इस समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर 9 मई 2013 को दिशानिर्देश जारी किए गए जिनमें कहा गया है कि - इस क्षेत्र को देय ऋण में वृद्धि पर निगरानी हेतु अपनी मौजूदा प्रणाली को मजबूत बनाए जाने और बैंक में विभिन्न पर्यवेक्षी स्तरों अर्थात क्षेत्र, अंचल, बैंक स्तर आदि पर एक प्रणाली-आधारित व्यापक कार्यनिष्पादन प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) स्थापित की जानी चाहिए और नियमित आधार पर इसका गंभीरता से मूल्यांकन किए जाने की भी जरूरत है; एमएसई ऋण आवेदनों के लिए ई-ट्रेकिंग की व्यवस्था लागू करने और बैंकों में ऋण आवेदनों की निपटान प्रक्रिया पर शाखा-वार, क्षेत्र-वार, अंचल-वार और राज्य-वार स्थितियों के साथ निगरानी करने की जरूरत है तथा रुग्ण एमएसई इकाइयों के समयबद्ध पुनर्वास पर निगरानी रखी जाए।

माइक्रो फाइनैंस

एसएचजी - बैंक सहबद्धता कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी) का एसएचजी 2 में परिवर्तन

3.14 एसएचजी-बीएलपी बैंकिंग सुविधा से वंचित गरीबों के लिए बचत आधारित एक ऋण उत्पाद है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने एसएचजी-बीएलपी को एसएचजी-2 में बदले जाने की प्रक्रिया शुरू की। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य गरीबों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें समूहों के लिए स्वैच्छिक बचत की शुरुआत करने वाले एसएचजी और एसएचजी सदस्यों को अपनी बची हुई राशि जमा किए जाने हेतु वैयक्तिक बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित करने वाले बैंक शामिल हैं। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य कम पढ़े-लिखे और कम आय वाले ग्राहकों को समुदाय बैंकिंग से वैयक्तिक बैंकिंग की ओर उत्तरोत्तर स्थानांतरित किए जाने हेतु प्रयास करना भी है। एसएचजी2 का दूसरा पहलू एसएचजी को अभी दिए जा रहे नियत अवधि के सावधि ऋणों की बजाए एक लंबी परिचालन अवधि के नकदी ऋण/ ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराना है। यह बदलाव एसएचजी को उनकी निरंतर ऋण जरूरतों को पूरा करने में काफी लचीलापन प्रदान करता है; इससे उनकी ऋण लागतों में कमी लाने में भी मदद मिलेगी।

3.15 यह भी देखा गया है कि 1-2 ऋण चक्र के बाद परिपक्व एसएचजी अलग तरह की ऋण और वित्तीय सेवा की जरूरतों को प्रदर्शित करने लगते हैं। ऐसी जरूरतें एसएचजी सदस्यों की जोखिम उठाने की क्षमता और उद्यशीलता कौशल के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। इसने एसएचजी के भीतर ही संयुक्त दायित्व समूहों (जेएलजी) के उभरने की राह भी दिखाई है।

4. वित्तीय समावेशन

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश

3.16 मनरेगा[1] मजदूरी, अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ जिनमें केरोसिन, रसोई गैस और उर्वरकों पर सब्सिडी के संबंध में प्रस्तावित नकदी अंतरण शामिल हैं, के भुगतान हेतु इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण (ईबीटी) योजना के सुचारू क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के क्रम में 30 नवबंर 2011 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए थे और उनसे 2000 से कम आबादी वाले गांवों में रहने वाले लोगों सहित सभी लाभार्थियों के आधार-समर्थित बैंक खाते खोलना सुनिश्चित किए जाने हेतु कहा गया था। बैंकों को शाखा या कारोबारी प्रतिनिधि (बीसी) या अन्य साधनों के माध्यम से दूरदराज के स्थानों में अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए सूचित किया गया ताकि डीबीटी के लागू होने तक हर पात्र व्यक्ति का एक बैंक खाता खुल सके। अक्तूबर 2012 में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), संबंधित राज्यों के संयोजक बैंकों और चयनित जिलों के लीड बैंकों को राज्य के प्रशासक और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन से जुड़ी एजेंसियों से के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया ताकि आधार-समर्थित भुगतान प्रणाली की सुचारू शुरूआत सुनिश्चित की जा सके।

बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में डीबीटी योजना की सुविधा देने के लिए शाखा विस्तार

3.17 भारत सरकार की डीबीटी/ईबीटी योजना को बाधारहित रूप में प्रारंभ करने के लिए बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में तेजी से शाखा विस्तार की सुविधा देने के लिए बैंकों को 28 मई 2013 को अनुदेश जारी किए गए कि वे तीन-वर्षीय चक्र की तुलना में बैंक रहित ग्रामीण

[1] महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

केंद्रों में शाखाओं को खोलने में वरीयता (प्राथमिकता) प्रदान करने पर विचार करें जो 2013-16 के उनके वित्तीय समावेशन प्लान के साथ ही साथ लागू होगा।

भारतीय महिला बैंक लि. की स्थापना

3.18 सशक्तीकरण और वित्तीय समावेशन से संबंधित जेंडर संबंधी पहलुओं की बाधाओं को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 2013-14 में ₹10 बिलियन की प्रारंभिक पूंजी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में भारत का पहला महिला बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इसके अनुक्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 सितंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक लि. को लाइसेंस दिया। प्रस्तावित भारतीय महिला बैंक का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में होगा। यह अपनी कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों (अद्यतन जनगणना के अनुसार 9,999 तक की आबादी) में खोलेगा। यह घरेलू बैंकों के लिए यथा लागू प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानदंडों का भी पालन करेगा।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता में सुधार करने के उपाय

3.19 लेखांकन, वित्त पोषण और व्यापार योजना सहित वित्तीय साक्षरता और परिचालन कुशलता की कमी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम उधारकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बैंकों द्वारा सुलभता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अपने आकार और विस्तार की कमी के कारण भी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए 1 अगस्त 2012 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं कि बैंक या तो अपनी शाखाओं में विशेष कक्ष बनाएं अथवा इस क्रिया-कलाप को तुलनात्मक लाभ के लिए अपने वित्तीय साक्षरता केंद्रों के साथ सीधे ही एकीकृत कर दें। इस क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक स्टाफ को भी विशेष रूप से बनाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए प्रशिक्षित किया जाए।

3.20 इस क्षेत्र में नए उद्यमियों को दिशानिर्देश देने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 6 अगस्त 2013 को ''नरचरिंग ड्रीम्स, इंपावरिंग इंटरप्राइज़ेज - फाइनैंसिंग नीड्स ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज़ेज- ए गाइड'' नामक बुकलेट जारी की है। यह बुकलेट उभरते हुए उद्यमियों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र के साथ अपने को जोड़ने का लाभ उठाने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देती है।

वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना (एसजीएसवाई) को राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में रूपांतरित किया गया

3.21 भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2013 से स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना (एसजीएसवाई) को राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में रूपातंरित कर दिया है। एनआरएलएम को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित[2]) के माध्यम से परिचालित किया जा रहा है। शुरुआत में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक चिह्नित ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को, जिसमें महिला को वरीयता प्रदान की जाएगी, एक समयबद्ध रूप में स्वयं सहायता समूह नेटवर्क के तहत लाया जाए।

3.22 यह योजना यह भी सुनिश्चित करेगी कि निर्धनों को निम्नलिखित के लिए अपेक्षित कौशल प्रदान किया जाएः अपने संस्थानों का प्रबंधन करना, बाजारों से जुड़ना, अपनी मौजूदा जीविका का प्रबंधन करना और अपनी ऋण लेने की क्षमता तथा ऋण पात्रता को बढ़ाना। एनआरएलएम मांग और आपूर्ति दोनो ओर से सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेगा। मांग पक्ष की ओर से यह निर्धनों में वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करेगा और स्वयं सहायता समूहों और उनके फैडरेशनों को उत्प्रेरक पूंजी (कैटेलिटिक कैपिटल) मुहैया कराएगा। आपूर्ति पक्ष की ओर यह वित्तीय क्षेत्र के साथ समन्वय का कार्य करेगा और आईसीटी आधारित वित्तीय प्रौद्योगिकियों, कारोबार प्रतिनिधियों और 'बैंक मित्र' जैसे सामुदायिक सुविधाप्रदाता के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। आशा है कि एनआरएलएम 12वीं पंच-वर्षीय योजना के अंत तक सभी जिलों तक पहुंच जाएगा।

[2] क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

वित्तीय समावेशन और ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों को सरल बनाया गया

3.23 केवाईसी दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों के कारण ग्राहकों को हो रही कुछ परिहार्य असुविधाओं को दूर करने के लिए रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों को बैंक खाता खोलने अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाता अंतरित करने में हो रही असुविधा को कम करने के उपाय किए। यदि खाता खोलने के फार्म पर और पहचान प्रस्तुत करने के दस्तावेज में एक जैसे ही पते हैं तो उस दस्तावेज (जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस) को ही पहचान और पते दोनों के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा कार्ड को भी खाता खोलने के वैध आधिकारिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा और इसके लिए 'छोटे खाते' की परिभाषा को सीमित नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा, नए रोज़गार या स्थानांतरण होने के कारण जो ग्राहक किसी नए स्थान पर स्थानांतरित हो रहे हैं उनके लिए भी इसे सरल बनाया गया है। इसके अलावा, धन-शोधन निवारण नियमावली, 2005 के तहत यथा परिभाषित ''लाभार्थी स्वामी'' को चिह्नित करने के लिए भी बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

5. विवेकपूर्ण विनियामक नीति

वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने और प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस देना

3.24 2010-11 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार रिज़र्व बैंक ने 29 अगस्त 2011 को जनता की टिप्पणियों के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस देने संबंधी दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया। दिसंबर 2012 में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन होने के बाद 22 फरवरी 2013 को अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2013 थी। रिज़र्व बैंक को नए बैंकों के लाइसेंस के लिए 26 आवेदन प्राप्त हुए। आवेदन अभी प्रक्रियाधीन हैं। एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति इन आवेदनों की समीक्षा करेगी। समिति अपनी सिफ़ारिशें रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगी और इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। नए बैंकों को लाइसेंस देने का औचित्य वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना, समावेशी आर्थिक संवृद्धि को सहयोग देना और बैंकिंग क्षेत्र में बेहतर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

3.25 दिशानिर्देशों के अनुसार, निजी क्षेत्र के निकाय/समूह, जिनका स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय नागरिकों के पास है, और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं बैंक स्थापित करने के लिए पात्र हैं। मौजूदा गैर-बैंकिंग कंपनियों के प्रवर्तक/प्रवर्तकों का समूह, यदि पात्र पाए जाते हैं, तो वे बैंक स्थापित करने के लिए पात्र है। प्रवर्तक/प्रवर्तकों का समूह वित्तीय रूप से सुदृढ़ होने चाहिए और उसके पास पिछले 10 वर्षों का सफल ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए और साथ ही उसके पास सुदृढ़ साख और सत्यनिष्ठा का भी पिछला रिकार्ड होना चाहिए। प्रवर्तक/प्रवर्तक समूहों के व्यापार मॉडल और व्यापार व्यवहार बैंकिंग मॉडल के साथ प्रतिकूल नहीं होने चाहिए और उनके व्यापार से बैंक और बैंकिंग प्रणाली को किसी प्रकार का संभावित जोखिम नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से उनकी सामूहिक गतिविधियों जैसे कि इस प्रकार के कार्य जिनकी प्रकृति प्रत्याशित हो अथवा वे उच्च आस्ति मूल्य अस्थिरता वाली हों। आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली व्यापार योजनाएं वास्तविक और व्यवहार्य होनी चाहिए और उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि बैंक किस प्रकार वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा। बैंक अपनी कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोलेगा। बैंक मौजूदा घरेलू बैंकों के लिए यथा लागू प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों का पालन भी करेगा।

3.26 निजी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना पूर्ण स्वामित्व वाली गैर-परिचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनियों (एनओएफएचसी) के जरिए की जाएगी। कोई भी एनओएफएचसी किसी प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह के पूर्ण स्वामित्व में होगी। नए बैंक के लिए प्रारंभिक न्यूनतम प्रदत्त वोटिंग इक्विटी पूंजी ₹5 बिलियन होगी। एनओएफएचसी प्रारंभ में बैंक की प्रदत्त वोटिंग इक्विटी पूंजी का न्यूनतम 40 प्रतिशत अपने पास रखेगी जो कि पांच वर्ष की सीमा में आबद्ध रहेगी। एनओएफएचसीएक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत होगी और वह रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित कार्पोरेट अभिशासन और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करेगी। बैंक की स्थापना के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा ''सैद्धांतिक अनुमोदन'' देने के बाद एनओएफएचसी और बैंक की वास्तविक स्थापना, नियमन-योग्य वित्तीय सेवा निकायों को एनओएफएचसी के तहत लाने के लिए प्रवर्तक सूमह निकायों

का पुनर्गठन और साथ ही साथ एनओएफएचसी के तहत निकायों के बीच व्यापार का पुनः-रेखीकरण ''सैद्धांतिक अनुमोदन'' की तारीख से अथवा बैंकिंग व्यापार शुरू करने की तारीख से, जो भी पहले हो, 18 महीनों की अवधि के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। निजी क्षेत्र के नए बैंकों में लाइसेंस प्राप्त करने की तारीख से पहले पांच वर्षों के लिए एफडीआई, एनआरआई और एफआईआई की समग्र अनिवासी शेअर-होल्डिंग प्रदत्त वोटिंग इक्विटी पूंजी की 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक पांच वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद अनिवासी शेअर-होल्डिंग विद्यमान एफडीआई नीति के अनुसार होगी।

विदेशी बैंकों के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्थाओं की स्थापना के लिए ढांचा निर्धारित किया गया

3.27 रिज़र्व बैंक ने विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्थाएं (डब्ल्यूओएस) स्थापित करने के संबंध में दिशानिर्देश 6 नवंबर 2013 को जारी किए। ये नीतिगत दिशानिर्देश आदान-प्रदान और उपस्थिति के एकल रूप के दो मूलभूत सिद्धातों से निर्देशित हैं। स्थानीय रूप से गठित बैंक के रूप में पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्था के साथ लगभग राष्ट्रीय स्वरूप वाला व्यवहार किया जाएगा और इसके चलते उन्हें भारतीय बैंकों के समान ही देश में कहीं भी (ऐसे कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर जहां रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति आवश्यकता होती है) शाखाएं खोलने की अनुमति होगी। यह नीति वर्तमान विदेशी बैंकों की शाखाओं को प्रोत्साहित करती है कि वे पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्था में परिवर्तित हो जाएं क्योंकि इससे उन्हें लगभग राष्ट्रीय स्वरूप का व्यवहार मिलता है। वैश्विक आर्थिक संकट से मिले सबक के मद्देनजर ऐसे परिवर्तन वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से भी वांछनीय हैं।

3.28 नीतिगत दिशानिर्देश स्पष्ट करते हैं कि जटिल संरचना वाले बैंक, ऐसे बैंक जो अपने गृह क्षेत्राधिकार में पर्याप्त प्रकटीकरण नहीं उपलब्ध कराते हैं, ऐसे बैंक जिन्हें व्यापक रूप से नहीं अपनाया गया है, ऐसे बैंक जिनमें यह विधान होता है कि वे समापन की प्रक्रिया आदि में गृह क्षेत्राधिकार के जमाकर्ताओं के दावों को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए केवल डब्ल्यूओएस माध्यम से ही भारत में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। तथापि, ऐसे विदेशी बैंक जिनके मामले में उपर्युक्त शर्तें लागू नहीं होती हैं वे अपनी उपस्थिति के लिए या तो शाखा या फिर डब्ल्यूओएस रूप के विकल्प का चयन कर सकते हैं। ऐसे विदेशी बैंक जो उपस्थिति के लिए शाखा रूप के विकल्प का चयन करते हैं और जब कभी उपर्युक्त शर्तें उन पर लागू हो जाती हैं या जब वे भारत में अपने तुलन-पत्र के आकार के चलते प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तब उन्हें डब्ल्यूओएस में परिवर्तित होना पड़ेगा। ऐसे विदेशी बैंक जिन्होंने भारत में अपना बैंकिंग कारोबार अगस्त 2010 के पहले शुरू किया था, उनके पास यह विकल्प होगा कि वे शाखा माध्यम के जरिए अपना बैंकिंग कारोबार जारी रखें, तथापि उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे डब्ल्यूओएस में परिवर्तित हो जाएं। विदेशी बैंकों के प्रभुत्व को रोकने के लिए विदेशी बैंकों के नए डब्ल्यूओएस/पूंजी अंतर्प्रवाह के भावी आगमन पर तब प्रतिबंध लगा दिया जाएगा जब भारत में विदेशी बैंक शाखाओं और डब्ल्यूओएस की पूंजी एवं आरक्षित निधि बैंकिंग प्रणाली की पूंजी और आरक्षित निधि के 20 प्रतिशत से अधिक हो जाए। नए डब्ल्यूओएस प्रवेशकों के लिए प्रारंभिक न्यूनतम प्रदत्त वोटिंग इक्विटि पूंजी ₹5 बिलियन होगी। वर्तमान विदेशी बैंकों की शाखाएं जो डब्ल्यूओएस में परिवर्तित होने के इच्छुक हों उनके लिए न्यूनतम निबल मालियत ₹5 बिलियन होगी। घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की भांति डब्ल्यूओएस के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार की आवश्यकता 40 प्रतिशत होगी और वर्तमान विदेशी बैंक शाखाओं को डब्ल्यूओएस में बदलने के लिए पर्याप्त अवधि होगी। कॉर्पोरेट अभिशासन के दृष्टिकोण से भी कुछ उपाय किए जाएंगे ताकि जन-हित की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

शाखा प्राधिकार नीति में दी गई रियायतें

3.29 शाखा प्राधिकार नीति को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक भाग में भली प्रकार से प्रबंधित सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए शाखा बैंकिंग को पूर्णतया मुक्त कर दिया गया। 19 सितंबर 2013 को रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को बैंक शाखाएं खोलने के लिए सामान्य अनुमति और उत्तर पूर्वी राज्यों एवं सिक्किम, ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केंद्रो में प्रत्येक मामले में, रिपोर्ट भेजने की शर्त के तहत, रिज़र्व

बैंक से अनुमति प्राप्त किए बिना, शाखा खोलने की अनुमति, कुछ शर्तों के अधीन, अब टियर I केंद्रो में स्थित शाखाओं को भी दे दी गयी है।

बैंकिंग ढांचे पर चर्चा-दस्तावेज जारी किया गया

3.30 27 अगस्त 2013 को '' बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया - द वे फॉरवर्ड'' नामक चर्चा-दस्तावेज जारी किया गया। इस चर्चा-दस्तावेज ने बैंकिंग ढांचे के पुनर्गठन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिह्नित किया गया ताकि प्रतिस्पर्द्धा वृद्धि, उच्चतर सवृंद्धि का वित्तपोषण, विशिष्ट सेवाएं देना और वित्तीय समावेशन बढ़ाने जैसे विभिन्न मुद्दों से संबंधित समस्याओं का निदान किया जा सके। पुनर्गठन का समग्र जोर इस बात पर है कि बदलते हुए बैंकिंग ढांचे में गतिशीलता और लचीलापन लाया जा सके और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि ढांचा आघातसहनीय बना रहे और वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहित करता रहे। इस चर्चा-दस्तावेज में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर किया गया जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं - छोटे बैंक बनाम बड़े बैंक, सार्वभौमिक बैंकिंग, शहरी सहकारी बैंकों का वाणिज्य बैंकों में परिवर्तन, बैंकिंग क्षेत्र में एकीकरण, भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सरकारी स्वामित्व, भारतीय बैंकों की विदेशों में उपस्थिति और जमा बीमा।

बैंकों के लिए गतिशील प्रावधानीकरण पर विचार

3.31 बैंकों के लिए एक गतिशील और प्रतिचक्रीय घटक के साथ विस्तृत प्रावधानीकरण ढांचे के निर्माण के लिए विचार किया जा रहा है ताकि मौजूदा प्रावधानीकरण नीति की सीमाओं को दूर किया जा सके। इस संबंध में 30 मार्च 2012 को जनता से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए ''इंट्रोडक्शन ऑफ डायनेमिक प्रोव्हिजनिंग फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स इन इंडिया'' नामक चर्चा-दस्तावेज़ जारी किया गया। इस गतिशली प्रावधानीकरण ढांचे का मुख्य उद्देश्य यह है कि चक्रों के जरिए लाभ और हानि खाते पर अर्जित घाटों के प्रभाव को कम किया जा सके। प्रस्तावित ढांचे में बैंक उस समय बफर प्रोव्हिजनिंग एकत्र करेंगे जब अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है और दीर्घावधि औसत की तुलना में बैंकों की ऋण हानियां कम हैं। धीमी संवृद्धि/नकारात्मक संवृद्धि के दौर में जब बैंकों की ऋण हानियां बढ़ेंगी उस समय इस एकत्र किए गए बफर का उपयोग किया जाएगा। गतिशील प्रावधानीकरण के संबंध में अंतिम दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी किया जाएंगे।

बड़ी (बल्क) जमाराशियों को परिभाषित किया गया

3.32 आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) के दृष्टिकोण से बल्क जमाराशियों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। ''बल्क जमाराशिया'', शब्द को यद्यपि विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है फिर भी अंतर-परिवर्तनीयता के साथ इसे ''थोक जमाराशिया''के संदर्भ में उपयोग किया जाता है और कभी-कभी इसका उपयोग (एएलएम) दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी किया जाता है। 16 मई 2007 के भारतीय रिजर्व बैंक के स्पष्टीकरण के अनुसार 1.5 मिलियन रुपयों की जमाराशियों अथवा बैंकों के बोर्डों द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उच्चतर सीमा को ''थोक राशियों'' के रूप में परिभाषित किया गया है। इस स्थिति की समीक्षा की गयी है और यह निश्चित किया गया है कि 1 अप्रैल 2013 से ''बल्क जमाराशियों'' शब्द का उपयोग केवल रुपयों में की जाने वाली ₹10 मिलियन या उससे अधिक की मीयादी जमाराशियों के लिए ही किया जाएगा।

सट्टेबाजी के लिए स्वर्ण खरीद हेतु बैंक वित्तपोषण पर रोक

3.33 हाल के वर्षों में स्वर्ण आयात में हुई अत्यधिक वृद्धि चिंता का विषय है। किसी भी रूप में सोने की खरीद नामतः बुलियन/ प्राथमिक स्वर्ण/गहने/स्वर्ण सिक्कों के लिए बैंक से सीधे वित्तपोषण लेने सट्टेबाजी हेतु स्वण मांग में तेजी आ सकती है। इस संबंध में बैंकों को सूचित किया गया कि 19 नवंबर 2012 से किसी भी रूप में स्वर्ण की खरीद के लिए बैंकों से किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जाएगा। इसमें प्राथमिक स्वर्ण, स्वर्ण बुलियन, स्वर्ण गहने, स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के यूनिट और स्वर्ण म्यूच्यूअल फंडों के यूनिट शामिल हैं। तथापि, बैंक जौहरियों की वास्तविक कार्यपूंजी आवश्यकताओं के लिए वित्तपोषण प्रदान कर सकते हैं।

स्वर्ण के प्रति बैंक उधारियों के संबंध में दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत बनाना

3.34 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को बुलियन/प्राथमिक स्वर्ण के प्रति किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं देना चाहिए। तथापि, बैंकों द्वारा बेचे

जाने वाले विशेष रूप से बनाए गए स्वर्ण सिक्के 'बुलियन' अथवा 'प्राथमिक स्वर्ण' की प्रकृति में नहीं आते हैं। जैसा कि रिज़र्व बैंक के 5 अप्रैल 2011 के स्पष्टीकरण में भी दर्शाया गया था। अतः इन सिक्कों के प्रति किसी बैंक द्वारा ऋण देने पर भी कोई समस्या नहीं थी। तथापि, इसमें एक जोखिम यह था कि इनमें से कुछ सिक्के कहीं अधिक वजन के हो सकते थे और इस प्रकार रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश निष्प्रभावी हो सकते थे। तदनुसार, 27 मई 2013 से बैंकों को यह सूचित किया गया कि उनके द्वारा बेचे जाने वाले विशिष्ट रूप से ढाले गये स्वर्ण सिक्कों की प्रतिभूति के प्रति दिये जाने वाले अग्रिम के संबंध में उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रति ग्राहक सिक्के का वजन 50 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए और स्वर्ण आभूषणों, स्वर्ण जवाहरात और स्वर्ण सिक्कों (50 ग्राम तक वजन वाले) के प्रति किसी ग्राहक को दिये जाने वाले ऋण की राशि बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा के भीतर होनी चाहिए। ''स्वर्ण बुलियन'' के प्रति दिये जाने वाले ऋण पर लगायी गयी रोक स्वर्ण ईटीएफ यूनिटों और स्वर्ण म्यूच्यूअल फंडों के यूनिटो के प्रति दिये जाने वाले अग्रिमों पर भी लागू होगी। इसी प्रकार के दिशा-निर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को भी जारी किये गए हैं।

निजी क्षेत्र के बैंको में शयरों के अधिग्रहण हेतु अनिवार्य पूर्वानुमति

3.35 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप भारत में पूंजी जुटाने के लिए बैंकिंग कंपनियों को सक्षम बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकिंग कंपनियों का नियंत्रण ''सही और उचित व्यक्तियों'' के हाथों में ही रहे, बैंककारी अधिनियम 1949 में प्रावधान किया गया है। इसे भारत सरकार द्वारा लाये गये एक संशोधन नामतः, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस अधिसूचना की शर्तों के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए किसी बैंकिंग कंपनी के पांच प्रतिशत या उससे अधिक शेयर पूंजी का अधिग्रहण करने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह अधिसूचना रिज़र्व बैंक को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करती है कि वह इन अनुमोदनों को जारी करने के समय वे शर्ते लगा सकें जो उसके अनुसार आवश्यक हैं। इस संबंध में शीघ्र ही बैंकों को दिशानिर्देश जारी किया जा रहे हैं।

रुपये की सावधि जमाराशियों की परिपक्वतापूर्व निकासी पर लगने वाली दंडात्मक दरों को पारदर्शी बनाई गई

3.36 किसी जमाकर्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर कोई भी बैंक 10 मिलियन रुपये से कम की सावधि जमा राशि निकालने के अनुरोध को राशि जमा करते समय सहमत अवधि के पूरा होने के पूर्व भी स्वीकार करेगा। तथापि, बैंकों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे सावधि जमाराशियों की परिपक्वतापूर्व निकासी पर दंडात्मक ब्याज दर लगा सकेंगे। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जमाकर्ता को जमाराशि दरों के साथ-साथ लागू दंडात्मक दरों के बारे में भी जानकारी दी जाए।

कॉर्पोरेट के बचाव रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के लिए जारी किए गये दिशानिर्देशों का प्रारुप

3.37 कॉर्पोरेट के बचावरहित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र न केवल वैयक्तिक रूप से कॉर्पोरेट के लिए बल्कि संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के लिए चिंता का विषय है। ऐसे कॉर्पोरेट जो अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के लिए बचाव व्यवस्था नहीं रखते वे विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण काफी घाटा सहते हैं। इन घाटों के कारण बैंक से लिए गये ऋणों को चुकाने की उनकी क्षमता कम हो जाती है और इस प्रकार यह बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इस परिप्रेक्ष्य में बचाव रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र वाले कॉर्पोरेट के एक्सपोज़र हेतु वृद्धिशील प्रोविजनिंग और पूंजी अपेक्षाओं की गणना करने हेतु अपनाए जाने वाले तरीके पर रिज़र्व बैंक 2 जुलाई 2013 को दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया। प्रारूप दिशानिर्देशों में बैंकों से ये अपेक्षा की गयी है कि वे अपनी आंतरिक रेटिंग प्रकिया में कॉर्पोरेट के उच्च विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से पैदा होने वाले जोखिम का भी ध्यान रखे और संबंधित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ सूचना का आदान-प्रदान करें ताकि बैंक से इतर ऋण रेटिंग एजेंसी भी इस घटक को अपने जोखिम में शामिल कर सके। प्राप्त टिप्पणियों/फीड बैक के आधार पर रिज़र्व बैंक इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान करेगा और बैंकों से ये अपेक्षित होगा कि वे 1 अक्तूबर 2013 से इसे लागू करें।

पृथक वाणिज्यिक भू-संपदा - आवासीय हाउसिंग संवर्ग बनाना

3.38 उतार-चढ़ाव से युक्त वाणिज्यिक भू-संपदा (सीआरई) एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ओर वैश्विक नियामकों ने कड़े विवेकपूर्ण

मानदंड लगाये हैं। रिज़र्व बैंक ने भी सौ प्रतिशत के उच्चतर जोखिम भार के रूप में कठोर विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए हैं और अन्य मानक आस्तियों के लिए सामान्य रूप से लागू 0.4 प्रतिशत की सामान्य प्रावधानीकरण की निचली सीमा की तुलना में मानक सीआरई आस्तियों के लिए 1.0 प्रतिशत की उच्चतर प्रावधान किया है। तथापि, यह देखा गया है कि सीआरई ऐक्सपोजर के भीतर आवासीय हाउसिंग संवर्ग में संपूर्ण सीआरई क्षेत्र की तुलना में जोखिम और उतार-चढ़ाव कुछ कम है। तदनुसार, 21 जून 2013 को बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए कि वे सीआरई में से एक पृथक वाणिज्यिक भूसंपदा आवासिय हाउसिंग संवर्ग (सीआरई-आरएच) बनाएं और इसे 75 प्रतिशत का न्यूनतर जोखिम भार दें और सीआरई की तुलना में मानक आस्तियों के लिए 0.75 प्रतिशत की दर पर कम प्रावधान करें। सीआरई-आरएच में आवासिय हाउसिंग परियोजनाओं (कैप्टिव उपभोग हेतु छोड़कर) के लिए बिल्डरों/डेवलपरों को दिए गए ऋण शामिल होंगे। यह भी सूचित किया गया कि ऐसी परियोजनाओं में सामान्य रूप से गैर-आवासीय सीआरई शामिल नहीं होंगे।

ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे इंटरसोल प्रभारों में एकरूपता लाएं

3.39 इंटरसोल प्रभारों का तात्पर्य ऐसे प्रभारों से है जिन्हें कोर बैंकिंग समाधानवाले वातावरण में ''घरेलू शाखा'' से इतर किसी अन्य शाखा में ग्राहको द्वारा किए गए लेन-देनों के उपर लगाया जाता है। इस मुद्दे पर बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधी समिति (अध्यक्षः श्री एम. दामोदरन) द्वारा विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि बैंक, ग्राहकों के साथ उचित और तर्कपूर्ण रूप से बिना किसी भेद-भाव के और पारदर्शी तरीके से बैंकों/सेवाप्रदाता स्थानों की सभी शाखाओं पर समान व्यवहार करें। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से अपेक्षित है कि वे घरेलू शाखा और गैर-घरेलू शाखा पर अपने ग्राहकों के बीच में भेद-भाव न करें और एकसमान, उचित और पारदर्शी मूल्यनीति अपनाएं। तदनुसार, 1 जुलाई 2013 को रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को सूचित किया कि यदि कोई विशेष सेवा घरेलू शाखा पर निःशुल्क प्रदान की जाती है तो वह सेवा गैर-घरेलू शाखाओं पर भी निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों की पुनर्रचना के विवेकपूर्ण दिशानिर्देश में संशोधन

3.40 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों की पुनर्रचना के संबंध में मौजूदा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए बनाए गए कार्यदल (अध्यक्षः श्री बी. महापात्रा) की सिफारिशों के अनुसरण में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिए गए अग्रिमों की पुनर्रचना के संबंध में मौजूदा कुछ विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। कार्यदल ने यह सिफारिश की है कि अंतरराष्ट्रीय विवेकपूर्ण उपायों के समान ही ऋणों और अग्रिमों की पुनर्रचना संबंधी आस्ति वर्गीकरण के विषय में भारतीय रिज़र्व बैंक को विनियामकीय स्थिति से छूट देनी चाहिए। तथापि, घरेलू समष्टि आर्थिक स्थिति और वैश्विक स्थिति को भी देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस उपाय पर दो वर्ष के पश्चात विचार किया जाए। तदनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य परियोजना संबंधी ऋणों के वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तारीख (डीसीसीओ) के परिवर्तित होने के मामले को छोड़कर आस्ति वर्गीकरण पर विनियामकीय छूट 1 अप्रैल 2015 से हटाई जाएगी। इसके अलावा, सभी नए मानक पुनर्गठित खातों पर प्रोव्हिजनिंग अपेक्षा को 1 जून 2013 से बढ़ाकर 5.00 प्रतिशत किया गया है। पुनर्गठित मानक खातों के स्टॉक (31 मई 2013 की स्थिति के अनुसार) हेतु बढ़ी हुई प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को और अधिक क्रमिक रूप में लागू किया जाएगा जैसे 3.50 प्रतिशत - 31 मार्च 2014 से प्रभावी (2013-14 की 4 तिमाहियों तक विस्तारित); 4.25 प्रतिशत - 31 मार्च 2015 से प्रभावी (2014-15 की 4 तिमाहियों तक विस्तारित); और 5.00 प्रतिशत - 31 मार्च 2016 से प्रभावी (2015-16 की 4 तिमाहियों में विस्तारित)।

3.41 बैंकों को सूचित किया गया कि प्रवर्तकों द्वारा लाया गया उनका अंश और अतिरिक्त निधियां बैंकों के अंश के न्यूनतम 20 प्रतिशत अथवा पुनर्संरचित ऋण के 2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के बराबर होना चाहिए। इसके अलावा, ऋण का तरजीह प्राप्त शेयरों में परिवर्तन केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए और इक्विटी/तरजीह प्राप्त शेयरों में ऋण का इस प्रकार का परिवर्तन करने की एक सीमा होनी चाहिए जैसे कि पुनर्संरचित ऋण का 10 प्रतिशत।

बासेल II ढांचे के तहत उन्नत नाप दृष्टिकोण में आने की प्रक्रिया

3.42 जोखिम प्रबंधन ढांचे को उन्नत बनाने के उद्देश्य से और बासेल II फ्रेमवर्क तथा उभरते हुए अंतरराष्ट्रीय रुझानों के तहत सोचे गये उन्नत तरीकों को अपनाने से बैंकों को उपचित होने वाली संभावित पूंजी पर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए 27 अप्रैल 2011 को उन्नत नाप दृष्टिकोण संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गये थे। उन्नत नाप दृष्टिकोण में जाने के लिए बैंकों के लिए आवेदन 1 अप्रैल 2012 से शुरू किए गए थे (बॉक्स III.1)।

बॉक्स III.1:
परिचालनगत जोखिम पूंजी गणना के लिए उन्नत माप दृष्टिकोण लागू करने संबंधी मामला और चुनौतियां

परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए बासेल II ढांचे के तहत निर्धारित तीन तरीकों; बेसिक इंडीकेटर एप्रोच (बीआईए) और दि स्टैंडर्डाइज्ड एप्रोच (टीएसए) सहित; में से एडवांस मेज़रमेंट एप्रोच (एएमए) जोखिम के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील और परिष्कृत तरीका है। इस तरीके से बैंक के लिए आंतरिक जोखिम चरों और प्रोफाइलों के आधार पर आंतरिक नमूनों का उपयोग करते हुए विनियामक पूंजी प्रभार की गणना करना संभव हो जाता है और उसे सकल आय जैसे आभासी जोखिमों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। एएमए मुख्यतः चार घटकों पर निर्भर करता है: आंतरिक हानि संबंधी आंकड़े, बाह्य हानि संबंधी आंकड़े, परिदृश्य विश्लेषण तथा परिचालनगत जोखिम पूंजी अनुमान के साथ ही समग्र परिचालनगत जोखिम प्रबंधक (ओआरएम) के लिए बारंबारता एवं तीव्रता नमूने हेतु व्यापार वातावरण और आंतरिक नियंत्रण घटक (बीईआईसीएफ)।

यद्यपि एएमए अपने साथ कई अपेक्षाएं लाता है फिर भी बैंकों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वे इसके लिए विशिष्ट नमूना पद्धति अपनाएं। फिर भी, अधिकतर बैंक आजकल हानि वितरण तरीके (एलडीए) की ओर अभिमुख हो चुके हैं। एलडीए में परिचालनगत जोखिम हानियों की तीव्रता और बारंबारता का विश्लेषण किया जाता है और उनका अलग नमूना बनाया जाता है। एक बार तीव्रता और बारंबारता की गणना हो जाने के पश्चात् मान्टे कार्लो अनुकरण तरीकों का उपयोग करते हुए सकल हानि वितरण विशिष्ट रूप से उत्पन्न किया जाता है (कोरीजिअन और अन्य 2013)।

एएमए में अंतरित होने के लिए इच्छुक भारतीय बैंकों द्वारा महसूस की जा रही मुख्य चुनौतियां

एएमए पद्धति को लागू करने में बैंकों को पेश आ रही प्रमुख चुनौतियों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है, नामतः आंतरिक अभिशासन संबंधी मुद्दे, आंकड़ों संबंधी मुद्दे और नमूना निर्माण/मात्रात्मक गणना संबंधी मुद्दे:

आंतरिक अभिशासन संबंधी मुद्दे

बासेल II परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचे में किसी प्रकार की चूक में सक्रिय रूप से शामिल होने की मुख्य जिम्मेदारी बैंक के वरिष्ठ प्रबंधतंत्र और बोर्ड पर डालता है। संसाधनों की कमी जहां ओआरएम प्रणालियों की स्वतंत्रता में बाधा डालती है और गुणवत्ता पहलुओं के साथ अनुपालन दिखाना बैंकों के लिए एक प्रमुख चुनौती है। किस प्रकार के बीईआईसीएफ पर विचार किया जाना है और उन्हें किस प्रकार परिचानलनगत जोखिम पूंजी गणना नमूने में ढालना है, इस संबंध में भी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।

आंकड़े संबंधी मुद्दे:

1. आंतरिक हानि संबंधी आंकड़े

परिचालनगत जोखिम के लिए विस्तृत नमूनों का निर्माण करने में बैंकों के सामने जो प्रमुख चुनौती है वह है उपलब्ध आंतरिक परिचालनगत हानियों संबंधी आंकड़ों की कमी। भारत के सबसे बड़े बैंकों के पास भी पांच या छह वर्ष से अधिक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो मुख्यतः आंतरिक और बाह्य धोखाधड़ी संबंधी घटनाओं की श्रेणी में आते हैं। प्रणाली से उत्पन्न और प्रणाली के बाहर से प्रभाव डालने वाले उतार-चढ़ावों के आकार, उत्पाद जटिलता, व्यापार नमूनों, आंकड़ों की सीमाओं और भौगोलिक स्थितियों के कारण भी ये चुनौतियों और अधिक बढ़ जाती हैं।

2. बाह्य हानि संबंधी आंकड़े

आंतरिक हानि संबंधी आंकड़ों की कमी के कारण एएमए नमूने में परिदृश्य विश्लेषण और बाह्य हानि संबंधी आंकड़ों का सम्पूरक रूप से उपयोग करने की आवश्यकता बढ़ जाती है। उद्योगों के सहयोग से प्राप्त आंकड़ों की अनुपलब्धता, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से एकत्र आंकड़ों में रिपोर्टिंग और अन्य पूर्वाग्रहों के कारण उनकी सावधानी पूर्वक छंटनी, चुनाव और उन्हें संसाधित करना आवश्यक हो जाता है। आंकड़ों की छंटनी में आलोचनात्मक घटक के आ जाने से अनिश्चितता बढ़ जाती है और बाह्य आंकड़ों का उपयोग करते हुए बारंबारता और तीव्रता अनुमानों के परिणाम गलत निकल सकते हैं।

3. परिदृश्य

यद्यपि विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित परिदृश्यों का उपयोग करके जोखिम की कीमत पर आधारित (वीएआर) हानि वितरण पद्धति (एलडीए) को सम्पूरित किया जा सकता है लेकिन परिदृश्यों की संभावना और अधिकतम अनुमानित तीव्रता में कुछ सीमा तक व्यक्तिपरकता आ जाएगी और यह एक प्रमुख चुनौती है।

माडलिंग/मात्रा संबंधी मुद्दे

i. *उच्च मापन मानक*

उन्नत मापन दृष्टिकोण के अधीन 99.9 वे पर्सेंटाइल का मापन बहुत ही उच्च है और इसका अभिप्राय है कि बैंक वार्षिक हानि की मात्रा का

(जारी...)

(...समाप्त)

अनुमान लगाए जो औसतन प्रति 1000 वर्ष में होगी, जिसके लिए देखे गए डाटा की तुलना में 100 से 200 गुणा ऐक्स्ट्रापोलेशन की आवश्यकता होगी।

ii. परिचालनगत हानि वितरणों का स्वरूप

परिचालनगत हानियों को सामान्यतया ''हैवी-टेल्ड'' वितरण के रूप में देखा जाता है। विभिन्न सांख्यिकीय वितरणों या मॉडलिंग क्रियाविधियों में से किसी एक को चुन लेने से पूंजी पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है और इसलिए मॉडल त्रुटि होने की बहुत बड़ी संभावना बनी रहती है।

iii. उच्च तीव्रता और निम्न बारंबारता हानियों का बाहुल्य

उच्च तीव्रता और निम्न बारंबारता हानियों का बाहुल्य मापन के विभिन्न यूनिटों में देखी गई हानि की बारंबारता और तीव्रता में बहुत विभिन्नताएं हो सकती हैं, जिसमें उच्च बारंबारता निम्न तीव्रता हानि घटनाओं का बाहुल्य हो सकता है।

iv. हानि के श्रेणीकरण के प्रति संवेदनशीलता (परचािलनगत जोखिम हानियों का मूर्त रूप में होना)

विभिन्न कारोबारी पद्धतियों/अलग-अलग प्रकार की घटनाओं की मैट्रिक्स के लिए हानियों का विशिष्ट वितरण अलग-अलग प्रकार का होता है और केवल कुछ ही परिचालनगत जोखिम श्रेणियों में पर्याप्त आंतरिक हानि संबंधी डाटा उपलब्ध होता है।

v. एएमए घटकों का एकीकरण

चारों घटकों अर्थात् आंतरिक डाटा, संगत बाह्य परिचालनगत जोखिम डाटा, परिदृश्य विश्लेषण और परिचालनगत जोखिम वीएआर की गणना के लिए बीईआईसीएफ को जोड़ने की कार्यविधि एक चुनौतीपूर्ण काम है। तीव्रता के अर्थमितीय और सांख्यिकीय अनुमान में डाटा के विभिन्न स्रोतों को जोड़ देने से बहुत सी मात्रात्मक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं।

उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और मापन की महत्ता और मूल्य को कम-ज्यादा नहीं आंका जा सकता। वे बैंकों के मूल्य और पणधारकों के हितों की रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तथापि, परिचालनगत जोखिम की गणना करने के लिए एएमए को कार्यान्वित करना एक बहुत बड़ा काम है और इसके लिए सभी पणधारकों से एक सुनियोजित और समन्वित प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके लिए ऐसी कार्यान्वयन कार्यपद्धति की आवश्यकता है जो ठोस हो और भली भांति समन्वित हो।

संदर्भः

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (2011), "ऑपरेशनल रिस्क-सुपरवाइजरी गाइडलाइन्स फॉर द एडवांस मेजरमेंट एप्रोचेज", जून, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस)

कॉरिगैन जोश, नेल कैन्टल एवं फ्रेड वासवेन्कीज (2013), "इम्पलिमेंटिंग एंड इंटीग्रेटिंग नेक्सट जेनरेशन एनालिटिकल टेक्नीक्स इन द फाइनेंशियल इन्डस्ट्री", जो http://riskandsolevncy.co.uk पर उपलब्ध।

6. *पर्यवेक्षी नीति*

वर्ष 2012-13 के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) के मुख्य निर्णय

3.43 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षणीय और विनियामक प्रयासों का मूलभूत स्तंभ बना रहा। बीएफएस की बैठकों में निरीक्षण रिपोर्ट को और अधिक जोखिम आधारित बनाने और कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा सहित निरीक्षण योग्य कार्य योजना (मॉनीटरेबिल एक्शन प्लान-एमएपी) बनाने का निर्णय लिया गया और इसे बैंकों को सूचित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, पर्यवेक्षणीय चिंताओं पर केंद्रींकृत रूप से पर्यवेक्षण के दृष्टिकोण से ध्यान दिया जा सका। बीएफएस के निर्देशों/अनुदेशों के आधार पर कुछ क्षेत्रों जैसे कि बैंकों में केवाईसी/एएमएल[3] वातावरण, वास्तविक क्षेत्र/आवास क्षेत्र में बैंकों का जोखिम और एक निर्धारित सीमा से अधिक की गई प्रमुख धोखाधड़ियों के संबंध में थीमैटिक समीक्षाएं की गईं।

3.44 शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण के संबंध में बीएफएस ने संशोधित श्रेणीवार पर्यवेक्षणीय कार्रवाई, दिशानिर्देशों के तहत शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय पुनर्गठन का अनुमोदन किया और शहरी सहकारी बैंकों के लिए मौजूदा रेटिंग मॉडल को अधिक सरल बनाया। बीएफएस ने ग्रामीण ऋणदाता संसथाओं के संबंध में विनियमनों की समीक्षा की और लाइसेंस रहित जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को दिशानिर्देश जारी करने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की।

[3] धन-शोधन निवारण

बैंकों में आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण ढांचे को युक्तिसंगत बनाना

3.45 आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण ढांचे को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बैंकों को 26 जून 2012 को सूचित किया गया कि वे बैंक के अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति/ परिवर्तन के लिए यथा लागू नीतिगत दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को प्रमुख, आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए भी लागू करें।

खाता खोलने/ खातों की निगरानी हेतु केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देश

3.46 13 सितंबर 2012 को बैंकों को सूचित किया गया कि वे ग्राहकों के खाते खोलने, जोखिम श्रेणीकरण और लेन-देनों की निगरानी करने के संबंध में समय-समय पर जारी केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि मौजूदा विनियमनों/ सांविधिक अपेक्षाओं का उल्लंघन होकर इस प्रकार के खातों में जमा/भुगतान की जाने वाली राशियों द्वारा ग्राहकों को किसी प्रकार की हानि उठानी पड़ती है तो इसके लिए पर्यवेक्षण संबंधी कार्रवाई के अलावा उन्हें ही इसके लिए जिम्मेदार भी माना जाएगा।

गैर-निष्पादन आस्तियों (एनपीए) और अग्रिमों की पुनर्संरचना की निगरानी

3.47 रिज़र्व बैंक ने 30 नवंबर 2012 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया कि वे अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, ऋण मूल्यांकन और मंजूरी प्रक्रिया, मंजूरी के बाद की निगरानी और उसकी अनुवर्ती कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त उपाय करें और उनके पास एक सशक्त एमआईएस प्रणाली होनी चाहिए जो आरंभिक कमजोरी/ विपत्ति का पूर्व आकलन कर सके और तत्संबंधी उपचारात्मक कार्रवाई करने और बैंक के बकाया की रिकवरी करने में सक्षम हो। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि अग्रिमों की पुनर्संरचना पारदर्शी तरीके से और वस्तुपरक रूप से की जानी चाहिए जो विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप हो। एनपीए में कमी और पुनर्संरचित खातों की निगरानी की समीक्षा नियमित रूप से की जानी चाहिए।

बैंकों का जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

3.48 वाणिज्य बैंकों हेतु पर्यवेक्षणीय प्रक्रिया की समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय संचालन समिति (अध्यक्षः डॉ. के.सी. चक्रवर्ती) की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में 28 सितंबर 2012 को बैंकों को अप्रैल 2013 से प्रारंभ होने वाले पर्यवेक्षणीय चक्र से जोखिम आधारित पर्यवेक्षणीय तरीके में होने वाले सन्निकट अंतरण के विषय में सूचित किया गया। उनसे यह भी कहा गया कि वे इस संबंध में की गई प्रगति की निगरानी रखने के लिए एक संस्थागत प्रणाली स्थपित करें और जोखिम आधारित प्रणालियों संबंधी मौजूदा उत्कृष्ट प्रथाओं का पालन करना सुनिश्चित करें।

बैंकों को अधिक परिचालनगत स्वायतत्ता देने के लिए धोखाधड़ी निगरानी प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना

3.49 रिज़र्व बैंक में प्रक्रियाओं और विधियों को युक्तिसंगत बनाने के लिए और बैंकों के उच्च प्रबंध तंत्र को और अधिक परिचालनगत स्वायतत्ता देने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों; जिनमें यह अपेक्षित था कि ₹10 मिलियन या उससे अधिक की राशि शामिल होने पर धोखाधड़ी के प्रयासों संबंधी मामलों की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को भेजी जाए; को 15 नवंबर 2012 से समाप्त कर दिया गया है। तथापि, बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे धोखाधड़ी के संबंध में ₹10 मिलियन या उससे अधिक की राशि शामिल होने वाले मामलों को अपने बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करते रहें।

बैंकों के खिलाफ मीडिया के आरोप और उनके संबंध में विनियामकीय कदम

3.50 मार्च 2013 में एक ऑनलाइन मीडिया पोर्टल ने निजी क्षेत्र के तीन बैंकों के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे। उनमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि ये बैंक ऐसी प्रक्रियाओं को तरजीह प्रदान कर रहे हैं जो धन-शोधन, स्वर्ण की बिक्री और बीमा एवं संपत्ति प्रबंधन जैसे तीसरे पक्षकारों के उत्पादों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

3.51 बैंकों के खिलाफ मीडिया द्वारा लगाए गए आरोपों से मार्च-मई 2013 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा 39 बैंकों की संवीक्षा की प्रक्रिया में तेजी आ गई। संवीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विनियमनों और अनुदेशों के उल्लंघन के लिए 36 बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। प्रत्येक मामले में तथ्यों की जांच करने के बाद प्रत्येक बैंक द्वारा दिए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि, व्यक्त की गई कुछ चिंताए तथ्यपूर्ण थीं और उनके संबंध में मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक था। 31 बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया गया।

3.52 बैंकों में केवाईसी/एएमएल प्रणालियों और अनुपालन के संबंध में की गई थीमैटिक सीमाक्षाओं से यह बात सामने आई कि बैंकों द्वारा बेहतर विनियामकीय अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में कुछ उपचारात्मक कार्रवाई करने करने के विषय में विचार किया गया और तत्पश्चात बैंकों को विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गएः (i) बैंकों द्वारा प्रस्तावित संपत्ति प्रबंधन सेवाओं के संबंध में ड्राफ्ट दिशानिर्देश; (ii) तीसरे पक्षकार के वित्तीय उत्पादों का विपणन एवं वितरण पर विस्तृत दिशानिर्देश; और (iii) केवाईसी मानदंडों/एएमएल मानकों/ वित्तीय आतंकवाद (सीएफटी) का सामना करने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश।

3.53 थीमैटिक समीक्षाओं और उसके बाद की गई अनुवर्ती कार्रवाइयों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने बैंकों को की जाने वाली कार्रवाइयों के संबंध में एक सूची उपलब्ध कराई है। ऐसा महसूस किया गया है कि निरीक्षण और संवीक्षाएं और अधिक केंद्रित होनी चाहिएं और उनका ध्यान 'परिणाम' पर होना चाहिए न कि 'केवल प्रक्रियाओं पर'। अतः रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों और उसकी संवीक्षाओं के केंद्रबिंदु और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निरीक्षण अधिकारियों हेतु एक दिशानिर्देश संबंधी नोट जारी किया गया है ताकि वे बैंकों द्वारा केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों को लागू करने संबंधी निर्धारण करते समय जिन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है उनका ध्यान रख सकें।

बड़े मूल्य के ऋण खातों से संबंधित हक-विलेखों का विधिक लेखा-परीक्षा के अंतर्गत होना

3.54 रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2013 को बैंकों को सूचित किया कि ₹50 मिलियन और उससे अधिक एक्सपोज़र वाले सभी ऋण खातों के संबंध में हक-विलेखों और अन्य दस्तावेजों की आवधिक रूप से विधिक लेखा परीक्षा की जाए और ऋण के पूर्णतया समाप्त होने तक नियमित लेखा-परीक्षा के एक भाग के रूप में संबंधित प्राधिकारियों के साथ हक-विलेखों का पुनः सत्यापन किया जाए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे तिमाही अंतरालों पर अपने निदेशक मंडलों/लेखा-परीक्षा समितियों के सामने समीक्षा नोट प्रस्तुत करें जिसमें तिमाही के दौरान विधिक लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक मामलों की संख्या, कवर किए गए कुल खातों की संख्या, लेखा-परीक्षकों द्वारा इंगित की गई कमियों, ऐसे खातों की संख्या का उल्लेख जिनमें सुधार लाना संभव न हो और ऐसे मामलों में बैंक के हितों की रक्षा करने के लिए किए गए उपचारात्मक उपायों का उल्लेख किया गया हो।

मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस) संबंधी कार्य प्रारंभ किया गया

3.55 '' सुपरवाइज़री फ्रेमवर्क फॉर मेज़रिंग एंड कंट्रोलिंग लार्ज एक्सपोज़रर्स 'नामक मार्च 2013 में प्रकाशित परामर्शी दस्तावेज के अपेक्षित प्रभाव पता लगाने के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति ने एक मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस) प्रारंभ किया था। बड़े एक्सपोज़र समूह का सदस्य होने के नाते रिज़र्व बैंक ने अपने न्यायाधिकार क्षेत्र में आने वाले छह बड़े बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकऔर निजी क्षेत्र के तीन बैंक) से विवरण मंगाते हुए क्यूआईएस प्रारंभ किया था। इस प्रकार एकत्र किए गए आंकड़ों का अधिक विश्लेषण करने के लिए इसे बीसीबीएस को प्रस्तुत किया गया है। (बॉक्स III.2).

बॉक्स III.2:
बड़े एक्सपोज़रों के प्रति उभर रहे दृष्टिकोण

हाल के वित्तीय संकट से प्रमुख रूप से यह सबक मिला है कि बैंकों ने अपनी बहियों और कार्य-संचालनों में एकल प्रतिपक्षकारों से जुड़े एक्सपोज़रों की माप, समग्र स्थिति के आकलन और नियंत्रण का कार्य हमेशा निरंतर रूप से नहीं किया है। ऐतिहासिक रूप से भी वैयक्तिक प्रतिपक्षकारों के संकेंद्रित एक्सपोज़रों के चलते बैंकों के डूबने के कई मामले सामने आए हैं। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बैंकों की उनकी अपनी पूंजी की तुलना में बड़े एक्सपोज़रों के आकार के मापन और उसे सीमित रखने की आवश्यकता को काफी पहले ही स्वीकार किया है। बीसीबीएस ने 1991 में बैंकिंग प्रणालियों के लिए सुदृढ़ विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने के व्यापक उद्देश्य के एक अंश के रूप में क्रेडिट एक्सपोज़रों पर पहला मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया। इसके बाद 1999 में ठकोर प्रिन्सिपल्स फ़ॉर इफेक्टिव सुपरविजनड नामक बीसीबीएस दस्तावेज जारी किया गया, जिसमें यह अपेक्षा की गई कि एकल या घनिष्ठता से संबद्ध समूह उधारकर्ताओं से संबंधित बड़े एक्सपोज़रों के लिए स्थानीय कानूनों और बैंक विनियमन द्वारा विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित की जाए। साथ ही, 2006 और 2012 में जारी किए गए मूल सिद्धांतों के संशोधित संस्करणों में भी उच्च एक्सपोज़र सीमाओं के संबंध में इसी के समान अपेक्षा निर्धारित करते हुए एक निर्देश समाविष्ट किया गया है। बड़े एक्सपोज़रों से संबंधित 1991 के

(जारी...)

(...समाप्त.)

बीसीबीएस दस्तावेज के अनुसार एकल एक्सपोज़रों के लिए कुल पूंजी के 25 प्रतिशत की उच्चतर सीमा का लक्ष्य वांछनीय है।

किंतु न तो 1991 के मार्गदर्शन में इस आशय का कोई उल्लेख है और न ही मूल सिद्धांतों में कहीं यह बताया गया है कि बैंक किस प्रकार से एकल प्रतिपक्षकार और संबद्ध प्रतिपक्षकारों के किसी एक समूह को दिए गए एक्सपोज़रों का मापन और संकलन करें। इसके कारण विभिन्न देशों और विभिन्न बैंकों में मौजूद प्रथाओं में काफी अंतर रहा। वैश्विक वित्तीय संकट से मिली सीख के मद्देनज़र और वैश्विक स्तर पर विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों में बड़े एक्सपोज़र (एलई) पद्धति में तालमेल बिठाने के उद्देश्य से बीसीबीएस ने विद्यमान एक्सपोज़र मानदंडों की समीक्षा और परिष्करण किए जाने हेतु मार्च 2011 में बड़ा एक्सपोज़र समूह (एलईजी) का गठन किया। इस एलईजी की सिफारिशों के आधार पर बीसीबीएस ने प्रस्तावित मानकों पर टिप्पणीयां आमंत्रित करते हुए मार्च 2013 में ''सुपरवाइज़री फ्रेमवर्क फॉर मेशरिंग एंड कंट्रोलिंग लार्ज एक्सपोज़र्स'' नामक विषय पर परामर्शदायी दस्तावेज प्रकाशित किया। इन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इन्हें 1 जनवरी 2019 से पूरी तरह कार्यान्वित किया जाएगा और ये बासेल-III ढांचे और वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (जी-एसआईबी) के संक्रमण काल के अनुरूप होंगे।

संशोधित एलई पद्धति के परामर्शदायी दस्तावेज में निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल किए गए हैं :

- यह प्रस्ताव किया गया है कि संशोधित एलई ढांचा जोखिम-आधारित पूंजी मानकों से संबंधित समिति के विद्यमान प्रयासों का पूरक बने और जोखिम आधारित ढांचे का एक सहज समर्थक के रूप में कार्य करे। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि क्रेडिट गुणवत्ता और दिवालियेपन की प्रक्रिया में वसूली की प्रत्याशित राशि - दोनों को बड़े एक्सपोज़र मानक के अंतर्गत शामिल न किया जाए। अतः एक्सपोज़र मूल्यों के मापन में इन्हें स्थान नहीं दिया जाता है।
- प्रस्तावित मानकों में निजी क्षेत्र के एकल प्रतिपक्षकारों और संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह की चूक की वजह से पैदा होने वाले जोखिम पर ध्यान संकेंद्रित किया जाता है। प्रतिपक्षकारों के बीच नियंत्रण का संबंध और आर्थिक अन्योन्याश्रितता, चाहे एकल रूप से हो और/या फिर संयुक्त रूप से, उन प्रतिपक्षकारों के बीच रहने वाली संबद्धता का पता लगाने का आधार बनेगी जिसके अनुरूप संबद्ध प्रतिपक्षकारों के एक समूह का गठन हो सकता है।
- छाया बैंकिंग से पैदा होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए एलई पद्धति के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत निधियों का एक्सपोज़र, प्रतिभूतिकरण संरचनाएं और सामूहिक निवेश के वचन-पत्र शामिल होंगे। इसका उद्देश्य प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (एसआईएफआई) पर पड़ने वाले संक्रामक प्रभाव को रोकना भी है।
- बीसीबीएस ने ऐसे संकेंद्रण जोखिमों की भी पहचान की है जो बैंक की आघात-सहनीयता को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे आस्ति एक्सपोज़र के क्षेत्रवार व भौगोलिक संकेंद्रण, सरकारों को दिए गए एक्सपोज़र और अंतर-समूह एक्सपोज़र आदि। यह समिति भविष्य में इस प्रकार के एक्सपोज़रों से पैदा होने वाले संकेंद्रण जोखिम पर भी विचार करेगी।
- प्रस्तावित एलई ढांचा वैश्विक स्तर पर सक्रिय सभी बैंकों पर लागू होगा। सदस्य देश अपेक्षाकृत अधिक सख्त मानक तय करने का विकल्प चुन सकते हैं और इसे व्यापक रूप से अधिकाधिक बैंकों पर लागू भी कर सकते हैं।
- बड़े एक्सपोज़रों के ढांचे के अंतर्गत रहने वाले एक्सपोज़रों के साथ मॉडल जोखिम को संबद्ध न किया जाए।
- बड़े एक्सपोज़र की न्यूनतम सीमा बैंक के पात्र पूंजी आधार के 5 प्रतिशत के बराबर हो।
- बैंकों को अपने पर्यवेक्षकों को सभी बड़े एक्सपोज़रों की रिपोर्ट भेजनी चाहिए या यदि उनके बड़े एक्सपोज़रों की संख्या 20 से कम हो तो अपने पास रहने वाले सबसे बड़े 20 ऐसे एक्सपोज़रों की रिपोर्ट भेजनी चाहिए चाहे उनका आकार बैंक के पूंजी आधार की तुलना में कुछ भी हो।
- इस बड़े एक्सपोज़र की सीमा सामान्य इक्विटी टियर (सीईटी1) या टियर 1 पूंजी (वर्तमान में प्रयुक्त कुल पूंजी की तुलना में) के 25 प्रतिशत पर निर्धारित की जाए। इस प्रकार, पूंजी आधार में, जिस पर एक्सपोज़र सीमा की गणना की जाती है, केवल वह पूंजी शामिल की जाएगी, जो कार्यशील संस्था को होने वाली अप्रत्याशित हानियों को झेल सकती हो। साथ ही, प्रयुक्त पूंजी की सख्त परिभाषा से तात्पर्य है संस्तुत बड़ी एक्सपोज़र सीमा को और अधिक सख्त करना।

संकेंद्रण जोखिम को नियंत्रित करने के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों में कालांतर में परिवर्तन आया है और 1991 के बीसीबीएस दिशा-निर्देश उसका मार्गदर्शक रहा है। इन दिशा-निर्देशों में बैंकों की पूंजी निधियों के परिप्रेक्ष्य में एकल या समूह उधारकर्ता को बैंक द्वारा दिए जाने वाले एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा का उल्लेख किया गया है। उनमें यह बताया गया है कि एकल उधारकर्ता और समूह से संबद्ध उधारकर्ताओं के लिए बैंक द्वारा दिया जाने वाला क्रेडिट एक्सपोज़र उसकी अपनी पूंजी निधियों के क्रमशः 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से अधिक न हो। पूंजी बाज़ारों को बैंक द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रकारों (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों) के एक्सपोज़र की कुल राशि पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उसकी निवल मालियत के 40 प्रतिशत से अधिक न हो। इस समग्र उच्चतम सीमा के अंतर्गत रहते हुए शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों / डिबेंचरों, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों और वेंचर पूंजी निधियों में बैंक द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष निवेश की राशि उसकी अपनी निवल मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक न हो। इसके अलावा, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों और विशिष्ट क्षेत्रों के प्रति बैंक अपनी वचनबद्धता की कुल राशि के लिए आंतरिक सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन और ज्ञात जोखिमों को ध्यान में रखते हुए बैंक तत्संबंधी सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं।

संदर्भ :

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (2013), ''सुपरवाइज़री फ्रेमवर्क फॉर मेशरिंग एंड कंट्रोलिंग लार्ज एक्सपोज़र्स - कन्सल्टेटिव डाक्युमेंट'', मार्च, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों को सूचीबद्ध करने संबंधी मानदंड संशोधित किए गए

3.56 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) का कार्यान्वयन हो जाने तथा इससे सूचना/दस्तावेजों का सहवर्ती केंद्रीकरण हो जाने, एमआईएस की पुनर्संरचना हो जाने और परिचालनात्मक दक्षता बढ़ जाने के कारण यह महसूस किया गया कि सांविधिक लेखापरीक्षकों का चयन करने के लिए तत्संबंधी व्यावसायिक व अन्य मानदंडों को संशोधित किया जाए और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की व्यापक शाखा लेखापरीक्षा की वर्तमान प्रणाली को युक्तिसंगत बनाया जाए। संशोधित मानदंडों के अनुसार निर्धारित अनुभव के अलावा फर्म के दो भागीदार या उनके वैतनिक सनदी लेखाकार ऐसे हों जो डीआईएसए/ सीआईएसस/आईएसस या अन्य कोई समतुल्य अर्हता रखते हैं।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने समाधान पद्धति की समकक्ष समीक्षा की

3.57 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने एफसीबी के अधिकार-क्षेत्र की मौजूदा समाधान पद्धतियों का मूल्यांकन करने और बेंचमार्क के रूप में कतिपय प्रमुख विशेषताओं (केए) का प्रयोग करते हुए उन पद्धतियों में योजनाबद्ध रूप से परिवर्तन सुझाने के उद्देश्य से एक समकक्ष समीक्षा कराई। अन्य देशों की तरह भारत, जो एफएसबी का सदस्य है, की समाधान पद्धति का भी मूल्यांकन किया गया तथा ऐसे अनेक क्षेत्रों की पहचान की गई जिनमें सुधार किया जाना है। इनके अंतर्गत बीमाकर्ताओं व प्रतिभूति फर्मों की समाधान पद्धति, बैंकों एवं प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (एसआईएफआई) की विफलताओं को दूर करने की दृष्टि से समाधान पद्धतियों को और सशक्त करना तथा पर्यवेक्षकों को प्रत्येक एसआईएफआई के लिए अपने स्वयं की वसूली व समाधान योजनाएं विकसित करने हेतु और अधिक साधन व शक्ति प्रदान करना शामिल है।

डीआईसीजीसी से संबंधित प्रमुख गतिविधियां

3.58 वर्ष 2012-13 के दौरान निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने 63 सहकारी बैंकों से संबंधित कुल ₹1,998 मिलियन राशि के दावों (15 मुख्य दावे और 154 अनुपूरक दावे) का निपटान किया जबकि पिछले वर्ष के दौरान उसने ₹2,873 मिलियन राशि के दावों का निपटान किया था। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार जमा बीमा निधि (डीआईएफ) ₹361 बिलियन की रही, जिससे 1.7 प्रतिशत का रिज़र्व अनुपात (डीआईएफ/बीमाकृत जमाराशियां) रहा।

7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

वहन करने योग्य दरों पर अल्पावधिक उत्पादन ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना की अवधि 2013-14 तक बढ़ाई गई

3.59 सरकार ने किसानों को वहन करने योग्य दरों पर ऋण दिलाने की दृष्टि से 7 प्रतिशत की रियायती दर पर अल्पावधिक उत्पादन ऋण मुहैया कराने हेतु ब्याज सहायता योजना की अवधि 2013-14 तक बढ़ाई। मौजूदा 2 प्रतिशत की छूट के साथ-साथ शीघ्र/समय पर चुकौती करने से मिलने वाले 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट से ₹0.3 मिलियन तक के उत्पादन ऋणों के लिए किसानों पर प्रभारित की जाने वाली प्रभावी ब्याज दर कम होकर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो गई है। यह योजना 2013-14 से निजी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू कर दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या में वृद्धि

3.60 वर्ष 2012-13 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 947 शाखाएं खोली गईं जिनमें से 26 राज्यों के 635 जिलों और एक संघशासित क्षेत्र में स्थित शाखाओं की कुल संख्या 17,856 हो गई। अब सभी नई शाखाओं में सीबीएस सुविधा होना अनिवार्य है। प्रायोजक बैंकों के लिए अपेक्षित है कि वे इस संबंध में वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बैक ऑफिस समर्थन आदि सभी आवश्यक सहायता प्रदान करें। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार सभी 64 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सीबीएस पूरी तरह लागू कर दिया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में हाल में की गईं विनियामक पहलें

3.61 वर्ष 2012-13 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विनियमन के संबंध में अनेक नीतिगत पहलें की गईं। टियर 2 केंद्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को टियर 2 केंद्रों (50,000 से 99,999 की आबादी वाले) में उसी नीति के अनुसार शाखा खोलने की अनुमति दी जाए जो टियर 3 से 6 केंद्रों पर लागू होती है। इसके अलावा,

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे एक वर्ष में खोलने हेतु प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या में से कम-से-कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों (टियर 5 और टियर 6) में खोलें। यह भी निर्णय लिया गया कि आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिए संबंधित अधिकार-प्राप्त समिति को विचारार्थ मामले को भेजे बिना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खोलने, उनके स्थानांतरण, शाखाओं विलय या रूपांतरण के संबंध में निर्णय लेने हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को किया जाए।

3.62 समस्त बैंकिंग प्रणाली में अपेक्षाकृत और अधिक समानता से बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे एक ऐसा ''बुनियादी बचत बैंक जमा खाता'' की पेशकश करें जिसके माध्यम से उनकेसभी ग्राहकों को कतिपय न्यूनतम सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी देयताओं के मूल्य-निर्धारण के संबंध में अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारदर्शी नीति का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि वे ₹1.5 मिलियन और उससे अधिक राशि की एकल सावधि जमाराशियों की ब्याज दरों और समान परिपक्वता अवधि की अन्य सावधिक जमाराशियों (अर्थात् ₹1.5 मिलियन से कम राशि की जमाराशियां) की ब्याज दरों में रहने वाले अंतर को काफी हद तक कम करें।

3.63 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे अपने मौजूदा आईटी और एमआईएस ढांचे की समीक्षा करें और वैयक्तिक खाते के स्तर के साथ-साथ खंड के स्तर पर विपत्ति के संकेतों का पता लगाने के लिए एक सुदृढ़ एमआईएस तंत्र की स्थापना करें तथा अनर्जक आस्तियों व पुनर्गठित आस्तियों की सिस्टम जनित खंडवार सूचना रखें।

8. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

एनबीएफसी के एक नए वर्ग की शुरुआत

3.64 2012-13 के दौरान एनबीएफीसी की एक नई श्रेणी, नामतः गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी -फैक्टर्स बनाई गई और इनके लिए प्रवेश के समय पूंजी तथा विवेकपूर्ण-मानदंडों के रूप में एक विनियामकीय ढांचे का निर्माण किया गया।

एनबीएफसी द्वारा स्वर्ण की जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों के संशोशित मानदंड

3.65 स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण देने वाली एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात 60 प्रतिशत बनाए रखें और अपने तुलन-पत्रों में अपनी कुल आस्तिया की तुलना में उक्त ऋणों के प्रतिशत का उल्लेख करें। यदि किसी एनबीएफसी द्वारा दिए गए ऋणों की मात्रा उनकी वित्तीय आस्तियों के 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाती हो तो उसे 1 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार कम-से-कम 12 प्रतिशत की टियर-। पूंजी बनाए रखनी होगी। सभी एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे प्राथमिक स्वर्ण, स्वर्ण बुलियन, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण सिक्के, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की यूनिटों तथा स्वर्ण म्यूचुअल फंड की यूनिटों सहित किसी भी रूप में स्वर्ण खरीद के लिए किसी प्रकार का अग्रिम नहीं देना चाहिए।

3.66 भारत में स्वर्ण आयात और सोने की जमानत पर ऋण देने वाली एनबीएफसी से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कार्य दल (अध्यक्ष : श्री के.यू.बी. राव) की अधिकांश ऐसी सिफारिशों को रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है जो स्वर्ण आभूषण की जमानत पर एनबीएफसी द्वारा दिए जाने वाले ऋणों से संबंधित हैं। साथ ही, रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ कई अन्य पहलुओं को समाविष्ट करते हुए तत्संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिनके अंतर्गत स्वर्ण आभूषणों के भंडारण की उपयुक्त बुनियादी संरचना, 1000 से अधिक शाखाएं खोलने हेतु रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन, एलटीवी अनुपात की गणना करने हेतु स्वर्ण मूल्य का मानकीकरण, स्वर्ण आभूषणों के स्वामित्व एवं स्वर्ण आभूषणों की नीलामी प्रक्रिया व कार्यविधि का सत्यापन करना शामिल हैं।

एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन

3.67 उचित व्यवहार संहिता को संशोधित किया गया है ताकि क्षेत्र विशिष्ट विशेषताओं को शामिल करते हुए माइक्रो उधारियों तथा स्वर्ण की जमानत पर प्राप्य उधारियों से संबंधित परिचालनगत मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, इनसे संबंधित उचित व्यवहारों को और पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) मार्जिन संबंधी उच्चतम सीमाओं में संशोधन

3.68 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के समक्ष चुनौतियों के मद्देनजर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के आकार पर गौर किए बगैर 31 मार्च 2014 तक उधार देने की उच्चतम सीमा 12 प्रतिशत रही। एमएफआई क्षेत्र में निहित मुद्दों और आशंकाओं का अध्ययन करने वाली भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की उप समिति (अध्यक्ष : श्री वाई.एच. मालेगाम) की रिपोर्ट में दी गई परिभाषा के अनुसार 1 अप्रैल 2014 से बड़ी एमएफआई (₹1 बिलियन से अधिक राशि के ऋण पोर्टफालियो वाले) के लिए मार्जिन की उच्चतम सीमा 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, वहीं अन्य के लिए 12 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

बीमा कारोबार में उतरने वाली मूल निवेश कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए

3.69 अनूठे कारोबार मॉडल को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के बीमा कारोबार में पदार्पण के संबंध में उनके लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किए गए। मोटे तौर पर पात्रता मानदंड एनबीएफसी के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप ही हैं, फिर भी सीआईसी द्वारा बीमे के संयुक्त उद्यम में किए जाने वाले निवेश के संबंध में कोई उच्चतम सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया कि सीआईसी बीमा एजेंसी का कारोबार नही चला सकतीं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ ऐसी शर्तें भी शामिल हैं जैसे स्वाधिकृत निधियां ₹5 बिलियन से कम न हो और एनपीए का स्तर कुल अग्रिमों के 1 प्रतिशत से अधिक न हो। सीआईसी द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान लगातार निवल लाभ दर्ज किया गया हो। संबंधित सीआईसी की अनुषंगी संस्थाओं का पिछला कार्यनिष्पादन रिकार्ड, यदि कोई हो, संतोषजनक हो।

विदेशी निवेश के संबंध में सीआईसी को निदेश जारी किए गए

3.70 सीआईसी द्वारा विदेशों में किए गए निवेशों के संबंध में बिल्कुल अलग प्रकार विनियमों को बनाया गया है। सभी सीआईबी के लिये यह आवश्यक है वित्तीय क्षेत्र में विदेशों में संयुक्त उपक्रमों/ अनुषंगियों/प्रतिनिधि कार्यालयों में निवेश करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकरण कराएं और उसकी पूर्वानुमति लें। सीआईसी का कुल विदेशी निदेश इसकी स्वाधिकृत निधियों के 400 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए जिसमें से विदेशी वित्तीय क्षेत्र में निवेश 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

एनबीएफसी के प्राइवेट प्लेसमेंट के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए

3.71 रिज़र्व बैंक के ध्यान में कतिपय प्रतिकूल लक्षण लाए जाने के बाद एनबीएफसी द्वारा न बदले जाने योग्य डीबेंचरों के किए जाने वाले प्राइवेट प्लेसमेंट के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए। दिशा-निर्देशों का उद्देश्य प्राइवेट प्लेसमेंट के संदर्भ में एनबीएफसी को अन्य वित्तीय संस्थाओं के समान स्तर पर लाते हुए अभिदाताओं की संख्या अधिकतम करना है। संसाधन संग्रहण के संबंध में एनबीएफसी द्वारा 30 सितंबर 2013 तक बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक ऐसी नीति लागू करना अपेक्षित था जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ योजना की अवधि और प्राइवेट प्लेसमेंट की आवधिकता भी शामिल थी। किसी एकल निवेशक के लिए न्यूनतम अभिदान राशिकी उच्चतम सीमा ₹2.5 मिलियन और उसके बाद ₹1 मिलियन के गुणकों तक निर्धारित कर दी गई है।

9. वित्तीय संस्थाएं

अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री एवं पुनर्वित्तीयन संस्थाओं के लिए उधार लेने की सीमाएं बढ़ाई गईं

3.72 मार्च 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक के संपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के तहत निम्नलिखित चार वित्तीय संस्थाएं (एफआई) रहीं : भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई), जो कि पांचवीं वित्तीय संस्था है, स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के अधीन है। 2012-13 के दौरान संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया कि एक्जिम बैंक की उधार लेने की कुल सीमा को एक वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात 31 अगस्त 2013 तक बढ़ाकर उसकी निवल स्वाधिकृत निधि के 12 गुना तक कर दिया जाए, तदुपरांत यह सीमा पुनः उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 10 गुना के बराबर हो जाएगी। एनएचबी के

मामले में ''अंब्रेला सीमा'' के अंतर्गत संसाधन जुटाने के मानदंडों को एक वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात 31जनवरी 2014 तक 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया, तत्पश्चात् यह सीमा पुनः उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 100 प्रतिशत के बराबर हो जाएगी। जहां तक नाबार्ड का प्रश्न है उसकी उधार लेने की कुल सीमा को एक वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात 31 मई 2013 तक उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 11 गुना तक बढ़ा दिया गया और इस अवधि के बाद वह पुनः उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 10 गुना के बराबर हो जाएगी।

10. बैंकों में ग्राहक सेवा

बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के संशोधन व उन्नयन हेतु कार्य समूह

3.73 बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस), 2006 के संशोधन व उन्नयन हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा जुलाई 2012 में एक आंतरिक कार्य समूह का गठन किया गया। इस कार्य समूह की कतिपय सिफारिशों के अंतर्गत बैंकिंग लोकपाल योजना की परिधि में गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को समाविष्ट करना, बीओएस में 'बैंक' की परिभाषा में आशोधन करना, बीओ को आर्थिक अधिकारिता प्रदान करना, बीओ के नए कार्यालय खोलना, शिकायत हेतु नए आधारों को शामिल करना, ऐसे कार्यालयों में एक अतिरिक्त लोकपाल की नियुक्ति करना जहां शिकायतों की संख्या काफी अधिक है तथा बीओएस के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाना आदि शामिल हैं। कार्यान्वियन की दृष्टि से रिज़र्व बैंक इस कार्य समूह की सिफारिशों की जांच कर रहा है।

ग्राहक सेवा पर गठित दामोदरन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वियन की स्थिति

3.74 बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधी समिति (अध्यक्ष : श्री एम. दामोदरन) ने अपनी रिपोर्ट में 232 सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। इनमें से 155 सिफारिशों को लागू है। शेष सिफारिशों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं - खाते में न्यूनतम शेष राशि - पारदर्शिता, गैर-रखरखाव संबंधी प्रभारों में एकरूपता, मूलभूत सेवाओं के लिए प्रभार, बैंकों द्वारा गलती से वापस किए जाने वाले चेकों के लिए मुआवजा, इंटरनेट बैंकिंग - सुरक्षित संपूर्ण संरक्षण नीति, आवास ऋण - मौजूदा और नए उधारकर्ताओं के बीच अस्थिर ब्याज दर को लेकर कोई भेदभाव न करना तथा ग्राहक की उपेक्षा को सिद्ध करने हेतु बैंकों को जिम्मेदार ठहराना। रिज़र्व बैंक इन सिफारिशों को जल्द-से-जल्द लागू करने के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ परामर्श कर रहा है।

3.75 भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में ग्राहक सेवा के स्तर में और सुधार लाने के लिए ग्राहकों के साथ यथोचित व्यवहार (टीसीएफ) मॉडल पर प्रकाश डाला जा सकता है (बॉक्स III.3)।

बॉक्स III.3:
ग्राहकों के साथ यथोचित व्यवहार : ग्राहकों के प्रति बैंकों का दायित्व

ग्राहकों के साथ यथोचित व्यवहार (ट्रिटिंग कस्टमर्स फेयरली) (टीसीएफ) वित्तीय सेवा उद्योग में रहने वाली असममित सूचना (एसिमेट्रिक इन्फर्मेशन) की समस्या, जहां वित्तीय सेवा प्रदाताओं के पास कुछ ऐसी सूचना रहती है जो उपभोक्ताओं के पास नहीं रहती हो, को दूर करने हेतु बनाई गई उपभोक्ता संरक्षण नीति है। यह एक विनियामक पहल है जिसके अंतर्गत संस्थाओं को अपने ग्राहकों के साथ उत्पाद जीवन-चक्र की सभी अवस्थाओं, जिनके अंतर्गत डिजाइन, विपणन, सूचना, बिक्री केंद्र और बिक्री के बाद की अवस्थाएं शामिल हैं, में यथोचित रूप से व्यवहार पर विचार करने की अपेक्षा की गई है। संस्थाओं को अपनी कार्य-पद्धति का पुनर्मूल्यांकन करने और ग्राहकों के साथ यथोचित व्यवहार करने की प्रवृत्ति पैदा करने हेतु प्रोत्साहित करने से मिलने वाला परिणाम संभवतः विनियामक, उपभोक्ताओं और अंततः संस्थाओं की दृष्टि से अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। टीसीएफ पहल की शुरुआत फाइनैन्शियल सर्वीसेज़ अर्थॉरिटी (एफएसए), यूके द्वारा 2006 में की गई। हाल के वर्षों में दक्षिण अफ्रीका ने भी यूएस संस्करण पर आधारित टीसीएफ को अपना लिया। दक्षिण अफ्रीका ने टीसीएफ नीति के संपूर्ण कार्यान्वियन के लिए 2014 तक की अवधि निर्धारित की है।

एफएसए, 2006 के अनुसार टीसीएफ कार्यक्रमों से निम्नलिखित परिणामों की प्रत्याशा की जाती हैः (i) उपभोक्ता इस विश्वास के साथ निश्चिंत रह सकते हैं कि वे ऐसी संस्थाओं के साथ लेनदेन कर रहे हैं जिनकी कॉरपोरेट कार्य-पद्धति में ग्राहकों के साथ यथोचित व्यवहार को प्रमुख स्थान दिया गया है; (ii) रिटेल बाज़ार में विपणन एवं बेचे जाने वाले उत्पाद एवं सेवाएं शिनाख्त किए गए उपभोक्ता समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं और उन्हें तदनुसार लक्ष्यबद्ध किया जाता है; (iii) उपभोक्ताओं को सही सूचना दी जाती है और उन्हें बिक्री से पहले, उसके दौरान और बाद में भी समुचित रूप से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है; (iv) जहां तक उपभोक्ताओं को सलाह देने का प्रश्न है दी जाने वाली सलाह उपयुक्त है और उसे देने से पहले उनकी आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है; (v) उपभोक्ताओं को ठीक उसी प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं जिनके संबंध में उपभोक्ताओं ने फर्मों से आशा की थी, एवं उनके संबंध में दी जाने वाली सेवा भी स्वीकार्य स्तर की है जैसा कि उपभोक्ताओं ने फर्मों से उम्मीद रखी थी; तथा (vi) उपभोक्ताओं को फर्मों से बिक्री के बाद ऐसे किसी अनुचित अवरोधों

(जारी...)

(...समाप्त)

का सामना नहीं करना पड़ता है जहां उन्हें उत्पादों को बदलने, सेवाप्रदाताओं को बदलने, दावा या शिकायत करने के लिए मज़बूर किया जाता है। अब अनेक देशों ने टीसीएफ के परिणामों को पहचान लिया है। बैंकों को इन परिणामों को हासिल करने के लिए अपने आप को बदलना पड़ सकता है। साथ ही, फर्म के लिए यह जानना ज़रूरी है कि उत्पाद के जीवन-चक्र की प्रत्येक अवस्था में टीसीएफ कार्यक्रम कितना महत्व रखता है।

जहां तक टीसीएफ कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रश्न है यूके के अनुभव से यह पता चला है कि सिद्धांतों और नियमों को कितने भी अच्छे ढंग से अभिव्यक्त क्यों न किया जाए, लेकिन इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर कुछ अतिरिक्त कारकों का प्रभाव पड़ता ही है। इनके अंतर्गत फर्म के नेतृत्व की मानसिकता में बदलाव भी शामिल है। टीसीएफ कार्यक्रम को ऐसे फर्म सफलतापूर्वक अपना पाते हैं जहां सीईओ या कार्यपालक निदेशक ने इस कार्यक्रम को विशेष रूप से समर्थन प्रदान किया है, मध्यम स्तरीय प्रबंधन व कर्मचारियों को उसके महत्व को समझाया है तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों एवं उनके निवारण की स्थिति के संबंध में नियमित रूप से आंकड़े प्राप्त किए हैं। इसके अलावा, फर्म में कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन और प्रोत्साहन संरचना के निर्धारण में भी टीसीएफ उपायों की भूमिका रही। इस दिशा में सबसे कम सफलता उन फर्मों ने हासिल की जिन्होंने अपने अनुपालन विभाग (या किसी बाहरी एजेंसी) को इसी प्रकार का कोई कार्यक्रम बनाने के लिए तो बता दिया था तथा जहां न तो प्रतिसूचना प्रस्तुत की गई और न ही बोर्ड के स्तर पर उस पर चर्चा की गई।

रिज़र्व बैंक ने भी इस बात को सुनिश्चित किया है कि भारत में बैंक के ग्राहकों के साथ यथोचित व्यवहार किया जाता है। पिछले वर्षों में उसने अनेक ग्राहक-उन्मुख उपायों की पहल की है और उसने विनियामक व पर्यवेक्षी हस्ताक्षेपों के माध्यम से ग्राहकों के साथ यथोचित रूप से व्यवहार करने की पद्धति विकसित की है। रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की स्थापना की दिशा में अगुवाई की, जो कि एक स्वायत्त व स्वतंत्र निकाय है और जिसे भारत में बैंकिंग सेवाओं के लिए संहिताएं व मानक निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है। ये वचनबद्धता संहिताएं बीसीएसबीआई के सदस्यों के लिए बाध्यकारी हैं और इनका अनुपालन नहीं किया जाना बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) के अंतर्गत शिकायत का विधि-सम्मत आधार बन सकता है। उपभोक्ताओं को सशक्त करने और उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की भी स्थापना की है, जो कि बैंकों की सेवाओं में कमी को दूर करने का एक शीर्ष स्तरीय, निःशुल्क शिकायत निवारण तंत्र है।

भारत में अनुसूचित बैंकों के बैंकिंग उत्पादों के संबंध में टीसीफ की संकल्पना और मूलभूत संरचना मौजूद है। किंतु अब यह महसूस किया गया है कि इस टीसीएफ संचना की परिधि को बढ़ाकर तीसरी पार्टी उत्पादों को भी क्यों न शामिल किया जाए, जैसे म्यूचुअल फंड, पूंजी बाज़ार और बैंकों द्वारा बेचे जाने वाले बीमा उत्पाद तथा गैर-अनुसूचित बैंकों को भी बीओएस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना।

संदर्भ :

फीसिबिलिटी (प्रो.) लि. (2010), ''ट्रीटिंग कस्टमर्स फेयरली'' - फाइनैन्शियल सर्वीसेज़ बोर्ड के लिए तैयार किया गया चर्चा पत्र।

फाइनैन्शियल सर्वीसेज़ अथॉरिटी (एफएसए) (2006), ''ट्रीटिंग कस्टमर्स फेयरली - टुवर्ड्स फेयर आउटकम्स फॉर कन्ज़्यूमर्स''

11. भुगतान और निपटान प्रणालियां

3.76 रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली विज़न दस्तावेज़ 2012-15 में यथा-उल्लिखित नीतिगत उपाय किए हैं। इनके अंतर्गत मुख्यतः नकदी / कागज़ी पद्धतियों से किए जाने वाले लेनदेनों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों में अंतरित करने की ओर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ ऐसे लोगों तक भुगतान प्रणाली की उपलब्धता बढ़ाने के प्रति भी ध्यान केंद्रित किया गया है जो वर्तमान में इस सुविधा से वंचित हैं। वर्ष के दौरान की गई प्रमुख नीतिगत पहलें नीचे दर्शाई गई हैं।

केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों तक पहुंच का विस्तार

3.77 सभी लाइसेंस-प्राप्त बैंक उप सदस्यता के माध्यम से भी इन प्रणालियों तक पहुंच बना पाए जिससे अप्रैल 2012 में केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों तक पहुंच और बढ़ी। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली में लगभग 652 उप- सदस्य थे। वहीं, तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) में 509 सदस्य रहे।

एनईएफटी को और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु किए गए विभिन्न उपाय

3.78 एनईएफटी में बढ़ती मात्रा के अनुरूप कार्यसंचालन को और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से इस प्रणाली में दो नए उन्नयन किए गए हैं। पूर्वाह्न 8:00 बजे एक अतिरिक्त बैच की शुरुआत किए जाने से कार्य दिवसों के बैचों की कुल संख्या 12 हो गई, जबकि शनिवारों को बैचों की कुल संख्या 6 हो गई। इस उद्देश्य से कि गंतव्य बैंकों को आवक लेन-देनों का प्रसंस्करण करने में सुविधा हो, उन्हें मिलने वाले टाइम-विंडो की अवधि बढ़ाने की दृष्टि से क्रेडिट संबंधी संदेशों को लगातार जारी करने की विशेषता शुरू की गई है। छोटे मूल्य के लेन-देनों के मामले में नकदी या चेक के प्रयोग के स्थान पर एनईएफटी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ₹10,000 तक के लेन-देनों पर लगने वाले ग्राहक प्रभारों में कटौती कर ₹5.00 से ₹2.50 कर दिया गया है। इसके अलावा, एनईएफटी और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) के अंतर्गत शाखाओं के

बीच रहने वाले अंतर को पाटने के लिहाज से बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी एनईएफटी-समर्थित शाखाओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) भी उपलब्ध कराई जाती है। परिणामस्वरूप, एनईसीएस में शामिल बैंक शाखाओं की संख्या 59,000 से बढ़कर 75,641 हो गई।

छोटे मूल्य के लेन-देनों के लिए भी डेबिट कार्ड के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु डेबिट कार्ड लेन-देनों से संबद्ध मेर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को युक्तिसंगत किया गया

3.79 सभी वर्ग और प्रकार के व्यापारियों को कार्ड स्वीकरण की बुनियादी संरचना की स्थापना करने तथा छोटे मूल्य के लेनदेनों के लिए भी कार्ड को स्वीकार करने हेतु बढ़ावा देने की दृष्टि से डेबिट कार्ड लेनदेनों की एमडीआर[4] संरचना को युक्तिसंगत बनाया गया। तदनुसार, बैंकों द्वारा प्रभारित की जाने वाली अधिकतम दर को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है : (i) ₹2000 तक की राशि के लेन-देन के लिए 0.75 प्रतिशत से अधिक न हो; (ii) ₹2000 से अधिक राशि के लेन-देन के लिए 1 प्रतिशत से अधिक न हो। आशा की जाती है कि इससे बिक्री केंद्रों (पीओएस) में डेबिट कार्डों का प्रयोग बढ़ेगा और छोटे व्यापारियों को पीओएस टर्मिनल की स्थापना के लिए बढ़ावा मिलेगा।

भुगतान प्रणालियों की निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ की गई

2.80 देश में भुगतान प्रणालियों का परिचालन करने वाली 44 प्राधिकृत संस्थाओं (बैंक और गैर-बैंक दोनों) की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस) द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक निगरानी व्यवस्था का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही, भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) का मूल्यांकन पीएफएमआई[5] सिद्धांतों को आधार मानते हुए किया गया।

तकनीकी समिति ने आईएफएससी को जारी रखने और अंतरराष्ट्रीय बैंक खाता संख्या (आईबीएएन) का कार्यान्वयन करने की सिफारिश की

3.81 निपटान और लेन-देन राशियों को भेजने/प्राप्त करने में बैंकों/शाखाओं की पहचान करने के लिए भारत में परिचालित विभिन्न भुगतान प्रणालियां अलग-अलग कूटों (आईएफएससी, एमआईसीआर, बीआईसी) का प्रयोग करती हैं। चूंकि सभी प्रमुख बैंकों ने सीबीएस को अपना लिया है, अतः इन बैंकों ने आरटीजीएस और एनईएफटी लेन-देनों को भेजने हेतु आईएफएससी[6] में शाखा आइडेंटिफायर व्यवस्था को बंद करने की मांग की। इसके अलावा, भुगतान प्रणालियों के अंतर्गत गलती से धन राशि जमा करने से बचने की दृष्टि से सभी बैंकों में एक समान खाता संख्या की शुरुआत करने की मांग की गई। रिज़र्व बैंक ने इन मुद्दों का अध्ययन करने की दृष्टि से एक समान रूटिंग कूट और खाता संख्या संरचना की जांच करने हेतु एक तकनीकी समिति (अध्यक्ष : श्री विजय चुग) गठित की। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं : (i) चूंकि गलत खातों में धन राशि जमा होने से बचने के लिए अनेक बैंकों द्वारा प्रमाणीकरण जांच में आईएफएससी का प्रयोग किया जा रहा है, अतः आईएफएससी में शाखा आइडेंटीफायर व्यवस्था को जारी रखा जाए; (ii) नई भुगतान प्रणालियों सहित सभी भुगतान प्रणालियों में रूटिंग प्रयोजनार्थ आईएफएससी का प्रयोग करना; (iii) समरूपता लाने और ऐसी प्रणालियों में, जो भुगतान के लेन-देनों के सफलतापूर्वक प्रसंस्करण के लिए महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में खाता संख्याओं का प्रयोग करती हैं, कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु बैंकों में आईबीएएन को लागू करना। इससे प्रारंभिक स्तर पर खाता संख्या का प्रमाणीकरण करने में सहायता मिलेगी; (iv) अल्फा-आईडी युक्त 26-वर्णों वाले आईबीएएन का प्रयोग जिससे बैंकों में बदलाव करने की अपेक्षा काफी हद तक कम होगी। तथापि, इस समिति ने यह महसूस किया है कि आईबीएएन से बैंकों में खातों की पोर्टेबिलिटी संभव नहीं हो सकती। इस समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

सुविधाजनक बिल भुगतान हेतु गीरो (जीआईआरओ) आधारित भुगतान प्रणाली की शुरुआत

3.82 यद्यपि देश में इस समय कई प्रकार के भुगतान लिखत और भुगतान चैनल मौजूद हैं, तथापि, बिल भुगतानों को सुसाध्य बनाने की कोई विशिष्ट प्रणाली नहीं है। इस समस्या को दूर करने और बिल भुगतान संबंधी जनसाधारण की सभी आवश्यकता को पूरा

[4] कार्ड भुगतानों के लिए व्यापारियों द्वारा अदा किया गया शुल्क

[5] वित्तीय बाज़ार की बुनियादी संरचना संबंधी सिद्धांत

[6] भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट

करने हेतु साझी बुनियादी संरचना तैयार करने हेतु भारत में भुगतान प्रणाली आधारित गीरो (जीआईआरओ) प्रणाली के कार्यान्वयन की संभावनाओं का अध्ययन करने हेतु एक समिति (अध्यक्ष : श्री जी. पद्मनाभन) गठित की गई। इस समिति ने मौजूदा बिल भुगतान प्रणाली में कई कमियां पाई हैं जैसे इंटरऑपरेबिलिटी का अभाव, बिल बनाने वालों को नकद वसूली में आने वाली अधिक लागत तथा बड़े नगरों के बाहर इसकी कम उपलब्धता। समिति ने यह भी पाया है कि बिल बनाने वालों द्वारा देश भर बिल भुगतान के लिए साझी व इंटरऑपरेबल बिल भुगतान प्रणाली स्थापित करने की दिशा में समन्वित रूप से पहल करने की चेष्टा नहीं की गई है।

3.83 इस समिति ने यह सिफारिश की है कि ''इंडिया बिल पेमेंट सिस्टम'' नामक एक गीरो (जीआईआरओ) आधारित भुगतान प्रणाली तैयार की जाए और उसे देश में लागू किया जाए जो सभी संबंधितों को एक ही जगह पर बिल भुगतान सेवाएं प्रदान करेगी। यह बिल अदाकर्ताओं को कई चैनलों के जरिए मल्टिपल टच पाइंट मुहैया करेगी जिससे वे अपनी सुविधा के अनुसार ऐक्सेस करके बिल अदा कर सकते हैं। इस समिति ने यह भी सिफारिश की है कि आईबीपीएस का परिचालन व प्रबंधन कार्य पेशेवराना अंदाज से करने और उसे व्यावसायिक तर्ज पर संचालित करने हेतु एक पृथक् संगठन की आवश्यकता है जिसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया जाए। भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) द्वारा इस रिपोर्ट की जांच की गई और गीरो (जीआईआरओ) परामर्शदायी समूह के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की सुरक्षा सुदृढ़ की गई

3.84 भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाने और ग्राहकों/बैंकों के सम्मुख पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से बैंकों और अन्य संबंधितों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि वे समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कतिपय सुरक्षा उपाय अपना लें। ये उपाय निम्नानुसार हैं : (i) ग्राहक द्वारा अनुरोध करने पर ही इंटरनेशनल कार्ड जारी किया जाए अन्यथा उसे केवल डोमेस्टिक कार्ड जारी करना; (ii) विदेशों में कार्डों का प्रयोग करने वालों के लिए ईएमवी कार्ड जारी करना; (iii) अंतरराष्ट्रीय लेन-देनों के मामले में चुंबकीय स्ट्राइप वाले कार्डों के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित करना; (iv) डेटा जोखिम (कॉम्प्रमाइज़) को रोकने के लिए पीओएस टर्मिनलों को सुरक्षित बनाना; (v) धोखाधड़ियों से बचने के लिए तकनीकें विकसित करना; (vi) इंटरनेट बैंकिंग खाते में जोड़े जाने वाले लाभार्थियों की संख्या और ऑनलाइन अंतरणों की संख्या पर नियंत्रण लगाना; (vii) ऑनलाइन भुगतानों के प्रमाणीकरण के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करना; तथा (viii) सभी ग्राहकों की बड़ी राशि के भुगतानों के लिए डिजिटल सिग्नेचर पद्धति लागू करने पर विचार करना।

मौजूदा आरटीजीएस की जगह अगली पीढ़ी आरटीजीएस (नेक्स्ट जेनरेशन -आरटीजीएस)

3.85 इस प्रणाली के अंतर्गत बढ़ती संख्या और बदलती कारोबारी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक मौजूदा आरटीजीएस के स्थान पर नई प्रणाली स्थापित कर रहा है जिसकी कार्य-संचालन और विशेषताएं काफी बेहतर हैं। इस नई प्रणाली की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं : उन्नत चलनिधि प्रबंधन सुविधा; इक्सटेन्सबल मार्कअप लैंग्वेज (एक्सएमएल) आधारित मेसेजिंग प्रणाली जो आईएसओ 20022 के अनुरूप है; तत्काल सूचना एवं लेनदेन निगरानी और नियंत्रण प्रणालियां; तथा ग्रिडलॉक बचाव तंत्र और उन्नत क्यू मैनेजमेंट तकनीकें। एनजी-आरटीजीएस के अंतर्गत आरटीजीएस संदेश भेजने हेतु आईएसओ 20022 मेसेज फार्मेट का प्रयोग किया जा रहा है और उच्च मूल्य भुगतान प्रणालियों के लिए इस फार्मेट के प्रयोग का सारे विश्व में यह पहला उदाहरण है।

12. बैंकिंग क्षेत्र संबंधी विधान

बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012

3.86 बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 दिनांक 18 जनवरी 2013 से लागू हुआ। इस अधिनियम से रिज़र्व बैंक को कुल 12 महीने की अवधि तक किसी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल का अधिक्रमण करने तथा वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक प्रशासक की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। साथ ही, इस अधिनियम से रिज़र्व बैंक को मताधिकार की उच्चतम सीमा चरणबद्ध रूप से 10 से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कराने का भी अधिकार प्राप्त हुआ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकिंग कंपनियों का नियंत्रण ''सही व उपयुक्त व्यक्तियों'' के हाथों में हैं, किसी बैंकिंग कंपनी में

5 प्रतिशत या उससे अधिक शेयरों या मताधिकारों के अधिग्रहण के मामले में रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना ज़रूरी है।

3.87 रिज़र्व बैंक को बैंकिंग कंपनियों के सहयोगी उद्यमों के संबंध में सूचना एकत्रित करने और निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। ''अनुमोदित प्रतिभूतियों'' की परिभाषा में परिवर्तन करते हुए उन्हें केंद्र या राज्य सरकारी प्रतिभूतियों और रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य किसी प्रतिभूतियों तक सीमित रखा गया है। बैंकिंग कंपनियां अधिमान शेयर जारी कर सकती हैं बशर्ते इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विनियामक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। राष्ट्रीयकृत बैंक ''बोनस'' और ''अधिकार'' निर्गमों के माध्यम से पूंजी जुटा सकते हैं तथा ₹30 बिलियन की उच्चतम सीमा की बंदिश के बिना, केंद्र सरकार एवं रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करके प्राधिकृत पूंजी को बढ़ा या घटा सकते हैं। इस संबंध में उल्लंघन होने पर लगाए जाने वाले अर्थ दंड की राशि काफी बढ़ा दी गई है।

प्रतिभूति हित प्रवर्तन और ऋण वसूली कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012

3.88 उक्त संशोधन अधिनियम (धारा 8 और धारा 15(बी) को छोड़कर) 15 जनवरी 2013 से लागू किया गया। यह अधिनियम वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (आरडीडीबीएफआई अधिनियम) का संशोधित रूप है। सरफेसी अधिनियम और आरडीडीबीएफआई अधिनियम दोनों मेंही दी गई ''बैंक'' की परिभाषा को संशोधित करते हुए उसमें 'बहु-राज्य सहकारी बैंक' को भी शामिल किया गया है ताकि उक्त अधिनियमों के प्रावधानों को बहु-राज्य सहकारी बैंकों पर भी लागू किया जा सके तथा अब उन्हें ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) का जरिया भी उपलब्ध होगा। प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण कंपनियां अब ऋण के किसी भी अंश को उधारकर्ता कंपनी की इक्विटी/ शेयरों में परिवर्तित कर सकती हैं। प्रतिभूत लेनदार ऐसे समयों में चूककर्ता उधारकर्ता के विरुद्ध अपने दावे की संपूर्ण या आंशिक संतुष्टि के अनुसार अचल आस्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं यदि रिज़र्व मूल्य की राशि के लिए कोई क्रेता ही उपलब्ध न हो।

राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) बिल, 2012

3.89 यह विधेयक 30 अप्रैल 2012 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। इसके माध्यम से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) अधिनियम, 1987 को संशोधित किया जा रहा है। इस विधेयक द्वारा रिज़र्व बैंक की एनएचबी की शेयरधारिता केंद्र सरकार को अंतरित करने का प्रावधान किया गया है ताकि स्वामित्व और विनियामक भूमिका में कोई विरोधाभास पैदा न हो सके। इससे केंद्र सरकार को एनएचबी की प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाने का अधिकार मिलेगा। इसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि आवास वित्त कंपनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर समान रूप से नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवास वित्त कंपनियों के पंजीकरण व विनियमन के अधिकार रिज़र्व बैंक को अंतरित किए जाएं। एनएचबी ऐसी संस्थाओं के पर्यवेक्षण और वित्तीयन पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा।

माइक्रो फाइनान्स संस्थाएं (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012

3.90 यह विधेयक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) का संवर्धन, विकास, विनियमन और सुव्यवस्थित वृद्धि करने तथा उससे वित्तीय समावेशन को सुकर बनाने के लिए एक सांविधिक ढांचा प्रदान करने की दृष्टि से 22 मई 2012 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की वृद्धि एवं विकास की दिशा में नीति तैयार करने केलिए केंद्र सरकार को सलाह देने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सूक्ष्म वित्त विकास परिषद् के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य और जिले के स्तरों के लिए भी समान रूप से प्रावधान किया गया है। इसमें ऐसी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं पर सूक्ष्म वित्त सेवा प्रदान करने संबंधी गतिविधियों में संलग्न होने से प्रतिबंध लगाया गया है जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है, किंतु उसमें उन मौजूदा गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को ऐसी सेवाएं बिना पंजीकरण के जारी रखने की अनुमति दी गई है जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इसमें रिज़र्व बैंक को ऐसी स्थिति में किसी सूक्ष्म वित्त कंपनी का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया है जब वह सूक्ष्म वित्त सेवाएं प्रदान करने के कारोबार में चूक जाती हो, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए पंजीकरण या निदेशों का उल्लंघन करती

हो। साथ ही इसमें रिज़र्व बैंक को जनहित में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को निदेश जारी करने और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के खातों का निरीक्षण भी करने तथा तत्संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने का भी अधिकार दिया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2013

3.91 इस विधेयक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधन करने का प्रावधान है और इसे 22 अप्रैल 2013 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-संचालन की शुरुआत से पांच वर्ष समाप्त होने के बाद भी प्रायोजक बैंकों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रबंधकीय और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जारी रहेगा। इसमें प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी को ₹50 मिलियन से बढ़ाकर ₹5 बिलियन करने का प्रावधान किया गया है। इसमें किए गए प्रावधान के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की निर्गत पूंजी ₹10 मिलियन से कम नहीं हो सकती। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक से इतर स्रोतों से पूंजी जुटाने का प्रावधान किया गया है बशर्ते किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंक की संयुक्त शेयरधारिता का हिस्सा 51 प्रतिशत से कम न हो जाए। इसमें शेयरधारकों को निदेशकों का निर्वाचन करने का भी प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2013

3.92 यह संशोधन विधेयक 6 मई 2013 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। इसमें नाबार्ड में रिज़र्व बैंक की अभिदत्त पूंजी सरकार को अंतरित व निहित करने का प्रावधान किया गया है। इससे केंद्र सरकार को नाबार्ड में अपनी पूंजी को ₹50 बिलियन से बढ़ाकर ₹200 बिलियन करने का अधिकार दिया गया है। इससे नाबार्ड को, ऋण देने के कार्यों की परिधि को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। साथ ही, नाबार्ड को, ऋणों व अग्रिमों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (अल्पावधि प्रवर्तन) निधि नामक एक निधि की स्थापना करने और बनाए रखने का प्रावधान किया गया है।

धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012

3.93 यह संशोधन अधिनियम 15 फरवरी 2013 से लागू हुआ। इसमें भारतीय विधि और विदेशी विधियों के प्रावधानों के बीच संबंध स्थापित करने हेतु ''तदनुरूप विधि'' नामक एक अवधारणा का प्रारंभ किया गया है तथा भारत में होने वाले किसी भी प्रकार के विदेशी विधेय अपराध (फॉरिन प्रेडिकेट आफेन्स) की आगम राशियां अंतरित करने का प्रावधान किया गया है। इसमें धनशोधन के अपराध की परिभाषा को विस्तृत करते हुए निम्नलिखित गतिविधियों को भी शामिल किया गया है, जैसे संपत्ति को छिपाना, उसका अधिग्रहण या प्रयोग तथा उसे इस प्रकार व्यक्त करना या उसके संबंध में दावा करना कि वह निष्कलंक संपत्ति है।

13. समग्र मूल्यांकन

3.94 वर्ष 2012-13 में अनेक प्रमुख नीतिगत निर्णय लिए गए। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता के आरंभिक मुद्दों से, जो हाल के समय में उभरकर सामने आए हैं, से ध्यान हटाए बिना, मूल्य स्थिरता और संवृद्धि के उद्देश्यों के बीच संवेदनशील रूप से संतुलन बनाए रखते हुए बहुत ही बारीकी से मौद्रिक नीति का पालन किया है। इस दिशा में मौद्रिक नीति ने फ्रंट-लोड नीति दर कमी करने और इसके चक्र को सुविचारित ढंग से नियंत्रित करने की कोशिश की। इस कार्य में दोहरे घाटों से पैदा होने वाले समष्टि-आर्थिक जोखिमों का भी ध्यान रखा गया है।

3.95 वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, अर्थव्यवस्था के उत्पादनकारी क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में बढ़ोतरी और वित्तीय क्षेत्र के विकास के संबंध में अनेक उपाय किए गए। एमजीएनआरईजीए मज़दूरी, अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों और आर्थिक सहायता की विभिन्न राशियों को बैंक शाखा/बीसी के माध्यम से जमा करने के उद्देश्य से डीबीटी योजना के सुचारु कार्यान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए। वित्तीय समावेशन को सुसाध्य बनाने हेतु केवाईसी और एएमएल मानदंडों को सरलीकृत और युक्तिसंगत बनाया गया। चालू खाता शेष की अतिसंवेदनशीलता को देखते हुए और सट्टे के प्रयोजन से बढ़ने

वाली स्वर्ण मांग पर काबू पाने हेतु स्वर्ण बुलियन की खरीद हेतु दिए जाने वाले बैंक वित्त पर कई प्रकार से रोक लगाई गई। कॉरपोरेटों से संबंधित अरक्षित (हेज-रहित) विदेशी मुद्रा एक्सपोज़रों से पैदा होकर बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति को चुनौती देने वाले जोखिमों से निपटने के लिए कई विवेकपूर्ण उपाय किए गए। प्रावधानीकरण की मौजूदा नीति की कमियों को दूर करने हेतु बैंकों के लिए गतिशील व प्रतिचक्रीय तत्व युक्त एक व्यापक प्रावधानीकरण ढांचा तैयार किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की दृष्टि से निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने संबंधी अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए गए तथा नए बैंक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र भी आमंत्रित किए गए। बैंकों में ग्राहक सेवा के स्तर को बढाने हेतु दामोदरन समिति की सिफारिशों के आधार पर नए-नए उपाय किए गए। बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों की पुनर्संरचना संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों को महापात्र कार्य समूह की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया गया। भुगतान और निपटान प्रणाली को और सुदृढ एवं ग्राहक अनुकूल बनाने तथा भुगतान लेनदेनों को नकदी / कागज रूप से इलेक्टॉनिक रूप में अंतरित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए। रिज़र्व बैंक की विनियामक शक्तियों को और प्रभावी बनाने तथा पूंजी बाज़ार तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की पहुंच को बढ़ाने की दृष्टि से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को संशोधित किया गया। धनशोधन निवारण विधियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत बनाने हेतु उन्हें और सुदृढ किया गया।

3.96 भविष्य में वित्तीय स्थिरता और वित्तीय समावेशन पर अनवरत रूप से ध्यान संकेंद्रित करने के साथ-साथ प्रणालीगत जोखिमों और वैश्विक वित्तीय अंतर-संबद्धता के कारण पैदा होने वाले जोखिमों पर चौकसी के लिए एक सुदृढ़, आघात-सहनीय और समावेशी बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र का निर्माण किया जा सकेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की सतत व समावेशी संवृद्धि में योगदान मिल सकता है।

अध्याय IV

वाणिज्यिक बैंकों के कार्य और निष्पादन

घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी और उत्साहहीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमी रिकवरी की पृष्ठभूमि में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की संवृद्धि लगातार दूसरे वर्ष 2012-13 में भी धीमी रही। ऋण संवितरण में कमी और ब्याज दरों में गिरावट के कारण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लाभ में भी गिरावट आयी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में भी स्पष्ट रूप से गिरावट आयी। सकारात्मक पक्ष यह है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित भारतीय बैंकों की पूंजी की स्थिति मजबूत बनी रही और यह किसी भी अप्रत्याशित हानि का सामना करने के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा से ऊपर बनी रही। बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों में बैंकिंग की पहुंच में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई क्योंकि वित्तीय समावेशन योजना ने तीन साल पूरे कर लिए हैं। अल्पावधि में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने की आवश्यकता होगी जिससे आर्थिक रिकवरी में सहायता मिले, साथ ही उसे आस्ति गुणवत्ता के बारे में भी सतर्क रहना होगा। मध्यावधि से दीर्घावधि में, कार्यकुशलता में अनवरत सुधार और समावेशन चिंता के प्रमुख विषय बने रहेंगे।

1. परिचय

4.1 भारतीय वित्तीय परिदृश्य में बैंकिंग क्षेत्र का प्रभुत्व है जिसमें अर्थव्यवस्था[1] के कुल वित्तीय प्रवाह में बैंकिंग प्रवाह का हिस्सा आधे से अधिक है। बैंक न केवल अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह के लिए बल्कि वित्तीय समावेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने वैश्विक वित्तीय संकट के तत्काल बाद काफी आघात-सहनीयता का प्रदर्शन किया, पर यह पिछले दो वर्षों के वैश्विक और घरेलू आर्थिक मंदी से प्रभावित हुआ है। मंद घरेलू संवृद्धि की पृष्ठभूमि में, वर्ष 2011-12 में बैंकिंग क्षेत्र की समग्र संवृद्धि में गिरावट के साथ-साथ आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता[2] में भी गिरावट देखी गई। घरेलू अर्थव्यवस्था में और अधिक मंदी का असर वर्ष 2012-13 में बैंकों के कार्य-निष्पादन पर भी पड़ा, हालांकि मुद्रास्फीति के दबाव में कुछ कमी आई जिसके कारण कम ब्याज दर का माहौल तैयार हुआ।

4.2 इस पृष्ठभूमि में, 89 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों[3] के आंकड़ों को लेते हुए इस क्षेत्र के तुलन-पत्र, लाभ और वित्तीय सुदृढ़ता की प्रवृत्तियों को सामने लाने के लिए, इस अध्याय में वर्ष 2012-13 की भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों के संबंध में पिछले वर्ष/वर्षों के साथ एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में चर्चा की गई है। इस अध्याय में अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्र से निकटता से जुड़े दो खंडों नामतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों का अलग से विश्लेषण करने के अलावा, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालन से जुड़े अन्य पहलुओं जैसे ऋण के क्षेत्रवार वितरण, वित्तीय समावेशन, ग्राहक सेवा, प्रौद्योगिकी विकास और उनके विदेशी परिचालन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को भी शामिल किया गया है।

[1] भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह खाते के आधार पर अनुमानित।

[2] आरबीआई, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2011-12।

[3] इसमें 26 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (भारतीय स्टेट बैंक और इसके पांच सहयोगी बैंक, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक और आईडीबीआई बैंक लि.), निजी क्षेत्र के 7 नए बैंक, निजी क्षेत्र के 13 पुराने बैंक और 43 विदेशी बैंक शामिल हैं।

2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का तुलन-पत्र परिचालन

लगातार दूसरे वर्ष तुलन-पत्र की वृद्धि दर में कमी आई, सबसे ज्यादा कमी ऋण वृद्धि में पायी गयी

4.3. वर्ष 2011-12 की प्रवृत्ति के अनुरूप ही, वर्ष 2012-13 में बैंकों के तुलन-पत्र की समग्र वृद्धि में और अधिक कमी आयी (सारणी IV.1; परिशिष्ट सारणी IV.1)। इस कमी का मुख्य कारण बैंक ऋण रहा। ऋण की वृद्धि में कमी आंशिक तौर पर वास्तविक आर्थिक गतिविधियों में मंदी के साथ-साथ बैंकों द्वारा जोखिम से बचने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी को दर्शाती है (चार्ट IV.1)। मार्च 2012 की तुलना में मार्च 2013 में ऋण वृद्धि में मंदी भारतीय स्टेट बैंक समूह के अलावा सभी बैंक समूहों में देखा जा सकती है(चार्ट IV.2)[4]।

चार्ट IV.1: बैंक ऋण में हुई वृद्धि की चुनिंदा आर्थिक और बैंकिंग एग्रिगेट के साथ तुलना

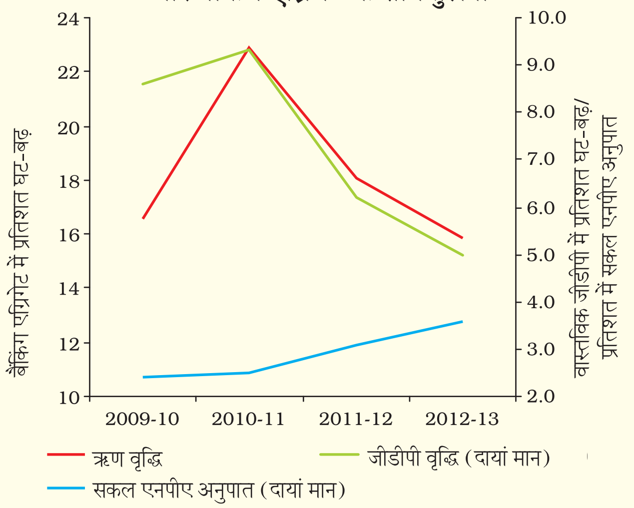

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था *पर सांख्यिकी* पुस्तिका, बैंकों के वार्षिक लेखे और ऑफ-*साइट विवरणी*।

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलन पत्र में वृद्धि

(प्रतिशत)

मद	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**		**निजी क्षेत्र के बैंक**		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		**विदेशी बैंक**		**सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक**	
	2011-12	**2012-13**	**2011-12**	**2012-13**	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	**2011-12**	**2012-13**	**2011-12**	**2012-13**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूंजी	**-4.2**	**4.3**	**-**	**4.5**	-4.2	6.1	1.7	3.9	**15.6**	**13.9**	**8.0**	**10.4**
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	**24.4**	**15.5**	**15.5**	**21.6**	18.5	18.9	14.9	22.2	**15.6**	**15.2**	**20.8**	**17.2**
3. जमाराशियां	**14.4**	**14.9**	**17.1**	**18.8**	19.6	18.4	16.3	19.0	**15.1**	**4.0**	**14.9**	**15.1**
3.1 मांग जमाराशियां	**-6.3**	**16.8**	**4.4**	**15.4**	6.5	15.6	4.0	15.4	**9.9**	**-7.8**	**-1.8**	**13.3**
3.2 बचत बैंक जमाराशियां	**12.1**	**14.4**	**19.1**	**19.3**	16.3	14.9	19.9	20.5	**5.6**	**2.9**	**13.1**	**15.0**
3.3 सावधि जमाराशि	**18.2**	**14.8**	**19.7**	**19.4**	22.1	19.5	18.6	19.4	**21.0**	**10.4**	**18.6**	**15.4**
4. उधार	**17.2**	**19.8**	**38.9**	**16.1**	80.3	28.3	36.4	15.1	**29.7**	**27.4**	**24.9**	**19.8**
5. अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**-7.5**	**15.4**	**42.1**	**0.2**	12.5	9.6	47.1	-1.0	**26.9**	**-25.1**	**8.6**	**2.2**
कुल देयताएं/ आस्तियां	**14.1**	**15.3**	**21.1**	**17.5**	**21.3**	**18.6**	**21.0**	**17.2**	**19.8**	**5.7**	**15.8**	**15.1**
1. भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेष	**-20.5**	**-0.2**	**-18.1**	**5.4**	-7.9	-0.2	-20.8	7.1	**14.2**	**-7.4**	**-18.5**	**0.4**
2. बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा	**40.7**	**38.0**	**15.6**	**57.9**	80.4	52.6	6.5	59.2	**13.7**	**10.7**	**32.4**	**37.5**
3. निवेश	**12.8**	**16.7**	**24.6**	**19.0**	18.0	23.0	26.5	18.0	**21.2**	**13.7**	**16.1**	**17.0**
3.1 सरकारी प्रतिभूतियां	**16.5**	**13.5**	**32.0**	**17.8**	21.5	23.8	35.4	16.1	**23.0**	**21.5**	**19.8**	**15.0**
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	**-65.1**	**-26.2**	**-78.8**	**-63.1**	-65.0	-61.2	-97.6	-100.0	**-100.0**	**-**	**-65.6**	**2.9**
3.3 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियां	**-2.1**	**33.3**	**12.5**	**21.4**	10.0	21.2	13.0	21.4	**17.7**	**-3.8**	**5.2**	**24.1**
4. ऋण और अग्रिम	**17.3**	**15.4**	**21.2**	**18.3**	24.6	17.3	20.1	18.6	**17.6**	**14.7**	**18.1**	**15.9**
4.1 खरीदे गए और भुनाए गए बिल	**25.7**	**20.8**	**8.2**	**7.8**	14.7	-4.0	5.4	13.3	**9.6**	**29.2**	**21.8**	**19.9**
4.2 कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, आदि	**17.8**	**16.9**	**28.4**	**28.8**	33.3	25.9	25.4	30.7	**19.7**	**14.7**	**19.3**	**18.5**
4.3 सावधि ऋण	**16.1**	**13.5**	**19.0**	**14.2**	17.6	10.6	19.3	14.9	**17.5**	**10.7**	**16.8**	**13.6**
5. अचल आस्तियां	**5.9**	**11.2**	**3.0**	**8.3**	6.9	14.9	2.1	6.6	**1.2**	**20.4**	**4.8**	**11.3**
6. अन्य आस्तियां	**14.9**	**2.8**	**67.5**	**-7.9**	26.9	8.0	74.5	-9.9	**26.9**	**-31.0**	**27.9**	**-9.5**

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र

[4] भारतीय स्टेट बैंक समूह के मामले में, उच्च वृद्धि मुख्य रूप से 2012-13 की अंतिम तिमाही में हुई। चार्ट IV.2 के आकलन ऑफसाइट विवरणियों (घरेलू) से लिए गए ऋण के आंकड़ों पर आधारित हैं।

चार्ट IV.2: विभिन्न बैंक समूहों के सकल अग्रिमों में वृद्धि

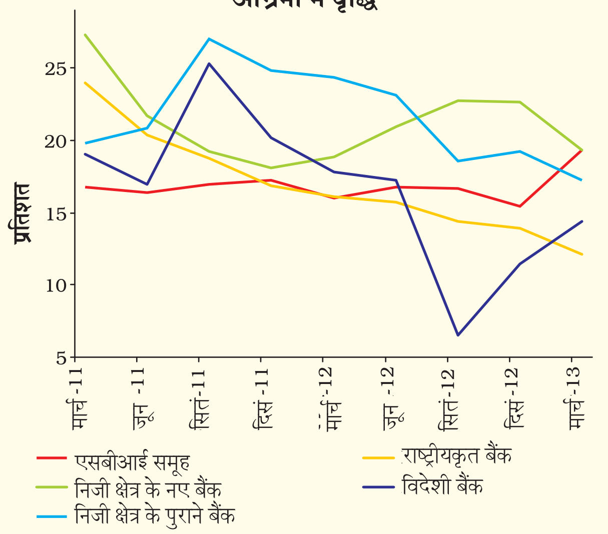

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू)

चार्ट IV.3: कासा की प्रवृत्ति

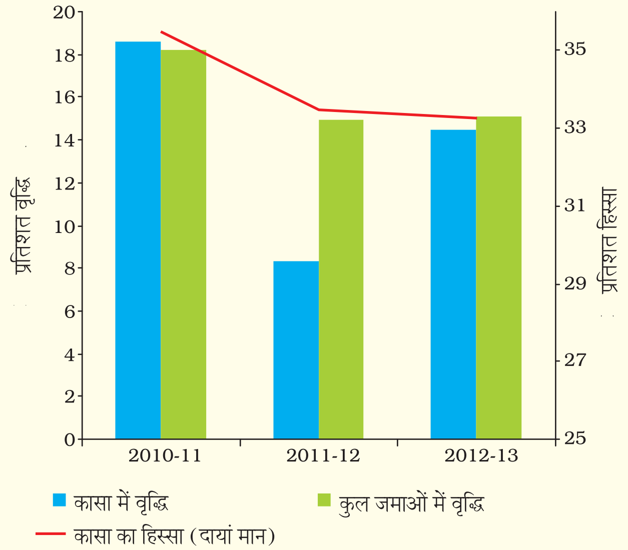

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

कासा जमाराशियों की वृद्धि में सुधार के कारण जमाराशियों की वृद्धि बनाए रखी जा सकी

4.4 हालांकि बैंकिंग क्षेत्र के तुलन-पत्र के आकार में कमी आयी, परंतु देयता पक्ष के सबसे बड़े घटक - जमाराशियों की वृद्धि में 2012-13 में सुधार देखा गया,ऐसा मुख्य रूप से चालू और बचत खाता (कासा) जमाराशियों में वृद्धि के कारण हुआ। नतीजतन, कासा जमाराशियों का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में करीब 33 प्रतिशत बना रहा (चार्ट IV.3)।

निजी क्षेत्र के नए बैंकों में कासा जमाराशियों में पुनः वृद्धि हुई जो बचत जमा दर में आंशिक तौर पर बेहतर प्रतिस्पर्धा के कारण थी

4.5 निजी क्षेत्र के नए बैंकों में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में कासा जमाराशियों में वृद्धि स्पष्ट तौर पर देखी गई। वर्ष 2012-13 में, निजी क्षेत्र के नए बैंकों की कासा जमाराशियों में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो सभी बैंक समूहों के बीच सबसे अधिक रही (चार्ट IV.4)। अंशतः, इसके लिए बचत जमा दर पर नियंत्रण हटाने के बाद, बचत जमाराशियों को आकर्षित करने के लिए बैंकों के बीच आई बेहतर प्रतिस्पर्धा को जिम्मेदार माना जा

चार्ट IV.4: बैंक समूहवार कासा की प्रवृत्ति

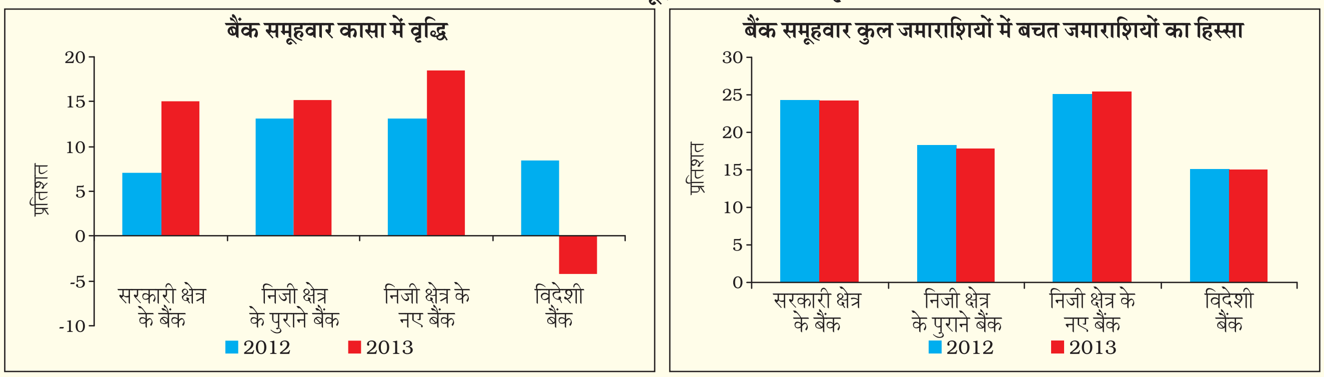

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

सकता है। निजी क्षेत्र के नए बैंकों में कुल जमाराशियों का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा बचत जमाराशियों का है और वर्ष 2013 में यह सभी बैंक समूहों के बीच सबसे अधिक रहा (चार्ट IV.4)।

सकल आधार पर, बकाया ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहा

4.6 बकाया आधार पर, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण-जमा अनुपात मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहकर लगभग 79 प्रतिशत के स्तर पर बना रहा (चार्ट IV.5)। बैंक समूह स्तर पर, एसबीआई और विदेशी बैंक समूहों को छोड़कर सभी बड़े बैंक समूहों के बकाया ऋण-जमा अनुपात में थोड़ी कमी आयी (चार्ट IV.5)।

4.7 दिसंबर 2012 के अंत में 102.9 प्रतिशत की तेजी को छोड़कर, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात में वर्ष 2012-13 के अधिकांश समय में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई (चार्ट IV.6)।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

वर्ष 2012-13 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में वृद्धि

4.8 2012-13 के दौरान अंतरराष्ट्रीय देयताओं और आस्तियों का पुराना रुझान पूरी तरह उलट रहा; हालांकि भारत में स्थित बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में बहुत तेजी से वृद्धि हुई जबकि इन बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां लगभग अपरिवर्तित रहीं (सारणी IV.2;

चार्ट IV.5: बैंक समूहवार बकाया सी-डी अनुपात की प्रवृत्ति

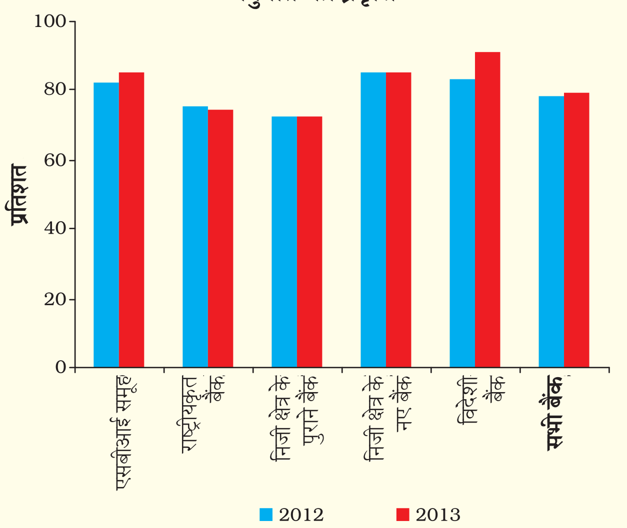

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

चार्ट IV.6: वृद्धिशील सी-डी और आई-डी अनुपात की प्रवृत्ति

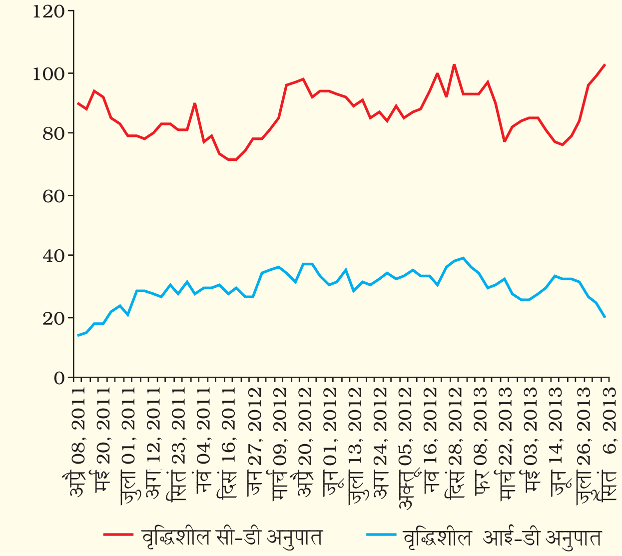

स्रोत: धारा 42(2) विवरणियां।

सारणी IV.2: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - प्रकारानुसार

(₹ बिलियन)

देयताओं के प्रकार	बकाया राशि (मार्च के अंत में)		प्रतिशत में घटबढ़	
	2012	2013	2011-12	2012-13
1. जमा और उधार	**4,472 (79.0)**	**5,274 (77.2)**	**18.2**	**17.9**
2. प्रतिभूति/बांड के अपने निर्गम	**56 (1.0)**	**58 (0.8)**	**23.0**	**3.1**
3. अन्य देयताएं	**1,133 (20.0)**	**1,503 (22.0)**	**-18.3**	**32.7**
जिसमें से:				
क) एडीआर / जीडीआर	271 (4.8)	393 (5.8)	-21.8	45.1
ख) अनिवासियों के पास बैंकों की इक्विटीज	536 (9.5)	714 (10.4)	-26.8	33.2
ग) भारत स्थित विदेशी बैंकों की पूंजी/प्रेषण योग्य लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय देयताएं	326 (5.8)	396 (5.8)	5.8	21.4
कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं	**5,661 (100.0)**	**6,835 (100.0)**	**8.6**	**20.7**

टिप्पणी: 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल देयताओं की तुलना में प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्या का पूर्णांकन बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

स्रोत: एलबीएस(लोकेशनल बैंकिंग सांख्यिकीय) विवरणियों के आधार पर।

सारणी IV.3: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ - प्रकारानुसार

(₹ बिलियन)

आस्तियों के प्रकार	बकाया राशि		प्रतिशत में घटबढ़	
	2012	2013	2011-12	2012-13
1. ऋण और निवेश	**3,410 (97.3)**	**3,453 (97.5)**	**22.3**	**1.3**
जिसमें से:				
क) अनिवासियों को उधार *	156 (4.4)	163 (4.6)	8.1	4.9
ख) निवासियों को विदेशी मुद्रा उधार**	1,652 (47.2)	1,740 (49.1)	17.9	5.3
ग) निवासियों द्वारा अनिवासियों पर जारी बकाया निर्यात बिल	725 (20.7)	791 (22.3)	18.3	9.1
घ) नोस्ट्रो शेष@	865 (24.7)	745 (21.0)	38.7	-13.8
2. ऋण प्रतिभूतियों की धारिताएं	**0.0 (0.0)**	**5.2 (0.1)**	**-100.0**	**-**
3. अन्य आस्तियाँ @@	**94 (2.7)**	**85 (2.4)**	**2.9**	**-9.5**
कुल अंतरराष्ट्रीय आस्तियां	**3,504 (100.0)**	**3,544 (100.0)**	**21.6**	**1.1**

* अनिवासियों की जमाराशियों में से रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा (एफसी) ऋण को शामिल किया गया है।

** एफसीएनआर (बी) जमाराशियों में से दिए गए उधार, विदेशी मुद्रा में पैकिंग ऋण (पीसीएफसी), भारत स्थित बैंकों को एफसी उधार तथा भारत स्थित बैंकों में जमा राशियां आदि शामिल हैं।

@ विदेश में किए गए प्लेसमेंट एवं अनिवासी बैंकों की मीयादी जमाराशियों में शेष शामिल हैं।

@@ भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / सहायक संस्थाओं को आपूर्ति की गई पूंजी और उनसे प्राप्त होने वाले लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय आस्तियां।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल देयताओं की तुलना में प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्या का पूर्णांकन बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

स्रोत: एलबीएस(लोकेशनल बैंकिंग सांख्यिकीय) विवरणियों के आधार पर।

सारणी IV.4: बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का वर्गीकरण - परिपक्वता (अवशिष्ट) और क्षेत्रवार

(₹ बिलियन)

अवशिष्ट परिपक्वता / क्षेत्र	बकाया राशि		प्रतिशत में घटबढ़	
	2012	2013	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**2,809 (100.0)**	**3,312 (100.0)**	**14.0**	**17.9**
क) परिपक्वता - वार				
1. अल्पावधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष से कम)	1,832 (65.2)	2,153 (65.0)	19.0	17.5
2. दीर्घावधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष और ऊपर)	924 (32.9)	1,100 (33.2)	5.9	19.1
3. अनाबंटित	54 (1.9)	59 (1.8)	1.7	10.1
ख) क्षेत्र वार				
1. बैंक	1,286 (45.8)	1,383 (41.8)	17.8	7.6
2. बैंकेतर सार्वजनिक	19 (0.7)	31 (0.9)	114.1	66.2
3. बैंकेतर निजी	1,505 (53.6)	1,898 (57.3)	10.3	26.1

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. अनाबंटित अवशिष्ट परिपक्वता में परिपक्वता लागू नहीं (अर्थात इक्विटी के लिए) और बैंक की रिपोर्टिंग शाखाओं से उपलब्ध न कराई गई परिपक्वता सूचना शामिल है।
3. 'बैंक' क्षेत्र में सरकारी मौद्रिक संस्थाएं (जैसे आईएफसी, ईसीबी आदि) और केंद्रीय बैंक शामिल हैं।
4. मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से पूर्व, बैंकेतर सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों को छोड़कर ऐसी कंपनियां/संस्थाएं शामिल थीं जिनमें राज्य / केंद्र सरकार और उसके विभागों सहित राज्य/ केंद्र सरकारों की कम-से- कम 51 प्रतिशत शेयर धारिता थी। मार्च 2005 की तिमाही से 'बैंकेतर सार्वजनिक' क्षेत्र में केवल राज्य/केंद्र सरकार और उनके विभाग शामिल हैं और तदनुसार, बैंकों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाएं 'बैंकेतर निजी क्षेत्र' के अंतर्गत वर्गीकृत की गई हैं।
5. कुल संख्या का पूर्णांकन बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

स्रोत: एलबीएस (लोकेशनल बैंकिंग सांख्यिकीय) विवरणियों के आधार पर।

IV.3)। भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित दावों के क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चलता है कि 2012-13 में निजी गैर-बैंकिंग क्षेत्र की ओर रुझान स्पष्ट रूप से था जो हाल के वर्षों में वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन को दर्शाता है (सारणी IV.4)। यह रुझान अमेरिका और उन्नत यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्रिटेन और जर्मनी से दक्षिण-पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं जैसे हांगकांग और सिंगापुर तथा संयुक्त अरब अमीरात की ओर भी स्पष्ट रूप से शिफ्ट होता दिखता है (सारणी IV.5)। यह आंशिक रूप से वैश्विक वित्तीय और सरकारी ऋण संकट के फलस्वरूप इस अवधि में सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में व्याप्त अनिश्चित आर्थिक वातावरण का नतीजा हो सकता है।

आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता स्वरूप

अल्पावधि परिपक्वता बकेट में आस्तियों और देयताओं के बीच अंतर सबसे अधिक रहा

4.9 मुख्य रूप से अल्पावधि परिपक्वता वाली[5] जमाराशियों द्वारा वित्तपोषित दीर्घकालिक आधारभूत ढांचागत कर्ज के प्रति इस क्षेत्र के बढ़ते एक्सपोजर को देखते हुए, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में परिपक्वता अंतर को प्रायः चिंता के रूप में देखा गया है। इस तरह

[5] *देखें भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट- 2011-12।*

सारणी IV.5: भारत को छोड़कर देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे

(₹ बिलियन)

देश	बकाया राशि		प्रतिशत में घटबढ़	
	2012	2013	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**2,809 (100.0)**	**3,312 (100.0)**	**14.0**	**17.9**
जिसमें से:				
1. अमरीका	643 (22.9)	676 (20.4)	17.2	5.2
2. यूनाइटेड किंगडम	364 (13.0)	431 (13.0)	6.0	18.3
3. हांगकांग	220 (7.8)	266 (8.0)	19.5	20.9
4. सिंगापुर	216 (7.7)	279 (8.4)	16.3	29.4
5. संयुक्त अरब अमीरात	221 (7.9)	277 (8.4)	42.8	25.1
6. जर्मनी	118 (4.2)	136 (4.1)	-16.6	15.1

टिप्पणी: 1. कुल संख्या का पूर्णांकन बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: सीबीएस (समेकित बैंकिंग सांख्यिकी) विवरणों के आधार पर - देश का तत्काल जोखिम आधार।

का अंतर बैंक की चलनिधि, आय और कभी-कभी ऋण-शोधन क्षमता पर दबाव डाल सकता है।

4.10 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की देयताओं और आस्तियों के परिपक्वता स्वरूप के समग्र विश्लेषण से पता चला कि 1 वर्ष तक के सबसे कम परिपक्वता वाले बकेट में धनात्मक अंतराल (देयताओं- आस्तियों) है। यह अन्य परिपक्वता बकेट की तुलना में सबसे अधिक है। यह अल्पकालिक देयताओं पर अधिक निर्भरता की ओर संकेत करता है जो अल्पावधि आस्तियों के तदनुरूपी सृजन से काफी अधिक है। यह अंतराल शेष तीन परिपक्वता बकेट अर्थात, 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 साल और 5 साल से अधिक के लिए आम तौर पर ऋणात्मक पाया गया। यह मध्यावधि/ दीर्घावधि आस्तियों के अधिक से अधिक सृजन की ओर संकेत करता है जो मध्यावधि/ दीर्घावधि देयताओं के अनुपात से काफी अधिक है (सारणी IV.6; IV.7)।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का तुलन-पत्रेतर परिचालन

वर्ष 2012-13 में बैंकों के तुलन-पत्रेतर परिचालन में मंदी

4.11 वर्ष 2012-13 में न सिर्फ तुलन-पत्र में बल्कि तुलन-पत्रेतर मदों में भी मंदी का असर दिखाई दिया हालांकि तुलन-पत्रेतर मदों में

सारणी IV.6: चुनिंदा देयताओं / आस्तियों की बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल
(मार्च के अंत में)

(प्रत्येक मद के अंतर्गत कुल का प्रतिशत)

देयताएं / आस्तियाँ	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**		**निजी क्षेत्र के बैंक**		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		**विदेशी बैंक**		**सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक**	
	2012	**2013**	**2012**	**2013**	2012	2013	2012	2013	**2012**	**2013**	**2012**	**2013**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	6	7	8	9	**10**	**11**	**12**	**13**
I. जमाराशियाँ												
क) 1 वर्ष तक	**49.6**	**33.9**	**48.7**	**46.0**	48.1	48.5	48.9	45.1	**61.9**	**62.0**	**50.0**	**35.6**
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	**25.3**	**31.3**	**30.0**	**27.4**	39.2	37.5	26.6	23.7	**29.8**	**28.9**	**26.3**	**30.9**
ग) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	**8.5**	**15.9**	**5.7**	**9.1**	6.9	7.4	5.2	9.7	**8.3**	**9.0**	**8.0**	**15.1**
घ) 5 वर्ष से अधिक	**16.6**	**18.9**	**15.7**	**17.5**	5.8	6.6	19.3	21.5	**0.1**	**0.1**	**15.7**	**18.4**
II. उधार राशियां												
क) 1 वर्ष तक	**45.4**	**55.6**	**50.3**	**45.9**	63.7	66.2	49.2	44.0	**84.5**	**89.5**	**52.6**	**57.0**
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	**12.2**	**11.8**	**11.8**	**14.4**	13.4	14.5	11.7	14.4	**9.2**	**6.0**	**11.7**	**11.8**
ग) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	**15.2**	**9.8**	**12.5**	**14.0**	7.8	8.6	12.9	14.5	**2.7**	**2.7**	**12.5**	**9.9**
घ) 5 वर्ष से अधिक	**27.2**	**22.9**	**25.4**	**25.7**	15.1	10.6	26.2	27.0	**3.5**	**1.8**	**23.2**	**21.3**
III. ऋण और अग्रिम												
क) 1 वर्ष तक	**34.3**	**23.8**	**35.2**	**35.0**	44.0	45.8	32.4	31.7	**67.2**	**65.1**	**35.9**	**25.8**
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	**37.4**	**49.8**	**37.1**	**36.8**	36.1	34.2	37.4	37.7	**15.5**	**17.7**	**36.3**	**47.8**
ग) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	**11.0**	**8.2**	**11.3**	**11.7**	9.1	9.6	12.0	12.3	**4.8**	**6.3**	**10.8**	**8.5**
घ) 5 वर्ष से अधिक	**17.3**	**18.1**	**16.4**	**16.5**	10.8	10.4	18.2	18.4	**12.5**	**10.8**	**17.0**	**17.8**
IV. निवेश												
क) 1 वर्ष तक	**20.1**	**16.6**	**42.6**	**41.8**	30.3	38.5	45.9	42.7	**76.7**	**77.9**	**30.4**	**23.1**
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	**12.6**	**17.2**	**17.3**	**18.2**	12.2	16.3	18.6	18.8	**12.9**	**11.0**	**13.7**	**17.1**
ग) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	**14.2**	**20.9**	**9.1**	**9.9**	13.0	11.1	8.1	9.5	**5.2**	**3.5**	**12.2**	**18.5**
घ) 5 वर्ष से अधिक	**53.1**	**45.2**	**31.0**	**30.1**	44.4	34.1	27.4	29.0	**5.2**	**7.5**	**43.6**	**41.3**

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र।

चार्ट IV.7: विभिन्न परिपक्वता बकेट की देयताओं और आस्तियों के अनुपात के बीच अंतर

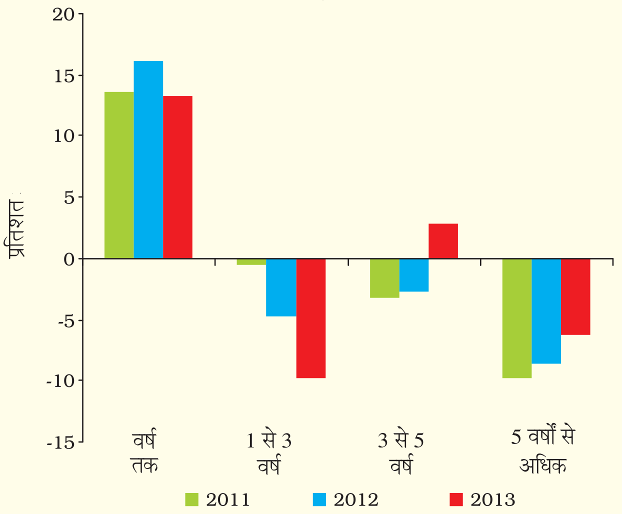

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

मंदी का असर अधिक स्पष्ट रहा। हाल में इन दोनों मदों में एक साथ हुई वृद्धि यह संकेत देती है कि इन दोनों के बीच एक निश्चित पूरकता है (परिशिष्ट सारणी IV.2; चार्ट IV.8)।

चार्ट IV.8: तुलन पत्र और तुलन पत्रेतर लेनदेनों में वृद्धि

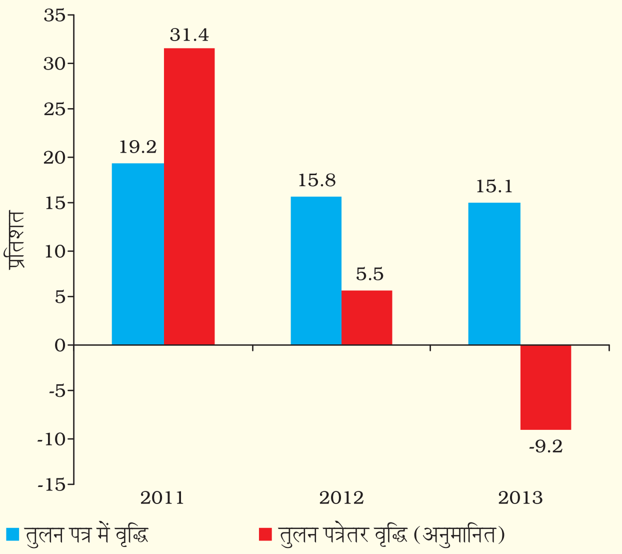

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

कम ऋण वितरण के साथ मुनाफे में धीमी वृद्धि ने ब्याज आय को प्रभावित किया

4.12 2012-13 में ऋण वृद्धि में गिरावट आने के कारण ब्याज आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसी अवधि में ब्याज दरों में गिरावट आनी शुरू हो गई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान ये अधिक हो गई थीं (सारणी IV.7; चार्ट IV.9)। ब्याज व्यय में भी वर्ष के दौरान धीमी गति से बढ़ोतरी हुई लेकिन यह बढ़ोतरी अर्जित ब्याज से अधिक थी जिसके कारण बैंकों के परिचालन और निवल लाभ दोनों की वृद्धि पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा।

पिछली प्रवृत्ति को जारी रखते हुए 2012-13 में आस्तियों पर प्रतिलाभ में और अधिक संकुचन हुआ।

4.13 लाभप्रदता के संकेतक के तौर पर सामान्यत: प्रयुक्त होने वाले आस्तियों पर प्रतिलाभ में 2012-13 में लगभग 5 आधार अंक की और गिरावट आयी (सारणी IV.8)। इस गिरावट को सामान्य

सारणी IV.7: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय की प्रवृत्ति

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	2011-12		2012-13	
	राशि	प्रतिशत घटबढ़	राशि	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5
1. आय	**7,416**	**29.8**	**8,614**	**16.2**
क) ब्याज आय	6,553	33.4	7,636	16.5
ख) अन्य आय	863	8.1	978	13.3
2. व्यय	**6,600**	**31.8**	**7,702**	**16.7**
क) व्यय किया गया ब्याज	4,304	44.0	5,138	19.4
ख) परिचालन व्यय	1,376	11.7	1,566	13.8
जिसमें से: वेतन बिल	780	7.3	873	11.9
ग) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	920	16.8	998	8.5
3. परिचालन लाभ	**1,737**	**16.5**	**1,910**	**10.0**
4. निवल लाभ	**817**	**16.1**	**912**	**11.6**
5. निवल ब्याज आय (1क-2क)	**2,249**	**16.9**	**2,498**	**11.1**
निवल ब्याज मार्जिन (औसत आस्तियों के प्रतिशत रूप में एनआईआई)	**2.9**		**2.8**	

स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

चार्ट IV.9: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा और उधार दरों की प्रवृत्ति

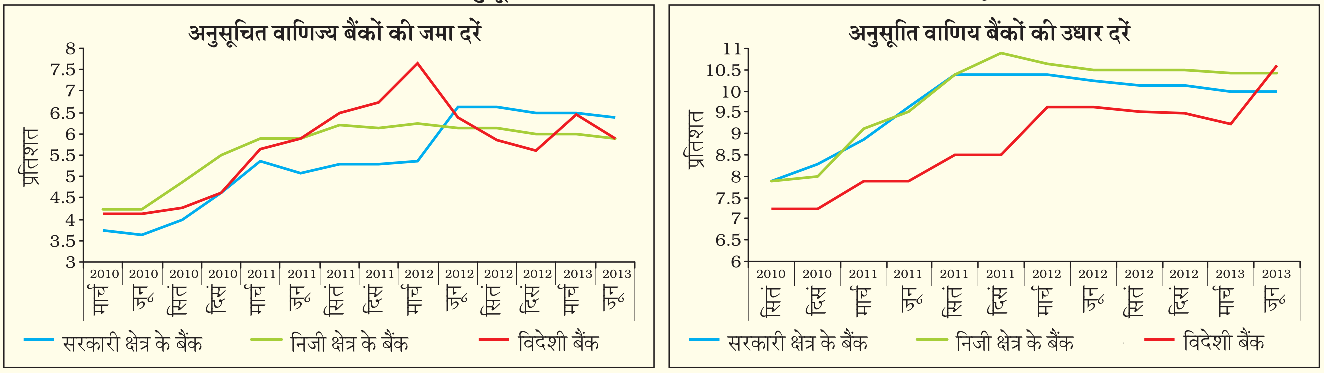

टिप्पणी: 1. दरों को न्यूनतम और अधिकतम दरों के औसत की मध्य बिन्दु के रूप में लिया गया है।
2. जमा दर से तात्पर्य 1 वर्ष तक की जमाराशियों पर प्रभारित दरों से है क्योंकि इन जमाओं का हिस्सा सभी बैंक समूहों की कुल जमाराशियों में सबसे अधिक है।

तौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों विशेष तौर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

नए निजी/विदेशी बैंकों ने अपने परिचालन व्ययों की वृद्धि में कमी लाकर लाभप्रदता में सुधार किया

4.14 निजी क्षेत्र के नए बैंकों और विदेशी बैंकों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों और एसबीआई समूह की तुलना में 2012-13 में आस्तियों पर प्रतिलाभ में वृद्धि की सूचना दी। 2012-13 में नए निजी क्षेत्र/विदेशी बैंकों के लाभ की वृद्धि में तीव्र गिरावट नहीं दिखाई दी, जैसाकि राष्ट्रीयकृत बैंकों और एसबीआई समूह के मामले में ऐसा हुआ। हालांकि वर्ष के दौरान नए निजी/विदेशी बैंकों की ब्याज आय में कम वृद्धि हुई, पर वे अपने परिचालन व्ययों, विशेषकर वेतन बिल की वृद्धि में कटौती कर अपने लाभ वृद्धि को बरकरार रख सके (चार्ट IV.10) ।

2012-13 में निवल ब्याज मार्जिन तथा स्प्रेड दोनों कम हुए

4.15 हाल के वर्षों की प्रवृत्ति को देखते हुए, निवल ब्याज मार्जिन और स्प्रेड (प्रतिफल और लागत निधि के बीच का अंतर) दोनों में समग्र स्तर पर गिरावट आई जिससे पता चलता है कि अनुसूचित

सारणी IV.8: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिफल तथा इक्विटी पर प्रतिफल-बैंक समूह वार

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक समूह/वर्ष	आस्तियों पर प्रतिफल		इक्विटी पर प्रतिफल	
		2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
	1	2	3	4	5
1	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**0.88**	**0.78**	**15.33**	**13.24**
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक *	0.88	0.74	15.05	12.34
	1.2 एसबीआई समूह	0.89	0.88	16.00	15.29
2	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**1.53**	**1.63**	**15.25**	**16.46**
	2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1.20	1.26	15.18	16.22
	2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.63	1.74	15.27	16.51
3	**विदेशी बैंक**	**1.76**	**1.94**	**10.79**	**11.52**
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**1.08**	**1.03**	**14.60**	**13.84**

टिप्पणी: 1. आस्तियों पर प्रतिफल = निवल लाभ/औसतन कुल आस्तियां
2. इक्विटी पर प्रतिफल = निवल लाभ/ औसतन कुल इक्विटी
3. * राष्ट्रीकृत बैंकों में आईडीबीआई बैंक लि.शामिल है ।

स्रोत : संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे ।

चार्ट IV.10: आय और व्यय के चयनित मदों में वृद्धि

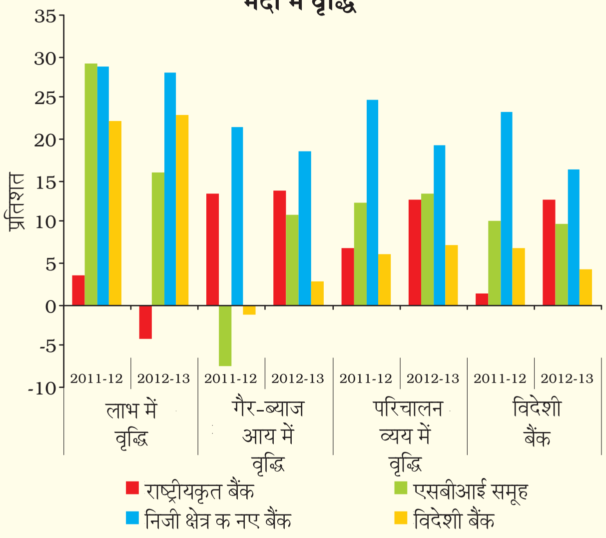

स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

सारणी IV.9: निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिफल - बैंक समूहवार

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक समूह /वर्ष	जमा की लागत	उधार की लागत	निधि की लागत	अग्रिमों पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	निधि पर प्रतिफल	अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8-5)
1	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**							
	2011-12	**6.36**	**2.80**	**6.06**	**10.31**	**7.54**	**9.52**	**3.46**
	2012-13	**6.63**	**2.45**	**6.27**	**10.08**	**7.60**	**9.38**	**3.11**
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक*							
	2011-12	6.51	2.77	6.22	10.32	7.43	9.49	3.27
	2012-13	6.74	2.37	6.39	10.16	7.42	9.36	2.97
	1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह							
	2011-12	5.97	2.85	5.66	10.27	7.80	9.60	3.94
	2012-13	6.37	2.58	5.96	9.90	8.08	9.42	3.46
2	**निजी क्षेत्र के बैंक**							
	2011-12	**6.43**	**2.92**	**5.84**	**11.06**	**7.26**	**9.73**	**3.89**
	2012-13	**6.72**	**3.33**	**6.12**	**11.52**	**7.28**	**10.02**	**3.91**
	2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक							
	2011-12	7.24	4.34	7.10	11.98	7.37	10.47	3.37
	2012-13	7.46	4.33	7.27	12.15	7.49	10.62	3.35
	2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक							
	2011-12	6.14	2.81	5.45	10.77	7.23	9.51	4.06
	2012-13	6.45	3.24	5.77	11.33	7.22	9.85	4.08
3	**विदेशी बैंक**							
	2011-12	**4.34**	**2.78**	**3.88**	**9.61**	**8.02**	**8.87**	**4.99**
	2012-13	**4.67**	**2.78**	**4.05**	**9.55**	**8.13**	**8.89**	**4.84**
4	**सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक**							
	2011-12	**6.28**	**2.83**	**5.90**	**10.42**	**7.52**	**9.53**	**3.63**
	2012-13	**6.57**	**2.76**	**6.12**	**10.33**	**7.57**	**9.49**	**3.36**

टिप्पणी:
- जमा की लागत = जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज / चालू और पिछले वर्ष की जमाराशियों का औसत।
- उधारों की लागत = उधारों पर प्रदत्त ब्याज / चालू और पिछले वर्ष के उधारों का औसत।
- निधियों की लागत = (जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज +उधारों पर अदा किया गया ब्याज) / (चालू और पिछले वर्ष की जमाराशियों + उधारों का औसत)।
- अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / चालू और पिछले वर्ष के अग्रिमों का औसत।
- निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेश पर अर्जित ब्याज / चालू और पिछले वर्ष के निवेशों का औसत।
- निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिमों पर अर्जित ब्याज + निवेशों पर अर्जित ब्याज) / (चालू और पिछले वर्ष के अग्रिमों + निवेशों का औसत)।

*आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्रों से परिकलित।

वाणिज्य बैंकों की परिचालन दक्षता में कुछ सुधार आया है (सारणी IV.7; IV.9)। मानक लेखांकन मानदंडों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि हाल के दशकों में बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में सुधार हुआ है (बॉक्स IV.1) ।

बॉक्स IV.1 :
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में दक्षता विश्लेषण- एक अनुपात दृष्टिकोण

बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में निरंतर सुधार आवश्यक है क्योंकि वे निम्नानुसार योगदान देते हैं - (क) उच्चतर आर्थिक विकास - एक कार्यकुशल बैंकिंग क्षेत्र, संसाधनों को जुटा करके तथा आबंटन के अपने बुनियादी कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से करके आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है (मोहन, 2005); (ख) जोखिम का न्यूनीकरण - बैंकिंग प्रणाली जितनी अधिक दक्ष होगी वह उतनी ही कुशलता के साथ जोखिम आघातों को सहन कर सकेगी और इससे ऊबर सकेगी। इसकी कड़ी अनिवार्य रूप से अधिक से अधिक पूंजी बफर बनाकर, दक्षता में सुधार के लिए बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता से जुड़ी है। वास्तव में, अध्ययन से पता चला है कि लागत दक्षता तथा किसी बैंक की विफलता के जोखिम (पॉडपियरा और पॉडपियरा, 2005) के बीच एक नकारात्मक और महत्त्वपूर्ण संबंध है; (ग) बेहतर वित्तीय समावेशन - बैंकिंग प्रणाली जितना अधिक दक्ष होगी उतनी ही कुशलता के साथ यह वित्तीय समावेशन के लिए योगदान दे सकेगी, विशेष रूप से यह बैंकिंग सेवाओं की सुपुर्दगी को किफायती बनाएगी और इस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बैंकिंग सेवाओं तक अधिक पहुंच से इसके उपयोग में सुधार आएगा (चक्रवर्ती, 2013)।

सैद्धांतिक रूप से, दक्षता और उत्पादकता/लाभप्रदता के बीच एक बारीक सा अंतर है। जबकि, उपलब्ध इनपुट और प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादकता के लाभ अधिकतम संभव आउटपुट प्राप्त करने की बैंक की क्षमता का परिचायक हैं, वहीं दक्षता सामान्य अर्थ में उद्योग जगत के अग्रणी के साथ तुलना करके बैंक के कार्य-निष्पादन को मापती है (भारतीय रिजर्व बैंक, 2008)। अनुभवजन्य तौर,

(जारी...)

(...समाप्त)

बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता को मापने के दो तरीके हैंः (क) उत्पादकता/लाभप्रदता के मानक लेखांकन उपाय के माध्यम से और (ख) डेटा इन्वेलपमेंट तकनीक के माध्यम से जिसमें संसाधनों का इष्टतम स्तर पर उपयोग करने वाले सबसे अच्छे फ्रंटियर का आकलन किया जाता है, और किसी खास बैंक की दक्षता को उस फ्रंटियर के सापेक्ष में मापा जाता है।

लागत-आय अनुपात, निवल ब्याज मार्जिन और आस्तियों पर प्रतिलाभः दक्षता/लाभप्रदता के विश्लेषण के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त लेखांकन उपाय/अनुपात इस प्रकार हैं : लागत-आय अनुपात में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा राजस्व/आय की एक इकाई को जुटाने की लागत को कवर किया जाता है जो लागत दक्षता को परिलक्षित करता है। यह अनुपात जितना कम होगा, बैंकिंग क्षेत्र उतना ही कुशल होगा। निवल ब्याज मार्जिन में, ऋण और निवेश परिचालनों के माध्यम से अपनी जमाराशियों और उधार ली गई निधियों को नियोजित कर आय सृजन करने में इस क्षेत्र की मध्यस्थता संबंधी दक्षता को, कवर किया जाता है। यह अनुपात जितना कम होगा, बैंकिंग क्षेत्र उतना ही अधिक कुशल होगा। आस्तियों पर प्रतिलाभ में, बैंकों को अपनी आस्तियों को नियोजित करने की दक्षता को कवर किया जाता है। यह अनुपात जितना ही अधिक होगा, बैंकिंग क्षेत्र का संचालन उतना ही अधिक कुशल होगा।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, लागत-आय अनुपात के माध्यम से आकलित लागत दक्षता के अनुसार भारत, चीन को छोड़कर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और अन्य ब्रिक्स के देशों से ऊपर है। निवल ब्याज मार्जिन के माध्यम से प्राप्त दक्षता के संदर्भ में भारत अन्य ब्रिक्स देशों के समतुल्य है लेकिन अभी भी सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से पीछे है। आस्तियों पर प्रतिलाभ के माध्यम से प्राप्त लाभप्रदता के संदर्भ में इसकी तुलना अन्य ब्रिक्स देशों और उन्नत देशों से की जा सकती है (सारणी)।

1990 के दशक से आरंभ लेकर शुरू किए गए बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों का प्रमुख उद्देश्य बैंकों की परिचालन दक्षता और लाभप्रदता में सुधार रहा है। लागत-आय अनुपात, निवल ब्याज मार्जिन और आस्तियों पर प्रतिलाभ के अध्ययन से यह पता चलता है कि इस अवधि के दौरान प्रणाली में कुल मिलाकर लागत-आय अनुपात और निवल ब्याज मार्जिन में कमी आयी है और आस्तियों पर प्रतिलाभ में भी सुधार आया है, हालांकि इसमें कुछ उतार-चढ़ाव देखे गए हैं। बासेल II के मानदण्डों के अनुसार, बैंकों को 40 प्रतिशत का लागत-आय अनुपात प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जबकि बैंकों का आस्तियों पर प्रतिलाभ 1 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए (भारतीय रिज़र्व बैंक, 2008)। 2000 के दशक में, भारत का कार्य-निष्पादन इन दो मानकों के तुलनीय है (चार्ट)। इस प्रकार, मानक लेखा उपाय/अनुपात यह दर्शाते हैं कि हाल के दशकों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में सुधार की प्रवृत्ति रही है।

सारणी: चुनिंदा देशों में लाभप्रदता और क्षमता के संकेतक

(प्रतिशत)

देश	आय की तुलना में लागत	एनआईएम	आरओए
चुनिंदा उन्नत देश			
यूएसए	60.59	3.64	0.83
जापान	61.65	1.01	0.28
यूके	67.79	1.09	0.16
डेनमार्क	70.32	1.12	0.07
फ्रांस	75.37	0.90	0.11
जर्मनी	83.62	0.78	0.02
इटली	89.63	1.37	-1.10
ब्रिक्स			
चीन	38.48	2.74	0.77
भारत	*44.53*	*3.02*	*0.95*
ब्राजील	57.28	4.97	1.21
दक्षिण अफ्रीका	57.34	2.76	1.10
रूस	90.03	3.93	1.27

टिप्पणीः देशों की रैंकिंग, आय की तुलना में लागत का अनुपात के आधार पर की गई है। डेटा 2011 के हैं। भारत का डेटा वर्ल्ड बैंक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है ताकि वह परिभाषा के संदर्भ में अन्य देशों के साथ तुलनीय हो।
स्रोतः बैंकस्कोप, फाइनेंशियल स्ट्रकचर डेटाबेस, वर्ल्ड बैंक।

चार्ट: क्षमता दर्शाते लेखांकन मानदंडों की प्रवृत्तियां

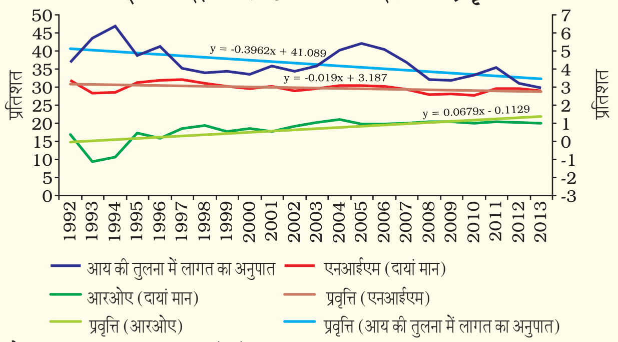

स्रोतः 1. एनआईएम की परिभाषा है औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय। आरओए की परिभाषा है औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ और लागत आय अनुपात की परिभाषा है कुल आय के प्रतिशत के रूप में परिचालन लागत (इसमें प्रावधान और आकस्मिक व्यय भी शामिल हैं)।
2. प्रवृत्ति का तात्पर्य आनुक्रमिक समय प्रवृत्ति से है।
टिप्पणीः भारत में बैंकों की सांख्यिकीय सारणी, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, विभिन्न अंक।

संदर्भ : चक्रवर्ती के.सी (2013), ''प्रोडक्टीविटी ट्रेंडस इन इंडियन बैंकिंग इन दि पोस्ट रिफार्म पीरियड-एक्सपीरियेंस, इसूज और फ्यूचर चेलेंजेज'' एड्रेस एट दि एफआईबीएसी, अगस्त।

मोहन, राकेश (2005) ''इंडियन इकोनॉमी इन ग्लोबल सेटिंग'', *आरबीआई बुलेटिन,* अक्तूबर।

पॉडपियरा, ए और जे पॉडपियरा (2005) डिटियोरेटिंग कॉस्ट इफिसियंशी इन कमर्शियल बैंक्स सिग्नल्स एन इनक्रीजिंग रिस्क ऑफ फेल्यूर'' सीएनबी वर्किंग पेपर सीरीज, दिसंबर।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (2008), मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2006-08, मुंबई।

4.16 मानक लेखांकन मानंदडों के अलावा, बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता को तय करने की एक दूसरी सामान्य रूप से प्रयुक्त तकनीक डेटा इन्वेलपमेंट एनेलिसिस है। इस तकनीक को भी प्रयोग करने पर पाए गए अनुमान के अनुसार, हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में सुधार की एक प्रवृत्ति दिखी है (बॉक्स IV.2)।

बॉक्स IV.2:
डेटा इन्वेलपमेंट तकनीक का प्रयोग कर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता का विश्लेषण

बॉक्स IV.1 में दिखाए गए के अनुसार, मानक लेखाकंन मानदंडों का प्रयोग कर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में सुधार की प्रवृत्ति की पुष्टि, डेटा इन्वेलपमेंट तकनीक का प्रयोग कर प्राप्त किए गए दक्षता अनुमानों से भी की जा सकती है (चार्ट)। यहां डेटा इन्वेलपमेंट तकनीक (डीईए) "मध्यस्थता" दृष्टिकोण पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, बैंकों को वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं माना जाता है जो निर्धारित आउटपुट[6] के लिए एक निश्चित इनपुट का प्रयोग करती हैं। तदनुसार, इनपुट को जमाराशि और उधार तथा कुल लागत (ब्याज और परिचालनगत व्यय) के रूप में लिया गया है ताकि अर्जक आस्तियों (ऋण और निवेश का जोड़ शामिल है) के सृजन को आउटपुट के रूप में माना जा सके। विश्लेषण की अवधि वर्ष 2000 से 2013 तक की है जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र और बैंकिंग क्षेत्र[7] की गतिविधियों का उच्च विकास चरण और मंदी का वर्तमान चरण शामिल किया गया है। डेटा इन्वेलपमेंट तकनीक एक इनपुट उन्मुख मॉडल का अनुकरण करती है जो लागत में कमी की सीमा को तय करती है क्योंकि यह निर्धारित आउटपुट[8] के स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सबसे बड़े हिस्से सरकारी क्षेत्र के बैंकों का औसत दक्षता स्कोर, विचाराधीन अवधि के अधिकांश भाग में निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक रहा। हालांकि, वे 2010 के बाद निजी क्षेत्र के बैंकों के स्कोर से पीछे हो गए, इस अवधि में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संवृद्धि और लाभप्रदता में गिरावट देखी गई। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में जहाँ तक दक्षता स्तर की बात है, सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उतार-चढ़ाव बहुत कम रहा (सारणी)। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एसबीआई समूह ने आम तौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अधिक दक्षता दिखाई। हालांकि, वर्ष 2010 के बाद इन दोनों बैंक समूह के औसत दक्षता स्तरों में अभिरूपता के संकेत थे (चार्ट)।

संदर्भ:

बर्गर, ऐलन एन. एंड डेविड हंफ्रे (1997), 'इफिशिएंसी ऑफ फायनेंशियल इंस्टिट्यूशंसः इंटरनैशनल सर्वे एंड डाइरेक्शन्स फॉर फ्यूचर रिसर्च', *यूरोपियन जर्नल ऑफ आपरेशनल रिसर्च*, 98(2)।

दास, अभिमान, अशोक नाग एंड सुभाष सी. रे (2005), ''लिब्रलाइजेशन, ओनरशिप एंड इफिशिएंसी इन इंडियन बैंकिंगः ए नॉनपैरामेट्रिक एनैलसिस'', इकोनॉमिक एंड पालिटिकल वीकली, 40(12)।

भारतीय रिज़र्व बैंक (2008), मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट - 2006-08, मुंबई।

चार्ट: डीईए का उपयोग करते हुए दक्षता की प्रवृत्ति

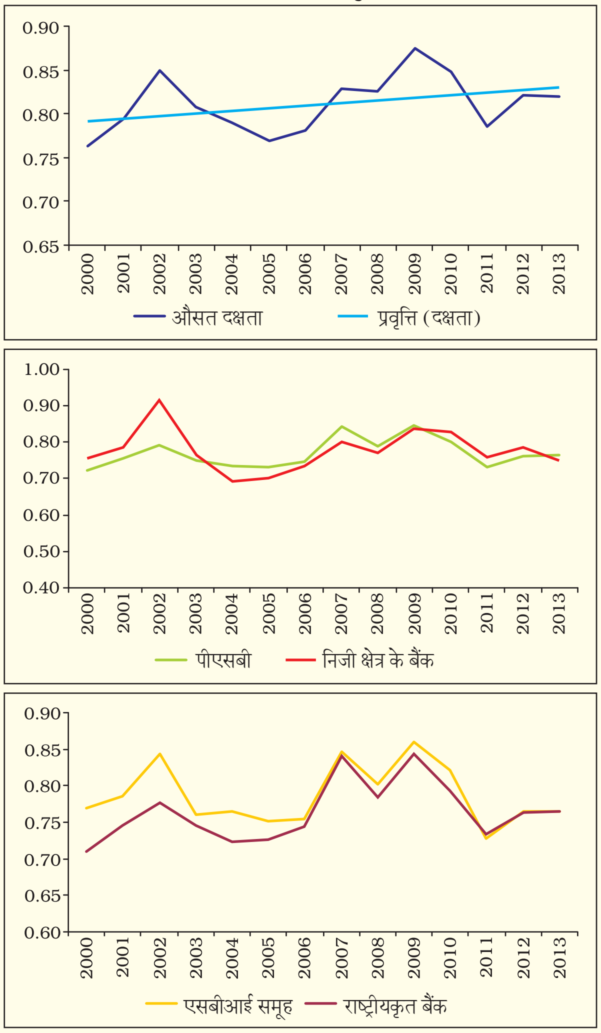

स्रोत: भारत में बैंकों की सांख्यिकीय सारणी, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट से लिए गए डेटा का उपयोग कर परिकलित दक्षता स्कोर, विविध मुद्दे।

सारणी: दक्षता स्तर में घट-बढ़ की प्रवृत्ति

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
सरकारी क्षेत्र के बैंकों में घट-बढ़ (%) का सहगुणांक													
5.9	5.8	4.9	8.0	7.8	6.8	4.2	2.7	1.9	2.6	3.0	2.4	2.0	2.2
निजी क्षेत्र के बैंकों में घट-बढ़ (%) का सहगुणांक													
18.0	10.4	59.6	14.0	12.3	8.7	10.2	7.3	7.6	6.1	6.1	10.0	5.6	7.3

[6] देखें बर्गर एंड हंफ्री (1997) और दास एट एल (2005)

[7] विभिन्न समयों में सेक्टोरल दक्षता की तुलनीयता को सुनिश्चित करने के लिए, इस विश्लेषण के लिए विचारित सैम्पल में केवल उन्हीं बैंकों को शामिल किया गया है जो इस अवधि के दौरान परिचालन में थे।

[8] इसलिए यदि दक्षता स्कोर 0.80 है, तब उपलब्ध इनपुट-आउटपुट संयोजन और प्रौद्योगिकी को देखते हुए, आउटपुट के समान स्तर के उत्पादन के लिए 20 प्रतिशत लागत कम की जा सकती हैं।

सारणी IV.10: बासेल I और II के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात - बैंक समूह वार

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

मद/ बैंक समूह	बासेल I		बासेल II	
	2012	2013	2012	2013
1	2	3	4	5
सरकारी क्षेत्र के बैंक	**11.88**	**11.31**	**13.23**	**12.38**
राष्ट्रीयकृत बैंक*	11.84	11.39	13.03	12.26
भारतीय स्टेट बैंक समूह	11.97	11.14	13.70	12.67
निजी क्षेत्र के बैंक	**14.47**	**15.10**	**16.21**	**16.84**
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	12.47	12.33	14.12	13.73
निजी क्षेत्र के नए बैंक	14.90	15.71	16.66	17.52
विदेशी बैंक	**17.30**	**18.76**	**16.75**	**17.87**
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**12.94**	**12.77**	**14.24**	**13.88**

टिप्पणी: *: आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल है।

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित।

4. सुदृढ़ता संकेतक

सीआरएआर, बासेल I और II दोनों के तहत निर्धारित मानदंड से अधिक रहा

4.17 पूर्व रुझान की तरह, 2012-13 में जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) प्रणाली और बैंक समूह दोनों के स्तर पर निर्धारित 9 प्रतिशत से ऊपर बना रहा, लेकिन इसमें गिरावट का रुख देखा गया (सारणी IV.10)। बासेल II के अंतर्गत कोर सीआरएआर (टियर-I) में भी थोड़ी गिरावट आई (सारणी IV.11)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत स्थिति में गिरावट के कारण समग्र स्तर पर पूंजीगत स्थिति में गिरावट रही।

सारणी IV.11: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की घटकवार पूंजी पर्याप्तता

(मार्च के अंत में)

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	बासेल I		बासेल II	
	2012	2013	2012	2013
क. पूंजी निधियां (i + ii)	**7,810**	**8,906**	**7,780**	**8,879**
i) टियर I पूंजी	5,686	6,595	5,672	6,580
ii) टियर II पूंजी	2,124	2,311	2,109	2,299
ख. जोखिम भारित आस्तियां	**60,376**	**69,742**	**54,621**	**63,969**
ग. सीआरएआर (ख के % के रूप में क)	**12.94**	**12.77**	**14.24**	**13.88**
जिसमें से: टियर I	9.42	9.46	10.38	10.29
टियर II	3.52	3.31	3.86	3.59

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित।

4.18 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने के गंभीर राजकोषीय परिणामों को देखते हुए, इन बैंकों की पूंजीगत स्थिति में गिरावट चिंता का कारण है (सारणी IV.12)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सांविधिक स्तर से ऊपर बने रहे। चूँकि वे बासेल III के उन्नत ढांचे में अंतरण कर रहे हैं, अतः उनकी पूंजी की मात्रा और गुणवत्ता (सामान्य इक्विटी) दोनों को बेहतर बनाने की आवश्यकता होगी, साथ ही अर्थव्यवस्था में ऋण की बढ़ती जरूरतों को भी पूरा करना होगा और सार्वजनिक स्वामित्व के स्तर को भी बनाए रखना होगा।

अनर्जक आस्तियां

अनर्जक आस्तियां बैंकिंग क्षेत्र के लिए दबाव का कारण बनी रहीं

4.19 मार्च 2013 के अंत में समग्र स्तर पर सकल एनपीए अनुपात 3.6 प्रतिशत था, जो मार्च 2012 के अंत के 3.1 प्रतिशत से अधिक था (सारणी IV.13)। स्टेट बैंक समूह की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट सबसे स्पष्ट दिखी, जिसका एनपीए अनुपात मार्च 2013 के अंत में 5 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुंच गया। मार्च 2013 के अंत में लगभग 3.6 प्रतिशत के सकल एनपीए अनुपात के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों का स्थान स्टेट बैंक समूह के ठीक बाद था।

सारणी IV.12: सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण पर व्यय की गई राशि

वर्ष	पुनर्पूंजीकरण राशि (बिलियन ₹ में)
2000-01	-
2001-02	13
2002-03	8
2003-04	-
2004-05	-
2005-06	5
2006-07	-
2007-08	100
2008-09	19
2009-10	12
2010-11	201
2011-12	120
2012-13	125
2013-14	140

- उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: वित्त मंत्रालय, यूनियन बजट के दस्तावेज और मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट, 2006-08 से संकलित।

सारणी IV.13: अनर्जक आस्तियों की प्रवृत्ति - बैंक समूहवार

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक*	भारतीय स्टेट बैंक समूह	निजी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सकल एनपीए								
2011-12 के लिए अंतिम शेष	**1,178**	696	482	**187**	42	145	**62**	**1,429**
2012-13 का प्रारंभिक शेष	**1,178**	696	482	**187**	42	145	**62**	**1,429**
2012-13 के दौरान जोड़	**1,198**	772	425	**128**	41	87	**41**	**1,368**
2012-13 के दौरान वसूली	**648**	429	219	**63**	30	33	**24**	**736**
2012-13 के दौरान बट्टा खाता डाले गए	**78**	17	60	**42**	1	40	**0**	**120**
2012-13 का अंतिम शेष	**1,650**	1,022	627	**210**	52	158	**79**	**1,940**
सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए								
2011-12	**3.3**	**2.8**	**4.6**	**2.1**	**1.8**	**2.2**	**2.6**	**3.1**
2012-13	**4.1**	**3.6**	**5.0**	**2.0**	**1.9**	**2.0**	**2.9**	**3.6**
निवल एनपीए								
2011-12 का अंतिम शेष	**593**	391	202	**44**	13	30	**14**	**652**
2012-13 का अंतिम शेष	**900**	619	281	**59**	20	39	**26**	**986**
निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप निवल एनपीए								
2011-12	**1.5**	1.4	1.8	**0.5**	0.6	0.4	**0.6**	**1.3**
2012-13	**2.0**	2.0	2.0	**0.5**	0.8	0.4	**1.0**	**1.7**

टिप्पणी: 1.* : आईडीबीआई बैंक लि. सहित।
2.**: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे से सकल अनर्जक आस्तियां तथा ऑफ साइट विवरणियों से सकल अग्रिमों को लेकर गणना की गई है।
स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

4.20 "संदिग्ध" कर्ज आस्तियों के अनुपात में वृद्धि के कारण अनर्जक आस्तियों के भीतर भी गंभीर गिरावट के चिन्ह देखे गए (सारणी IV .14)। कर्ज आस्तियों के "संदिग्ध" श्रेणी में अंतरण की सबसे अधिक घटनाएं स्टेट बैंक समूह और राष्ट्रीयकृत बैंकों में हुईं।

सारणी IV.14: ऋण आस्तियों का वर्गीकरण - बैंक समूहवार
(मार्च के अंत में)

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	बैंक समूह	वर्ष	मानक आस्तियां		अवमानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानि आस्तियां	
			राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**2012**	**38,255**	**97.0**	**623**	**1.6**	**490**	**1.2**	**60**	**0.1**
		2013	**43,957**	**96.4**	**815**	**1.8**	**761**	**1.7**	**68**	**0.1**
1.1	राष्ट्रीयकृत बैंक **	2012	26,909	**97.5**	402	**1.5**	268	**1.0**	21	**0.1**
		2013	30,396	**96.8**	558	**1.8**	424	**1.3**	35	**0.1**
1.2	भारतीय स्टेट बैंक समूह	2012	11,345	**95.9**	221	**1.9**	222	**1.9**	39	**0.3**
		2013	13,561	**95.6**	258	**1.8**	337	**2.4**	33	**0.2**
2	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**2012**	**9,629**	**98.1**	**52**	**0.5**	**104**	**1.1**	**29**	**0.3**
		2013	**11,384**	**98.2**	**64**	**0.6**	**112**	**1.0**	**32**	**0.3**
2.1	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2012	2,287	**98.2**	18	**0.8**	17	**0.7**	7	**0.3**
		2013	2,679	**98.1**	23	**0.9**	23	**0.8**	6	**0.2**
2.2	निजी क्षेत्र के नए बैंक	2012	7,342	**98.1**	34	**0.4**	87	**1.2**	22	**0.3**
		2013	8,705	**98.2**	41	**0.5**	89	**1.0**	25	**0.3**
3	**विदेशी बैंक**	**2012**	**2,284**	**97.3**	**21**	**0.9**	**22**	**0.9**	**20**	**0.8**
		2013	**2,610**	**97.0**	**29**	**1.1**	**27**	**1.0**	**23**	**0.9**
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**2012**	**50,168**	**97.2**	**695**	**1.3**	**617**	**1.2**	**109**	**0.2**
		2013	**57,951**	**96.8**	**909**	**1.5**	**900**	**1.5**	**123**	**0.2**

टिप्पणी: 1. पूर्णांकन के कारण घटक मदों के जोड़ में अंतर हो सकता है।
2. *: सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में।
3. **: आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।
स्रोत: ऑफ साइट विवरणियां।

चार्ट IV.11: बैंक समूहवार गिरावट अनुपात

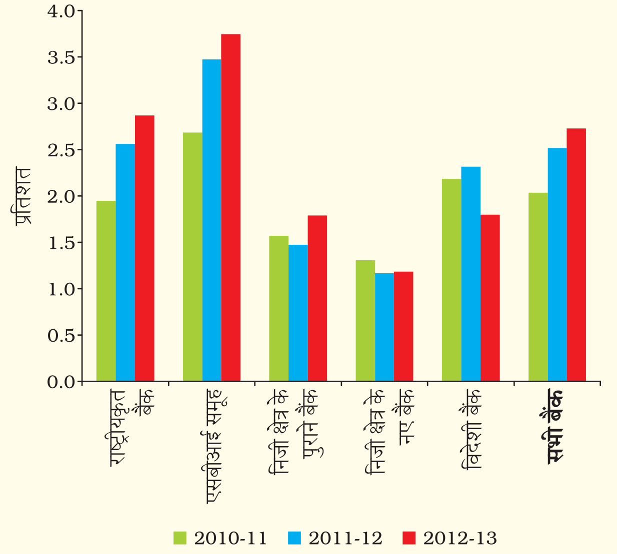

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां।

चार्ट IV.12: सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में पुनर्संरचित अग्रिम

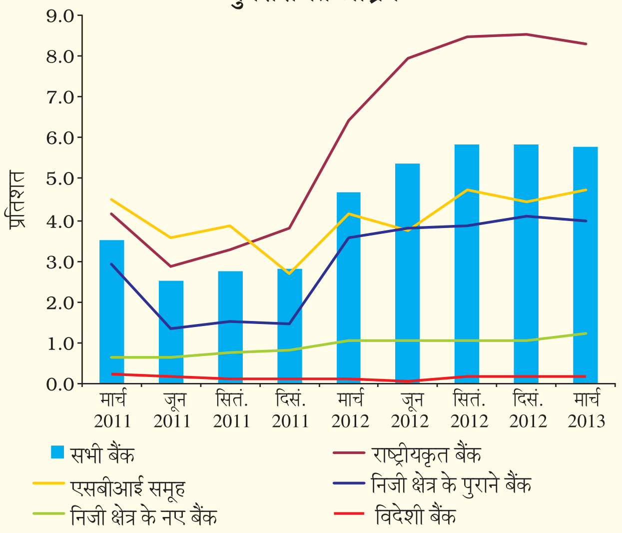

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां।

4.21 स्लिपेज अनुपात, जिसे वर्ष के आरंभ में मानक अग्रिमों के प्रतिशत के तौर पर अनर्जक आस्तियों में हुई वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है, में भी 2012-13 के दौरान वृद्धि देखने में आई (सारणी IV .11)।

4.22 समग्र स्तर पर, मार्च 2013 के अंत में सकल अग्रिमों की तुलना में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों का अनुपात 5.8 प्रतिशत रहा। यह राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए सबसे उच्च (8.3 प्रतिशत) था और इसके बाद स्टेट बैंक समूह (4.7 प्रतिशत) का था (सारणी IV.12)।

कंपनी ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) प्रणाली के तहत पुनर्संरचित ऋणों में तीव्र वृद्धि

4.23 2012-13 में सीडीआर प्रणाली के तहत पुनर्संरचित ऋणों में तीव्र वृद्धि देखी गई। सीडीआर प्रणाली में केवल ऐसे बहु बैंकिंग खातों और सिंडिकेशन/संघीय खातों को शामिल किया जाता है, जहां सभी बैंकिंग संस्थाओं की समग्र बकाया वसूली की रकम 100 मिलियन या इससे अधिक होती है। 2012-13 में इस प्रणाली के तहत पुनर्संरचना के लिए अनुमोदित मामलों की कुल संख्या में लगभग 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस तरह पुनर्संरचित ऋण में 52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जो 2011-12 में हुई वृद्धि की तुलना में काफी अधिक वृद्धि को दर्शाती है (सारणी IV.15)। 2013-14 की पहली तिमाही में ऐसे मामलों की संख्या और ऋण की राशि में मामूली कमी आई है।

4.24 लोहा तथा इस्पात, और बुनियादी आधारभूत संरचना सबसे अधिक दबाव झेलने वाले क्षेत्र थे। मार्च 2013 के अंत में, कुल पुनर्संरचित ऋणों में लोहा और इस्पात का हिस्सा 23 प्रतिशत था, जबकि कुल पुनर्संरचित ऋण में आधारभूत संरचना (विद्युत और दूरसंचार सहित) का हिस्सा 22.7 प्रतिशत के साथ लगभग समान था[9]।

सारणी IV.15: सीडीआर तंत्र के अंतर्गत पुनर्गठित ऋण की प्रवृत्ति

समाप्त अवधि	अनुमोदित मामलों की संख्या	समग्र ऋण (बिलियन रुपये में)
मार्च 2012	292 (20.7)	1,505 (35.7)
मार्च 2013	401 (37.3)	2,290 (52.2)
जून 2013	415 (34.3)	2,503 (48.6)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की समवर्ती अवधि की तुलना में प्रतिशत में घट-बढ़ दर्शाते हैं।
स्रोत: सीडीआर कक्ष।

[9] सीडीआर प्रकोष्ठ आधारभूत संरचना, विद्युत और दूरसंचार के वर्गों के अंतर्गत पुनर्संरचित ऋण के लिए अलग-अलग डेटा उपलब्ध कराता है। यहाँ उल्लिखित हिस्से से तात्पर्य इन तीन वर्गों के कुल हिस्से को एक साथ मिलाया गया है।

गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र - एनपीए में वृद्धि का प्रमुख कारक

4.25 हालांकि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का एनपीए अनुपात गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के एनपीए अनुपात से लगातार अधिक रहा है, लेकिन 2012-13 में आस्ति- गुणवत्ता में ह्रास मुख्यतः गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के कारण रहा (सारणी IV.16; चार्ट IV.13)।

4.26 घरेलू बैंकों के कुल ऋणों में आधे से कुछ कम हिस्सा रखने वाले उद्योगों की आस्ति- गुणवत्ता में भी हाल के वर्षों में लगातार गिरावट दिखी है, खास तौर से 2012-13 [10] में। कुल औद्योगिक ऋणों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रखने वाले आधारभूत संरचना क्षेत्र के एनपीए अनुपात में इस अवधि में तेजी का रुख देखा गया (चार्ट- IV.14)। इसके विपरीत, खुदरा क्षेत्र में एनपीए अनुपात में गिरावट का रुख रहा।

सरफेसी अधिनियम एनपीए वसूली का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बना रहा

4.27 वर्ष 2012-13 में, एनपीए वसूली के तीन माध्यमों अर्थात वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट), ऋण वसूली न्यायाधिकरण(डीआरटी) और लोक अदालत- में से सबसे ज्यादा

सारणी 16: देशी बैंकों का क्षेत्र-वार एनपीए*

(राशि बिलियन रुपये में)

बैंक समूह	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		*जिसमें से*						गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कुल एनपीए	
			कृषि		माइक्रो तथा लघु उद्यम लघु उद्यम		अन्य					
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
सरकारी क्षेत्र के बैंक												
2012	**562**	**50.0**	**227**	**20.2**	**174**	**15.5**	**161**	**14.3**	**563**	**50.0**	**1,125**	**100.0**
2013	**669**	**42.9**	**280**	**18.0**	**284**	**18.2**	**105**	**6.7**	**890**	**57.1**	**1,559**	**100.0**
राष्ट्रीयकृत बैंक**												
2012	323	48.4	129	19.3	134	20.0	60	9.1	345	51.6	668	100.0
2013	405	42.2	156	16.3	178	18.6	70	7.3	554	57.8	959	100.0
एसबीआई समूह												
2012	239	52.3	98	21.4	41	9.0	100	22.0	218	47.7	457	100.0
2013	264	44.1	124	20.7	106	17.6	35	5.8	335	55.9	599	100.0
निजी क्षेत्र के बैंक												
2012	**51**	**27.9**	**22**	**11.8**	**17**	**9.4**	**12**	**6.7**	**132**	**72.1**	**183**	**100.0**
2013	**52**	**26.0**	**22**	**10.9**	**20**	**9.9**	**11**	**5.3**	**148**	**74.0**	**200**	**100.0**
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक												
2012	18	42.9	6	13.4	7	16.8	5	12.8	24	57.1	42	100.0
2013	19	36.8	6	12.2	7	13.9	6	10.7	33	63.2	52	100.0
निजी क्षेत्र के नए बैंक												
2012	33	23.4	16	11.3	10	7.2	7	4.9	108	76.6	141	100.0
2013	33	22.2	15	10.4	12	8.5	5	3.3	115	77.8	148	100.0
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक												
2012	**613**	**46.9**	**249**	**19.0**	**191**	**14.7**	**173**	**13.2**	**695**	**53.1**	**1,308**	**100.0**
2013	**721**	**41.0**	**302**	**17.2**	**304**	**17.3**	**116**	**6.5**	**1,038**	**59.0**	**1,759**	**100.0**

टिप्पणी: 1. * : विदेशी बैंक शामिल नहीं।
2. रा.-राशि, प्रतिशत - कुल एनपीए का प्रतिशत।
3. **- आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।
4. पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि उपर्युक्त मदें कुल से मेल न खाएं।
स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों (देशी) पर आधारित।

[10] उद्योग और आधारभूत संरचना के समग्र एनपीए और अग्रिमों के आंकड़े सितंबर 2012 के पहले और बाद में सख्ती से तुलनीय नहीं हैं क्योंकि आस्ति गुणवत्ता में उद्योग-वार एक्सपोजर को पकड़ने के लिए सितंबर 2012 में विवरणी के लिए एक नया फार्मेट शुरू किया गया है। तथापि, इस परिवर्तन को कार्यान्वित करने के पश्चात, उद्योग और आधारभूत संरचना के एनपीए अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति सितंबर 2012 के पहले और बाद में अभी भी काफी अधिक है।

चार्ट IV.13: प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों की एनपीए की प्रवृत्ति

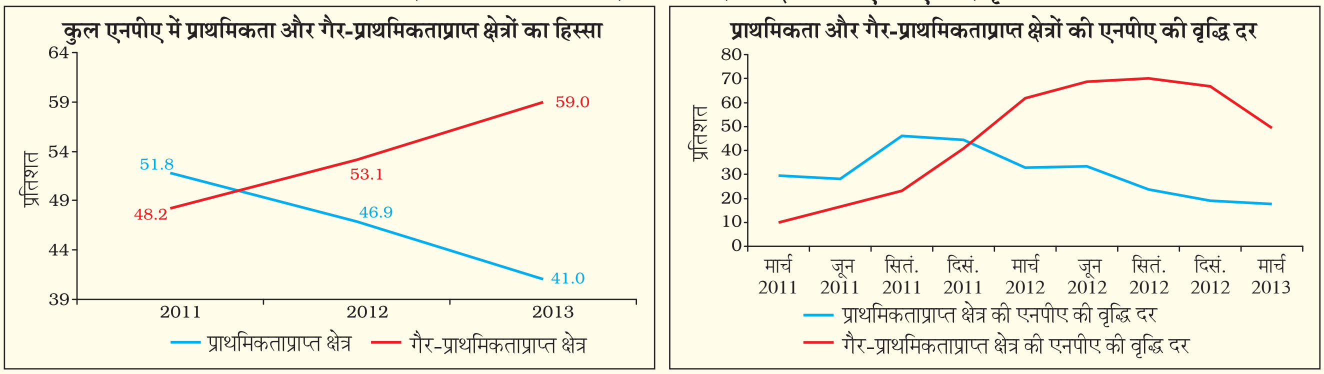

स्रोत: देशी बैंकों की ऑफ-साइट विवरणियां।

चार्ट IV.14: चुनिंदा क्षेत्रों का सकल एनपीए अनुपात

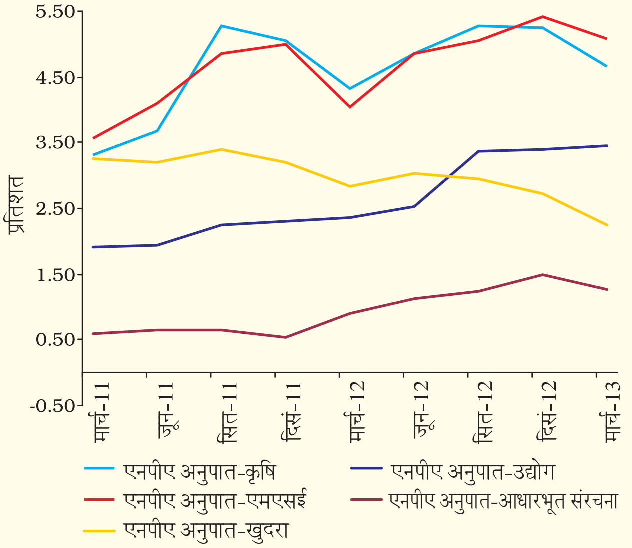

टिप्पणी: देशी बैंकों की ऑफ-साइट विवरणियां।

राशि सरफेसी अधिनियम द्वारा वसूली गई। इस अधिनियम द्वारा वसूली गई एनपीए की राशि कुल एनपीए की राशि का लगभग 80 प्रतिशत थी। यद्यपि संदर्भित मामलों की कुल संख्या की दृष्टि से 80 प्रतिशत भाग के साथ लोक अदालतें सबसे प्रमुख रहीं; इसका कारण यह है कि इन अदालतों ने कम राशि वाले ऐसे अधिक मामले निपटाए, जहां प्रत्येक मामले की अधिकतम सीमा 20,00,000 रुपये थी (सारणी- IV.17)।

बैंक प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनियों की प्रतिभूतिकृत आस्तियों में सबसे बड़े अभिदाता बने रहे, किंतु उनका हिस्सा घटता गया

4.28 प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा प्रतिभूतिकृत की गई कुल आस्तियों में सबसे बड़ा योगदान बैंकों का था।

सारणी IV.17: विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूल किया गया अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एनपीए
(राशि बिलियन रुपये में)

वसूली चैनल	2011-12				2012-13			
	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली की राशि*	स्तंभ (3) के % के रूप में स्तंभ (4)	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली की गई राशि *	स्तंभ (7) के % के रूप में स्तंभ (8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i) लोक अदालत	4,76,073	17	2	11.8	8,40,691	66	4	6.1
ii) डीआरटी	13,365	241	41	17.0	13,408	310	44	14.0
iii) सरफेसी अधिनियम	1,40,991	353	101	28.6	1,90,537	681	185	27.1
कुल	**6,30,429**	**611**	**144**	**23.6**	**10,44,636**	**1,058**	**232**	**21.9**

टिप्पणी: 1. *: दिए गए वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि , जो दिए गए वर्ष के दौरान और पूर्व वर्षों के दौरान भेजे गए मामलों के संबंध में हो सकती है।
2. डीआरटी- ऋण वसूली न्यायाधिकरण।

सारणी IV.18: एससी/आरसी द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियों का विवरण

(राशि बिलियन रुपये में)

	मद	जून 2012 के अंत में	जून 2013 के अंत में
	1	2	3
1	अर्जित आस्तियों का बही मूल्य	805	885
2	एससी/आरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें	167	189
3	निम्नलिखित के द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीद		
	(क) बैंक	116	126
	(ख) एससी /आरसी	36	45
	(ग) एफआईआई	1	1
	(घ) अन्य (अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता)	15	17
4	पूरी तरह से शोधित प्रतिभूति रसीदों की राशि	82	101

स्रोत : प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरण।

तथापि, पिछले कुछ वर्षों से उनका हिस्सा लगातार घट रहा है (सारणी IV.18; चार्ट IV.15)।

प्रावधानीकरण

समग्र स्तर पर प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात में हल्की गिरावट

4.29 यद्यपि 2012-13 में सकल एनपीए अनुपात में वृद्धि हुई, प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात, जिसे सकल एनपीए के प्रतिशत के रूप में ऋण हानि के लिए प्रावधान के रूप में परिभाषित किया गया है, में वर्ष के दौरान समग्र स्तर पर हल्की गिरावट आई। राष्ट्रीयकृत बैंकों में यह गिरावट सबसे ज्यादा परिलक्षित हुई (चार्ट IV.16)। लेकिन, स्टेट बैंक समूह के प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात में 2011 से निरंतर सुधार हुआ है। इस अवधि में बढ़ते एनपीए अनुपात की पृष्ठभूमि में इस स्थिति को इस बैंक समूह के लिए एक सकारात्मक विकास के रूप में माना जा सकता है ।

चार्ट IV.15: एससी/आरसी की कुल प्रतिभूतिकृत प्राप्तियों में संस्थाओं का हिस्सा

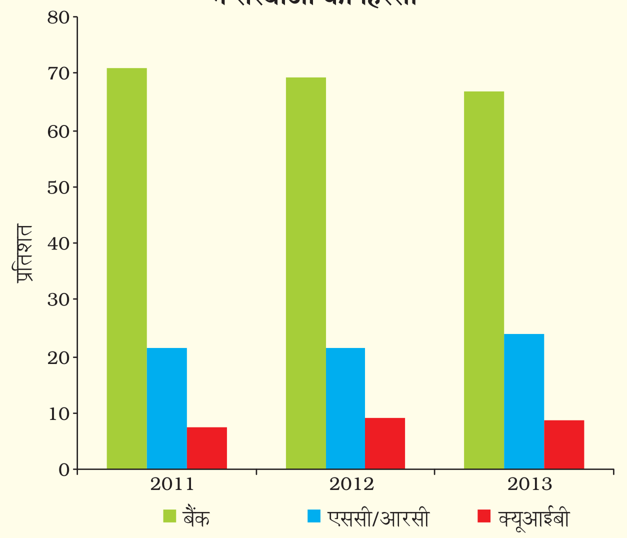

टिप्पणी: क्यूआईबी - अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता।

चार्ट IV.16: प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

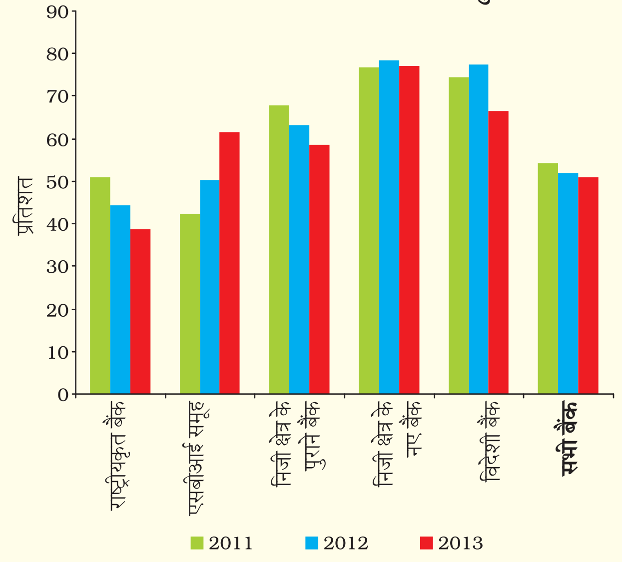

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां ।

5. बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण

सभी उत्पादक क्षेत्रों की ऋण संवृद्धि में मंदी

4.30 वर्ष 2012-13 में सभी उत्पादक क्षेत्रों अर्थात कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में ऋण की संवृद्धि में मंदी दर्ज की गई (सारणी IV.19)। सबसे तेज मंदी कृषि और सहायक गतिविधियों में आई। उद्योगों के अंतर्गत आधारभूत संरचना क्षेत्र की ऋण वृद्धि में मंदी आई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिए गए ऋण, जो सेवा क्षेत्र के कुल ऋण के लगभग पांचवां भाग हैं, में कमी सेवा क्षेत्र की ऋण संवृद्धि में समग्र मंदी के एक महत्त्वपूर्ण कारण हैं (चार्ट IV. 17)। इन सबके विपरीत, खुदरा ऋण ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा, जिसने 2012-13 में अपनी संवृद्धि बनाए रखी।

सारणी IV.19 : सकल बैंक ऋण का सेक्टर-वार नियोजन

(राशि बिलियन रुपये में)

क्रम सं.	क्षेत्र	को बकाया		प्रतिशत घट-बढ़	
		मार्च 2012	मार्च 2013	2011-12	2012-13
1	**कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां**	**5,484**	**5,899**	**14.1**	**7.6**
2	**उद्योग,** *जिसमें से*	**19,374**	**22,302**	**20.7**	**15.1**
	2.1 मूलभूत सुविधाएं	6,300	7,297	20.8	15.8
	2.2 माइक्रो तथा लघु उद्योग	2,363	2,843	12.4	20.3
3	**सेवाएं,** *जिसमें से*	**10,166**	**11,486**	**14.5**	**13.0**
	3.1 व्यापार	2,245	2,760	21.3	22.9
	3.2 वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र	1,126	1,261	15.7	12.0
	3.3 पर्यटन, होटल तथा रेस्तराँ	323	354	16.7	9.9
	3.4 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	143	169	3.0	18.4
	3.5 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)	2,278	2,570	24.0	12.8
4	**व्यक्तिगत ऋण** *जिसमें से*	**7,873**	**9,009**	**13.4**	**14.4**
	4.1 क्रेडिट कार्ड बकाया	204	249	12.9	21.9
	4.2 शिक्षा	498	550	16.6	10.4
	4.3 आवास (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के आवास सहित)	4,013	4,600	12.6	14.6
	4.4 सावधि जमाराशियोंकी जमानत पर अग्रिम (एफसीएनआर(बी), एनआरएनआर जमाराशियां आदि, सहित)	569	611	15.4	7.3
5	**खाद्येतर ऋण (1 से 4)**	**42,897**	**48,696**	**17.0**	**13.5**
6	**सकल बैंक ऋण**	**43,714**	**49,642**	**17.1**	**13.6**

टिप्पणी: आंकड़ों का पूर्णांकन बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है ।

स्रोत : बैंक ऋण विवरणी (मासिक) का क्षेत्रवार और औद्योगिक नियोजन ।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण

2012-13 में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की ऋण संवृद्धि में तेजी

4.31 वर्ष के दौरान कुल ऋण संवृद्धि में आई गिरावट की तुलना में 2012-13 में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की ऋण संवृद्धि में तेजी देखने में आई। लेकिन प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की ऋण संवृद्धि, कुल ऋण संवृद्धि से कम रही (चार्ट IV.18)।[11]

चार्ट IV.17: प्रमुख क्षेत्रों को दिए गए ऋणों में वृद्धि

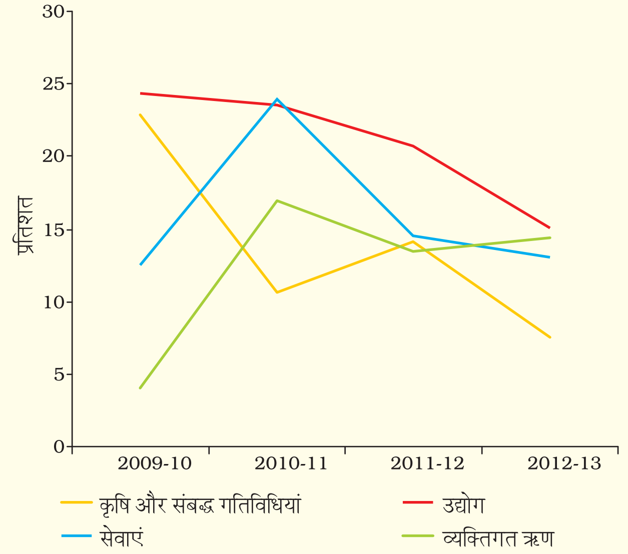

स्रोत: बैंक ऋण विवरणी (मासिक) का क्षेत्रवार और औद्योगिक नियोजन।

समग्र स्तर पर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋण का हिस्सा लक्ष्य से कम था

4.32 वर्ष 2012-13 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिया गया ऋण क्रमशः 36.3 प्रतिशत और 37.5 प्रतिशत रहा (समायोजित निवल बैंक ऋण/ तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के समतुल्य ऋण राशि का, जो भी अधिक हो) जो 40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य की तुलना में कमी को दर्शाता है (सारणी IV.20)।

बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के वितरण में अग्रणी भूमिका निभाई

4.33 मार्च 2013 के अंत तक जारी कुल किसान क्रेडिट कार्ड में 63 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ वाणिज्यिक बैंक इनके वितरण में अग्रणी थे। कुल जारी कार्डों में सहकारी बैंकों का हिस्सा लगभग 21 प्रतिशत था और बाकी 16 प्रतिशत हिस्सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों

[11] ये आंकड़े बैंकों के घरेलू परिचालन के आधार पर उनकी ऑफ-साइट विवरणियों से लिए गए हैं। इसलिए यहाँ सूचित की गई समग्र ऋण वृद्धि, हो सकता है कि बैंकों के तुलन पत्र से लिए गए आंकड़ों के आधार पर, पूर्व में सूचित समग्र ऋण वृद्धि से मेल न खाए।

चार्ट IV.18: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋणों में वृद्धि

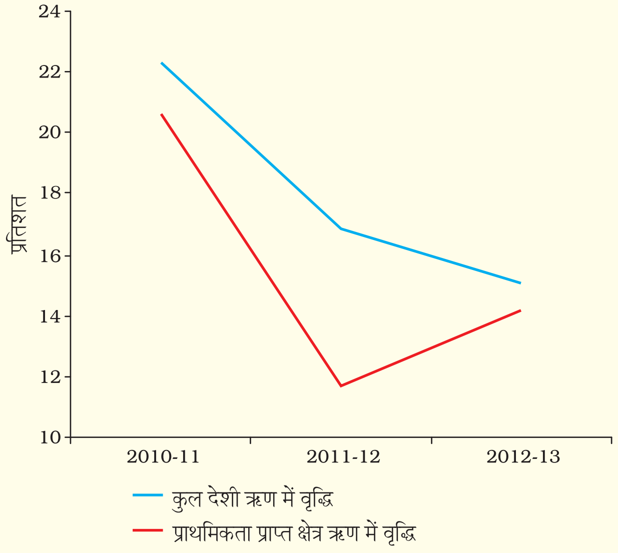

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियों (देशी) पर आधारित।

चार्ट IV.19: जारी किए गए कुल केसीसी में संस्थाओं का हिस्सा

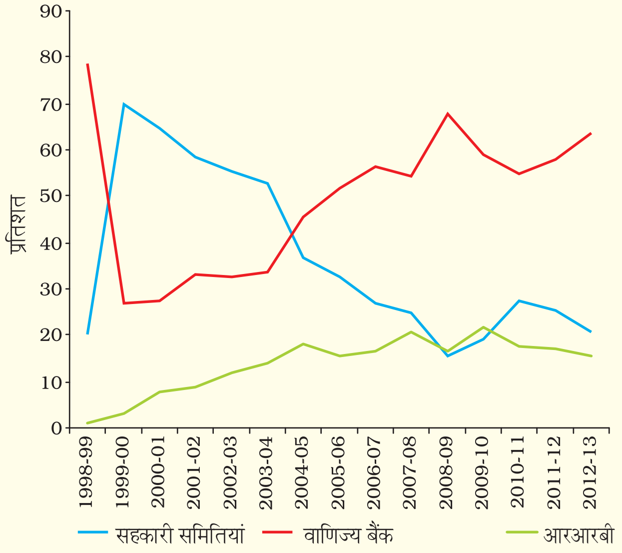

स्रोत: नाबार्ड और वाणिज्य बैंकों से विवरणी।

का था (चार्ट IV.19; परिशिष्ट सारणी IV.3)। वर्षों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी घटी है।

खुदरा ऋण

समग्र ऋण संवृद्धि में मंदी की अवधि में भी खुदरा ऋण में तेजी बनी रही

4.34 2012-13 में खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में पिछले वर्ष की तरह द्विअंकीय वृद्धि दिखी (सारणी IV.21)। यह उल्लेखनीय है कि ऋण संवृद्धि में व्यापक मंदी की अवधि में भी, खुदरा ऋणों की संवृद्धि कायम रही।

4.35 2012-13 में भी खुदरा ऋणों में संवृद्धि इसलिए बनी रही क्योंकि आवास कर्ज, जो खुदरा ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा है, में निरंतर द्विअंकीय बढ़त जारी रही और वाहन कर्ज की संवृद्धि में तेजी आई, जो खुदरा ऋण का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों की संवृद्धि में बढ़त ने भी खुदरा ऋण की समग्र वृद्धि में योगदान किया, हालांकि कुल खुदरा ऋण में इसका हिस्सा 4 प्रतिशत से भी कम रहा।

सारणी IV.20: बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार

(31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार)

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक	
	बकाया राशि	एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिक क्षेत्र के कुल अग्रिम	**12,836**	**36.3**	**3,274**	**37.5**	**1,033**	**35.2**
जिसमें से						
कृषि	5,306	15.0	1,119	12.8	72	2.4
दुर्बल वर्ग	3,473	9.8	505	5.7	55	1.9
माइक्रो और लघु उद्यम	4,784	13.5	1,417	16.2	283	9.6

टिप्पणी: 1. आंकडे अनंतिम हैं ।

2. 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार 20 या उससे अधिक शाखाओं वाले देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों/विदेशी बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की राशि के समतुल्य ऋण, पिछले वर्ष के 31 मार्च को जो भी अधिक हो, का 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 20 या उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य को मार्च 2018 तक प्राप्त किया जाना है। 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की राशि के समतुल्य ऋण (ओबीसी), पिछले वर्ष के 31 मार्च को जो भी अधिक हो, का 32 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

सारणी IV.21: बैंकों का खुदरा पोर्टफोलियो

(राशि बिलियन रुपये में)

क्रम सं.	मद	बकाया राशि		प्रतिशत घट-बढ़	
		2012	2013	2011-12	2012-13
1		2	3	4	5
1	आवास ऋण	4,118	4,754	14.2	15.4
2	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	27	34	-41.0	25.3
3	क्रेडिट कार्ड प्राप्तियां	223	268	19.6	20.1
4	ऑटो ऋण	1,162	1,421	16.0	22.3
5	अन्य व्यक्तिगत ऋण	3,069	3,618	24.3	17.9
कुल खुदरा ऋण (1 से 5)		**8,599** (18.4)	**10,095** (18.8)	**17.6**	**17.4**

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल उधारों और अग्रिम में खुदरा उधारों के हिस्से को प्रतिशत में दर्शाते हैं। कुल उधारों और अग्रिमों की राशि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ऑफसाइट विवरणियों (देशी) में दिए अनुसार हैं।
2. आंकड़ों का पूर्णांकन बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है ।

स्रोत : ऑफसाइट विवरणी पर आधारित (देशी)।

संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण

समग्र ऋण संवृद्धि में मंदी की अवधि में भी संवेदनशील क्षेत्रों को दिए गए ऋण में तेजी आई

4.36 विगत में, संवेदनशील क्षेत्रों अर्थात, स्थावर संपदा, पूंजी बाजार और पण्यों को दिए गए ऋण में वृद्धि ने आम तौर पर समग्र ऋण में संवृद्धि जैसे पैटर्न का अनुगमन किया (परिशिष्ट सारणी IV.4)। लेकिन, 2012-13 में संवेदनशील क्षेत्रों को दिए गए ऋण में लगभग दो गुनी वृद्धि मुख्यतयः स्थावर संपदा क्षेत्र को दिए गए ऋण के कारण रही। इस विस्तार को 2012-13 में सभी टियर I और टियर II के कई शहरों में आवास की कीमतों में भारी तेजी से जोड़कर देखे जाने की आवश्यकता है।[12]

6.पूंजी बाजार में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का परिचालन

2012-13 में बैंकों द्वारा सार्वजनिक निर्गम से जुटाए गए संसाधनों में कमी आई

4.37 द्वितीयक बाजार के धीमे प्रदर्शन और ऋणों के कम उठाव को देखते हुए, बैंक 2012-13 में सार्वजनिक निर्गम से करीब 3 बिलियन रुपए ही जुटा पाए (सारणी IV.22)।

4.38 बैंक सार्वजनिक निर्गम की तुलना में निजी प्लेसमेंट के माध्यम से ज्यादा राशि जुटाते हैं; 2012-13 भी इस प्रवृत्ति का अपवाद नहीं रहा (सारणी IV.23)। वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बरकरार रहने के कारण, बैंकों ने 2012-13 में अमरीकन / वैश्विक निक्षेपागार रसीदों के निर्गम से धन नहीं जुटाया।

2012-13 के ज्यादातर हिस्से में बीएसई बैंकेक्स ने बीएसई सेंसेक्स को पछाड़ा

4.39 विगत की तरह, 2012-13 में बीएसई बैंकेक्स, बीएसई सेंसेक्स से बेहतर रहा, जो बैंक स्टॉक के सापेक्षिक रूप से अच्छे प्रदर्शन को दर्शाता है। पहली तिमाही को छोड़कर बाकी पूरे साल बैंकेक्स में लगातार तेजी आई, जिसका कारण अंशतः विदेशी संस्थागत निवेश के अधिक अंतर्वाह के साथ-साथ प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई गैर पारंपरिक मौद्रिक नीतियां रहीं (चार्ट IV.20)। यद्यपि, साल की आखिरी तिमाही में बैंकेक्स में गिरावट का रुख रहा जिसके परिणामस्वरूप यह बीएसई सेंसेक्स के धरातल पर आ गया, इसका कारण वैश्विक वित्तीय बाजार में बढ़ती अनिश्चितता और घरेलू अर्थव्यवस्था में आई मंदी थी।

सारणी IV.22 : बैंकिंग क्षेत्र के सार्वजनिक निर्गम

(राशि बिलियन रुपये में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		कुल		**कुल योग**
	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	**8=(6+7)**
2011-12	-	-	-	-	-	-	**-**
2012-13	-	-	3	-	3	-	**3**

टिप्पणी: - शून्य / नगण्य।
स्रोत: सेबी।

[12] देखें एनएचबी रेसीडेक्स 2012-13 के तिमाही आंकड़े <nhb.org.in> पर

सारणी IV.23: निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि बिलियन रुपये में)

श्रेणी	2011-12		2012-13	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र के बैंक	11	62	21	171
सरकारी क्षेत्र के बैंक	9	44	12	91
कुल	**20**	**106**	**33**	**262**

टिप्पणी:- 2012-13 के लिए डेटा अनंतिम है।
स्रोत: - मर्चेन्ट बैंकर्स और वित्तीय संस्थाएं।

4.40 वर्ष 2012-13 में बैंक स्टॉक में तेजी की वजह मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्टॉक की बजाय निजी क्षेत्र के बैंकों के स्टॉक में तेजी रही (परिशिष्ट सारणी 5; चार्ट IV.21)।

4.41 बैंकेक्स पर प्रतिलाभ के मामले में, 2012-13 में बीएसई सेंसेक्स की तुलना में इसमें घट-बढ़ भी अधिक थी। यह अधिक प्रतिफल को दर्शाता है लेकिन साथ ही बैंक स्टॉक की ट्रेडिंग में अधिक जोखिम को भी दर्शाता है (सारणी IV.24)।

7.अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के स्वामित्व का स्वरूप

बैंकिंग क्षेत्र का स्वरूप मुख्यत: सार्वजनिक है

4.42 मार्च 2013 के अंत में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में से 73 प्रतिशत आस्तियां सार्वजनिक क्षेत्र की थीं।

चार्ट IV.20: 2012-13 के बैंकेक्स और सेंसेक्स का तुलनात्मक निष्पादन

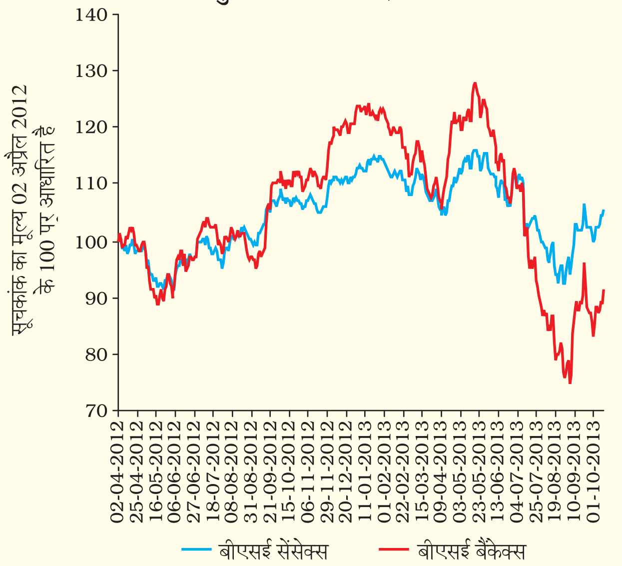

वस्तुत: पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भागीदारी का रुख बढ़त का रहा है (चार्ट IV.22)।

बैंकिंग क्षेत्र में संकेंद्रण का स्तर निम्न बना हुआ है

4.43 सार्वजनिक स्वामित्व की प्रमुखता के बावजूद, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में संकेंद्रण का स्तर काफी कम है,

चार्ट IV.21: बैंकों के स्टॉक मूल्यों में प्रतिशत घट-बढ़

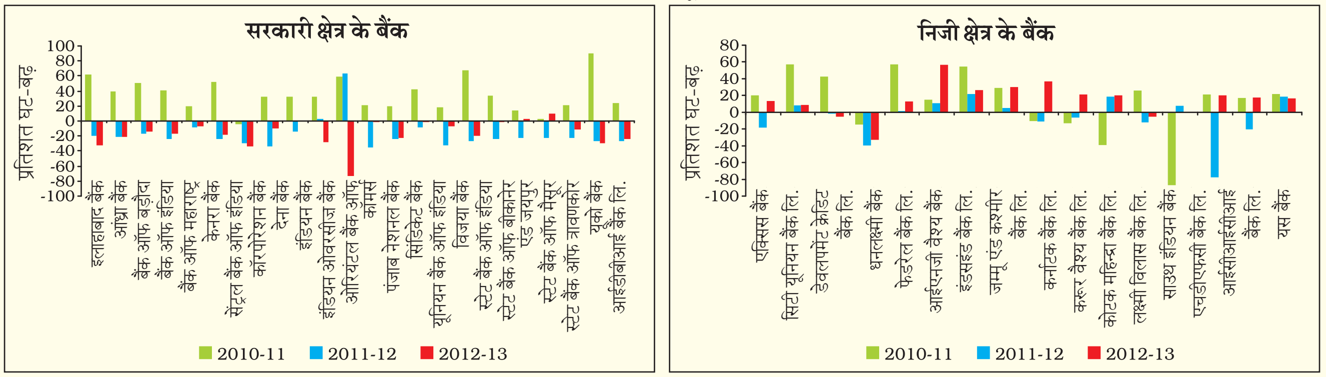

टिप्पणी: 2011-12 और 2012-13 के बीच साउथ इंडियन बैंक और देना बैंक के अंतिम स्टॉक मूल्य में कोई घट-बढ़ नहीं पाया गया।
स्रोत: बीएसई।

सारणी IV.24 जोखिम-प्रतिफल निष्पादन, टर्नओवर और बैंक स्टॉक्स का पूंजीकरण

मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14#
1	2	3	4	5
1. प्रतिफल*				
बीएसई बैंकेक्स	24.9	-11.6	10.9	-15.9
बीएसई सेंसेक्स	10.9	-10.5	8.2	2.9
2. घट-बढ़@				
बीएसई बैंकेक्स	10.3	9.7	9.3	11.0
बीएसई सेंसेक्स	6.3	6.2	6.4	3.3
3. कुल कारोबार में बैंक स्टॉक के कारोबार का हिस्सा	**9.5**	**11.4**	**13.3**	**13.0$**
4. कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक स्टॉक के पूंजीकरण का हिस्सा**	**11.9**	**11.5**	**12.2**	**12.2$**

टिप्पणी: 1. * : अंक- दर- अंक आधार पर सूचकांक में प्रतिशत घट-बढ़।
2. @ : घटबढ़ के सह गुणांक के रूप में परिभाषित।
3. **: अवधि के अंत में।
4. #: अप्रैल - सितम्बर 2013; $: अप्रैल - जून 2013।

स्रोत : ब्लूमबर्ग और बीएसई।

चार्ट IV.22: बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में सरकारी, निजी और विदेशी बैंकों का हिस्सा

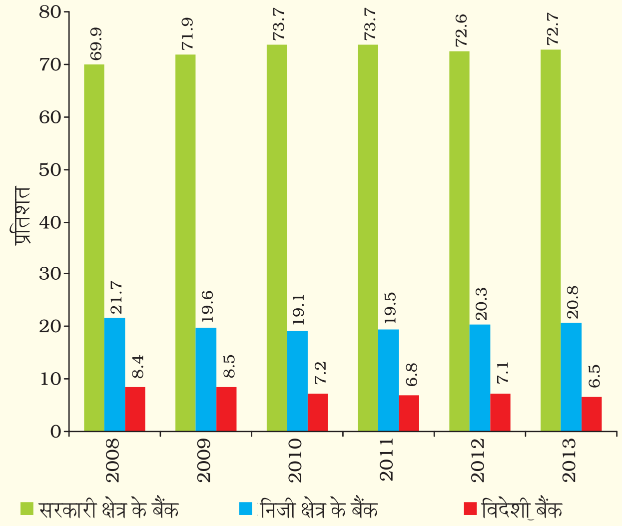

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

जो सार्वजनिक बैंकिंग प्रणाली की प्रमुखता वाले कतिपय अन्य देशों जैसे-चीन की स्थिति से अलग है। साथ ही, हाल के वर्षों में संकेंद्रण की मात्रा में लगातार गिरावट आई है (बॉक्स IV. 3)।

बॉक्स IV.3:
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति संकेंद्रण

किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, अन्य कारकों जैसे प्रवेश/निकास बैरियर और मूल्य/उत्पाद विभेदन के साथ उस क्षेत्र में संकेंद्रण के स्तर पर भी निर्भर करती है। संबंधित साहित्य और अनुभवजन्य साक्ष्य बैंकिंग उद्योग में संकेंद्रण के लाभ और हानि दोनों को दर्शाते हैं।[13]लाभ के संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि (क) अधिक संकेंद्रित बैंकिंग क्षेत्र पर प्रणालीगत संकट का प्रभाव कम पड़ता है; (ख) अनेक छोटे खिलाड़ियों का पर्यवेक्षण करने की बजाय कुछ बड़े खिलाड़ियों पर नजर रखना प्रायः ज्यादा आसान होता है। वहीं दूसरी ओर, (क) अधिक संकेंद्रण से अक्सर ब्याज दरें ऊंची हो जाती हैं, क्योंकि देनदार आपस में सांठ-गांठ कर सकते हैं; (ख) अधिक संकेंद्रित बैंकिंग क्षेत्र में टू-बिग-टू-फेल के जोखिम ज्यादा गंभीर होते हैं; (ग) यह देखा गया है कि बैंकिंग क्षेत्र जितना ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक होता है, इस बात की संभावना कम है कि देश को प्रणालीगत बैंकिंग संकट से सामना करना पड़े *(वही)*।

संयुक्त राष्ट्र को छोड़कर अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में काफी उच्च संकेंद्रण देखा गया है (सारणी 1)। एक रोचक तथ्य यह है कि चीनी बैंकिंग क्षेत्र का संकेंद्रण तुलनात्मक रूप से काफी ऊंचा है जो मुख्यतः सार्वजनिक स्वरूप का है। इसके विपरीत, सार्वजनिक स्वामित्व का प्रभुत्व होने के बावजूद भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में संकेंद्रण काफी कम स्तर पर रहा है।

सारणी 1: बैंकिंग क्षेत्र में संकेंद्रण की मात्रा

देश	संकेंद्रण माप	देश	संकेंद्रण माप
जर्मनी	78.1	चीन	51.5
दक्षिण अफ्रीका	77.8	जापान	44.6
ऑस्ट्रेलिया	69.0	अर्जेंटीना	35.6
फ्रांस	62.7	यूएसए	35.4
ब्राजील	62.6	रूस	31.7
यूके	57.8	*भारत*	*29.4*

टिप्पणी: संकेंद्रण माप का तात्पर्य, कुल बैंकिंग आस्तियों में शीर्ष के तीन बैंकों के हिस्से से है। माप के अनुसार देशों की रैंकिंग अवरोही क्रम में की गई है। डेटा 2011 के हैं।

स्रोत: फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डेटाबेस, वर्ल्ड बैंक।

आर्थिक सुधारों के आरंभ से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में हुए विलयों और अधिग्रहणों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2000 के दशक में समेकन ने जोर पकड़ा। 1989-90 से अब तक हुए 28 विलयों में से 16 विलय 2014 के दशक में हुए।[14]

(जारी...)

[13] देखें बेक एट आल (2003)।

[14] यह जानकारी मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2006-08 तथा भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट के विभिन्न अंकों से ली गई है।

(...समाप्त)

हालांकि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में संकेंद्रण की सीमा, जो कम ही रही है, इस दशक के दौरान घटी है (सारणी 2)। इसका अर्थ यह है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में उच्च समेकन अवधि में बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों के संकेंद्रण में तेजी नहीं आई।

सारणी 2: भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली से संबंधित संकेंद्रण माप

माप	2000	2006	2013
सीआर$_3$	33.9	32.0	27.7
सीआर$_5$	43.7	40.8	37.4
एलआर	0.724	0.683	0.603
एचआई (सामान्यीकृत)	0.065	0.045	0.040

टिप्पणी: सीआर$_3$/सीआर$_5$ बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में सबसे शीर्ष के 3/5 वाणिज्य बैंकों के हिस्से को दर्शाता है। एलआर, लोरेंज़ कर्व संबंधी संकेंद्रण सहगुणांक को दर्शाता है और यह इस फार्मुला के आधार पर निकाला जाता है: $1 - \sum (X_{k+1} - X_k)(Y_{k+1} + Y_k)$, जहां K की शुरुआत 0 से होती है और यह n-1 पर समाप्त होती है; X, संस्थाओं का संचयी अनुपात है; Y, आस्तियों में संचयी अनुपात का हिस्सा है। सहगुणांक का दायरा 0 और 1 के बीच का है, जिसमें 0 बिलकुल बराबर हिस्से को दर्शाता है और 1 स्पष्ट एकाधिकार को दर्शाता है।

H1, सामान्यीकृत हरफिन्दह्ल सूचकांक है जिसकी परिभाषा (H-1/N)/(1-1/N) है, जहां N, बैंकों की कुल संख्या है और H, सामान्य हरफिन्दह्ल सूचकांक है जिसकी परिभाषा $H = \sum_{i=1}^{N} S_i^2$ है, जहां S_i,बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों में 'i'th बैंक का हिस्सा है। H1 का दायरा 0 से 1 है।

स्रोत: भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी के आधार पर परिकलित।

संदर्भ:

बेक, टी. असली डीमिरजक-कुंट एंड रोस लेविन (2003), "बैंक कंसेंट्रेशन एंड क्राइसिस", एनबीईआर वर्किंग पेपर नं. 9921।

बिक्कर, जे.ए. एंड के. हाफ (2000), "मीजर्स ऑफ काम्पिटिशन एंड कंसेंट्रेशन इन दी बैंकिंग इंडस्ट्रीः ए रिव्यू ऑफ लिट्रेचर", दि नीदरलैंडश बैंक, रिसर्च सीरीज़ सुपरविज़न नं. 7।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सार्वजनिक शेयरधारिता की वृद्धि की ओर रुझान

4.44 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हाल के वर्षों में उच्चतर सार्वजनिक शेयरधारिता के प्रति क्रमिक झुकाव आया है। 2011 से 2013 के बीच 51 प्रतिशत के सांविधिक स्तर के आस- पास शेयर रखने वाले बैंकों के प्रतिशत में गिरावट आई। इसके विपरीत, सांविधिक स्तर से काफी अधिक (81 प्रतिशत से अधिक) सार्वजनिक शेयरधारिता वाले बैंकों के हिस्से में वृद्धि हुई (सारणी IV.25 परिशिष्ट सारणी IV.6 के साथ पठित)। जैसी कि पहले चर्चा की गई है, हाल के वर्षों में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों को काफी अधिक पूंजी समर्थन दिया है (सारणी IV.12 देखें)।

सारणी IV.25: पब्लिक शेयरधारिता के प्रतिशत के अनुसार वर्गीकृत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या

शेयरधारिता की श्रेणी	2011	2012	2013
1	2	3	4
51 प्रतिशत से अधिक और 61 प्रतिशत तक	10 (47.6)	9 (42.9)	9 (42.9)
61 प्रतिशत से अधिक और 71 प्रतिशत तक	6 (28.6)	7 (33.3)	5 (23.8)
71 प्रतिशत से अधिक और 81 प्रतिशत तक	3 (14.3)	4 (19.0)	4 (19.0)
81 प्रतिशत से अधिक	2 (9.5)	1 (4.8)	3 (14.3)
कुल	**21 (100.0)**	**21 (100.0)**	**21 (100.0)**

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं ।
2. 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों ,भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड सहित।

8. विदेशी बैंकों का भारत में परिचालन और भारतीय बैंकों का विदेश में परिचालन

विदेश में भारतीय बैंकों की संवृद्धि, भारत में विदेशी बैंकों की संवृद्धि से अधिक रही

4.45 यद्यपि भारत में परिचालन कर रहे विदेशी बैंकों की शाखाओं की संख्या, विदेश में परिचालन कर रहे भारतीय बैंकों की शाखाओं से अधिक है, फिर भी हाल के वर्षों में भारतीय बैंकों की संवृद्धि विदेशी बैंकों की तुलना में अधिक रही है। मार्च 2013 के अंत तक 43 विदेशी बैंकों की 331 शाखाएं भारत में कार्य कर रही थीं; जबकि विदेश में 24 भारतीय बैंकों की 171 शाखाएं थीं (सारणी IV.26;चार्ट IV.23)।

4.46 हालांकि भारतीय बैंक विदेशों में अनुषंगी संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं, मार्च 2013 के अंत तक विदेशी बैंक भारत में केवल

सारणी IV.26: भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन

(मार्च के अंत में)

बैंक का नाम		शाखा		सहायक संस्था		प्रतिनिधि कार्यालय		संयुक्त उद्यम बैंक		अन्य कार्यालय*		**कुल**	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	**2012**	**2013**
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**12**	**13**
I.	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**150**	**155**	**21**	**20**	**38**	**36**	**6**	**7**	**22**	**29**	**237**	**247**
1	इलाहाबाद बैंक	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	**2**	**2**
2	आंध्रा बैंक	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	**2**	**2**
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	47	51	9	9	2	1	1	2	8	9	**67**	**72**
4	बैंक ऑफ इंडिया	24	25	4	4	5	4	0	0	0	0	**33**	**33**
5	केनरा बैंक	5	5	0	0	1	1	0	0	0	0	**6**	**6**
6	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**0**	**1**
7	कॉर्पोरेशन बैंक	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	**2**	**2**
8	इंडियन बैंक	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	**4**
9	इंडियन ओवरसीज बैंक	6	6	0	0	3	3	0	0	3	3	**12**	**12**
10	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**
11	पंजाब नेशनल बैंक	4	4	3	3	5	5	1	1	0	0	**13**	**13**
12	भारतीय स्टेट बैंक	52	51	5	4	8	7	4	4	11	17	**80**	**83**
13	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**1**	**1**
14	सिंडिकेट बैंक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**
15	यूको बैंक	4	4	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**	**4**
16	यूनियन बैंक	1	2	0	0	5	5	0	0	0	0	**6**	**7**
17	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	**1**	**2**
18	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**1**	**1**
II.	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**15**	**16**	**3**	**3**	**17**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**37**
19	ऐक्सिस बैंक	4	4	0	0	3	3	0	0	0	0	**7**	**7**
20	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	2	2	0	0	2	3	0	0	0	0	**4**	**5**
21	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9	10	3	3	8	8	0	0	0	0	**20**	**21**
22	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	**2**	**2**
23	फेडरल बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**1**	**1**
24	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**1**	**1**
सभी बैंक		**165**	**171**	**24**	**23**	**55**	**54**	**6**	**7**	**22**	**29**	**272**	**284**

* अन्य कार्यालयों में विपणन/उप-कार्यालय, विप्रेषण केंद्र इत्यादि शामिल हैं।

स्रोत: रिज़र्व बैंक।

शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे थे, उनकी कोई अनुषंगी संस्थाएं नहीं थीं। शाखाओं और अनुषंगी संस्थाओं की संख्या मिलाकर देखें तो भारतीय बैंकों की विदेशी बाजारों में उपस्थिति, भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है (चार्ट-

चार्ट IV.23: विदेश स्थित भारतीय बैंकिंग केंद्रों और भारत स्थित विदेशी बैंकिंग केंद्रों के बीच तुलना

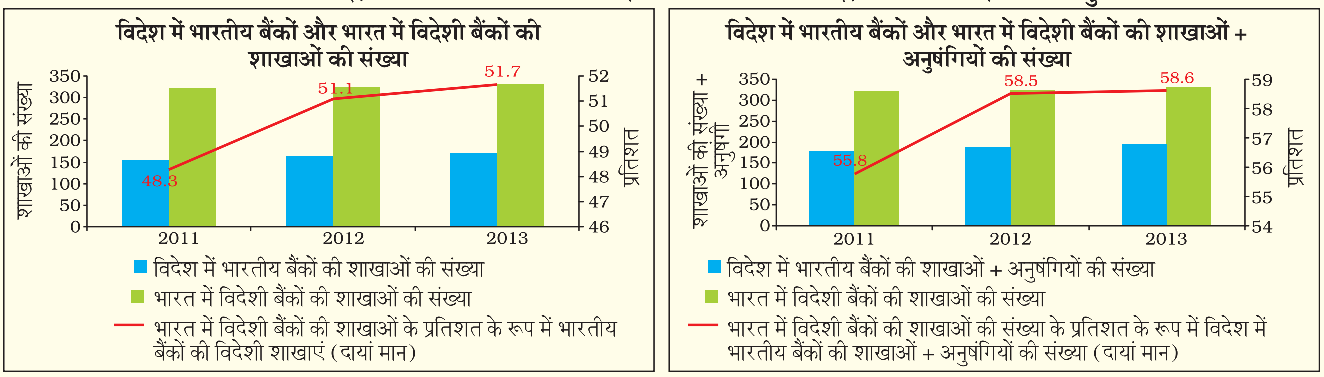

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

चार्ट IV.24: विदेशी बैंकिंग केंद्रों की संरचना (शाखाएं + अनुषंगी)

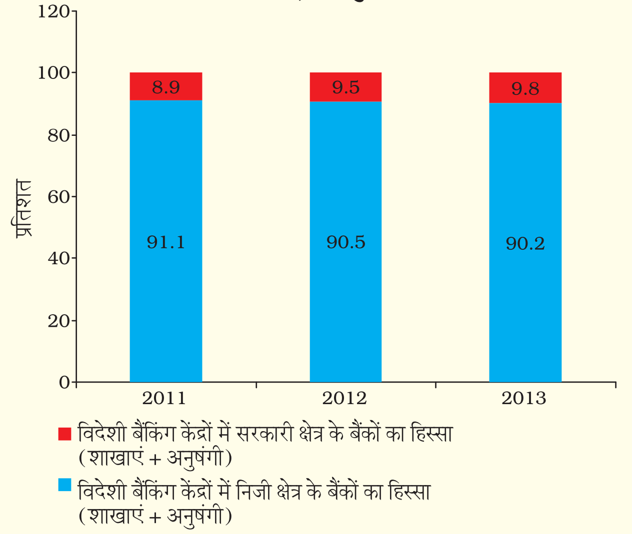

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

चार्ट IV.25: एटीएम की वृद्धि और संरचना

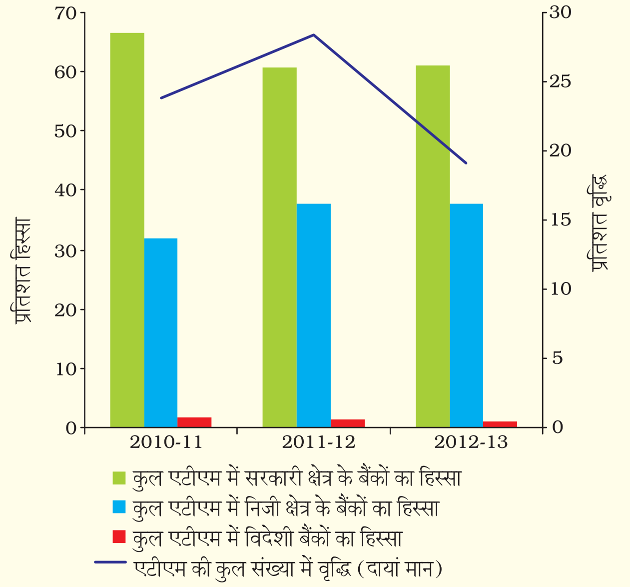

IV.23) । इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के भारतीय बैंकों का प्रसार अधिक तेजी से हुआ है (चार्ट IV.24)।

9.अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास

एटीएम की संख्या में द्वि-अंकीय वृद्धि मुख्य रूप से निजी बैंकों के कारण हुई

4.47 2012-13 में देश भर में एटीएम की संख्या में वृद्धि हुई और वर्ष के दौरान इनकी कुल संख्या 1,00,000 के पार पहुंचने के साथ ही इनमें द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज हुई (सारणी IV.27; चार्ट IV.25)। यह वृद्धि मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के बैंकों के कारण हुई और एटीएम की कुल संख्या में उनकी हिस्सेदारी तेजी से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गई।

सारणी IV.27: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम
(मार्च 2012 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक समूह	ऑन-साइट एटीएम	ऑफ साइट एटीएम	एटीएम की कुल संख्या
1	2	3	4	5
I	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**40,241**	**29,411**	**69,652**
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक*	20,658	14,701	35,359
	1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह	18,708	13,883	32,591
II	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**15,236**	**27,865**	**43,101**
	2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	4,054	3,512	7,566
	2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक	11,182	24,353	35,535
III	**विदेशी बैंक**	**283**	**978**	**1,261**
IV	**सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (I+II+III)**	**55,760**	**58,254**	**1,14,014**

टिप्पणी: * आईडीबीआई बैंक लि.को छोडकर

ऑफ-साइट एटीएम की संख्या में तेज वृद्धि, श्वेत लेबल एटीएम की शुरुआत के साथ इसमें अधिक तेज वृद्धि होने की संभावना

4.48 जहां एटीएम ग्राहकों को अधिक तेजी और लागत-प्रभावी तरीके से आधारभूत बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने का नवीन उपाय हैं, वहीं इन एटीएमों में विशेषकर ऑफ-साइट एटीएम अधिक लागत-प्रभावी हैं क्योंकि ऐसे एटीएम बिना किसी बैंक शाखा के साजो-सामान के कार्य करते हैं। कुछ वर्षों से, ऑन-साइट एटीएम के मुकाबले ऑफ-साइट एटीएम की संख्या में सापेक्षिक वृद्धि अधिक रही है। इसके परिणामस्वरूप, 2012-13 तक, देश के एटीएमों की कुल संख्या में ऑफ-साइट एटीएम की हिस्सेदारी आधे से अधिक थी (परिशिष्ट सारणी IV.7; चार्ट IV.26)।

4.49 गैर-बैंकिंग संस्थाओं को एटीएम स्थापित करने और परिचालित करने की अनुमति देने की नीतिगत पहल के साथ ही, ऑफ-साइट एटीएम की संख्या में श्वेत लेवल एटीएम की भागीदारी बढ़ने की संभावना है। अब तक 18 संस्थाओं ने श्वेत लेबल एटीएम स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक के पास आवेदन किया है, जिसमें से

चार्ट IV.26: ऑफ-साइट और ऑन-साइट एटीएम के प्रतिशत का हिस्सा

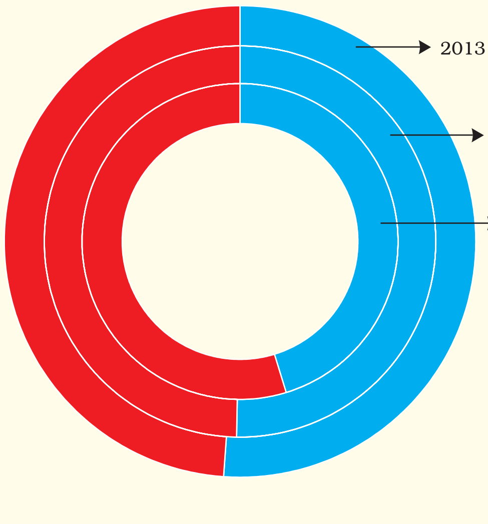

12 संस्थाओं को सैद्धांतिक रूप से प्राधिकार दिया गया है और इनमें से एक को प्राधिकार-प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है। तदनुसार, पहला श्वेत लेबल एटीएम महाराष्ट्र के थाणे जिले के चंद्रपाडा (टियर V कस्बा)में जून 2013 में शुरू हुआ।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली के तहत चेक-आधारित लेनदेनों की कार्यक्षमता में वृद्धि

4.50 चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) एक स्थान से दूसरे स्थान तक चेक को भौतिक रूप से ले जाए बिना समाशोधन की गति में सुधार करने की ओर उठाया गया एक कदम है। इस प्रणाली के शुरू होने के बाद, विशेषकर नई दिल्ली और चेन्नै में इस प्रणाली के जरिए प्रोसेस होने वाले चेकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जो इस प्रणाली की बढ़ती स्वीकार्यता को परिलक्षित करता है (सारणी IV.28)। सीटीएस की परिधि में अधिक केंद्रों/क्षेत्रों को लाने के साथ इसका दायरा और विस्तृत हो गया है। इसके साथ ही इसकी मात्रा में आगे और वृद्धि होने से बड़ी संख्या में ग्राहकों को इस प्रणाली के फायदे मिलेंगे।

सारणी IV.28: चेक ट्रंकेशन प्रणाली के अंतर्गत प्रगति

मात्रा (मिलियन में)		मूल्य (रुपये बिलियन में)	
2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
180	275 (52.6)	15,104	21,732 (43.9)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत में घट-बढ़ दर्शाते हैं।

सारणी IV.29: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड
(मार्च के अंत में)

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	बैंक समूह	बकाया क्रेडिट कार्डों की संख्या		बकाया डेबिट कार्डों की संख्या	
		2012	2013	2012	2013
	1	2	3	4	5
I	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**3.1**	**3.5**	**214.6**	**260.6**
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक*	0.8	0.9	97.7	118.6
	1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह	2.2	2.6	112.0	136.4
II	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**9.7**	**11.1**	**60.0**	**67.3**
	2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	0.04	0.04	13.9	15.4
	2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक	9.6	11.1	46.0	51.9
III	**विदेशी बैंक**	**4.9**	**5.0**	**3.8**	**3.3**
IV	**सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (I+II+III)**	**17.7**	**19.5**	**278.4**	**331.2**

टिप्पणी: 1. *: आईडीबीआई बैंक लि.को छोडकर
2. आंकड़े हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण कुल में न जोड़े गए हों।

क्रेडिट कार्ड की तुलना में डेबिट कार्ड इलेक्ट्रानिक मुद्रा का अधिक लोकप्रिय साधन है

4.51 अब तक, भारत में क्रेडिट कार्ड की तुलना में डेबिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा का अधिक लोकप्रिय साधन रहा है (सारणी IV.29; चार्ट IV.27)। जहां एक ओर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक डेबिट कार्ड

चार्ट IV.27: डेबिट और क्रेडिट कार्ड की प्रगति

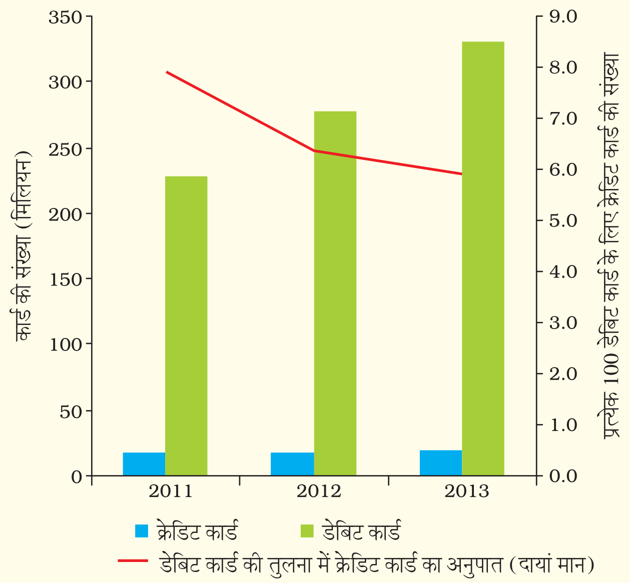

जारी करने में अग्रणी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र के नए बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करने में आगे बने हुए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन और भुगतान में निरंतर वृद्धि

4.52 हाल के वर्षों में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में सामान्य रूप से सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक लेन-देनों और विशेष रूप से डेबिट लेन-देनों की मात्रा एवं मूल्य में निरंतर वृद्धि हुई हैं, 2012-13 में भी यह प्रवृत्ति जारी रही (सारणी IV.30)। इस प्रणाली के जरिए होने वाले लेन-देन की मात्रा के लिहाज से आरटीजीएस (बड़े मूल्य की भुगतान प्रणाली के लिए, 2,00,000 रुपए और इससे अधिक की राशि के ग्राहक और अंतर-बैंक दोनों लेन-देनों के लिए) और एनईएफटी (एक रिटेल प्रणाली) दोनों में निरंतर द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज की गई।

सारणी IV. 30: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों की मात्रा और मूल्य

(मात्रा मिलियन में, मूल्य बिलियन रुपयों में)

लेनदेन का प्रकार	मात्रा		प्रतिशत घट-बढ़	मूल्य		प्रतिशत घटबढ़
	2011-12	2012-13	2012-13	2011-12	2012-13	2012-13
ईसीएस क्रेडिट	121.5	122.2	0.6	1,838	1,771	-3.6
ईसीएस डेबिट	165	177	7.2	834	1,083	29.9
क्रेडिट कार्ड	320	397	23.9	966	1,230	27.3
डेबिट कार्ड	328	469	43.2	534	743	39.1
एनईएफटी	226	394	74.3	17,904	29,022	62.1
आरटीजीएस	55	69	24.5	5,39,308	6,76,841	25.5

टिप्पणी: आंकड़ों का पूर्णांकन मिलियन या बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घट-बढ़ हो सकता है ।

इस वृद्धि के बावजूद, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों के प्रयोग में आगे और सुधार की गुंजाइश है

4.53 भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विभिन्न तरीकों में वृद्धि होने के बावजूद, विश्व भर में विशेषकर उच्च आय वाले देशों में इस माध्यम से होने वाले लेन-देनों के ऊंचे स्तर को प्राप्त करने में अभी इसे काफी लंबी दूरी तय करनी है। यह उल्लेखनीय है कि भुगतान के एक माध्यम के रूप में मोबाइल फोन के प्रयोग में भारत का वैश्विक तौर पर एक स्थान है (सारणी IV.31)।

4.54 भुगतान/अंतरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करने से बैंकों को परिचालन-लागत को कम करने में मदद मिल सकती है और इसका फायदा ग्राहकों को दिया जा सकता है। (बॉक्स IV.4)।

स्वचालित डेटा प्रवाह परियोजना के अंतर्गत बैंकों से विनियामक के लिए डेटा अंतरण में और सुधार

4.55 रिज़र्व बैंक द्वारा स्वचालित डेटा प्रवाह परियोजना की शुरुआत इस प्रयोजन से की गई थी कि बैंकों के आंतरिक प्रणाली से एक केंद्रीकृत प्रणाली तक और इसके बाद विनियामक तक बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के सही रूप में एवं समय पर डेटा का अंतरण हो सके। स्वचालित डेटा प्रवाह में लगातार प्रगति हुई है और जून 2013 के अंत तक अधिकांश बैंकों की लगभग 80 प्रतिशत विवरणियां इस प्रणाली के अंतर्गत लाई गई हैं। इसके अलावा, बैंकों ने अनुपालन, बिजनेस और प्रौद्योगिकी के अधिकारियों को शामिल करके एक रिटर्न गवर्नेंस ग्रुप स्थापित करने का प्रयास आरंभ कर दिया है।

सारणी IV.31: इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भुगतान करने में हुई प्रगति

निम्नलिखित का उपयोग कर रही 15 वर्ष और इससे अधिक आयु की आबादी का प्रतिशत	विश्व	उच्च आय वर्ग	उच्च मध्यम आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	*भारत*	निम्न मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग
क्रेडिट कार्ड	14.8	49.8	11.8	7.1	*1.8*	2.2	1.9
डेबिट कार्ड	30.4	61.4	38.6	24.8	*8.4*	10.1	7.4
भुगतान का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (तार और ऑनलाइन अंतरण)	14.5	55.2	8.2	5.3	*2.0*	2.3	1.9
मोबाइल फोन से बिल का भुगतान	2.0	-	1.7	1.8	*2.2*	2.0	2.6

टिप्पणी: डेटा 2011 के हैं।
स्रोत: वैश्विक फिंडेक्स (वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस), विश्व बैंक।

बॉक्स IV.4
बैंकिंग प्रौद्योगिकी एवं लागत में कमी: एक परिप्रेक्ष्य

अध्ययन दर्शाते हैं कि प्रौद्योगिकी में उन्नयन के साथ ही सामान्यतया उत्पादन प्रक्रिया की वास्तविक लागत में कमी हो जाती है[15]। प्रौद्योगिकी अपनाए जाने के दो प्रमुख लाभ हैं: (क) बैंक के परिचालन लागत में कमी (लागत में लाभ); (ख) एक ही नेटवर्क के तहत ग्राहकों के बीच अधिक प्रभावी लेन-देन उपलब्ध कराना (नेटवर्क प्रभाव)। इयादत एवं कोजैक (2005) ने अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर के लिए 1992 और 2003 के बीच लागू की गई प्रौद्योगिकी और लाभप्रदता/लागत बचतों के बीच एक सकारात्मक अंतर्संबंध दर्शाया था। बर्गर (2003) ने भी नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से अमेरिका में बैंकों के कार्यनिष्पादन और बैंकिंग उद्योग के सुदृढ़ीकरण में सुधार दर्शाया था। 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए किए गए अध्ययन भी यह दर्शाते हैं कि प्रौद्योगिकी नवोन्मेष और आईटी में निवेश से कार्यक्षमता में सुधार हुआ है। (राजपूत एवं गुप्ता, 2011)।

विश्व भर में, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में तेजी से प्रगति हुई है और इसका प्रभाव, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों की कारोबारी रणनीति, ग्राहक सेवा और संगठनात्मक ढांचे में परिलक्षित हुआ है। इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में अपनाई गई नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी से बैंकिंग सेवाओं के सुपुदर्गी चैनल पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा है। साथ-ही-साथ खुदरा भुगतान के क्षेत्र में कई सारी नवोन्मेषी गतिविधियां हुई हैं जिन्होंने प्रयोक्ताओं को अपनी पंसद के अनुरूप भुगतान के साधन चुनने के विकल्प को प्रभावित कर और भुगतान प्रक्रिया में काफी अधिक बदलाव लाकर खुदरा भुगतान बाजार पर असर डाला है।

खुदरा भुगतान में नवोन्मेष पर गठित भुगतान एवं निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस) कार्यदल की रिपोर्ट (मई 2012) में सीपीएसएस और अन्य चुनिंदा देशों में हो रही नवोन्मेषी खुदरा भुगतान गतिविधियों के बारे में एक समग्र अवलोकन प्रस्तुत किया गया है जिसमें विगत दशक में खुदरा भुगतान लिखतों/योजनाओं के संबध में हुई नवोन्मेषी गतिविधियां शामिल की गईं। पाए गए रुझानों के आधार पर, इस रिपोर्ट में ऐसे कई सारे बहिर्जात एवं अंतर्जात कारकों की पहचान की गई है जो खुदरा भुगतान क्षेत्र में नवोन्मेष या इसमें अवरोध उत्पन्न करने के प्रेरक तत्व होते हैं। यह रिपोर्ट पूरे देश में होने वाले नवोन्मेष के प्रयोजन को दो मुख्य श्रेणियों में बांटती हैं "उन्नत कार्यदक्षता" एवं "उन्नत सुरक्षा"। उन्नत कार्यदक्षता को कई उप-श्रेणियों में बांटा गया है जैसे कम नकद प्रयोग, कम प्रोसेसिंग लागत, उन्न्त सुविधा और बैंकरहित/अल्प-बैंक क्षेत्रों का समावेशन। इस संबंध में, इस रिपोर्ट में एक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति की पहचान की गई जिसके अनुसार वित्तीय समावेशन कई देशों में नवोन्मेष में एक प्रेरक शक्ति साबित हुआ है फिर चाहे यह सरकारी अधिदेश के चलते हुआ हो या फिर अदोहित बाजार में उपलब्ध हुए कारोबारी अवसर के कारण हुआ हो।

विकासशील देशों में जहां भुगतान प्रणाली का बुनियादी ढांचा कम विकसित होता है, वहां नवोन्मेषी भुगतान समाधान शुरू करने की अधिक संभावना होती है, और इसलिए वे खुदरा भुगतान लिखतों/बुनियादी संरचना को विकसित करने के लिए किए जाने वाले आम प्रयासों के मामले में कई विकसित देशों से भी आगे निकल जाते हैं। 2007 में केन्या में शुरू की गई एम-पेसा प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष का ऐसा ही एक उदाहरण है। एम-पेसा के प्रयोक्ता अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किसी दूसरे मोबाइल फोन प्रयोक्ता को निधि अंतरित करने में कर सकते हैं। यह प्रणाली बहुत ही कम लागत पर सुरक्षित और तेजी से मुद्रा अंतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। इस प्रणाली से होने वाले फायदे को देखते हुए बड़े पैमाने पर इसे स्वीकार्यता मिली है। एक अध्ययन के मुताबिक मोबाइल बैंकिंग ने वित्तीय सेवाएं[16] मुहैया कराने की लागत को आश्चर्यजनक रूप से कम किया है। इस सर्वेक्षण में लगभग 85 प्रतिशत मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों के मामले में लेन-देन की कम लागत रही। यह भी पाया गया कि मोबाइल-बैंकिंग ने ग्राहकों को दी जाने वाली आधारभूत बैंकिंग सेवाओं की लागत में, परंपरागत चैनल के जरिए आने वाली लागत के मुकाबले, तकरीबन 60 प्रतिशत की कमी की है।

केन्या में एम-पेसा के इतने सफल होने की मुख्य वजह यह रही कि वहां वित्तीय सेवाओं की बड़ी मांग है जिसकी पर्याप्त रूप से पूर्ति केन्याई, बैंकिंग क्षेत्र द्वारा नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर, भारत में बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच व्यापक है और यहां वित्तीय समावेशन के लिए बैंक-उन्मुख मॉडल पर फोकस किया गया है। इसके अलावा, भारत में वित्तीय समावेशन नीति के तहत जमा उत्पाद, किसान क्रेडिट कार्ड / जनरल क्रेडिट कार्ड के रूप में ओवरड्राफ्ट/आपातकालीन क्रेडिट सुविधा जैसे उपलब्ध कराए जा रहे कई सारे उत्पादों के मुकाबले, मोबाइल उन्मुख बैंकिंग के जरिए केवल प्रेषण संबंधी उत्पाद ही मुहैया कराए जा सकते हैं। तथापि वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल फोन की पहुंच को विस्तारित करने हेतु, कार्पोरेट को कारोबार संपर्की के रूप में नियुक्त करने की बैंकों को अनुमति दी जा रही है।

संदर्भ :

बर्गर, ए.एन. (2003), ''द इकॉनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टेक्नॉलॉजिकल प्रोग्रेस: एवीडेंस फ्रॉम द बैंकिंग इन्डस्ट्री'', *जर्नल ऑफ मनी, क्रेडिट एंड बैंकिंग*, वॉल्यूम 35।

बीआईएस (2012), *इनोवेशन्स इन रीटेल पेमेंट - ए रिपोर्ट*, सीपीएसएस,बासेल।

इयादात, एम. एवं एस. कोजैक (2005), ''द रोल ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नॉलॉजी इन द प्रॉफिट एंड कॉस्ट एफिशियंसी इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द बैंकिग सेक्टर'', *जर्नल ऑफ एकेडेमी ऑफ बिजनेस एंड इकॉनॉमिक्स* ।

मुसारा, एम एवं एम फतोकी (2010), ''हैज टेक्नॉलॉजिकल इनोवेशन्स रिजल्टेड इन इन्क्रीज्ड एफिशियंसी एंड कॉस्ट सेविंग्स फॉर बैंक्स कस्टमर?'', *अफ्रीकन जर्नल ऑफ बिज़नेस मैनजमेंट* , 4(9)।

जेंगा, ए.के. (2009), ''मोबाइल फोन बैंकिंग : यूसेज एक्सपिरियंसज इन केन्या'', <www.w3.org>।

राजपूत, एन. एवं एम. गुप्ता (2011), ''इम्पैक्ट ऑन आईटी ऑन इन्डियन कमर्शियल बैंकिंग इन्डस्ट्री: डीईए एनेलिसिस'', *ग्लोबल जर्नल ऑफ इन्टरप्राइज इन्फॉरमेशन सिस्टम*, 3(I)।

[15] उदाहरण के लिये देखें मसूरा एंड फतोकी (2010)।

[16] देखें जेंगा (2009)।

10. ग्राहक सेवा

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के विरुद्ध कुल शिकायतों में टियर II शहरों की बढ़ती भागीदारी से परिलक्षित होता है कि ग्राहकों के बीच जागरुकता बढ़ी है

4.56 सभी 15 कार्यालयों में प्राप्त होने वाली कुल शिकायतों में टियर I शहरों (नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता, बंगलुरु और हैदराबाद) में स्थित बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त होने वाली शिकायतों का हिस्सा आधे से अधिक है। तथापि, टियर II शहरों में बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त होने वाली शिकायतों की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि छोटे शहरों में ग्राहकों के बीच शिकायत निवारण प्रक्रिया के संबंध में जागरुकता बढ़ी है। (सारणी IV.32; चार्ट IV.28).

उचित व्यवहार संहिता और बीसीएसबीआई से संबंधित शिकायतों की महत्ता दर्शाती है कि ग्राहकों में जागरुकता बढ़ी है

4.57 यद्यपि एटीएम/क्रेडिट/डेबिट कार्ड से संबंधित शिकायतें अधिक हुईं, जिनकी संख्या और 2012-13 में प्राप्त हुईं कुल शिकायतों की एक-चौथाई थी, इसके बाद उचित व्यवहार संहिता और भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड द्वारा निर्धारित संहिता के अननुपालन से संबंधित शिकायतें अगले स्थान पर थीं (परिशिष्ट सारणी IV.8; चार्ट IV.29)। हाल के वर्षों में इन संहिताओं से संबंधित शिकायतें बढ़ीं हैं, इससे यह परिलक्षित होता है कि ग्राहकों

सारणी IV.32: बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों को क्षेत्र वार प्राप्त शिकायतें

बीओ कार्यालय	शिकायतों की संख्या		प्रतिशत में घटबढ़
	2011-12	2012-13	2012-13
अहमदाबाद	4,590	4,838	5.4
बंगलुरू	3,486	3,318	-4.8
भोपाल	5,953	4,920	-17.4
भुवनेश्वर	1,826	1,523	-16.6
चंडीगढ़	3,521	3,094	-12.1
चेन्नै	6,614	7,255	9.7
गुवाहाटी	708	807	14.0
हैदराबाद	5,167	4,303	-16.7
जयपुर	4,209	4,099	-2.6
कानपुर	9,633	9,012	-6.4
कोलकाता	4,838	4,388	-9.3
मुंबई	7,905	8,607	8.9
नई दिल्ली	9,180	9,444	2.9
पटना	2,718	2,785	2.5
तिरु वनंतपुरम	2,541	2,148	-15.5
कुल	**72,889**	**70,541**	**-3.2**

टिप्पणी: एससीबी, आरआरबी और यूसीबी शामिल हैं।
स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय ।

चार्ट IV.28: टियर I और II शहरों में शिकायतों की संख्या

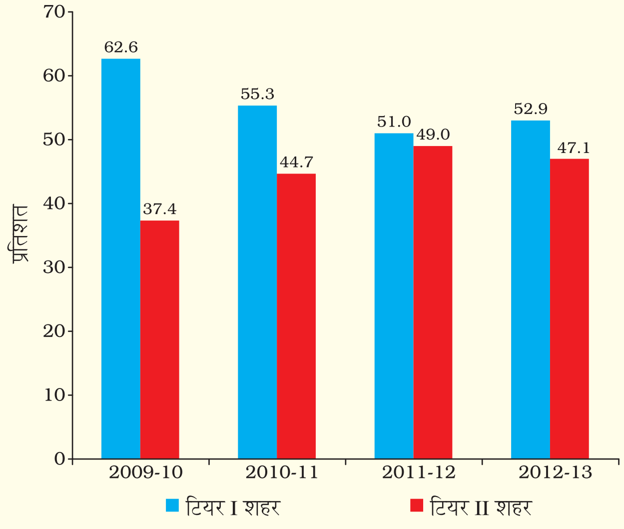

टिप्पणी: इसमें एससीबी, आरआरबी और यूसीबी शामिल हैं।

चार्ट IV.29: पांच प्रमुख प्रकार की शिकायतों का हिस्सा

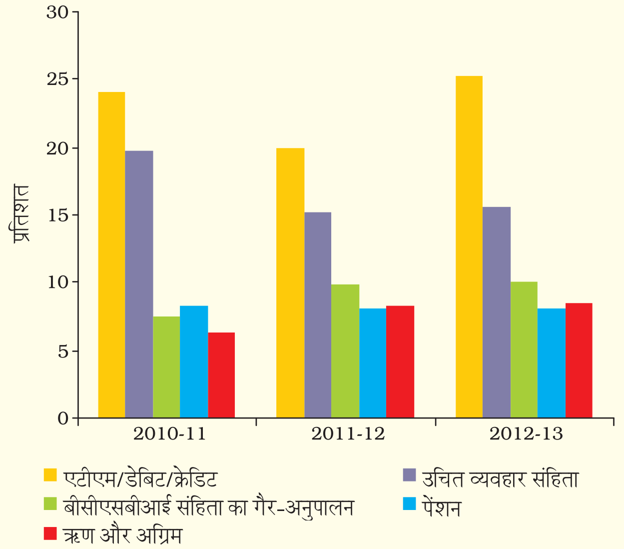

टिप्पणी: इसमें एससीबी, आरआरबी और यूसीबी शामिल हैं।

में इन संहिताओं और बैंकों द्वारा उनका अनुपालन किए जाने के प्रति जागरुकता बढ़ी है।

विदेशी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध प्रति बैंक शाखा/खाता को लेकर शिकायतें बढ़ी हैं

4.58 यद्यपि प्राप्त हुईं कुल शिकायतों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी, लेकिन यदि इसे बैंक शाखा तथा खाता (जमा+ऋण खाता) की संख्या के लिहाज से देखा जाए तो विदेशी बैंकों के संबंध में शिकायतों की संख्या सबसे अधिक रही और इसके बाद निजी क्षेत्र के बैंकों का क्रम था (चार्ट IV.30)। 2012-13 में विदेशी बैंकों की प्रति 100 बैंक शाखा 1,543 शिकायतें हुईं जो सभी बैंक समूहों में सबसे अधिक थीं।

11. वित्तीय समावेशन

तीन-वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना के पूरा होने के बाद उल्लेखनीय प्रगति हुई

4.59 वर्ष 2010 में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने बोर्ड-अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) को अपनाया जिसमें तीन वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन हेतु स्व-निर्धारित लक्ष्य तय किए गए। 2013 में बैंकों ने इस योजना के तहत तीन वर्ष पूरे किए। पिछले तीन वर्ष की गतिविधियों का जायजा लेने पर ज्ञात हुआ कि वित्तीय समावेशन के संबंध में काफी प्रगति हुई है, जिसके प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं (सारणी IV.33):

- 2,000 से अधिक आबादी वाले लगभग सभी चिह्नित बैंक-रहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध करा दिए गए हैं।
- 2,000 से कम आबादी वाले बैंकरहित गांवों पर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है; 2,000 से कम आबादी वाले ऐसे गांवों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है जिन्हें 2012 और 2013 के बीच बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराए गए। (चार्ट IV.31).
- गांवों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में कारोबार संपर्की की प्रमुख भूमिका - 2,000 से अधिक/कम आबादी वाले गांवों में शाखा, कारोबार संपर्की और अन्य (आईसीटी-आधारित) माध्यमों के जरिए बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराया जा रहा है। इन तीनों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में बैंक शाखा खोलने की अपेक्षा कारोबार संपर्की का प्रभुत्व रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में कारोबार संपर्की महत्त्वपूर्ण माध्यम रहे हैं।

4.60 डेटा-आधारित इन निष्कर्षों के अलावा, रिज़र्व बैंक द्वारा देश के सभी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के प्रयासों के जमीनी स्तर पर हुए प्रभाव के बारे में किए गए सर्वेक्षण से कुछ उपयोगी जानकारी भी प्राप्त हुई है (बॉक्स IV.5)।

चार्ट IV.30: 2012-13 के दौरान प्रत्येक बैंक शाखाओं/खातों की शिकायतों की संख्या

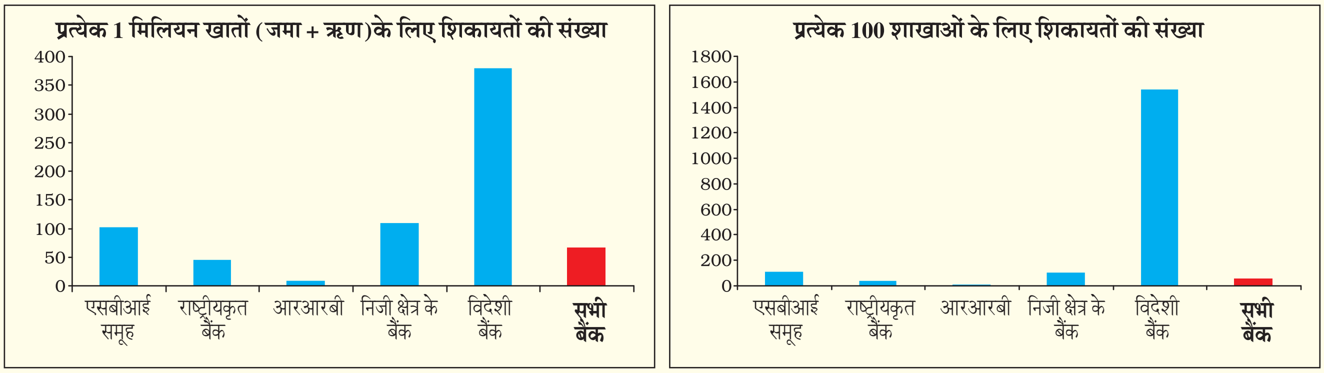

टिप्पणी: प्रति खाता शिकायतों की संख्या 2011-12 की हैं क्योंकि 2012-13 के खातों की संख्या के संबंध में डेटा उपलब्ध नहीं हैं।
स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यलयों से प्राप्त डेटा और *भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बुनियादी सांख्यिकीय विवरणी, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों और ऋणों पर त्रैमासिक सांख्यिकी।*

सारणी IV.33: वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति, आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

सं.	घटबढ़	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	मार्च-13	पूर्ण परिवर्तन (2010-2013)	प्रतिशत घटबढ (2010-2013)
1	2000 से कम आबादी वाले गांवों में बैंकिंग केंद्र	37,949	66,605	1,12,288	1,19,453	81,504	214.8
2	2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में बैंकिंग केंद्र	29,745	49,603	69,465	1,49,001	1,19,256	400.9
3	गांवों में बैंकिंग केंद्र - शाखाएं	33,378	34,811	37,471	40,837	7,459	22.3
4	गांवों में बैंकिंग केंद्र - बीसी	34,174	80,802	1,41,136	2,21,341	1,87,167	547.7
5	गांवों में बैंकिंग केंद्र -अन्य माध्यम	142	595	3,146	6,276	6,134	4,319.7
6	गांवों में बैंकिंग केंद्र - कुल	67,694	1,16,208	1,81,753	2,68,454	2,00,760	296.6
7	बीसी के जरिए शामिल किए गए शहरी इलाके	447	3,771	5,891	27,143	26,696	5,972.3
8	शाखाओं (मिलियन में संख्या) के जरिए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)	60	73	81	101	41	67.5
9	शाखाओं (राशि रुपये बिलियन में) के जरिए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)	44	58	110	165	120	271.5
10	बीसी (मिलियन में संख्या) के जरिए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)	13	32	57	81	68	512.4
11	बीसी (राशि रुपये बिलियन में) के जरिए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)	11	18	11	18	8	70.4
12	कुल बीएसबीडीए की कुल राशि (मिलियन में)	73	105	139	182	109	147.9
13	बीएसबीडीए की कुल राशि (बिलियन में)	55	76	120	183	128	232.5
14	बुनियादी बचत बैंक जमा खाता के माध्यम से प्राप्त ओडी सुविधा (मिलियन में संख्या)	0.2	1	3	4	4	2,094.4
15	बुनियादी बचत बैंक जमा खाता के माध्यम से प्राप्त ओडी सुविधा (राशि रुपये बिलियन में)	0.1	0.3	1	2	1.5	1,450.0
16	केसीसी - मिलियन में कुल संख्या	24	27	30	34	9	39.0
17	केसीसी - कुल (राशि रुपये बिलियन में)	1,240	1,600	2,068	2,623	1,383	111.5
18	जीसीसी - कुल (मिलियन में संख्या)	1	2	2	4	2	161.2
19	जीसीसी - कुल (राशि रुपये बिलियन में)	35	35	42	76	41	117.4
20	आईसीटी खाता-बीसी-कुल लेनदेन- (मिलियन में संख्या)	27	84	156	250	224	844.4
21	आईसीटी खाता-बीसी-कुल लेनदेन- (राशि रुपये बिलियन में)	7	58	97	234	227	3,279.8

टिप्पणी: पूर्ण और प्रतिशत घटबढ़ में थोडा अंतर हो सकता है क्योंकि संख्याओं का मिलियन/बिलियन में पूर्णांकन किया गया है।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

चार्ट IV.31: जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत गांवों में बैंकिंग केंद्रों की प्रगति

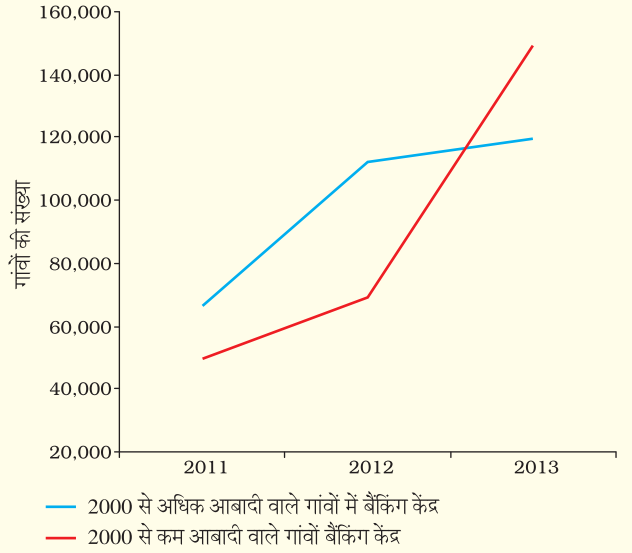

नई खोली गई अधिकतम शाखाएं टियर 5 एवं 6 / ग्रामीण केंद्रों में थीं

4.61 विगत तीन वर्षों के दौरान, टियर 5 एवं 6 केंद्रों में खोली गई नई शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई। 2012-13 में खोली गई कुल शाखाओं में लगभग 41 प्रतिशत शाखाएं सम्मिलित रूप से इन दो केंद्रों में खोली गईं। सम्मिलित रूप से ये दोनों केंद्र ऐसे केंद्र हैं जिनकी आबादी 10,000 से कम है और ये देश में "ग्रामीण" केंद्र को दर्शाते हैं। (सारणी IV.34).

सभी क्षेत्रों में बैंकरहित केंद्रों में खोली गई नई शाखाओं का बढ़ता हुआ अनुपात

4.62 2012-13 में नई खोली गई शाखाओं की कुल संख्या में से 25 प्रतिशत बैंकरहित केंद्रों में खोली गईं; शेष 75 प्रतिशत

बॉक्स IV.5
वित्तीय समावेशन का एक सर्वेक्षण-आधारित विश्लेषण

भारत की आर्थिक नीति में आजादी के समय से ही वित्तीय समावेशन एक उद्देश्य के रूप में अंगीकृत रहा है। तथापि, वर्ष 2005 से यह रिज़र्व बैंक के स्पष्ट नीतिगत प्रयास के रूप में सामने आया है। विशेषकर 2005 के बाद व्यापक वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा कई सारी नीतिगत पहलें की गई हैं। इस पृष्ठभूमि के बीच, बैंकिंग सेवाओं की मांग और वित्तीय समावेशन नीति के जमीनी स्तर पर प्रभाव के बारे में अक्सर जानकारी का अभाव महसूस किया जा रहा है। इस अंतर को पाटने के लिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा देश के प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र अर्थात् मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के 14 जिलों में सर्वेक्षण किए गए। इस सर्वेक्षण में संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया और 8,246 परिवारों एवं कुल मिलाकर 34,149 लोगों को इसमें शामिल किया गया।

अधिकांश गांवों में कृषि मुख्य व्यवसाय था। इन गांवों से बैंकिंग आउटलेट की औसत दूरी 10 किलोमीटर थी। सर्वेक्षण के नमूने में पुरुष एवं महिलाएं लगभग बराबर की संख्या में शामिल थे।

इस सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे सारणी में दिए गए हैं:

इस अध्ययन से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर आए हैं जो महत्त्वपूर्ण नीतिगत इन्पुट उपलब्ध कराते हैं। यह अध्ययन दर्शाता है कि बैंकिंग सेवाओं के प्रति वित्तीय जागरुकता है और साथ ही इसकी मांग भी है। इसलिए यदि बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जाती है तो इसके प्रयोग में सुधार होगा। बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के मार्ग में अवरोध के मुख्य कारक बैंकिंग आउटलेट की अनुपलब्धता और वर्तमान बैंकिंग आउटलेट की लंबी दूरी है। आधारभूत बैंकिंग उत्पादों, जैसे जमा और क्रेडिट का उपयोग काफी विस्तृत है लेकिन ईबीटी एवं ओवरड्राफ्ट सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में अपर्याप्त जागरुकता के कारण इन सुविधाओं का प्रयोग कम है। वृहत् समावेशन में निम्नलिखित शामिल होंगे

- गांवों में या उनके नजदीक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना।
- इन उत्पादों का अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद विशिष्ट जागरूकता उत्पन्न करना।
- महिलाओं और अपेक्षाकृत कम आय वाले ग्रामीण परिवारों में बैंकिंग सेवाओं के बारे में अधिक जागरूकता उत्पन्न करना।
- उधारकर्ता के आय की स्थिति से जुड़े उत्पादों का सृजन और तदनुसार उन्हें बैंकिंग उत्पादों एवं सेवाओं के प्रयोग के लिए अवसर प्रदान करना।

सारणी: अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

	मानदंड	निष्कर्ष
1	वित्तीय जागरुकता- बैंकिंग उत्पादों एवं सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरुकता	**जागरुकता का उचित स्तर** - 76 प्रतिशत ग्रामीण बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से परिचित थे। **लिंग -** आनुपातिक रूप से पुरुषों में जागरुकता अधिक थी। **उम्र** - उम्र एवं वित्तीय जागरुकता के स्तर के बीच कोई निश्चित संबध नहीं था। 18-25 की आयु वर्ग वाले लगभग 91 प्रतिशत लोग वित्तीय रूप से जागरूक थे। 26-60 वर्ष की आयु वर्ग में केवल 74 प्रतिशत जागरूक थे लेकिन 60 वर्ष और उससे ऊपर के आयु वर्ग में 82 प्रतिशत लोग वित्तीय रूप से जागरूक थे। **आय** - आय और वित्तीय जागरूकता के स्तर के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं था। 50,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले 89 प्रतिशत ग्रामीण जागरूक थे। 0.1-0.3 मिलियन रुपए के आय वर्ग में 42 प्रतिशत जागरूक थे, जबकि 0.3 मिलियन रुपए और इससे अधिक आय वर्ग में सभी वित्तीय रूप से जागरूक थे।
2	**बैंकिंग उत्पादों का प्रयोग**	
	क बचत खाता	**बचत खातों का उपयोग सबसे अधिक था -** लगभग 74 प्रतिशत ग्रामीणों के पास बचत खाता था।
	ख क्रेडिट उत्पाद	**क्रेडिट उत्पादों का प्रयोग दूसरे स्थान पर था** - लगभग 34 प्रतिशत ग्रामीण ऋण सुविधाओं (किसान क्रेडिट कार्ड / सामान्य क्रेडिट कार्ड सहित) का उपयोग कर रहे थे ।
	ग प्रेषण	**इसके बाद प्रेषण सुविधाओं का स्थान था -** लगभग 24 प्रतिशत ग्रामीण प्रेषण सुविधा का उपयोग कर रहे थे।
	घ बचत खाता में ओवरड्राफ्ट	**ग्रामीणों के बीच ओवरड्राफ्ट का प्रयोग सीमित था -** केवल 12 प्रतिशत ग्रामीण बचत खाता में ओवरड्राफ्ट की सुविधा का उपयोग कर रहे थे।
	ङ इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी)	**ईबीटी का प्रयोग भी सीमित था -** केवल 15 प्रतिशत ग्रामीण ही ईबीटी सुविधा का उपयोग कर रहे थे।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

सारणी IV.34: खोली गईं नई बैंक शाखाओं का टियर-वार ब्यौरा

टियर	2010-11	2011-12	2012-13P
टियर 1	1,942	2,235	1,752
टियर 2	449	642	791
टियर 3	1,167	1,241	1,006
टियर 4	663	823	727
टियर 5	580	979	1,114
टियर 6	877	1,553	1,823
कुल	**5,678**	**7,473**	**7,213**

अ - अनंतिम
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

शाखाएं ऐसे केंद्रों में खोली गईं जहां बैंक पहले से मौजूद थे। तथापि यह उल्लेखनीय है कि बैंकरहित केंद्रों में खोली गई शाखाओं के अनुपात में हाल के वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है (चार्ट IV.32) । यह वृद्धि देश के सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती है।

बैंकिंग पहुंच के संदर्भ में क्षेत्रीय असमानता कम होने के संकेत

4.63 बैंकरहित केंद्रों में शाखाओं की बढ़ती पैठ के चलते मुख्य रूप से इसका फायदा ऐसे क्षेत्रों को हुआ जहां बैंकों की पैठ कम थी,

चार्ट IV.32: क्षेत्रवार, बैंक रहित केंद्रों में खोली गईं नई शाखाओं का हिस्सा

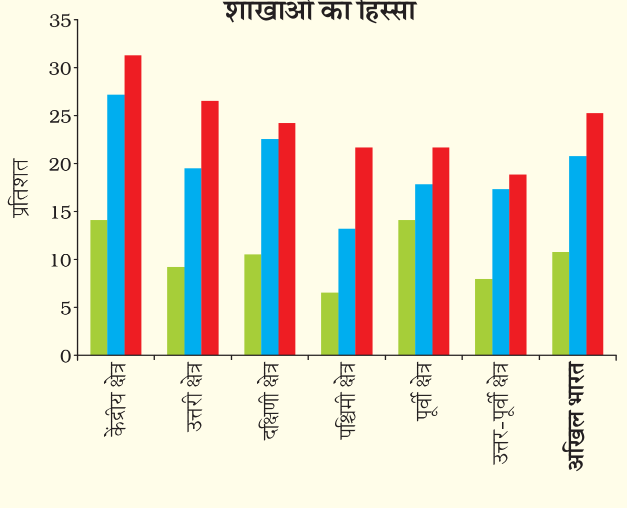

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

चार्ट IV.33: बैंकिंग के फैलाव के संदर्भ में क्षेत्रीय अंतर

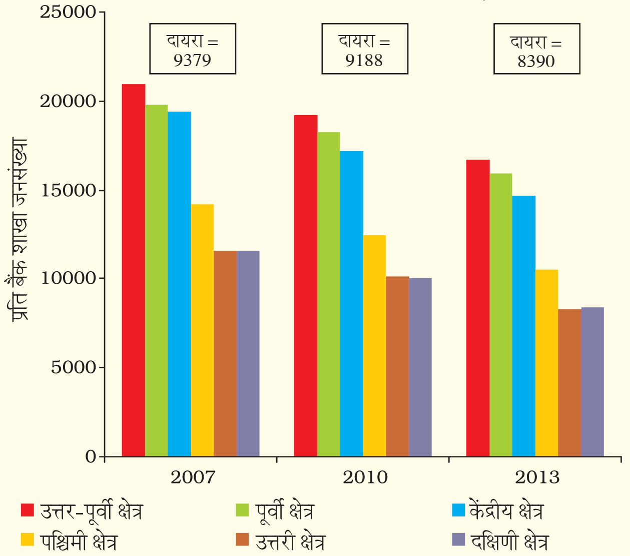

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय जनगणना डेटाबेस।

अर्थात् पूर्वोत्तर, पूर्वी एवं मध्य क्षेत्र। परिणामस्वरूप, हाल के वर्षों में बैंकिंग पहुंच के संदर्भ में क्षेत्रीय असमानता कम हुई है जैसाकि प्रति बैंक शाखा आबादी के दायरे (अधिकतम-न्यूनतम)में हुई निरंतर गिरावट से परिलक्षित होता है। (चार्ट IV.33)।

ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केंद्रों में खोले गए एटीएम की संख्या में वृद्धि

4.64 यद्यपि देश में, एटीएम की कुल संख्या में 65 प्रतिशत से अधिक एटीएम शहरी एवं महानगर केंद्रों में हैं, तथापि हाल के वर्षों में ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित एटीएम की संख्या में वृद्धि हुई है। (सारणी IV.35; चार्ट IV.34).

स्वयं सहायता समूह एवं संयुक्त देयता समूह की दोहरी व्यवस्था के जरिए माइक्रोफाइनेंस की सुपुर्दगी में निरंतर प्रगति

4.65 पूर्व की भांति, स्वयं सहायता समूहों के जरिए माइक्रोफाइनेंस की सुपुदर्गी में निरंतर प्रगति हुई। संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) सामान्य रूप से छोटे किसानों और विशेष रूप से पट्टेदार किसानों की जीविका गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए एक सफल गैर-संपार्श्विक

सारणी IV.35 : विभिन्न केंन्द्रों में स्थित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम की संख्या

(मार्च 2012 के अंत में)

बैंक समूह	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र के बैंक	**8,552**	**18,445**	**22,518**	**20,137**	**69,652**
	(12.3)	**(26.5)**	**(32.3)**	**(28.9)**	**(100.0)**
राष्ट्रीयकृत बैंक*	4,406	8,283	10,873	11,797	35,359
	(12.5)	(23.4)	(30.8)	(33.4)	(100.0)
भारतीय स्टेट बैंक समूह	4,053	9,847	10,912	7,779	32,591
	(12.4)	(30.2)	(33.5)	(23.9)	(100.0)
निजी क्षेत्र के बैंक	**2,982**	**9,244**	**13,349**	**17,526**	**43,101**
	(6.9)	**(21.4)**	**(31.0)**	**(40.7)**	**(100.0)**
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	768	2,760	2,354	1,684	7,566
	(10.2)	(36.5)	(31.1)	(22.3)	(100.0)
निजी क्षेत्र के नए बैंक	2,214	6,484	10,995	15,842	35,535
	(6.2)	(18.2)	(30.9)	(44.6)	(100.0)
विदेशी बैंक	**30**	**21**	**244**	**966**	**1,261**
	(2.4)	**(1.7)**	**(19.3)**	**(76.6)**	**(100.0)**
कुल	**11,564**	**27,710**	**36,111**	**38,629**	**1,14,014**
	(10.1)	**(24.3)**	**(31.7)**	**(33.9)**	**(100.0)**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	**33.9**	**22.2**	**16.5**	**15.8**	**19.2**

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े प्रत्येक बैंक समूह के तहत कुल एटीएम के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

* आईडीबीआई बैंक लि. को छोड़कर।

चार्ट IV.34: क्षेत्रवार एटीएम की संख्या

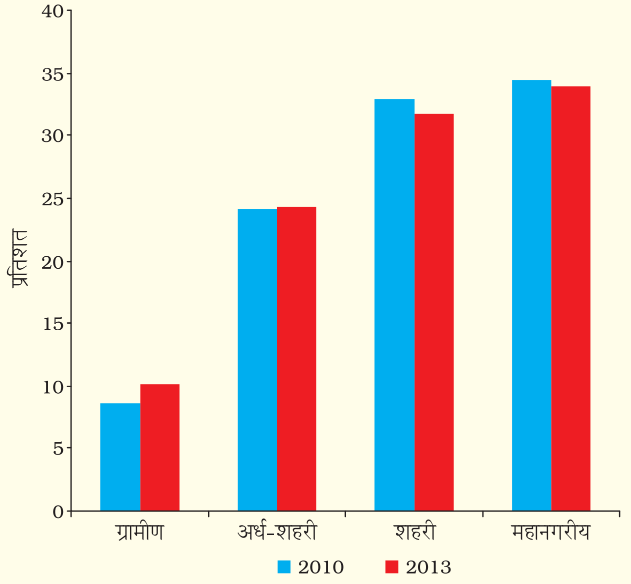

क्रेडिट लिखत के रूप में उभरा है। स्वयं सहायता समूह के बीच लिंकेज माइक्रोफाइनेंस का अधिक प्रभावी माध्यम बना हुआ है और वर्ष 2012-13 में बैंकों ने एक मिलियन से अधिक स्वयं सहायता समूहों का वित्तपोषण किया। (सारणी IV.36).

सारणी IV.36: माइक्रो फाइनेन्स कार्यक्रमों की प्रगति

(मार्च के अंत में)

मद	स्वयं सहायता समूह							
	संख्या (मिलियन में)				राशि (बिलियन रुपये में)			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13P	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13अ
बैंकों द्वारा संवितरित उधार	1.6	1.2	1.2	1.2	145	145	165	206
	(0.3)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(22)	(25)	(26)	(22)
बैंकों के पास बकाया उधार	4.9	4.8	4.4	4.5	280	312	363	394
	(1.3)	(1.3)	(1.2)	(1.2)	(63)	(78)	(81)	(86)
बैंकों के पास बचतें	7.0	7.5	8.0	7.3	62	70	66	82
	(1.7)	(2.0)	(2.1)	(2.1)	(13)	(18)	(14)	(18)
	माइक्रो फाइनेन्स संस्थाएं							
	संख्या				राशि (बिलियन रुपये में)			
बैंकों द्वारा संवितरित उधार	691	469	465	426	81	76	53	78
बैंकों के पास बकाया उधार	1,513	2,176	1,960	2,042	101	107	115	144
	संयुक्त देयता समूह							
	संख्या (मिलियन में)				राशि (बिलियन रुपये में)			
बैंकों द्वारा संवितरित उधार	-	0.09	0.19	0.20	-	7	17	18

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत आनेवाले स्वयं सहायता समूह(एसएचजी) संबंधी ब्यौरा दर्शाते हैं। अ: अनंतिम आकड़ें

स्रोत: नाबार्ड ।

बैंकों द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की संख्या में तीव्र गिरावट

4.66 इसके विपरीत, हाल के वर्षों में, बैंकों द्वारा वित्तपोषित माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की संख्या में तीव्र गिरावट हुई है। अंशतः, इसकी वजह आंध्र प्रदेश में कुछ माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की परिचालन संबंधी चिंताएं और हाल में इन चिंताओं के परिणास्वरूप उठाए गए विनियामक कदम हो सकते हैं (सारणी IV.36)।

12. स्थानीय क्षेत्र बैंक

स्थानीय क्षेत्र बैंक की लाभप्रदता कायम रही

4.67 आस्तियों पर प्रतिलाभ के आधार पर स्थानीय क्षेत्र बैंकों की समग्र स्तर पर लाभप्रदता अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से काफी ज्यादा है (सारणी IV.37 सारणी IV.8 के साथ पठित)। लेकिन, निवल ब्याज मार्जिन के अधार पर दक्षता की दृष्टि से स्थानीय क्षेत्र बैंकों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से पिछड़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी।

स्थानीय क्षेत्र बैंकों का परिचालन एवं भावी में विस्तार : समीक्षा की आवश्यकता

4.68 स्थानीय क्षेत्र बैंक लाभदायक होते हुए भी, उनके परिचालन और भावी विस्तार के संबंध में कुछ समस्याएं हैं। पहला, स्थानीय क्षेत्र बैंक पूरी बैंकिंग प्रणाली का बहुत छोटा भाग हैं (अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्ति की 0.02 प्रतिशत), जिसमें चार में से एक स्थानीय क्षेत्र बैंक, कैपिटल लोकल एरिया बैंक (सभी चार स्थानीय क्षेत्र बैंकों की कुल आस्ति का 72 प्रतिशत) में बैंकिंग व्यापार का संकेद्रण है (सारणी IV.38) । दूसरा, 2002 के समीक्षा समूह, जिसने स्थानीय क्षेत्र बैंकों की गतिविधियों की जांच की थी, की सिफारिशों के विपरीत, कैपिटल लोकल एरिया बैंक को छोड़कर कोई भी स्थानीय क्षेत्र बैंक वित्तीय दृढ़ता सुधारने के लिए अपनी निवल मालियत 250 मिलियन रुपए तक बढ़ा नहीं सका। इन बाधाओं के होते हुए भी, इन संस्थाओं में लघु-स्तरीय बैंकिंग संस्था की असीम संभावनाएं हैं जिन्हें आगे चलकर बड़े पैमाने पर भी आजमाया जा

सारणी IV.37 : स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि बिलियन रुपये में)

	राशि		प्रतिशत घटबढ़	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**1.5**	**1.8**	**0.3**	**18.7**
i) ब्याज आय	1.4	1.6	0.3	19.9
ii) अन्य आय	0.2	0.2	0.0	8.7
ख. खर्च (i+ii+iii)	**1.3**	**1.6**	**0.2**	**17.4**
i) व्यय किया गया ब्याज	0.8	1.0	0.2	25.2
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.1	0.1	0.0	-20.3
iii) परिचालन व्यय	0.4	0.5	0.1	15.9
जिसमें से: वेतन बिल	0.2	0.3	0.0	23.8
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ / हानि	**0.3**	**0.4**	**0.0**	**7.1**
ii) निवल लाभ / हानि	**0.2**	**0.2**	**0.1**	**27.7**
घ. अंतर (निवल ब्याज आय)	**0.6**	**0.7**	**0.1**	**13.2**
ङ. कुल आस्तियां	**13.6**	**15.8**	**2.1**	**15.6**
च. वित्तीय अनुपात @				
i) परिचालन लाभ	2.6	2.4	-	-
ii) निवल लाभ	1.5	1.6	-	-
iii) आय	12.3	12.3	-	-
iv) ब्याज आय	11.0	11.1	-	-
v) अन्य आय	1.3	1.2	-	-
vi) व्यय	10.8	10.7	-	-
vii) व्यय किया गया ब्याज	6.2	6.5	-	-
viii) परिचालन व्यय	3.6	3.5	-	-
ix) वेतन बिल	1.7	1.7	-	-
x) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1.1	0.8	-	-
xi) स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	4.9	4.6	-	-

टिप्पणी : आंकड़ों का पूर्णांकन बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकता है ।
@ कुल औसत आस्तियों की तुलना में अनुपात।
स्रोत: ऑफ -साइट विवरणियों पर आधारित।

सारणी IV.38: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का प्रोफ़ाइल
(मार्च के अंत में)

(राशि बिलियन रुपये में)

बैंक	आस्तियां		जमा		सकल अग्रिम	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	9.67 (71.0)	11.40 (72.3)	8.20 (73.8)	9.78 (74.8)	5.18 (67.2)	6.06 (67.1)
कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	1.93 (14.2)	2.21 (14.0)	1.51 (13.6)	1.74 (13.3)	1.26 (16.4)	1.56 (17.3)
कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	1.35 (9.9)	1.44 (9.1)	1.00 (9.0)	1.15 (8.8)	0.84 (10.9)	0.96 (10.6)
सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	0.68 (5.0)	0.72 (4.5)	0.39 (3.5)	0.41 (3.1)	0.43 (5.6)	0.45 (5.0)
स्थानीय क्षेत्र के सभी बैंक	**13.63 (100.0)**	**15.76 (100.0)**	**11.10 (100.0)**	**13.07 (100.0)**	**7.71 (100.0)**	**9.03 (100.0)**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।
स्रोत : ऑफ साइट (घरेलू) विवरणियों पर आधारित।

सकता है। इसलिए रिज़र्व के डिस्कशन पेपर "बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया : दि वे फॉरवेर्ड" में यह सिफारिश की गई है कि स्थानीय स्तर पर वित्तीय समावेशन की दृष्टि से निजी क्षेत्र में ऐसे छोटे बैंक अधिक संख्या में बनाए जाएं। ऐसे बैंक अपने परिचालन के सीमित क्षेत्र तथा आपस में कम वित्तीय संबंधों के कारण प्रणालीगत स्थिरता के लिए कम जोखिम पैदा करते हैं। तथापि, इन बैंकों के डूबने की उच्च संभाव्यता से निपटने के लिए उचित कॉरपोरेट गवर्नेंस और सशक्त समाधान फ्रेमवर्क बनाने के बाद ही ऐसे बैंकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

9 प्रतिशत सीआरएआर की प्राप्ति हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सक्षम बनाने के लिए पुन:पूंजीकरण का कार्य प्रगति पर है

4.69 समिति (अध्यक्ष : डॉ.के.सी.चक्रवर्ती) की सिफारिशों के फलस्वरूप, मार्च 2012 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजी स्तर को बढ़ाते हुए, उनको 9 प्रतिशत सीआरएआर प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने हेतु इन संस्थाओं के पुनःपूंजीकरण का कार्य प्रगति पर है। समिति ने अनुमान लगाया है कि इस मानदंड की प्राप्ति के लिए 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 22 बिलियन रुपए तक की पूंजी डालने की आवश्यकता है।

4.70 मार्च 2013 तक, पुनःपूंजीकरण के लिए चुने गए 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 35 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूर्णतः और 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अंशतः पुनःपूंजीकृत किया गया है। शेष तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पुनःपूंजीकरण का कार्य शुरू नहीं किया गया है। भारत सरकार ने संपूर्ण कार्यप्रणाली को पूरा करने की अवधि को मार्च 2014 तक बढ़ा दिया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन का एक नया चरण शुरू हो गया

4.71 अब तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन के दो व्यापक चरण थे। पहले चरण में (सितंबर 2005- मार्च 2010), एक राज्य में एक ही प्रायोजक बैंक के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समामेलित कर उनकी संख्या को 196 से घटाकर 82 कर दिया गया है। अक्तूबर 2012 से चल रहे दूसरे चरण में, राज्य के भीतर अलग-अलग प्रायोजक बैंक के अधीनस्थ तथा भौगोलिक दृष्टि से समीपस्थ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन इस प्रकार किया गया ताकि मझौले आकार वाले राज्यों में सिर्फ एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा बड़े आकार वाले राज्यों में दो/तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हों। इस वर्तमान चरण में, 9 राज्यों के 31 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समामेलित कर 13 नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैक बनाए गए जिसके फलस्वरूप उनकी संख्या घटाकर 64 हो गई है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलनपत्र में उच्चतर संवृद्धि

4.72 वर्ष के दौरान,जहां अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलन पत्र में संकुचन हुआ, वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलनपत्र में विस्तार हुआ (सारणी IV.39) । फिर भी, वर्ष के दौरान ऋण, जो तुलन

सारणी IV.39: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन-पत्र

(राशि बिलियन रुपये में)

क्रम सं.	मद	मार्च के अंत में 2012	2013अ	प्रतिशत घटबढ़ 2011-12	2012-13अ
1	शेयर पूंजी	2	2	0.0	0.0
2	आरक्षित निधियां	113	132	17.7	17.0
3	शेयर पूंजी जमा	50	57	22.7	14.6
4	जमाराशियां	1,863	2,085	12.1	11.9
	4.1 चालू	104	115	12.8	11.2
	4.2 बचत	986	1,069	8.2	8.4
	4.3 अवधि	774	900	17.4	16.3
5	से उधार	303	379	14.3	25.1
	5.1 नाबार्ड	211	297	31.7	40.9
	5.2 प्रायोजक बैंक	88	74	-10.4	-16.0
	5.3 अन्य	4	8	-199.4	97.6
6	अन्य देयताएं	94	103	7.4	9.0
कुल देयताएं / आस्तियां		**2,425**	**2,758**	**12.6**	**13.7**
7	नकदी	23	22	6.3	-2.3
8	आरबीआई के पास शेष	88	83	-10.2	-6.7
9	अन्य बैंक शेष	478	619	5.9	29.3
10	निवेश	602	620	11.2	3.0
11	ऋण और अग्रिम (निवल)	1,130	1,309	19.3	15.8
12	अचल आस्तियां	6.7	7.3	46.4	9.4
13	अन्य आस्तियां #	96	98	8.9	1.5

टिप्पणी: 1. #: संचित हानि सहित ।
2. आंकड़ों का पूर्णांकन बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकता है।
3. अ: अनंतिम
स्रोत: नाबार्ड ।

पत्र की आस्तियों के सबसे बड़ा भाग हैं तथा जमाराशियां, जो तुलन पत्र की देयताओं की सबसे बड़ी भाग हैं, दोनों की संवृद्धि

सारणी IV.40: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रयोजन-वार बकाया अग्रिम

(राशि बिलियन रुपये में)

क्र. सं.	प्रयोजन/ मार्च को समाप्त	2012	2013अ
1	2	3	4
I	**कृषि (i से iii)**	**638**	**752**
	कुल बकाया ऋण की तुलना में प्रतिशत	*54.8*	*53.8*
	i अल्पकालिक ऋण (फसल ऋण)	466	551
	ii मीयादी ऋण (कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए)	172	201
	iii अप्रत्यक्ष अग्रिम	-	-
II	**कृषि से इतर (i से iv)**	**526**	**645**
	कुल बकाया ऋण की तुलना में प्रतिशत	*45.2*	*46.2*
	i ग्रामीण कारीगर, आदि	10	11
	ii अन्य उद्योग	37	42
	iii खुदरा व्यापार, आदि	58	62
	iv अन्य प्रयोजन	420	530
कुल (I+II)		**1,164**	**1,397**
	ज्ञापन मदें:		
(क)	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	955	1,143
(ख)	गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	208	253
	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का हिस्सा (कुल की तुलना में प्रतिशत)	*82.1*	*81.8*

अ: अनंतिम
स्रोत : नाबार्ड ।

सारणी IV.41: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि बिलियन रुपये में)

क्रम सं.	मद	राशि 2011-12 (82)	2012-13* (64)	प्रतिशत घटबढ़ 2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5	6
क	**आय (i + ii)**	**200**	**208**	**23.6**	**3.7**
	i ब्याज आय	189	196	24.3	3.3
	ii अन्य आय	11	12	12.3	11.0
ख	**व्यय (i + ii + iii)**	**182**	**186**	**24.7**	**2.3**
	i ब्याज व्यय	112	118	30.5	4.8
	ii परिचालन व्यय	55	54	12.3	-2.1
	जिसमें से: वेतन बिल	40	39	4.0	-2.6
	iii प्रावधान और आकस्मिक व्यय	14.5	14.3	35.2	-1.0
ग	**लाभ**				
	i परिचालन लाभ	33	36	21.7	9.8
	ii निवल लाभ	19	22	14.4	17.2
घ	**कुल आस्तियां**	**2,425**	**2,758**	**12.6**	**13.7**
ङ	**वित्तीय अनुपात #**				
	i परिचालन लाभ	1.4	1.4		
	ii निवल लाभ	0.8	0.8		
	iii आय (क+ख)	8.8	8.0		
	(क) ब्याज आय	8.3	7.5		
	(ख) अन्य आय	0.5	0.5		
	iv व्यय (क+ख+ग)	7.9	7.2		
	(क) व्यय किया गया ब्याज	4.9	4.5		
	(ख)परिचालन व्यय	2.4	2.1		
	जिसमें से : वेतन बिल	1.7	1.5		
	(ग) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.6	0.6		

*: वर्ष का लेखापरीक्षित डेटा के रूप में अनंतिम डेटा (त्रिपुरा जी बी को छोड़कर) अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है।
टिप्पणी : 1. #: वित्तीय अनुपात औसत कुल आस्तियों के हैं।
2. आंकड़ों का पूर्णांकन बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकता है।
स्रोत: नाबार्ड और रिज़र्व बैंक।

में धीमी गिरावट आई (सारणी IV.39; सारणी IV.40)। ऋण के कम उठाव (आफ-टेक) के बावजूद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पिछले वर्ष की तरह अपनी आस्तियों पर प्रतिलाभ को बनाए रख सके (सारणी IV.41)।

14. समग्र मूल्यांकन

4.73 2012-13 के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के परिचालन और कार्य-निष्पादन पर मोटे तौर पर निम्न का प्रभाव पड़ा (i) घरेलू अर्थव्यवस्था की लगातार मंदी के साथ-साथ धीमा वैश्विक सुधार, (ii) ब्याज दरों में कमी, (iii) उच्च विदेशी संस्थागत निवेशों के अंतर्वाह जिसके परिणामस्वरूप भारतीय पूंजी बाज़ार में एक सामान्य तेजी दिखी। इन समष्टि आर्थिक गतिविधियों के अलावा, अध्याय III में प्रतिपादित, अन्यों बातों के साथ-साथ, पुनर्संरचित

अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों की परिभाषा और लक्ष्य में परिवर्तन जैसी कई नीतिगत पहलों सहित हाल के दौरान शुरू किए गए कई नीतिगत उपायों ने भी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के परिचालन को प्रभावित किया है। 2012 -13 के दौरान अनुसूचित वणिज्य बैंकों के परिचालन की मुख्य विशेषताओं का सारांश निम्न प्रकार हैः

बैंकिंग क्षेत्र की समग्र संवृद्धि में मंदी, विशेषत: बैंक ऋण में

4.74 2012-13 के दौरान भारतीय बैंकों के तुलन-पत्र और तुलन-पत्रेतर परिचालनों में लगातार दूसरे साल मंदी रही। खुदरा ऋण में तेजी बनी रहने के बावजूद ऋण संवृद्धि में समग्र रूप से मंदी रही। यह मंदी स्टेट बैंक समूह को छोडकर सभी बैंक समूहों में फैली हुई थी।

ऋण के कम उठाव के कारण लाभप्रदता में हुई कमी ने ब्याज उपार्जन को प्रभावित किया

4.75 ब्याज दरें घटाने के बावजूद कम ऋण उठाव ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित किया और लाभप्रदता के सभी मुख्य संकेतकों अर्थात् आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए), इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) आदि में वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। फिर भी, कम परिचालन व्यय की सहायता से, निजी क्षेत्र के नए बैंक तथा विदेशी बैंक अपनी आस्तियों पर प्रतिलाभ में सुधार ला सके।

आस्ति गुणवत्ता के लिए दबाव बना रहा

4.76 2012-13 के दौरान अनर्जक आस्तियों के अनुपात में बढ़ोतरी हुई। स्लिपेज रेशियो और सकल अग्रिम - पुनरसंचित अग्रिम अनुपात में भी बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा, ज्यादा संख्या में ऋण आस्तियों का "संदिग्ध" वर्गीकरण में बदल जाना अनर्जक आस्तियों के अंतर्गत अधिक गिरावट को प्रतिबिंबित करता है। वर्ष के दौरान आस्ति गुणवत्ता में दबाव गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों विशेषतः औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना क्षेत्रों के कारण रहा।

पूंजी पर्याप्तता की स्थिति मजबूत बनी रही

4.77 अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति समग्र और बैंक समूह स्तर पर निर्धारित मानकों के ऊपर बनी रही। फिर भी, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी की स्थिति में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी।

समावेशी बैंकिंग में अधिक प्रगति के संकेत

4.78 वित्तीय समावेशन योजनाओं के तीन साल की समाप्ति पर, शाखा और गैर शाखा माध्यमों से बैंकिंग की पहुंच के विस्तार में काफी अधिक प्रगति होने के संकेत मिले हैं। 2012-13 के दौरान खोली गई नई शाखाओं की कुल संख्या में, अधिकतर शाखाएं 10,000 से कम आबादी वाले टियर 5/6 केंद्रों में खोली गई थीं। वर्ष के दौरान 2000 से ज्यादा आबादी वाले चिह्नित बैकरहित लगभग सभी गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराए गए और वर्ष के दौरान 2000 से कम आबादी वाले बैंकरहित गांवों को इसमें शामिल करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केंद्रों में एटीएमों की संख्या बढ़ी है, और श्वेत लेबल एटीएम की स्थापना की प्रक्रिया शुरू होने से इन केंद्रों में शाखेतर एटीएमों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। फिर भी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा हो रही चूक चिंता का विषय बनी हुई है, उसका गहरा प्रभाव वित्तीय समावेशन पर भी पड़ रहा है।

4.79 अल्पावधि में आगे बढ़ना है तो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को चाहिए कि वह आर्थिक सुधार में तेज़ी लाने के लिए उत्पादक क्षेत्रों की सहायता करे, लेकिन आस्ति गुणवत्ता के संबंध में सतर्क भी रहे। मध्यम से दीर्घावधि में, इस क्षेत्र को चाहिए कि वह दक्षता और समावेशन में निरंतर सुधार प्रदर्शित करे।

अध्याय V

सहकारी बैंकिंग गतिविधियां

सहकारी बैंकों, जिसमें शहरी सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी संस्थाएं शामिल हैं, की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ता में, लाभप्रदता और अनर्जक आस्तियों जैसे प्रमुख संकेतकों के संबंध में, कार्य-निष्पादन में भिन्नता रही। शहरी सहकारी बैंकों के निवल लाभ में आंशिक तौर पर कमी आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के प्रभाव के कारण आई। लेकिन, उनकी आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार दिखा जो मोटे तौर पर मजबूत विवेक सम्मत मानदंडों और विनियमों को दर्शाता है। जहाँ तक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की बात है, 2011-12 में राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के समग्र कार्य-निष्पादन में निवल लाभ और आस्ति गुणवत्ता के रूप में कुछ सुधार दिखा, वहीं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को हानियां हुईं। राज्य और प्राथमिक सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों जैसी दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का कमजोर वित्तीय कार्य-निष्पादन जारी रहा।

1. परिचय

5.1 शहरी और ग्रामीण भारत दोनों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहकारी बैंक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि बैंक प्रधान वित्तीय प्रणाली में, इन संस्थाओं का कुल ऋण में एक छोटा सा हिस्सा है लेकिन ऋण संवितरण में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि उनको विभिन्न भौगोलिक स्थानों तथा जनसांख्यिकीय वर्गों[1] को सेवाएं देनी होती हैं। गांव और शहर दोनों में सहकारी बैंकों का व्यापक नेटवर्क जमाकर्ताओं / उधारकर्ताओं की एक बड़ी संख्या को औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क के अंतर्गत लाकर, सघन वित्तीय मध्यस्थता के कार्य में वाणिज्यिक बैंकिंग नेटवर्क को सहायता प्रदान करता है। जनसांख्यिकी दृष्टि से, इन संस्थाओं ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कम और मध्यम आय समूह की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाया है।

5.2 वित्तीय प्रणाली के समावेशन को बढ़ाने में सहकारी बैंकों की भूमिका सराहनीय रही हैं। लेकिन, इन संस्थाओं का वित्तीय कार्यनिष्पादन, विशेष रूप से ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का, सामान्य से कम रहा है जो आंशिक रूप से परिचालनगत और गवर्नेंस संबंधी मामलों के कारण है। कई समितियों ने उनके कमजोर वित्तीय कार्य-निष्पादन के कारणों की जांच की है और समय-समय पर उनके उपचारात्मक उपाय सुझाए हैं। सहकारी संस्थाओं के पुनरुज्जीवन के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

5.3 शहरी सहकारी बैंकों के लिए 2005 के विजन दस्तावेज में निर्धारित के अनुसार, एक संयुक्त विनियामी ढांचे के लिए रिज़र्व बैंक के विशेष प्रयासों में, सक्रिय शहरी सहकारी बैंकों को तैयार करने के उपायों पर बल दिया गया है। जहाँ तक अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की बात है, अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना पर बनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का उद्देश्य इस खंड में व्याप्त अपर्याप्तताओं को दूर करना है।

5.4 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में 2012-13 में शहरी सहकारी बैंकों के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण किया गया है। ग्रामीण सहकारी बैंकों का विश्लेषण 2011-12 से संबंधित है क्योंकि इस खंड के आंकड़े एक वर्ष के अंतराल पर उपलब्ध हुए हैं। इस अध्याय में शामिल किया गया विश्लेषण अल्पकालिक और दीर्घकालिक है जो 1,606 शहरी सहकारी बैंकों और 93,550

[1] मार्च 2012 के अंत में, ग्रामीण और शहरी सहकारी संस्थाओं द्वारा कुल मिलाकर दिया गया कर्ज और अग्रिम, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा संवितरित कुल कर्ज तथा अग्रिम का लगभग 10 प्रतिशत रहा।

चार्ट V.1: भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं का ढांचा
(मार्च 2013 के अंत की स्थिति)

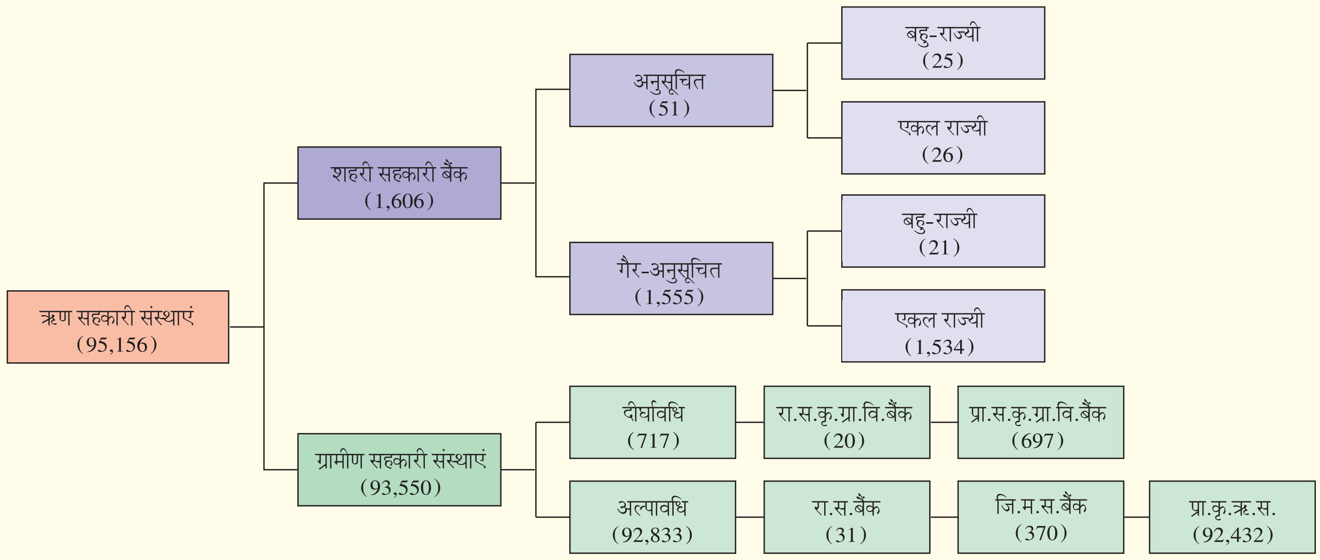

रा.स.बैंक : राज्य सहकारी बैंक; जि.म.स.बैंकः जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; प्रा.कृ.ऋ.सः प्राथमिक कृषि ऋण समिति; रा.स.कृ.ग्रा.वि.बैंकः राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक; प्रा.स.कृ.ग्रा.वि.बैंक : प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मार्च 2013 के अंत में शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में संस्थाओं की संख्या और मार्च 2012 के अंत में ग्राणीण सहकारी संस्थाओं की संख्या दर्शाते हैं।
2. ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के संबंध में सहकारी संस्थाओं की संख्या, रिपोर्टिंग करने वाली सहकारी संस्थाओं की संख्या दर्शाती है।

ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं से संबंधित है जैसाकि चार्ट V.1 में दिया गया है।

5.5 यह अध्याय 5 भागों में है। भाग 2 में शहरी सहकारी बैंकों के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण उनकी आस्तियों और देयताओं, आय और व्यय तथा वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों के आधार पर किया गया है। भाग 3 में अल्पकालिक और दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना के विभिन्न स्तरों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की गई है। अगले भाग में लाइसेंसिंग से संबंधित ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया है। समापक टिप्पणियां अंतिम भाग में दी गई हैं।

2. शहरी सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र का आगे और अधिक समेकन

5.6 रिज़र्व बैंक ने अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों के विलय/समामेलन और गैर अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों के बहिर्गमन के उद्देश्य से इस क्षेत्र के पुनरुज्जीवन हेतु एक बहुस्तरीय नियामक और पर्यवेक्षी रणनीति बनाई है। इस कदम से शहरी सहकारी बैंकों की संख्या में क्रमिक रूप से कमी आई है (चार्ट V.2)। परिणाम के रूप में, मार्च 2013 के अंत में शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या 1,606 हो गई जबकि मार्च 2012 के अंत में यह 1,618 थी।

चार्ट V.2: शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या
(मार्च 2013 के अंत में)

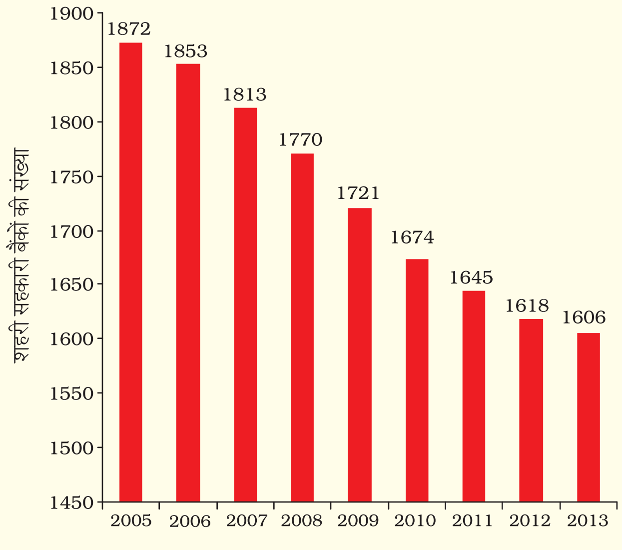

चार्ट V.3: शहरी सहकारी बैंकों के विलय की संचयी आधार पर राज्य-वार संख्या (मार्च 2013 के अंत में)

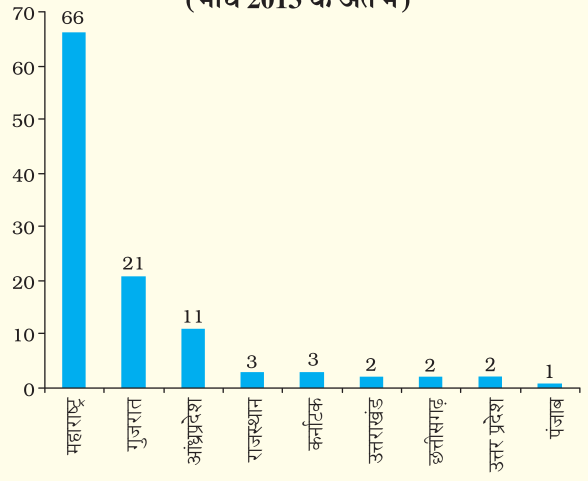

5.7 विलय के राज्य वार विभाजन के आंकड़े दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र में विलयों की अधिकतम संख्या है जिसमें शहरी सहकारी बैंकों की संख्या सर्वाधिक है। 2005 और 2013 के बीच मार्च के अंत के दौरान हुए सभी विलयों में महाराष्ट्र में विलय की संख्या 66 थी इसके पश्चात गुजरात (21) और आंध्र प्रदेश (11) का स्थान था (चार्ट V.3)।

टियर II के शहरी सहकारी बैंकों का कारोबार परिचालन में प्रभुत्व है

5.8 वर्ष के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र में टिकाऊ वृद्धि रही। शहरी सहकारी बैंकों को उनके जमा आधार पर टियर I और टियर II की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, और 2005 के विजन दस्तावेज[2] के आधार पर इन दो श्रेणियों का अलग-अलग विनियमन किया गया। हाल के वर्षों में, टियर II के बैंकों, जिनका एक विशाल जमा आधार और व्यापक भौगोलिक विस्तार है, की संख्या और आस्ति आकार में वृद्धि हुई है (सारणी V.1 और चार्ट V.4)।

शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार

5.9 शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता के मापन के लिए कैमेल्स (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि और प्रणाली तथा नियंत्रण) रेटिंग मॉडल लागू करने के साथ, रिज़र्व बैंक ने विनियामी और पर्यवेक्षी प्रयोजन के लिए शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न श्रेणियों में किए गए पूर्व वर्गीकरण को समाप्त कर दिया। नए कैमेल्स रेटिंग मॉडल के अंतर्गत, बैंक को ए/बी/सी/डी (कार्य- निष्पादन के घटते क्रम में) की संयुक्त

सारणी V.1: शहरी सहकारी बैंकों का टियर-वार वितरण
(मार्च 2013 के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

टियर का प्रकार	बैंकों की संख्या		जमा		अग्रिम		आस्तियां	
	संख्या	कुल की तुलना में %	संख्या	कुल की तुलना में %	संख्या	कुल की तुलना में %	संख्या	कुल की तुलना में %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
टियर I शहरी सहकारी बैंक	1,194	74.3	434	15.7	272	15.0	545	16.2
टियर II शहरी सहकारी बैंक	412	25.7	2,335	84.3	1,538	85.0	2,827	83.8
सभी शहरी सहकारी बैंक	**1,606**	**100.0**	**2,769**	**100.0**	**1,810**	**100.0**	**3,372**	**100.0**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

[2] टियर I वाले शहरी सहकारी बैंकों को ऐसे शहरी सहकारी बैंक के रूप में परिभाषित किया गया है जो निम्नानुसार हों :
- एक जिले में कार्यरत 1 बिलियन से कम जमा आधार वाले।
- एक से अधिक जिलों में कार्यरत 1 बिलियन से कम जमा आधार वाले बशर्ते उनकी शाखाएं सीमावर्ती जिलों में हों और एक जिले में शाखाओं की जमा और अग्रिम राशि पृथक रूप से क्रमशः बैंक की कुल जमाराशियों और अग्रिमों की कम से कम 95 प्रतिशत हों।
- 1 बिलियन से कम जमा आधार वाले, जिनकी शाखाएं मूल रूप से एक जिले में हों लेकिन बाद में वे जिले के पुनर्गठन के कारण बहु-जिला हो गए हों। अन्य सभी शहरी सहकारी बैंकों को टियर II शहरी सहकारी बैंक रूप में परिभाषित किया गया है।

अन्य सभी शहरी सहकारी बैंकों को टियर-II शहरी सहकारी बैंकों के रूप में परिभाषित किया गया है।

चार्ट V.4 शहरी सहकारी बैंकों की टियर-वार संरचना

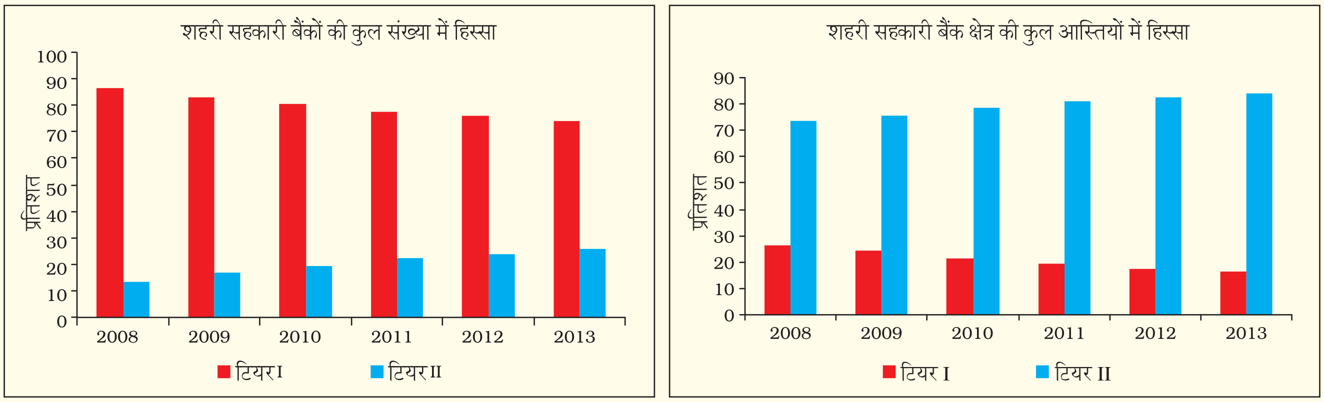

रेटिंग प्रदान की गई है, जो 'कैमेल्स' रेटिंग मॉडल के वैयक्तिक घटकों की भारित औसत रेटिंग पर आधारित होगी।

5.10 नए वर्गीकरण के अनुसार मार्च 2013 के अंत में लगभग 67 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों की (मार्च 2012 के अंत में 61 प्रतिशत) ए और बी की संयुक्त रेटिंग थी, जो शहरी सहकारी बैंकों के कुल बैंकिंग कारोबार (जमा और अग्रिम) की लगभग 85 प्रतिशत (मार्च 2012 के अंत में 78 प्रतिशत) थी। वर्ष के दौरान शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में दृष्टिगोचर सुधार हुआ। लगभग 27 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों की संयुक्त रेटिंग 'सी' रही, जो शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के बैंकिंग कारोबार का 13 प्रतिशत थी। लगभग 6 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों को सबसे कमजोर वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली डी की न्यूतम रेटिंग प्रदान की गई (सारणी V.2)।

सारणी V.2 रेटिंग के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों का वितरण
(मार्च 2013 के अंत की स्थिति)

(राशि ₹ बिलियन में)

रेटिंग	बैंकों की संख्या	कुल में % हिस्सा	जमाराशि	कुल में % हिस्सा	अग्रिम	कुल में % हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7
ए	214	13.3	1,169	42.2	787	43.5
बी	861	53.6	1,175	42.4	761	42.1
सी	432	26.9	365	13.2	228	12.6
डी	99	6.2	60	2.2	33	1.8
कुल	**1,606**	**100.0**	**2,769**	**100.0**	**1,810**	**100.0**

टिप्पणियां: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. रेटिंग 2010-11 से 2012-13 के दौरान किए गए निरीक्षणों के आधार पर हैं।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुल योग से भिन्न हो सकता है।

2012-13 में शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के अंतर्गत आस्ति संकेंद्रण में और वृद्धि

5.11 हाल के वर्षों में शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के अंतर्गत आस्ति संकेद्रण में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से समेकन के परिणाम के रूप में। 10 बिलियन रुपए से अधिक आस्ति आकार वाली शहरी सहकारी बैंकों की संख्या में 2008 और 2013 के बीच तेजी से वृद्धि हुई। उल्लेखनीय है कि इस अवधि के दौरान, शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की कुल आस्तियों में ऐसे बैकों का हिस्सा लगभग 37 से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया (चार्ट V.5)।

5.12 मार्च 2013 के अंत में 10 बिलियन रुपए से अधिक जमा आधार वाले शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा कुल जमाराशियों का 47 प्रतिशत रहा। 10 बिलियन रुपए से अधिक ऋण आकार वाली इन संस्थाओं का कुल शहरी सहकारी बैंकों के अग्रिमों में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा था (सारणी V.3)।

2012-13 में शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति वृद्धि स्थिर रही

5.13 2012-13 में शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट V.6)। अर्थव्यवस्था में धीमी मांग के कारण उनकी ऋण वृद्धि में कुछ गिरावट आई। दूसरी तरफ, एसएलआर निवेश में तीव्र वृद्धि के कारण 2012-13 में इन संस्थाओं के निवेश में अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दिखी। इस संदर्भ में, ध्यान देने की आवश्यकता है कि राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के पास शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियों

चार्ट V.5: आस्ति के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण

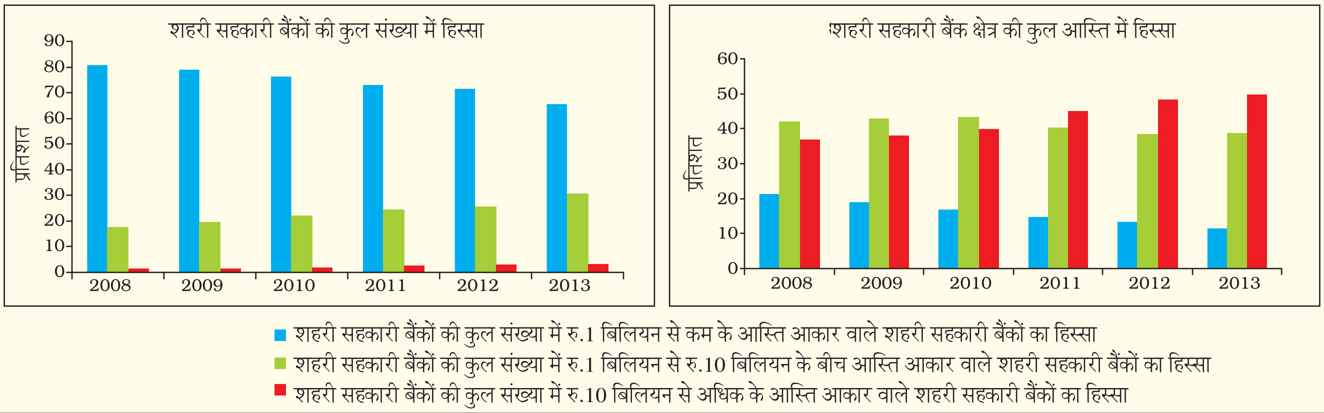

को एसएलआर निवेश के अंतर्गत माना जाता है। शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षा है कि वे भारत में अपनी निवल जमा और मीयादी देयताओं पर 25 प्रतिशत का एक समान एसएलआर रखें (सारणी V.4 और V.5)।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक उनकी कुल आस्तियों के लगभग आधे हैं

5.14 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, इसमें वे बैंक शामिल हैं जिनके पास 0.5 मिलियन रुपए से अधिक चुकता पूंजी और आरक्षित निधियां हैं और वे रिज़र्व बैंक की इच्छा के अनुसार जमाकर्ताओं के हित में अपना कारोबार करते हैं। 2012-13 में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के हिस्से में मामूली गिरावट आई। मार्च 2013 के अंत में 51 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

चार्ट V.6: शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों में वृद्धि

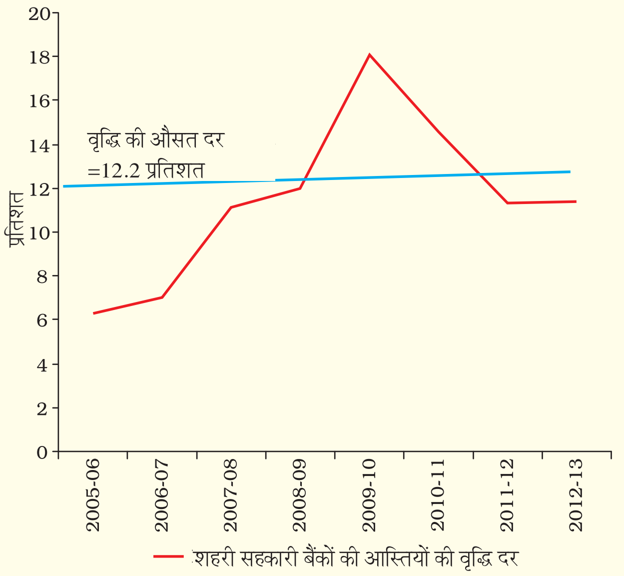

सारणी V.3: जमा एवं अग्रिम के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण

(मार्च 2013 के अंत में)

जमाराशि (₹ बिलियन)	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या		जमाराशि		अग्रिम (₹ बिलियन)	शहरी सहकारी बैंक की संख्या		अग्रिमों की राशि	
	संख्या	% हिस्सा	संख्या	% हिस्सा		संख्या	% हिस्सा	संख्या	% हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 - 0.10	201	12.5	11	0.4	0 - 0.10	388	24.2	21	1.2
0.10 - 0.25	358	22.3	61	2.2	0.10 - 0.25	419	26.1	70	3.9
0.25 - 0.50	340	21.2	121	4.4	0.25 - 0.50	269	16.7	94	5.2
0.50 - 1.0	263	16.4	189	6.8	0.50 - 1.0	229	14.3	161	8.9
1.0 - 2.5	241	15.0	370	13.4	1.0 - 2.5	176	11.0	284	15.7
2.5 - 5.0	113	7.0	396	14.3	2.5 -5.0	69	4.3	240	13.3
5.0 - 10.0	47	2.9	330	11.9	5.0 - 10.0	31	1.9	216	11.9
10.0 और उससे अधिक	43	2.7	1,290	46.6	10.0 और उससे अधिक	25	1.6	724	40.0
कुल	**1,606**	**100.0**	**2,769**	**100.0**	**Total**	**1,606**	**100.0**	**1,810**	**100.0**

टिप्पणियां : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुल योग से भिन्न हो सकता है।

सारणी V.4: शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ बिलियन में)

आस्ति/ देयता	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		सभी शहरी सहकारी बैंक		वृद्धि की दर (%) (सभी शहरी सहकारी बैंक)
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
देयताएं							
1. पूंजी	23	27	50	67	73	93	27.4
	(1.6)	(1.8)	(3.1)	(3.6)	(2.4)	(2.8)	
2. आरक्षित निधि	126	132	143	155	270	287	6.3
	(8.9)	(8.7)	(8.9)	(8.4)	(8.9)	(8.5)	
3. जमाराशि	1,104	1,263	1,282	1,506	2,386	2,769	16.1
	(77.6)	(82.9)	(80.0)	(81.4)	(78.8)	(82.1)	
4. उधार राशि	21	23	15	8	36	31	-13.9
	(1.5)	(1.5)	(0.9)	(0.4)	(1.2)	(0.9)	
5. अन्य देयताएं	148	79	113	112	262	191	-27.1
	(10.4)	(5.2)	(7.0)	(6.1)	(8.7)	(5.7)	
आस्तियां							
1. नगदी	8	11	23	26	30	37	23.3
	(0.6)	(0.7)	(1.4)	(1.4)	(1.0)	(1.1)	
2. बैंकों के पास शेष राशि	122	105	142	139	263	244	-7.2
	(8.6)	(6.9)	(8.9)	(7.5)	(8.7)	(7.2)	
3. मांग और अल्प सूचना पर उपलब्ध मुद्रा	9	5	7	9	15	14	-6.7
	(0.6)	(0.3)	(0.4)	(0.5)	(0.5)	(0.4)	
4. निवेश	370	448	510	631	880	1,079	22.6
	(26.0)	(29.4)	(31.8)	(34.1)	(29.1)	(32.0)	
5. ऋण और अग्रिम	744	839	834	970	1,578	1,810	14.7
	(52.3)	(55.1)	(52.0)	(52.5)	(52.1)	(53.7)	
6. अन्य आस्तियां	171	115	88	74	259	189	-27.0
	(12.0)	(7.5)	(5.5)	(4.0)	(8.6)	(5.6)	
कुल देयताएं/आस्तियां	**1,423**	**1,524**	**1,603**	**1,849**	**3,026**	**3,372**	**11.4**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/ आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुल योग से भिन्न हो सकता है।
4. मार्च 2013 के अंत के आंकड़े अनंतिम हैं।

ऐसे थे जो सभी शहरी सहकारी बैंकों का 3.2 प्रतिशत हिस्सा थे तथा जिनके पास शहरी सहकारी बैंकों की कुल आस्तियों का लगभग आधा हिस्सा था (चार्ट V.7)।

शहरी सरकारी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में कम बना रहा

5.15 यद्यपि शहरी सहकारी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात पिछले वर्ष के स्तर पर बना रहा, यह अनुपात अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में कम रहा (चार्ट V.8)। लेकिन, शहरी सहकारी बैंकों का निवेश-जमा अनुपात अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में अधिक रहा जो प्रमुख रूप से राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के पास शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियों के कारण था जैसा कि इस अध्याय में पूर्व में वर्णित किया गया है।

2012-13 में शहरी सहकारी बैंकों के लाभप्रदता संकेतक स्थिर बने रहे

5.16 2012-13 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के निवल लाभ में कमी आई। उनकी ब्याज और ब्याज से इतर आय दोनों में तीव्र

सारणी V.5: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किए गए निवेश

(प्रतिशत)

मद	मार्च के अंत में 2012	मार्च के अंत में 2013	प्रतिशत घट-बढ़ 2011-12	प्रतिशत घट-बढ़ 2012-13
1	2	3	4	5
कुल निवेश (क+ख)	**880** **(100.0)**	**1,079** **(100.0)**	**3.5**	**22.6**
क. एसएलआर निवेश (i से vi)	**815** **(92.6)**	**971** **(90.0)**	**3.8**	**19.1**
i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	565 (64.2)	628 (58.2)	10.1	11.2
ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	108 (12.3)	138 (12.8)	16.1	27.8
iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	3 (0.3)	6 (0.6)	-40.0	100.0
iv) राज्य सहकारी बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	42 (4.8)	45 (4.2)	-20.8	7.1
v) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पास मीयादी जमाराशि	76 (8.6)	89 (8.2)	-29.0	17.1
vi) अन्य, यदि कोई हों	20 (2.3)	64 (5.9)	42.9	220.0
ख. एसएलआर से इतर निवेश	**66.0** **(7.5)**	**109** **(10.1)**	**0.0**	**65.2**

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत को दर्शाते हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुल योग से भिन्न हो सकता है।

वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्य बैंक और शहरी सहकारी बैंक दोनों के लिए ब्याज से इतर आय का हिस्सा लगभग स्थिर बना रहा। लेकिन, वर्ष के दौरान शहरी सहकारी बैंकों का कुल व्यय भी मुख्य

चार्ट V.7 : शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की कुल आस्तियों में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी

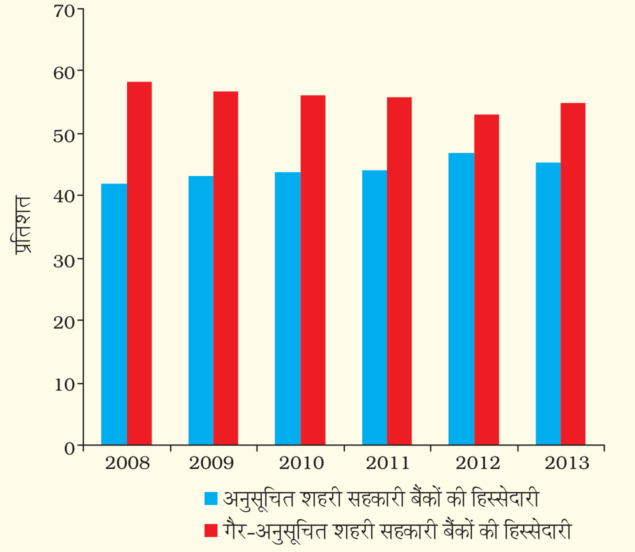

रूप से व्यय के ब्याज घटक में तेजी के कारण बढ़ा (सारणी V.6 और चार्ट V.9)। 2012-13 में शहरी सहकारी बैंकों की लाभप्रदता के प्रमुख संकेतक स्थिर बने रहे (सारणी V.7)। औसत आस्तियों के प्रतिशत के निवल लाभ के रूप में यथापरिभाषित आस्तियों पर प्रतिफल और औसत इक्विटी के प्रतिशत के निवल लाभ के रूप में यथापरिभाषित इक्विटी पर प्रतिफल दोनों, पिछले वर्ष के लगभग समान बने रहे। अलग-अलग स्तर के विश्लेषण से पता चलता है कि 2012-13 में दो अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का आस्तियों पर प्रतिफल ऋणात्मक रहा (परिशिष्ट सारणी V.1)।

चार्ट V.8: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण-जमा और निवेश-जमा अनुपात

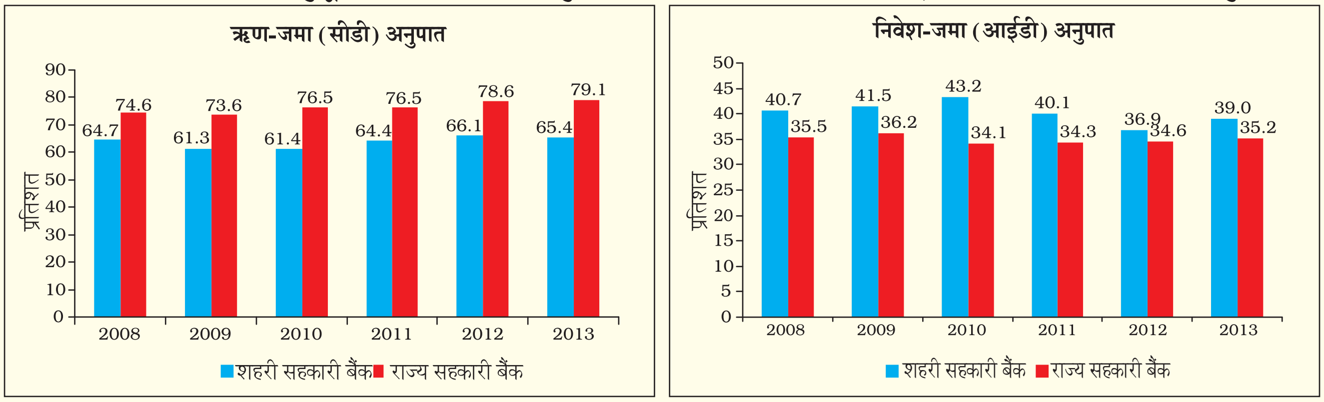

सारणी V.6: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		सभी शहरी सहकारी बैंक		प्रतिशत घट-बढ़	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ. कुल आय (i+ii)	**124**	**150**	**158**	**200**	**282**	**350**	**25.7**	**24.1**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**		
i. ब्याज से आय	113	135	148	189	261	324	25.0	24.1
	(91.7)	(90.3)	(93.6)	(94.4)	(92.8)	(92.6)		
ii. ब्याज से इतर आय	10	15	10	11	20	26	35.7	30.0
	(8.3)	(9.7)	(6.4)	(5.6)	(7.2)	(7.4)		
आ. कुल व्यय (i+ii)	**100**	**122**	**129**	**167**	**229**	**289**	**23.9**	**26.2**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**		
i. ब्याज पर व्यय	74	93	92	124	166	217	26.8	30.7
	(74.3)	(76.4)	(71.1)	(74.4)	(72.5)	(75.3)		
ii. ब्याज से इतर व्यय	26	29	37	43	63	72	16.7	14.3
	(25.7)	(23.6)	(28.9)	(25.6)	(27.5)	(24.7)		
जिसमें से : स्टाफ पर व्यय	13	15	18	22	32	37	12.8	15.6
इ. लाभ								
i. परिचालन लाभ की राशि	24	28	29	33	52	62	34.3	19.2
ii. प्रावधान, आकस्मिकताएं, कर	9	15	11	12	20	27	17.2	35.0
iii. निवल लाभ की राशि	15	13	18	22	32	35	47.6	9.4

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रति प्रतिशत को दर्शाते हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुल योग से भिन्न हो सकता है।
4. 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं।

चार्ट V.9 : शहरी सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों की कुल आय में ब्याज से इतर आय का हिस्सा

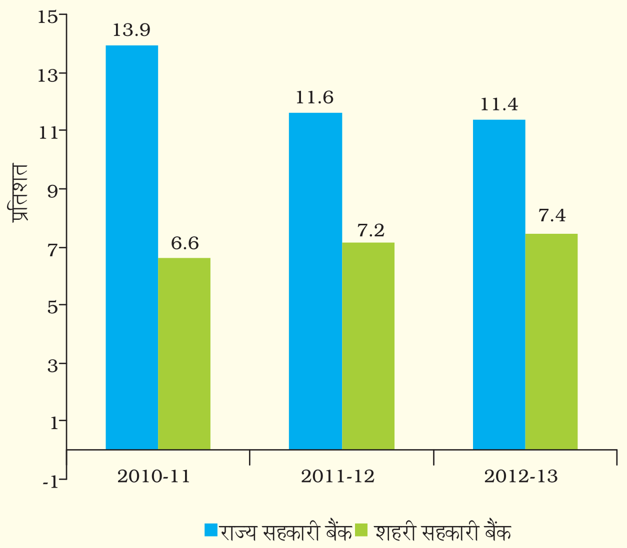

शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार

5.17 हाल के वर्षों में शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार दिखा। शहरी सहकारी बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियों में, 2011-12 की तुलना में समग्र रूप से तथा कुल

सारणी V.7: शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाभप्रदता के चुनिंदा संकेतक

वित्तीय संकेतक	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		सभी शहरी सहकारी बैंक	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7
आस्तियों पर प्रतिफल	1.12	0.90	1.14	1.25	1.13	1.09
इक्विटी पर प्रतिफल	10.51	8.65	9.17	10.40	9.73	9.65
निवल ब्याज मार्जिन	2.98	2.89	3.59	3.74	3.31	3.35

टिप्पणी: 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं।

चार्ट V.10 : सकल अनर्जक आस्तियों की वृद्धि और अनुपात

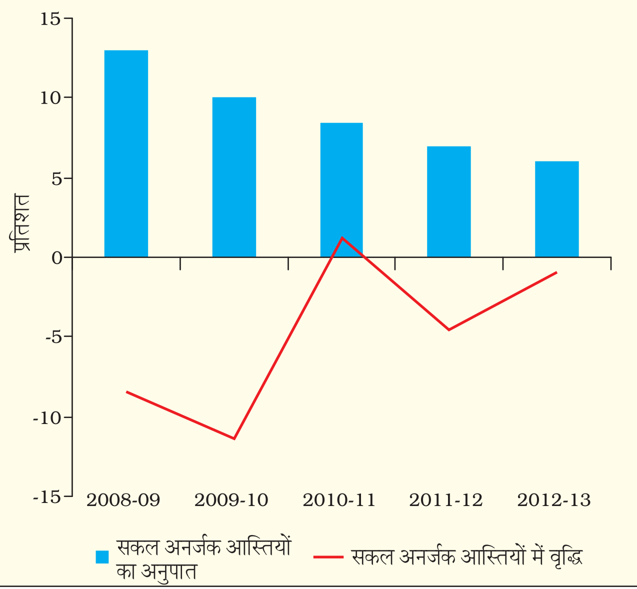

चार्ट V.11 : शहरी सहकारी बैंकों का प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

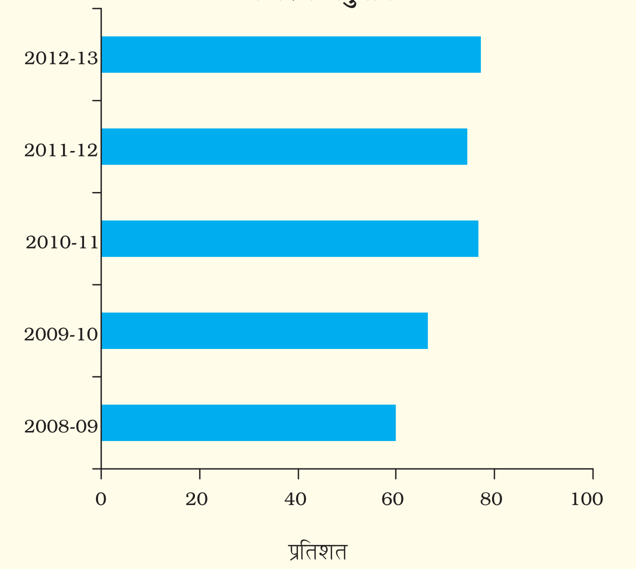

अग्रिमों की तुलना में प्रतिशत के रूप में 2012-13 में गिरावट दिखी (चार्ट V.10 और सारणी V.8)।

शहरी सहकारी बैंकों के प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात में वृद्धि

5.18 वर्षों के दौरान शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में वृद्धि हुई है (चार्ट V.11)।

2012-13 में लगभग 88 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों ने सांविधिक न्यूनतम स्तर से अधिक सीआरएआर की जानकारी दी

5.19 मार्च 2013 के अंत में 1,415 शहरी सहकारी बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात 9 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम स्तर के ऊपर रहा (सारणी V.9 और चार्ट V.12)। मार्च 2013 के अंत में 191 अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों शहरी सहकारी बैंकों ने सांविधिक न्यूनतम स्तर से नीचे सीआरएआर सूचित किया। शहरी सहकारी बैंकों में से चार का ऋणात्मक सीआरएआर रहा।

5.20 कुछ शहरी सहकारी बैंकों की कमजोर वित्तीय स्थिति के लिए इन संस्थाओं की संरचनात्मक समस्याओं को जिम्मेदार माना जा सकता है । संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम 2011 के विधायन से इन संस्थाओं के प्रबंधन में प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इस संशोधन की प्रमुख बातें बॉक्स V.1 में दी गई हैं।

सारणी V.8: शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियां

(राशि ₹ बिलियन में)

मद/मार्च के अंत में	2012	2013
1	2	3
1. सकल अनर्जक आस्तियां	110	109
2. निवल अनर्जक आस्तियां	28	25
3. सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (प्रतिशत)	7.0	6.0
4. निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (प्रतिशत)	1.9	1.4
5. प्रावधानीकरण (1-2)	82	84
6. प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (प्रतिशत) (5/1)	74.4	77.3

टिप्पणी: 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी V.9: शहरी सहकारी बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के अनुसार वितरण

(मार्च 2013 के अंत में)

सीआरएआर (प्रतिशत में)	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	सभी शहरी सहकारी बैंक
1	2	3	4
सीआरएआर < 3	5	155	160
3 ≤ सीआरएआर < 6	1	7	8
6 ≤ सीआरएआर < 9	0	23	23
9 ≤ सीआरएआर < 12	9	216	225
12 ≤ सीआरएआर	36	1,154	1,190
जोड़	**51**	**1,555**	**1,606**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

चार्ट V.12: शहरी सहकारी बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के अनुसार वर्गीकरण

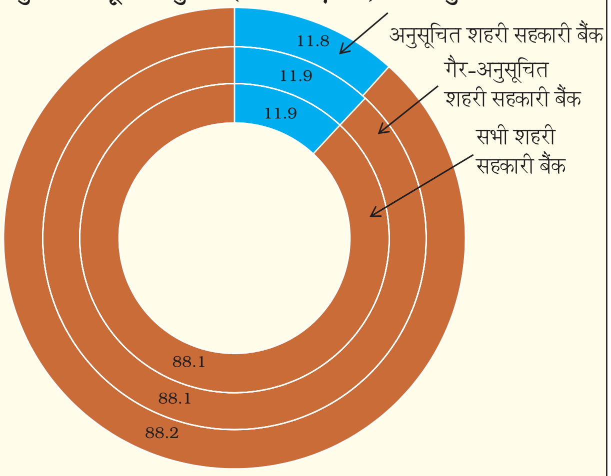

2012-13 में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा छोटे उद्यमों और आवास प्रधान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण

5.21 शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण की संरचना से पता चलता है कि 2012-13 में छोटे उद्यमों और आवास क्षेत्र का हिस्सा इन संस्थाओं के कुल ऋण का एक तिहाई से अधिक था। ये संस्थाएं मुख्य रूप से शहरी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं जिससे पता चलता है कि शहरी सहकारी बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो में इन दो क्षेत्रों की प्रधानता है (चार्ट V.13 और सारणी V.10)।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कमजोर वर्ग के लिए ऋण के प्रावधान में वृद्धि

5.22 शहरी सहकारी बैंक द्वारा कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान करने में लघु उद्यम, आवास ऋण और माइक्रो ऋण ऐसे तीन घटक हैं

बॉक्स V.1:
संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम 2011 की प्रमुख बातें और शहरी सहकारी बैंकों के लिए उसके निहितार्थ

संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम 2011, 15 फरवरी 2012 से इस प्रावधान के साथ लागू हो गया है कि इस अधिनियम के लागू होने अर्थात 14 फरवरी 2013 से एक साल के अंदर राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएं।

संशोधन की प्रमुख बातें

संविधान के भाग III के अनुच्छेद 19 में ''सहकारी सोसाइटी '' शब्द को शामिल किया गया है। तदनुसार, एक सहकारी सोसाइटी बनाना किसी एशोसिएशन अथवा संघ बनाने की तरह मौलिक अधिकार का हिस्सा है। अधिनियम के अनुच्छेद 243 जेडआई में प्रावधान किया गया है कि राज्य विधि द्वारा स्वैच्छिक निर्माण, प्रजातांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य आर्थिक सहभागिता, स्वायत्त कार्य प्रणाली और पेशेवर प्रबंधन के सिद्धांत के आधार पर सहकारी सोसाइटी के निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित प्रावधान बना सकते हैं। इस अधिनियम के अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं :

- किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में निदेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 21 की अधिकतम संख्या के अलावा, इस अधिनियम में दो ऐसे निदेशकों के सहयोजन का प्रावधान किया गया है जिनको बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त में अनुभव हो अथवा वे सोसाइटी के उद्देश्यों और उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों से संबंधित अन्य किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों।
- बोर्ड के चुने गए सदस्यों और इसके पदाधिकारियों का कार्यकाल चुनाव की तारीख से पांच वर्ष होगा तथा पदाधिकारियों का कार्यकाल बोर्ड के कार्यकाल के समान होगा।
- किसी सोसाइटी के बोर्ड का अधिक्रमण नहीं किया जाएगा और उसे छह महीने तक की अवधि के लिए निलंबित नहीं रखा जाएगा। यह अवधि, बहु राज्य सहकारी सोसाइटी को छोड़कर, बैंकिंग का कारोबार करने वाली सहकारी सोसाइटी के लिए एक वर्ष की होगी। बैंकिंग कारोबार करने वाली सहकारी सोसाइटी के मामले में, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों को भी लागू किया जाएगा।
- ऐसे खातों से संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के अंदर सहकारी सोसाइटी के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षक फर्म द्वारा खातों की लेखा परीक्षा की जाएगी।
- कानून में किए गए प्रावधान के अनुसार कारोबार करने के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के अंदर वार्षिक सामान्य बैठक बुलाई जाएगी।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए निहितार्थ

संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम 2011 के प्रावधानों से सभी राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों में एकरूपता आएगी। शहरी सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में किए गए संशोधनों के कुछ निहितार्थ इस प्रकार हैं:

- *बोर्ड का अधिक्रमण* : वर्तमान में, कई राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पांच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड को निलंबित /अधिक्रमित किया जा सकता है। यह अवधि छह माह तक सीमित होगी। रिज़र्व बैंक के अनुरोध पर शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड को सहकारी सोसाइटी पंजीयक द्वारा अधिक्रमित किए जाने का प्रावधान जारी रहेगी। बहुराज्य सहकारी बैंक के बोर्ड को

(जारी...)

(...समाप्त)

पांच वर्ष की अवधि के लिए अधिक्रमित किया जा सकता है जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 36एएए के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

- *प्रोफेशनल निदेशकों का सह-योजन* : चूंकि अधिनियम में बैंकिंग, प्रबंधन और वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले दो प्रोफेशनल निदेशकों के सह-योजन का प्रावधान किया गया है, इससे शहरी सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली पेशेवर होगी। रिज़र्व बैंक ने पहले ही निर्धारित किया था कि शहरी सहकारी बैंक अपने बोर्ड में कम से कम दो पेशेवर निदेशक रखें। इस संबंध में राज्य अधिनियमों में संशोधन से भारतीय रिज़र्व बैंक के आदेश कानून के अंतर्गत लागू करने योग्य हो जाएंगे।
- *किसी लेखा परीक्षक की नियुक्ति* : अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योग्य लेखा परीक्षकों के पैनल से सहकारी सोसाइटी के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त एक योग्य लेखापरीक्षक से लेखा परीक्षण कराया जाएगा। राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, लेखा परीक्षक की नियुक्ति सहकारी सोसाइटी पंजीयक द्वारा की जाती है।
- *बोर्ड का चुनाव* : चूंकि अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि बोर्ड का चुनाव बोर्ड की अवधि समाप्त होने के पहले कराया जाएगा, शहरी सहकारी बोर्ड का चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा।
- अधिनियम से शहरी सहकारी बैंकों की गतिविधियों में सदस्यों की सहभागिता भी बढ़ेगी क्योंकि सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थित होने और सेवाओं के उपयोग करने की न्यूनतम अपेक्षा कानूनन राज्यों द्वारा तय की जाएगी।

इन संशोधनों से शहरी सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली और कार्य निष्पादन में सुधार होने की आशा है।

स्रोत : *संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम 2011, भारत सरकार।*

जिनको प्राथमिकता प्रदान की गई है। 2012-13 में कमजोर वर्ग को प्रदत्त कुल ऋण में वृद्धि हुई है जो शहरी सहकारी बैंकों के बेहतर वित्तीय समावेशन के प्रयासों को परिलक्षित करता है (चार्ट V.14)।

पश्चिमी क्षेत्र में शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कारोबार का संकेद्रण जारी रहा

5.23 शहरी सहकारी बैंकों का बैंकिंग कारोबार, जिसमें जमा और अग्रिम शामिल हैं, पश्चिमी क्षेत्र में व्यापक रूप से संकेंद्रित बना रहा। इन बैंकों के बैंकिंग कारोबार का लगभग छठवां भाग

चार्ट V.13: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा चुनिंदा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण वितरण का प्रतिशत

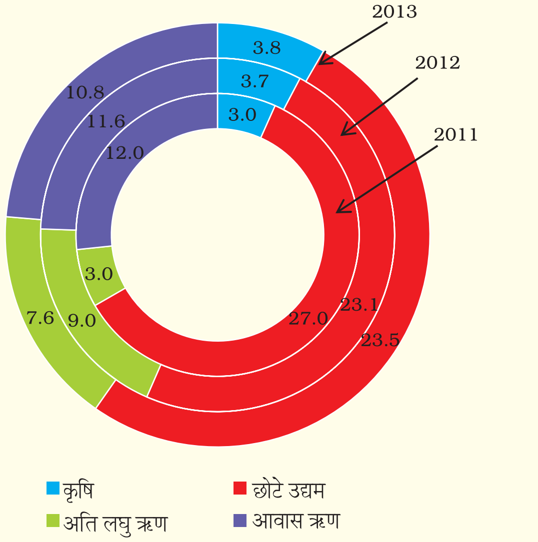

सारणी V.10: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋण की संरचना
(मार्च 2013 के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

क्षेत्र	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के कुल ऋण की संरचना		*जिसमें से,* कमजोर वर्ग को दिया गया ऋण	
	राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत	राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. कृषि ऋण	**68**	**3.8**	**23**	**1.3**
1.1 प्रत्यक्ष कृषि ऋण	25	1.4	7	0.4
1.2 अप्रत्यक्ष कृषि ऋण	43	2.4	16	0.9
2. लघु उद्यम	**425**	**23.5**	**77**	**4.2**
2.1 लघु उद्यमों को प्रत्यक्ष ऋण	368	20.3	62	3.4
2.2 लघु उद्यमों को अप्रत्यक्ष ऋण	57	3.2	15	0.8
3. अति लघु ऋण	**138**	**7.6**	**49**	**2.7**
3.1 स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह को ऋण	17	0.9	6	0.3
3.2 अन्य को दिया गया ऋण	121	6.7	43	2.4
4. अ.जा./ अ.ज.जा. के लिए राज्य प्रायोजित संगठन	**1**	**0.1**	**0.5**	-
5. शिक्षा ऋण	**17**	**0.9**	**7**	**0.4**
6. आवास ऋण	**195**	**10.8**	**68**	**3.7**
7. स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह को ऋण (रु.50,000 से अधिक)	**10**	**0.5**	**2**	**0.1**
सभी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**853**	**47.1**	**225**	**12.4**

-: नगण्य।

टिप्पणी: 1. प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों के कुल ऋणों के संदर्भ में दिया गया है।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुल योग से भिन्न हो सकता है।

चार्ट V.14 : कुल ऋण में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कमजोर वर्ग को दिए गए ऋण का वितरण

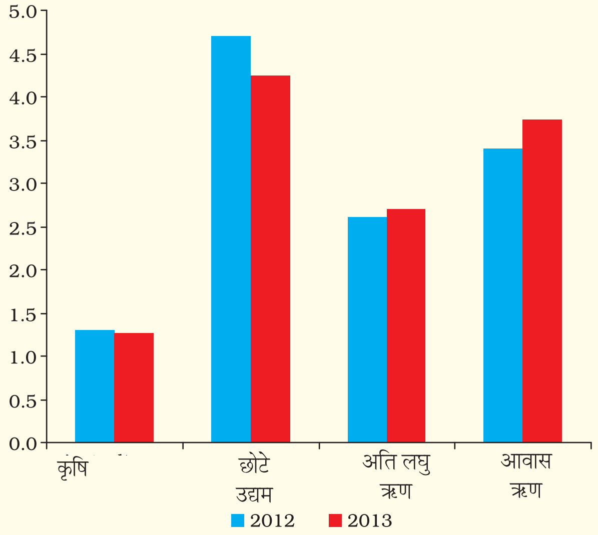

सारणी V.11: विभिन्न क्षेत्रों में शहरी सहकारी बैंकों के जिलों और बैंकिंग कारोबार का संवितरण

क्षेत्र	जिलों की कुल संख्या में हिस्से का प्रतिशत	शहरी सहकारी बैंकों के कुल बैंकिंग व्यवसाय में हिस्से का प्रतिशत
1	2	3
	कम संकेंद्रण वाले क्षेत्र	
उत्तरी क्षेत्र	18.0	3.2
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	10.8	0.4
पूर्वी क्षेत्र	18.0	1.7
मध्यवर्ती क्षेत्र	26.3	3.4
उप-जोड़	**73.1**	**8.7**
	अधिक संकेंद्रण वाले क्षेत्र	
पश्चिमी क्षेत्र	10.2	74.7
दक्षिणी क्षेत्र	16.7	16.6
उप जोड़	**26.9**	**91.3**
संपूर्ण भारत	**100.0**	**100.0**

दक्षिणी क्षेत्र में था जो बडे अंतर सहित दूसरे स्थान पर था। भारत के कुल जिलों में से 27 प्रतिशत जिलों सहित इन दो क्षेत्रों का हिस्सा शहरी सहकारी बैंकों के कुल बैंकिंग कारोबार का लगभग 91 प्रतिशत रहा (सारणी V.11 और परिशिष्ट सारणी V.3)। दूसरी तरफ, कुल जिलों में से 73 प्रतिशत जिलों वाले शेष चार क्षेत्रों का हिस्सा शहरी सहकारी बैंकों के कुल बैंकिंग कारोबार में लगभग 9 प्रतिशत था।

3. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं[3]

अल्पकालिक सहकारी संस्थाएं, ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना में आगे बनी हुई हैं

5.24 कृषि ऋण प्रदान करने में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की भूमिका अनेक कारणों से वर्षों के दौरान कमजोर हुई है जो कुल कृषि ऋण में इन संस्थाओं का हिस्सा 1992-93 में 64 प्रतिशत था जो 2011-12 में घटकर लगभग 17 प्रतिशत रह गया जिसके कारण ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं में सुधारात्मक उपाय आवश्यक हो गए हैं। ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के अंतर्गत, कृषि क्षेत्र[4] को ऋण प्रदान करने में अल्पकालिक ऋण सहकारी संस्थाओं की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मार्च 2012 के अंत में अल्पकालिक ऋण सहकारी संस्थाओं का हिस्सा, जिसमें राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल हैं, ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की कुल आस्तियों के 90 प्रतिशत से ऊपर बना रहा जबकि कुल आस्तियों का शेष 10 प्रतिशत हिस्सा दीर्घकालिक ऋण सहकारी संस्थाओं का रहा (चार्ट V.15 और सारणी V.12)[5]।

[3] ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के लिए आंकड़ों की अंतराल के बाद उपलब्धता को देखते हुए यह खंड वर्ष 2011-12 पर आधारित है।

[4] अल्पकालिक ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं में राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और गांव स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल हैं। 19 राज्यों में, एक 3 टियर वाला अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचा है जिसमें राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल हैं और 12 राज्यों में, एक 2 टियर वाला अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचा है। सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में, राज्य सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मिलाकर एक 2 टियर वाला ढांचा है।

[5] दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में राज्य स्तर पर कार्यरत राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एसीएआरडीबी) और जिला/खंड स्तर पर कार्यरत प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) शामिल हैं। असम और त्रिपुरा को छोड़कर अधिकांश उत्तर-पूर्वी राज्यों में दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का कोई अलग ढांचा नहीं है। असम और त्रिपुरा तथा बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी एक एकहरा ढांचा है, जहाँ पर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिला स्तर पर अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की कोई अलग सत्ता नहीं है। इसके विपरीत, हिमांचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में एक संघात्मक ढांचा है जिसमें राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक मिश्रित ढांचा है जहाँ पर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य कर रहे हैं।

चार्ट V.15: अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण सहकारी संस्थाओं के अनुसार ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे की संरचना

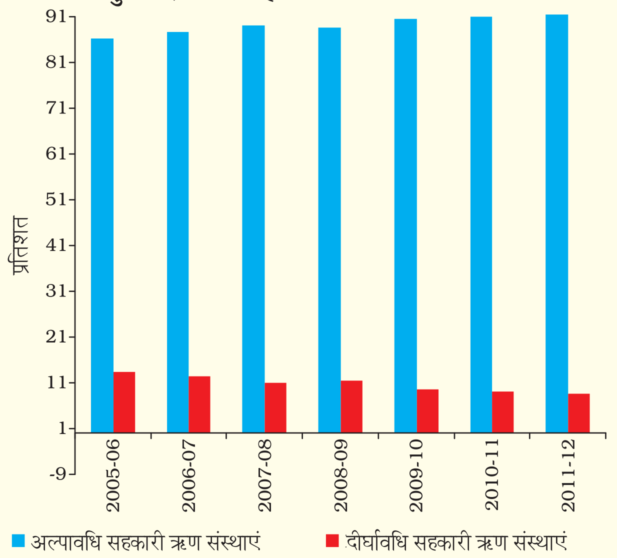

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को हुई हानि से राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की लाभप्रदता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा जिसके चलते अल्पकालिक सहकारी संस्थाओं को घाटा हुआ

5.25 समग्र स्तर पर, अल्पकालिक ऋण सहकारी समितियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में 2011-12 में पिछले तीन वर्षों की लाभप्रदता के विपरीत हानियां हुई जो मुख्य रूप से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा उठाई गई हानियों के कारण थी। जबकि 2011-12 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का निवल लाभ कम हुआ, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों अर्थात 3 टियर वाले अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के तीसरे स्तर द्वारा उठाई गयी हानियों ने अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के अन्य दो टियरों के लाभों को कम कर दिया। दीर्घकालिक ऋण सहकारी संस्थाओं के लाभ में निरंतर गिरावट दिखी (चार्ट V.16)।

सारणी V.12: ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का स्वरूप
(मार्च 2012 के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	अल्पावधि			दीर्घावधि	
	एसटीसीबी	डीसीसीबी	पीएसीएस	एससीएआरडी	पीसीएआरडी
1	2	3	4	5	6
अ. सहकारी संस्थाओं की संख्या	31	370	92,432	20	697
आ. तुलन पत्र के संकेतक					
i. स्वाधिकृत निधियां (पूंजी + आरक्षित निधियां)	145	359	160	64	48
ii. जमाराशियां	867	1768	503	11	5
iii. उधार	427	505	888	160	135
iv. ऋण और अग्रिम	756	1448	912	194	120
v. कुल देयताएं/आस्तियां	1,479	2,573	1,605+	294	262
इ. वित्तीय कार्य-निष्पादन					
i. लाभ कमाने वाली संस्थाएं					
क. संख्या	28	318	45,433	10	358
ख. लाभ की राशि	7	17	14	1	2
ii. घाटा उठाने वाली संस्थाएं					
क. संख्या	3	52	36,375	10	338
ख. लाभ की राशि	2	3	34	3	4
iii. समग्र लाभ (+) / हानि (-)	5	14	-20	-2	-2
ई. अनर्जक आस्तियां					
i. राशि	52	154	243++	64	47
ii. बकाया कर्ज के प्रतिशत के रूप में	6.8	9.7	26.8	33.1	38.6
उ. मांग की तुलना में ऋण वसूली अनुपात (प्रतिशत)	96	78	73	41.3	47.3

एसटीसीबी: राज्य सहकारी बैंक; डीसीसीबी: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; पीएसीएस: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां; एससीएआरडीबी: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
-: उपलब्ध नहीं है। +: कार्यशील पूंजी। ++: कुल बकाया राशि
टिप्पणी: 1. वर्ष 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. मणिपुर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कार्यशील नहीं हैं।
स्रोत: नाबार्ड और राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ (एनएएफएससीओबी)।

चार्ट V.16: ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की लाभप्रदता

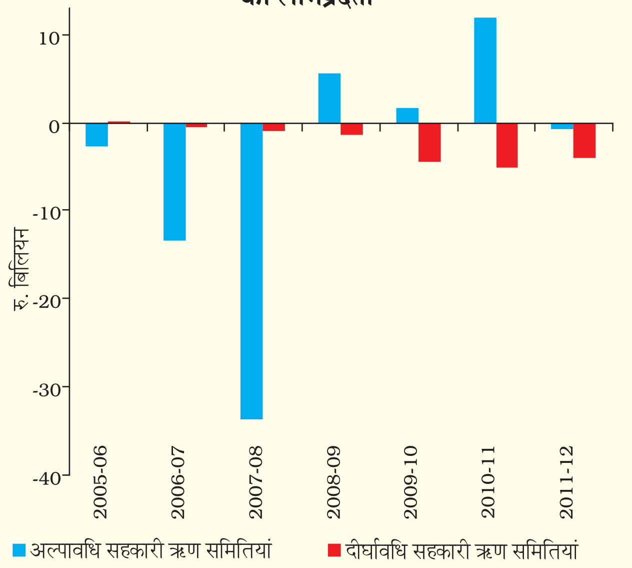

अल्पकालिक ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाएं

राज्य सहकारी बैंक

2011-12 में राज्य सहकारी बैंकों के तुलन पत्र में सुदृढ़ वृद्धि

5.26 2011-12 में राज्य सहकारी बैंकों के तुलन पत्र में सुदृढ़ वृद्धि हुई। 2011-12 में उधारों में उच्च वृद्धि से उनके तुलन पत्र के देयता पक्ष में वृद्धि हुई, जबकि आस्ति पक्ष में वृद्धि मुख्य रूप से कर्जों और अग्रिमों में वृद्धि के कारण हुई (सारणी V.13)।

2012-13 में अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के तुलन पत्र में निरंतर वृद्धि

5.27 उभरती प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए खंड 42 (2) विवरणियों में उपलब्ध अग्रिम सूचना के आधार पर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के 2012-13 के तुलन पत्रों का विश्लेषण किया गया। रुझानों से पता चलता है कि ऋण में काफी अधिक वृद्धि हुई जबकि 2012-13 में जमाराशियों में मामूली वृद्धि हुई, जो ऋण मांग को पूरा करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों के उधारों पर निर्भरता को परिलक्षित करता है (सारणी V.14)।

आय में उच्च वृद्धि के कारण 2011-12 में राज्य सहकारी बैंकों की लाभप्रदता में काफी अधिक सुधार हुआ

5.28 2011-12 में राज्य सहकारी बैंकों का निवल लाभ 2010-11 में इन संस्थाओं के द्वारा दर्ज राशि के दोगुने से अधिक था (सारणी V.15)। राज्य सहकारी बैंकों की बढ़ी हुई लाभप्रदता इस कारण थी क्योंकि आय में वृद्धि व्यय की तुलना में तेजी से हुई। आय

सारणी V.13: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं एवं आस्तियां

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत अंतर	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	21 (1.6)	26 (1.7)	26.7	23.8
2. आरक्षित निधियां	118 (8.8)	120 (8.1)	54.8	1.7
3. जमाराशियां	809 (60.6)	849 (57.2)	-0.4	4.9
4. उधार	324 (24.3)	417 (28.1)	38.3	28.6
5. अन्य देयताएं	64 (4.8)	72 (4.9)	-28.7	12.5
आस्तियां				
1. नगदी और बैंक शेष	83 (6.2)	94 (6.4)	-21.1	13.3
2. निवेश	525 (39.3)	566 (38.1)	-5.2	7.8
3. ऋण और अग्रिम	660 (49.4)	756 (51.0)	33.9	14.5
4. अन्य आस्तियां	68 (5.1)	67 (4.5)	-11.5	1.5
कुल देयताएं/ आस्तियां	**1,336** **(100.0)**	**1,483** **(100.0)**	**8.7**	**11.0**

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।
स्रोत: नाबार्ड

सारणी V.14: अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चुनिंदा तुलन-पत्र संकेतकों की प्रवृत्तियां

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4
जमाराशियां	594 (-8.9)	640 (7.8)	715 (11.6)
ऋण	587 (35.4)	694 (18.3)	853 (22.9)
एसएलआर निवेश	213 (-10.8)	209 (-1.8)	225 (7.7)
ऋण + एसएलआर निवेश	800 (19.0)	904 (12.9)	1078 (19.3)

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में हुई प्रतिशत वृद्धि को सूचित करते हैं।
2. पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत अंतिम फॉर्म ए/बी।

सारणी V.15: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	निम्नलिखित के दौरान		प्रतिशत अंतर	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	**93 (100.0)**	**102 (100.0)**	**12.8**	**9.7**
i. ब्याज से आय	88 (94.9)	97 (95.0)	12.7	10.2
ii. अन्य आय	5 (5.1)	5 (5.3)	14.4	12.4
आ. व्यय (i+ii+iii)	**91 (100.0)**	**97 (100.0)**	**13.7**	**6.8**
i. ब्याज व्यय	71 (78.2)	79 (80.9)	7.6	11.3
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	8 (8.7)	5 (5.3)	98.9	-37.5
iii. परिचालन व्यय	12 (13.2)	13 (13.8)	19.7	8.3
जिनमें से, मजदूरी बिल	7 (8.2)	8 (7.9)	27.3	2.9
इ. लाभ				
i. परिचालन लाभ	10	10	54.9	4.8
ii. निवल लाभ	2	5	-16.5	155.9

टिप्पणियां : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय का प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.16: राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घट-बढ़	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
अ. कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	56	52	29.3	-7.1
i. अवमानक	17 (30.8)	15 (28.4)	30.1	-11.8
ii. संदिग्ध	26 (45.3)	23 (45.3)	15.0	-11.5
iii. हानि	13 (23.9)	14 (26.3)	67.5	1.1
आ. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्ति अनुपात (%)	**8.6**	**6.8**	-	-
इ. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)	**91.8**	**93.9**	-	-

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

में वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज आय से हुई है। व्यय पक्ष में, इसमें वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज व्यय के कारण हुई।

2011-12 में राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार

5.29 2011-12 में राज्य सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों की राशि में कमी आई। ऐसा मुख्य रूप से उप मानक आस्तियों और संदिग्ध आस्तियों में कमी के कारण था (सारणी V.16)। प्रत्याशित वसूली के अनुपात के रूप में कर्ज वसूली की राशि को मापने वाले माँग - वसूली अनुपात में, 2011-12 में लगभग 94 प्रतिशत का सुधार हुआ जिसके फलस्वरूप अनर्जक आस्ति अनुपात कम रहा।

राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता में दृष्टिगोचर सुधार दिखा

5.30 हाल के वर्षों में राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता में काफी अधिक सुधार हुआ है। 2008 और 2012 के बीच राज्य सहकारी बैंकों के एनपीए अनुपात में निरंतर गिरावट दिखी जबकि इसी अवधि के दौरान वसूली अनुपात में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई (चार्ट V.17)।

राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में अधिकांश क्षेत्रों में सुधार हुआ

5.31 एनपीए और वसूली अनुपात के संदर्भ में राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में अधिकांश क्षेत्रों में सुधार हुआ जो कि

चार्ट V.17: राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के संकेतक

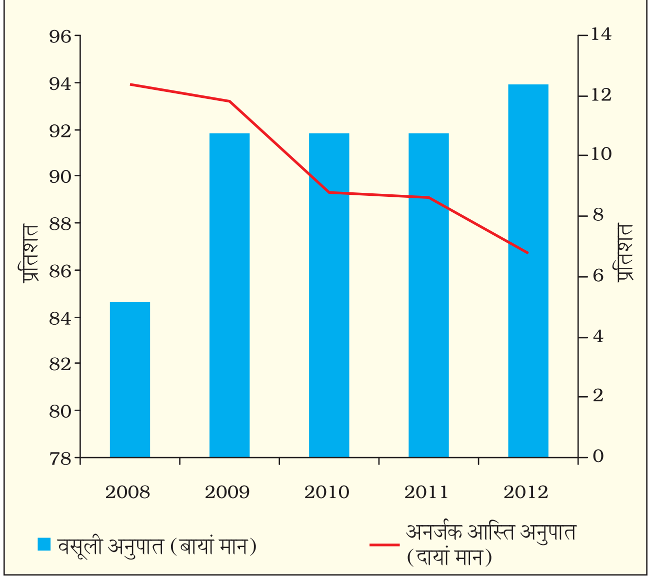

चार्ट V.18 : राज्य सहकारी बैंकों की क्षेत्रवार वित्तीय स्थिति

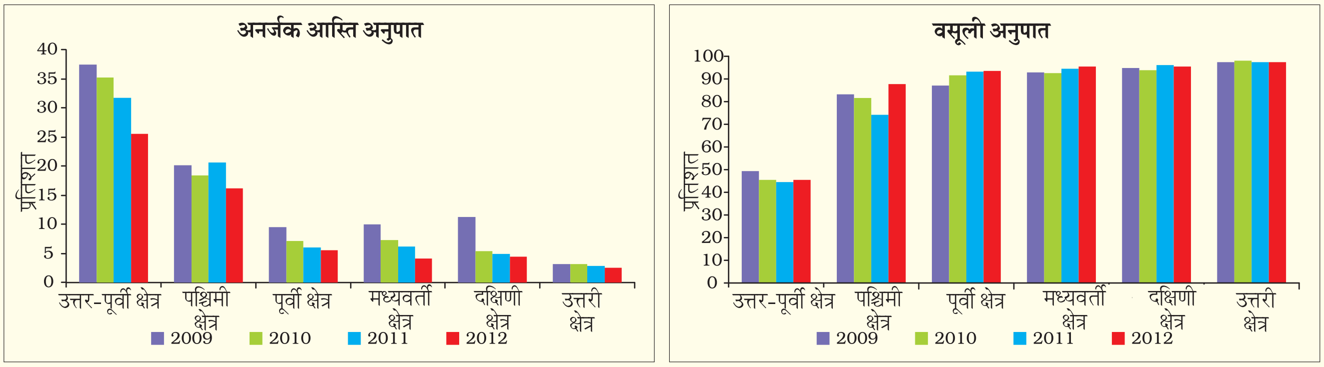

स्रोत : नाबार्ड

विवेकसम्मत मानदंडों और विनियमन की मजबूती को दर्शाता है (चार्ट V.18 और परिशिष्ट सारणी V.4)। जहां एनपीए अनुपात में सभी क्षेत्रों में गिरावट हुई वहीं वसूली अनुपात में अन्य क्षेत्रों के विपरीत दक्षिणी क्षेत्र में कुछ गिरावट हुई।

5.32 सुस्थापित सहकारी ऋण प्रणाली वाले पश्चिमी क्षेत्र में वसूली अनुपात में काफी सुधार हुआ किंतु 2012 में इस क्षेत्र का एनपीए अनुपात 16 प्रतिशत से अधिक के साथ काफी अधिक रहा। दूसरी ओर, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत थी जिसमें वर्ष के दौरान उनका एनपीए 5 प्रतिशत से कम था और वसूली अनुपात 95 प्रतिशत से अधिक था।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के तुलनपत्र में 2010-11 की तुलना में 2011-12 में स्थायी वृद्धि हुई

5.33 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के तुलनपत्र में 2011-12 में लगभग स्थिर वृद्धि हुई जो पूर्ववर्ती वर्ष जैसी ही थी (सारणी V.17)।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लाभ में 2011-12 में सुधार

5.34 निवल लाभ के संदर्भ में 2010-11 की तुलना में 2011-12 में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का कार्य-निष्पादन बेहतर रहा। इस सुधार को राज्य सहकारी बैंकों के मामले में देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप ब्याज आय में हुई वृद्धि से सहायता मिली । कुल आय में ब्याज आय का हिस्सा लगभग 94 प्रतिशत था। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के स्टाफ और अन्य मदों का परिचालन व्यय

सारणी V.17: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	80 (3.1)	90 (3.1)	9.0	12.5
2. आरक्षित निधियां	251 (9.7)	269 (9.2)	74.2	7.2
3. जमाराशियां	1,680 (65.2)	1,842 (62.7)	9.9	9.6
4. उधार	425 (16.5)	508 (17.3)	48.3	19.5
5. अन्य देयताएं	143 (5.5)	229 (7.8)	-35.7	60.4
आस्तियां				
1. नगदी एवं बैंक शेष	188 (7.3)	200 (6.8)	22.4	6.4
2. निवेश	861 (33.4)	932 (31.7)	9.2	8.2
3. ऋण और अग्रिम	1,318 (51.1)	1,579 (53.8)	19.1	19.8
4. अन्य आस्तियां	211 (8.2)	226 (7.7)	2.8	7.0
कुल देयताएं/आस्तियां	**2,578** **(100.0)**	**2,937** **(100.0)**	**14.4**	**13.9**

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आस्तियों/देयताओं का प्रतिशत हैं।
2. 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं।
3. कुल संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.18: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि रु. बिलियन में)

मद	के दौरान 2010-11	के दौरान 2011-12	प्रतिशत घट-बढ़ 2010-11	प्रतिशत घट-बढ़ 2011-12
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**191**	**230**	**7.7**	**20.3**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज से आय	179	216	12.1	21.0
	(93.6)	(94.2)		
ii. अन्य आय	12	13	-31.7	8.3
	(6.4)	(5.8)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**181**	**216**	**9.2**	**19.3**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. खर्च किया गया ब्याज	113	136	9.1	20.3
	(62.3)	(62.9)		
ii. प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	21	24	-5.7	14.2
	(11.6)	(11.1)		
iii. परिचालन व्यय	47	56	17.7	19.1
	(26.1)	(26.0)		
जिसमें से, वेतन बिल	31	33	19.3	6.4
	(17.3)	(15.4)		
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	31	38	8.5	23.3
ii. निवल लाभ	10	14	-14.0	42.7

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/ व्यय का प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में अधिक बना रहा जिसका कारण बैंकों का व्यापक नेटवर्क था (सारणी V.18)।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार

5.35 2011-12 में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ जिसमें उनके एनपीए अनुपात में गिरावट हुई (सारणी V.19)। यह सामान्यत:राज्य सहकारी बैंकों के मामले में देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप थी (सारणी V.19 और सारणी V.16)। किंतु जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का वसूली अनुपात 2011-12 में हुए कुछ सुधार के बावजूद राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में काफी कम था जो जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामले में अपेक्षित और वास्तविक सुधार के बीच के व्यापक अंतर को दर्शाता है।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतकों में सुधार

5.36 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतकों में हाल के वर्षों में निरंतर सुधार दिखा है जो इन संस्थाओं के लिए लागू

सारणी V.19: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि रु. बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में 2011	मार्च के अंत में 2012	प्रतिशत घट-बढ़ 2010-11	प्रतिशत घट-बढ़ 2011-12
1	2	3	4	5
अ. कुल अनर्जक आस्तियां (i+ ii + iii)	**148**	**154**	**-9.5**	**4.0**
i) अवमानक	59	60	-19.1	1.7
	(39.9)	(39.0)		
ii) संदिग्ध	62	68	-3.5	9.7
	(41.9)	(44.2)		
iii) हानि	27	26	2.1	-3.7
	(18.2)	(16.8)		
ब. ऋण-अनर्जक आस्ति अनुपात (%)	**11.2**	**9.7**	-	-
स. मांग-वसूली अनुपात (%)	**79.1**	**81.9**	-	-

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं।
3. कुल संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

किए गए सुदृढ़ विवेकसम्मत मानदंडों और विनियमनों को दर्शाता है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वसूली अनुपात में कुछ वृद्धि हुई जबकि एनपीए अनुपात में गिरावट दर्ज हुई (चार्ट V.19)।

चार्ट V.19 : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ता के संकेतक

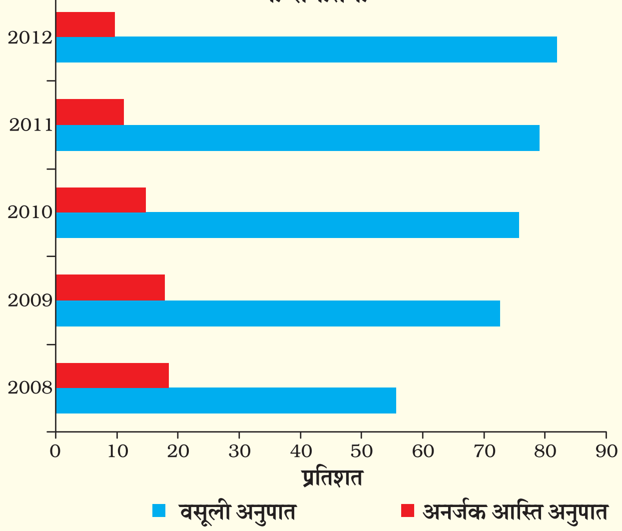

स्रोत : नाबार्ड

चार्ट V.20 : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की क्षेत्रवार वित्तीय स्थिति

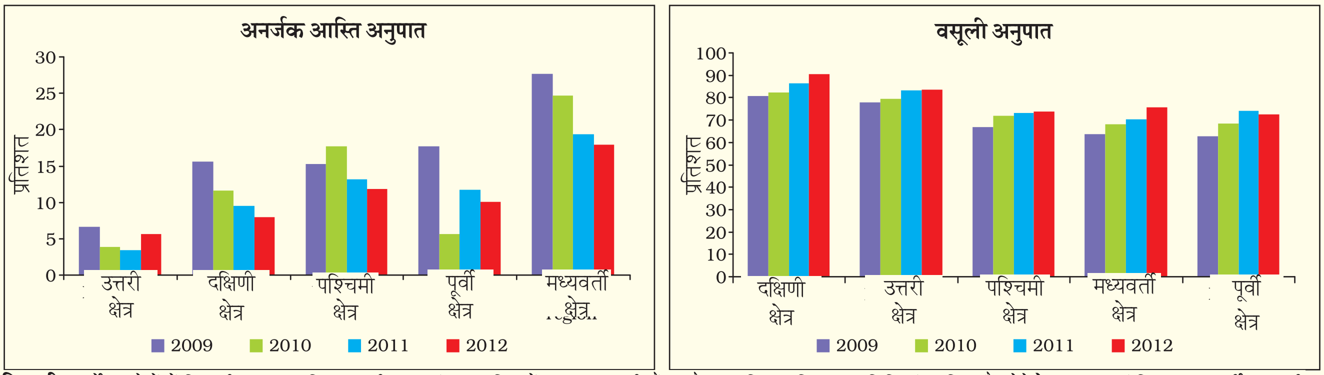

टिप्पणी: पूर्वोत्तर क्षेत्रों में द्विस्तरीय अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना, जिसमें राज्य सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल हैं, होने के कारण वहां जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मौजूद नहीं हैं। अतः इन्हें चार्ट में प्रदर्शित नहीं किया गया है।

स्रोत: नाबार्ड।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में कुछ सुधार हुआ किंतु राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में वसूली कम रही

5.37 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में समग्र स्तर पर सुधार हुआ। क्षेत्रवार कार्य-निष्पादन से पता चलता है कि दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक वित्तीय रूप से मजबूत थे क्योंकि उनका एनपीए कम था और वसूली अनुपात अधिक था (चार्ट V.20 और परिशिष्ट सारणी V.5)। केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति तुलनात्मक रूप से कम सुदृढ़ दिखी। किंतु वर्षों के दौरान इन दोनों संकेतकों के संदर्भ में क्षेत्रवार अंतर काफी कम हो गया है जो एक संस्था के रूप में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की स्थिति में सुधार को दर्शाता है।

V.38 एनपीए अनुपात में गिरावट और वसूली अनुपात में वृद्धि के बावजूद यह समझने की जरूरत है कि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में सामान्यतः काफी कमजोर बने रहे (चार्ट V.21)। सहकारी संस्थाओं की स्थिति के प्रमुख संकेतक अर्थात एनपीए अनुपात राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामले में निरंतर उच्च बने रहे। इसके अलावा, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वसूली अनुपात राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में काफी कम बना रहा।

चार्ट V.21: राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता की तुलना

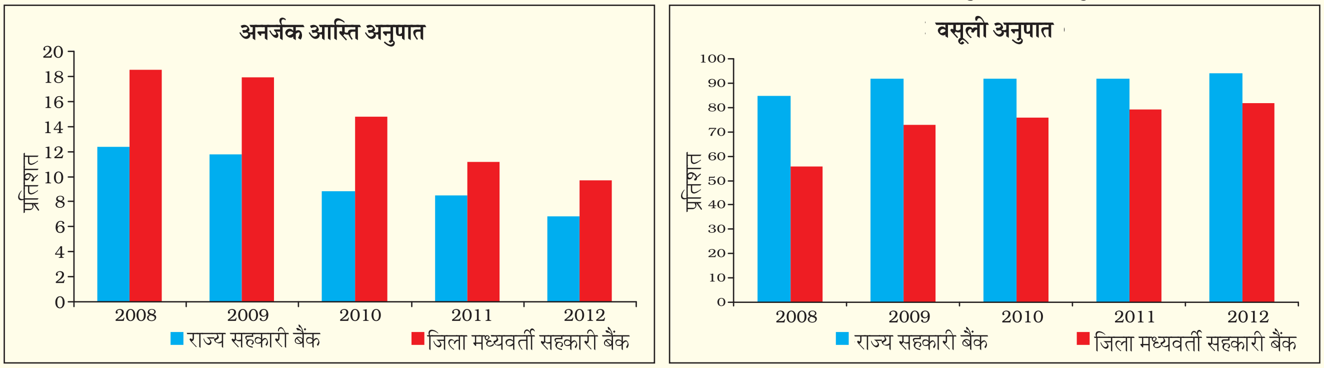

स्रोत: नाबार्ड।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) की ऋण वृद्धि में 2011-12 में तेज गिरावट हुई

5.39 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की ऋण वृद्धि में 2010-11 की तुलना में 2011-12 में तेज गिरावट हुई (चार्ट V.22 और V.20 सारणी)।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का सदस्य-उधारकर्ता अनुपात कम रहा

5.40 सदस्य-उधारकर्ता अनुपात प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से ऋण प्राप्ति तक पहुंच का उपयोगी संकेतक है। 2008-09 से 2011-12 के दौरान यह औसत अनुपात लगभग 40 प्रतिशत रहा जो यह दर्शाता है कि आधी से भी कम प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्यों ने ही इन संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया। छोटे किसानों से संबंधित सदस्य-उधारकर्ता अनुपात समग्र सदस्य-उधारकर्ता अनुपात के काफी आस-पास रहा है। तथापि इस अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के बीच औसत अनुपात 28 प्रतिशत पर था जो काफी कम था (चार्ट V.23)।

सारणी V.20: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां - चयनित तुलन-पत्र संकेतक

(राशि रु. बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में 2011	मार्च के अंत में 2012	प्रतिशत घट-बढ़ 2011-12
1	2	3	4
क. देयताएं			
1. कुल संसाधन (2+3+4)	1,057	1,551	46.7
2. स्वाधिकृत निधियां (क+ख)	145	160	10.3
क. प्रदत्त पूंजी	76	83	9.2
जिसमें से, सरकार का अंशदान	6	7	16.7
ख. कुल आरक्षित निधियां	69	77	11.8
3. जमाराशि	372	503	35.2
4. उधार	540	888	64.5
5. कार्यशील पूंजी	1,442	1,605	11.3
ख. आस्तियां			
1. कुल बकाया ऋण (क+ख)	878	912	3.9
अ) अल्पावधि	636	594	-6.6
आ) मध्यावधि	241	318	31.8

टिप्पणी: कुल संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर आ सकता है।
स्रोत: एनएएफएससीओबी।

चार्ट V.22 : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के बकाया ऋण में वृद्धि

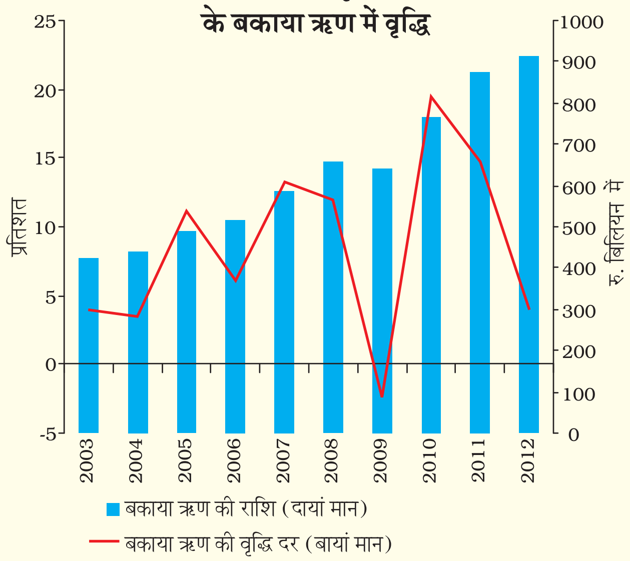

स्रोत : एनएएफएससीओबी

हानि में चल रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या काफी बनी रही

5.41 हाल के वर्षों में हानि में चल रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के प्रतिशत में कमी आने के बावजूद यह प्रतिशत अधिक बना रहा। हानि में चल रही इन समितियों के प्रतिशत में कमी आने

चार्ट V.23 : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का सदस्य-उधारकर्ता अनुपात

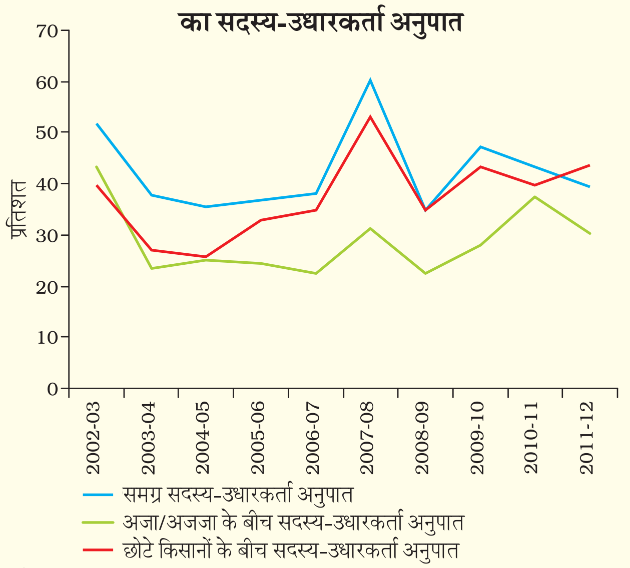

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

चार्ट V.24: लाभ तथा हानि में रहने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का प्रतिशत

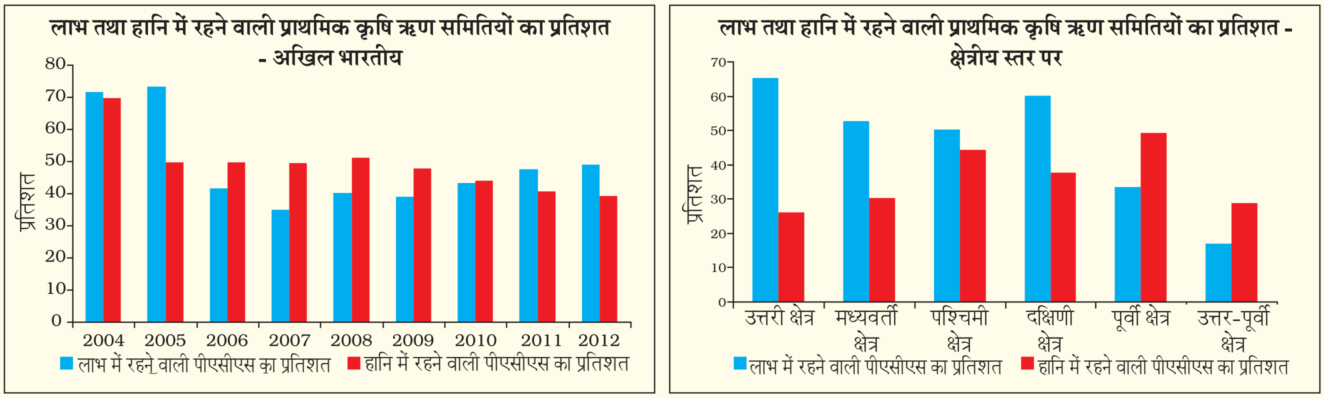

की गति लाभ में चल रही इन समितियों के प्रतिशत में वृद्धि से कम रही। मार्च 2012 के अंत में हानि में चल रही इन समितियों का प्रतिशत इनकी कुल संख्या का लगभग 39.4 था जबकि लाभ प्राप्त करने वाली समितियों का प्रतिशत 49.2 था (चार्ट V.24)[6]।

5.42 रिज़र्व बैंक ने कृषि ऋण देने में अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की भूमिका की पुन: जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने विभिन्न जोखिमधारकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए अनेक सिफारिशें की हैं (बॉक्स V.2)।

बॉक्स V.2 :
त्रि-स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की जांच संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

अन्य बातों के साथ-साथ, कम पूंजीकरण भी एक ऐसी समस्या है जो कि त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण संस्थाओं को प्रभावित कर रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण पर वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया गया था। पूंजी की आपूर्ति के बाद भी 19 जुलाई 2013 को चार राज्यों में 23 बिना लाइसेंस वाले बैंक लाइसेंस के मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ थे क्योंकि इन संस्थाओं को लाइसेंस जारी करना इस बात पर निर्भर था कि वे 4 प्रतिशत का न्यूनतम जोखिम-भारित पूंजी अनुपात प्राप्त कर लें। इस पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक ने त्रि-स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ.प्रकाश बक्शी) का गठन किया जिसे यह दायित्व सौंपा गया कि वह : (i) अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) की कृषि ऋण में महत्त्वपूर्ण भूमिका की दृष्टि से उनके कार्य की पुन: जांच करे; (ii) उन मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों की पहचान करे जो दीर्घावधि में सक्षम नहीं रह पाएंगे, भले ही उन्होंने शिथिल किए हुए लाइसेंस मानदंड पूरे कर लिए हों; (iii) समामेलन, विलय, अधिग्रहण, परिसमापन और स्तरों को कम करके सुदृढ़ीकरण के लिए उपयुक्त प्रणाली का सुझाएं; और (iv) सहकारी बैंकों और विभिन्न जोखिम धारकों द्वारा लिए जाने वाले सक्रिय उपाय सुझाए। इस समिति ने रिज़र्व बैंक को अपनी रिपोर्ट जनवरी 2013 में सौंपी।

समिति द्वारा पाई गई प्रमुख बातें और सिफारिशें निम्नवत हैं:

पाई गई बातें

- कृषि ऋण उपलब्ध कराने में अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना का हिस्सा समग्र स्तर पर कम होकर 17 प्रतिशत रह गया।
- अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के गठन का प्राथमिक उद्देश्य यह था कि वे कृषि ऋण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें अपने परिचालन क्षेत्र में कृषि ऋण आवश्यकता का कम-से-कम 15 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध कराना चाहिए और और इसे क्रमश: 30 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा दिया गया लगभग 40 प्रतिशत कर्ज और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा दिया गया लगभग आधा कर्ज कृषि से भिन्न उद्देश्यों के लिए होता है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और मध्यवर्ती सहकारी बैंक वह कार्य नहीं कर पा रहे हैं जिस कार्य के लिए उनका गठन किया गया था।
- 370 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से लगभग 209 को 2016-17 तक 9 प्रतिशत सीआरएआर पूरा करने के लिए चार वर्षों में कुल 65 बिलियन रुपए की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी।
- राज्य सहकारी बैंकों में रखी जमाराशि में से लगभग दो तिहाई भाग मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की जमाराशि है जो एसएलआर और सीआरआर अपेक्षा पूरी करने के लिए रखी गई है। किंतु राज्य

(जारी...)

[6] जहाँ तक शेष प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की बात है, उन्होंने न तो समतुल्य स्थिति या न ही लाभ और न ही हानि की सूचना दी अथवा उनकी वित्तीय स्थिति की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(...समाप्त)

सहकारी बैंकों ने इन्हीं मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को बहुत बड़ी मात्रा में उधार दिए हैं और ऐसे उधार में निवेश किया था जो कि सामान्यत: उच्च एनपीए में परिवर्तित हो गया और इस प्रकार मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा रखी गई एसएलआर और सीआरआर जमाराशियां जोखिम में आ गईं।

सिफारिशें

- मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा कम-से-कम 70 प्रतिशत उधार कृषि के लिए दिया जाना चाहिए। यदि कोई मध्यवर्ती सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक निरंतर सही कार्य-निष्पादन नहीं करता या उसके परिचालन क्षेत्र में उसका कृषि ऋण 15 प्रतिशत से कम रहता है तो उसे शहरी सहकारी बैंक घोषित किया जाना चाहिए और उसके साथ शहरी सहकारी बैंकों जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और छोटे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों, जहां कृषि ऋण कम महत्वपूर्ण होता है और वे शहरी जनसंख्या की जरूरतें पूरी करते हैं, उन्हें शहरी सहकारी बैंक घोषित किया जाना चाहिए ।
- प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्यों की जमाराशियां डीआईसीजीसी द्वारा कवर नहीं होतीं और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ऐसे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), जारी करने की स्थिति में नहीं होती हैं, जो लेनदेन योग्य होते हैं / एटीएम और पीओएस उपकरणों पर कार्य करते हैं क्योंकि वे बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं। अत: मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बिजनेस कॉरेसपांडेंट के रूप में उपयोग करते हुए इन सेवाओं को सीधे ही उपलब्ध कराना चाहिए। अत: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सभी जमाकर्ता और उधारकर्ता मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सामान्य शेयरधारक सदस्य बन जाएंगे जिन्हें सभी सक्रिय सदस्यों जैसा मताधिकार भी हागा।
- जमाराशि संग्रहण और ऋण संवितरण के उद्देश्य से सक्रिय सदस्यों की परिभाषा के संबंध में प्रत्येक राज्य में राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, नियमावली और उप-नियमों में संशोधन आवश्यक होगा।
- रिज़र्व बैंक को मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को इस बात की अनुमति देनी चाहिए कि वे अपने सदस्यों के लिए 10 वर्ष और अधिक की बंधित अवधि के नियत ब्याज वाली जमाराशियां जारी कर सकें और ऐसी जमाराशियों को टियर-I पूंजी माना जाए। मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को स्थायी बांड या कर्ज लिखत, जिनका अंशदान राज्यों, एकल व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाएगा, जारी करने की अनुमति मिलनी चाहिए और इन्हें टियर-I पूंजी माना जाएगा।
- रिज़र्व बैंक टियर-II पूंजी को पांच वर्ष की अवधि के लिए टियर-I पूंजी निधि के 150 प्रतिशत तक को टियर-I पूंजी मानने की अनुमति दे सकता है।
- राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सीबीएस और अन्य आईसीटी प्लेटफार्म में अंतरण के परिणामस्वरूप मानव संसाधन आवश्यकता का आकलन किए जाने की आवश्यकता है।
- रिज़र्व बैंक किसी भी मध्यवर्ती सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस संशोधित कर सकता है ताकि अतिरिक्त परिचालन क्षेत्र शामिल किया जा सके जिससे कोई प्राथमिक कृषि ऋण समिति किसी मध्यवर्ती सहकारी बैंक के बिजनेस कॉरेसपांडेंट के रूप में कार्य कर सके।
- बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है ताकि बोर्ड को अधिक्रमित करने या राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड से किसी भी निदेशक को हटाने के लिए रिज़र्व बैंक को किसी अन्य विधि के ऊपर सीधे और अधिप्रभावी अधिकार मिल सकें।
- सभी राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सीबीएस पर पूरी तरह से परिचालित होने और आरटीजीएस, एनईएफटी, एटीएम और पीओएस उपकरण आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 30 सितंबर 2013 को अंतिम समय सीमा बनाया जाए।
- राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को वित्तीय समावेशन और ईबीटी अभियान में पूर्णत: शामिल किया जाए। सरकारों और सरकारी संस्थाओं की जमाराशियां उन राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में रखी जाएं जिन्होंने 7 प्रतिशत सीआरएआर पूरा कर लिया है और जो सीबीएस आधारित हैं।
- राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को बैंकिंग लोकपाल या रिज़र्व बैंक द्वारा नाबार्ड के साथ विकसित किसी ऐसी ही किसी प्रणाली से कवर किया जाना चाहिए।

एक कार्यान्वयन समिति बनाई गई (अध्यक्ष: श्री वी.रामकृष्ण राव, कार्यपालक निदेशक, नाबार्ड) जिसमें नाबार्ड और रिज़र्व बैंक से सदस्य लिए गए ताकि जहां लागू हो वहां इन सिफारिशों को तेजी से लागू किया जा सके।

ये सिफारिशें लागू होने पर ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की मजबूती बढ़ने की संभावना है।

संदर्भ: नाबार्ड (2013), *3 टियर अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की जांच करने संबंधी समिति की रिपोर्ट*, जनवरी।

हानि में चल रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अधिक संकेंद्रण

5.43 हानि में चल रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का प्रतिशत उत्तर-पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में अधिक था। पश्चिमी क्षेत्र में, जहां इनकी संख्या काफी है, लाभ में चल रही इन समितियों का प्रतिशत हानि में चल रही ऐसी समितियों से कुछ अधिक था। उत्तरी, दक्षिणी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में लाभ में चल रही इन समितियों का प्रतिशत हानि में चल रही ऐसी समितियों से बहुत अधिक था (चार्ट V.24 और परिशिष्ट सारणी V.6)।

दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तुलनपत्र में 2011-12 में मंद वृद्धि

5.44 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तुलनपत्र की वृद्धि में मुख्य रूप से उधार में कम बढ़ोतरी के कारण 2011-12 में गिरावट हुई जो इन संस्थाओं की कुल देयताओं की लगभग 54 प्रतिशत थी। आस्ति पक्ष में, वृद्धि का प्रमुख प्रेरक ऋण था जो इन संस्थाओं की कुल आस्तियों का लगभग 66 प्रतिशत था (सारणी V.21)। अल्पकालिक और दीर्घकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं में से शीर्ष स्तरीय संस्थाओं के तुलनपत्रों की तुलना से पता चलता है कि हाल के वर्षों में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की पूंजी स्थिति राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में काफी कमजोर रही है। खराब होती आस्ति और ऋण की स्थिति राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की एक विशेषता रही है।

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को 2010-11 की तरह 2011-12 में भी हानियां हुईं

5.45 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को 2010-11 की तरह ही 2011-12 में भी हानियां हुईं। इनकी हानि का कारण ब्याज आय में गिरावट और प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय और परिचालन व्यय में तीव्र वृद्धि के कारण उनके कुल व्यय में हुई बढ़ोतरी रही (सारणी V.22)।

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की आस्ति गुणवत्ता में और अधिक कमी हुई

5.46 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की आस्ति गुणवत्ता में और अधिक कमी हुई जिसमें अनर्जक आस्ति अनुपात

सारणी V.21: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि रु. बिलियन में)

मद	मार्च के अंत मे		प्रतिशत घट-बढ़	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूँजी	19 (6.6)	19 (6.4)	129.2	0.0
2. आरक्षित निधियां	39 (13.8)	45 (15.2)	14.4	15.4
3. जमाराशि	10 (3.4)	11 (3.6)	26.4	10.0
4. उधार	158 (55.6)	160 (54.2)	1.6	1.3
5. अन्य देयताएं	59 (20.6)	61 (20.6)	17.9	3.4
आस्तियाँ				
1. नगदी और बैंक शेष	2 (0.8)	2 (0.6)	13.4	0.0
2. निवेश	27 (9.4)	23 (7.7)	-14.5	-14.8
3. ऋण और अग्रिम	185 (64.9)	194 (65.8)	8.6	4.9
4. अन्य आस्तियाँ	71 (24.9)	76 (25.9)	35.7	7.0
कुल देयताएं/आस्तियां	**285 (100.0)**	**294 (100.0)**	**11.3**	**3.2**

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल आस्तिओं/देयताओं के प्रतिशत हैं।
2. मणिपुर में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सक्रिय नहीं हैं।
3. कुल संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.22: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि रु. बिलियन में)

मद	के दौरान		प्रतिशत घट-बढ़	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
क आय (i+ii)	**21 (100)**	**22 (100)**	**4.2**	**4.8**
i. ब्याज आय	20 (94.0)	20 (93.7)	13.7	-0.2
ii. अन्य आय	1.3 (6.0)	1.4 (6.3)	-54.6	7.7
ख व्यय (i+ii+iii)	**21 (100)**	**24 (100)**	**1.1**	**14.3**
i. ब्याज पर हुआ खर्च	13 (62.8)	14 (58.3)	1.8	7.7
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	5 (21.7)	6 (24.2)	-4	20.0
iii. परिचालन व्यय	3 (15.5)	4 (17.2)	5.8	33.3
जिसमें से वेतन व्यय	3 (74.6)	3 (71.4)	7.0	16.0
ग लाभ				
i. परिचालन लाभ	5	4	10.9	-20.0
ii. निवल लाभ/हानि	-0.0	-2.0	-	-

टिप्पणियां : 1. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल आय/व्यय के प्रतिशत हैं।
2. 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं।
3. मणिपुर में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सक्रिय नहीं हैं।
4. कुल संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.23 : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि रु. बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
क. कुल अनर्जक आस्तियाँ (i+ii+iii)	**60**	**64**	**5.6**	**6.7**
i. अवमानक	29	30	3.1	3.4
	(48.9)	(46.4)		
ii. संदिग्ध	30	34	11.1	13.3
	(50.8)	(53.3)		
iii. हानि	0.2	0.2	-81.6	8.3
	(0.3)	(0.3)		
ख. ऋण-अनर्जक आस्ति अनुपात (%)	**32.3**	**33.1**	-	-
ग. मांग-वसूली अनुपात (%)	**40.2**	**41.3**	-	-

टिप्पणियां : 1. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तिओं के प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड

33 प्रतिशत से अधिक बना रहा (सारणी V.23)। इनका अनर्जक आस्ति अनुपात सहकारी बैंकों और वाणिज्यक बैंकों की तुलना में काफी अधिक बना रहा जो दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी संस्था खंड संबंधी समस्या के विस्तार को दर्शाता है (चार्ट V.25)।

चार्ट V.25 : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की अनर्जक आस्ति अनुपात की अन्य सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों से तुलना

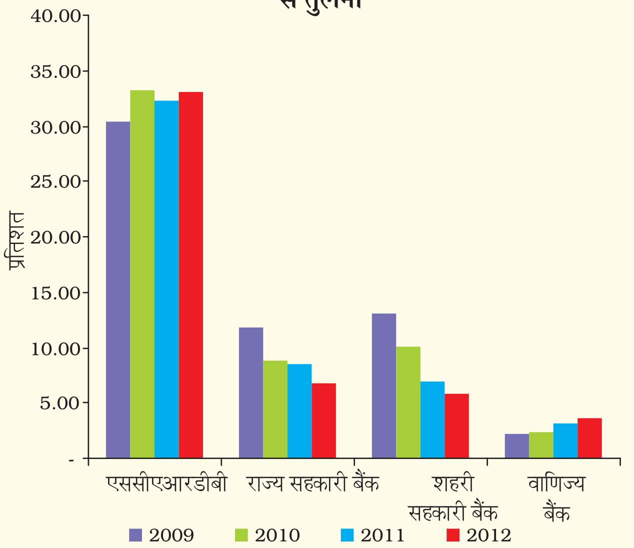

पश्चिमी क्षेत्र के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का एनपीए अनुपात सर्वाधिक था

5.47 राज्य सहकारी बैंकों की तरह पश्चिमी क्षेत्र के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की वित्तीय स्थिति सबसे कमजोर थी जिसमें उनकी आस्तियों का तीन-चौथाई अनर्जक स्वरूप का था। पश्चिमी क्षेत्र के कुछ ही पीछे उत्तर-पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्र थे। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अनुपात उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में न्यूनतम था (चार्ट V.26 और परिशिष्ट सारणी V.7)। पहले उल्लेख किए अनुसार, इन दो क्षेत्रों के राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति अन्य क्षेत्रों के राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में बेहतर थी।

प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के तुलनपत्रों में 2011-12 में मामूली वृद्धि हुई

5.48 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के तुलनपत्रों में 2011-12 में मामूली वृद्धि हुई। आस्तियों की वृद्धि में "अन्य आस्तियां" प्रमुख थीं जबकि देयताओं में "अन्य देयताएं " प्रमुख थीं जिससे इन संस्थाओं की निधियों के वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भरता का पता चलता है (सारणी V.24)।

चार्ट V.26 : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की की क्षेत्र-वार वित्तीय स्थिति

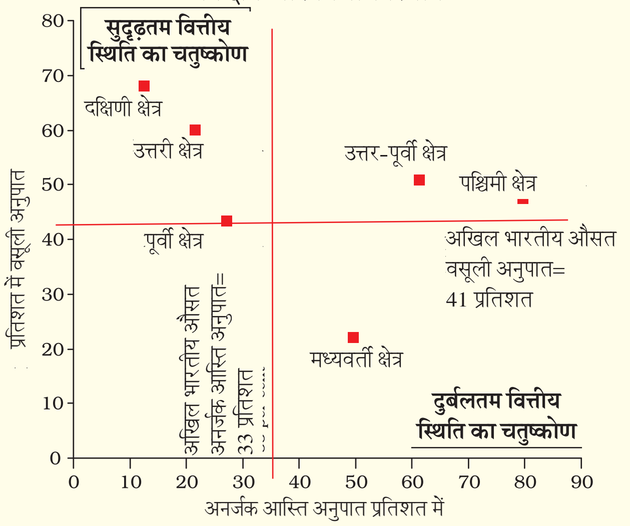

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.24 : प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियाँ

(राशि रु. बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूँजी	14 (5.4)	14 (5.3)	-9.9	0.0
2. आरक्षित निधियां	34 (13.3)	35 (13.2)	-1.9	2.9
3. जमाराशि	5 (1.9)	5 (1.9)	0.05	2.5
4. उधार राशि	134 (52.2)	135 (51.5)	4.1	0.7
5. अन्य देयताएं	69 (27.1)	74 (28.1)	0.02	7.2
आस्तियाँ				
1. नगदी और बैंक शेष	3 (1.2)	3 (1.2)	16.8	-2.0
2. निवेश	14 (5.6)	15 (5.6)	22.4	7.1
3. ऋण और अग्रिम	120 (47.0)	121 (46.2)	4.5	0.8
4. अन्य आस्तियाँ	118 (46.2)	123 (47.0)	-2.5	4.2
कुल देयताएं/आस्तियाँ	**256 (100.0)**	**262 (100.0)**	**2.1**	**2.3**

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल आस्तिओं/देयताओं के प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घट-बढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

अधिकतर प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को 2011-12 में हानियां हुईं

5.49 समग्र स्तर पर, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को 2011-12 में हानियां हुई (सारणी V.25)। लगभग 50% बैंकों को वर्ष के दौरान हानियां हुई। इसके अतिरिक्त, परेशान करने वाली एक बात यह है कि इन बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार का कोई संकेत नहीं दिख रहा है (चार्ट V.27 और परिशिष्ट सारणी V.8)।

वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों के संदर्भ में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की तुलना में प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कमजोर हैं

5.50 दीर्घकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं, विशेष रूप से प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की स्थिति कमजोर

सारणी V.25: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि रु. बिलियन में)

मद	के दौरान		प्रतिशत घट-बढ़	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
क आय (i+ii)	**21 (100.0)**	**21 (100.0)**	**16.5**	**0.0**
i. ब्याज आय	16 (74.0)	16 (74.0)	22.8	-0.1
ii. अन्य आय	6 (26.1)	6 (26.0)	3.0	-0.5
ख व्यय (i+ii+iii)	**24 (100.0)**	**23 (100.0)**	**4.7**	**-4.2**
i. ब्याज पर हुआ खर्च	13 (56.2)	13 (57.3)	15.6	1.3
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	6 (24.3)	5 (22.4)	-4.5	16.7
iii. परिचालन व्यय और आकस्मिकता	5 (19.5)	5 (20.2)	-9.3	2.8
जिसमें से वेतन व्यय	3 (67.6)	3 (69.2)	8.6	0
ग लाभ				
i. परिचालन लाभ	4	3	-91.1	-9.5
ii. निवल लाभ	-2	-2	-1.9	-6.5

टिप्पणी: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल आय/व्यय के प्रतिशत हैं।

स्रोत: नाबार्ड।

है। 2011-12 में इनका अनर्जक आस्ति अनुपात काफी अधिक था और वसूली अनुपात सापेक्षिक रूप से कम (सारणी V.26 और चार्ट V.28, सारणी V.23 के साथ पठित)।

चार्ट V.27 : पीसीएआरडीबी के लाभप्रदता संकेतक

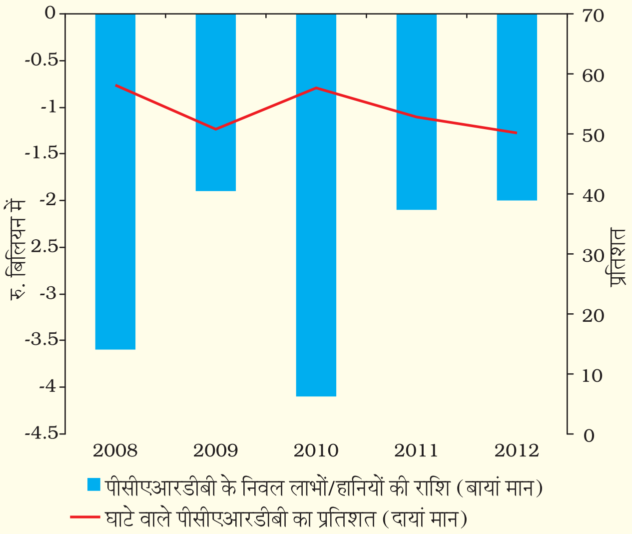

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.26: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि रु. बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
क. कुल अनर्जक आस्तियाँ (i+ii+iii)	**49**	**47**	**-0.4**	**-4.1**
i. अवमानक	25	21	-11.6	-16.0
	(50.3)	(45.7)		
ii. संदिग्ध	24	25	16.4	4.2
	(49.2)	(53.6)		
iii. हानि	0.2	0.3	-63.0	50.0
	(0.4)	(0.6)		
ख. ऋण-अनर्जक आस्ति अनुपात (%)	**40.6**	**38.6**	-	-
ग. मांग-वसूली अनुपात (%)	**47.3**	**44.8**	-	-

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

4.ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के लाइसेंसीकरण की स्थिति

5.51 रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को विनियमित करता है जबकि नाबार्ड उनका पर्यवेक्षण करता है। वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति (अध्यक्ष: डॉ.राकेश मोहन और सह अध्यक्ष: श्री अशोक चावला) ने सिफारिश की थी कि 2012 तक लाइसेंस प्राप्त करने में विफल रहने वाले ग्रामीण सहकारी बैंकों को परिचालन की अनुमति न दी जाए। नाबार्ड के साथ परामर्श करके इस लक्ष्य को निर्बध ढंग से प्राप्त करने की योजना बनाई गई। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने मानदंडों को शिथिल कर दिया जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने में सहायता मिली और मार्च 2012 के अंत में मात्र 43 बैंक (राज्य सहकारी बैंक - 1, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक - 42) बिना लाइसेंस के बचे थे।

5.52 वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने तथा इन बिना लाइसेंस वाले बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और सार्वजनिक हित में भी रिज़र्व बैंक ने इन बैंकों को निर्देश जारी किए तथा उनके द्वारा नई जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाए। इन बैंकों को सूचित किया गया कि वे 30 सितंबर 2012 तक लाइसेंस के मानदंड पूरे करने के लिए निगरानी योग्य कार्य योजना बनाएं। कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए रिज़र्व बैंक, नाबार्ड और राज्य सरकारों से प्रतिनिधित्व वाले कार्य दल बनाए गए।

5.53 कुछ राज्य सरकारों द्वारा पूंजी डालने के बाद 17 बैंक (राज्य सहकारी बैंक-1, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक - 16) लाइसेंस पाने के लिए पात्र हो गए। इसके चलते मार्च 2013 के अंत में बिना लाइसेंस वाले बैंकों की संख्या 26 रह गई। इन बैंकों के संबंध में विनियामी कार्रवाई वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के समक्ष रखी गई। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के अनुदेशों के आधार पर सभी 26 बिना लाइसेंस वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंस के मानदंडों

चार्ट V.28 : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) की तुलना में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) की वित्तीय स्थिति

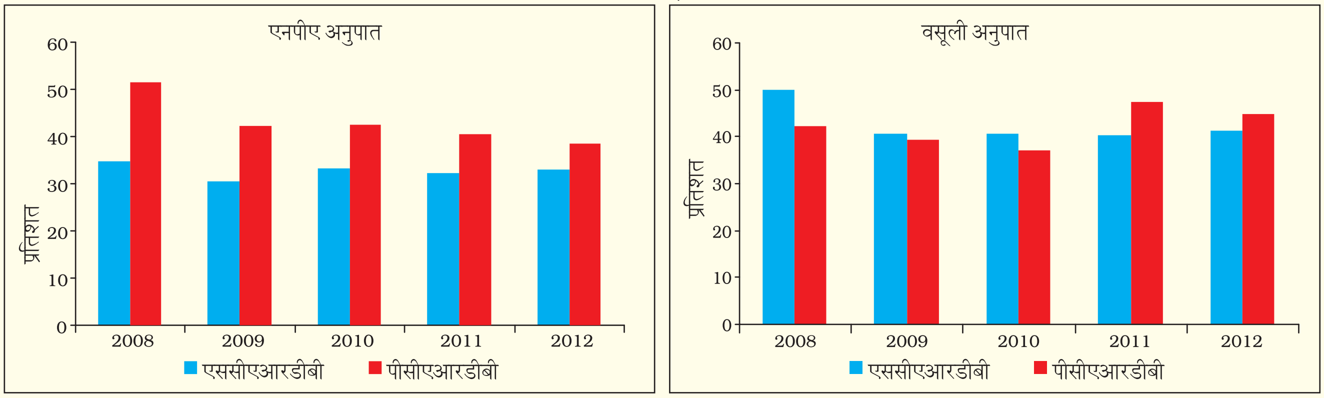

का अनुपालन न करने के कारण मार्च 2013 में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राज्य सरकार द्वारा निधि जारी करने के कारण दो जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने लाइसेंसीकरण के मानदंड पूरे कर लिए, तीसरे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने लाइसेंसीकरण के मानदंड अपने बल पर पूरे कर लिए और इन तीनों जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी किए गए। इस प्रकार, 19 जुलाई 2013 को बिना लाइसेंस वाले बैंकों की संख्या चार राज्यों में कम होकर 23 रह गई।

5. समग्र आकलन

शहरी सहकारी बैंकों ने आस्ति गुणवत्ता में सुधार और लाभप्रदता में कमी दर्शाई; किंतु कुछ संस्थाओं में पूंजी पर्याप्तता चिंता का विषय बनी हुई है

5.54 शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ किंतु उनकी लाभप्रदता में कमी आई। जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में न्यूनतम सांविधिक पूंजी अनुपात प्राप्त करने वाले शहरी सहकारी बैंकों की संख्या स्थिर बनी रही। किंतु सीआरएआर के कम स्तर वाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अपनी पूंजी स्थिति में सुधार लाना जरूरी है। समेकन की निरंतर जारी प्रक्रिया से आस्ति संकेंद्रण में वृद्धि हुई। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा लघु उद्यमियों, आवास, शिक्षा और छोटे कस्बों में व्यष्टि ऋण दिए जाने को देखते हुए, इन संस्थाओं को वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। जहाँ तक शहरी सहकारी बैंकों की बात है, संविधान (97 वां संशोधन) अधिनियम, 2011 के विधायन से राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के कुछ प्रावधानों में एकरूपता आने और इन संस्थाओं के प्रबंधन में व्यावसायिकता को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। इन परिवर्तनों का शहरी सहकारी बैंकों के समग्र परिचालन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा है।

अल्पकालिक सहकारी संस्थाओं के अंतर्गत, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ किंतु प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कार्य-निष्पादन वित्तीय दुर्बलताओं से निरंतर प्रभावित हो रहा है

5.55 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के अंतर्गत, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का कार्य-निष्पादन बेहतर था वहीं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को समग्र आधार पर निरंतर हानियां हो रही हैं। राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों में 2011-12 में देश के सभी क्षेत्रों में सामान्य सुधार हुआ। प्राथमिक सहकारी समितियों की हानियां अभिशासन और परिचालनात्मक मुद्दों के कारण हुईं। इसके अलावा, ऋण माफी योजना, जिसका उद्देश्य मुसीबत के समय कृषि क्षेत्र की सहायता करना था, से इस खंड के अंतर्गत अच्छे समय में ऋण की चुकौती हतोत्साहित हुई है। ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की वर्तमान स्थिति में यह आवश्यक है कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को बिना नुकसान पहुंचाए उनकी वित्तीय सुदृढ़ता को सुधारने के लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

दीर्घकालिक सहकारी संस्थाओं की वित्तीय सुदृढ़ता निरंतर नाज़ुक बनी रही

5.56 दीर्घकालिक सहकारी संस्थाओं ने हानियां दर्ज कीं; उनका अनर्जक आस्ति अनुपात भी अन्य ग्रामीण संस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक था जो संभवत: इन संस्थाओं के वसूली तंत्र की आंतरिक कमी को दर्शाता है। 2011-12 में राज्य और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के आस्ति आकार में वृद्धि, उनके अल्पकालिक प्रतिपक्षियों की तुलना में पिछले कुछ समय की तरह ही काफी कम बनी रही। इससे ग्रामीण सहकारी क्षेत्र की कुल आस्तियों में दीर्घकालिक सहकारी संस्थाओं के हिस्से में क्रमिक गिरावट आई।

5.57 सारांश के रूप में, अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं पर विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए संस्थागत उपायों, अर्थात जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की टियर -I पूंजी के सुदृढ़ीकरण और राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए कोर बैंकिंग समाधान के परिचालन; रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशाओं और दिशानिर्देशों के अंतर्गत कारोबारी निर्णय लेने में राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के प्राधिकरण को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को मजबूत किया जा सके। शहरी सहकारी संस्थाओं के लिए एक अन्य अनिवार्य बात यह है कि ऐसे बैंकों की पूंजी स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता है जो सांविधिक न्यूनतम जमा के मामले में पीछे रह गए हैं।

अध्याय VI

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

वर्ष 2012-13 के दौरान, गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में और समेकन हुआ क्योंकि अर्थव्यवस्था में कार्यरत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की संख्या कम हो गई। कुल मिलाकर, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफआई) के पास पूंजी पर्याप्तता की सहज स्थिति थी। इस क्षेत्र के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा कई विनियामक दिशानिर्देश जारी किए गए। रिज़र्व बैंक समय-समय पर सार्वजनिक नोटिस जारी करने के अलावा, आउटरीच और संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित करता रहा है ताकि आम जनता को व्यक्तियों, अनिगमित निकायों और कंपनियों के काल्पनिक मुनाफे के फर्जी वादों का शिकार होने से सावधान किया जा सके।

1. परिचय

6.1 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्थाओं का एक समूह हैं जो विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और जिन्हें मोटे तौर पर वित्तीय संस्थाओं (एफआई), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस अध्याय में 2012-13 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के प्रत्येक खंड से संबंधित वित्तीय कार्यनिष्पादन और सुदृढ़ता संकेतकों का विश्लेषण किया गया है, जिसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। खंड 2 वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय कार्यनिष्पादन का विश्लेषण करता है, जबकि खंड 3 में जनता से जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी), जमाराशियां स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) के वित्तीय कार्यनिष्पादन पर चर्चा की गई है। खंड 4 प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में प्राथमिक व्यापारियों के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जबकि अंतिम खंड में समग्र मूल्यांकन किया गया है।

2. वित्तीय संस्थाएं

6.2 मार्च 2013 के अंत में भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन और पर्यवेक्षण में चार वित्तीय संस्थाएं अर्थात् भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) थीं (सारणी VI.1)। पांचवीं वित्तीय संस्था यानी भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई)

सारणी VI.1: वित्तीय संस्थाओं के स्वामित्व का स्वरूप
(31मार्च 2013 के अंत में)

संस्था	स्वामित्व	प्रतिशत
1	2	3
एक्जिम बैंक	भारत सरकार	100
नाबार्ड	भारत सरकार	99.3
	भारतीय रिज़र्व बैंक	0.7
एनएचबी	भारतीय रिज़र्व बैंक	100
सिडबी*	सार्वजानिक क्षेत्र के बैंक	62.5
	बीमा कंपनियां	21.9
	वित्तीय संस्थाएं	5.3
	अन्य	10.3

*: आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (19.2 प्रतिशत), भारतीय स्टेट बैंक (15.5 प्रतिशत) और भारतीय जीवन बीमा निगम (14.4 प्रतिशत) सिडबी के तीन बड़े शेयरधारक हैं।

स्वतः समाप्त होने की प्रक्रिया में है। वित्त मंत्रालय ने 16 सितंबर 2012 को इस आशय की गजट अधिसूचना जारी की थी।

वित्तीय संस्थाओं के परिचालन

वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता में कमी

6.3 वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता में वर्ष 2012-13 में कमी आई (सारणी VI.2)।

वित्तीय संस्थाओं की आस्तियां और देयताएं

6.4 वर्ष 2012-13 के दौरान सभी चार वित्तीय संस्थाओं के संयुक्त तुलन पत्र का 15.9 प्रतिशत विस्तार हुआ (सारणी VI.3)। देयता पक्ष में 'बांडों और डिबेंचरों' के साथ 'जमाराशियां' कुल देयताओं की 60 प्रतिशत से अधिक थीं। आस्ति के पक्ष में, कुल आस्तियों के लगभग 88.8 प्रतिशत हिस्से में

सारणी VI.2: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(राशि रु. बिलियन में)

श्रेणी	राशि				प्रतिशत घटबढ़	
	2011-12		2012-13 अ		2012-13	
	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.
1	2	3	4	5	6	7
(i) अखिल भारतीय सावधि ऋणदाता संस्थाएं*	480.1	474.9	433.4	421.8	-9.7	-11.2
(ii) विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएं#	10.9	8.5	7.1	6.2	-34.9	-27.1
(iii) निवेश संस्थाएं@	544.1	519.7	447.8	466.6	-17.7	-10.2
वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (i+ii+iii)	**1,035.1**	**1,003.1**	**888.3**	**894.6**	**-14.2**	**-10.8**

अ.: अनंतिम ; स्वीः स्वीकृत; संवि.:संवितरित

*: आईएफसीआई, सिडबी और आईआईबीआई के संबंध में।. #: आईवीसीएफः आईसीआईसीआई वेंचर और टीएफसीआई से संबंधित ।

@: एलआईसी और जीआईसी तथा भूतपूर्व सब्सिडियरियों (एनआईए, यूआईआईसी और ओआईसी) से संबंधित।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

योगदान देने वाला ''ऋण और अग्रिम'' सबसे बड़ा घटक बना रहा (सारणी VI.3)।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन

कम संसाधन जुटाए गए लेकिन विदेशी मुद्रा संसाधनों पर निर्भरता बढ़ी

6.5 वर्ष 2012-13 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए कुल संसाधनों में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई। जुटाए गए अल्पकालिक और दीर्घकालिक -दोनों प्रकार के संसाधनों में कमी देखी गई जबकि विदेशी मुद्रा के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों में तीव्र वृद्धि हुई (सारणी VI.4)। विदेशी मुद्रा उधार में यह वृद्धि मुख्यतः एक्जिम बैंक से संबंधित थी, क्योंकि वर्ष के दौरान उसकी बाह्य उधारियाँ दोगुनी से अधिक थीं।

6.6 मुद्रा बाजार में, चार वित्तीय संस्थाओं में से, नाबार्ड ने सबसे बड़ी मात्रा में संसाधन जुटाए। इसके बाद एक्जिम बैंक, सिडबी और एनएचबी का स्थान था (सारणी VI.5)। वर्ष 2012-13 के दौरान सभी चार वित्तीय संस्थाओं के लिए मुद्रा बाजार से निधियाँ जुटाने के प्रमुख साधन वाणिज्य पत्र (सीपी) थे।

सारणी VI.3: वित्तीय संस्थाओं की देयताएं और आस्तियां

(मार्च के अंत में)

(राशि रु. मिलियन में)

मद	2012	2013	प्रतिशत घटबढ़	मद	2012	2013	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	1	2	3	4
देयताएं				**आस्तियां**			
1. पूंजी	62,000 (1.8)	79,594 (2.0)	28.4	1. नगद और बैंक शेष	67,398 (2.0)	91,802 (2.4)	36.2
2. आरक्षित निधि	4,65,243 (13.8)	4,89,948 (12.6)	5.3	2. निवेश	1,25,589 (3.7)	1,17,610 (3.0)	-6.4
3. बांड और डिबेंचर	10,72,973 (31.9)	12,33,408 (31.6)	15.0	3. ऋण और अग्रिम	29,81,996 (88.7)	34,59,842 (88.8)	16.0
4. जमाराशियां	10,90,780 (32.4)	13,09,191 (33.6)	20.0	4. भुनाए गए/ पुनःभुनाए गए बिल	29,636 (0.9)	42,733 (1.1)	44.2
5. उधारी	4,95,207 (14.7)	5,65,741 (14.5)	14.2	5. अचल आस्तियां	5,364 (0.2)	6,258 (0.2)	16.7
6. अन्य देयताएं	1,77,085 (5.3)	2,20,384 (5.7)	24.5	6. अन्य आस्तियां	1,53,306 (4.6)	1,80,020 (4.6)	17.4
कुल देयताएं/आस्तियां	**33,63,288**	**38,98,265**	**15.9**				

टिप्पणियां: 1. आंकड़े 4 वित्तीय संस्थाओं यथा - एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी से संबंधित हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के अनुसार प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की (मार्च अंत की) तथा एनएचबी की (जून अंत की) संबंधित वर्षों की लेखा परीक्षित ऑस्मॉस विवरणियां।

सारणी VI.4: वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि रु. बिलियन में)

संस्थाएं	जुटाए गए कुल संसाधन								कुल शेष राशि (मार्च के अंत में)	
	दीर्घावधि		अल्पावधि		विदेशी मुद्रा		कुल			
	2011-12	2012-13 अ.	2011-12	2012-13 अ.	2011-12	2012-13 अ.	2011-12	2012-13 अ.	2011-12	2012-13 अ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एक्जिम बैंक	88	111	55	59	84	194	227	364	547	645
नाबार्ड	179	174	90	85	-	-	269	259	423	447
एनएचबी	555	87	827	466	-	-	1382	553	607	341
सिडबी	139	98	80	49	20	7	239	154	440	480
कुल	**961**	**470**	**1052**	**659**	**104**	**201**	**2117**	**1330**	**2016**	**1913**

अ. : अनंतिम। - निल/नगण्य को सूचित करता है। *: जून के अंत की स्थिति।

टिप्पणी : दीर्घावधि रुपया संसाधनों में बांडों/डिबचरों से जुटाई गई उधार राशियां सम्मिलित हैं जबकि अल्पावधि संसाधनों में वाणिज्यिक पत्र (सीपी), सावधि जमाराशियां, अंतर-कॉर्पोरेट जमाराशियां (आईसीडी), जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और सावधि मुद्रा बाजार से प्राप्त उधार राशियां सम्मिलित हैं। विदेशी मुद्रा संसाधनों में मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी बांड और उधार राशियां सम्मिलित हैं।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

निधियों के स्रोत और उनका उपयोग

वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाह्य स्रोतों से जुटायी गयी निधियों में तीव्र वृद्धि

6.7 2012-13 के दौरान, बाहरी स्रोतों से वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटायी गयी निधियों में 73.4 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि आंतरिक स्रोतों से जुटायी गयी निधियों में 9.3 प्रतिशत की कमी आयी (सारणी VI.6)। वित्तीय संस्थाओं की निधियों में 'अन्य' स्रोतों की हिस्सेदारी दोगुने से अधिक बढ़कर 8.1 प्रतिशत हो गई। निधियों के नियोजन के मामले में, नए नियोजनों की हिस्सेदारी तेजी से घटकर 43.8 प्रतिशत हो गई जबकि अन्य नियोजनों में प्रयुक्त निधियाँ उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 28.2 प्रतिशत हो गईं।

सारणी VI.5: वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन
(मार्च 2013 के अंत में)

(राशि रु. बिलियन में)

लिखत	एक्जिम	नाबार्ड	एनएचबी	सिडबी	कुल
1	2	3	4	5	6
क. कुल	**65.2**	**85.0**	**11.0**	**27.3**	**188.5**
i) मीयादी जमा	6.1	0	0.7	6.7	13.5
ii) मीयादी मुद्रा	0	3.1	0	0	3.1
iii) अंतर-कॉर्पोरेटजमाराशियां	0	0	0	0	0
iv) जमा प्रमाणपत्र	6.3	0	0	0	6.3
v) वाणिज्यिक पत्र	52.8	81.9	10.3	20.6	165.6
vi) बैंकों से अल्पावधि ऋण	0	0	38.3	0	38.3
ज्ञापन:					
ख. अंब्रेला सीमा	**85.8**	**164.1**	**47.3**	**64.0**	**361.1**
ग. अंब्रेला सीमा का उपयोग (ख के प्रतिशत के रूप में क)	76.0	51.8	23.3	42.6	52.2

*: अंब्रेला सीमा के तहत जुटाए गए संसाधनों में क(i) से क(ii) तक शामिल हैं।

स्रोत: वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े।

सारणी VI.6: वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोतों और नियोजन का स्वरूप
(मार्च के अंत में)

(राशि रु. बिलियन में)

मद	2012	2013 अ.	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4
क. निधियों के स्रोत (i+ii+iii)	**4,252 (100)**	**5,406 (100)**	**27.1**
i. आंतरिक	2,623 (61.7)	2,378 (44.0)	-9.3
ii. बाह्य	1,495 (35.2)	2,592 (48.0)	73.4
iii. अन्य@	134.0 (3.2)	436.0 (8.1)	225.4
ख.निधियों का अभिनियोजन (i+ii+iii)	**4,252 (100)**	**5,406 (100)**	**27.1**
i. नए नियोजन	2,739 (64.4)	2,366 (43.8)	-13.6
ii. पहले लिए गए उधार की चुकौती	1,290 (30.4)	1,517 (28.1)	17.6
iii. अन्य नियोजन	222 (5.2)	1,524 (28.2)	586.5
जिनमें से: ब्याज का भुगतान	145 (3.4)	183 (3.4)	26.2

अ. : अनंतिम

@: बैंकों तथा रिजर्व बैंक के पास रखी नगदी और शेष राशि सम्मिलित है।

टिप्पणियां : 1. यह आंकड़ा एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी का है।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी VI.7: वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए रुपया संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता अवधि

संस्थाएं	भारित औसत लागत (प्रतिशत)		भारित औसत परिपक्वता अवधि (वर्ष)	
	2011-12	2012-13 अ.	2011-12	2012-13 अ.
1	2	3	4	5
एक्जिम बैंक	9.0	9.0	2.8	3.5
सिडबी	7.5	7.6	4.9	4.9
नाबार्ड	9.5	9.3	1.9	1.8
एनएचबी	8.8	7.7	0.9	2.9

अ.: अनंतिम *: जून के अंत की स्थिति।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

परिपक्वता अवधि तथा उधार लेने और देने की लागत

6.8 2012-13 के दौरान, हालांकि राष्ट्रीय आवास बैंक और नाबार्ड द्वारा जुटाए गए रुपया संसाधनों की भारित औसत लागत (डब्ल्यूएसी) में कमी आयी, लेकिन सिडबी के लिए यह थोड़ी बढ़ी और एक्जिम बैंक के लिए यह 9 प्रतिशत के पिछले स्तर पर बनी रही (सारणी VI.7)। जुटाए गए रुपया संसाधनों की उच्चतम भारित औसत लागत (डब्ल्यूएसी) नाबार्ड के लिए अधिकतम थी और सिडबी के लिए न्यूनतम थी। जहां तक भारित औसत परिपक्वता (डब्लूएमए) का सवाल है, सिडबी की भारित औसत परिपक्वता 4.9 वर्ष के सबसे लंबे समय तक थी, नाबार्ड की भारित औसत परिपक्वता (डब्लूएमए) 1.8 वर्ष की सबसे कम अवधि की थी। वर्ष 2012-13 के दौरान, जहां एक ओर एनएचबी ने अपनी दीर्घकालिक मूल उधार दर (पीएलआर) को कम किया वहीं दूसरी ओर एक्जिम बैंक और सिडबी ने अपनी तदनुरूपी मूल उधार दरें अपरिवर्तित रखीं (सारणी VI.8)।

वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय कार्य-निष्पादन

ब्याज से इतर आय में वृद्धि की वजह से लाभप्रदता में वृद्धि

6.9 वर्ष 2012-13 के दौरान, वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ, क्योंकि उनके परिचालन और शुद्ध-दोनों मुनाफों में वृद्धि हुई। वर्ष 2012-13 के दौरान वित्तीय संस्थाओं के परिचालनगत खर्चों की वृद्धि में मुख्य रूप से उच्च वेतन बिल की भूमिका रही (सारणी VI.9)। वर्ष 2012-13 के दौरान सभी वित्तीय संस्थाओं की आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) लगभग स्थिर बना रहा। वित्तीय संस्थाओं के बीच, सिडबी का आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) उच्चतम रहा, उसके बाद एनएचबी, एक्जिम बैंक और नाबार्ड का स्थान रहा (सारणी VI.10)।

सारणी VI.8: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की दीर्घावधि मूल उधार दर (पीएलआर) संरचना

(प्रतिशत)

प्रभावी	एक्जिम बैंक	सिडबी	एनएचबी
1	2	3	4
मार्च 2012	15.0	12.75	10.50
मार्च 2013	15.0	12.75	9.75

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं

सारणी VI.9: वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन

(राशि रु. मिलियन में)

मदें	2011-12	2012-13	घटबढ़	
			राशि	प्रतिशत
क. आय (अ+आ)	**2,26,650**	**2,75,010**	**48,360**	**21.34**
अ) ब्याज से आय	2,16,887 (95.7)	2,60,884 (94.9)	43,997	20.3
आ) गैर-ब्याज आय	9,764 (4.3)	14,126 (5.1)	4,362	44.7
ख. व्यय (अ+आ)	**1,62,933**	**1,99,626**	**36,693**	**22.50**
अ) ब्याज पर व्यय	1,48,850 (91.4)	1,83,811 (92.1)	34,961	23.5
आ) परिचालन व्यय	14,082 (8.6)	15,815 (7)	1,733	12.3
जिनमें से: वेतन बिल	10,193	11,154	961	9.4
ग. कराधान के लिए प्रावधान	**16,170**	**17,486**	**1,316**	**8.1**
घ. लाभ				
परिचालन लाभ (पीबीटी)	48,810	55,863	7,053	14.5
निवल लाभ (पीएटी)	32,640	38,377	5,737	17.6
ङ. वित्तीय अनुपात @				
परिचालन लाभ	1.8	1.5	-	-
निवल लाभ	1.0	1.1	-	-
आय	7.1	7.6	-	-
ब्याज से आय	6.8	7.2	-	-
अन्य आय	0.3	0.4	-	-
व्यय	5.1	5.5	-	-
ब्याज पर व्यय	4.0	5.1	-	-
अन्य परिचालन व्यय	0.4	0.4	-	-
वेतन बिल	0.3	0.3	-	-
प्रावधान	0.5	0.5	-	-
स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	2.1	2.1	-	-

पीबीटी : कर पूर्व लाभ, पीएटी : करोत्तर लाभ
@: कुल औसत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में।
टिप्पणियां : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय के प्रति प्रतिशत हैं।
स्रोत: एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की (मार्च के अंत की) और एनएचबी की (जून के अंत की) संबंधित वर्षों की लेखा परीक्षित ऑफ्सॉस विवरणियां।

सारणी VI.10:वित्तीय संस्थाओं के चुनिंदा वित्तीय मानदंड
(मार्च अंत के अनुसार)

संस्था	ब्याज से आय/औसत कार्यकारी निधियां (प्रतिशत)		गैर-ब्याज आय/औसत कार्यकारी निधियां (प्रतिशत)		परिचालन लाभ/ औसत कार्यकारी निधियां (प्रतिशत)		औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)		प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रु. मिलियन)	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एक्जिम बैंक	7.1	7.9	0.6	0.5	2.5	2.4	1.1	1.1	26.7	27.0
नाबार्ड	6.5	6.9	0.1	0.1	1.4	1.5	1.0	0.9	3.6	4.1
एनएचबी*	8.6	8.5	0.0	0.1	2.1	2.2	1.4	1.1	40.7	48.4
सिडबी	8.5	8.6	0.2	0.3	3.4	3.4	2.0	2.0	5.5	7.9

*: क्रमशः जून अंत की स्थिति के अनुसार.
स्रोत: वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत विवरणियां।

सुदृढ़ता संकेतक

आस्ति गुणवत्ता

वर्ष के दौरान क्षत आस्तियों में वृद्धि

6.10 पिछले वर्ष की तुलना में, मुख्य रूप से एक्जिम बैंक, सिडबी और एनएचबी के उच्चतर निवल एनपीए के कारण वित्तीय संस्थाओं की निवल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के समग्र स्तर में वृद्धि हुई। सिडबी के पास निवल अनर्जक आस्तियों की सबसे बड़ी मात्रा थी उसके बाद एक्जिम बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक का स्थान था। वित्तीय संस्थाओं में नाबार्ड की अनर्जक आस्तियां सबसे कम थीं और वास्तव में वर्ष के दौरान उसके एनपीए की स्थिति में सुधार आया (सारणी VI.11)। एनएचबी के संबंध में निवल अनर्जक आस्तियों में हुई वृद्धि, पुनर्गठित ऋण खातों को 'अव-मानक' आस्ति के रूप में वर्गीकृत किये जाने के कारण थी (सारणी VI.12)।

6.11 वर्ष 2012-13 के दौरान, जबकि वित्तीय संस्थाओं की कुल हानि वाली आस्तियों में गिरावट आयी लेकिन अव-मानक तथा संदिग्ध आस्तियों की मात्रा में वृद्धि हुई। एक्जिम बैंक और सिडबी की अव-मानक आस्तियों में वृद्धि हुई जबकि नाबार्ड की इन आस्तियों में काफी गिरावट आई।

सारणी VI.11: वित्तीय संस्थाओं की निवल अनर्जक आस्तियां
(मार्च के अंत में)

(राशि रु. मिलियन में)

संस्था	निवल अनर्जक आस्तियां		निवल अनर्जक आस्तियां/निवल ऋण (प्रतिशत)	
	2012	2013	2012	2013
1	2	3	4	5
एक्जिम बैंक	1,558	3,047	0.29	0.47
नाबार्ड	371	237	0.02	0.01
एनएचबी*	0	1,561	0.00	0.45
सिडबी	1,847	3,073	0.36	0.55
सभी वित्तीय संस्थाएं	3,776	7,917	0.13	0.23

*: जून के अंत की स्थिति।
स्रोत: एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की (मार्च के अंत की) और एनएचबी की (जून के अंत की) संबंधित वर्षों की लेखा परीक्षित निगरानी और चौकसी प्रणाली (ऑस्मॉस) विवरणियां।

सारणी VI.12: वित्तीय संस्थाओं की आस्ति का वर्गीकरण
(मार्च के अंत में)

(राशि रु. मिलियन में)

संस्था	मानक		अवमानक		संदिग्ध		हानि	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एक्जिम बैंक	5,37,340	6,40,483	4,044	8,545	3,871	6,559	44	44
नाबार्ड	16,49,324	19,51,980	221	8	682	1,093	10	10
एनएचबी*	2,85,159	3,44,671	0	1,806	0	34	0	0
सिडबी	5,36,034	5,57,606	2,123	4,477	385	352	1,227	713
सभी वित्तीय संस्थाएं	**30,07,857**	**34,94,740**	**6,388**	**14,836**	**4,938**	**8,038**	**1,281**	**767**

*: जून के अंत की स्थिति।
स्रोत: एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की (मार्च के अंत की) और एनएचबी की (जून के अंत की) संबंधित वर्षों की लेखा परीक्षित ऑस्मॉस विवरणियां।

सारणी VI.13: वित्तीय संस्थाओं की जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	2012	2013
1	2	3
एक्ज़िम बैंक	16.4	15.3
नाबार्ड	20.6	18.3
एनएचबी*	19.7	16.7
सिडबी	29.2	28.2

*: जून के अंत की स्थिति।

स्रोत : एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की (मार्च के अंत की) और एनएचबी की (जून के अंत की) संबंधित वर्षों की लेखा परीक्षित ऑस्मॉस विवरणियां।

पूंजी पर्याप्तता

वित्तीय संस्थाओं के संबंध में पूंजी पर्याप्तता की स्थिति संतोषजनक रही

6.12 वर्ष 2012-13 में सभी वित्तीय संस्थाओं का सीआरएआर पिछले वर्ष की तुलना में कम था। तथापि, सभी चार वित्तीय संस्थाओं ने 9 प्रतिशत के न्यूनतम निर्धारित मानदंड से अधिक सीआरएआर बनाए रखा (सारणी VI.13)।

3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

6.13 देयता ढ़ांचे के आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दो श्रेणियों में रखा गया है अर्थात - श्रेणी 'क' की कंपनियां (जनता से जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां या एनबीएफसी-डी), और श्रेणी 'ख' की कंपनियां (जनता से जमाराशियां न जुटाने वाली एनबीएफसी या एनबीएफसी-एनडी)। एनबीएफसी-डी पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षाओं, चलनिधि आस्तियों को बनाए रखना एक्सपोजर संबंधी मानदंड (भूमि, भवन और अनकोटेड शेयरों में निवेश संबंधी एक्सपोजर पर पाबंदी सहित), आस्ति देयता प्रबंधन अनुशासन और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अधीन हैं। इसके विपरीत श्रेणी 'ख' कंपनियां, 2006 तक न्यूनतम रूप से विनियमित थी। हालांकि, 1 अप्रैल, 2007 के बाद से, ₹1 बिलियन और उससे अधिक की आस्तियों वाली जनता से जमाराशियां स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और विवेकपूर्ण विनियमनों जैसे पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं, एक्सपोजर मानदंड और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को उन पर लागू किया गया है। पूंजी बाजार जोखिम (सीएमई) और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) रिपोर्टिंग और प्रकटन संबंधी मानदंड भी उन पर समय-समय लागू किये गये हैं।

6.14 किये जानेवाले कार्यकलापों के अनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को निम्नानुसार आठ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है नामतः आस्ति वित्त कंपनियां (एएफसी), निवेश कंपनियां (आईसी), ऋण कंपनियां (एलसी), इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां (आईएफसी), कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी), आधारभूत संरचना ऋण निधि - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आईडीएफ-एनबीएफसी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं (एनबीएफसी, एमएफआई) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - फैक्टर्स (एनबीएफसी-फैक्टर्स)।

6.15 2012-13 के दौरान, गैर-बैंकिंग वित्तीय काल्पनिक कंपनियों के विनियमन और पर्यवेक्षण में सुधार लाने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय शुरू किए गए (अध्याय III देखें)। रिज़र्व बैंक व्यक्तियों, अनिगमित निकायों और कंपनियों द्वारा काल्पनिक मुनाफे के फर्जी वादों के शिकार होने से आम जनता को सावधान करने हेतु रिज़र्व बैंक समय-समय पर सार्वजनिक नोटिस जारी करने के अलावा, आउटरीच और संवेदीकरण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता रहा है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने जनता को यह भी सूचित किया है कि वे एनबीएफसी के पास राशि जमा करते समय अपने निवेश संबंधी निर्णयों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें। रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह चिट फंड गतिविधियों या सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) को विनियमित नहीं करता है। यह उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विनियमित करता है, जो अपने प्रमुख व्यवसाय के रूप में वित्तीय गतिविधियों का संचालन करती हैं और उनमें से केवल कुछ ही को जमाराशियां स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है तथा ऐसी संस्थाओं को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा का लाभ नहीं मिलता है।

6.16 हाल ही के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, शैडो बैंकिंग प्रणाली का संचालन कई अर्थव्यवस्थाओं के विनियामकों की जांच के दायरे में आ गया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं और अन्य ईएमई में प्रचलित शैडो बैंकिंग का रूप भारत में प्रचलित रूप से काफी अलग है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो बैंकों पर लागू विनियामक ढांचे से बाहर रहती हैं, भारत में मूलतः उनका उल्लेख शैडो बैंकिंग के रूप में किया जाता है (बॉक्स VI.1)।

6.17 मार्च 2013 के अंत तक एनबीएफसी-एनडी-एसआई और जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की स्वामित्व संरचना के अनुसार यह पाया गया है कि उनमें से अधिकांश गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां हैं (सारणी VI.14)।

बॉक्स VI.1 :
भारत में शैडो बैंकिंग : कुछ मुद्दे

हाल ही के वैश्विक वित्तीय संकट ने शैडो बैंकिंग की भूमिका और संबंधित मुद्दों पर बहस शुरू कर दी है। शैडो बैंकिंग ऐसी प्रणाली है, जिसमें वित्तीय संस्थाएं (जैसे कि मुद्रा बाजार संस्थाएं, निजी ईक्विटी फंड, हेज फंड, प्रतिभूतिकरण कंपनियां, योजनाबद्ध निवेश साधन आदि) बैंकों की भांति ऋण मध्यस्थता गतिविधियां करती हैं, लेकिन पारंपरिक विनियामक व्यवस्था से बाहर रहती हैं, जो अन्यथा बैंकों पर लागू होती हैं। 2007 में, पॉल मैकली ने "शैडो बैंक" शब्द गढ़ा, जो मुख्यतः यूएस में परिपक्वता अवधि को बदलने वाली (अल्पावधि जमाराशियों का प्रयोग दीर्घावधि ऋणों का वित्तपोषण करने के लिए) गैर-बैंक वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रयोग किया गया था। वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने "शैडो बैंक" को विनियामक बैंकिंग प्रणाली से बाहर ऋण मध्यस्थता वाली संस्थाएं और गतिविधियों (पूर्णतया या आंशिक रूप से) के रूप में परिभाषित किया था। यह अनुमान लगाया गया है कि 2011 के अंत में वैश्विक शैडो बैंकिंग प्रणाली 67 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है, जो कुल वित्तीय मध्यस्थता का 25 प्रतिशत है (एफएसबी, 2012)। एफएसबी (2012) की एक रिपोर्ट के अनुसार शैडो बैंकिंग प्रणाली (एनबीएफआई/ओएफआई) की सबसे ज्यादा उपस्थिति नीदरलैंड में है (45 प्रतिशत), उसके बाद यूएसए (35 प्रतिशत), हाँगकाँग (लगभग 35 प्रतिशत), यूरो क्षेत्र (30 प्रतिशत), स्विटजरलैंड, यूके, सिंगापूर तथा कोरिया (सब लगभग 25 प्रतिशत) का स्थान है।

कारोबारी मॉडल, लिवरेज स्थिति, स्वामित्व आदि के संबंध में शैडो बैंकिंग के काम करने का तरीका पारदर्शी नहीं है, जिसके चलते यह विनियामक फ्रेमवर्क के अनुकूल नहीं है। चूंकि शैडो बैंक संस्थाएं केंद्रीय बैंक फंडिंग या जमाराशि बीमा जैसे सुरक्षा नेट से बाहर होती हैं इसलिए उन्हें आघात लगने का खतरा बना रहता है, जिसके चलते उनके आकार और औपचारिक वित्तीय प्रणाली के साथ अंतर-सम्बद्धता के आधार पर प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न हो जाता है। हालांकि त्वरित, मांग के अनुसार, किफायती तथा ऋण और चलनिधि उपलब्ध कराने के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में शैडो बैंकिंग प्रणाली की काफी अच्छाइयां हैं, लेकिन प्रणालीगत संकट उत्पन्न करने की इसकी क्षमता, जो हाल ही के वैश्विक वित्तीय संकट में देखी गई, को नकारा नहीं जा सकता।

हाल ही के वैश्विक वित्तीय संकट से पहले के वर्षों में, ये संस्थाएं वित्तीय गतिविधियों/लिखतों के नए अवतारों में दिखाई दीं, जो विभिन्न निवेशकों की जोखिम लेने की बढ़ती प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए सीमा पार तक चली गईं। शैडो बैंकिंग गतिविधियों का विस्तार उनसे जुड़े जोखिमों के प्रति उदासीन था। निम्नलिखित कारणों से शैडो बैंकिंग के अस्तित्व के कारण वैश्विक वित्तीय संकट के आकार में वृद्धि आरंभ होने लगी। पहला, नियमित बैंकिंग और शैडो बैंकिंग प्रणालियों के बीच परस्पर सम्बद्धता बढ़ गई थी क्योंकि बैंक इन संस्थाओं को उधार दे रहे थे। इन संस्थाओं द्वारा जारी उत्पादों ने बैंकों की लीवरेज की स्थिति बढ़ा दी और उन्हें उच्चतर जोखिम की स्थिति में ला दिया। दूसरा, विनियमन का लगभग अभाव होने के कारण शैडो बैंकिंग प्रणाली अपने जोखिम की सही लागत को आत्मसात नहीं करते हुए कार्य करती रही तथा एकाधिक संस्थाओं ने (बैंकों सहित) शैडो बैंकिंग के रूप को तरजीह दी जो बैंकिंग विनियमों में गतिरोध पैदा करती थीं। इस प्रकार के विनियामक आरबिट्रेज से पूरी प्रणाली में लीवरेज और जोखिम और अधिक बड़ा हो गया। तीसरा, चूंकि शैडो बैंक फंडिंग-जैसी अल्पावधि जमाराशियों पर ज्यादा निर्भर थे, जिन्हें जमाराशि बीमा की सुविधा प्राप्त नहीं थी, विश्वास की कमी हो जाने से इन अविनियमित संस्थाओं का 'विघटन (रन)' शुरू हो गया।

हालांकि वित्तीय नवोन्मेषी उत्पादों के माध्यम से शैडो बैंकिंग की भूमिका ने आर्थिक कुशलताओं का निर्माण किया, लेकिन संकट ने यह दिखा दिया कि शैडो बैंकिंग से पारंपरिक बैंकों और पूंजी बाजारों के बीच परस्पर प्रतिकूल प्रभाव और प्रणालीगत जोखिम संचार के नए चैनल बन गए। इसलिए वैश्विक स्तर पर यह महसूस किया गया कि ऐसी अविनियमित संस्थाओं को किसी विनियामक संगठन के अधीन लाया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स ने 2010 में डॉड-फ्रैंक अधिनियम पारित किया, जिससे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण सभी संस्थाओं का विनियमन करने के लिए फेडरल रिज़र्व के हाथ मजबूत हुए। निरंतर बढ़ती शैडो बैंकिंग गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए, यूरोपीय संघ ने कुछ उपाय किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिभूतिकरण के संबंध में विवेकपूर्ण नियम, साख निर्धारण एजेन्सियों का विनियमन आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त, जी-20 देशों के अनुरोध पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैडो बैंकिंग प्रणाली पर निगरानी रखने और उनके विनियमन को सुदृढ़ करने के लिए एफएसबी ने नीतियां बनायी हैं ताकि उनसे उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम किया जा सके।

भारत में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जो बैंकिंग विनियामक फ्रेमवर्क से बाहर रहते हुए बैंक की तरह ऋण मध्यस्थता गतिविधियां करती हैं, शैडो बैंकिंग प्रणाली को ही दिखलाती हैं (सिन्हा, 2013)। विकसित देशों में जिस प्रकार की शैडो बैंकिंग प्रणाली उपलब्ध है (उदाहरण के लिए हेज फंड, स्वामित्व निधियां, विशेष निवेश साधन और लिवरेज्ड निधियां) वह मुख्यतः भारतीय संदर्भ में सम्बद्ध नहीं है। भारत मूलतः बैंकों की प्रधानता वाली एक वित्तीय प्रणाली है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र की आस्तियों का 60 प्रतिशत हिस्सा बैंकों के पास है। 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार अन्य वित्तीय मध्यस्थों की कुल आस्तियां बैंकों की आस्तियों का लगभग 24 प्रतिशत हैं, जबकि एनबीएफसी क्षेत्र की आस्तियां लगभग 12 प्रतिशत हैं, जिससे शैडो बैंकिंग प्रणाली में एनबीएफसी की महत्ता का पता चलता है (सिन्हा ओपी.सीआईटी.)। इस प्रकार, अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में शैडो बैंकिंग का आकार और गतिविधियां कम हैं। इसके अतिरिक्त, कई अन्य देशों के विपरीत भारत में एनबीएफसी के लिए एक सुपरिभाषित विनियामक फ्रेमवर्क उपलब्ध है और कालांतर ने प्रगतिशील और विवेकपूर्ण विनियामक उपायों से इस क्षेत्र में मजबूती आई है। हालांकि, 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट ने एनबीएफसी, म्युचुअल फंडों और वाणिज्य बैंकों के बीच परस्पर संबंध आधारित फंडिंग के कारण देश में एनबीएफसी क्षेत्र पर कुछ दबाव पड़ा। लेकिन संकट ने एनबीएफसी क्षेत्र के सम्मुख कुछ विनियामक मुद्दों को प्रकाश में ला दिया, विशेषकर विनियामक कमियों, आरबिट्रेज तथा परस्पर सम्बद्धता के कारण उत्पन्न जोखिमों को। यथोचित विनियामक उपायों द्वारा इन पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में, रिज़र्व बैंक ने भारत में शैडो बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में एक कार्यकारी दल भी गठित किया है। आशा है कि यह कार्यकारी दल यथोचित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

संदर्भ

फाइनैंसियल स्टेबिलिटी बोर्ड (2011) : "शैडो बैंक" : स्कोपिंग दि इश्यूज, *ए बॅकग्राउंड' नोट ऑफ दि फाइनैंसियल स्टेबिलिटी बोर्ड।*

फाइनैंसियल स्टेबिलिटी बोर्ड (2012):ग्लोबल "शैडो बैंकिंग" मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2012।

आनंद सिन्हा, (2013): रेग्युलेशन ऑफ शैडो बैंकिंग- *इश्यूज एंड चेलैंजेज, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, मार्च।*

सारणी VI.14: एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआई के स्वामित्व का स्वरूप
(मार्च 2013 के अंत में)

(कंपनियों की संख्या)

स्वामित्व	एनबीएफसी-एनडी-एसआई	एनबीएफसी - डी
1	2	3
क. सरकारी कंपनियां	9 (2.2)	7 (2.8)
ख. गैर-सरकारी कंपनियां (1+2)	409 (97.8)	247 (97.2)
1. पब्लिक लिमिटेड कपनियां	218 (52.2)	245 (96.5)
2. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां	191 (45.7)	2 (0.8)
कंपनियों की कुल संख्या (क+ख)	418 (100.0)	254 (100.0)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल संख्या का प्रतिशत दर्शाते हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रोफाइल (आरएनबीसी सहित)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के खंड में समेकन हो रहा है।

6.18 रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल संख्या जून 2013 के अंत में थोड़ा घटकर 12,225 रह

चार्ट VI:1 रिज़र्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या (जून के अंत में)

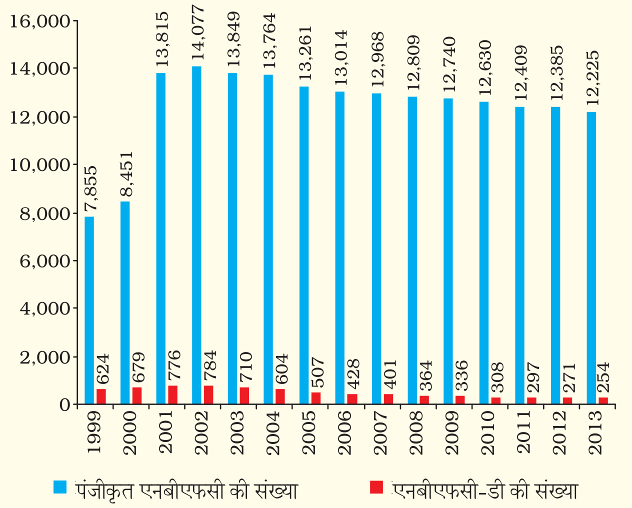

सारणी VI.15: जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रूपरेखा

(राशि रु. बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में			
	2012		2013 अ.	
	एनबीएफसी	*जिसमें से :* आरएनबीसी	एनबीएफसी	*जिसमें से:* आरएनबीसी
1	2	3	4	5
कुल आस्तियां	1,298	75 (5.8)	1,322	73 (5.5)
सार्वजनिक जमाराशियां	100	43 (42.8)	106	35 (33.1)
निवल स्वाधिकृत निधियां	249	31 (12.4)	250	31 (12.3)

अ. : अनंतिम

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित जोड़ के प्रतिशत हिस्से हैं।
2. 209 एनबीएफसी-डी तथा दो आरएनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक विवरणियों पर आधारित।

स्रोत: वार्षिक/ तिमाही विवरणियां

गई (चार्ट VI.1)। वर्ष 2012-13 के दौरान एनबीएफसी-डी की संख्या मुख्य रूप से पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रद्द करने तथा उनके जमाराशियां स्वीकार न करने वाली श्रेणी में चले जाने के कारण कम हुई।

6.19 यद्यपि, मार्च 2013 के अंत तक कारोबार में सक्रिय एनबीएफसी की संख्या में गिरावट हुई, फिर भी उनकी कुल आस्तियों और निवल स्वाधिकृत निधि में थोड़ी वृद्धि देखी गई। उनके द्वारा जुटाई गई जनता की जमाराशियों में भी वृद्धि हुई। अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) द्वारा जुटाई गई जनता की जमाराशियों में कमी आई (सारणी VI.15)।

6.20 एनबीएफसी द्वारा जुटाई गई जमाराशियों में वृद्धि के बावजूद, 2012-13 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जमाराशियों और एनबीएफसी द्वारा जनता से जुटाई गई जमाराशियों के अनुपात में गिरावट जारी देखी गई। वर्ष के दौरान संकलित चलनिधि राशियों के व्यापक माप की तुलना में एनबीएफसी की जमाराशियों के अनुपात अर्थात एल3[1] में भी गिरावट हुई (चार्ट VI.2)।

[1] एल3= एनएम3+डाकघर में जमाराशियां + मीयादी ऋण + जमा प्रमाणपत्र + मीयादी जमाराशियां + एनबीएफसी के पास जनता द्वारा जमा की गई जमाराशियां।

चार्ट VI.2: व्यापक चलनिधि (एल3) और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों की तुलना में एनबीएफसी में जनता की जमाराशियों का अनुपात

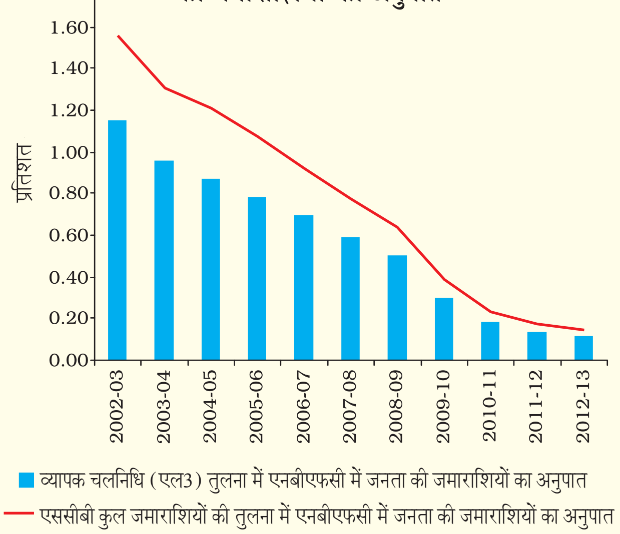

एनबीएफसी-डी के परिचालन (आरएनबीसी को छोड़कर)

वर्ष के दौरान जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) के समेकित तुलन पत्र में मामूली विस्तार हुआ

6.21 वर्ष के दौरान जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) के समेकित तुलन पत्र में 2.2 प्रतिशत की आंशिक वृद्धि हुई है (सारणी VI.16)। 2012-13 के दौरान देयताओं के पक्ष में बैंकों के उधार में कमी आने के बाद भी वह, जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) के लिए निधीयन का सबसे बड़ा स्रोत बना रहा। इसके पश्चात डिबेंचर तथा जनता से जुटाई गई जमाराशियां जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत रहे। जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधार अपेक्षाकृत कम थे लेकिन वर्ष के दौरान इसमें भी नाटकीय ढंग से 170 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इसके विपरीत जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) द्वारा सरकार से लिए गए उधार तथा अंतर-कंपनी उधार में काफी गिरावट आई। आस्तियों के पक्ष में ऋण और अग्रिम राशियां एनबीएफसी-डी की कुल आस्तियों का लगभग तीन-चौथाई भाग रहा। वर्ष के दौरान एनबीएफसी-डी के निवेश में गिरावट मुख्यतः उनके द्वारा इक्विटी शेयरों में किये गए निवेश में गिरावट के कारण हुई। एनबीएफसी-डी द्वारा वाणिज्यिक पत्र में किये जाने वाले निवेश में भी काफी गिरावट हुई। तथापि, सरकारी

सारणी VI.16: जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का समेकित तुलन-पत्र

(राशि रु. बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़	
	2012	2013 अ.	निरपेक्ष	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. शेयर पूंजी	36	37	1	2.2
2. रिजर्व एवं अधिशेष	182	182	0	0.3
3. जनता की जमा राशियां	57	71	14	24.2
4. डिबेंचर	238	318	79	33.3
5. बैंक से लिया गया उधार	404	343	-60	-15.0
6. वित्तीय संस्थाओं से लिया गया उधार	5	15	9	170.0
7. अंतर-कॉर्पोरेट उधार	4	3	-1	-19.1
8. वाणिज्यिक पत्र	29	29	0	1.4
9. सरकार से लिया गया उधार	55	43	-11	-20.9
10. गौण ऋण	55	62	8	14.0
11. अन्य उधारियाँ	29	34	6	20.4
12. वर्तमान देयताएं	92	70	-22	-24.4
13. प्रावधान	37	41	4	11.1
कुल देयताएं/आस्तियां	**1,222**	**1,249**	26	2.2
1. ऋण तथा अग्रिम	841	918	77	9.1
2. किराया-खरीद एवं लीज आस्तियां	37	22	-15	-39.4
3. निवेश	74	72	-2	-2.6
3.1. सरकारी प्रतिभूतियां	7	9	1	19.8
3.2. ईक्विटी शेयर	18.4	17.9	-0.6	-3.1
3.3. अधिमानी शेयर	4.68	4.71	0.03	0.6
3.4. डिबेंचर एवं बांड	2	3	1	45.0
3.5. म्यूचुअल फंड की इकाइयां	0.1	2.5	2.4	2617.2#
3.6. वाणिज्यिक पत्र	0.5	0.2	-0.3	-59.2
3.7. अन्य निवेश	41	35	-6	-14.4
4. नगद एवं बैंक शेष	144	146	2	1.1
4.1. उपलब्ध नगद	3	6	3	114.8
4.2. बैंक में जमा राशि	142	140	-1	-1.0
5. अन्य वर्तमान आस्तियां	103	70	-33	-31.9
6. अन्य आस्तियां	23	20	-2	-10.5

अ. : अनंतिम #: डिनॉमिनेटर (हर) छोटा है।

टिप्पणी: प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को रु. बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: वार्षिक/ तिमाही विवरणियां।

प्रतिभूतियों, डिबेंचरों एवं बांडों तथा म्यूचुअल फंड योजनाओं में किये गए निवेश में वृद्धि देखी गई।

6.22 वर्ष के दौरान जमाराशि लेने वाली (एनबीएफसी) की संख्या में गिरावट आई। इसके बावजूद, वर्ष के दौरान, जुटाई गई जमाराशियों और उधार राशियों में वृद्धि हुई। जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) के बीच जहां एक ओर आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) के तुलन-पत्र में विस्तार हुआ, वहीं दूसरी ओर ऋण कंपनियों (एलसी) के तुलन पत्र का संकुचन हुआ (सारणी VI.17)।

सारणी VI.17: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वर्गीकरण द्वारा जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की देयताओं के मुख्य घटक

(मार्च के अंत में)

(राशि रु. बिलियन में)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वर्गीकरण	कंपनियों की संख्या		जनता की जमा राशि		कुल उधार राशियां		कुल देयताएं	
	2012	2013 अ.	2012	2013 अ.	2012	2013 अ.	2012	2013 अ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आस्ति वित्त कंपनियां	193	169	43 (76)	57 (80)	580 (71)	732 (86)	849 (69)	1047 (84)
ऋण प्रदान करने वाली कंपनियां	49	40	14 (24)	14 (20)	238 (29)	116 (14)	373 (31)	202 (16)
कुल	**242**	**209**	**57**	**71**	**818**	**848**	**1,222**	**1,249**

अ. : अनंतिम **टिप्पणी:** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हिस्से हैं।

जमाराशि लेने वाली एनबीएफसी-डी की जमाराशियों के आकार के आधार पर वर्गीकरण

बड़ी एनबीएफसी-डी द्वारा जुटाई गई जनता की जमाराशियों का हिस्सा अधिक रहा

6.23 छः बड़ी एनबीएफसी-डी, जो जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल संख्या का मात्र लगभग 2.8 प्रतिशत हैं, ने मार्च 2013 के अंत तक एनबीएफसी-डी की कुल जमाराशियों की लगभग 95 प्रतिशत राशियां जुटाईं (सारणी *VI.*18)।

एनबीएफसी-डी द्वारा जुटाई गई जमाराशियों का क्षेत्रीय फैलाव

जनता की जमाराशियों का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण क्षेत्र में जुटाया गया

6.24 क्षेत्र-वार, उत्तरी क्षेत्र में जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) की संख्या सर्वाधिक है और उसके बाद दक्षिण क्षेत्र का स्थान आता है। फिर भी, दक्षिण क्षेत्र ने जनता द्वारा दी गई कुल जमाराशियों का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया। इसी प्रकार का पैटर्न महानगरों में भी देखा जा सकता है। जहां एक ओर नई दिल्ली में जमा एनबीएफसी-डी की संख्या सबसे अधिक थी, वहीं दूसरी ओर चेन्नै में एनबीएफसी-डी द्वारा जनता से जुटाई गई जमाराशियों का 63.1 प्रतिशत का सबसे अधिक हिस्सा रहा (सारणी VI.19 एवं चार्ट VI.3)। 2012-13 के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में एनबीएफसी-डी की संख्या में हुई कमी के बावजूद उनके द्वारा जनता से जुटाई गई जमाराशियों में काफी वृद्धि हुई है। ऐसा मुंबई में विशेषरूप से देखा गया।

सारणी VI.18: जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमा राशि का दायरा

(राशि रु. मिलियन में)

जमा राशि की सीमा	मार्च के अंत में			
	एनबीएफसी की संख्या		जमा राशि	
	2012	2013 अ.	2012	2013 अ.
1	2	3	4	5
1. रु.5 मिलियन से कम	153	128	187 (0.3)	156 (0.2)
2. रु.5 मिलियन से अधिक और रु.20 मिलियन तक	45	39	490 (0.9)	407 (0.6)
3. रु.20मिलियन से अधिक और रु.100मिलियन तक	27	28	1,131 (2.0)	1,197 (1.7)
4. रु.100 मिलियन से अधिक और रु.200 मिलियन तक	7	6	1,085 (1.9)	928 (1.3)
5. रु.200मिलियन से अधिक और रु.500मिलियन तक	4	2	1,201 (2.1)	482 (0.7)
6. रु.500मिलियन और उससे अधिक	6	6	52,951 (92.8)	67,682 (95.5)
कुल	**242**	**209**	**57,045** **(100)**	**70,851** **(100)**

अ: अनंतिम

टिप्पणियां: कोष्ठक में दर्शाए गये आंकड़े प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

स्रोत: वार्षिक/तिमाही विवरणियां।

सारणी VI.19: जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जनता की जमा राशि- क्षेत्र-वार

(राशि रु. मिलियन में)

क्षेत्र	मार्च के अंत में			
	2012		2013 अ.	
	एनबीएफसी-डी की संख्या	जनता की जमा राशि	एनबीएफसी-डी की संख्या	जनता की जमा राशि
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र	178	1,990	152	1,865
दक्षिणी क्षेत्र	50	40,202	47	44,223
पूर्वी क्षेत्र	6	39	4	18
पश्चिमी क्षेत्र	8	14,813	6	24,746
कुल	**242**	**57,045**	**209**	**70,851**
महानगरीय शहर :				
कोलकाता	4	39	3	18
चेन्नै	31	39,338	30	43,353
मुंबई	5	14,682	3	24,604
नई दिल्ली	44	900	32	759
कुल	**84**	**54,960**	**68**	**68,733**

अ: अनंतिम

स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

चार्ट VI.3 : एनबीएफसी-डी द्वारा धारित जनता की जमाराशियों का क्षेत्र-वार हिस्सा (मार्च के अंत में)

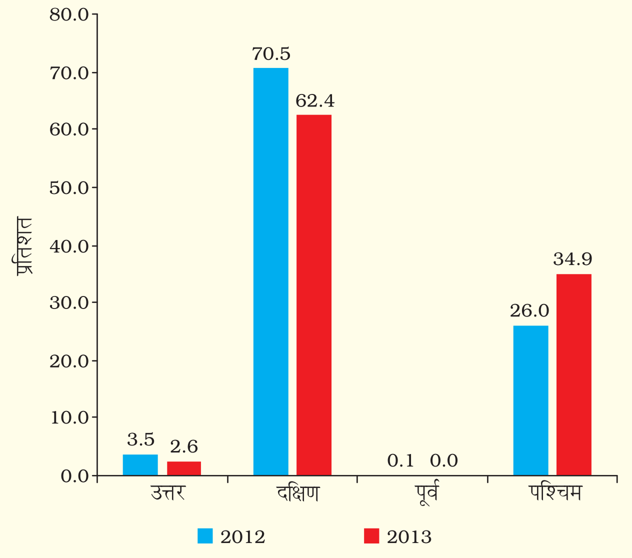

चार्ट VI.4 : एनबीएफसी-डी द्वारा धारित जनता की जमाराशियों का ब्याज दर दायरा

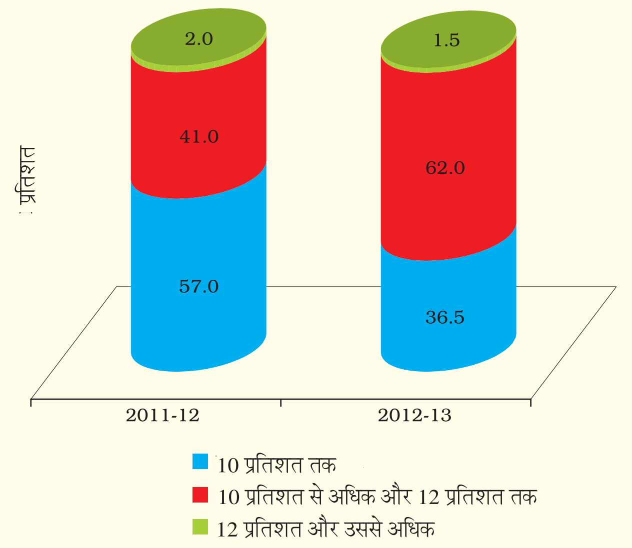

एनबीएफसी के पास जनता की जमाराशि पर ब्याज दर

10 से 12 प्रतिशत तक की ब्याज दर वाली जनता की जमाराशियां बहुत तेजी से बढ़ी

6.25 तंग चलनिधि माहौल के चलते एनबीएफसी-डी द्वारा जनता से जुटाई गई जमाराशियों के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की ब्याज दर 10-12 प्रतिशत के बीच रही। तदनुसार, 2012-13 के दौरान 10 प्रतिशत ब्याज दर वाली जमाराशियों का हिस्सा पिछले वर्ष के 56.9 प्रतिशत से गिरकर 36.5 प्रतिशत रह गया (सारणी VI.20 और चार्ट VI.4)।

सारणी VI.20: एनबीएफसी-डी द्वारा धारित जनता की जमाराशि-जमाराशि पर ब्याज दर दायरे के अनुसार

(राशि रु. मिलियन में)

जमाराशि पर ब्याज-दर का दायरा	मार्च के अंत में	
	2012	2013 अ
1	2	3
10 प्रतिशत तक	32,473 (56.9)	25,885 (36.5)
10 प्रतिशत से अधिक और 12 प्रतिशत तक	23,750 (41.6)	43,816 (61.8)
12 प्रतिशत और उससे अधिक	821 (1.4)	1,150 (1.6)
कुल	**57,045** (100.0)	**70,851** (100.0)

अ: अनंतिम

टिप्पणियां: 1. जनता की जमा राशि पर एनबीएफसी-डी 12.5 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं प्रदान कर सकतीं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

एनबीएफसी-डी द्वारा जनता से जुटाई गई जमाराशियों का परिपक्वता प्रोफाइल

6.26 वर्ष के दौरान, एनबीएफसी-डी द्वारा जनता से जुटाई गई जमाराशियों के एक बड़े हिस्से की परिपक्वता अवधि अल्पावधि से मध्यावधि तक रही। लघु-अवधि वाली जमाराशियों (एक वर्ष से कम अवधि) एवं पांच वर्ष और अधिक की अवधि वाली दीर्घावधि की जमाराशियों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (सारणी VI.21और चार्ट VI.5)।

सारणी VI.21: एनबीएफसी-डी द्वारा धारित जनता की जमाराशि की परिपक्वता की रूपरेखा

(राशि रु. मिलियन में)

परिपक्वता अवधि	मार्च के अंत में	
	2012	2013 P
1	2	3
1. 1 वर्ष से कम	10,775 (18.9)	18,379 (25.9)
2. 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक	15,133 (26.5)	12,917 (18.2)
3. 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	24,940 (43.7)	31,858 (45.0)
4. 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	6,191 (10.9)	6,550 (9.2)
5. 5 वर्ष और उससे अधिक@	6 (0.0)	1,148 (1.6)
कुल	**57,045** (100.0)	**70,851** (100.0)

अ: अनंतिम ।

@: दावा न की गई जनता की जमा राशियां शामिल हैं।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रति प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

सारणी VI.22: एनबीएफसी-डी की उधारियों के श्रेणी-वार स्रोत

(राशि रु. बिलियन में)

वर्गीकरण	मार्च के अंत में										कुल उधार	
	सरकार		बैंक और वित्तीय संस्थाएं		डिबेंचर		वाणिज्य पत्र		अन्य			
	2012	2013 अ.	2012	2013 अ.	2012	2013 अ.	2012	2013 अ.	2012	2013 अ.	2012	2013 अ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आस्ति वित्त कंपनियां	0	0	299	328	198	298	6	19	75	87	580	732
	(0.0)	(0.0)	(73.2)	(91.6)	(83.3)	(93.7)	(22.7)	(66.3)	(86.6)	(87.5)	(70.9)	(86.3)
ऋण कंपनिया	55	43	110	30	40	20	22	10	12	12	238	116
	(100.0)	(100.0)	(26.8)	(8.4)	(16.7)	(6.3)	(77.3)	(33.7)	(13.4)	(12.5)	(29.1)	(13.7)
कुल	**55**	**43**	**409**	**358**	**238**	**318**	**29**	**29**	**87**	**100**	**818**	**848**

अ. : अनंतिम

टिप्पणि: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रति प्रतिशत को दर्शाते हैं

स्रोत: वार्षिक विवरणियां

6.27 आस्ति वित्त कंपनियों की उधारियों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के कारण 2012-13 के दौरान जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) की कुल उधार राशियों में वृद्धि हुई जिससे ऋण कंपनियों की उधार राशि में हुई कमी की भरपाई हुई (सारणी VI.22)। एनबीएफसी-डी ने मुख्य रूप से अस्थायी डिबेंचरों के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार लिया।

एनबीएफसी-डी की आस्तियां

एनबीएफसी-डी क्षेत्र के आस्ति आकार में वर्ष के दौरान थोड़ी वृद्धि हुई

6.28 ऋण कंपनियों की आस्तियों के आकार में हुई कमी के बावजूद, मुख्य रूप से आस्ति वित्त कंपनियों की आस्तियों में वृद्धि के कारण 2012-13 के दौरान एनबीएफसी-डी क्षेत्र की कुल आस्तियों में थोड़ी वृद्धि हुई (सारणी VI.23)। घटक-वार देखा जाए तो कुल आस्तियों में काफी बड़ा हिस्सा अग्रिम राशियों का एवं तत्पश्चात निवेश का रहा।

चार्ट VI.5 : एनबीएफसी-डी द्वारा धारित जनता की जमाराशियां की परिपक्वता का स्वरूप (प्रतिशत)

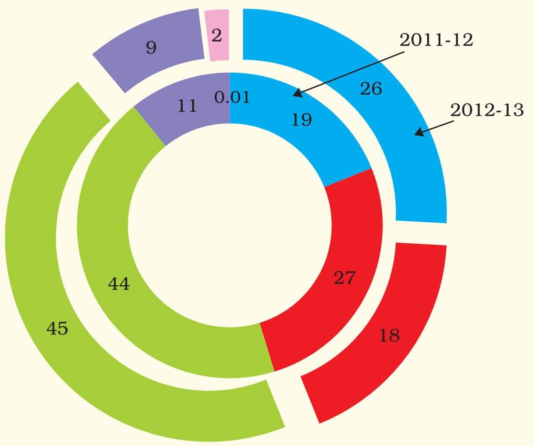

एनबीएफसी-डी का आस्ति-आकार के अनुसार वितरण

एनबीएफसी-डी की आस्तियों का अत्यंत विषम वितरण

6.29 मार्च 2013 के अंत तक जमा लेने वाली लगभग 5 प्रतिशत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का आस्ति आकार रु. 5,000 मिलियन से अधिक था और यह जमाराशि लेने वाली कुल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सकल आस्ति का लगभग 97 प्रतिशत रहा (सारणी VI.24)।

सारणी VI.23: एनबीएफसी के वर्गीकरण के अनुसार एनबीएफसी-डी की आस्तियों के मुख्य घटक

(राशि रु. बिलियन में)

वर्गीकरण	मार्च के अंत में					
	कुल आस्तियां		अग्रिम		निवेश	
	2012	2013 P	2012	2013 अ.	2012	2013 अ.
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त कंपनियां	849	1047	652	833	54	54
	(69.5)	(83.9)	(74.2)	(88.5)	(73.2)	(75.2)
ऋण कंपनियां	373	202	226	108	20	18
	(30.5)	(16.1)	(25.8)	(11.5)	(26.8)	(24.8)
कुल	**1,222**	**1,249**	**879**	**941**	**74**	**72**

अ. अनंतिम

टिप्पणि: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रति प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत: वार्षिक विवरणियां ।

सारणी VI.24: आस्ति-आकार के दायरे के अनुसार एनबीएफसी-डी की आस्तियां

(मार्च के अंत में)

(राशि रु. मिलियन में)

मद	कंपनियों की सं.		आस्तियां	
	2012	2013 अ	2012	2013 अ
1	2	3	4	5
1. रु. 2.5 मिलियन से कम	0	0	0	0
2. रु. 2.5 मिलियन से अधिक और रु. 5.0 मिलियन तक	19	12	79	49
3. रु. 5.0 मिलियन से अधिक और रु. 20 मिलियन तक	76	61	947	753
4. रु. 20 मिलियन से अधिक और रु.100 मिलियन तक	78	71	3,579	3,176
5. रु. 100 मिलियन से अधिक और रु. 500 मिलियन तक	37	36	7,903	7,921
6. रु.500 मिलियन से अधिक और रु.1000 मिलियन तक	11	12	6,865	8,438
7. रु.1000 मिलियन से अधिक और रु. 5000 मिलियन तक	7	6	14,569	16,718
8. रु. 5000 मिलियन से अधिक	14	11	11,88,518	12,11,897
कुल	**242**	**209**	**12,22,460**	**12,48,951**

अ.: अनंतिम

स्रोत: वार्षिक विवरणियां

जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय निष्पादन

जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय निष्पादन में थोड़ा सुधार हुआ

6.30 वर्ष के दौरान, यद्यपि जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निवल लाभ में थोड़ा सुधार हुआ, फिर भी आस्तियों पर लाभ (आरओए) पिछले वर्ष के स्तर 2.7 प्रतिशत पर बना रहा (चार्ट VI.6)। बढ़ी हुई लागत को देखते हुए, एनबीएफसी-डी के लिए वर्ष के दौरान आय की तुलना में लागत के अनुपात में भी वृद्धि हुई (सारणी *VI.25*)।

चार्ट VI.6 : एनबीएफसी-डी का वित्तीय निष्पादन

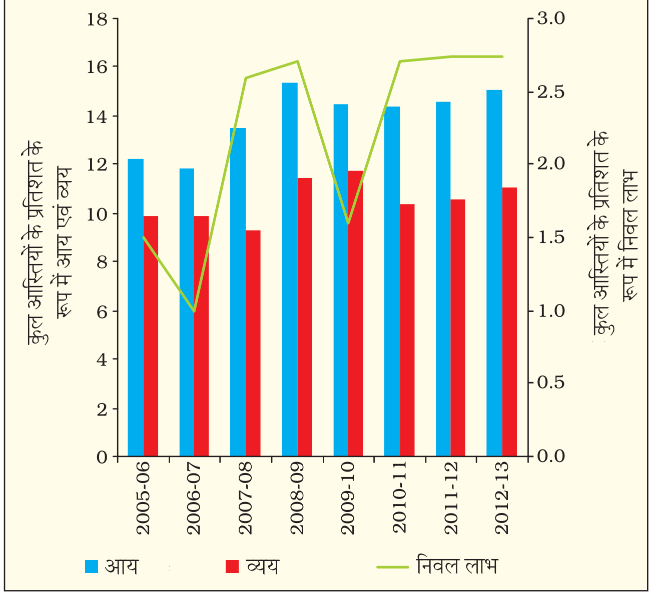

सुदृढ़ता संकेतक: एनबीएफसी-डी की आस्ति गुणवत्ता

एनबीएफसी-डी की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट

6.31 पिछले कुछ वर्षों से एनबीएफसी-डी की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट देखी जा रही है। पिछले वर्ष की अनर्जक आस्तियों का उच्च स्तर जारी रहा तथा यह 2012-13 में और अधिक गिरता रहा (सारणी VI. 26)। एनबीएफसी-डी की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट बैंकिंग क्षेत्र में अनर्जक आस्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति के अनुरूप रही और, अन्य बातों के साथ-साथ, आर्थिक गतिविधियों में हुई मंदी को इसका कारण बताया जा सकता है।

6.32 एनबीएफसी-डी की अनर्जक आस्तियों का अधिकांश भाग आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) में केंद्रित था। 2012-13 के दौरान

सारणी VI.25: जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय निष्पादन

(राशि रु. बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में	
	2012	2013 P
अ. आय (i+ii)	**179**	**188**
(i) निधि आधारित आय	177	187
	(99.2)	(99.4)
(ii) शुल्क आधारित आय	1	1
	(0.8)	(0.6)
आ. व्यय (i+ii+iii)	**129**	**138**
(i) वित्तीय	78	86
	(60.4)	(62.2)
जिसमें से, ब्याज भुगतान	6	8
	(4.4)	(6.0)
(ii) परिचालन व्यय	35	37
	(27.0)	(27.0)
(iii) अन्य	16	15
	(12.6)	(10.8)
इ. कर प्रावधान	**16**	**16**
ई. परिचालन लाभ (पीबीटी)	**50**	**50**
उ. निवल लाभ (पीएटी)	**33**	**34**
ऊ. कुल आस्तियां	**1,222**	**1,249**
ए. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों के % के रूप में)		
i) आय	14.6	15.0
ii) निधि आय	14.5	14.9
iii) शुल्क आय	0.1	0.1
iv) व्यय	10.5	11.0
v) वित्तीय व्यय	6.4	6.9
vi) परिचालन व्यय	2.8	3.0
vii) कर प्रावधान	1.3	1.2
viii) निवल लाभ	2.7	2.7
ए. आय की तुलना में लागत का अनुपात	**72.2**	**73.4**

अ.: अनंतिम.

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रति प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत: वार्षिक विवरणियां

सारणी VI.26: एनबीएफसी-डी के एनपीए अनुपात

(प्रतिशत)

मार्च के अंत में	कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए
1	2	3
2002	10.6	3.9
2003	8.8	2.7
2004	8.2	2.4
2005	5.7	2.5
2006	3.6	0.5
2007	2.2	0.2
2008	2.1	#
2009	2	#
2010	1.3	#
2011	0.7	#
2012	2.2	0.5
2013 अ	2.4	0.8

अ. : अनंतिम।
#: एनपीए की तुलना में प्रावधान अधिक हैं।
स्रोत: एनबीएफसी-डी की छमाही विवरणियां।

आस्ति वित्त कंपनियों से संबंधित सकल अनर्जक आस्तियों में रु. 7 बिलियन की वृद्धि हुई। ऋण कंपनियों के लिए इस राशि में केवल रु.1 बिलियन की बढ़ोतरी हुई। पिछले वर्ष अनर्जक आस्तियों में हुई उच्चतर वृद्धि के अलावा वर्ष के दौरान एनबीएफसी-डी के दोनों समूहों के लिए अनर्जक आस्ति अनुपातों में बढ़ोतरी हुई (सारणी VI.27)।

6.33 अनर्जक आस्तियों की तीन श्रेणियों में से 2012-13 के दौरान अवमानक आस्तियों का हिस्सा काफी बढ़ गया, जो आस्ति गुणवत्ता में गिरावट को दर्शाता है। आस्ति वित्त कंपनियों एवं ऋण कंपनियों -दोनों से संबंधित अवमानक आस्तियों में वृद्धि हुई (सारणी VI.28)।

सारणी VI.27: एनबीएफसी-डी के एनपीए श्रेणीवार

(राशि रु. बिलियन में)

मद	सकल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	निवल अग्रिम	निवल अनर्जक आस्तियां	एनपीए अनुपात (सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) सकल एनपीए	निवल एनपीए
2011-12						
सभी कंपनियां	**875**	**19**	**861**	**5**	**2.2**	**0.5**
आस्ति वित्त कंपनियां	665	16	652	4	2.4	0.5
ऋण कंपनियां	210	3	209	1	1.3	0.5
2012-13 अ						
सभी कंपनियां	**1,105**	**27**	**1,087**	**9**	**2.4**	**0.8**
आस्ति वित्त कंपनियां	844	23	828	7	2.7	0.8
ऋण कंपनियां	261	4	259	2	1.5	0.7

अ : अनंतिम
स्रोत : एनबीएफसी-डी की छमाही विवरणियां।

6.34 मार्च 2013 के अंत तक, रिपोर्ट भेजने वाली कुल 209 एनबीएफसी-डी में से 206 कंपनियों ने 15 प्रतिशत से अधिक जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात बनाए रखा (सारणी *VI*.29)। इसके अलावा, 173 कंपनियों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात 30 प्रतिशत से अधिक था। एनबीएफसी-डी के लिए निवल स्वाधिकृत निधि की तुलना में जनता से जुटाई गई जमाराशियों का अनुपात कमोबेश मार्च 2013 के अंत में वही था (सारणी VI.30)। यद्यपि रु. 5,000 मिलियन से अधिक निवल स्वाधिकृत निधि वाली कंपनियों की संख्या घटकर

सारणी VI.28: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की श्रेणी के अनुसार एनबीएफसी-डी की आस्तियों का वर्गीकरण

(राशि रु. बिलियन में)

	मानक आस्तियां	अवमानक आस्तियां	संदिग्ध आस्तियां	हानि आस्तियां	सकल एनपीए	कुल ऋण एक्सपोज़र
1	2	3	4	5	6	7
2011-12						
सभी कंपनियां	**856**	**12**	**5**	**2**	**19**	**875**
	(97.8)	**(1.4)**	**(0.5)**	**(0.3)**	**(2.2)**	**(100)**
आस्ति वित्त कंपनियां	648	10	4	2	16	665
	(97.6)	(1.5)	(0.6)	(0.3)	(2.4)	(100)
ऋण कंपनियां	208	2	1	0	3	210
	(98.7)	(0.9)	(0.3)	(0.1)	(1.3)	(100)
2012-13 अ						
सभी कंपनियां	**1,078**	**20**	**4**	**3**	**27**	**1,105**
	(97.6)	**(1.8)**	**(0.3)**	**(0.3)**	**(2.4)**	**(100)**
आस्ति वित्त कंपनियां	821	17	3	3	23	844
	(97.3)	(2.0)	(0.3)	(0.3)	(2.7)	(100)
ऋण कंपनियां	257	3	1	0	4	261
	(98.5)	(1.2)	(0.3)	(0.0)	(1.5)	(100)

अ. : अनंतिम
टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल अग्रिमों के प्रति प्रतिशत हैं।
2. प्रतिशत के आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया है।
स्रोत: एनबीएफसी-डी की छमाही विवरणियां।

सारणी VI. 29: एनबीएफसी-डी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात

(कंपनियों की संख्या)

सीआरएआर दायरा	2011-12			2012-13 अ.		
	एएफसी	एलसी	कुल	एएफसी	एलसी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1) 15 प्रतिशत से कम	2	2	4	1	2	3
2) 15 प्रतिशत से अधिक तथा 20 प्रतिशत तक	9	3	12	7	2	9
3) 20 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक	20	4	24	19	5	24
4) 30 प्रतिशत से अधिक	166	40	206	144	29	173
कुल	**197**	**49**	**246**	**171**	**38**	**209**

अ.: अनंतिम; एएफसी : आस्ति वित्त कंपनी ; एलसी : ऋण कंपनियां;
स्रोत: छमाही विवरणियां।

सारणी VI.30: वर्गीकरण के अनुसार एनबीएफसी-डी की जनता की जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधियां

(राशि रु. बिलियन में)

वर्गीकरण	निवल स्वाधिकृत निधि		जनता की जमा राशियां	
	2011-12	2012-13 अ.	2011-12	2012-13 अ.
1	2	3	4	5
आस्ति वित्त कंपनियां	137	170	43 (0.31)	57 (0.34)
ऋण कंपनियां	81	50	14 (0.17)	14 (0.28)
कुल	**218**	**219**	**57** (0.26)	**71** (0.32)

अ. अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े निवल स्वाधिकृत निधि की तुलना में जनता की जमा राशियों का अनुपात हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सात हो गई थी, उनकी कुल निवल स्वाधिकृत निधि में थोड़ी बढ़ोतरी हुई (सारणी *VI*.31)।

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी)

आरएनबीसी के अन्य कारोबारी मॉडल अपनाने की प्रक्रिया जारी है

6.35 आरएनबीसी की आस्तियों में मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान थोड़ी कमी आई (सारणी VI.32)। उनकी आस्तियों में मुख्य रूप से सावधि जमाराशियां/अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के जमा प्रमाण-पत्र और उसके पश्चात बांडों/डिबेंचरों तथा भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं। 2012-13 के दौरान आरएनबीसी की निवल स्वाधिकृत निधि कमोबेश पिछले वर्ष के स्तर पर बनी रही। 2012-13 के दौरान आरएनबीसी की आय तथा व्यय - दोनों में कमी आई। चूंकि आरएनबीसी की कुल आय में कमी कुल व्यय में हुई कमी की तुलना में कम थी, इसलिए उनके परिचालन लाभ में कुछ वृद्धि हुई। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में कम कर (टैक्स) भरने के कारण, 2012-13 के दौरान आरएनबीसी की निवल आय (कर पश्चात लाभ) में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सारणी VI.31: एनबीएफसी-डी की जनता की जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा

(मार्च के अंत में)

(राशि रु. मिलियन में)

निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा	2012			2013 अ.		
	कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	जनता की जमा राशियां	कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	जनता की जमा राशियां
1	2	3	4	5	6	7
निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा						
रु. 2.5 मिलियन तक	1	-0.93	1	1	-0.2	0.8
रु. 2.5 मिलियन से अधिक और रु. 20 मिलियन तक	122	951	324	97	776	233
रु. 20 मिलियन से अधिक और रु. 100 मिलियन तक	77	3,196	1,342	72	2,830	1,174
रु. 100 मिलियन से अधिक और रु. 500 मिलियन तक	23	5,099	1,253	23	5,144	1,327
रु. 500 मिलियन से अधिक और रु. 1000 मिलियन तक	4	2,823	817	4	2,582	912
रु. 1000 मिलियन से अधिक और रु. 5000 मिलियन तक	6	12,451	14,096	5	10,020	14,392
रु. 5000 मिलियन से अधिक	9	1,93,461	39,212	7	1,97,907	52,812
कुल	**242**	**2,17,981**	**57,045**	**209**	**2,19,259**	**70,851**

अ. : अनंतिम
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी VI.32: अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों का प्रोफाइल

(राशि रु. मिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़	
	2011-12	2012-13अ	निरपेक्ष	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आस्तियां (i से v)	**75,430**	**73,138**	-2,292	-3.0
(i) भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	8,376	7,186	-1,190	-14.2
(ii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों / सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मीयादी जमाराशियों/ जमा प्रमाणपत्रों में निवेश	13,897	13,113	-784	-5.6
(iii) सरकारी कंपनियों/ सरकारी क्षेत्र के बैंकों/ सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं / निगमों के डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र	7,513	7,513	0	0.0
(iv) अन्य निवेश	4,333	2,839	-1,494	-34.5
(v) अन्य आस्तियाँ	41,312	42,490	1,178	2.9
आ. निवल स्वाधिकृत निधि	30,790	30,879	89	0.3
इ. कुल आय (i+ii)	3,324	3,140	-184	-5.5
(i) निधि आय	2,939	2,897	-42	-1.4
(ii) शुल्क आय	385	243	-142	-36.9
ई. कुल व्यय (i+ii+iii)	1,662	1,455	-207	-12.5
(i) वित्तीय लागत	461	133	-328	-71.1
(ii) परिचालन लागत	518	658	140	27.1
(iii) अन्य लागत	684	661	-23	-3.4
उ .कराधान	570	494	-76	-13.2
ऊ. परिचालन लाभ (पीबीटी)	1,666	1,690	24	1.4
ए. निवल लाभ(पीएटी)	1,096	1,196	100	9.1

अ. : अनंतिम ; पीबीटी: कर पूर्व लाभ; पीएटी : करोत्तर लाभ।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

आरएनबीसी की जमाराशियों का क्षेत्रीय पैटर्न

6.36 मार्च 2013 के अंत में पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र में दो आरएनबीसी थीं। विनियमन संबंधित शर्तों को ध्यान में रखते हुए, आरएनबीसी अन्य कारोबारी मॉडल को अपनाने की प्रक्रिया में हैं और जून 2015 के अंत तक इन कंपनियों को जमाकर्ताओं के प्रति सकल देयताओं को कम करके 'शून्य' करना है। तदनुसार, 2012-13 के दौरान इन दोनों आरएनबीसी द्वारा धारित जनता की जमाराशियां कम होती गईं (सारणी VI.33)।

आरएनबीसी का निवेश पैटर्न

6.37 2012-13 के दौरान आरएनबीसी के निवेश में कमी आई, जोकि पिछले पैरा में उल्लिखित विनियमन संबंधी शर्तों के अनुकूल रहा (सारणी VI.34)।

सारणी VI.33: अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - क्षेत्र-वार

(राशि रु. बिलियन में)

क्षेत्र	मार्च के अंत के अनुसार			
	2011-12		2012-13 अ.	
	आरएनबीसी की संख्या	जनता की जमाराशियां	आरएनबीसी की संख्या	जनता की जमाराशियां
1	2	3	4	5
उत्तरी	1	21 (50.0)	1	17 (47.8)
पूर्वी	1	21 (50.0)	1	18 (52.2)
कुल	2	43	2	35
महानगरीय शहर				
कोलकाता	1	21	1	18

अ. : अनंतिम ।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत अनुपात हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

एनबीएफसी-एनडी-एसआई

डिबेंचरों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से उधार के माध्यम से एनबीएफसी-एनडी-एसआई के संसाधनों में वृद्धि

6.38 वर्ष 2012-13 के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआई के समेकित तुलन पत्र में 19.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। देयता पक्ष में एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा लिये गए उधार में (जमानती और गैर-जमानती), जोकि कुल देयताओं का दो-तिहाई भाग से अधिक है, वर्ष के दौरान 22.2 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई

सारणी VI.34: अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के निवेश का स्वरूप (मार्च के अंत में)

(राशि रु. मिलियन में)

मद	2011-12	2012-13अ
1	2	3
जमाकर्ताओं के प्रति समग्र देयताएं (एएलडी)	**42,650**	**35,014**
(i) भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियां	8,376 (19.6)	7,186 (20.5)
(ii) बैंकों में सावधि जमाराशियां	13,897 (32.6)	13,113 (37.5)
(iii) सरकारी कंपनी/सरकारी क्षेत्र के बैंक/ सरकारी वित्तीय संस्था/ निगम के बांड या डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र	7,513 (17.6)	7,513 (21.5)
(iv) अन्य निवेश	4,333 (10.2)	2,839 (8.1)

अ. : अनंतिम
टिप्पणियां : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जमाकर्ताओं के प्रति समग्र देयताओं (एएलडी) का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

(सारणी VI.35)। एनबीएफसी-एसआई ने मुख्य रूप से डिबेंचरों के माध्यम से और उसके बाद बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से उधार, वाणिज्यिक पत्र एवं अंतर-कंपनी कर्ज़ के माध्यम से उधार लिया। एनबीएफसी-एनडी-एसआई का गैर-जमानती उधार, जोकि कुल उधार के आधे भाग से थोड़ा कम है, में काफी वृद्धि हुई और वर्ष 2012-13 के दौरान इसमें जमानती उधार में हुई वृद्धि से भी अधिक तेजी से वृद्धि हुई। गैर-जमानती उधार मुख्य रूप से डिबेंचरों और उसके बाद बैंकों से उधार, वाणिज्यिक पत्र, अंतर-कंपनी उधार और वित्तीय संस्थाओं से उधार द्वारा लिये गए। गैर-जमानती प्रकारों में 2012-13 के दौरान "वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधार" में लगभग दोगुनी (126.4 प्रतिशत) वृद्धि हुई, जबकि गैर-जमानती डिबेंचरों और वाणिज्यिक पत्रों से लिए गए उधारों में क्रमशः 32.2 और 25.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2012-13 के दौरान बैंकों से लिए गए गैर-जमानती उधारों में थोड़ी वृद्धि हुई।

सारणी VI.35: एनबीएफसी-एनडी-एसआई का समेकित तुलन-पत्र

(मार्च के अंत में)

(राशि रु. बिलियन में)

मद	2012	2013 अ	घट-बढ़ (प्रतिशत)
1	2	3	4
1. शेयर पूंजी	**524**	**592**	**12.9**
2. रिजर्व और अधिशेष	1,891	2,068	9.3
3. कुल उधार	**6,530**	**7,980**	**22.2**
अ. जमानती उधार	**3,627**	**4,332**	**19.4**
अ.1. डिबेंचर	1,746	2,112	21.0
अ.2. बैंकों से उधार	1,487	1,704	14.6
अ.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	98	128	30.0
अ.4. उपचित ब्याज	64	96	49.7
अ.5.अन्य	232	292	25.7
आ. गैर-जमानती उधार	**2,902**	**3,648**	**25.7**
आ.1. डिबेंचर	1,221	1,614	32.2
आ.2. बैंकों से उधार	456	460	0.9
आ.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	28	63	126.4
आ.4. रिश्तेदारों से उधार	13	11	-13.0
आ.5. अंतर-कॉर्पोरेट उधार	242	247	1.8
आ.6. वाणिज्यिक पत्र	353	441	25.1
आ..7. उपचित ब्याज	71	99	39.8
आ.8. अन्य	519	713	37.4
4. चालू देयताएं एवं प्रावधान	408	537	31.6
कुल देयताएं / कुल आस्तियां	**9,353**	**11,177**	**19.5**
आस्तियां			
1. ऋण तथा अग्रिम	6,143	7,497	22.0
1.1. जमानती	4,642	5,852	26.1
1.2. गैर-जमानती	1,501	1,645	9.6
2. किराया खरीद आस्तियां	640	786	22.8
3. निवेश	1,544	1,742	12.8
3.1. दीर्घावधि निवेश	1,170	1,284	9.7
3.2. चालू निवेश	374	458	22.4
4. नगद और बैंक शेष	334	358	7.2
5. अन्य चालू आस्तियां	536	623	16.2
6. अन्य आस्तियां	156	172	9.9
ज्ञापन मदें			
1. पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई)	833	907	8.9
जिसमें से : इक्विटी शेयर	267	275	2.9
2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पूंजी बाजार एक्सपोजर	8.9	8.1	
3. लीवरेज अनुपात	2.87	3.20	

अ. अनंतिम

टिप्पणियां : 1. यहां दर्शाए गए आंकड़े 354 एनडी-एसआई से संबंधित हैं जिनकी मार्च 2012 और मार्च 2013 की अवधि में निरंतर रिपोर्टिंग की गई है और यह आंकड़े एनडी-एसआई क्षेत्र के 95 प्रतिशत से अधिक हिस्से को दर्शाते हैं।
2. प्रतिशत आंकड़ों को पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआई की मासिक विवरणियां।

6.39 वर्ष 2012-13 के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआई की आस्तियों की स्थिति और मजबूत हुई। इन आस्तियों का एक बड़ा हिस्सा ऋणों और अग्रिमों का था, जिसमें 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किराया-खरीद आस्तियों और निवेश में वृद्धि के कारण भी एनबीएफसी-एनडी-एसआई की आस्तियों में वृद्धि हुई। एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र के लीवरेज अनुपात में 3.20 की अल्प वृद्धि हुई थी। वर्ष के दौरान कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पूंजी बाजार में इस क्षेत्र का एक्सपोज़र 8.9 प्रतिशत से घटकर 8.1 प्रतिशत रह गया।

एनबीएफसी-एनडी-एसआई का क्षेत्रवार उधार

उत्तरी क्षेत्र निधियों का मुख्य स्रोत बना रहा

6.40 एनबीएफसी-एनडी-एसआई के क्षेत्रवार-उधार का विश्लेषण करने से उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के दबदबे का पता चलता है। मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान इन दोनों का हिस्सा कुल उधार के 70 प्रतिशत से अधिक रहा है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों की उधारियों में अधिक वृद्धि देखी गई है (सारणी VI.36)।

सारणी VI.36: एनबीएफसी-एनडी-एसआई की उधारियां - क्षेत्र-वार

(राशि रु. बिलियन में)

क्षेत्र	मार्च के अंत में		घट-बढ़ (प्रतिशत)
	2012	2013 अ.	
1	2	3	4
उत्तरी अंचल	3,169	3,767	18.9
पूर्वी अंचल	340	432	26.9
पश्चिमी अंचल	1,734	2,145	23.7
दक्षिणी अंचल	1,287	1,637	27.2
कुल उधार राशियां	**6,530**	**7,980**	**22.2**

अ.: अनंतिम

स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआई की मासिक विवरणी।

वित्तीय निष्पादन

एनबीएफसी-एनडी-एसआई की वित्तीय स्थिति में सुधार परिलक्षित हुआ

6.41 एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ जैसा कि 2012-13 के दौरान उनके निवल लाभ में बढ़ोतरी से परिलक्षित होता है (सारणी VI.37)। कुल आय एवं कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ में वर्ष के दौरान थोड़ी वृद्धि हुई।

6.42 जहां एक ओर एनबीएफसी-एनडी-एसआई की कुल आस्तियों की तुलना में उसकी सकल अनर्जक आस्तियों के अनुपात में थोड़ी वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर वर्ष के दौरान कुल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियों के अनुपात में कमी आई (सारणी VI.38)।

सारणी VI.37: एनबीएफसी-एनडी-एसआई का वित्तीय निष्पादन

(राशि रु. बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में	
	2012	2013 अ.
1	2	3
1. कुल आय	988	1,246
2. कुल व्यय	745	930
3. निवल लाभ	171	222
4. कुल आस्तियां	9,353	11,177
वित्तीय अनुपात (प्रतिशत)		
(i) कुल आस्तियों की तुलना में आय	10.6	11.2
(ii) कुल आस्तियों की तुलना में में व्यय	8.0	8.3
(iii) कुल आय की तुलना में निवल लाभ	17.3	17.8
(iv) कुल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ	1.8	2.0

अ. : अनंतिम

स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआई की मासिक विवरणियां।

सारणी VI.38: एनबीएफसी-एनडी-एसआई का अनर्जक आस्ति अनुपात

(प्रतिशत)

मद	मार्च के अंत में	
	2012	2013 अ.
1	2	3
(i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए	2.12	2.20
(ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए	1.29	1.09
(iii) कुल आस्तियों की तुलना में सकल एनपीए	1.54	1.63
(iv) कुल आस्तियों की तुलना में निवल एनपीए	0.93	0.80

अ. : अनंतिम

स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआई की मासिक विवरणियां (रु.1 बिलियन और उससे अधिक के पूंजी आकार वाली एनबीएफसी)।

6.43 मार्च 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट करने वाली कंपनियों में से अधिकांश ने जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के रूप में मापित पूंजी पर्याप्तता को नियमानुसार 15 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर बनाए रखा। रिपोर्ट करने वाली कुल कंपनियों में से केवल 12 प्रतिशत कंपनियों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात 15 प्रतिशत से कम है और इनमें से लगभग सभी या तो निवेश कंपनियां हैं या फिर ऋण कंपनियां (सारणी VI.39) हैं। एनबीएफसी-एनडी-एसआई के पास अपने कारोबार को और बढ़ाने के लिए अपनी पूंजी का उपयोग करने के लिए पर्याप्त अवसर हैं। बैंकिंग प्रणाली का एनबीएफसी-एनडी-एसआई में एक्सपोज़र मुख्यतः मीयादी और कार्यकारी पूंजीगत ऋण के रूप में है; और इनमें से अधिकांश ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक समूह द्वारा दिए गए हैं (सारणी VI.40)। एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा बैंकिंग क्षेत्र को जारी किये गए डिबेंचरों और वाणिज्यिक पत्रों में सामान्यतः नये निजी क्षेत्र के बैंकों एवं विदेशी बैंकों ने क्रमशः अभिदान किया है।

6.44 पिछले कुछ वर्षों में देश में स्वर्ण ऋण में काफी बढ़ोतरी हुई है। स्वर्ण के बदले ऋण देने के व्यापार में बैंकों का दबदबा

सारणी VI.39: एनबीएफसी-एनडी-एसआई का पूंजी पर्याप्तता अनुपात - श्रेणी वार

(कंपनियों की संख्या)

सीआरएआर का दायरा	2011-12					2012-13 अ					
	एएफसी	आईसी	आईएफसी	एलसी	कुल	एएफसी	आईसी	आईडीएफ	आईएफसी	एलसी	कुल
1) 15 % से कम	-	30	-	18	48	1	34	-	-	15	50
2) 15 % से अधिक और 20 % तक	5	8	1	23	37	5	7	-	1	24	37
3) 20 % से अधिक और 30 % तक	4	12	2	20	38	4	10	-	2	30	46
4) 30 % से अधिक	7	178	1	88	274	6	182	1	1	95	285
कुल	**16**	**228**	**4**	**149**	**397**	**16**	**233**	**1**	**4**	**164**	**418**

अ. अनंतिम, - : निल को सूचित करता है।

एएफसी : आस्ति वित्त कंपनियां; एलसी - ऋण कंपनियां; आईसी : निवेश कंपनियां; आईएफसी : इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियां; आईडीएफ - आधारभूत संरचना ऋण निधि एनबीएफसी।

स्रोत : अर्द्ध-वार्षिक विवरणियां ।

सारणी VI.40 : एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र का बैंक एक्सपोजर

(मार्च 2013 के अंत में)

(राशि रु. बिलियन में)

बैंक समूह	मीयादी ऋण	कार्यशील पूंजी कर्ज	डिबेंचर	वाणिज्यिक पत्र	अन्य	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
अ. राष्ट्रीयकृत बैंक	709.4	2.7	26.6	0.1	27.3	766.1
आ. स्टेट बैंक समूह	250.3	136.3	0.2	0.0	0.2	386.9
इ. निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	212.6	8.2	0.1	0.0	0.0	221.0
ई. निजी क्षेत्र के नए बैंक	338.5	26.9	61.1	0.3	19.8	446.5
उ. विदेशी बैंक	50.7	0.7	0.4	50.2	0.5	102.4
सभी बैंक	**1,561.4**	**174.6**	**88.4**	**50.6**	**47.8**	**1,922.9**

स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआई की मासिक विवरणी।

होने के बाद भी एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा स्वर्ण के बदले ऋण में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान स्वर्ण ऋण व्यापार से जुड़े एनबीएफसी-एनडी-एसआई की संख्या छः से बढ़कर आठ हो गई है। पोर्टफोलियो के अत्यधिक संकेंद्रण के कारण उत्पन्न वित्तीय स्थिरता से संबंधित चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए ताकि वे अपने तुलन-पत्र में कुल आस्तियों की तुलना में स्वर्ण ऋण के प्रतिशत को दर्शाएं और मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात को 60 प्रतिशत से अधिक न होने दें। इसके साथ ही, ग्राहकों की शिकायतों और चिंताओं के निवारण के लिए एनबीएफसी को संशोधित उचित व्यवहार संहिता का पालन करने के लिए भी कहा गया (बॉक्स VI.2)।

बॉक्स VI.2:

स्वर्ण की जमानत पर उधार देने वाली गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन

हाल के वर्षों में स्वर्ण ऋण देने वाली गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने, अपने तुलन पत्रों के आकार तथा देश भर में भौगोलिक पहुँच -दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। मार्च 2013 के अंत तक स्वर्ण ऋण देने वाली गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों का हिस्सा, एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र की कंपनियों की कुल परिसंपत्तियों का लगभग 5 प्रतिशत तथा ऋण कंपनियों की कुल परिसंपत्तियों का लगभग 28.6 प्रतिशत था। अपने कारोबार में वृद्धि पर जोर देने के लिए, ये एनबीएफसी, बैंकों से लिये जाने वाले उधार तथा खुदरा निवेशकों को जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम जुटाई गई सार्वजनिक निधियों पर अधिकांशतःनिर्भर रहे। स्वर्ण ऋण देने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ‘एकल उत्पाद’ व्यवसाय मॉडल की बैंक निधियों पर अधिक निर्भरता से संकेंद्रण जोखिम (क्रेडिट, बाजार, तरलता और परिचालन जोखिमों से उत्पन्न) और प्रणालीगत चिंताएं उत्पन्न होती हैं। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वर्ण के आयात से संबंधित मुद्दों के अध्ययन के लिए तथा स्वर्ण ऋण से जुड़े विद्यमान विनियामक मानकों तथा सिफारिश किए गए संशोधनों की समीक्षा करने हेतु एक कार्यकारी दल (अध्यक्षः श्री के.यू.बी.राव) का गठन किया गया। कार्यकारी दल ने अपनी सिफारिशों के साथ अंतिम रिपोर्ट दिनांक 6 फरवरी 2013 को प्रस्तुत की।

वित्तीय स्थिरता से जुड़ी कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए स्वर्ण ऋण क्षेत्र की एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे 60 प्रतिशत से अनधिक ऋण-मूल्य अनुपात (लोन टू वैल्यू अनुपात) बनाए रखें तथा उनकी कुल आस्तियों की तुलना में ऐसे ऋणों का प्रतिशत तुलन- पत्र में प्रकट करें। यदि किसी एनबीएफसी द्वारा दिया गया ऋण उसकी कुल वित्तीय आस्तियों का 50 प्रतिशत या उससे अधिक है तो वह 01 अप्रैल 2014 तक कम से कम 12 प्रतिशत की टियर 1 पूँजी बनाए रखे। इसके अलावा, सभी एनबीएफसी को यह अनुदेश दिया गया है कि वे स्वर्ण के सिक्के, प्राइमरी गोल्ड / बुलियन की जमानत पर उधार न दें।

इसके अलावा, उपर्युक्त कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता पर जारी विद्यमान दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया तथा संशोधित दिशानिर्देशों को 18 फरवरी 2013 को जारी किया गया। इसके अनुसार ऐसी गैर - बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने- अपने बोर्ड के अनुमोदन से एक शिकायत निवारण प्रणाली को लागू करना होगा तथा शिकायत निवारण अधिकारी का नाम सभी शाखाओं पर विशिष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऐसी एनबीएफसी को यह भी सूचित किया गया है कि वे उचित व्यवहार संहिता को विशिष्ट रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदर्शित करें। इसके अलावा, इन्हें ऋणों के मूल्य निर्धारण तथा केवाईसी मानकों के अनुपालन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। एनबीएफसी को यह भी जोर देकर कहा गया है कि वे स्वर्ण की जमानत पर पर्याप्त सुरक्षा तथा बीमा कराएं तथा अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीलामी नीति को लागू करें। उन्हें ऋण करार में ही नीलामी की प्रक्रिया का खुलासा करने तथा स्वयं अपनी नीलामी में भाग न लेने की भी सलाह दी गई है। इसके अलावा, मई 2013 में यह स्पष्ट किया गया कि एनबीएफसी द्वारा प्राथमिक स्वर्ण, स्वर्ण बुलियन, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण सिक्के, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयों तथा गोल्ड म्यूच्यल फंड की इकाइयों सहित किसी भी रूप में स्वर्ण की खरीद के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जाएगा।

दिशानिर्देशों को दिनांक 16 सितंबर 2013 को फिर से संशोधित किया गया। तदनुसार, स्वर्ण की सुरक्षा तथा उधारकर्ताओं की सुविधा सुनिश्चित करने के

(जारी...)

(...समाप्त)

लिए स्वर्ण ऋण देने वाली एनबीएफसी को यह भी कहा गया है कि वे जमानत के तौर पर स्वीकार किए गए स्वर्ण आभूषणों के सुरक्षित भंडारण के लिए एक उपयुक्त एवं पूर्णतः सुरक्षित बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएं। स्वर्ण ऋण देने वाली ऐसी गैर - बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जो 1,000 से अधिक की संख्या में अपनी शाखाएं खोलना चाहती हैं, को रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने का आदेश दिया गया है। कोई भी नई शाखा खोलने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जबतककि स्वर्ण आभूषणों की समुचित सुरक्षा तथा भंडारण के लिए पर्याप्त प्रबंध न किया गया हो, जिसमें सेफ डिपॉजिट वॉल्ट का निर्माण करना भी शामिल है। स्वर्ण आभूषणों के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता लाने तथा मनमानेपन से बचने के लिए गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मूल्य के आकलन के लिए एक मानक विधि को अपनाने की आवश्यकता है। तदनुसार, जमानत के रूप में स्वीकार किए जाने वाले स्वर्ण आभूषण का मूल्य निर्धारण, दि बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा पूर्ववर्ती 30 दिनों में उद्धृत 22 कैरेट स्वर्ण के दिनांत के मूल्यों के औसत के आधार पर किया जाना होगा। इसके अलावा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमानत के तौर पर स्वर्ण स्वीकार करते समय, उसकी शुद्धता और संपार्श्विकीकृत स्वर्ण का वजन उल्लेख करते हुए उधारकर्ता को अपने लेटरहेड पर एक लिखित प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए। स्वर्ण ऋण देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को स्वर्ण आभूषणों के स्वामित्व से जुड़ी अपेक्षाओं को पूरा करने तथा केवाईसी मानदंडों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड के द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू करने के लिए कहा गया है। नीलामी प्रक्रिया में और परिशोधन करने की सलाह दी गई है। एनबीएफसी को अधिक मूल्य के ऋण (एक लाख तथा उससे ऊपर) को चेक के माध्यम से ही भुगतान करने तथा 2-3 मिनटों में ऋण उपलब्ध कराने का दावा करने जैसे भ्रामक विज्ञापनों को निषिद्ध करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, स्वर्ण की जमानत पर उधार देने वाली सभी गैर - बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ₹5 लाख से ऊपर के सभी लेन देनों के लिए उधारकर्ता के पैन कार्ड की प्रति अवश्य प्राप्त करने के लिए कहा गया है। ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनकी सभी शाखाओं में दस्तावेजी प्रक्रिया को मानक बनाने की भी सलाह दी गई है।

4. प्राथमिक व्यापारी

6.45 जून 2013 के अंत तक वित्तीय बाजारों में कुल 21 प्राथमिक व्यापारी कार्यरत थे जिनमें से 13 बैंकों के द्वारा संचालित थे और उन्हें बैंक-पीडी कहा जाता है। शेष आठ गैर-बैंकिंग संस्थाएं थी, जिन्हें स्टैंडएलोन पीडी के नाम से जाना जाता है एवं वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 I ए के अंतर्गत पंजीकृत थे।

प्राथमिक व्यापारियों का परिचालन एवं कार्य निष्पादन

6.46 2012-13 के दौरान, भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों तथा प्राथमिक व्यापारियों के ट्रेजरी बिल दोनों में बिड-टू-कवर अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक रहा। सभी प्राथमिक व्यापारी वर्ष की पहली तथा दूसरी छमाही दोनों में नकदी प्रबंधन बिल तथा खजाना बिल - दोनों के सम्मिलित रूप से निर्धारित न्यूनतम 40 प्रतिशत के सफलता अनुपात (बोली लगाने की प्रतिबद्धता हेतु स्वीकार किए गए बिड) को प्राप्त करने में कामयाब रहे। पिछले वर्ष की तुलना में खजाना-बिलों की नीलामियों में सफलता का अनुपात थोड़ा अधिक था। (सारणी VI.41)

6.47 पिछले वर्ष जारी की गई ₹5,100 बिलियन मूल्य की प्रतिभूतियों की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार के सामान्य बाजार उधार कार्यक्रम के तहत ₹5,580 बिलियन मूल्य की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी की गईं। दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में प्राथमिक व्यापारियों का शेयर (जारी प्रतिभूतियों की तुलना में स्वीकृत बिड) वर्ष 2011-12 के 47.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 51.1 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2011-12 में ₹121.1 बिलियन के आंशिक न्यागमन के 14 उदाहरणों की तुलना में वर्ष 2012-13 में ₹18.3 बिलियन के मात्र दो ऐसे उदाहरण थे जो वर्ष के दौरान बाँड मार्केट की अनुकूल स्थिति दर्शाते थे।

सारणी VI.41: प्राथमिक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन

(मार्च के अंत में)

(राशि रु. बिलियन में)

मद	2011-12	2012-13
1	2	3
खजाना बिल तथा नगदी प्रबंध बिल*		
बोली प्रतिबद्धता	7,296	7,346
वास्तव में प्रस्तुत बोलियां	13,506	15,887
बिड टु कवर अनुपात	2.2	2.6
स्वीकृत बोलियां	4,271	4,350
सफलता अनुपात (प्रतिशत में)	58.6	59.2
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां		
अधिसूचित राशि	5,100	5,580
वास्तव में प्रस्तुत बोलियां	6,932	8,795
बिड टु कवर अनुपात	1.3	1.5
प्राथमिक व्यापारियों की स्वीकृत बोलियां	2,432	2,852
प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा (प्रतिशत में)	47.7	51.1

*2011-12 में जारी किए गए सीएमबी रु.930 बिलियन के थे।
स्रोत : प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियां।

स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का कार्य निष्पादन

द्वितीयक बाजार में पीडी की व्यापारिक गतिविधियों की हिस्सेदारी में कमी आई

6.48 द्वितीयक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों ने अलग-अलग रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में 5 गुना तथा खजाना बिलों में 10 गुना अपेक्षित न्यूनतम वार्षिक कुल कारोबार[2] (आउटराइट एवं रिपो लेन-देन) का स्तर हासिल किया। पीडी ने खजाना बिल में छह गुना तथा सरकारी प्रतिभूतियों में तीन गुना न्यूनतम वार्षिक एकमुश्त कारोबार अनुपात भी प्राप्त किया। वर्ष 2012-13 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार में उच्चतर कारोबार होने के बाबजूद, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे बीमा कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियों में हुई वृद्धि के कारण संपूर्ण बाजार लेनदेन में स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों के हिस्से में गिरावट आई। वर्ष के दौरान स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा एकमुश्त लेनदेनों में 26.3 प्रतिशत से घटकर 16.4 प्रतिशत तथा रिपो लेन-देनों में 20.3 प्रतिशत से घटकर 19.2 प्रतिशत हो गया (सारणी VI.42)।

सारणी VI.42: सरकारी क्षेत्र के द्वितीयक बाजार में स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन

(मार्च के अंत में)

(राशि रु. बिलियन में)

मद	2011-12	2012-13
1	2	3
एकमुश्त		
स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का टर्नओवर	18,381	21,643
बाजार सहभागियों का टर्नओवर	69,764	1,31,841
प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा (प्रतिशत)	26.3	16.4
रिपो		
स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का टर्नओवर	15,245	20,724
बाजार सहभागियों का टर्नओवर	75,278	1,08,055
प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा (प्रतिशत)	20.3	19.2
कुल		
स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का टर्नओवर	33,625	4,23,667
बाजार सहभागियों का टर्नओवर	1,45,042	23,98,959
प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा (प्रतिशत)	23.2	17.7

टिप्पणियां : 1. प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि कुल संख्याओं को रु. बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
2. पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि घटकों का जोड़ कुल से मेल न खाए।

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड।

स्टैंडएलोन पीडी की निधियों के स्रोत तथा उनका उपयोग

प्राथमिक व्यापारियों द्वारा वाणिज्य पत्रों, कॉरपोरेट बॉंड बाजार तथा ईक्विटी में किए गए निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई

6.49 2012-13 में प्राथमिक व्यापारियों की पूंजी में 2.2 प्रतिशत की गिरावट आने के बावजूद, इसकी क्षतिपूर्ति उनकी आरक्षित निधियों में तेज वृद्धि एवं अधिशेष के कारण हो गई जिससे उनकी निवल स्वाधिकृत निधि में 5.8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। निधियों की प्राप्ति का मुख्य स्रोत उधार ही रहा है जो कुल निधियों का 84 प्रतिशत था। प्राथमिक व्यापारियों द्वारा लिए गए सुरक्षित तथा असुरक्षित ऋणों में बढ़ोतरी तो हुई परन्तु वे पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम थे। निधियों के उपयोग के मामले में, वाणिज्य पत्र, बांडों तथा ईक्विटी में किए गए निवेश में काफी वृद्धि हुई (सारणी VI.43)।

स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

आय में हुई तीव्र वृद्धि से लाभ में बढ़ोतरी

6.50 वर्ष 2012-13 के उत्तरार्द्ध के दौरान हुई गिरती ब्याज दर के कारण व्यापारिक लाभ में भारी वृद्धि के चलते वर्ष 2012-13 में स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों के कर पश्चात लाभ में 146 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई (सारणी VI.44)। कर पश्चात लाभ में सुधार को प्रतिबिम्बित करते हुए निवल हैसियत पर प्रतिफल तथा औसत आस्तियों पर मिलने वाले प्रतिफल में भी अच्छी बढोतरी देखी गयी (सारणी VI.45)। वर्ष 2012-13 में प्राथमिक व्यापारियों का लागत- आय अनुपात 2011-12 के 44.1 से घटकर 27.2 हो गया जो कि उनकी दक्षता में हुई वृद्धि दर्शाता है।

6.51 प्राथमिक व्यापारियों द्वारा धारित जोखिम भारित आस्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जो उनकी निवल पूंजीगत निधियों में हुई मामूली वृद्धि से कहीं अधिक थी। इससे उनका जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात 53.8 प्रतिशत (मार्च 2012

[2] टर्नओवर अनुपात की गणना वर्ष के दौरान द्वितीयक बाजार में औसत माह-अंत स्टॉक में कुल क्रय और विक्रय के अनुपात के रूप में की जाती है।

सारणी VI.43: स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उपयोग

(राशि रु. मिलियन में)

मद	मार्च के अंत में			प्रतिशत घट-बढ़	
	2011	2012	2013	2012	2013
1	2	3	4	5	6
निधियों के स्रोत	**1,30,320**	**2,03,810**	**2,43,231**	**56.4**	**19.3**
1 पूंजी	15,210	15,080	14,743	-0.8	-2.2
2 रिजर्व और अधिशेष	18,890	20,490	22,832	8.4	11.4
3 ऋण (क+ख)	96,220	1,68,240	2,05,657	74.9	22.2
क) जमानती	63,520	1,13,970	1,36,325	79.4	19.6
ख) गैर जमानती	32,700	54,260	69,331	66.0	27.8
निधियों का उपयोग	**1,30,320**	**2,03,810**	**2,43,231**	**56.4**	**19.3**
1 अचल आस्तियां	380	370	325	-1.8	-12.2
2 निवेश (क+ख+ ग)	98,520	1,45,080	2,13,576	47.3	47.2
क) सरकारी प्रतिभूतियां	86,430	1,33,320	1,77,403	54.2	33.1
ख) वाणिज्यिक पत्र	100	250	2,442	149.4	876.8
ग) कॉर्पोरेट बांड	11,990	11,510	33,730	-4.0	193.0
3 ऋण और अग्रिम	4,260	19,380	9,911	354.9	-48.9
4 गैर चालू आस्तियां	0	2,970	2,214		-25.5
5 ईक्विटी, म्यूचुयुअल फंड *आदि*	250	160	1,241	-34.7	675.6
6 अन्य*	26,910	35,850	15,965	33.2	-55.5

* अन्य = नगदी + जमा प्रमाण-पत्र + बैंक शेष + उपचित ब्याज + आस्थगित कर अस्तियां - चालू देयताएं और प्रावधान

टिप्पणियां : 1. पूर्णांकन के कारण प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है

2. पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि घटकों का जोड़ कुल से मेल न खाए।

स्रोत : प्राथमिक व्यापारियों की वार्षिक रिपोर्ट ।

के अंत में) से घटकर 39.4 प्रतिशत (मार्च 2013 के अंत में) हो गया (सारणी VI.46)। तथापि, यह अनुपात सभी स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों के लिए विनियामक शर्तों के अधीन निर्धारित 15 प्रतिशत के अनुपात से काफी ऊपर रहा।

सारणी VI.44: स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय निष्पादन

(राशि रु. मिलियन में)

मद	2011-12	2012-13	घट-बढ़	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आय (i से iii)	**15,470**	**22,742**	**7,272**	**47.0**
i) ब्याज और बट्टा	13,820	17,912	4,092	29.6
ii) कारोबारी लाभ	640	4,276	3,636	568.1
iii) अन्य आय	1,010	553	-457	-45.2
ख. व्यय (i + ii)	**13,070**	**17,023**	**3,953**	**30.2**
i) ब्याज	11,180	14,883	3,703	33.1
ii) स्थापना तथा प्रशासनिक लागत सहित अन्य व्यय	1,890	2,140	250	13.2
कर पूर्व लाभ	2,400	5,542	3,142	130.9
करोत्तर लाभ	1,540	3,795	2,255	146.4

टिप्पणियां: 1. पूर्णांकन के कारण प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है

2. पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि घटकों का जोड़ कुल से मेल न खाए।

स्रोत : प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियां ।

सारणी VI.45: स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय संकेतक

(राशि रु. मिलियन में)

संकेतक	2011-12	2012-13
1	2	3
i) निवल लाभ	1,540	3,790
ii) औसत आस्तियां	1,97,460	2,52,170
iii) औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	0.8	1.5
iv) निवल मालियत पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	4.4	10.1
v) लागत-आय अनुपात	44.1	27.2

सारणी VI. 46: स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का सीआरएआर

(राशि रु. मिलियन में)

विवरण	मार्च के अंत में	
	2012	2013
1	2	3
1. कुल निवल पूंजीगत निधियां	39,290	42,280
2. कुल जोखिम भारित आस्तियां	72,980	1,07,401
क) क्रेडिट जोखिम	37,420	49,570
ख) बाजार जोखिम	35,560	57,831
3. सीआरएआर (प्रतिशत)	**53.8**	**39.4**

5. समग्र मूल्यांकन

6.52 गैर - बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में समग्रतः तुलन पत्रों में काफी विस्तार देखा गया है; यद्यपि कुछ कंपनियों के इस क्षेत्र से बाहर हो जाने तथा कुछ के द्वारा अन्य कारोबारी मॉडल को अपनाने की वजह से समेकन हुआ। 2012-13 में वित्तीय संस्थाओं तथा एनबीएफसी के निवल लाभ में भी वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान एनबीएफआई क्षेत्र के एक बड़े भाग की आस्तियों की समग्र गुणवता में गिरावट आई जो आंशिक रूप से समग्र अर्थव्यवस्था में आई मंदी दर्शाती है। पूंजी पर्याप्तता के संदर्भ में समस्त एनबीएफआई क्षेत्र सुखद स्थिति में था। स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों के निवल लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। विनियामक हस्तक्षेप का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता से संबंधित चिंताओं को दूर करना एवं क्षेत्र के स्वस्थ विकास को प्रेरित करना था। रिज़र्व बैंक सार्वजनिक नोटिस जारी करने के अलावा, आउटरीच और संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित करता रहा है ताकि आम जनता को व्यक्तियों, अनिगमित निकायों और कंपनियों द्वारा काल्पनिक मुनाफे के फर्जी वादों का शिकार होने से सावधान किया जा सके।

परिशिष्ट सारणी IV.1: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, एक नजर में

(राशि ₹ बिलियन में)

क्रम सं.	मदें	मार्च के अंत में बकाया राशि		प्रतिशत परिवर्तन	
		2012	2013	2011-12	2012-13
1	**तुलन-पत्र परिचालन**				
1.1	कुल देयताएं/आस्तियां	83,209	95,733	15.8	15.1
1.2	जमाराशियां	64,535	74,295	14.9	15.1
1.3	उधार	8,438	10,105	24.9	19.8
1.4	ऋण तथा अग्रिम	50,736	58,797	18.1	15.9
1.5	निवेश	22,339	26,133	16.1	17.0
1.6	तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र (तुलन-पत्र की देयताओं के प्रतिशत के रूप में)	175.4	138.5	-	-
1.7	कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	2,809	3,312	14.0	17.9
2	**लाभप्रदता**				
2.1	निवल लाभ	817	912	16.1	11.6
2.2	आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) (प्रतिशत)	1.08	1.03	-	-
2.3	इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) (प्रतिशत)	14.60	13.84	-	-
2.4	निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) (प्रतिशत)	2.9	2.8	-	-
3	**पूंजी पर्याप्तता**				
3.1	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (बासेल I के अंतर्गत) (प्रतिशत)	12.9	12.8	-	-
3.2	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)(बासेल II के अंतर्गत) (प्रतिशत)	14.2	13.9	-	-
3.3	टियर I पूंजी (कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में)	72.8	74.1	-	-
3.4	सीआरएआर(टियर I) (बासेल I) (प्रतिशत)	9.4	9.5	-	-
3.5	सीआरएआर(टियर I) (बासेल II) (प्रतिशत)	10.4	10.3	-	-
4	**आस्ति गुणवत्ता**				
4.1	सकल एनपीए	1,429	1,940	46.0	35.8
4.2	निवल एनपीए	652	986	56.4	51.2
4.3	सकल एनपीए अनुपात (सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए)	3.1	3.6	-	-
4.4	निवल एनपीए अनुपात (निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए)	1.3	1.7	-	-
4.5	प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (प्रतिशत)**	51.9	51.0	-	-
4.6	स्लिपैज अनुपात (प्रतिशत)	2.5	2.7	-	-
5	**बैंक ऋण का क्षेत्रीय नियोजन**				
5.1	सकल बैंक ऋण	43,714	49,642	17.1	13.6
5.2	कृषि	5,484	5,899	14.1	7.6
5.3	उद्योग	19,374	22,302	20.7	15.1
5.4	सेवाएं	10,166	11,486	14.5	13.0
5.5	व्यक्तिगत ऋण	7,873	9,009	13.4	14.4
6	**प्रौद्योगिकीय विकास**				
6.1	क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या (मिलियन में)	18	20	-2.2	10.2
6.2	डेबिट कार्डों की कुल संख्या (मिलियन में)	278	331	22.1	19.0
6.3	एटीएम की संख्या	95,686	114,014	28.4	19.2
7	**ग्राहक सेवाएं** *				
7.1	कुल प्राप्त शिकायतों की संख्या	72,889	70,541	-4.9	-3.2
7.2	निपटान की गई शिकायतों की संख्या	72,885	69,704	1.2	-4.4
7.3	निपटान की गई शिकायतों का प्रतिशत	99.99	98.81	-	-
8	**वित्तीय समावेशन**				
8.1	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	78.6	79.1	-	-
8.2	खोली गई नई बैंक शाखाओं की संख्या	7,473	7,213	-	-
8.3	वित्तीय समावेशन योजनाओं (एफआईपी) के तहत सम्मिलित गांवों की संख्या	1,81,753	2,68,454	56.4	48.0

टिप्पणी: 1. *जून 2012 के अंत की स्थिति। प्राप्त तथा निपटान की गई शिकायतों में आरआरबी और को-ऑपरेटिव्स भी शामिल हैं।
2. ** ऑफसाइट विवरणियों पर आधारित।
3. प्रतिशत परिवर्तन में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि राशियों को मिलियन/बिलियन रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

परिशिष्ट सारणी IV.2: भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक		राष्ट्रीयकृत बैंक*		स्टेट बैंक समूह		निजी क्षेत्र के बैंक	
	2012-13	प्रतिशत घट-बढ़	2012-13	प्रतिशत घट-बढ़	2012-13	प्रतिशत घट-बढ़	2012-13	प्रतिशत घट-बढ़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. वायदा विनिमय संविदा@	19,408 (27.9)	23.0	13,809 (28.2)	24.0	5,599 (27.1)	20.4	18,504 (93.0)	-23.3
2. दी गई गारंटियां	5,346 (7.7)	8.4	3,357 (6.9)	11.2	1,989 (9.6)	4.0	2,382 (12.0)	14.5
3. स्वीकृतियां, अनुसमर्थन आदि#	6,350 (9.1)	7.7	3,254 (6.6)	7.2	3,095 (15.0)	8.3	6,308 (31.7)	285.4
आकस्मिक देयताएं	**31,104 (44.7)**	**16.9**	**20,420 (41.7)**	**18.8**	**10,684 (51.7)**	**13.4**	**27,194 (136.7)**	**-2.4**

मद	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नये बैंक		विदेशी बैंक		अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2012-13	प्रतिशत घट-बढ़	2012-13	प्रतिशत घट-बढ़	2012-13	प्रतिशत घट-बढ़	2012-13	प्रतिशत घट-बढ़
1	10	11	12	13	14	15	16	17
1. वायदा विनिमय संविदा@	1,878 (42.2)	1.8	16,625 (107.6)	-25.4	68,868 (1,108.0)	-20.3	106,780 (111.5)	-15.5
2. दी गई गारंटियां	252 (5.7)	25.6	2,130 (13.8)	13.3	964 (15.5)	13.2	8,692 (9.1)	10.5
3. स्वीकृतियां, अनुसमर्थन आदि#	207 (4.7)	55.4	6,101 (39.5)	305.7	4,453 (71.7)	5.6	17,111 (17.9)	45.6
आकस्मिक देयताएं	**2,338 (52.6)**	**7.2**	**24,856 (160.9)**	**-3.2**	**74,285 (1,195.1)**	**-18.8**	**1,32,583 (138.5)**	**-9.2**

* : आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।
@ : इसमें सभी स्वीकार्य डेरिवेटिव उत्पाद (ब्याज दर स्वैप सहित) शामिल है।
# : इसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये मदें शामिल हैं, जैसे (क) बैंकों पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (ख) आंशिक रूप से भुगतान किये गये निवेशों के संबंध में देयताएं (ग) पुनः भुनाए गए बिल और (घ) साख-पत्र।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित बैंक समूह की कुल देयताओं का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

परिशिष्ट सारणी IV.3: किसान क्रेडिट कार्ड योजना: राज्य-वार प्रगति
(मार्च 2013 के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में तथा जारी कार्डों की संख्या '000 में)

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	सहकारी बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		वाणिज्य बैंक*		कुल	
		जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उत्तरी क्षेत्र	**328**	**28.2**	**167**	**31.9**	**1,090**	**239.3**	**1,586**	**299.4**
1	हरियाणा	15	1.2	39	6.2	146	41.1	200	48.5
2	हिमाचल प्रदेश	16	2.5	7	1.4	35	5.3	57	9.2
3	जम्मू और कश्मीर	2	0.1	4	0.3	218	10.3	225	10.7
4	नई दिल्ली #$	-	-	-	-	70	3.8	70	3.8
5	पंजाब	17	1.6	21	7.2	244	101.8	282	110.7
6	राजस्थान	278	22.8	96	16.7	375	75.6	749	115.0
7	चंडीगढ़ #$	-	-	-	-	2	1.5	2	1.5
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**17**	**1.1**	**116**	**3.4**	**192**	**8.9**	**325**	**13.5**
8	असम	5	0.9	84	2.7	133	6.1	221	9.6
9	अरुणाचल प्रदेश #	-	-	-	-	4	0.2	4	0.2
10	मेघालय #	3	0.1	5	0.2	14	0.6	22	1.0
11	मिजोरम #	-	-	3	0.2	4	0.2	7	0.4
12	मणिपुर #	-	-	1	-	5	0.4	6	0.4
13	नागालैंड #	-	-	-	-	8	0.4	9	0.4
14	त्रिपुरा #	9	0.1	23	0.3	21	0.9	53	1.2
15	सिक्किम #$	1	-	-	-	3	0.2	3	0.2
	पश्चिमी क्षेत्र	**409**	**21.4**	**115**	**7.9**	**975**	**148.6**	**1,499**	**178.0**
16	गुजरात	159	6.3	34	3.1	229	46.5	422	55.8
17	महाराष्ट्र	250	15.1	81	4.9	741	101.5	1,072	121.4
18	गोवा $	-	-	-	-	4	0.6	4	0.7
19	दमण और दीव @#$	-	-	-	-	-	-	-	-
20	दादरा और नगर हवेली @$	-	-	-	-	-	-	-	-
	मध्य क्षेत्र	**1,050**	**39.7**	**689**	**41.8**	**1,401**	**193.5**	**3,140**	**275.1**
21	उत्तर प्रदेश	558	9.4	551	30.6	918	114.1	2,027	154.0
22	उत्तराखंड	35	2.6	8	0.8	63	10.3	106	13.7
23	मध्य प्रदेश	278	21.0	75	8.0	372	63.2	725	92.1
24	छत्तीसगढ़	179	6.8	55	2.5	48	6.0	282	15.3
	दक्षिणी क्षेत्र	**472**	**18.5**	**466**	**22.8**	**3,340**	**348.3**	**4,278**	**389.5**
25	कर्नाटक	101	3.7	68	6.9	391	72.0	560	82.6
26	केरल	104	6.3	69	4.7	193	33.9	366	44.9
27	आंध्र प्रदेश **	126	3.1	234	8.0	1,965	141.4	2,325	152.5
28	तमिलनाडु	142	5.3	94	3.1	773	98.4	1,008	106.9
29	लक्षद्वीप @$	-	-	-	-	-	-	-	-
30	पुदुचेरी #	-	-	-	-	18	2.6	18	2.7
	पूर्वी क्षेत्र	**413**	**10.2**	**494**	**24.8**	**1,246**	**72.2**	**2,154**	**107.3**
31	ओडिशा	213	6.3	45	4.9	231	10.0	488	21.2
32	पश्चिम बंगाल	166	3.1	120	13.3	433	22.9	719	39.3
33	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह #$	1	0.1	-	-	1	-	1	0.1
34	बिहार	16	0.5	242	4.8	356	31.8	615	37.1
35	झारखंड **	17	0.2	88	1.9	226	7.4	331	9.6
	कुल	**2,691**	**119.2**	**2,048**	**132.6**	**8,243**	**1,010.9**	**12,982**	**1,262.8**

- : शून्य/नगण्य।
: राज्य सहकारी बैंक केंद्रीय वित्तीय एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं।
$: इन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है।
* : वाणिज्य बैंकों से संबंधित डेटा में 'मीयादी ऋण' सीमा भी शामिल है।
@ इन संघशासित क्षेत्रों में कोई सहकारी बैंक नहीं है।
** डेटा का मिलान किया जा रहा है।

स्रोत: नाबार्ड/वाणिज्य बैंकों से विवरणियां।

परिशिष्ट सारणी IV.4: संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूह-वार उधार
(मार्च 2013 के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र के बैंक		राष्ट्रीयकृत बैंक*		स्टेट बैंक समूह		निजी क्षेत्र के बैंक	
	2012-13	प्रतिशत घट-बढ़	2012-13	प्रतिशत घट-बढ़	2012-13	प्रतिशत घट-बढ़	2012-13	प्रतिशत घट-बढ़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. पूंजी बाजार #	404	5.6	323	-3.9	81	74.4	402	5.7
	(0.9)		(1.0)		(0.6)		(3.5)	
2. स्थावर संपदा @	6,135	16.1	3,843	11.7	2,291	24.3	2,481	21.2
	(13.7)		(12.4)		(16.6)		(21.7)	
3. पण्य	-	-	-	-	-	-	-	-
संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	**6,539**	**15.4**	**4,166**	**10.3**	**2,372**	**25.6**	**2,883**	**18.8**
	(14.6)		**(13.5)**		**(17.2)**		**(25.2)**	

क्षेत्र	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नये बैंक		विदेशी बैंक		अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2012-13	प्रतिशत घट-बढ़	2012-13	प्रतिशत घट-बढ़	2012-13	प्रतिशत घट-बढ़	2012-13	प्रतिशत घट-बढ़
1	10	11	12	13	14	15	16	17
1. पूंजी बाजार #	24	-7.3	378	6.7	69	-17.4	875	3.4
	(0.9)		(4.3)		(2.6)		(1.5)	
2. स्थावर संपदा @	335	13.9	2,146	22.4	716	14.8	9,332	17.3
	(12.4)		(24.6)		(27.2)		(15.9)	
3. पण्य	-	-	-	-	-	-	-	-
संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	**359**	**12.1**	**2,523**	**19.8**	**785**	**11.0**	**10,206**	**16.0**
	(13.3)		**(28.9)**		**(29.8)**		**(17.4)**	

- : शून्य/नगण्य।
: पूंजी बाजार के प्रति एक्सपोजर में निवेश तथा अग्रिम दोनों शामिल हैं।
@ : स्थावर संपदा क्षेत्र के प्रति एक्सपोजर में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ऋण दोनों शामिल हैं।
* : आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित बैंक समूह के कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखें।

परिशिष्ट सारणी IV.5: बैंक स्टॉक के शेयर मूल्य तथा मूल्य/अर्जन अनुपात

(सूचना देने के लिए नियत मार्च के अंतिम शुक्रवार को)

क्र. सं.	बैंक का नाम	अंतिम मूल्य (₹) (मार्च के अंत में)			शेयर के मूल्यों में प्रतिशत घट-बढ़	मूल्य-अर्जन अनुपात * (मार्च के अंत में)		
		2010-11	2011-12	2012-13	(2011-12 की तुलना में 2012-13)	2010-11	2011-12	2012-13
	सरकारी क्षेत्र के बैंक							
1	इलाहाबाद बैंक	230.7	186.3	126.5	-32.1	7.1	4.8	5.3
2	आंध्रा बैंक	151.0	119.3	94.5	-20.8	5.8	5.0	4.1
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	963.2	793.7	677.8	-14.6	8.5	5.9	5.8
4	बैंक ऑफ इंडिया	478.1	361.0	302.5	-16.2	9.8	7.3	6.2
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	59.4	54.6	50.9	-6.7	7.7	6.1	4.0
6	केनरा बैंक	626.2	473.7	384.5	-18.8	6.4	6.3	5.7
7	सेन्ट्रल बैंक	140.9	100.2	66.9	-33.2	5.4	13.4	5.4
8	कारपोरेशन बैंक	638.2	424.8	384.2	-9.6	6.4	4.1	3.9
9	देना बैंक	104.3	90.0	89.4	-0.7	4.9	3.7	3.9
10	इंडियन बैंक	232.5	239.7	173.4	-27.7	5.9	6.1	4.8
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	146.6	239.7	65.2	-72.8	7.3	5.6	9.2
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	387.0	252.3	250.4	-0.7	6.5	6.5	5.5
13	पंजाब नैशनल बैंक	1,220.2	926.1	717.5	-22.5	8.4	6.2	4.9
14	सिंडिकेट बैंक	122.0	111.1	110.0	-1.0	6.1	3.6	3.0
15	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	347.5	234.9	218.1	-7.2	7.6	6.0	5.6
16	विजया बैंक	79.4	58.4	46.9	-19.7	-	-	-
17	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2,767.9	2,095.0	2,072.8	-1.1	16.4	8.7	7.8
18	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐंड जयपुर	519.6	402.8	413.1	2.6	5.1	4.3	4.0
19	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	653.0	503.7	554.7	10.1	5.4	6.4	6.3
20	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	744.7	581.1	518.9	-10.7	5.1	5.7	4.2
21	यूको बैंक	107.1	78.8	55.8	-29.2	6.5	4.5	6.0
22	आईडीबीआई बैंक लि.	142.5	104.7	80.3	-23.4	8.2	5.2	5.6
	निजी क्षेत्र के बैंक							
23	ऐक्सिस बैंक	1,403.7	1,145.9	1,301.3	13.6	17.2	11.2	10.8
24	सिटी यूनियन बैंक लि.	44.8	48.5	52.7	8.7	8.4	7.0	7.9
25	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	45.9	45.1	42.7	-5.3	42.9	16.5	10.3
26	धनलक्ष्मी बैंक	113.4	68.2	45.8	-32.9	34.2	17.6	147.6
27	फेडरल बैंक लि.	418.9	426.0	480.6	12.8	12.9	9.7	9.6
28	आईएनजी वैश्य बैंक	321.3	355.9	557.8	56.7	12.1	11.1	13.8
29	इंडसइंड बैंक लि.	263.7	320.8	405.0	26.2	20.0	18.7	18.6
30	जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक लि.	874.5	917.4	1,190.9	29.8	6.9	5.5	5.5
31	कर्नाटक बैंक लि.	107.5	95.7	130.8	36.7	7.1	7.3	7.1
32	करूर वैश्य बैंक लि.	399.1	372.9	451.8	21.2	8.9	8.0	8.8
33	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	456.9	542.5	651.4	20.1	21.1	22.0	22.2
34	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	97.8	85.8	81.4	-5.2	9.4	7.8	8.6
35	साउथ इंडियन बैंक लि.	22.9	24.6	24.6	-0.2	8.8	7.0	6.1
36	एचडीएफसी बैंक लि.	2,343.0	520.1	624.1	20.0	27.1	23.2	18.9
37	आईसीआईसीआई बैंक लि.	1,112.8	887.3	1,045.4	17.8	20.8	13.4	12.5
38	येस बैंक	309.9	367.3	428.6	16.7	14.7	13.2	11.7

– : उपलब्ध नहीं ।

* **स्रोत:** ब्लूमबर्ग ।

परिशिष्ट सारणी IV.6: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप *(जारी)*

(मार्च 2013 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक का नाम	कुल सरकारी और भा.रि.बैंक -निवासी	वित्तीय संस्थाएं - निवासी	वित्तीय संस्थाएं - अनिवासी	अन्य कंपनियां -निवासी	अन्य कंपनियां -अनिवासी	कुल व्यक्ति - निवासी	कुल व्यक्ति - अनिवासी	कुल - निवासी	कुल - अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राष्ट्रीयकृत बैंक									
1.	इलाहाबाद बैंक	55.2	21.8	9.7	2.2	-	11.1	-	90.3	9.7
2.	आंध्रा बैंक	58.0	14.6	13.3	2.3	-	11.6	0.2	86.5	13.5
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	55.4	17.8	-	4.7	16.7	5.0	0.5	82.9	17.1
4.	बैंक ऑफ इंडिया	64.1	16.3	13.5	0.6	-	5.1	0.4	86.1	13.9
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	81.2	10.1	0.7	1.1	-	6.7	0.2	99.1	0.9
6.	केनरा बैंक	67.7	13.4	12.2	2.0	-	4.7	0.1	87.7	12.3
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	85.3	7.7	1.7	0.7	-	4.5	0.1	98.2	1.9
8.	कारपोरेशन बैंक	59.8	29.4	3.6	2.1	-	4.8	0.4	96.1	3.9
9.	देना बैंक	55.2	8.9	-	2.6	-	14.6	18.7	81.3	18.7
10.	आईडीबीआई बैंक लि.	71.7	13.8	3.4	1.6	-	9.1	0.4	96.2	3.8
11.	इंडियन बैंक	80.0	6.3	7.9	3.1	-	2.6	0.1	92.0	8.0
12.	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	73.8	12.0	2.5	1.5	-	9.7	0.5	97.1	3.0
13.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	58.0	25.3	9.6	2.4	-	4.6	0.1	90.3	9.7
14.	पंजाब ऐंड सिंध बैंक	79.9	5.4	3.9	1.7	-	8.8	0.4	95.7	4.3
15.	पंजाब नैशनल बैंक	57.9	19.0	18.0	1.2	-	4.0	-	82.0	18.0
16.	सिंडिकेट बैंक	66.2	12.5	6.3	2.0	-	12.9	0.2	93.5	6.5
17.	यूको बैंक	69.3	13.0	3.2	2.6	-	11.6	0.3	96.5	3.5
18.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	57.9	18.0	10.6	5.4	-	8.0	0.1	89.3	10.7
19.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	82.2	10.6	-	3.2	-	4.0	-	100.0	-
20.	विजया बैंक	55.0	14.2	5.3	4.2	-	20.7	0.6	94.1	5.9
	स्टेट बैंक समूह									
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐंड जयपुर	-	80.4	-	4.1	2.8	12.5	0.2	97.0	3.0
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	62.3	15.7	13.2	2.9	-	5.8	0.2	86.7	13.3
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	-	94.0	-	0.2	-	5.7	0.1	99.9	0.1
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1.1	77.1	3.0	2.4	-	13.5	3.0	94.0	6.0

परिशिष्ट सारणी IV.6: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप *(समाप्त)*

(मार्च 2013 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक का नाम	कुल सरकारी और भा.रि.बैंक -निवासी	वित्तीय संस्थाएं - निवासी	वित्तीय संस्थाएं - अनिवासी	अन्य कंपनियां -निवासी	अन्य कंपनियां -अनिवासी	कुल व्यक्ति - निवासी	कुल व्यक्ति - अनिवासी	कुल - निवासी	कुल - अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक									
1.	कैथलिक सिरियन बैंक लि.	-	5.0	-	25.1	15.0	35.6	19.3	65.7	34.3
2.	सिटी यूनियन बैंक लि.	-	7.2	22.5	11.4	4.4	51.8	2.8	70.3	29.7
3.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	-	0.7	29.1	13.3	-	50.9	6.0	65.0	35.1
4.	फेडरल बैंक लि.	-	21.3	49.2	10.1	4.8	14.7	-	46.0	54.0
5.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	-	12.5	27.4	7.8	42.4	9.1	0.8	29.4	70.7
6.	जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक लि.	53.2	4.9	24.5	5.4	-	11.5	0.5	75.0	25.1
7.	कर्नाटक बैंक लि.	-	6.6	24.8	17.7	-	50.3	0.6	74.6	25.4
8.	करूर वैश्य बैंक लि.	-	11.6	25.3	9.7	-	52.7	0.7	74.0	26.0
9.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	-	11.7	-	21.2	11.6	54.7	0.7	87.7	12.3
10.	नैनीताल बैंक लि.	-	98.6	-	-	-	1.4	-	100.0	-
11.	रत्नाकर बैंक लि.	-	2.1	4.5	27.3	29.1	33.8	3.2	63.2	36.8
12.	साउथ इंडियन बैंक लि.	-	12.3	44.0	9.2	-	32.4	2.3	53.8	46.2
13.	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	-	-	-	13.5	16.5	69.6	0.4	83.1	16.9
	निजी क्षेत्र के नए बैंक									
14.	ऐक्सिस बैंक लि.	-	38.4	49.1	5.7	-	6.7	0.2	50.7	49.3
15.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	-	10.8	-	12.8	36.2	37.7	2.5	61.3	38.7
16.	एचडीएफसी बैंक लि.	-	8.1	-	28.8	51.3	11.4	0.4	48.3	51.7
17.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	-	18.1	67.3	9.1	-	5.4	0.2	32.6	67.5
18.	इंडसइंड बैंक लि.	-	8.7	52.9	14.3	15.6	7.9	0.8	30.8	69.2
19.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	-	2.2	36.7	6.8	0.6	53.2	0.5	62.2	37.8
20.	येस बैंक लि.	-	13.1	49.0	11.9	-	25.4	0.6	50.5	49.6

- : शून्य/नगण्य

स्रोत: ऑफ साइट विवरणियां (देशी)।

परिशिष्ट सारणी IV.7: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(जारी)*

(मार्च 2013 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम		
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ऑन-साइट	ऑफ-साइट	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**26,493**	**25,009**	**19,027**	**18,033**	**88,562**	**55,760**	**58,254**	**114,014**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**24,124**	**19,554**	**15,080**	**13,903**	**72,661**	**40,241**	**29,411**	**69,652**
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**17,036**	**13,539**	**11,320**	**10,585**	**52,480**	**21,533**	**15,528**	**37,061**
1.	इलाहाबाद बैंक	1,087	553	543	489	2,672	272	175	447
2.	आंध्रा बैंक	501	493	473	397	1,864	590	617	1,207
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,434	1,157	765	907	4,263	1,790	840	2,630
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1,594	1,156	714	769	4,233	1,103	1,030	2,133
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	592	355	339	414	1,700	445	247	692
6.	केनरा बैंक	1,064	1,040	815	824	3,743	1,771	1,755	3,526
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,529	1,180	821	759	4,289	1,389	1,140	2,529
8.	कारपोरेशन बैंक	351	526	396	390	1,663	836	589	1,425
9.	देना बैंक	447	308	291	325	1,371	495	125	620
10.	इंडियन बैंक	557	578	531	389	2,055	963	359	1,322
11.	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	833	796	670	607	2,906	1,164	719	1,883
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	437	531	532	472	1,972	1,087	365	1,452
13.	पंजाब ऐंड सिंध बैंक	379	195	260	272	1,106	146	33	179
14.	पंजाब नैशनल बैंक	2,255	1,343	1,055	862	5,515	3,086	3,226	6,312
15.	सिंडिकेट बैंक	901	789	664	577	2,931	1,104	202	1,306
16.	यूको बैंक	948	620	523	489	2,580	850	450	1,300
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,052	1,005	786	708	3,551	2,477	2,126	4,603
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	655	310	380	318	1,663	390	529	919
19.	विजया बैंक	294	326	385	330	1,335	700	174	874
20.	आईडीबीआई बैंक लि.	126	278	377	287	1,068	875	827	1,702
	स्टेट बैंक समूह	**7,088**	**6,015**	**3,760**	**3,318**	**20,181**	**18,708**	**13,883**	**32,591**
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	5,589	4,153	2,601	2,356	14,699	15,037	12,138	27,175
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐंड जयपुर	365	296	192	186	1,039	623	437	1,060
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	434	488	319	299	1,540	1,079	505	1,584
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	245	173	159	203	780	604	249	853
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	376	296	275	176	1,123	691	263	954
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	79	609	214	98	1,000	674	291	965

परिशिष्ट सारणी IV.7: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(जारी)*

(मार्च 2013 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम		
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ऑन-साइट	ऑफ-साइट	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	निजी क्षेत्र के बैंक	**2,361**	**5,445**	**3,882**	**3,881**	**15,569**	**15,236**	**27,865**	**43,101**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**1,069**	**2,332**	**1,514**	**1,132**	**6,047**	**4,054**	**3,512**	**7,566**
1.	कैथलिक सिरियन बैंक लि.	18	212	106	51	387	148	60	208
2.	सिटी यूनियन बैंक लि.	48	146	115	67	376	328	462	790
3.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	24	106	82	61	273	174	222	396
4.	फेडरल बैंक लि.	98	635	202	161	1,096	799	373	1,172
5.	आईएनजी वैश्य बैंक	87	105	167	185	544	246	254	500
6.	जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक लि.	356	117	148	64	685	402	211	613
7.	कर्नाटक बैंक लि.	105	127	162	161	555	290	214	504
8.	करूर वैश्य बैंक लि.	67	201	162	118	548	589	688	1,277
9.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	43	103	88	57	291	189	463	652
10.	नैनीताल बैंक लि.	27	32	27	22	108	-	-	-
11.	रत्नाकर बैंक लि.	25	45	25	29	124	67	117	184
12.	साउथ इंडियन बैंक लि.	95	352	171	122	740	607	193	800
13.	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	76	151	59	34	320	215	255	470
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**1,292**	**3,113**	**2,368**	**2,749**	**9,522**	**11,182**	**24,353**	**35,535**
14.	ऐक्सिस बैंक लि.	241	617	532	542	1,932	2,297	8,948	11,245
15.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	6	22	12	55	95	88	184	272
16.	एचडीएफसी बैंक लि.	428	1,106	705	793	3,032	4,344	6,399	10,743
17.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	436	989	786	884	3,095	3,322	7,159	10,481
18.	इंडसइंड बैंक लि.	95	116	151	139	501	442	440	882
19.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	40	104	94	201	439	369	592	961
20.	येस बैंक लि.	46	159	88	135	428	320	631	951

परिशिष्ट सारणी IV.7: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(समाप्त)*
(मार्च 2013 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम		
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ऑन-साइट	ऑफ-साइट	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	विदेशी बैंक	**8**	**10**	**65**	**249**	**332**	**283**	**978**	**1,261**
1.	एबी बैंक लि.	-	-	-	1	1	-	-	-
2.	आबु धाबी कामर्शियल बैंक लि.	-	-	-	2	2	-	-	-
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन	-	-	-	1	1	-	-	-
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक एन वी	-	-	-	1	1	-	-	-
5.	आस्ट्रेलिया ऐंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लि.	-	-	-	1	1	-	-	-
6.	बीएनपी पारिबा	-	-	-	9	9	-	-	-
7.	बैंक इंटरनैशनल इंडोनेशिया	-	-	-	1	1	-	-	-
8.	बैंक ऑफ अमरीका नैशनल असोसिएशन	-	-	-	5	5	-	-	-
9.	बैंक ऑफ बहरीन ऐंड कुवैत बी.एस.सी.	-	-	-	2	2	-	-	-
10.	बैंक ऑफ सिलोन	-	-	-	1	1	-	-	-
11.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	-	-	1	4	5	-	-	-
12.	बरक्लैज बैंक पीएलसी	-	1	4	4	9	-	-	-
13.	चायना ट्रस्ट कामर्शियल बैंक	-	1	-	1	2	-	-	-
14.	सिटी बैंक एन ए	-	2	12	29	43	57	548	605
15.	कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया	-	-	-	1	1	-	-	-
16.	क्रेडिट एग्रिकोल कारपोरेट ऐंड इन्वेस्टमेंट	-	-	-	5	5	-	-	-
17.	क्रेडिट सुइस एजी	-	-	-	1	1	-	-	-
18.	डीबीएस बैंक लि.	3	3	-	6	12	6	32	38
19.	ड्यूश बैंक (एशिया)	1	-	6	10	17	13	40	53
20.	फर्स्ट रैंड बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-
21.	एचएसबीसी लि.	1	1	10	38	50	70	72	142
22.	इंडस्ट्रियल ऐंड कामर्शियल बैंक ऑफ चायना	-	-	-	1	1	-	-	-
23.	जेपी मोर्गन चेस बैंक नैशनल असोसिएशन	-	-	-	1	1	-	-	-
24.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-
25.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं.लि.	-	-	-	1	1	-	-	-
26.	मशरेक बैंक पीएससी	-	-	-	1	1	-	-	-
27.	मिजुओ कारपोरेट बैंक लि.	-	-	-	2	2	-	-	-
28.	नैशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-
29.	ओमान इंटरनैशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	-	-	1	1	2	-	-	-
30.	राबो बैंक इंटरनैशनल	-	-	-	1	1	-	-	-
31.	स्बेर बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-
32.	सिनहान बैंक	-	1	-	2	3	-	-	-
33.	सोसाइटे जनरल	-	1	-	2	3	-	-	-
34.	सोनाली बैंक	-	-	1	1	2	-	-	-
35.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	-	-	20	79	99	102	201	303
36.	स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस लि.	-	-	-	3	3	-	-	-
37.	सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कारपोरेशन	-	-	-	1	1	-	-	-
38.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे, लि.	1	-	-	3	4	-	-	-
39.	दी रॉयल बैंक स्कॉटलैंड एनवी	2	-	10	19	31	35	85	120
40.	यूबीएस एजी	-	-	-	1	1	-	-	-
41.	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लि.	-	-	-	1	1	-	-	-
42.	वेस्ट पैक बैंकिंग कारपोरेशन	-	-	-	1	1	-	-	-
43.	वोरी बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-

टिप्पणी : 1. – शून्य/नगण्य

2. शाखाओं के आंकड़े प्रशासनिक कार्यालय के आंकड़ों को छोड़कर हैं।

स्रोत: रिजर्व बैंक।

परिशिष्ट सारणी IV.8: बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(जारी)*

(2012-13 की अवधि के लिए)

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रमुख श्रेणियों के अनुसार शिकायतों की संख्या							प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या
		जमा खाता	कर्ज/ अग्रिम (सामान्य और आवास संबंधी)	एटीएम/ क्रेडिट / डेबिट कार्ड	पेंशन	वादे पूरा न करना और बीसीएसबीआई कोड का पालन न करना	उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	डीएसए तथा वसूली एजेंट संबंधी नियमों का पालन न करना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**3,716**	**5,486**	**17,612**	**5,646**	**6,522**	**10,256**	**335**	**65,255**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**2,628**	**4,152**	**10,067**	**5,614**	**4,888**	**6,813**	**97**	**44,742**
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**1,366**	**2,292**	**3,961**	**2,018**	**2,661**	**3,675**	**41**	**21,609**
1.	इलाहाबाद बैंक	55	118	105	103	136	151	3	908
2.	आंध्रा बैंक	42	42	113	56	31	45	-	556
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	87	206	291	150	368	479	1	2,117
4.	बैंक ऑफ इंडिया	82	134	298	159	203	304	1	1,649
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	15	34	49	26	37	100	4	384
6.	केनरा बैंक	155	214	351	182	206	247	3	1,769
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	84	155	185	231	198	270	3	1,514
8.	कारपोरेशन बैंक	46	67	148	5	56	80	-	568
9.	देना बैंक	54	53	29	42	45	152	2	539
10.	इंडियन बैंक	50	216	112	73	133	116	4	907
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	80	185	233	101	162	125	3	1,156
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	40	52	157	11	71	83	3	613
13.	पंजाब ऐंड सिंध बैंक	24	23	25	29	23	73	1	294
14.	पंजाब नैशनल बैंक	165	262	901	418	390	465	3	3,325
15.	सिंडिकेट बैंक	76	75	171	92	79	140	1	926
16.	यूको बैंक	101	101	124	175	116	179	3	1,085
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	83	137	341	98	224	311	2	1,610
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	40	88	104	48	47	111	1	555
19.	विजया बैंक	24	43	68	18	32	54	2	318
20.	आईडीबीआई बैंक लि.	63	87	156	1	104	190	1	816
	स्टेट बैंक समूह	**1,262**	**1,860**	**6,106**	**3,596**	**2,227**	**3,138**	**56**	**23,133**
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1,066	1,447	5,461	3,261	1,934	2,720	51	20,030
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐंड जयपुर	74	191	165	146	169	133	-	1,171
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	29	63	185	53	35	78	1	643
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	19	23	60	41	10	48	1	266
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	40	52	152	56	23	69	2	498
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	34	84	83	39	56	90	1	525

परिशिष्ट सारणी IV.8: बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(जारी)*

(2012-13 की अवधि के लिए)

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रमुख श्रेणियों के अनुसार शिकायतों की संख्या							प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या
		जमा खाता	कर्ज/ अग्रिम (सामान्य और आवास संबंधी)	एटीएम/ क्रेडिट / डेबिट कार्ड	पेंशन	वादे पूरा न करना और बीसीएसबीआई कोड का पालन न करना	उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	डीएसए तथा वसूली एजेंट संबंधी नियमों का पालन न करना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	निजी क्षेत्र के बैंक	**929**	**1,167**	**4,756**	**30**	**1,358**	**2,827**	**193**	**15,653**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**133**	**238**	**196**	**13**	**158**	**308**	**5**	**1,590**
1.	कैथलिक सिरियन बैंक लि.	3	21	1	1	1	17	-	66
2.	सिटी यूनियन बैंक लि.	6	26	10	-	9	8	-	85
3.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	8	14	5	-	12	13	-	80
4.	फेडरल बैंक लि.	13	33	36	-	14	80	-	261
5.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	34	38	34	9	31	89	2	383
6.	जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक लि.	6	6	25	2	7	14	-	102
7.	कर्नाटक बैंक लि.	7	7	25	-	7	13	2	82
8.	करूर वैश्य बैंक लि.	19	19	23	-	27	23	-	169
9.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	9	24	12	1	9	12	-	91
10.	नैनीताल बैंक लि.	1	3	-	-	3	5	-	23
11.	रत्नाकर बैंक लि.	2	-	-	-	1	6	-	16
12.	साउथ इंडियन बैंक लि.	14	28	20	-	17	21	-	137
13.	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	11	19	5	-	20	7	1	95
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**796**	**929**	**4,560**	**17**	**1,200**	**2,519**	**188**	**14,063**
14.	ऐक्सिस बैंक लि.	146	149	783	1	237	533	12	2,828
15.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	7	7	4	-	6	19	-	66
16.	एचडीएफसी बैंक लि.	268	286	1,842	6	433	979	82	5,143
17.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	256	419	1,603	9	381	709	77	4,571
18.	इंडसइंड बैंक लि.	39	23	112	-	43	100	4	507
19.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	65	41	192	1	80	145	13	800
20.	येस बैंक लि.	15	4	24	-	20	34	-	148

परिशिष्ट सारणी IV.8: बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(समाप्त)*

(2012-13 की अवधि के लिए)

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रमुख श्रेणियों के अनुसार शिकायतों की संख्या							प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या
		जमा खाता	कर्ज/ अग्रिम (सामान्य और आवास संबंधी)	एटीएम/ क्रेडिट / डेबिट कार्ड	पेंशन	वादे पूरा न करना और बीसीएसबीआई कोड का पालन न करना	उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	डीएसए तथा वसूली एजेंट संबंधी नियमों का पालन न करना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	विदेशी बैंक	**159**	**167**	**2,789**	**2**	**276**	**616**	**45**	**4,860**
1.	एबी बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	आबु धाबी कामर्शियल बैंक लि.	1	-	-	-	-	-	-	2
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन	2	-	59	-	5	4	-	79
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक एन वी	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	आस्ट्रेलिया ऐंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लि.	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	बीएनपी पारिबा	1	-	-	-	-	1	-	4
7.	बैंक इंटरनैशनल इंडोनेशिया	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	बैंक ऑफ अमरीका नैशनल असोसिएशन	-	-	-	-	1	-	-	3
9.	बैंक ऑफ बहरीन ऐंड कुवैत बी.एस.सी.	-	-	-	-	-	-	-	1
10.	बैंक ऑफ सिलोन	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	बरक्लैज बैंक पीएलसी	4	15	92	-	6	22	7	163
13.	चायना ट्रस्ट कामर्शियल बैंक	-	-	-	-	-	-	-	2
14.	सिटी बैंक एन ए	35	28	386	1	41	136	2	778
15.	कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	क्रेडिट एग्रिकोल कारपोरेट ऐंड इन्वेस्टमेंट	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	क्रेडिट सुइस एजी	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	डीबीएस बैंक लि.	-	-	-	-	-	1	-	1
19.	ड्यूश बैंक (एशिया)	5	5	10	-	2	13	1	62
20.	फर्स्ट रैंड बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	एचएसबीसी लि.	24	28	298	1	19	76	7	559
22.	इंडस्ट्रियल ऐंड कामर्शियल बैंक ऑफ चायना	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	जेपी मोर्गन चेस बैंक नैशनल असोसिएशन	-	-	1	-	-	-	-	1
24.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं.लि.	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	मशरेक बैंक पीएससी	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	मिजुओ कारपोरेट बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	नैशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	ओमान इंटरनैशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	राबो बैंक इंटरनैशनल	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	स्बेर बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	सिनहान बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	सोसाइटे जनरल	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	सोनाली बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	78	81	1,805	-	192	326	22	2,944
36.	स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस लि.	-	-	-	-	-	-	-	1
37.	सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कारपोरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे लि.	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	दी रॉयल बैंक स्कॉटलैंड एनवी	9	10	138	-	10	37	6	260
40.	यूबीएस एजी	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	वेस्ट पैक बैंकिंग कारपोरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	वोरी बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-

– : शून्य/नगण्य।

परिशिष्ट सारणी IV.9: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण-जमा अनुपात और निवेश तथा ऋण-जमा अनुपात - क्षेत्र-वार/ राज्य-वार *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्र. सं.	क्षेत्र/ राज्य	ऋण-जमा अनुपात				
		मार्च 2011		मार्च 2012		मार्च 2013
		मंजूरी के अनुसार	उपयोग के अनुसार	मंजूरी के अनुसार	उपयोग के अनुसार	मंजूरी के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
	अखिल भारतीय	**75.6**	**75.6**	**79.0**	**79.0**	**78.1**
1	**उत्तरी क्षेत्र**	**82.5**	**83.4**	**87.7**	**89.6**	**88.5**
	हरियाणा	71.7	85.6	79.4	94.5	76.1
	हिमाचल प्रदेश	41.6	48.6	38.9	45.0	34.6
	जम्मू और कश्मीर	38.1	35.7	33.8	34.1	36.7
	पंजाब	77.8	92.9	80.9	83.2	81.0
	राजस्थान	90.4	95.8	90.9	96.1	92.2
	चंडीगढ़	121.6	119.8	115.5	114.5	125.9
	दिल्ली	86.8	80.8	95.6	93.8	97.6
2	**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र**	**33.8**	**36.3**	**34.4**	**37.8**	**33.1**
	अरुणाचल प्रदेश	23.7	27.4	23.9	28.4	21.2
	असम	36.5	38.9	37.7	40.3	36.8
	मणिपुर	34.8	36.6	31.3	33.2	27.4
	मेघालय	24.4	29.6	25.8	28.2	23.4
	मिजोरम	46.0	49.8	38.9	41.9	35.2
	नागालैंड	26.1	27.5	27.2	47.6	27.9
	त्रिपुरा	32.2	33.2	31.3	31.7	32.5
3	**पूर्वी क्षेत्र**	**51.4**	**53.3**	**50.7**	**52.5**	**49.0**
	बिहार	29.5	31.6	29.7	31.7	30.1
	झारखंड	34.4	35.6	33.9	34.3	31.6
	ओडिशा	52.5	55.7	47.3	50.6	46.1
	सिक्किम	37.9	62.4	33.1	57.9	27.0
	पश्चिम बंगाल	63.7	65.1	63.8	65.1	61.6
	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	38.1	39.1	38.5	41.6	38.1
4	**मध्य क्षेत्र**	**46.7**	**50.9**	**47.2**	**50.7**	**47.1**
	छत्तीसगढ़	52.3	56.1	53.6	56.1	53.1
	मध्य प्रदेश	55.6	60.1	56.6	60.7	57.7
	उत्तर प्रदेश	44.0	48.2	44.0	47.4	43.6
	उत्तराखंड	35.4	39.1	35.6	39.0	34.8
5	**पश्चिमी क्षेत्र**	**79.5**	**74.1**	**87.0**	**80.7**	**84.4**
	गोवा	29.1	31.1	28.1	30.1	28.2
	गुजरात	66.2	74.4	70.4	78.1	72.2
	महाराष्ट्र	83.0	75.0	91.8	82.5	88.3
	दादरा और नगर हवेली	34.8	56.2	30.1	60.5	38.1
	दमण और दीव	21.3	43.8	17.4	33.8	19.6
6	**दक्षिणी क्षेत्र**	**94.5**	**98.3**	**95.5**	**99.3**	**96.4**
	आंध्र प्रदेश	109.7	114.9	111.3	119.8	109.9
	कर्नाटक	72.7	76.3	71.4	74.7	71.4
	केरल	73.1	73.8	76.4	75.7	73.3
	तमिलनाडु	115.1	119.4	116.9	119.5	123.0
	लक्षद्वीप	8.7	8.8	9.7	9.6	9.8
	पुदुचेरी	62.7	63.7	71.5	69.9	83.1

परिशिष्ट सारणी IV.9: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण-जमा अनुपात और निवेश तथा ऋण-जमा अनुपात - क्षेत्र-वार/ राज्य-वार *(समाप्त)*

(प्रतिशत)

क्र. सं.	क्षेत्र/ राज्य	निवेश तथा ऋण-जमा अनुपात @				निवेश तथा ऋण तथा आरआईडीएफ-जमा अनुपात @			
		मार्च 2011		मार्च 2012		मार्च 2011		मार्च 2012	
		मंजूरी के अनुसार	उपयोग के अनुसार	मंजूरी के अनुसार	उपयोग के अनुसार	मंजूरी के अनुसार	उपयोग के अनुसार	मंजूरी के अनुसार	उपयोग के अनुसार
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15
	अखिल भारतीय	**81.2**	**81.2**	**85.2**	**85.2**	**82.4**	**82.4**	**86.4**	**86.4**
1	**उत्तरी क्षेत्र**	**87.2**	**88.1**	**92.9**	**94.8**	**89.4**	**90.4**	**94.9**	**96.8**
	हरियाणा	78.5	92.4	88.0	103.1	79.3	93.2	88.8	104.0
	हिमाचल प्रदेश	58.0	65.0	54.4	60.6	61.1	68.2	57.8	63.9
	जम्मू और कश्मीर	48.4	46.1	45.3	45.5	52.4	50.0	49.1	49.4
	पंजाब	88.5	103.6	92.6	94.9	89.7	104.7	93.8	96.1
	राजस्थान	105.8	111.2	105.3	110.5	108.0	113.4	107.9	113.1
	चंडीगढ़	121.6	119.8	115.5	114.5	121.6	119.8	115.5	114.5
	दिल्ली	86.8	80.8	95.6	93.8	89.6	83.6	97.8	96.0
2	**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र**	**42.6**	**45.1**	**42.4**	**45.8**	**44.4**	**47.0**	**44.5**	**47.9**
	अरुणाचल प्रदेश	28.2	31.9	28.0	32.5	34.1	37.8	34.4	38.8
	असम	43.8	46.2	44.1	46.7	45.2	47.6	45.4	48.0
	मणिपुर	54.9	56.7	49.8	51.6	55.4	57.2	52.1	54.0
	मेघालय	32.1	37.3	32.8	35.2	34.2	39.3	35.1	37.5
	मिजोरम	64.9	68.6	53.6	56.6	68.4	72.2	58.2	61.2
	नागालैंड	48.0	49.4	50.5	70.9	48.0	49.4	54.5	74.9
	त्रिपुरा	40.0	41.0	38.3	38.7	43.2	44.2	41.6	42.0
3	**पूर्वी क्षेत्र**	**59.2**	**61.1**	**58.5**	**60.3**	**60.4**	**62.4**	**59.9**	**61.6**
	बिहार	36.9	39.0	36.5	38.5	38.4	40.5	38.3	40.3
	झारखंड	40.9	42.0	39.7	40.1	42.8	44.0	41.9	42.3
	ओडिशा	54.9	58.0	49.1	52.4	56.8	60.0	51.3	54.6
	सिक्किम	51.0	75.4	43.7	68.6	55.0	79.5	47.6	72.4
	पश्चिम बंगाल	73.6	75.0	74.5	75.7	74.4	75.8	75.3	76.5
	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	38.1	39.1	38.5	41.6	38.1	39.1	38.5	41.6
4	**मध्य क्षेत्र**	**53.2**	**57.4**	**54.5**	**58.0**	**54.5**	**58.8**	**56.0**	**59.5**
	छत्तीसगढ़	52.6	56.4	55.7	58.2	53.5	57.3	56.5	59.0
	मध्य प्रदेश	63.3	67.8	64.5	68.6	65.1	69.6	66.6	70.7
	उत्तर प्रदेश	50.7	55.0	51.7	55.1	51.8	56.1	53.0	56.4
	उत्तराखंड	44.3	48.0	44.7	48.1	46.1	49.8	46.8	50.2
5	**पश्चिमी क्षेत्र**	**83.0**	**77.6**	**91.2**	**84.9**	**83.4**	**78.0**	**91.7**	**85.4**
	गोवा	29.6	31.6	33.1	35.1	30.3	32.2	33.9	36.0
	गुजरात	76.1	84.3	81.6	89.3	77.7	85.9	83.1	90.8
	महाराष्ट्र	85.5	77.5	94.7	85.3	85.7	77.6	94.9	85.6
	दादरा और नगर हवेली	34.8	56.2	30.1	60.5	34.8	56.2	30.1	60.5
	दमण और दीव	21.3	43.8	17.4	33.8	21.3	43.8	17.4	33.8
6	**दक्षिणी क्षेत्र**	**102.2**	**106.0**	**103.9**	**107.7**	**103.2**	**107.0**	**104.9**	**108.7**
	आंध्र प्रदेश	120.3	125.5	122.2	130.7	121.8	127.0	123.6	132.1
	कर्नाटक	76.8	80.4	75.6	79.0	77.5	81.1	76.3	79.7
	केरल	81.5	82.2	86.7	86.1	82.2	83.0	87.5	86.9
	तमिलनाडु	123.5	127.7	126.1	128.7	124.5	128.7	127.1	129.7
	लक्षद्वीप	8.7	8.8	9.7	9.6	8.7	8.8	9.7	9.6
	पुदुचेरी	77.1	78.1	85.7	84.0	78.2	79.2	87.4	85.7

@: बैंकों के राज्य-वार निवेश राज्य स्तरीय प्रतिभूतियों में उनकी धारिताओं को दर्शाता है जो इस प्रकार है: राज्य सरकार के ऋण तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी संस्थाओं, राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों, नगर निगमों, नगरपालिकाओं और पोर्ट ट्रस्टों, राज्य वित्तीय निगमों, आवास बोर्डों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, सड़क परिवहन निगमों और अन्य सरकारी और अर्ध-सरकारी निकायों के शेयर, बांड, डिबेंचर आदि शामिल हैं।

अखिल भारतीय निवेश तथा ऋण-जमा अनुपात की गणना उन केंद्र सरकार और अन्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को छोड़कर की गई है जिनका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया हैं।

टिप्पणी: 1. जमा और ऋण (मंजूरी के स्थान और उपयोग के अनुसार) के 2011 और 2012 के आंकड़े 31 मार्च की स्थिति के अनुसार किए गए बीएसआर-1 और 2 सर्वेक्षण पर आधारित हैं।
2. जमा और ऋण (मंजूरी के अनुसार) के मार्च 2013 के आंकड़े बीएसआर-7 सर्वेक्षण पर आधारित हैं।
3. जमा और ऋण (मंजूरी के अनुसार) के मार्च 2013 के आंकड़े बीएसआर-7 सर्वेक्षण पर आधारित हैं।
4. आरआईडीएफ के राज्य-वार शेष आंकड़े नाबार्ड द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित हैं।

परिशिष्ट सारणी V.1: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड

(मार्च 2013 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक का नाम	सीआरएआर	कुल आस्तियों की तुलना में निवल ब्याज आय	कार्यशील निधियों की तुलना में निवल ब्याज आय	कार्यशील निधियों की तुलना में गैर ब्याज आय	आस्तियों पर प्रतिलाभ	जमाराशियों की औसत लागत	अग्रिमों से औसत आए	प्रति कर्मचारी कारोबार (मिलियन रुपये)	प्रति कर्मचारी लाभ (मिलियन रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	13.2	2.9	3.0	1.2	1.1	7.8	12.7	54.8	0.4
2	अहमदाबाद मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	45.4	4.2	3.5	0.3	1.9	7.0	11.0	42.4	0.7
3	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बंगलोर	-70.5	0.6	1.0	1.5	-	5.4	6.8	21.4	-0.1
4	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	24.7	4.4	4.4	0.3	1.4	8.0	15.4	35.4	0.4
5	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	20.6	3.7	3.8	0.9	1.9	7.2	12.4	101.5	1.4
6	भारत को-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड, मुंबई	12.6	3.2	3.2	0.9	1.7	8.2	14.1	97.5	1.0
7	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	16.0	0.8	0.9	0.4	1.3	9.7	14.1	45.5	0.4
8	बॉम्बे मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	9.0	2.0	2.8	3.0	0.5	5.5	11.3	21.8	0.1
9	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	18.8	2.9	2.9	0.4	0.9	7.5	12.2	60.6	0.4
10	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	12.8	2.4	2.5	1.5	0.7	8.6	12.8	84.2	0.4
11	डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	14.1	3.1	3.2	1.2	1.1	7.4	12.2	65.9	0.5
12	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	14.0	2.9	3.0	0.3	0.7	6.9	10.9	54.1	0.3
13	गोपीनाथ पाटील पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	20.0	4.5	4.5	0.3	-	5.1	10.9	50.9	0.4
14	ग्रेटर बॉम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	16.9	2.9	3.0	0.7	0.1	7.5	14.5	51.4	-
15	इंडियन मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, लखनऊ	2.5	3.2	-	-	12.0	6.8	14.0	19.6	0.1
16	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	11.5	2.7	3.0	0.8	0.7	8.1	14.2	40.8	0.2
17	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	12.9	2.1	2.4	1.4	1.0	7.3	12.7	68.2	0.4
18	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, नासिक	-1.1	1.6	1.9	0.9	-7.7	7.2	9.3	10.4	-1.1
19	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	11.2	2.6	2.7	1.6	1.1	8.2	13.4	97.8	0.7
20	कालापन्ना आवडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	11.3	2.8	2.8	0.5	0.7	8.1	13.2	37.7	0.2
21	कालूपुर कमर्शियल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	19.7	3.0	3.2	0.7	1.2	7.7	12.1	92.6	1.8
22	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	12.6	3.3	3.3	1.0	1.0	7.3	12.7	54.0	0.4
23	कराड अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	11.6	2.8	2.9	0.9	0.7	8.3	13.7	39.5	0.2
24	महानगर को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	12.1	3.2	3.4	0.4	0.9	7.7	13.4	46.9	0.3
25	मापुसा अर्बन को. ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, मापुसा	-8.6	2.2	2.7	0.5	10.7	7.1	13.0	30.2	0.1
26	मेहसाना अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	13.9	2.8	2.8	0.3	2.3	8.1	12.9	92.7	0.6
27	नगर अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	13.6	3.4	3.7	0.3	0.8	8.9	14.6	56.3	0.3
28	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	15.0	3.6	0.4	0.1	1.0	6.9	13.1	32.0	0.2
29	नासिक मर्चेंट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	22.1	4.0	4.3	0.6	1.5	7.8	14.7	42.4	0.5
30	न्यू इंडिया को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	13.0	2.7	2.7	0.8	6.1	7.1	12.2	99.5	0.4
31	एनकेजीएसबी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	13.4	2.7	2.7	0.8	1.0	8.0	12.5	70.2	0.5
32	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	21.9	2.5	2.5	0.8	0.6	7.9	12.2	51.2	0.2
33	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	13.3	3.1	3.1	0.4	0.5	7.9	13.9	31.6	11.0
34	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को. ऑप. बैंक लिमिटेड	12.8	3.2	3.3	1.1	1.1	8.4	15.2	66.7	0.4
35	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	13.5	2.2	2.2	1.0	1.3	8.5	13.2	78.3	0.7
36	रुपी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-125.8	0.1	0.3	0.4	-4.0	6.1	7.2	23.2	-0.6
37	सांगली अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, सांगली	13.7	2.4	2.7	0.7	0.5	8.5	13.7	20.5	-
38	सारस्वत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	11.2	2.5	2.7	1.1	0.5	7.7	12.4	92.6	0.3
39	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	24.9	3.8	4.1	0.2	0.9	5.2	11.1	43.7	0.3
40	शामराव विठ्ठल को.ऑप. बैंक लिमिटेड	13.4	2.5	2.7	1.0	1.0	8.4	13.5	79.0	0.5
41	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	13.2	3.1	3.2	4.8	0.4	7.3	12.1	27.3	0.9
42	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	11.6	3.4	3.5	0.5	0.8	8.2	14.0	52.8	0.3
43	सूरत पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	18.3	4.0	4.0	0.4	0.9	7.8	13.6	71.3	4.7
44	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	13.7	3.3	3.4	0.9	0.5	7.3	12.9	43.2	0.2
45	दी अकोला-जनता कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	12.5	2.9	3.0	0.6	1.4	8.1	13.7	32.6	0.2
46	दी अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	13.2	2.1	2.3	0.4	0.2	8.4	13.4	45.4	0.1
47	दी कपोल को.ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	9.5	2.4	2.5	1.0	-	7.7	12.7	46.9	-
48	दी खामगांव अर्बन को ऑप. बैंक लिमिटेड, खामगांव	11.3	3.4	5.2	1.3	3.0	6.4	13.1	22.5	0.4
49	टीजेएसबी सहकारी बैंक	13.5	3.0	3.1	0.6	1.3	7.7	13.0	86.3	6.2
50	वसावी को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	20.8	2.2	4.0	4.7	3.3	3.3	8.4	3.6	0.3
51	जोरास्ट्रियन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	14.9	3.2	3.2	0.5	1.5	7.3	12.3	74.0	1.1

- : शून्य।

टिप्पणी: 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं।

परिशिष्ट सारणी V.2: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक *(जारी)*

(कुल अस्तियों के प्रतिशत के रूप में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	परिचालनगत लाभ		करोत्तर निवल लाभ		ब्याज आय	
		2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.6	1.9	1.0	1.0	8.7	9.2
2	अहमदाबाद मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.3	2.2	-	-	8.0	9.4
3	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बंगलोर	-0.8	-0.2	-0.8	-0.2	2.9	2.8
4	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	2.3	2.4	1.3	1.3	9.8	11.0
5	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.7	3.3	1.9	1.8	8.8	9.1
6	भारत को-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड, मुंबई	2.1	2.1	1.4	1.4	9.2	9.6
7	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	2.7	2.0	1.1	1.2	6.5	6.8
8	बॉम्बे मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.9	0.4	0.8	0.5	5.8	5.7
9	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.5	1.6	0.9	0.9	8.5	9.3
10	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	1.5	1.8	0.9	0.6	8.1	9.7
11	डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	2.4	2.4	1.1	1.2	8.5	9.0
12	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.9	1.2	0.6	0.7	9.0	8.5
13	गोपीनाथ पाटील पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	2.4	2.3	1.2	1.1	8.5	8.5
14	ग्रेटर बॉम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.0	0.5	0.6	0.1	9.6	9.6
15	इंडियन मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, लखनऊ	-	0.6	-	0.6	7.8	9.4
16	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	0.9	1.1	0.7	0.7	8.3	9.0
17	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.1	1.1	1.9	0.7	8.6	8.4
18	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, नासिक	0.1	0.6	-6.8	-7.9	5.1	5.4
19	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	1.7	2.4	1.1	1.1	8.9	9.1
20	कालापन्ना आवडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	1.2	1.1	0.6	0.6	8.5	9.0
21	कालूपुर कमर्शियल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.2	2.4	1.1	1.0	7.3	8.0
22	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	1.5	1.9	0.9	1.0	8.5	9.1
23	कराड अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.5	1.4	0.7	0.7	8.9	9.2
24	महानगर को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.3	1.6	0.8	0.8	8.7	9.1
25	मापुसा अर्बन को. ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, मापुसा	1.0	0.4	1.0	0.4	7.9	7.8
26	मेहसाना अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.9	2.0	0.9	0.9	8.9	8.9
27	नगर अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	1.9	1.6	0.8	0.8	9.4	9.9
28	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	1.8	2.0	0.7	1.1	9.0	9.1
29	नासिक मर्चेंट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.6	2.5	1.5	1.4	9.2	9.4
30	न्यू इंडिया को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.0	0.9	0.6	0.6	7.9	8.3
31	एनकेजीएसबी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.7	1.5	1.0	1.0	8.9	9.2
32	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	1.1	0.8	0.5	0.6	7.6	8.2
33	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	1.7	1.0	0.4	0.5	9.6	9.5
34	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.9	1.6	0.9	1.0	9.1	9.6
35	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	2.0	2.0	1.4	1.3	8.7	9.1
36	रुपी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-0.8	-2.2	0.1	-1.9	3.3	3.0
37	सांगली अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, सांगली	0.9	0.5	0.4	0.5	7.7	8.4
38	सारस्वत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	1.7	1.8	1.0	0.4	7.8	8.4
39	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.8	1.7	0.7	0.8	6.9	7.2
40	शामराव विट्ठल को.ऑप. बैंक लिमिटेड	2.1	1.8	0.9	0.9	9.0	9.1
41	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	1.1	1.1	2.0	0.5	8.3	9.2
42	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	1.8	1.5	1.1	0.8	9.4	9.7
43	सूरत पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.0	2.4	0.5	0.8	8.8	9.4
44	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	1.3	1.7	0.9	0.5	9.4	9.9
45	दी अकोला-जनता कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	1.7	1.6	0.6	0.9	9.0	9.1
46	दी अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	1.5	1.3	0.6	0.2	8.5	8.5
47	दी कपोल को.ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	0.9	0.4	0.3	-	9.2	9.1
48	दी खामगांव अर्बन को ऑप. बैंक लिमिटेड, खामगांव	2.2	2.0	2.6	2.3	7.7	8.0
49	टीजेएसबी सहकारी बैंक	1.9	1.7	1.1	1.2	8.3	9.0
50	वसावी को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	2.7	1.9	-0.6	1.8	6.7	4.3
51	जोरास्ट्रियन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	2.1	1.4	1.5	1.4	9.1	8.8

- : शून्य।

टिप्पणी: 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं।

परिशिष्ट सारणी V.2: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक *(समाप्त)*

(कुल अस्तियों के प्रतिशत के रूप में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	ब्याज व्यय		प्रावधान तथा आकस्मिताएं		परिचालनगत कुल व्यय		ब्याज रहित व्यय	
		2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16
1	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.4	6.2	2.0	1.9	7.4	8.1	0.6	1.0
2	अहमदाबाद मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.0	5.2	2.1	2.4	6.1	7.6	2.3	2.2
3	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बंगलोर	2.2	2.2	1.5	1.8	3.6	4.0	-	-
4	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	5.7	6.6	2.0	2.3	7.7	8.9	1.0	1.0
5	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.0	5.4	1.5	1.4	6.5	6.7	0.9	1.5
6	भारत को-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड, मुंबई	5.8	6.4	1.8	2.0	7.6	8.4	0.7	0.7
7	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	4.9	6.0	2.4	2.1	7.4	8.1	1.6	0.8
8	बॉम्बे मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.5	3.7	2.0	2.1	5.4	5.8	0.1	-
9	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.6	6.4	1.7	1.8	7.3	8.1	0.6	0.7
10	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	5.9	7.3	1.3	1.4	7.2	8.6	0.6	1.2
11	डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	5.3	5.9	1.8	1.8	7.1	7.7	1.4	1.2
12	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.1	5.6	2.1	2.0	7.3	7.5	1.3	0.5
13	गोपीनाथ पाटील पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	3.9	4.0	2.2	2.4	6.2	6.4	1.3	1.2
14	ग्रेटर बॉम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	6.5	6.7	2.9	3.2	9.4	9.9	0.4	0.5
15	इंडियन मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, लखनऊ	6.4	6.2	2.4	3.6	8.8	9.8	-	-
16	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.5	6.3	2.3	2.4	7.8	8.7	0.2	0.5
17	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.8	6.3	2.1	2.6	8.0	8.9	-0.8	0.3
18	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, नासिक	3.9	3.8	1.7	2.6	5.6	6.4	6.9	8.4
19	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	6.3	6.5	1.5	1.8	7.8	8.3	0.6	1.3
20	कालापन्ना आवडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.7	6.2	2.0	2.2	7.6	8.4	0.6	0.5
21	कालूपुर कमर्शियल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	4.5	5.0	1.2	1.3	5.7	6.3	1.1	1.4
22	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	5.3	5.8	2.4	2.4	7.7	8.2	0.6	0.9
23	कराड अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.7	6.4	2.4	2.3	8.0	8.8	0.8	0.7
24	महानगर को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.3	5.9	3.7	2.0	9.0	7.9	0.6	0.8
25	मापुसा अर्बन को. ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, मापुसा	5.2	5.6	2.4	2.2	7.6	7.9	-	-
26	मेहसाना अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	6.0	6.1	1.1	1.1	7.1	7.2	1.1	1.2
27	नगर अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	5.7	6.5	2.1	2.0	7.8	8.5	1.1	0.9
28	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	5.3	5.5	2.7	2.3	7.9	7.8	1.1	0.9
29	नासिक मर्चेंट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.6	5.4	2.5	2.0	7.0	7.4	1.1	1.1
30	न्यू इंडिया को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.1	5.6	2.4	2.5	7.5	8.2	0.4	0.3
31	एनकेजीएसबी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	6.0	6.5	1.7	1.9	7.7	8.4	0.7	0.5
32	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	5.1	5.7	2.1	2.3	7.1	8.0	0.6	0.2
33	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	5.7	6.4	8.2	8.9	13.9	15.3	1.2	0.5
34	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.7	6.4	2.6	2.7	8.4	9.1	1.0	0.7
35	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	5.7	6.9	1.5	1.3	7.2	8.2	0.7	0.6
36	रुपी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.8	2.9	1.5	2.5	4.3	5.4	-0.8	-0.4
37	सांगली अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, सांगली	5.1	6.0	2.4	2.6	7.5	8.6	0.5	-
38	सारस्वत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	5.3	5.9	6.9	7.6	12.2	13.5	0.7	1.4
39	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.3	3.4	2.1	2.2	5.4	5.6	1.1	0.9
40	शामराव विठ्ठल को.ऑप. बैंक लिमिटेड	6.2	6.6	7.9	1.6	14.1	8.2	1.2	1.0
41	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	5.2	6.1	2.5	2.6	7.7	8.7	-1.0	0.6
42	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.6	6.3	2.5	2.4	8.1	8.7	0.6	0.7
43	सूरत पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.8	5.4	2.3	2.0	7.1	7.4	1.5	1.6
44	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	5.9	6.6	2.9	2.6	8.8	9.2	0.4	1.2
45	दी अकोला-जनता कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	5.7	6.2	2.1	1.9	7.8	8.1	1.1	0.7
46	दी अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	6.2	6.4	1.2	1.2	7.4	7.6	0.8	1.1
47	दी कपोल को.ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	6.2	6.7	3.1	3.0	9.3	9.7	0.6	0.4
48	दी खामगांव अर्बन को ऑप. बैंक लिमिटेड, खामगांव	4.6	4.6	1.7	2.2	6.3	6.8	-0.4	-0.3
49	टीजेएसबी सहकारी बैंक	5.3	6.0	1.6	2.0	6.9	8.0	0.8	0.6
50	वसावी को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	2.2	2.1	2.3	2.9	4.5	5.0	3.3	0.1
51	जोरास्ट्रियन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	5.8	5.7	1.6	1.6	7.4	7.3	0.6	-

- : शून्य।

टिप्पणी: 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं।

परिशिष्ट सारणी V.3: शहरी सहकारी बैंकों का राज्यवार वितरण

(मार्च 2013 के अंत में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या	शाखाओं की कुल संख्या (प्रधान कार्यालय और शाखाओं सहित)	एक्सटेंशन काउंटरों की कुल संख्या	एटीएम की कुल संख्या	उन जिलों की संख्या जहाँ यूसीबी की शाखा है	उन जिलों की संख्या जहाँ यूसीबी की शाखा नहीं हैं	जमाराशियां (₹ बिलियन)	अग्रिम (₹ बिलियन)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उत्तरी क्षेत्र	**74**	**364**	**13**	**18**	**49**	**62**	**96**	**50**
1	हरियाणा	7	19	1	6	7	14	6	3
2	हिमाचल प्रदेश	5	12	2	4	4	8	5	3
3	जम्मू और कश्मीर	4	23	4	-	7	15	4	2
4	पंजाब	4	20	1	3	6	16	10	5
5	राजस्थान	39	213	3	5	24	9	50	27
6	दिल्ली	15	77	2	-	1	-	21	11
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**17**	**48**	**1**	**-**	**15**	**52**	**11**	**5**
7	असम	8	23	-	-	5	22	5	2
8	मणिपुर	3	10	1	-	2	7	3	1
9	मेघालय	3	6	-	-	3	8	2	1
10	मिजोरम	1	1	-	-	1	7	-	-
11	सिक्किम	1	6	-	-	2	2	-	-
12	त्रिपुरा	1	2	-	-	2	6	-	-
	पूर्वी क्षेत्र	**62**	**153**	**8**	**6**	**27**	**84**	**51**	**25**
13	बिहार	3	3	1	1	2	36	1	-
14	झारखंड	2	2	-	-	2	22	-	-
15	ओडिशा	11	44	4	-	12	18	12	6
16	पश्चिम बंगाल	46	104	3	5	11	8	38	19
	मध्य क्षेत्र	**137**	**549**	**25**	**46**	**83**	**79**	**103**	**53**
17	छत्तीसगढ़	12	24	1	-	9	18	5	2
18	मध्य प्रदेश	51	89	1	-	23	27	17	8
19	उत्तर प्रदेश	69	353	21	39	42	30	52	26
20	उत्तराखंड	5	83	2	7	9	4	29	16
	पश्चिमी क्षेत्र	**757**	**5,791**	**134**	**1,697**	**59**	**4**	**2,048**	**1,378**
21	गोवा	6	68	1	17	2	-	20	12
22	गुजरात	234	884	1	104	22	4	290	165
23	महाराष्ट्र	517	4,839	132	1,576	35	-	1,738	1,201
	दक्षिणी क्षेत्र	**559**	**1,885**	**16**	**68**	**97**	**6**	**460**	**299**
24	आंध्र प्रदेश	103	300	6	20	21	2	88	55
25	कर्नाटक	266	864	8	40	30	-	211	133
26	केरल	60	394	2	3	14	-	90	59
27	तमिलनाडु	129	321	-	5	31	1	69	50
28	पुदुचेरी	1	6	-	-	1	3	2	1
	अखिल भारतीय	**1,606**	**8,790**	**197**	**1,835**	**330**	**287**	**2,769**	**1,810**

- : शून्य/नगण्य।

टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ कुल से भिन्न हो सकता है।

परिशिष्ट सारणी V.4: राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाले प्रमुख सूचकांक - क्षेत्रवार और राज्यवार

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र. सं.	क्षेत्र /राज्य	लाभ / हानि की राशि		बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां		मांग की तुलना में वसूली (जून के अंत में प्रतिशत)	
		2011	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र	**1,260**	**1,268**	**2.9**	**2.6**	**97.4**	**97.5**
1.	चंडीगढ़	37	32	14.4	13.9	62.2	66.6
2.	दिल्ली	269	302	7.6	7.0	91.2	90.4
3.	हरियाणा	50	50	-	-	99.9	99.9
4.	हिमाचल प्रदेश	400	414	12.5	12.6	67.0	71.9
5.	जम्मू और कश्मीर	2	2	26.3	26.3	52.5	52.5
6.	पंजाब	258	272	1.1	0.9	99.3	99.4
7.	राजस्थान	245	196	1.1	0.8	98.4	97.0
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**1,049**	**659**	**31.7**	**25.5**	**44.5**	**45.4**
8.	अरुणाचल प्रदेश	117	3	84.4	84.4	7.7	7.7
9.	असम	457	260	35.5	20.6	64.3	62.9
10.	मणिपुर	5	5	69.1	69.1	19.6	19.6
11.	मेघालय	221	112	13.3	13.3	28.3	22.1
12.	मिजोरम	22	22	14.4	14.4	63.7	63.7
13.	नागालैंड	6	30	35.3	26.0	66.0	68.7
14.	सिक्किम	23	29	7.0	5.0	62.2	73.0
15.	त्रिपुरा	199	199	18.1	18.1	65.7	65.7
	पूर्वी क्षेत्र	**296**	**-399**	**6.0**	**5.5**	**93.2**	**93.6**
16.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	24	26	9.4	19.3	92.1	70.4
17.	बिहार	64	64	24.2	24.2	72.1	72.1
18.	ओडिशा	108	110	5.1	5.9	96.8	97.1
19.	पश्चिम बंगाल	100	-599	3.1	-	93.3	93.3
	मध्य क्षेत्र	**709**	**1,068**	**6.2**	**4.1**	**94.4**	**95.4**
20.	छत्तीसगढ़	67	100	7.8	4.7	93.0	92.7
21.	मध्य प्रदेश	403	640	3.2	1.5	97.3	97.4
22.	उत्तर प्रदेश	211	300	7.8	6.2	91.9	93.2
23.	उत्तराखंड	28	28	10.1	4.9	95.1	97.2
	पश्चिमी क्षेत्र	**-2,372**	**1,901**	**20.6**	**16.2**	**74.3**	**87.9**
24.	गोवा	10	10	8.2	14.9	87.4	87.4
25.	गुजरात	137	137	9.0	2.1	87.8	99.1
26.	महाराष्ट्र	-2,519	1,754	23.5	21.2	70.6	83.8
	दक्षिणी क्षेत्र	**1,103**	**738**	**4.9**	**4.4**	**96.2**	**95.5**
27.	आंध्र प्रदेश	1,117	923	2.7	1.0	95.6	96.8
28.	कर्नाटक	230	290	4.1	4.9	97.5	97.7
29.	केरल	-655	-1,012	15.3	12.7	85.8	85.1
30.	पुदुचेरी	4	-66	13.7	12.9	92.4	92.4
31.	तमिलनाडु	407	603	2.7	3.3	99.4	98.3
	अखिल भारतीय	**2,046**	**5,235**	**8.6**	**6.8**	**91.8**	**93.9**

- : उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी: 1. 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं।

2. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ कुल से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.5: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वित्तीय स्थिति दर्शाने वाले प्रमुख सूचकांक - क्षेत्रवार और राज्यवार *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र. सं.	क्षेत्र / राज्य	2010-11					2011-12					2011		2012	
		रिपोर्ट करनेवाले डीसीसीबी की संख्या	लाभ		हानि		रिपोर्ट करनेवाले डीसीसीबी की संख्या	लाभ		हानि		कर्ज की तुलना में एनपीए अनुपात (प्रतिशत)	जून के अंत में मांग की तुलना में वसूली (प्रतिशत)	कर्ज की तुलना में एनपीए अनुपात (प्रतिशत)	जून के अंत में मांग की तुलना में वसूली (प्रतिशत)
			डीसीसीबी की संख्या	राशि	डीसीसीबी की संख्या	राशि		डीसीसीबी की संख्या	राशि	डीसीसीबी की संख्या	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	उत्तरी क्षेत्र	**73**	**62**	**1,316**	**11**	**673**	**73**	**61**	**1,777**	**12**	**550**	**3.4**	**83.3**	**5.7**	**83.7**
1	हरियाणा	19	14	45	5	253	19	14	45	5	253	3.8	68.5	3.8	68.5
2	हिमाचल प्रदेश	2	2	603	-	-	2	2	363	-	-	8.5	85.7	9.2	76.2
3	जम्मू और कश्मीर	3	-	-	3	229	3	-	-	3	122	22.5	58.7	22.5	58.7
4	पंजाब	20	18	279	2	31	20	17	278	3	97	6.0	92.8	5.3	93.2
5	राजस्थान	29	28	390	1	160	29	28	1,092	1	78	6.8	87.5	5.3	87.1
	पूर्वी क्षेत्र	**64**	**49**	**704**	**15**	**1,662**	**64**	**50**	**803**	**14**	**873**	**11.7**	**74.1**	**10.1**	**72.4**
6	बिहार	22	13	121	9	228	22	13	121	9	228	54.5	50.7	54.5	50.7
7	झारखंड	8	6	85	2	17	8	8	100	-	-	47.9	31.6	21.2	32.3
8	ओडिशा	17	14	114	3	1350	17	14	287	3	608	13.5	70.8	12.1	68.4
9	पश्चिम बंगाल	17	16	384	1	66	17	15	295	2	36	NA	86.5	NA	83.9
	मध्य क्षेत्र	**104**	**89**	**3,034**	**15**	**1,719**	**104**	**87**	**3,797**	**17**	**1,523**	**19.4**	**70.2**	**17.9**	**75.6**
10	छत्तीसगढ़	6	6	396	-	-	6	6	509	-	-	21.8	74.4	17.5	71.8
11	मध्य प्रदेश	38	38	1740	-	-	38	38	1,741	-	-	16.6	70.5	17.1	75.5
12	उत्तर प्रदेश	50	35	484	15	1719	50	33	1,036	17	1,523	25.1	65.2	20.3	63.6
13	उत्तराखंड	10	10	415	-	-	10	10	512	-	-	12.0	88.1	12.7	87.1
	पश्चिमी क्षेत्र	**49**	**48**	**5,779**	**1**	**137**	**49**	**48**	**6,653**	**1**	**68**	**13.2**	**73.3**	**11.9**	**73.7**
14	गुजरात	18	18	2145	-	-	18	18	2,145	-	-	12.7	86.0	8.7	88.6
15	महाराष्ट्र	31	30	3635	1	137	31	30	4,508	1	68	13.3	68.8	12.6	67.6
	दक्षिणी क्षेत्र	**80**	**74**	**3,465**	**6**	**339**	**80**	**72**	**4,105**	**8**	**181**	**9.5**	**86.5**	**8.0**	**90.6**
16	आंध्र प्रदेश	22	21	516	1	52	22	18	613	4	60	9.9	84.9	7.2	86.6
17	कर्नाटक	21	18	851	3	53	21	18	851	3	53	8.4	87.9	5.9	91.6
18	केरल	14	12	399	2	235	14	13	428	1	68	9.7	86.4	9.7	86.4
19	तमिलनाडु	23	23	1699	-	-	23	23	2,213	-	-	9.5	87.4	8.0	94.5
	अखिल भारतीय	**370**	**322**	**14,299**	**48**	**4,530**	**370**	**318**	**17,135**	**52**	**3,194**	**11.2**	**79.1**	**9.7**	**81.9**

- : शून्य/नगण्य।

टिप्पणी: 2012 के आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.6: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार *(जारी)*

(31 मार्च 2012 को)

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र. सं.	राज्य	पीएसीएस की संख्या	जमा राशियां	कार्यशील पूंजी	बकाया ऋण तथा अग्रिम		लाभ वाली समितियां	
					कृषि	गैर-कृषि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उत्तरी क्षेत्र	**10,818**	**31,917**	**194,564**	**104,968**	**6,530**	**7,071**	**3,483**
1.	चंडीगढ़	16	-	2	-	1	15	-
2	हरियाणा	640	5,317	88,051	57,782	4,295	83	424
3	हिमाचल प्रदेश	2,117	8,292	23,512	5,013	-	1,724	232
4	जम्मू और कश्मीर	765	12	787	223	9	275	8
5	पंजाब	1,609	4,343	12,059	11,834	356	925	1,986
6	राजस्थान	5,671	13,953	70,152	30,116	1,869	4,049	832
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**3,500**	**779**	**3,958**	**497**	**77**	**599**	**981**
7	अरुणाचल प्रदेश	34	-	194	-	-	13	45
8	असम	766	-	1112	56	3	309	764
9	मणिपुर	232	1	62	47	-	24	1
10	मेघालय	179	27	348	147	5	86	168
11	मिजोरम	133	1	32	13	-	24	2
12	नागालैंड	1,719	642	1,125	20	36	-	-
13	सिक्किम	169	-	72	16	-	41	-
14	त्रिपुरा	268	109	1,013	198	32	102	-
	पूर्वी क्षेत्र	**19,421**	**32,882**	**97,563**	**43,776**	**665**	**6,514**	**618**
15	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	46	13	46	36	-	15	2
16	बिहार	8,463	1,753	5,082	-	-	1,180	60
17	झारखंड	498	774	4,878	2,866	-	118	15
18	ओडिशा	2,452	10,737	38,878	26,386	665	630	253
19	पश्चिम बंगाल	7,962	19,604	48,679	14,488	-	4,571	287
	मध्य क्षेत्र	**15,357**	**15,005**	**96,341**	**51,155**	**2,652**	**8,085**	**2,109**
20	छत्तीसगढ़	1,213	2,619	10,565	5,603	376	834	242
21	मध्य प्रदेश	4,457	8,173	64,555	33,996	1,189	2,153	1,312
22	उत्तराखंड	758	3,531	8,629	3,553	1,087	562	377
23	उत्तर प्रदेश	8,929	682	12,593	8,003	-	4,536	177
	पश्चिमी क्षेत्र	**29,633**	**13,458**	**276,829**	**127,541**	**22,560**	**14,914**	**954**
24	गोवा	77	317	962	123	292	51	4
25	गुजरात	8,154	11,717	94,908	46,434	2,252	4,784	921
26	महाराष्ट्र	21,402	1,424	180,959	80,984	20,016	10,079	29
	दक्षिणी क्षेत्र	**13,703**	**408,480**	**935,825**	**144,445**	**316,138**	**8,250**	**5,904**
27	आंध्र प्रदेश	2,807	12,602	350,433	42,373	1,843	1,222	502
28	कर्नाटक	4,739	22,823	79,187	38,772	5,870	2,758	1,088
29	केरल	1,566	318,786	345,579	25,446	209,670	771	1,504
30	पुदुचेरी	53	962	1,661	149	401	27	19
31	तमिलनाडु	4,538	53,307	158,965	37,705	98,354	3,472	2,791
	अखिल भारतीय	**92,432**	**502,522**	**1,605,080**	**472,382**	**348,621**	**45,433**	**14,049**

- : शून्य/नगण्य।

स्रोत : एनएएफएससीओबी

परिशिष्ट सारणी V.6: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार *(समाप्त)*

(31 मार्च 2012 को)

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र. सं.	राज्य	हानिग्रस्त समितियां		अर्थक्षम	संभावित रूप से अर्थक्षम	निष्क्रिय	अप्रचलित	अन्य
		संख्या	राशि					
1	2	10	11	12	13	14	15	16
	उत्तरी क्षेत्र	**2,831**	**11,880**	**7,553**	**2,574**	**186**	**328**	**177**
1.	चंडीगढ़	1	-	15	-	1	-	-
2	हरियाणा	557	3,080	640	-	-	-	-
3	हिमाचल प्रदेश	332	26	463	1,583	45	6	20
4	जम्मू और कश्मीर	356	150	275	173	96	219	2
5	पंजाब	472	8,289	1,308	119	-	82	100
6	राजस्थान	1,113	335	4,852	699	44	21	55
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**1,013**	**1,638**	**1,947**	**491**	**672**	**390**	**-**
7	अरुणाचल प्रदेश	19	72	20	5	4	5	-
8	असम	419	991	709	57	-	-	-
9	मणिपुर	194	96	223	-	8	1	-
10	मेघालय	93	441	132	37	5	5	-
11	मिजोरम	109	18	133	-	-	-	-
12	नागालैंड	-	-	457	228	655	379	-
13	सिक्किम	13	-	158	11	-	-	-
14	त्रिपुरा	166	20	115	153	-	-	-
	पूर्वी क्षेत्र	**9,553**	**4,018**	**14,616**	**3,142**	**603**	**463**	**597**
15	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	28	9	39	5	-	2	-
16	बिहार	3,962	9	8,463	-	-	-	-
17	झारखंड	380	293	352	143	3	-	-
18	ओडिशा	1,792	3,488	1,471	605	10	1	365
19	पश्चिम बंगाल	3,391	219	4,291	2,389	590	460	232
	मध्य क्षेत्र	**4,661**	**1,927**	**12,480**	**2,192**	**434**	**180**	**71**
20	छत्तीसगढ़	379	37	1,123	90	-	-	-
21	मध्य प्रदेश	2,129	1,782	3,663	720	4	-	70
22	उत्तराखंड	185	93	579	113	48	17	1
23	उत्तर प्रदेश	1,968	15	7,115	1,269	382	163	-
	पश्चिमी क्षेत्र	**13,152**	**995**	**20,498**	**8,431**	**531**	**80**	**93**
24	गोवा	23	-	54	12	7	2	2
25	गुजरात	2,180	952	4,960	2,501	524	78	91
26	महाराष्ट्र	10,949	42	15,484	5,918	-	-	-
	दक्षिणी क्षेत्र	**5,165**	**13,811**	**9,719**	**3,145**	**208**	**66**	**565**
27	आंध्र प्रदेश	1,585	4,397	2,266	491	5	7	38
28	कर्नाटक	1,760	609	3,017	1,277	179	41	225
29	केरल	732	3,036	1,383	123	17	18	25
30	पुदुचेरी	26	84	25	28	-	-	-
31	तमिलनाडु	1,062	5,684	3,028	1,226	7	-	277
	अखिल भारतीय	**36,375**	**34,268**	**66,813**	**19,975**	**2,634**	**1,507**	**1,503**

- : शून्य/नगण्य।

स्रोत : एनएएफएससीओबी

परिशिष्ट सारणी V.7: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के प्रमुख वित्तीय संकेतक-राज्यवार

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	शाखाएं	लाभ / हानि		कर्ज की तुलना में एनपीए अनुपात (प्रतिशत)		वसूली अनुपात (प्रतिशत)	
		2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उत्तरी क्षेत्र	**85**	**451**	**529**	**19.7**	**21.6**	**58.5**	**60.0**
1	हरियाणा @	-	70	158	33.7	32.3	51.0	55.7
2	हिमाचल प्रदेश #	33	11	11	41.0	41.0	44.3	50.9
3	जम्मू और कश्मीर *	45	-27	-37	34.5	20.0	31.1	31.2
4	पंजाब @	-	193	207	0.2	2.9	78.3	81.4
5	राजस्थान @	7	204	191	23.1	29.4	52.4	48.8
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**33**	**-62**	**-51**	**61.3**	**61.3**	**56.8**	**50.7**
6	असम *	28	-62	-50	97.8	99.6	14.0	7.1
7	त्रिपुरा *	5	-0.5	-0.5	45.5	45.5	69.8	71.5
	पूर्वी क्षेत्र	**138**	**-2**	**-510**	**30.2**	**27.3**	**28.6**	**43.1**
8	बिहार *	131	-5.2	-503	85.3	82.8	2.0	-
9	ओडिशा @	5	-	-14	97.4	100.0	3.6	0.4
10	पश्चिम बंगाल #	2	3.0	7	18.3	16.5	60.1	60.1
	मध्य क्षेत्र	**330**	**-390**	**-1,940**	**48.3**	**54.4**	**38.8**	**14.9**
11	छत्तीसगढ़ @	-	2	2	49.7	49.7	31.3	22.0
12	मध्य प्रदेश @	7	-545	-1,293	51.7	66.2	21.1	8.4
13	उत्तर प्रदेश *	323	153	-649	47.2	51.0	50.1	17.3
	पश्चिमी क्षेत्र	**181**	**-349**	**-348**	**81.8**	**79.7**	**14.7**	**47.3**
14	गुजरात *	181	371	373	49.5	43.6	47.2	47.3
15	महाराष्ट्र @	-	-720	-721	97.7	97.7	4.2	-
	दक्षिणी क्षेत्र	**56**	**314**	**151**	**14.7**	**12.6**	**58.0**	**67.8**
16	कर्नाटक @	23	109	-58	31.5	28.5	41.0	54.2
17	केरल @	14	185	191	4.3	3.3	95.7	94.4
18	पुदुचेरी *	1	-1	-3	4.4	4.8	95.7	95.9
19	तमिलनाडु @	18	21	21	15.8	15.8	14.4	5.6
	अखिल भारतीय	**823**	**-39**	**-2,168**	**32.3**	**33.1**	**40.2**	**41.3**

- : उपलब्ध नहीं @ संघीय संरचना # मिश्रित संरचना * एकल संरचना

टिप्पणी : 1. 2012 के आंकड़े अनंतिम हैं।

2. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ कुल से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.8: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतक - राज्यवार

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

राज्य	2010-11				2011-12				कर्ज की तुलना में एनपीए अनुपात (प्रतिशत)		वसूली अनुपात (प्रतिशत) (जून के अंत में)	
	लाभ		हानि		लाभ		हानि					
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तरी क्षेत्र	**106**	**597**	**39**	**1,620**	**102**	**448**	**43**	**1,297**	**40.9**	**39.6**	**45.5**	**46.0**
हरियाणा	-	-	19	1,166	-	-	19	862	51.9	50.2	34.6	38.6
हिमाचल प्रदेश	1	5		-	1	5		-	34.1	34.1	57.7	58.6
पंजाब	81	455	8	95	81	359	8	88	32.7	30.2	59.6	61.4
राजस्थान	24	138	12	360	20	84	16	347	38.5	39.3	45.3	40.1
मध्य क्षेत्र	**11**	**16**	**39**	**707**	**14**	**15**	**36**	**576**	**65.2**	**65.3**	**29.9**	**11.5**
छत्तीसगढ़	3	4	9	194	6	4	6	63	47.2	44.4	47.6	42.4
मध्य प्रदेश	8	11	30	513	8	11	30	513	68.5	68.5	27.5	8.4
पूर्वी क्षेत्र	**-**	**-**	**70**	**228**	**-**	**-**	**70**	**228**	**35.1**	**35.1**	**55.2**	**54.8**
ओडिशा	-	-	46	105	-	-	46	105	99.9	99.9	11.7	4.6
पश्चिम बंगाल	-	-	24	123	-	-	24	123	33.4	33.4	57.6	57.5
पश्चिमी क्षेत्र	**1**	**10**	**28**	**1,142**	**1**	**10**	**28**	**1,142**	**98.3**	**98.3**	**18.8**	**-**
महाराष्ट्र	1	10	28	1,142	1	10	28	1,142	98.3	98.3	18.8	-
दक्षिणी क्षेत्र	**252**	**1,730**	**151**	**745**	**242**	**1,618**	**161**	**801**	**29.5**	**25.6**	**69.8**	**60.2**
कर्नाटक	95	365	82	255	85	253	92	311	36.2	23.8	54.4	52.0
केरल*	34	307	12	252	34	307	12	252	27.6	27.6	94.7	73.2
तमिलनाडु	123	1,059	57	238	123	1,059	57	238	21.9	21.9	49.9	15.2
अखिल भारतीय	**370**	**2,353**	**327**	**4,442**	**359**	**2,091**	**338**	**4,044**	**40.6**	**38.6**	**47.3**	**44.8**

* केरल में एक पीसीएआरडीबी ने लाभप्रदता डेटा उपलब्ध नहीं कराया है।

- : उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी : 2012 के आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी VI.1: वित्तीय संस्थाओं द्वारा संस्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता *(जारी)*

(राशि बिलियन रुपये में)

संस्थाएं	कर्ज*				हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान				अन्य#			
	2011-12		2012-13 अ		2011-12		2012-13 अ		2011-12		2012-13 अ	
	संस्वी.	संवि.	संस्वी.	संवि.	संस्वी.	संवि.	संस्वी.	संवि.	संस्वी.	संवि.	संस्वी.	संवि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अ. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं बैंक (1, 2 तथा 3)	**463.2**	**446.2**	**430.9**	**417.0**	**16.1**	**28.4**	**2.1**	**4.5**	**0.8**	**0.3**	**0.4**	**0.4**
1. आईएफसीआई	31.5	32.1	21.2	11.7	14.8	24.7	1.0	3.3	0.5	0.0	-	-
2. सिडबी	431.7	414.1	409.7	405.3	1.3	3.7	1.1	1.2	0.3	0.3	0.4	0.4
3. आईआईबीआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आ. विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं (4, 5 तथा 6)	**10.3**	**7.9**	**6.4**	**5.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.6**	**0.6**	**0.7**	**0.7**
4. आईवीसीएफ	3.1	2.9	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
5. आईसीसीआई वेंचर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. टीएफसीआई	7.2	5.0	3.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.6
इ. निवेश संस्थाएं (7 तथा 8)	**17.4**	**27.0**	**46.3**	**52.8**	**524.9**	**490.1**	**399.2**	**412.2**	**1.8**	**2.5**	**2.3**	**1.5**
7. एलआईसी	17.4	27.0	46.3	52.8	512.3	477.6	381.5	394.5	1.8	2.5	2.3	1.5
8. जीआईसी @	0.0	0.0	0	0	12.6	12.6	17.7	17.7	0.0	0.0	0	0
ई. वित्तीय संस्थाएं (अ+आ+इ)	**490.9**	**481.1**	**483.6**	**475.4**	**541.0**	**518.5**	**401.3**	**416.7**	**3.2**	**3.4**	**3.4**	**2.6**
उ. राज्य स्तरीय संस्थाएं (9 तथा 10)												
9. एसएफसी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
10. एसआईडीसी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
ऊ. सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता(ई+उ)	**490.9**	**481.1**	**483.6**	**475.4**	**541.0**	**518.5**	**401.3**	**416.7**	**3.2**	**3.4**	**3.4**	**2.6**

परिशिष्ट सारणी VI.1: वित्तीय संस्थाओं द्वारा संस्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता *(समाप्त)*

(राशि बिलियन रुपये में)

संस्थाएं		कुल				प्रतिशत घट-बढ़	
		2011-12		2012-13 अ		2012-13	
		संस्वी.	संवि.	संस्वी.	संवि.	संस्वी.	संवि.
1		14	15	16	17	18	19
अ.	**अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं बैंक**						
	(1, 2 तथा 3)	**480.1**	**474.9**	**433.4**	**421.8**	**-9.7**	**-11.2**
	1. आईएफसीआई	46.7	56.8	22.2	15.0	-52.5	-73.6
	2. सिडबी	433.4	418.1	411.2	406.8	-5.1	-2.7
	3. आईआईबीआई	-	-	-	-	-	-
आ.	**विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं (4, 5 तथा 6)**	**10.9**	**8.5**	**7.1**	**6.2**	**-34.9**	**-27.1**
	4. आईवीसीएफ	3.1	2.9	2.9	2.8	-6.5	-3.4
	5. आईसीआईसीआई वेंचर	-	-	-	-	-	-
	6. टीएफसीआई	7.8	5.6	4.2	3.4	-46.2	-39.3
इ.	**निवेश संस्थाएं (7 तथा 8)**	**544.1**	**519.7**	**447.8**	**466.6**	**-17.7**	**-10.2**
	7. एलआईसी	531.5	507.1	430.1	448.9	-19.1	-11.5
	8. जीआईसी @	12.6	12.6	17.7	17.7	40.5	40.5
ई.	**वित्तीय संस्थाएं (अ+आ+इ)**	**1,035.1**	**1,003.1**	**888.3**	**894.6**	**-14.2**	**-10.8**
उ.	**राज्य स्तरीय संस्थाएं (9 तथा 10)**						
	9. एसएफसी	..	..	..	..	..	..
	10. एसआईडीसी	..	..	..	..	..	..
ऊ.	**सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता(ई+उ)**	**1,035.1**	**1,003.1**	**888.3**	**894.6**	**-14.2**	**-10.8**

अ. : अनंतिम।
संस्वी. : संस्वीकृत।
संवि. : संवितरित।
- : शून्य।
.. : उपलब्ध नहीं।
* : कर्ज में रुपया कर्ज और विदेशी कर्ज शामिल है।
# : अन्य में गारंटी शामिल है।
@ : आंकड़ों में साधारण बीमा निगम और उसकी कंपनियां शामिल हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

परिशिष्ट सारणी VI.2: प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि रुपये मिलियन में)

क्र. सं.	प्राथमिक व्यापारी का नाम	वर्ष	आय				व्यय			कर पूर्व लाभ	करोत्तर लाभ	निवल मालियत पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)
			ब्याज आय (बट्टा आय सहित)	व्यापार लाभ	अन्य आय	कुल आय	ब्याज व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि.	2011-12	1,695.8	-127.9	38.8	1,606.7	1,556.0	143.5	1,699.5	-92.8	-92.8	-3.6
		2012-13	1,578.2	592.9	15.4	2,186.5	1,427.5	182.0	1,609.5	577.0	388.3	15.5
2	एसबीआई डीएफएचआई लि.	2011-12	1,978.1	14.3	27.0	2,019.4	1,205.8	163.1	1,368.9	650.4	435.1	5.0
		2012-13	2,594.2	568.1	19.8	3,182.1	1,785.2	210.8	1,996.0	1,186.1	802.9	8.7
3	आईसीसीआई सिक्युरिटीज प्राइमरी डीलर लि.	2011-12	4,455.3	1,349.2	179.7	5,984.2	4,034.0	675.6	4,709.6	1,274.5	856.9	13.7
		2012-13	6,138.1	2,082.3	248.9	8,469.3	5,636.6	850.2	6,486.8	1,799.8	1,206.6	17.9
4	पीएनबी गिल्ट्स लि.	2011-12	1,659.3	-143.5	142.0	1,657.8	1,256.7	104.6	1,361.3	296.5	210.6	3.7
		2012-13	2,303.5	400.2	183.8	2,887.5	1,886.5	113.4	1,999.9	887.6	612.4	9.9
5	मोर्गन स्टैनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्राईवेट लि.	2011-12	1,302.6	-305.8	61.6	1,058.4	1,016.7	206.9	1,223.6	-165.1	-166.6	-4.6
		2012-13	1,865.3	3.1	48.5	1,916.9	1,485.2	204.8	1,690.0	226.9	205.4	5.3
6	नोमूरा फिक्सड इनकम सेक्युरिटीज प्राईवेट लि.	2011-12	1,629.3	-519.3	537.9	1,647.9	1,329.4	291.1	1,620.5	27.3	25.8	0.7
		2012-13	1,933.0	201.1	10.0	2,144.1	1,531.2	264.0	1,795.2	348.8	235.6	6.0
7	डच सेक्युरिटीज (इंडिया) प्राईवेट लि.	2011-12	394.7	-24.5	12.7	382.9	231.6	40.0	271.6	111.2	75.1	3.3
		2012-13	506.3	66.8	18.7	591.8	331.2	65.6	396.8	201.2	135.9	5.7
8	गोल्डमैन सेचस्	2011-12	706.6	393.3	11.4	1,111.3	546.3	266.2	812.5	298.9	200.5	8.3
		2012-13	993.5	361.9	8.6	1,364.0	799.4	249.8	1,049.2	314.8	207.6	8.1
कुल		**2011-12**	**13,821.7**	**635.8**	**1,011.1**	**15,468.6**	**11,176.5**	**1,891.0**	**13,067.5**	**2,400.9**	**1,544.6**	**4.4**
		2012-13	**17,912.1**	**4,276.4**	**553.7**	**22,742.2**	**14,882.8**	**2,140.6**	**17,023.4**	**5,542.2**	**3,794.7**	**10.1**

स्रोत: प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियां।

परिशिष्ट सारणी VI.3: प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक

(राशि रुपये मिलियन में)

क्र. सं.	प्राथमिक व्यापारी का नाम	पूंजीगत निधियां (टियर I +टियर II+ पात्र टियर III)		सीआरएआर (प्रतिशत)		सरकारी प्रतिभूतियों व खजाना बिलों के स्टॉक (बही मूल्य/एमटीएम)		कुल आस्तियां (चालू देयताओं और प्रावधानों को घटाकर)	
		2011-12	**2012-13**	**2011-12**	**2012-13**	**2011-12**	**2012-13**	**2011-12**	**2012-13**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि.	2,717	2,591	25	23	12,567	15,956	21,492	24,588
2	एसबीआई डीएफएचआई लि.	8,741	9,102	94	78	24,605	24,708	30,039	36,262
3	आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज प्राइमरी डीलर लि.	10,559	11,641	48	26	47,067	54,975	68,990	73,592
4	पीएनबी गिल्ट्स लि.	5,723	6,201	75	42	24,734	24,587	27,685	37,242
5	मोर्गन स्टैनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्राईवेट लि.	3,667	3,869	35	62	3,732	11,362	2,455	2,265
6	नोमूरा फिक्सड इनकम सेक्युरिटीज प्राईवेट लि.	4,140	4,055	41	34	15,510	17,017	16,396	16,338
7	डच सेक्युरिटीज (इंडिया) प्राईवेट लि.	2,231	2,382	185	144	3,471	7,041	3,535	7,477
8	गोल्डमैन सेचस्	2,399	2,630	64	40	12,679	15,437	15,246	17,777
	कुल	**40,179**	**42,473**	**54**	**39**	**1,44,370**	**1,71,090**	**1,85,838**	**2,15,541**

स्रोत: प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियां।